चतुर्दश माला, खंड 25, अंक 10

शुक्रवार, 9 मार्च, 2007
18 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....62.....
Dated....26.May.2008

(खंड 25 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 25, दसवां सत्र, 2007/1928 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 9 मार्च, 2007/18 फाल्गुन, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 163, 164, 166, 168, 171 और 172	1–50
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 161, 162, 165, 167, 169, 170 और 173 से 180	50–88
अतारांकित प्रश्न संख्या 1506 से 1701	88–373
सभा पटल पर रखे गए पत्र	373–379
लोक लेखा समिति	
उनतालीसवां और चालीसवां प्रतिवेदन	379–380
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ चौरानवेवें से एक सौ सतानवेवां प्रतिवेदन	380
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	381
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	381
सभा का कार्य	382–386
सरकारी विधेयक-पुर:स्थापित	386–387
(एक) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007	386
(दो) कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007	387
रेल बजट, 2007-2008–सामान्य चर्चा **लेखानुदानों की मांगें (रेल), 2007-2008** **अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2006-2007** **और** **अभिसमय समिति (2004) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में संकल्प**	398–585
श्री कैलाश बैठा	398–399

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

श्री वी.के. ठुम्मर 399–402

श्री गिरधारी लाल भार्गव 402–403

श्री अब्दुल्लाकुट्टी 403–405

श्री एम. शिवन्ना 405–408

श्री के.सी. सिंह ''बाबा'' 408–411

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 411–413

श्री जय प्रकाश (हिसार) 413–416

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया 416–418

श्री चन्द्रभान सिंह 418–420

श्री अमिताभ नन्दी 420–426

श्री इलियास आजमी 426–428

श्री कीरेन रिजीजू 428–429

प्रो. चन्द्र कुमार 429–431

श्री नरहरि महतो 431–434

श्री हरिकेवल प्रसाद 434–437

श्री विजय कृष्ण 437

श्री शैलेन्द्र कुमार 438–440

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 440–441

श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' 441–443

श्री पन्नियन रवीन्द्रन 444–446

श्री प्रहलाद जोशी 446–452

श्रीमती प्रतिभा सिंह 452–456

श्री किन्जरपु येरननायडु 456–462

डा. वल्लभभाई कथीरिया 462–464

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी 464–465

श्री सुनील खां 465–468

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 468–472

विषय कॉलम

श्री रविन्दर नाइक धारावत	472–475
श्री तापिर गाव	475–478
श्री ए.वी. बेल्लारमिन	478–480
श्रीमती सुमित्रा महाजन	480–483
डा. के.एस. मनोज	483–489
श्री ए. साईं प्रताप	489–493
श्री पी. करूणाकरन	493–495
श्री वनलाल जावमा	495–496
श्री कृष्णा मुरारी मोघे	496–497
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	498–499
श्री जे.एम. आरून रशीद	499–505
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	506–508
श्री गणेश प्रसाद सिंह	508–511
श्री शंखलाल माझी	511–513
श्री पुन्नूलाल मोहले	513–515
श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	515–518
श्री वीरचन्द्र पासवान	518–519
श्रीमती सी.एस. सुजाता	519–522
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	522–524
श्रीमती करूणा शुक्ला	524–528
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	528–530
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	530–532
श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल)	532–535
श्री रायापति सांबासिवा राव	535–538
श्री टी.के. हमजा	538–539
श्री डी. नरबुला	539–541
श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर	541–542

विषय	कॉलम
डा. अरविन्द शर्मा	542–544
श्री के.वी. तंगबालु	544–546
श्री अशोक प्रधान	547–549
चौधरी विजेन्द्र सिंह	550
श्री गुंडलूर निजामुद्दीन	551–552
श्री अधीर चौधरी	552–556
श्री सर्वे सत्यनारायण	556–566
श्री सूरज सिंह	567–570
श्री लालू प्रसाद	570–582
विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2007	585–587
विचार करने के लिए प्रस्ताव	585
खंड 2, 3 और 1	586
पारित करने के लिए प्रस्ताव	587
विनियोग (रेल) विधेयक, 2007	587–588
विचार करने के लिए प्रस्ताव	587
खंड 2, 3 और 1	588
पारित करने के लिए प्रस्ताव	588
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	589
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	590–594
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	595–596
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	595–596

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 9 मार्च, 2007/18 फाल्गुन, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए]**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 161-श्री जय प्रकाश-उपस्थित नहीं।

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने इतनी मेहनत की है।

अध्यक्ष महोदय: परिवर्तन के तौर पर आपने ऐसा कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। आप हमेशा ही गहन अध्ययन करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 162-श्री एकनाथ महादेव गायकवाड-उपस्थित नहीं।

श्रीमती निवेदिता माने-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 163-श्री महावीर भगोरा

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

***163. श्री महावीर भगोरा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक राज्य सरकारें विद्युत की भारी कमी और भारी ''लोड शेडिंग'' से जूझ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) देश में आज की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विद्युत और विद्युत की कमी वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त विद्युत को विद्युत की कमी वाले राज्यों को स्थानांतरित करने के लिए कोई मानदंड हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए क्या शुरूआत की गई है/की जा रही है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में विद्युत की समग्र रूप में कमी है। ये कमियां विद्युत की मांग व कमी के आधार पर राज्य-दर-राज्य, मौसम-दर-मौसम व दिन के अलग समय में भिन्न-भिन्न होती है। विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य में विद्युत की आपूर्ति व वितरण संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी होती है जो राज्य में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों/क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करते हैं। विद्युत की मांग व इसकी उपलब्धता तथा वितरण की उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर संबंधित राज्य द्वारा लोड शेडिंग और विद्युत कटौती का सहारा लिया जाता है। भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में वृहत उच्च वोल्टता पारेषण प्रणाली की स्थापना करके और विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करके राज्य के प्रयासों में सहायता करती है। अप्रैल-फरवरी 2007 के दौरान राज्यवार विद्युत स्थिति अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) विद्युत की कमी के मुख्य कारण निम्नवत हैं-

(1) राज्यों में विद्युत की मांग उनके विद्युत उत्पादन में वृद्धि और क्षमता अभिवृद्धि से अधिक बढ़ रही है।

(2) अधिकतर राज्य क्षेत्र में कुछेक ताप विद्युत यूनिटों का संयंत्र भार घटक कम होना।

(3) गैस की अपर्याप्त उपलब्धता।

(4) विद्युत की चोरी समेत सकल तकनीकी व वाणिज्यिक (एटी व सी) हानियां अधिक होना।

(5) राज्य यूटीलिटियों की वित्तीय स्थिति कमजोर होना जिससे पर्याप्त विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित निवेश हेतु संसाधन जुटाने में राज्य यूटीलिटियों को कठिनाई होती है।

सरकार द्वारा देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय/कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं।

अल्पावधिक

(1) विद्यमान संयंत्रों का संयंत्र भार घटक सुधारना।

(2) कोयला स्टेशनों के उन्नत पीएलएफ को पूरा करने के लिए ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश के सभी प्रमुख कोयला संयंत्रों में कोयला उत्पादन, परिवहन व भंडारण की कड़ी मानीटरिंग की जा रही है। घरेलू कोयले के उत्पादन में बाधाओं का सामना करने की दृष्टि से कोयले का आयात।

(3) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अधिशेष विद्युत का दोहन।

(4) गैस आधारित स्टेशनों की उपयोग में न लाई गई क्षमता का तरल ईंधन पर उपयोग तथा तुरंत बाजार से गैस की खरीद।

(5) सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों में कमी करने के उपाय के तौर पर त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्य में उप पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार।

(6) अन्त:राज्य तथा अन्तर क्षेत्रीय पारेषण को सुदृढ़ बनाकर उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग।

(7) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन व अनुरक्षण।

(8) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को प्रोत्साहन देना।

(9) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अग्रदूत के रूप में बेहतर निष्पादन कर रही विद्युत यूटिलिटियों के साथ तालमेल के जरिए मौजूदा थर्मल पावर स्टेशनों के संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) को बढ़ाने के लिए बेहतर प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) पद्धतियों को अपनाकर ''उत्कृष्टता में भागीदारी'' (पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस) कार्यक्रम की शुरूआत।

(10) त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के अंतर्गत पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी देकर पुरानी और अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण व जीवन विस्तार।

दीर्घकालिक

(1) अंतरक्षेत्रीय विद्युत अंतरण के माध्यम से उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना।

(2) जल विद्युत क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए 50,000 मेगावाट क्षमता की पहल की गई है।

(3) 1,00,000 मेगावाट से अधिक थर्मला क्षमता के लिए स्थलों की पहचान।

(4) पावर फाइनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन ने इस तरह के प्रयास किए हैं ताकि निधियों के अभाव में अच्छी परियोजनाएं बाधित न हों।

(5) चल रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संवृद्धि की कड़ी निगरानी की जा रही है।

(6) 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए उत्पादन क्षमता संवृद्धि परियोजनाओं की अग्रिम आयोजना।

(7) आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

(8) भूटान से जल विद्युत का प्रापण।

(ग) देश में किसी भी राज्य में विद्युत सतत आधार पर अधिशेष नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों में दिन के कुछ घंटों के दौरान (विशेषत: गैर व्यस्ततम कालीन घंटों के दौरान) विद्युत का अधिशेष रहता है या वहां मौसमी अधिशेष रहता है।

(घ) और (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 में का एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिशेष विद्युत समेत विद्युत के अंतरण/बिक्री के सक्षम प्रावधान निहित हैं। अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि किसी भी लाईसेंसधारी, विद्युत उत्पादक कंपनी और किसी उपभोक्ता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय/राज्य पारेषण यूटीलिटी की पारेषण प्रणाली में गैर-पक्षपातपूर्ण खुली पहुंच प्रदान की जायेगी यदि केन्द्रीय/राज्य आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों के भुगतान पर इस प्रकार की खुली पहुंच प्रदान की जाए। अधिशेष विद्युत वाले राज्य पारेषण कोरिडोर की उपलब्धता की शर्त पर विद्युत को प्रत्यक्ष रूप से या व्यापारियों के माध्यम से अन्य राज्यों को बिक्री कर सकता है। अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में खुली पहुंच के विनियम सीईआरसी द्वारा तैयार किये गये हैं।

(च) सरकार द्वारा देश में विद्युत स्थिति सुधारने के लिए की गई/की जा रही पहल प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में इंगित की गई है।

सरकार ने 2010 में आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विद्युत प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं और एनटीपीसी व डीवीसी को कहा है तथा हरियाणा सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। नई विद्युत परियोजनाओं का विकास करने तथा विद्यमान विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने के लिए दिल्ला सरकार, हरियाणा सरकार, एनटीपीसी और डीवीसी के मध्य 24 अगस्त, 2006 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये। राष्ट्रमंडल खेल के लिए और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए छः परियोजनाएं नामशः मेजिया विस्तार (1000 मे.वा.), कोडरमा (2×500 मेगावाट), बोकारो विस्तार (500 मे.वा.), दादरी-II विस्तार (2×490 मे.वा.), बदरपुर विस्तार (2×500 मे.वा.) और झज्जर (3×500 मेगावाट) अभिज्ञात की गई है। 26 अगस्त, 2006 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मानीटरिंग समिति, जिसमें मुख्य विद्युत प्राधिकरण, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, एनटीपीसी, अध्यक्ष, डीवीसी तथा कोयला मंत्रालय व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधिगण शामिल हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2010 की विद्युत मांग को पूरा करने हेतु दिल्ली के लिए नई विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन करने के विभिन्न पहलुओं की मानीटरिंग करने के लिए गठित की गई है। अभी तक इस संदर्भ में आठ बैठकें आयोजित की गई हैं जिसमें इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ताकि राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान इनसे विद्युत उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त, डीवीसी की विद्यमान यूनिटों, डीवीसी की चंद्रपुर टीपीएस की यूनिटों के विस्तार, 11वीं योजना के दौरान चालू होने के लिए संभावित केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा दिल्ली में चालू करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता से भी दिल्ली को विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुबंध

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति (अनंतिम)

(आंकड़े मि.यू. निवल में)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	फरवरी, 2007				अप्रैल, 2006-फरवरी, 2007			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	81	81	0	0.0	1,243	1,241	-2	-0.2
दिल्ली	1,286	1,281	-5	-0.4	20,751	20,373	-378	-1.8
हरियाणा	1,971	1,815	-156	-7.9	24,649	21,755	-2,894	-11.7
हिमाचल प्रदेश	409	383	-26	-6.4	4,655	4,515	-140	-3.0
जम्मू-कश्मीर	840	640	-200	-23.8	10,550	7,274	-3,276	-31.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पंजाब	2,081	1,901	-180	-8.6	36,173	32,370	-3,803	-10.5
राजस्थान	2,766	2,666	-100	-3.6	30,647	29,121	-1,526	-5.0
उत्तर प्रदेश	3,587	2,987	-600	-16.7	52,643	43,858	-8,785	-16.7
उत्तरांचल	553	523	-30	-5.4	5,551	5,200	-351	-6.3
उत्तरी क्षेत्र	**13,574**	**12,277**	**-1,297**	**-9.6**	**186,862**	**165,706**	**-21,156**	**-11.3**
छत्तीसगढ़	1,189	1,098	-91	-7.7	12,697	11,905	-792	-6.2
गुजरात	5,266	4,485	-781	-14.8	56,767	49,205	-7,562	-13.3
मध्य प्रदेश	3,661	2,926	-735	-20.1	35,501	30,177	-5,324	-15.0
महाराष्ट्र	9,563	6,991	-2,572	-26.9	98,672	80,625	-18,047	-18.3
दमन और दीव	126	114	-12	-9.5	1,457	1,277	-180	-12.4
दादरा और नगर हवेली	252	252	0	0.0	2,669	2,625	-44	-1.6
गोवा	209	206	-3	-1.4	2,373	2,356	-17	-0.7
पश्चिमी क्षेत्र	**20,266**	**16,072**	**-4,194**	**-20.7**	**210,136**	**178,170**	**-31,966**	**-15.2**
आंध्र प्रदेश	5,117	4,682	-435	-8.5	54,691	52,473	-2,218	-4.1
कर्नाटक	3,663	3,563	-100	-2.7	36,700	36,007	-693	-1.9
केरल	1,215	1,180	-35	-2.9	13,567	13,303	-264	-1.9
तमिलनाडु	5,024	4,913	-111	-2.2	55,691	54,796	-895	-1.6
पांडिचेरी	133	133	0	0.0	1,646	1,646	0	0.0
लक्षद्वीप#	2	2	0	0	22	22	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**15,152**	**14,471**	**-681**	**-4.5**	**162,295**	**158,225**	**-4,070**	**-2.5**
बिहार	653	599	-54	-8.3	7,647	7,020	-627	-8.2
डीवीसी	888	868	-20	-2.3	10,490	10,273	-217	-2.1
झारखंड	343	336	-7	-2.0	3,973	3,784	-189	-4.8
उड़ीसा	1,360	1,334	-26	-1.9	15,534	15,251	-283	-1.8
पश्चिम बंगाल	1,869	1,814	-55	-2.9	24,231	23,703	-528	-2.2
सिक्किम	21	21	0	0.0	201	197	-4	-2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान निकोबार#	20	20	0	0	220	170	-50	-22.7
पूर्वी क्षेत्र	**5,134**	**4,972**	**-162**	**-3.2**	**62,076**	**60,228**	**-1,848**	**-3.0**
अरुणाचल प्रदेश	32	25	-7	-21.9	248	233	-15	-6.0
असम	313	289	-24	-7.7	3,940	3,655	-285	-7.2
मणिपुर	29	27	-2	-6.9	424	404	-20	-4.7
मेघालय	95	67	-28	-29.5	1,263	990	-273	-21.6
मिजोरम	21	19	-2	-9.5	212	201	-11	-5.2
नागालैंड	26	24	-2	-7.7	318	305	-13	-4.1
त्रिपुरा	50	45	-5	-10.0	747	678	-69	-9.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**566**	**496**	**-70**	**-12.4**	**7,152**	**6,466**	**-686**	**-9.6**
अखिल भारत	**54,692**	**48,288**	**-6,404**	**-11.7**	**628,521**	**568,795**	**-59,726**	**-9.5**

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट- व्यस्ततम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत)। आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

अधिकतम मांग और अधिकतम उपलब्धि (अनंतिम)

राज्य प्रणाली क्षेत्र	फरवरी, 2007				अप्रैल, 2006-फरवरी, 2007			
	व्यस्ततम-कालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम-कालीन उपलब्धि (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)	व्यस्ततम-कालीन मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम-कालीन पूर्ति (मेगावाट)	अधिशेष/कमी (-) (मेगावाट)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	171	171	0	0.0	264	247	-17	-6.4
दिल्ली	3,021	2,967	-54	-1.8	4,000	3,736	-264	-6.6
हरियाणा	3,909	3,330	-579	-14.8	4,837	4,201	-636	-13.1
हिमाचल प्रदेश	874	822	-52	-5.9	874	873	-1	-0.1
जम्मू-कश्मीर	1,550	1,239	-311	-20.1	1,550	1,309	-241	-15.5
पंजाब	4,900	4,286	-614	-12.5	8,971	6,558	-2,413	-26.9
राजस्थान	5,171	4,916	-255	-4.9	5,794	4,916	-878	-15.2
उत्तर प्रदेश	7,800	6,632	-1,168	-15.0	9,184	7,531	-1,653	-18.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरांचल	1,030	910	-120	-11.7	1,108	991	-117	-10.6
उत्तरी क्षेत्र	**26,894**	**24,166**	**-2,728**	**-10.1**	**31,516**	**26,644**	**-4,872**	**-15.5**
छत्तीसगढ़	2,631	1,892	-739	-28.1	2,631	1,892	-739	-28.1
गुजरात	10,238	7,710	-2,528	-24.7	11,619	8,110	-3,509	-30.2
मध्य प्रदेश	6,665	5,579	-1,086	-16.3	8,090	6,404	-1,686	-20.8
महाराष्ट्र	17,372	12,316	-5,056	-29.1	17,372	12,557	-4,815	-27.7
दमन और दीव	206	188	-18	-8.7	210	188	-22	-10.5
दादरा और नगर हवेली	390	385	-5	-1.3	415	385	-30	-7.2
गोवा	457	407	-50	-10.9	457	407	-50	-10.9
पश्चिमी क्षेत्र	**35,965**	**26,334**	**-9,631**	**-26.8**	**36,453**	**26,882**	**-9,571**	**-26.3**
आंध्र प्रदेश	9,727	8,267	-1,460	-15.0	9,727	8,281	-1,446	-14.9
कर्नाटक	6,289	5,811	-478	-7.6	6,289	5,811	-478	-7.6
केरल	2,792	2,728	-64	-2.3	2,792	2,728	-64	-2.3
तमिलनाडु	8,574	8,398	-176	-2.1	8,609	8,449	-160	-1.9
पांडिचेरी	231	231	0	0.0	265	265	0	0.0
लक्षद्वीप#	6	6	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	**26,012**	**23,940**	**-2,072**	**-8.0**	**26,012**	**23,940**	**-2,072**	**-8.0**
बिहार	1,345	1,041	-304	-22.6	1,399	1,162	-237	-16.9
डीवीसी	1,617	1,595	-22	-1.4	1,650	1,597	-53	-3.2
झारखंड	672	653	-19	-2.8	687	671	-16	-2.3
उड़ीसा	2,564	2,524	-40	-1.6	2,649	2,608	-41	-1.5
पश्चिम बंगाल	4,325	4,207	-118	-2.7	4,784	4,669	-115	-2.4
सिक्किम	45	45	0	0.0	45	45	0	0.0
अंडमान निकोबार#	40	32	-8	-20	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	**10,063**	**9,585**	**-478**	**-4.8**	**10,491**	**10,058**	**-433**	**-4.1**
अरुणाचल प्रदेश	79	76	-3	-3.8	79	76	-3	-3.8
असम	701	639	-62	-8.8	771	688	-83	-10.8
मणिपुर	101	85	-16	-15.8	106	101	-5	-4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	339	208	-131	-38.6	402	269	-133	-33.1
मिजोरम	81	80	-1	-1.2	81	80	-1	-1.2
नागालैंड	62	58	-4	-6.5	79	79	0	0.0
त्रिपुरा	146	113	-33	-22.6	169	142	-27	-16.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**1,477**	**1,063**	**-414**	**-28.0**	**1,477**	**1166**	**-311**	**-21.1**
अखिल भारत	**100,411**	**85,088**	**-15,323**	**-15.3**	**100,715**	**86,425**	**-14,290**	**-14.2**

#लक्षद्वीप तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का हिस्सा नहीं है।

नोट:- व्यस्ततम मांग की पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों विभिन्न राज्यों में निवल खपत दर्शाते हैं (पारेषण हानियों समेत)। आयात करने वाले राज्यों की खपत में निवल निर्यात की गणना की गई है।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष महोदय, हालांकि मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया है, फिर भी मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि अपने उत्तर में आपने कहा है कि राज्यों में विद्युत की मांग अनुसार कमी होने पर भारत सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में वृहत उच्च वोल्टता पारेषण प्रणाली की स्थापना करके और विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करके राज्य के प्रयासों में सहायता करती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में केन्द्रीय क्षेत्र में उपक्रम कहां-कहां हैं और पिछले तीन वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता में अभिवृद्धि करके किन-किन राज्यों में क्या-क्या सहायता दी गई है, उसकी जानकारी देने की कृपा करें?

श्री सुशील कुमार शिंदे: यह तो बहुत जनरल क्वेश्चन है।

अध्यक्ष महोदय: आप भी जनरल उत्तर दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारत में बिजली की कमी है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जब से यू.पी.ए. सरकार आई है, तभी से जो ऐलान किया था, एक पूरे दौर में पावर मिनिस्ट्री ने इस पर काम करना शुरू किया है और जितनी ज्यादा बिजली दे सकें, उतनी दे सकते हैं। यह मैं फीगर बताना चाहूंगा कि आज हमारी क्षमता 1.28 लाख मैगावाट की है और हम अगले एक साल में और आगे बढ़ना चाहते हैं। जो फीगर वैबसाइट पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बार-बार चैक करते रहे हैं कि वैबसाइट में क्या आ रहा है और हमारी फीगर क्या है। मैं अभी-अभी उसे टैली करके आया हूं और इस पर हम 31 मार्च तक और 3190 मैगावाट बिजली निर्माण कर सकेंगे। मुझे इस बात को बताने में बहुत प्रसन्नता है कि कल शाम को ही हमारी एक विंध्याचल की यूनिट 500 मैगावाट की चालू हो गई है। अभी-अभी मुझे यह इन्फोर्मेशन मिली है, यह मालूमात मुझे सदन को देने में बहुत खुशी होती है।

श्री महावीर भगोरा: अध्यक्ष जी, मंत्री जी का धन्यवाद। परन्तु जो स्टेटमेंट साथ में दिया है, उसमें विभिन्न राज्यों में मांग के अनुसार विद्युत की कमी बताई गई है और उनके उत्तर में यह कहा गया है कि अधिशेष बिजली वाले राज्य, जिन राज्यों में कमी है, उन्हें बिजली की बिक्री कर सकते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बिक्री की दर पूरे देश में एक समान है या अलग-अलग है और जिन राज्यों में बिजली की कमी है, उन राज्यों में आप किस तरह से उसकी पूर्ति करने का केन्द्र सरकार प्रयास करेगी और राज्यों में भी इस तरह की व्यवस्था उपलब्ध है तो उनकी क्षमता का दोहन करना चाहेगी या नहीं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय हर राज्य में रैग्युलेटरी कमीशन है। वह बिजली का रेट तय करता है। कितना खर्च हुआ है, किस तरह से खर्च हुआ है, इस चीज को देखते हुए हर राज्य में बिजली की कीमतें तय होती हैं। हर राज्य में बिजली की कमी है, मेरे पास इसका पूरा स्टेटमेंट तैयार है। आज 70 हजार मेगावाट की इस राज्य में कमी है। अभी कुछ समय पहले मैं सार्क कमेटी में गया था। वहां सार्क के सभी मंत्रीगण आए हुए थे। वहां मैंने कहा था कि हमें साउथ एशिया में बिजली निर्माण का काम बहुत जोरों से करना होगा। मैंने बड़े गौरव के साथ कहा कि भारत

सरकार ने अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की योजना की है, जिसका एक-एक प्रोजक्ट चार हजार मेगावाट का है। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। चार हजार मेगावाट की कीमत 16 हजार करोड़ रुपए है। इसमें 3.5 बिलियन करोड़ रुपए का एक-एक प्रोजेक्ट है। यह इसलिए किया जिससे कैपेसिटी एडीशन ज्यादा से ज्यादा हो जाए और जो हमारा पर-कैपिटा कंजप्शन आज 660 यूनिट है, वह बढ़ जाए। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सन् 2012 तक देश के हर घर में एक यूनिट बिजली मिलेगी। राजीव गांधी विद्युतीकरण के माध्यम से देश के सभी देहातों को सन् 2009 तक बिजली मिल जाएगी।

श्री हरिकेवल प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बयान सदन में दिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि यह कुछ रटा-रटाया और जो पहले से बना हुआ है, उसी के आधार पर बयान सदन में देने का काम करते हैं। वैसे इन्होंने कबूल किया है कि देश में बिजली की कमी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो निजी और सरकारी कंपनियां हैं, उनके संबंध में क्या आपको इस बात की जानकारी है कि निजी कंपनियों की जो बिजली दर है, उसके सवाल पर और बिजली न देने के सवाल पर जगह-जगह चक्का जाम और आंदोलन की प्रक्रिया हो रही है?

दूसरा, जो निजी कंपनियां हैं, निजी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में और सरकारी कंपनियों के बीच संघर्ष की भी बात आ रही है। क्या निजी कंपनियों में जो रेट निर्धारित किया गया है और जो सरकारी रेट है, उन दोनों रेटों के सवाल पर संघर्ष और कड़ी लड़ाई चल रही है?

इस समय जो बिजली चोरी हो रही है तथा कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को समय पर बिजली नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपस में बैठकर कोई बातचीत करके लोकहित में क्या आपने कोई फार्मूला निर्धारित किया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह काफी लंबा प्रश्न है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदेः महोदय, सम्मानित सदस्य ने तीन प्रश्न मुख्य रूप से पूछे हैं। एक प्रश्न प्राइवेटाइजेशन में बिजली देने के बारे में पूछा है, दूसरा सरकार की इस बारे में क्या नीति है और तीसरे प्रश्न में पूछा है कि बिजली क्यों कम है? मैंने कहा है कि 70 हजार मेगावाट बिजली आज हमारे राज्य में कम है। इसके लिए भारत सरकार नये-नये इंडेपेंडेंट आईपीपी के प्रोग्राम लायी है, जिसमें प्राइवेट लोग प्रोग्राम करें और 2003 में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हुआ, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जेनरेशन और ट्रांसमिशन, ये सब बातें इस तरह से की गयी है कि जिससे यह प्राइवेटाइजेशन में हो सकता है। यह बात सही है कि कई-कई बार निजी क्षेत्र में बिजली की कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं। इसी के लिए ही रैग्युलेटरी कमीशन बना है। रैग्युलेटरी कमीशन यह सब देखता है कि उनका प्रोजेक्ट में कितना खर्च हुआ? यह सब देखते हुए ही कीमत तय होती है। तीसरी बात इन्होंने चोरी के बारे में, एटी एंड सी लासेज के बारे में पूछी है।

महोदय, इसके बारे में देश में बहुत चिंता है। सन् 2003 का जो कानून बना, उसमें भी प्रावधान है कि चोरी किस तरह से कम की जाए। आज भी हमारे देश में कुछ राज्यों में 48 प्रतिशत बिजली की चोरी होती है। अगर यह कम हो जाए, तो देश में बिजली की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा। इसलिए जहां भी ऐसी कोई चीजें होती हैं, वहां हम सब लोगों को इसमें मदद करनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा कुछ काम दिल्ली में हमारे उपयोग में आया है।

जहां छोटे-छोटे सैंटर बताए गए हैं, यदि वहां के लोग सिटी सैंटर में एनौनीमस एप्लीकेशन भेजते हैं तो उनकी कम्प्लेंट ली जाती है। इस तरह बिजली की चोरी कम करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए मैं पूरे देश से आह्वान करूंगा कि यदि किसी को बिजली चोरी के बारे में मालूम होता है तो वे बता दें। हम उस पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस बाबत हमारा डिपार्टमैंट एटी एंड सी लासेस भी कम करने का प्रयास कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं सोचता हूं कि संपूर्ण सभा इस मुद्दे पर मंत्री जी का समर्थन करेगी।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथः अध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी पूरे भारत में है और उसकी कमी के मुख्य कारण मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिए हैं कि अधिकतर राज्यों में ताप विद्युत यूनिटों का संयंत्र भार घटक कम होना आदि के बावजूद बिजली पैदा करने के कौन-कौन से साधन हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप सीधे प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथः क्या न्यूक्लियर को भी बिजली पैदा करने के लिए प्रयोग में लाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है या नहीं?

श्री सुशील कुमार शिंदेः अध्यक्ष महोदय, न्यूक्लियर के बारे में प्रधान मंत्री जी बहुत चिन्तित हैं और अभी उस बारे में अमरीका से एग्रीमैंट हो रहा है। हमारे देश में अभी तक इसमें 3 प्रतिशत कार्य ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। हमने इसमें शुरूआत कर दी है। मुझे इन्फार्मेशन मिली है कि तमिलनाडु में हमारा काएगा का जो प्लांट है, उसमें 220 मेगावाट बिजली की शुरूआत कल ही हुई है। न्यूक्लियर, हाइड्रो, थर्मल, नान-कन्वैंशनल विंड से बिजली निर्माण होती है तथा अन्य बहुत तरीके हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री अनिल बसुः प्रश्न एवं उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए।

श्री अनिल बसुः अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न में तीन मुद्दे हैं। मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदयः कृपया केवल एक प्रश्न पूछें।

श्री अनिल बसुः मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए विस्तृत उत्तर की सराहना करता हूं किंतु मंत्री जी के उत्तर में अल्पावधि उपाय के तहत, यह लिखा हैः

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के पीएलएफ में सुधार हेतु ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए..." मंत्री जी ने ईंधन की उपलब्धता के संदर्भ में "गुणवत्तापूर्ण ईंधन" उल्लेख नहीं किया है। मुख्य समस्या गुणवत्तापूर्ण ईंधन की अनुपलब्धता की है। मैं समझता हूं कि "गुणवत्तापूर्ण" शब्द को जोड़कर उत्तर को ठीक किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मुझे खुशी है कि आपने इसे इतना ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

श्री अनिल बसुः मंत्री जी ने सभा को उत्पादन क्षमता में वृद्धि के बारे में बताया हूं किन्तु इसी बीच राज्य सरकार द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्रों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। बहुत थोड़े से समय में कई विद्युत संयंत्र अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। क्या मंत्रालय में ऐसा कोई आकलन किया गया है कि ऐसे विद्युत संयंत्रों का कार्यकाल पूरा हो जाने से कितनी मेगावाट क्षमता प्रभावित होगी।

कोयले में राख की मात्रा का अधिक होना एक दूसरी समस्या है। क्या मंत्रालय में इस संबंध में कोई तंत्र है। ऐसा इसलिए कि राख की अधिक मात्रा वाले कोयले को ही मुख्यतः राज्य सरकार के विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति की जाती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप पुराने विद्युत संयंत्रों एवं राख की मात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। काफी है। मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री अनिल बसुः इसमें तीन मुद्दे हैं।

अध्यक्ष महोदयः तीन मुद्दे की अनुमति नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः केवल माननीय मंत्री जी के उत्तर को ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सुशील कुमार शिंदेः माननीय सदस्य ने कहा है कि मुझे "गुणवत्तापूर्ण कोयला" शब्द जोड़ना चाहिए। संपूर्ण सभा को ज्ञात है कि कोयला में 40 प्रतिशत राख होती है। यही कारण है कि उपयुक्त शब्द 'गुणवत्तापूर्ण कोयला' इसमें नहीं लिखा गया। कोयला का अर्थ कोयला ही होता है तथा इसे ऐसे ही लिखा गया। *...(व्यवधान)*

श्री अनिल बसुः कभी-कभार पत्थर की भी आपूर्ति कर दी जाती है जिससे विद्युत संयंत्र प्रभावित होते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः क्या आप मंत्री जी को केवल सूचना दे रहे हैं? आपको प्रश्न पूछना है और वे उत्तर देंगे। यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो और भी प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्यः अध्यक्ष महोदय, वे मंत्री जी की मदद कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, हमेशा आपको अपने हाथ खड़े करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मंत्री जी के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया, व्यवधान न डालें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, हम राज्य संचालित परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं। इस प्रत्येक पखवाड़े में न केवल राज्य की परियोजनाओं की निगरानी कर रहे हैं बल्कि सीपीएसयू की केन्द्रीय परियोजनाओं की भी निगरानी कर रहे हैं और मैं प्रत्येक महीने निगरानी करता हूं। विभाग दिन-रात कार्य कर रहा है, और इसलिए हम वर्तमान में पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें राख की मात्रा होती है। यह वास्तविकता है। किन्तु इसको ध्यान में रखते हुए हमने एनटीपीसी के माध्यम से निर्माण, सीमेंट एवं अन्य चीजों के लिए उस राख को बेचकर इससे भी लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है। हम उससे भी धन अर्जित कर रहे हैं। किन्तु यह सच्चाई है कि भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक होती है। इसलिए हम बाहर से भी कोयला आयात कर रहे हैं। हम इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि सभी पक्षों के माननीय सदस्यगण आपको यह रिपोर्ट देंगे कि अनधिकृत रूप से विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे कितने लोग पकड़े गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप अपने हाथ को बार-बार तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आपका नाम एक बार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित हो चुका है। अब हम लोग गंभीर हो जाएं। यह एक गंभीर विषय है।

अब, श्री मुंशी राम बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, उसमें उत्तर प्रदेश में बिजली की खपत और आपूर्ति में लगभग 16 और 17 प्रतिशत की कमी दर्शायी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि माननीय मंत्री जी ने वितरण के बारे में कहा कि यह प्रदेश सरकार के हाथ में है। उत्तर प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार बिजली की जितनी उपलब्धता है, तो 24 घंटे में से सिर्फ चार घंटे की कमी हमारे पास है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश जो ग्रामीण और कृषि उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वहां 24 घंटे में से सिर्फ चार घंटे बिजली मिलती है। लेकिन जो फर्निश्ड क्षेत्र हैं जिनमें बड़ी खपत है और 50 प्रतिशत से ज्यादा बिजली की चोरी होती है, उनको 24 घंटे बिजली मिलती है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक जिले में पृथक रूप से कैसे कार्य कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम: जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी अपनी मर्जी करते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी तक अपना प्रश्न नहीं पूछा है।

श्री मुंशी राम: मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार इसमें दखल देगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, मैंने बार-बार हाउस में यही कहा है कि हर राज्य में कैपेसिटी एडीशन बहुत कम हो गया है। इसलिए हम खुद मौनीटर कर रहे हैं और उन राज्यों से बातें कर रहे हैं कि कैपेसिटी एडीशन करना होगा। अभी तक ऐसा होता था कि अगर राज्य में पांच हजार मेगावाट की कमी है, तो यहां से तीन हजार मेगावाट का टारगेट लेकर वे जाते थे जबकि वहां एक्चुअल 50 ही मेगावाट करते थे। इस तरह बिजली निर्माण का काम कैसे होगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सभी विवरण यहां नहीं पूछे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, अभी हम ये सारी बातें मौनीटर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का पीएलएफ 48 परसेंट है जबकि हम एनटीपीसी का 99 परसेंट से चला रहे हैं। यदि पीएलएफ बढ़ाया जाये, तो एक हजार मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिल सकती है जिसकी कमी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने काफी विस्तृत सूचना दी है। कृपया आप उनका अध्ययन करें। कृपया और कोई पूरक प्रश्न न करें।

...(व्यवधान)

श्री किन्जरपु येरननायडु: अध्यक्ष महोदय, कृपया दो पूरक प्रश्न करने की अनुमति दी जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं इस प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुग्रीव सिंह: हमारे राज्य में बिजली का संकट है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब जगह बिजली का संकट है। अब हर स्टेट के जिले के बारे में तो नहीं पूछा जा सकता। हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने-अपने जिले के बारे में पूछ रहा है। ऐसा पासीबल नहीं है।

[अनुवाद]

अब प्रश्न सं.-164-डा. राजेश मिश्रा।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, क्या आप हमसे नाराज हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप हमेशा मुझे परेशान करते हैं, फिर भी मैं आपको पसंद करता हूं; आप एक अच्छे व्यक्ति हैं।

निर्यात ऋण

+

***164. डा. राजेश मिश्रा:**
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्यात ऋण सीमा निर्धारित/स्वीकृत किए जाने के कारण लघु फार्मा निर्यातकों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी, नहीं। सरकारी क्षेत्र के बैंक लघु निर्यातकों को निर्यात ऋण सीमाओं के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करते हैं। बैंक सामान्यतया निर्यात ऋण सहित कार्यशील पूंजी संबंधी सीमाएं अलग-अलग ग्राहक के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के बाद मंजूर करते हैं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सरकारी बैंक लघु निर्यातकों को निर्यात ऋण सीमाओं के संबंध में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, जबकि आगे इसी उत्तर में उन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट लिमिटेड सेक्शन होती है यानी सीमा निर्धारित होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकारी बैंक बैंक आफ इंडिया के दिल्ली क्षेत्र में लघु फार्मा निर्यातकों में अलग-अलग फारेन बिल निगोशिएशन एवं फारेन बिल परचेज ईसीजीसी स्कीम के अंतर्गत सुरक्षित है, फिर भी यह निर्यात ऋण सीमा क्यों बांधी गयी है? इन सब सीमाओं पर प्रतिबंध ओवरआल एक्सपोजर कैप के अन्दर क्यों रखा गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका मूल प्रश्न क्या था और आप अभी क्या पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: महोदय, मेरे मूल प्रश्न के दो भाग हैं, उनमें से पहला भाग मैंने पूछा है।

इससे निर्यात में जो रूकावट हो रही है और सरकार इस रूकावट को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से अधिक लंबा है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जब यह प्रश्न हमारे समक्ष आया, हमने भारतीय रिजर्व बैंक से इसकी जांच की; हमने फर्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत संचालित होता है, से इसकी जांच की; हमने इंडियन ड्रग मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन से इसकी जांच की; तथा हमने लघु

उद्योग मंत्रालय से इसकी जांच की। इनमें से किसी ने भी इस बात की सूचना नहीं दी है कि उन्हें किसी निर्यातक से निर्यात क्रेडिट को सीमित उसे के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है। वस्तुत: निर्यात क्रेडिट की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। 25,000/- रुपए से कम राशि वाले निर्यात क्रेडिट के आवेदन को एक पखवाड़े में निपटाया जाता है तथा 25,000/- रुपए से अधिक राशि वाले निर्यात क्रेडिट संबंधी आवेदन को आठ से नौ हफ्ते के भीतर निपटाया जाता है।

इसलिए किसी ने भी निर्यात ऋण की अनुचित अस्वीकृति के संबंध में किसी शिकायत की जानकारी नहीं दी है; तथा निर्यात क्रेडिट संबंधी आवेदन को अस्वीकार करने के प्रत्येक मामले में इसकी जानकारी बैंक के मुख्य कार्यकारी को दी जानी आवश्यक है। क्योंकि निर्यात एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमने बैंकों को बेहद लचीला रूख अपनाने एवं निर्यात क्रेडिट देने में अधिक सहायक होने का अनुदेश दिया है। यदि ऐसा कोई विशेष मामला हो तो कृपया इसकी जानकारी मुझे दें और मैं इस मामले की जांच करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपका कोई अन्य पूरक प्रश्न भी है? माननीय मंत्री ने ऐसे किसी विशिष्ट मामले की जानकारी देने के लिए आपको आमंत्रित किया है।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: महोदय, इसी प्रकार एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया, जो एक सरकारी बैंक है, उसने अपनी लाइन आफ क्रेडिट के अगेन्स्ट बड़ी कंपनियों के मुकाबले कितनी लघु फार्मास्युटिकल कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराएं हैं? इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे लघु कंपनियों की दुर्दशा समाप्त हो जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। मंत्री महोदय, क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2005 के अंत तक औषध-निर्माण उद्योग के लिए निर्यात क्रेडिट 12,682 करोड़ रुपए था। मार्च, 2006 के अंत तक यह राशि 16,200 करोड़ रुपए है, जो 30 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। नि:संदेह इसमें बड़ी औषध-निर्माण कंपनियां एवं छोटी औषध-निर्माण कंपनियां शामिल हैं। मेरे पास किसी विशेष मामले के बारे में किसी से शिकायत नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्यात ऋण सीमा निर्धारित किए जाने के कारण लघु निर्यातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो इससे संबंधित ब्योरा क्या है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक ही बात है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं माननीय सदस्यों से आदरपूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे किसी विशेष मामले, किसी विशेष क्षेत्र किसी विशेष बैंक के बारे में मुझे जानकारी दें। मैं निश्चित तौर पर इसकी जांच करूंगा। किंतु सामान्य तौर पर मैं किसी प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अब श्री रेवती रमन सिंह। क्या आपके पास कोई विशेष मामला है?

श्री पी. चिदम्बरम: अथवा यदि किसी विशेष क्षेत्र के बारे में भी हो?

श्री रेवती रमन सिंह: जी नहीं, महोदय।

[हिन्दी]

मान्यवर, व्यापारियों तथा निर्यातकों को विदेशों में उनके सामान की बिक्री के भुगतान की रकम को उनके खाते में जमा करने में बैंक तब तक विलम्ब करते हैं, जब तक विदेशी मुद्रा की दरें उतार-चढ़ाव के कारण उनके हितों के अनुकूल नहीं हो जाती। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया के सामने इस संबंध में कोई समय सीमा तय करने का प्रस्ताव है, ताकि यह समय पर व्यापारी भी निर्यात का जल्दी भुगतान कर सकें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक बिल्कुल अलग मामला है। बैंक उपयुक्त विनिमय पर धन जमा करा रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: यह प्रश्न निर्यात से संबंधित है। भारतीय कंपनियां अन्य देशों को निर्यात कर रही हैं। वे धन प्राप्त करती

हैं। अब आज की विदेशी विनियम मुद्रा की संतोषजनक स्थिति के कारण हम निर्यातकों को अर्जित विदेशी मुद्रा को मेरे ख्याल से एक वर्ष तक अपने पास रखने देते हैं। हम उन पर पैसे को शीघ्र भारत में लाने के लिए दबाव नहीं डालते। वे विदेशी मुद्रा को भारत के बाहर बैंकों में रख सकते हैं और आयात के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रश्न से काफी भिन्न प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, भेषज क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह हम सभी को मालूम है। पूर्व प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वयं मंत्री जी ने कहा है कि भेषज क्षेत्र में वृद्धि दर कुल मिलाकर 30 प्रतिशत रही है और यह पिछले 8-10 वर्षों से जारी है, यहां तक कि इसकी तुलना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से की जा सकती है जहां हमारा निर्यात अधिक है। मंत्री जी सहमत होंगे कि निर्यात में भी लघु क्षेत्र का हिस्सा अधिक है। संभवत:, लघु क्षेत्र से कुल मिलाकर यह 60 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

डा. सुजान चक्रवर्ती: इसलिए, मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा। इस स्थिति में, जब भेषज क्षेत्र में निर्यात में भारी वृद्धि हो रही है तो हम और क्या प्रोत्साहन देने का विचार कर रहे हैं ताकि निर्यात को और अधिक बढ़ाया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: मैं क्षमा चाहता हूं यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह निर्यात और क्रेडिट के लिए है। क्या अधिकतम सीमा के संबंध में कोई शिकायत है। उनका जवाब नहीं है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि सरकार कौन से अन्य प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप सामान्य बजट के उत्तर में इसका संदर्भ दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे स्पष्ट करने दीजिए। औषधियों का निर्यात सरल नहीं है। विदेशों में अत्यधिक कड़े नियम हैं। आप केवल इनको खाद्य और औषधि प्रशासन के तहत पंजीकरण के उपरांत ही औषधियों का निर्यात कर सकते हैं। इसलिए, ऐसा होने की संभावना काफी कम है कि बहुत छोटी कंपनियां इन सख्त शर्तों को पूरा कर सके। लघु क्षेत्र से भी निर्यात किया जाता है परन्तु बड़ी कंपनियां ही अधिक निर्यात करती हैं। लघु उद्योग क्षेत्र की वृद्धि वस्तुत: भारत में औषधियों के निर्माण या बड़ी कंपनियों की ओर से औषधियों के निर्माण तक सीमित है। परन्तु तथ्य यह है कि हमने औषधियों और भेषजों के निर्यात में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। यह इसलिए है क्योंकि निर्यात की जाने वाली किसी भी वस्तु या मद की तुलना में औषधियों के निर्यात के नियम सबसे अधिक सख्त हैं। इसलिए, ऐसी संभावना नहीं है कि लघु उद्योग क्षेत्र का निर्यात काफी तेज गति से बढ़ेगा। परन्तु, जैसा कि मैंने बताया है, लघु उद्योग क्षेत्र को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए बैंकिंग प्रणाली से पूरी सहायता मिलती है।

यदि कोई विशिष्ट मामला या विशिष्ट कंपनी या विशिष्ट बैंक में संबंधित कोई मामला हो तो कृपया मेरे ध्यान में लाएं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 165-श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं

प्रश्न 166-श्री हंसराज गं. अहीर-उपस्थित नहीं

-श्री एन.एन. कृष्णदास

[हिन्दी]

भूकम्परोधी प्रौद्योगिकी

*166. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में देश के कतिपय क्षेत्रों में निरन्तर भूकम्प आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कतिपय क्षेत्रों की भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) भूकम्प-प्रवण क्षेत्रों में निर्माण के लिए अपनाई गई भूकम्परोधी प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश में निर्माण क्षेत्र में भूकम्परोधी प्रौद्योगिकी का उपयोग अनिवार्य करने के लिए कोई विनियम तैयार किये जा रहे है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) 26 दिसम्बर, 2004 को सुमात्रा क्षेत्र में 9.3 परिमाण तथा 8 अक्तूबर, 2005 को मुज्जफराबाद में 7.6 परिमाण के भूकम्प आने के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में लगभग लगातार थोड़ी कम तीव्रता वाले बाद के झटके आते रहे हैं। सुमात्रा और आस-पास के प्रदेशों में जनवरी, 2006 से अब तक 5.0 तथा इससे अधिक के परिमाण वाले लगभग 95 भूकम्प के बाद के झटके आ चुके हैं, जिनमें से कुछ अंडमान एवं निकोबार द्वीप प्रदेश में आने की रिपोर्ट मिली है। जनवरी, 2006 से अब तक मुज्जफराबाद क्षेत्र में भी 5 और इससे अधिक परिमाण के 12 बाद के झटके रिकार्ड किए गए हैं जिनमें से कुछ भारतीय क्षेत्र में महसूस किए गए। गुजरात के भुज प्रदेश, जहां 26 जनवरी, 2001 को 7.7 परिमाण का भूकम्प आया था, में भी थोड़ी कम तीव्रता वाले बाद के झटके महसूस किए गए। इस प्रदेश में जनवरी 2006 से अब तक 3.5 तथा इससे अधिक परिमाण के 18 भूकंप के बाद के झटके आ चुके हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय मानक ब्यूरो [आईएस-1893 (भाग-1): 2002], ने कई एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक इनपुट के आधार पर देश को चार भूकम्पीय मंडलों में वर्गीकृत किया है अर्थात् मंडल-II, III, IV और V इनमें से मंडल V (अनुबंध-I)। भूकम्पीय दृष्टि से सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है, जबकि मंडल-II सबसे कम सक्रिय है। भूकम्प का पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले प्रभाव को मापने के लिए संशोधित मर्केल्ली (एमएम) तीव्रता (अनुबंध-II और III), मुख्यत: विभिन्न मंडलों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:

भूकम्पीय मंडल	एमएम पैमाने पर तीव्रता
II (कम तीव्रता वाला मंडल)	VI (या कम)
III (मामूली तीव्रता वाला मंडल)	VII
IV (अधिक तीव्रता वाला मंडल)	VIII
V (बहुत अधिक तीव्रता वाला मंडल)	IX (और अधिक)

मोटे तौर पर मंडल-V में पूरा उत्तरपूर्वी भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के भाग, गुजरात के कच्छ का रान, उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। मंडल-IV में जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, गुजरात के भाग और पश्चिमी तट के निकट महाराष्ट्र के कुछ छोटे भाग तथा राजस्थान शामिल हैं। मंडल-III में केरल, गोवा, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिमी बंगाल के शेष भाग, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के भाग शामिल है। मंडल-II में देश के शेष भाग शामिल हैं।

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने देश में निर्माण से संबंधित पद्धतियों के लिए कई उपयोगी प्रकाशन निकाले हैं। भूकम्प संभावित क्षेत्रों में निर्माण के लिए इन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त बीआईएस ने भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता भी प्रकाशित कर ली है जिसमें भूकम्प प्रतिरोधी भवनों के डिजाइन और निर्माण से संबंधित संगत संहिताओं के नवीनतम प्रावधान शामिल किए गए हैं। ऊपर उल्लिखित मानकों में विभिन्न प्रकार के निर्माण तथा देश के विभिन्न भागों की अपेक्षाओं को पूरा करना शामिल है।

(च) भवनों का निर्माण संबंधित राज्यों द्वारा तैयार किए गए भवन संबंधी उपनियमों/विनियमों से संचालित तथा विनियमित होता है। परन्तु शहरी आवास तथा गरीबी उपशमन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आवास परियोजनाओं में आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियां अपनाने की सलाह दी है। गुवाहाटी, चेन्नई और धनबाद शहरों में निर्माण के लिए भूकंप प्रतिरोधी भवन डिजाइन के संबंध में उपनियम/विनियम अपनाए गए हैं।

(छ) संबंधित राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की प्रौद्योगिकीय व्यवस्था को सुदृढ़ करके भूकंपरोधी गृहों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए एक माडल टाउन तथा देश की आयोजना संबंधी कानून, मंडलीकरण विनियमन विकास नियंत्रण तथा भवन निर्माण विनियम/उप-नियम तैयार किए हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अधिनियमों/उप-नियमों/विनियम में संशोधन करने में उनकी मदद करने के लिए "भवन सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बीएमटीपीसी)" नगर और देश आयोजना अधिनियम में माडल संशोधन, मंडलीकरण विनियम, विकास तथा नियंत्रण विनियम एवं भवन विनियम पर एक दिवसीय तकनीकी

कार्यशाला का आयोजन कर रहा है ताकि समिति की सिफारिशों का प्रसारण किया जा सके। आठ उत्तरी-पूर्वी राज्यों में तकनीकी कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, तकनीकी कार्यशालाएं तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी तथा अंडमान निकोबार में भी आयोजित की गई हैं।

अनुबंध I

भूकंपीय मंडलों का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भूकंपीय मंडल
1	2
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	V
अरुणाचल प्रदेश	V
आंध्र प्रदेश	II, III
असम	V
बिहार	III, IV, V
छत्तीसगढ़	II, III
चंडीगढ़	IV
दादरा और नगर हवेली	III
दमन एवं दीव	III
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	IV
गोवा	III
गुजरात	III, IV, V
हरियाणा	II, III, IV
हिमाचल प्रदेश	IV, V
जम्मू-कश्मीर	IV, V
झारखण्ड	II, III, IV
कर्नाटक	II, III
केरल	II, III
लक्षद्वीप	III
मध्य प्रदेश	II, III
महाराष्ट्र	II, III, IV
मणिपुर	V
मेघालय	V
मिजोरम	V
नागालैंड	V
उड़ीसा	II, III
पांडिचेरी	II, III
पंजाब	II, III, IV
राजस्थान	II, III, IV
सिक्किम	IV
तमिलनाडु	II, III
त्रिपुरा	V
उत्तरांचल	IV, V
उत्तर प्रदेश	II, III, IV
पश्चिमी बंगाल	II, III, IV, V

अनुबंध II

संशोधित मरकली तीव्रता मान (संक्षिप्त)

तीव्रता का स्तर

भूकंप के प्रभावों का विवरण

(i) विशेष रूप से बनी परिस्थितियों में हल्के झटके महसूस करने के अलावा कोई झटके महसूस नहीं किए गए।

(ii) खासतौर से भवन के ऊपरी तलों पर स्थिर बैठे कुछ व्यक्तियों को भूकंप के झटके महसूस हुए और लटकी हुई वस्तुएं झूलती हुई नजर आईं।

(iii) भवन के अंदर विशेष रूप से ऊपरी तलों पर स्पष्ट रूप से झटके महसूस किए गए परन्तु कुछ व्यक्ति यह नहीं समझ पाए कि यह भूकंप था, इसमें खड़ी हुई मोटर कारें, थोड़ा हिल सकती हैं तथा किसी ट्रक के पास से गुजरने जैसा कंपन महसूस किया जा सकता है।

(iv) दिन में कई व्यक्तियों ने इमारत के अंदर, कुछेक ने इमारत के बाहर झटके महसूस किए, रात में कुछ लोग जाग गए; बर्तन, खिड़कियां, दरवाजे बजने लगे; दीवारों में दरारें पड़ने की आवाज हुई; भवन में किसी भारी ट्रक के भीड़ने जैसी सनसनी; तथा खड़ी हुई कारें जोर-जोर से हिलती नजर आईं।

(v) लगभग सभी ने महसूस किया; कई जाग गए; कुछ बर्तन; खिड़कियां आदि टूंटी; कहीं-कहीं पलस्तर में दरारें पड़ गईं; अस्थिर वस्तुएं उलट गईं; कहीं-कही वृक्षों, खम्भों तथा अन्य लम्बी वस्तुओं में विक्षोभ पैदा हुए; पेन्डुलम वाली घड़ियां रूक गईं।

(vi) सभी ने महसूस किया; कई डर गए तथा इमारतों से बाहर भागे; कुछ भारी फर्नीचर हिल गए; कुछेक जगह पलस्तर गिर गया तथा चिमनियां टूट गईं; और मामूली क्षति हुई।

(vii) हर कोई घर से बाहर भागा; अच्छे डिजाइन व अच्छे निर्माण वाली इमारतों में मामूली क्षति; सुनिर्मित, साधारण ढांचों में हल्के से मध्यम तथा घटिया ढंग से निर्मित एवं गलत डिजाइन वाले ढांचों में काफी क्षति हुई; तथा कुछ चिमनियां टूट गईं; मोटर कार चलाने वाले व्यक्तियों ने इसे देखा।

(viii) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ढांचों में हल्की, साधारण में व्यापक क्षति हुई परन्तु काफी इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं; घटिया ढंग से तैयार ढांचों में भारी नुकसान हुआ; दरवाजों की चौखट से लगी दीवार की पट्टियां बाहर आ गईं; चिमनी, फेक्टरी चिमनी, कालम, स्मारक तथा दीवार गिरने लगी; भारी फर्नीचर उलट गया, कुछ मात्रा में रेत और कीचड़ बाहर आ गया; कुएं के पानी में बदलाव आ गया; मोटर कार चलाने वाले व्यक्तियों को परेशानी होने लगी।

(ix) विशेष रूप से तैयार किए गए ढांचों को क्षति पहुंची; उचित डिजाइन से तैयार किए हुए ढांचे गहराई से बाहर आने लगे; बड़ी-इमारतों के आंशिक रूप से ढह जाने से भारी क्षति हुई; इमारतें नीवों से हट गईं; धरती में दरारें पड़ गईं; और भूमिगत पाइपें फट गईं।

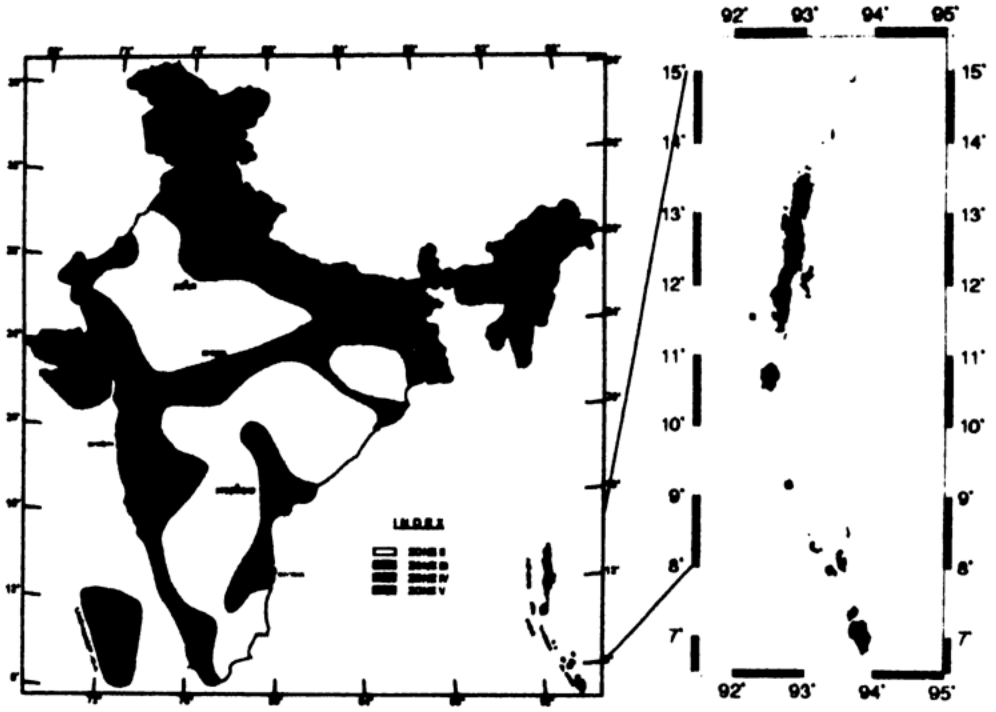
(x) लकड़ी के कुछ सुनिर्मित ढांचे टूट गए; नींव के साथ हुए चिनाई के काम तथा तैयार ढांचे नष्ट हो गए; धरती में बुरी तरह दरारें पड़ गईं; जंगले मुड़ गए; नदी के किनारों तथा गहरे ढलान वाले क्षेत्रों में काफी भू-स्खलन हुआ; रेत और कीचड़ इधर-उधर फैल गए तथा पानी किनारों पर फैल गया।

(xi) चिनाई से बने ढांचों में से शायद ही कोई ढांचा सीधा रहा हो; पुल नष्ट हो गए; धरती फट गई; भूमिगत पाइपलाइनें बिल्कुल बेकार हो गईं; मिट्टी धंस गई; नरम भूमि में भू-स्खलन हो गया; जंगले बुरी तरह से मुड़ गए।

(xii) पूर्णतया हानि हुई; धरती की सतह पर लहरें नजर आईं; मार्ग दर्शाने वाली लाईनें तथा स्तर नष्ट हो गए तथा वस्तुएं ऊपर हवा में उड़ने लगीं।

अनुबंध III

भारत के भूकम्पीय क्षेत्र-वर्गीकरण संबंधी मानचित्र



अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी मैं आपको आपके नए पदनाम पृथ्वी विज्ञान मंत्री के लिए आपको बधाई देता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: धन्यवाद।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, देश के कुछ भागों में विशेषकर केरल राज्य में, त्रिसूर और पलक्कड दोनों जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों की भूकम्प संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।

केरल के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही स्थिति है। इस विशिष्ट क्षेत्र में पिछले दस वर्षों से त्रिसूर और पलक्कड़ के सीमावर्ती जिलों में निरंतर भूकम्प आ रहे हैं और मुल्लापेरियार बांध के काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी यही स्थिति है। कुछ माह पूर्व एक भूकंप आया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मुद्दे की ध्यानपूर्वक जांच करने के लिए वैज्ञानिकों के साथ एक अध्ययन दल भेजेगी।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक केरल का संबंध है, मैं यह कहना चाहूंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: महोदय, कृपया मुझे अवसर दें। उन्होंने मुल्लापेरियार बांध का नाम लिया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और आप व्यवधान डाल रहे हैं। यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सभा में किसी बांध, नदी का नाम नहीं लिया जा सकता? यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर बैठिये। मैं उत्तर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया, खड़े न हों।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आपको लड़ना है, तो वापस केरल जाइये। यहां मत आइए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस: महोदय, वहां कोई लड़ाई नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपको पता होना चाहिए कि व्यवधानों की अवहेलना किस प्रकार की जानी चाहिए।

मोहम्मद सलीम: पृथ्वी विवादों से भरी हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत का संबंध है, भूकंप विज्ञान के अनुसार हमने भारत को चार क्षेत्रों में विभाजित किया है। जोन-II, जोन-III, जोन-IV और जोन-V। ज़ोन-V में तीव्रता अधिकतम है। जहां तक केरल का संबंध है, यह जोन-II में है, जहां भूकंप आने की संभावना सबसे कम है और इसका कुछ भाग जोन-III में है। हमारे अध्ययनों से हमें नहीं लगता कि जहां तक भूकंप का संबंध है केरल में किसी संरचना को कोई खतरा है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना दूसरा प्रश्न पूछें। आप निर्माण कार्य जारी रख सकते हैं।

श्री एन.एन. कृष्णदास: महोदय, हम सुरक्षित हैं ...*(व्यवधान)* मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि केरल जोन-II का भाग है और कोई चिन्ता और खतरा नहीं है। परन्तु किस अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर वह यह कह रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अध्ययन किया गया है? क्या मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें जानता हूं, उन्होंने बिना किसी आधार के उत्तर नहीं दिया होगा।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह मान सकते हैं कि जब भी हम गंभीरता से इस सभा में कोई वक्तव्य देते हैं, तो वह बिना अध्ययन के नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती रंजीत रंजन प्रश्न पूछें। क्या आपके राज्य में कोई समस्या है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि दिल्ली जिसको भूकम्प के लिए सबसे सेंसिटिव जोन समझा जाता है और आगे यहां कामनवैल्थ गेम्स होने हैं, अखबारों में हमें पढ़ने में आया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम आगे यहां कामनवैल्थ-गैम्स के लिए होने वाले हैं, उसमें भूकम्प के खतरे को नहीं देखा गया है। क्या यह सही बात है?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, जहां तक दिल्ली का संबंध है, दिल्ली जोन-IV का भाग है। दूसरे शब्दों में, दिल्ली में बड़े भूकम्प आ सकते हैं, जोकि रिएक्टर स्केल पर 5 से भी अधिक हो सकते हैं। इसलिए, हमें दिल्ली के बारे में काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, मैंने माइक्रोजोनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा अध्ययन करवाया है। दूसरे शब्दों में हमने दिल्ली को विभिन्न जोनों में विभाजित किया और विभिन्न जोनों में मृदा की प्रकृति के आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि किसी विशिष्ट रिक्टर मान के भूकंप की स्थिति में निर्माण गतिविधि की क्या स्थिति होगी और क्या निर्मित इमारत ध्वस्त हो जाएगी। यह अध्ययन पूरा किया जा चुका है। यह 1:50,000 माप है। परन्तु हम दिल्ली में 1:10,000 माप पर अध्ययन करवाने जा रहे हैं, जिससे स्थिति और स्पष्ट होगी। जहां तक निर्माण कार्यों का संबंध है, इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने दिशानिर्देश जारी किए हैं और शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत निर्माण सामग्री प्रौद्योगिकी परिषद है, जो लोगों को यह सुझाव देती है कि दिल्ली और अन्य स्थानों में क्या किया जाना चाहिए। दिल्ली के निगम उपनियमों के अंतर्गत कुछ मानक हैं जिनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह भूकंप-प्रवण क्षेत्र है। इसलिए आशा है कि इन सभी नियमों का अनुपालन किया जाएगा और हम लोगों को सुझाव देते हैं।

हम, अब वस्तुत: भारत में सभी राज्य सरकारों को इन उपनियमों और शर्तों को अंगीकृत करने और इन्हें अनिवार्य बनाये जाने के लिये प्रेरित कर रहे हैं। ताकि भारत में संपूर्ण निर्माण कार्य भूकंप से सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही हो। जब भी कोई निर्माण कार्य हो, तो इन उपनियमों और आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा करना राज्य सरकारों पर है। हम राज्य सरकारों से इन उपनियमों को अंगीकृत और अनिवार्य करने का आग्रह करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

श्री अनंत कुमार: अध्यक्ष महोदय, कोयना क्षेत्र में जहां कोयना बांध स्थित है वह अत्यधिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कुछ दशकों पहले कोयना क्षेत्र के पास भयंकर भूकम्प के कारण कोयना बांध में दरार आ गई थी जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए थे तथा भारी तबाही हुई थी। कोयना बांध कर्नाटक राज्य विशेषकर मीराज, सांगली और सतारा क्षेत्रों सहित कर्नाटक और महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों के सिर पर एक लटकती तलवार के समान है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अनंत कुमार: मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। कोयना बांध के अभियंताओं में असुरक्षा की भावना के कारण महाराष्ट्र सरकार हर बार अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ने की अनुमति देती है। अत: कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में कृत्रिम बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें जानमाल का बहुत नुकसान होता है। अत: क्या माननीय मंत्री महोदय और संघ सरकार का विचार कोयना बांध को मजबूत बनाने के लिए कोई भूकम्प-रोधी प्रौद्योगिकी लाने का है ताकि निचले तटवर्ती राज्यों और क्षेत्रों में ऐसी तबाही और असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न न हो।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, जहां तक कर्नाटक और वहां जल जमाव का संबंध है यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। परंतु जहां तक कोयना बांध के ढांचे का संबंध है, महाराष्ट्र के कुछ भाग जोन-III में है, कुछ भाग जोन-II में है और कुछ भाग जोन-IV में है। जहां तक कोयना बांध के निर्माण का संबंध है, यद्यपि मैं व्यक्तिगत तौर पर इनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बांध भूकम्प की संभावनाओं को ध्यान में रखे बगैर बनाया गया है। मुझे लगता है कि कोयना बांध सहित बड़े निर्माणों के संबंध में अत्यंत कड़ी शर्तें हैं। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: भूकम्प के कारण इन्हें लगाया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जोन-III में हैं। जोन-III मध्यम तीव्रता वाला क्षेत्र है।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से विधिवत आश्वासन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कि कोई भूकम्प नहीं आएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि वह इस पूरे मामले की जांच करेंगे।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं आपको यह विधिवत आश्वासन देता हूं कि मैं ईश्वर से यह शपथपूर्वक अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक में कोई भूकम्प न आए। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, वह लोगों को उत्तर देने के लिए जिम्मेदार हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि वे सभा को यह आश्वासन दें कि वे मामले की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि वे मामले की जांच करेंगे।

श्री अनंत कुमार: वे कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें कोयना का दौरा करने के लिए आमंत्रित करें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, आप इस बात को समझ सकते हैं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। *...(व्यवधान)* वह कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* माननीय मंत्री कोयना बांध का दौरा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको संरक्षण देने का प्रयास करता हूं। कृपया मेरे संरक्षण की प्रतीक्षा कीजिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मुझे ऐसा लगता है कि अपना नया पद ग्रहण करने के बाद भी वह भूकम्प की नहीं रोक पाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दूसरे, माननीय सदस्य चाहते हैं कि आप कोयना का दौरा करें। मुझे बताया गया है कि वह एक खूबसूरत स्थान है। आप स्वयं वहां जाकर क्यों नहीं देख लेते?

श्री कपिल सिब्बल: मुझे ऐसा करने में खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय: और उनकी आशंकाओं को भी दूर करने का प्रयास कीजिए।

श्री कपिल सिब्बल: ठीक है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री कृष्णास्वामी प्रश्न पूछेंगे।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, उन्होंने कुछ नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय: वे मेरी टिप्पणी से आबद्ध हैं।

श्री अनंत कुमार: ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। परंतु उन्हें सभा को आश्वासन देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे आबद्ध हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं कोयना बांध का दौरा करूंगा। *...(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, यदि इंडोनेशिया, सुमात्रा, श्रीलंका या पाकिस्तान में भूकम्प आता है तो उससे हमारे देश के सीमावर्ती राज्य भी प्रभावित होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने अन्य देशों से उत्पन्न होने वाले खतरे से बचने और हमारे देश के लोगों की रक्षा के लिए सीमावर्ती देशों में कोई सर्वेक्षण करवाया है। हाल ही में सुनामी आया था। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जानते हैं कि मुझे अन्य देशों में सर्वेक्षण प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है परंतु, हमें आशा है कि आने वाले समय में अन्य देशों से हमारे संबंध इतने मैत्रीपूर्ण हो जाएंगे कि हम ऐसा कर पाएंगे। परंतु अभी मुझे ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैं भी प्रश्न पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पहले आप यह निर्णय कर लीजिए कि प्रश्न कब पूछना है। तत्पश्चात् आप सभी यह निर्णय कर लीजिए कि प्रश्न कब पूछना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं यह पता लगाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन से क्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन, केरल कम तीव्रता वाला क्षेत्र हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: जी हां, मैं यह जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अत: केरल का कोई प्रश्न नहीं है।

मोहम्मद सलीम। पश्चिम बंगाल जोन IV में है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं गलतियां कर रहा हूं। सभी पक्षों के लोग खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सी.के. चन्द्रप्पन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय, यह अच्छा है कि आपने यह आश्वासन दिया कि केरल भूकंप और ऐसी ही विपदाओं से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। हमें इसकी वास्तव में खुशी हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस संबंध में कोई जांच की है या वे ऐसी कोई जांच करेंगे क्योंकि गत दो या तीन वर्षों के दौरान मेरे निर्वाचन क्षेत्र सहित कुछ क्षेत्रों में भूकम्प के झटके आए थे। गत माह, एक भूकम्प आया था जिसने इमारतों के लिए कुछ समस्या उत्पन्न कर दी थी। क्या आप केरल में कोई जांच करना चाहेंगे? संभवत: आप जानते हैं कि वहां भूविज्ञान अध्ययन केन्द्र अथवा ऐसे ही कुछ संगठन है जिन्हें ऐसी जांच करने के लिए कहा जा सकता है तथा इस जांच के आधार पर हमें बताइए कि क्या स्थिति हैं।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, मैं केवल लोगों के मन में कुछ संदेहों को कम करना चाहता हूं क्योंकि मेरे विचार में आपको यह पता होगा कि इस समय जब मैं संसद में बोल रहा हूं तब भी भूकम्प आ रहा है। यहां जमीन के भीतर भूकम्प आ रहे हैं। जब हम यहां वहां घूमते हैं तब भी हर समय भूकम्प आते रहते हैं परंतु वे कम तीव्रता वाले होते हैं। थोड़ी सी भी उच्च तीव्रता वाले सभी भूकम्प को पृथ्वी विज्ञान विभाग मंत्रालय द्वारा भूकम्प विज्ञान संबंधी विभाग के माध्यम से मापा जाता है। अत: कहीं भी रिक्टर पैमाने पर 3 या 4 से अधिक तीव्रता वाले किसी भी भूकम्प को मापा जा रहा है। समस्या यह है कि यदि मैं केरल के संबंध में कोई आश्वासन दे भी दूं तो मैं यह नहीं कह सकता कि दस वर्ष बाद केरल में कुछ नहीं होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि केरल जोन 2 और जोन 3 में है। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि भूमि की सतह के अन्दर क्या चल रहा है। यह एक प्राकृतिक घटना हैं जो किसी भी समय कहीं पर भी घट सकती है। कुल मिलाकर इन जोनों के कारण रिक्टर पैमाने पर 5 की तीव्रता से अधिक का भूकंप आने की संभावना नहीं है। यह पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं।

जहां तक इन चीजों को मापने का संबंध है, इन्हें मापा जा रहा है। वास्तव में, ग्यारहवीं योजना में हम 177 ब्राडबैण्ड डिजिटल भूकंप मापक यंत्रों में कोई 88 करोड़ रुपये निवेश करने की दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं। इन डिजिटल भूकंप मापक यंत्रों से भूकंप आते ही हमें देश भर से रिक्टर पैमाने पर 3 से अधिक की तीव्रता वाले कोई भी भूकंप को भारत में कहीं भी आने पर डाटा मिल जायेंगे। इससे हमें इन भूकंपों के विश्लेषण में काफी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है, काफी विस्तृत उत्तर दे दिया गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब जबकि आप कच्छ से आते हैं, उम्मीद करता हूं कि ऐसा होने से एक और भूकंप नहीं आएगा।

श्री पी.एस. गढ़वी: बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, जोन-V में पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के कुछ भाग तथा गुजरात में कच्छ का रन शामिल हैं। जैसाकि आप भली भांति जानते हैं कि मेरा क्षेत्र जोन पांच में आता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अभी कच्छ की बात हो रही है, इसके बाद बिहार के बारे में बात करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी: जहां तक इमारतों के निर्माण का संबंध है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि संबंधित राज्यों द्वारा नियम और विनियम बनाए जाते हैं। मेरे क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना और अन्य केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और केन्द्र सरकार उनके लिए अनुदान दे रही है। उस सीमित अनुदान से भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकता।

क्या आपका मंत्रालय केन्द्र सरकार को इस क्षेत्र विशेष हेतु अनुदान बढ़ाने की सलाह देगा? यह क्षेत्र जोन-V के अंतर्गत आता है, जहां गरीब लोग रहते हैं। ये गरीब लोग अपनी सीमित आय से भूकंप रोधी मकान नहीं बना सकते। क्या आपका मंत्रालय भारत सरकार से इन गरीब लोगों के लिए अनुदान बढ़ाने की सिफारिश करेगा?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न प्रौद्योगिकी से जुड़ा है।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, यह प्रश्न नहीं उठता। हमारा संबंध प्रौद्योगिकी से हैं, अनुदानों से नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, अनुदानों के बिना वे क्या कर सकते हैं? यह उनके लिए कैसे मददगार होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप गृह मंत्री से इसके बारे में बात कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: गुजरात में सिस्मोलाजी इंस्टीट्यूट के लिए गुजरात सरकार ने आवेदन भेजा है, आप उसके बारे में कुछ बताइये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यद्यपि आपको यह प्रश्न करने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे रिकार्ड में रखने की अनुमति दूंगा। लेकिन माननीय मंत्री इसका उत्तर नहीं देंगे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं क्योंकि यह भूकंप जोन में हैं। इस संबंध में आप उस कड़वे अनुभव से वाकिफ हैं जो 1950 में असम के लोगों को हुआ था। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इसकी बेहतर जानकारी होगी। मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो मुझे असम साइंस सोसाइटी ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक उन्नत चेतावनी प्रणाली की स्थापना के संबंध में दिया था। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं? मैं उनसे इनके विषय में जानना चाहता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक असम का संबंध है, हमने गुवाहाटी के संबंध में एक बहुत विस्तृत अध्ययन किया है, हमने 1:25,000 का एक मापी नक्शा बनाया है जो गुवाहाटी के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगा क्योंकि रिक्टर पैमाने पर 6 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंप से अधिकतम विनाश शहरी रिहायशी इलाकों, विशेष रूप से वहां जहां लोग मकान बनाते हैं, में होता है। वे भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हो जाते हैं।

हमने गुवाहाटी में बहुत विस्तृत अध्ययन किया है। वास्तव में, हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि जोन-V बहुत खतरनाक जोन है। कल यदि रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक की तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो मैं मानता हूं कि वहां महाविनाश होगा। अत:, एक राष्ट्र के रूप में हमें यह अहसास होना चाहिए कि हमें प्रौद्योगिकियों में निवेश करना होगा; हमें भू-विज्ञान मंत्रालय में अपने भूकंप-विज्ञान विभाग में निवेश करना होगा और इसे अधिक धनराशि देनी होगी।

असली चुनौती यह है कि हमें एक भूकंप की संभावना की भविष्यवाणी करने की कोशिश करने की ओर कदम उठाना है। यद्यपि हम इस समय ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ देशों में ऐसे डिजिटल ब्राडबैण्ड भूकंप विज्ञानी उपकरण उपलब्ध हैं। जिनके माध्यम से शून्य से कम कंपन को भी मापा जा सकता है। आइसलैण्ड के पास यह प्रौद्योगिकी है। मैंने नार्वे और आइसलैण्ड के सहयोग से भूकंप की पूर्व सूचना देने वाले एक संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया है जो लगभग शून्य अथवा शून्य से भी कम तीव्रता होने पर जांच और विश्लेषण कार्य शुरू कर देगा यदि हम यह कर पाते हैं तो हम वातावरण और महासागर में भी अन्य हलचलों से इसे संबद्ध कर सकते हैं। हम ऐसे चरण पर पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं जहां से हम अगले 5-10 सालों में भूकंप-प्रवण क्षेत्रों की संभावनाओं को देख सकें। लेकिन हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी निवेश करने की आवश्यकता है। अत:, ग्यारहवीं योजना में वास्तव में हम इस योजना को काफी आगे ले जा रहे हैं। वित्त मंत्री और योजना आयोग ने इसके लिए हमें 100 करोड़ रुपये देने की सहमति दी है। मुझे विश्वास है कि अगले 5-10 सालों में जब आप मुझसे यह सवाल करेंगे, तो मैं आपको स्पष्टत: बता सकूंगा कि कौन-कौन से क्षेत्र खतरा-प्रवण हैं और हम उनसे कैसे निपटने वाले हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही इस प्रश्न विशेष के संबंध में माननीय सदस्यों के छ: अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, श्री रामकृपाल यादव, आप अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए मुझ पर दबाव डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, यहां राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है, इसमें बिहार दूसरा, तीसरा और पांचवां है इस तरह से बिहार तीन जोन में है। बिहार में तीन जोन में प्रभावित होने वाले इलाके हैं, उनकी रोक के लिए कौन से उपाय ढूंढे हैं ताकि बिहार को भूकम्प के झटके से बचाया जा सके? यहां पहले भी भूकम्प आया है, दरभंगा जैसे इलाके में पटना सहित कई इलाकों में भयंकर भूकम्प आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है...

अध्यक्ष महोदय: जी हां, आपने कहा है; यह अप्रासंगिक प्रश्न है।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है कि भूकंप से मैं लोगों को बचा सकूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं विस्तृत उत्तर देने के लिए आपके मंत्रालय की सराहना करता हूं।

प्रश्न 167:

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु-उपस्थित नहीं हैं;

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़-उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न 168-श्री विजय कृष्ण

[हिन्दी]

केन्द्रीय भण्डार तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (के.बी. तथा एन.सी.सी.एफ.) के लिए विशेष छूट

*168. **श्री विजय कृष्णः***
श्री रघुनाथ झाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपके मंत्रालय को सरकारी खरीदों के संबंध में केन्द्रीय भंडार तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को विशेष छूट देने के लिए डी.ओ.पी.टी. से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित छूट से केन्द्रीय भंडार को संरक्षण और सुरक्षा मिलेगी क्योंकि केन्द्रीय भंडार में बड़ी संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केन्द्रीय भंडार (के.बी.) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) को तरजीह दिए जाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कथित प्रस्ताव में मुख्य रूप से इन संगठनों को विभिन्न मदों के लिए निश्चित की जा रही दरों की तर्कसंगति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के साथ, दिनांक 31.03.2010 तक के लिए प्रत्येक अवसर पर एकल कोटेशन के आधार पर एक लाख रुपए तक की कार्यालय की सभी अपेक्षित मदों की आपूर्ति के लिए केन्द्रीय भंडार (के.बी.) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन.सी.सी.एफ.) को प्राधिकृत करने का प्रयास किया गया है। केन्द्रीय भंडार को अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद देने तथा एक निर्धारित समयावधि में अपने व्यापार की वैकल्पिक रणनीति की पुनर्संरचना करने में सक्षम बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस विशेष छूट की अपेक्षा की गई है। इस मंत्रालय में उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्णः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह बहुत अस्पष्ट और गोलमोल है। प्रस्तावित छूट से केन्द्रीय भंडारण को क्या संरक्षण और सुरक्षा मिलेगी तथा कैसे मिलेगी, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। इन्होंने उत्तर के अंत में कहा है कि मंत्रालय में उपयुक्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि जांच के बिन्दु कौन से हैं और यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी, यही बात मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः इसके साथ क्या ताल्लुक है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरमः यह प्रस्ताव दिनांक 12 फरवरी, 2007 का है। अब यह स्पष्ट है कि मंत्रालय बजट बनाने में व्यस्त था। शीघ्रातिशीघ्र इसकी जांच की जाएगी। मैंने अपने अधिकारियों को अनुदेश दिया है कि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ बैठकर इस प्रस्ताव की जांच करें, और मुझे विश्वास है कि इस माह के अंत से पहले हम इस पर कोई निर्णय ले पायेंगे।

अध्यक्ष महोदयः क्या आपका और कोई अनुपूरक प्रश्न है?

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्णः आपने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह कब तक होगा और न ही विशेष छूट के बारे में आपने स्पष्ट किया है कि विशेष छूट से क्या तात्पर्य है और आप इसे कब तक पूरा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरमः महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि यह प्रस्ताव 12 फरवरी, 2007 का है। इसकी जांच की जा रही है। मैंने अपने अधिकारियों को प्रस्तावों की जांच करने का अनुदेश दे दिया है। जब तक दोनों मंत्रालय एक साथ बैठकर किसी प्रस्ताव की जांच नहीं कर लेते, मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं? इसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, इसके लिए हम लोग इनके अनुगृहीत हैं। लेकिन वास्तविकता इससे फर्क है। जो छूट देने का प्रपोजल इन्होंने स्वीकार किया है, वह छूट मिल नहीं रही है। माननीय मंत्री जी इतना आश्वस्त करें कि जो प्रस्ताव है, उसे यह स्वीकार करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया है कि

[हिन्दी]

कई रोज पहले मिला है, अभी तुरंत करेंगे।

[अनुवाद]

जैसे ही आप उनका बजट पारित कर देंगे। वह इसे कर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने कहा है कि प्रस्ताव की जांच की जा रही है। मैंने उन्हें जांच पूरी करने का अनुदेश दिया है। जांच पूरी होते ही कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 169 श्री सुखदेव सिंह ढींढसा-उपस्थित नहीं हैं;

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी-उपस्थित नहीं है;

प्रश्न 170 श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख-उपस्थित नहीं।

माननीय मंत्रीगण जिनके प्रश्न अंत में सूचीबद्ध हैं, वे सावधान हो जाएं।

प्रश्न 171: श्री गिरधारी लाल भार्गव

[हिन्दी]

विदेशों में चल रही भारतीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता

*171. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विदेशों में परियोजनाएं चला रही भारतीय कम्पनियों को कतिपय सहायता मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या मानदंड/मानक निर्धारित किए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) केन्द्र सरकार ने परियोजना-निर्यातों सहित निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। विदेशों में परियोजनाएं चला रही भारतीय कम्पनियों की सहायता के लिए उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना और परियोजना निर्यातों सहित मध्यावधि और दीर्घावधिक निर्यातों को बीमा कवर मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते की स्थापना करना शामिल हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव, सभा के श्रेष्ठ सदस्य।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: महोदय, मुझे माननीय मंत्री से पूछना है कि विदेशों में जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनके लिए आपने कई कदम उठाये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने कौन-कौन से कदम उठाये हैं, कृपया बताने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यदि मैं सम्मानपूर्वक कहूं तो यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए था, परंतु चूंकि इसे मेरे मंत्रालय की सूची में रखा गया था, मैं इसका उत्तर देने के लिए प्रसन्न हूं। कार्य बल की एक सिफारिश है और सचिवों की स्थायी समिति की एक सिफारिश है। इन दो सिफारिशों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय ने दो निर्णय लिए हैं। पहला निर्णय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करना है। जोकि पहले से कार्यरत ओसीसीआई के लिए एक नया अवतार होगा, परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना परियोजनाओं के निर्यात संवर्धन के लिए गठित प्रत्येक अन्य निर्यात संवर्धन परिषद

के समान ही की जाती है। एक अन्य और अधिक महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता बड़ी संख्या में मध्यम और दीर्घकालिक परियोजना निर्यातों के लिए बीमा करने में सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक तंत्र है। ईसीजीसी और अन्यों के पास उपलब्ध संसाधन इतने उच्च मूल्य के मध्यम और दीर्घकालिक निर्यातों का बीमा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इंडिया, जोकि राष्ट्रीय पुर्नबीमक है, से पुनर्बीमा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए, इस संबंध में अनेक सिफारिशों की विस्तृत जांच के उपरांत भारत सरकार ने भारत से निर्यातों के संवर्धन और लेन देन के लिए भुगतानों जोखिमों को बचाने, जिसके लिए ईसीजीसी कवर उपलब्ध कराने में असमर्थ है, के लिए राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मुझे बताया गया है कि यह खाता अंततः बढ़कर 2000 करोड़ रुपये का आकार ले लेगा। मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि मैं अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने में प्रसन्न हूं, परंतु वस्तुतः प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

मोहम्मद सलीमः महोदय, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः क्या बात है?

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीमः सर, इसका पूरा जबाव आ गया।

श्री गिरधारी लाल भार्गवः सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि वह क्या कह रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः वह कह रहे हैं कि और प्रश्न मत पूछिए। लेकिन ठीक है, आप प्रश्न पूछिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गवः अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने बीमा वाली बात कही है, उसमें कितना पैसा खर्च हो गया है और किन-किन का बीमा हो गया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः इसके संबंध में कोई ब्यौरा?

श्री पी. चिदम्बरमः जैसा कि मैंने कहा, सरकार ने हाल ही में इस खाते की स्थापना करने का निर्णय लिया है। मुझे बताया गया है कि इस खाते के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जायेंगे। इस संबंध में मैं आपको सही आंकड़े नहीं बता सकता कि कितनी राशि पुनर्बीमित की जाएगी, इत्यादि।

अध्यक्ष महोदयः श्रीमती किरण माहेश्वरी-उपस्थित नहीं।

प्र.सं. 172-श्री अनिल बसु-उपस्थित नहीं।

श्री राम कृपाल यादव।

न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार

+

***172. श्री राम कृपाल यादवः**
श्री अनिल बसुः

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यायपालिका में विद्यमान कथित भ्रष्टाचार की समस्या की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो न्यायपालिका, विशेषकर उच्च स्तर पर न्यायपालिका को भ्रष्टाचार मुक्त रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) से (ग) न्यायपालिका में अभिकथित भ्रष्टाचार की रिपोर्टें सरकार की जानकारी में आयी हैं। सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कोई समिति गठित करने के लिए सांविधानिक रूप से सक्षम नहीं है। तथापि, न्यायालय (जांच) विधेयक, 2006 को पहले ही 19.12.2006 को लोक सभा में पुरःस्थापित कर दिया गया है। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायिक मंच को सशक्त करने हेतु एक उचित विधायी ढांचा स्थापित करने के लिए हैं।

अध्यक्ष महोदयः श्री राम कृपाल यादव जी, क्या आपका कोई अनुपूरक प्रश्न है? मुझे नहीं मालूम कि यहां आप कौन सा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस संबंध में अब तक कोई क्षेत्राधिकार तय नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विधेयक, 2006 न्यायाधीश जांच विधेयक पेंडिंग पड़ा

हुआ है। पुर:स्थापित कर दिया गया है। हम जानना चाहते हैं कि यह जो विधेयक बनेगा, इस विधेयक में जांच के लिए किन लोगों को आपने रखने का काम किया है?

अध्यक्ष महोदय: वह बिल में है।

श्री राम कृपाल यादव: सर, इसी से संबंधित मेरा सप्लीमेंट्री है कि माननीय न्यायाधीशों की एक समिति बनी है जो न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के बारे में जांच करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से चुनाव आयोग आटोनामस संस्था है, उसी तरह से क्या आप आटोनामस संस्था बनाने पर विचार करेंगे? क्या सरकार कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष आयोग बनाने के संबंध में विचार कर रही है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जवाब देने का तो समय दीजिए।

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं आपका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। शायद माननीय सदस्य, संविधानिक उपबंधों से भली-भांति अवगत नहीं हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: साफ-साफ बोलिए। भ्रष्टाचार का मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: चाहे यह कुछ भी हो, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। यह काफी संवेदनशील प्रश्न है। आप जानते हैं कि केवल इनके समकक्ष व्यक्ति ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। विधेयक समिति के समक्ष है। समिति को जांच और अपनी रिपोर्ट देने दीजिए और तब हम तद्नुसार कार्यवाही करेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री यादव जी, क्या आपका कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न है?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। यह संवैधानिक उपबंध है। वह इसमें क्या कर सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष जी, क्या सरकार का संविधान में संशोधन करने का विचार है ताकि देश में भ्रष्टाचार रोका जा सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य: इस मुद्दे पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें इस मुद्दे का पूरी गंभीरता से समाधान करना होगा, न कि इस तरह चलना होगा।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

महानगरों में जल आपूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता

***161. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ महानगरों में पेयजल की भारी कमी के कारण लोग पेयजल खरीदने के लिए मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्यों से केन्द्रीय सहायता के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस मामले में और क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पेय जल की अत्यंत कमी के कारण लोगों द्वारा पेय जल खरीदने के संबंध में इस मंत्रालय को कोई आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विभिन्न शहरों में विभिन्न कारणों से लोगों द्वारा पेय जल खरीदने के बारे में समाचार हैं। वर्ष 2003 में 35 मैट्रोपोलिटन शहरों की विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों/शहरी स्थानीय निकायों से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार 12 मेट्रो शहरों में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 150 लीटर प्रति व्यक्ति दैनिक के राष्ट्रीय मानदण्ड से अधिक है जबकि शेष 23 मेट्रो शहरों में यह राष्ट्रीय मानदण्ड से कम है।

इसके अलावा, शहरी जल आपूर्ति और सफाई राज्य का विषय है और यह राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है कि वे राज्य योजना राशियों से जल आपूर्ति, सफाई और शहरी विकास परियोजनाओं की योजना, डिजाइन बनायें, उन्हें निष्पादित करें, चलायें और उनका रखरखाव करें।

(ख) से (घ) सरकार ने दिसम्बर, 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शुरू किया है जिसके अंतर्गत 35 महानगरों सहित 63 चुनिंदा शहरों में जल आपूर्ति स्कीमों सहित शहरी अवस्थापना विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) उपलब्ध करायी जाती है।

मंत्रालय को अब तक जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत 27 मैट्रोपोलिटन शहरों से जल आपूर्ति सुधारने/बढ़ाने के लिए 106 परियोजना प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावों की जांच की गई और केन्द्रीय जांच और मानीटरिंग समिति (सीएसएमसी) द्वारा मेट्रो शहरों के लिए 5593.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 60 जलापूर्ति परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर दी गई हैं।

जेएनएनयूआरएम के तहत जल आपूर्ति परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्राकृतिक जलाशयों की गुणता की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को जल आपूर्ति तथा अपशिष्ट जल/सीवेज संग्रहण, शोधन और निपटान परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है।

[अनुवाद]

कारपोरेट ऋण बाजार

***162. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट ऋण बाजार पर विनियामक क्षेत्राधिकार के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) कारपोरेट ऋण बाजार पर विनियामक क्षेत्राधिकार की व्यवस्था संगत नियमों अर्थात् सेबी अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में की गई है। इनमें यह प्रावधान किया गया है कि:

(1) सेबी इनके विनियमन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है: (क) सार्वजनिक निर्गमों के लिए प्राथमिक बाजार तथा सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निजी स्थापन के लिए, (ख) एक्सचेंजों और एक्सचेंजों के परे द्वितीयक बाजार लेनदेनों के लिए, और (ग) एक्सचेंजों में रिपो एवं प्रतिवर्ती रिपो लेनदेनों के लिए; और

(2) भारतीय रिजर्व बैंक, एक्सचेंज इतर रिपो/प्रतिवर्ती रिपो के लिए बाजार के विकास और विनियमन हेतु उत्तरदायी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यू.के. में भारतीय बैंकों के लिए लाइसेंस

***165. श्री रायापाति सांबासिवा राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने युनाइटेड किंगडम में अपने बैंकों के विस्तार के लिए और अधिक शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस मांगें हैं जैसा कि दिनांक 19 जनवरी, 2007 के ''हिन्दू बिजनेस लाइन'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों की लाभप्रदता का कोई आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन शाखाओं को कब तक खोले जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) विदेश में शाखाएं खोलना बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा लिया जाने वाला एक वाणिज्यिक निर्णय है। तथापि, परिचालन शुरू करने के पूर्व बैंक से अपेक्षित है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक एवं मेजबान विनियामक (विनियामकों) से मंजूरी ले।

इस समय, युनाइटेड किंगडम (यू.के.) में पांच भारतीय बैंकों की 22 शाखाएं हैं। इन शाखाओं के लाभ में चलने की सूचना है।

18 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में हुई भारत-यू.के. आर्थिक एवं वित्तीय विचार-विमर्श बैठक में दोनों ही पक्ष आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने तथा खुला स्वस्थ एवं प्रतिस्पर्धी वित्तीय क्षेत्र विकसित करने पर सहमत हुए।

भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन

***167. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या भारत और यूरोपीय संघ के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। भारत सरकार की ओर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 7 व 8 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में "भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन" की मेजबानी की। इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता श्री कपिल सिब्बल, माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री, भारत, यूरोपीय संघ की जर्मन प्रेजिडेंसी के दायरे में डा. अन्नेट स्वावन, जर्मनी के महामहिम शिक्षा और अनुसंधान मंत्री और डा. जानेज पोटेक्निक, महामहिम यूरोपीय कमिश्नर, विज्ञान और अनुसंधान द्वारा की गयी। इसका उद्देश्य भारत-यूरोपीय संघ (ई.यू.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रेरणा और कार्यनीतिक दिशा मुहैया कराना था।

(ख) भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन में दो प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया (1) वे कौन सी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं जिसका सामना यूरोपीय संघ और भारत कर रहे हैं और उन्हें दूर करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है? और (2) भारत-यूरोपीय संघ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे और कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है तथा इसके प्रभाव में कैसे वृद्धि की जा सकती है और इसकी क्या कार्य प्रणाली होगी? भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन में इन पर हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप 7 फरवरी, 2007 को "नई दिल्ली विज्ञप्ति" नामक एक संयुक्त विज्ञप्ति को अंगीकार किया गया।

(ग) और (घ) जी, नहीं, उक्त सम्मेलन का आयोजन विद्यमान भारत-ई.सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी करार के दायरे में किया गया था। भारत-यूरोपीय संघ मंत्रिस्तरीय विज्ञान सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के परिणामों की झलक "नई दिल्ली विज्ञप्ति" में मिलती है जिस पर 7 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में माननीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री कपिल सिब्बल, यूरोपीय संघ की जर्मन प्रेजिडेंसी के दायरे में जर्मनी के महामहिम शिक्षा और अनुसंधान मंत्री, डा. अन्नेट स्वावन तथा महामहिम यूरोपीय कमिश्नर, विज्ञान और अनुसंधान, डा. जानेज पोटोक्निक द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। अन्य बातों के साथ-साथ नई दिल्ली विज्ञप्ति:-

* इस बात पर जोर देती है कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, समता, आदान-प्रदान, आपसी लाभ के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए और जहां उपयुक्त हो, संयुक्त कार्यों में संसाधनों का सह निवेश होना चाहिए;

* दोनों पक्षों के लिए आपसी लाभों के संतुलन हेतु एक सहभागिता माडल पर यूरोपीय संघ और भारत में अनुसंधान में लगे समुदायों के लिए समान रूप से उपलब्ध संसाधनों के सह-निवेश वाले आपसी हित के कार्यनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुसंधान के क्षेत्रों में प्रस्तावों के लिए संयुक्त अथवा समन्वित अपेक्षाओं के संभावित लाभों पर जोर देती है;

* जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, दहन, संचारी रोगों पर संकेन्द्रित जीव-विज्ञान के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और पूर्व-नैदानिक तथा नैदानिक परीक्षणों सहित भेषज विकास जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर भारत-यूरोपीय संघ कार्यनीतिक कार्यशालायें आयोजित करने के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करती है;

* भारत और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में नेटवर्किंग नवोन्मेष प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण संख्या में संयुक्त भारत-यूरोपीय संघ नोड्स की स्थापना की सिफारिश करती है;

* संयुक्त वित्त व्यवस्था के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग और गतिशीलता प्रदान कराने के लिए नये व्यवस्थित कार्यक्रम।

* भारत और यूरोपीय संघ दोनों में उन्नत अनुसंधान हेतु संयुक्त अवसंरचनाओं के सृजन हेतु सम्मिलित प्रयास।

सरकार द्वारा चुनाव खर्च का वित्तपोषण

***169. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चुनाव खर्च को सरकार द्वारा वित्तपोषित करने की प्रथा आरम्भ करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और क्या वह इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) और (ख) सरकार ने उसे प्राप्त निर्वाचनों के राज्य वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न सिफारिशों/प्रस्तावों पर विचार किया है। मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के विचार से सरकार ने 2 जनवरी, 2006 को भारत निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध किया कि वह मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के परामर्श से कतिपय ऐसी मदों की मात्राओं की सिफारिश करे, जिन्हें भौगोलिक विशिष्टियों और उपलब्ध संचार माध्यमों को विचार में लेते हुए उनको या उनके द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है।

निर्वाचन आयोग ने 15 फरवरी, 2006 को सभी मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों की, सरकार द्वारा किए गए राज्य वित्तपोषण संबंधी प्रस्तावों पर उनके विचार जानने के लिए, एक बैठक का आयोजन किया। सभी छह राष्ट्रीय दलों और 44 राज्य दलों में से 28 दलों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया। निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि निर्वाचनों में धन शक्ति की भूमिका को समाप्त करने की आवश्यकता पर पूर्ण सहमति थी किंतु सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर कोई एकमत राय नहीं हो सकी थी।

मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न होने और अपनी स्वयं की आशंकाएं होते हुए भी निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि यदि सरकार अभी भी आंशिक राज्य वित्तपोषण के प्रस्ताव को अग्रसर करती है तो आयोग निम्नानुसार सिफारिश करता है:-

(क) मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के लिए:-

(1) राष्ट्रीय दलों को उनके राष्ट्रीय मुख्यालयों पर और मान्यताप्राप्त राज्य दलों को आयोग के अभिलेख में उपदर्शित दल के रजिस्ट्रीकृत पते पर किराया मुक्त आवासा उपलब्ध कराया जाए।

(2) किसी अभिदाता को अनुज्ञात नि:शुल्क कालों, यदि कोई हो, के अलावा राष्ट्रीय दल मुख्यालयों के लिए कुल 3000 टेलीफोन कालों और राज्य दर मुख्यालय के लिए एक हजार कालें प्रतिमास का वित्तपोषण किया जाए।

(3) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राष्ट्रीय और मान्यताप्राप्त राज्य दल के मुख्यालय में इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाए।

(4) सभी मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को पहले ही आयोग द्वारा एक भलीभांति बनाई गई स्कीम के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रित इलैक्ट्रानिक मीडिया (दूरदर्शन और आकाशवाणी) पर पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है। जहां तक इन दलों को निजी केबल टेलीविजन नेटवर्क और इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय के आबंटन का संबंध है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या निजी केबल नेटवर्कों के लिए विधि के अधीन ऐसे राजनीतिक प्रसारणों के लिए कुछ समय नि:शुल्क उपलब्ध कराना बाध्यकर है।

(ख) मान्यताप्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के लिए:-

(1) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 300 लीटर पेट्रोल या 450 लीटर डीजल की कुल मात्रा (यह अवधारणा करते हुए कि कोई अभ्यर्थी चुनाव प्रचार की 14 दिन की अवधि और मतदान दिवस के प्रत्येक दिन औसतन 20 लीटर पेट्रोल/30 लीटर डीजल का उपभोग करते हुए 200 किलोमीटर यात्रा करेगा) को प्रत्येक विधान सभा के लिए वित्तपोषित किया जाए, तथापि, यह किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम 1500 लीटर पेट्रोल या 2250 लीटर डीजल की मात्रा के अधीन रहते हुए होगा।

(2) मतदाता पर्चियों आदि के मुद्रण के लिए कागजों की विनिर्दिष्ट मात्रा की आपूर्ति करने का मुद्दा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार विनिश्चित किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की लागत से प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक को एक संदेश (जिसका भार 10 ग्राम से अधिक न हो) भेज सकता है।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए माइक्रोफोन सहित लाउडस्पीकर का एक सेट, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऐसे 10 सेटों की अधिकतम सीमा के अधिक रहते हुए, वित्तपोषित किया जाए।

(5) लैंडलाइन टेलीफोन प्रतिष्ठापित करने की बजाय यह अधिक उचित होगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 1500 रुपए (अर्थात् 100 रुपए प्रति दिवस) का एक मोबाइल प्रीपेड कार्ड, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 7500 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, उपलब्ध कराया जाए।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर राज्य की लागत से अभ्यर्थी शिविर (200 मीटर की दूरी से परे) दो कुर्सियों और एक मेज के साथ उपलब्ध कराया जाए।

(7) मतगणना हाल के अंदर मतगणना करने वाले कर्मचारिवृंद के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले जलपान और खाद्य पैकेटों को प्रत्येक अभ्यर्थी के, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या वह किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रायोजित है अथवा कोई निर्दलीय अभ्यर्थी है, मतगणना अभिकर्त्ताओं को भी उपलब्ध कराया जाए।

आयोग ने यह और सिफारिश की है कि:

1. ऊपर (क) में उल्लिखित मदों को सरकार द्वारा राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया जाए, (ख) पर उल्लिखित सामग्री/सुविधाओं को सीधे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाए।

2. (ख) के अधीन उपरोक्त मदों पर वित्तपोषण के मद्दे व्यय को उचित रूप से किसी अभ्यर्थी की व्यय सीमा से घटाया जाना चाहिए।

सरकार ने इस विषय पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

***170. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है और उक्त कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों में उक्त कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पिछड़े क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 लागत भागीदारी के साथ आईआरईपी एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो तथा मैक्रो स्तरीय ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की आयोजना एवं संस्थागत क्षमताओं का विकास करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यकलापों में राज्य स्तरीय ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं, जिला ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं की तैयारी और चुनिंदा जिलों में ग्राम समूहों में प्रदर्शन परियोजनाओं की तैयारी तथा यथासंभव कार्यान्वयन करना शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदर्शन परियोजनाओं के तहत अक्षय ऊर्जा पर बल देते हुए उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के ईष्टतम मिश्रण के माध्यम से चुनिंदा जिलों में पहचान किए गए ग्राम समूहों में ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, प्रदर्शन, तकनीकी बैक-अप यूनिटों, जागरूकता सृजन, उद्यमिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन के माध्यम से क्षमता निर्माण और समर्थकारी तंत्र के संघटक भी शामिल हैं। इस कार्यक्रम की सहायता से बकोली (दिल्ली), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), बंगलौर (कर्नाटक), आनंद (गुजरात) और शिलांग (मेघालय) में पांच आईआरईपी क्षेत्रीय

केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र, क्षमता निर्माण तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय द्वारा एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष 1994-95 से किया जा रहा है। आईआरईपी कार्यक्रम पर मूल्यांकन अध्ययन पूर्व में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली और आपरेशन रिसर्च ग्रुप, वड़ोदरा द्वारा किए गए थे। इस कार्यक्रम का पिछला मूल्यांकन वर्ष 2001-02 के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) से निधिकृत एक परियोजना के अंतर्गत किया गया था। इस अध्ययन से पता चला कि ऊर्जा की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतराल और ऊर्जा योजनाओं एवं परियोजनाओं की तैयारी का तर्कपूर्ण तरीके से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति की दृष्टि से न्यूनतम अवसंरचना, देश के प्रत्येक राज्य तथा अधिकांश जिलों में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम की उपलब्धियों तथा कमियों के मूल्यांकन के आधार पर, इस अध्ययन में यह सिफारिश की गई थी कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया जाए। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सामने आने वाली बाधाओं में राज्यों द्वारा वित्तीय तथा अन्य संसाधनों का अपर्याप्त प्रावधान शामिल था। अपेक्षाकृत अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता, मानव संसाधन विकास पर अधिक बल, तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए समन्वयन एवं निगरानी के माध्यम से कार्यक्रम के उन्नत कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2003-04 में इस कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

(घ) से (च) वर्ष 2003-04 से कार्यान्वित किए जा रहे संशोधित आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 323 जिलों में ग्राम समूहों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा युक्तियों के व्यापक प्रसार के अलावा, इन ग्राम समूहों एवं जिलों हेतु ऊर्जा मांग एवं खपत और ऊर्जा संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा प्राप्त हुए हैं। संशोधित आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संशोधित आईआरईपी कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5
3.	छत्तीसगढ़	16
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	19
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू-कश्मीर	14
8.	झारखंड	7
9.	कर्नाटक	27
10.	केरल	14
11.	मध्य प्रदेश	48
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	7
14.	मिजोरम	6
15.	नागालैंड	6
16.	पांडिचेरी	2
17.	पंजाब	17
18.	तमिलनाडु	14
19.	त्रिपुरा	2
20.	उत्तरांचल	13
21.	उत्तर प्रदेश	70
	कुल	323

[अनुवाद]

ऋण वसूली

***173. श्री निखिल कुमार:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ बैंक चूककर्त्ताओं से ऋण वसूलने हेतु गुण्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंकों द्वारा चूककर्त्ताओं से ऋण वसूलने हेतु सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों की अवहेलना की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने ऋण वसूलने हेतु आपराधिक रास्ते अपनाए हैं तथा जो सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को विभिन्न बैंकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें वसूली के प्रयोजनों के लिए उत्पीड़न और अपनाए गए अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप लगाया गया है। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, तब इस विषय से संबंधित वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार इनकी जांच की जाती है।

मई 2003 में जारी की गई ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता से संबंधित मार्गनिर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि ऋणों की वसूली के मामले में, ऋणदाता को अनुचित उत्पीड़न अर्थात ऋणों की वसूली के लिए उधारकर्त्ताओं को बेवक्त निरंतर परेशान करने, बाहुबल का प्रयोग करने, आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में नवम्बर, 2005 में सभी वाणिज्यिक बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अनुदेश भी जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्धारित किया गया है कि उनके एजेंटों को क्रेडिट कार्डधारकों के परिवार के सदस्यों, परिचयदाताओं और मित्रों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने या उनकी गोपनीयता में हस्तक्षेप करने, धमकाने वाली और अज्ञात टेलीफोन काल करने या गलत एवं भ्रामक प्रतिनिधित्व करने के कृत्यों सहित अपने ऋण वसूली के प्रयत्नों में किसी व्यक्ति को मौखिक या शारीरिक किसी भी रूप में डराने-धमकाने या उत्पीड़ित करने का आश्रय नहीं लेना चाहिए।

भारतीय बैंक संघ ने "देयराशियों की वसूली और प्रतिभूति के पुनर्गठन के लिए आदर्श संहिता" तैयार की है, जिसे जनवरी 2007 में बैंकों द्वारा अंगीकार एवं कार्यान्वित किए जाने की सिफारिश की है। आदर्श संहिता में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि बैंक अपनी ऋण वसूली की नीति में ग्राहकों की मर्यादा एवं सम्मान को बनाए रखने की प्रतिबद्धता करें और ऐसी नीतियां न अपनाएं, जो देयराशियों की वसूली के मामले में अनुचित रूप से बाध्यकारी न हों।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय में यह आदेश दिया है कि बैंक(कों) को उन मामलों में, जहां उधारकर्त्ता ने किस्तों की अदायगी में चूक की हो, वाहनों को कब्जे में लेने के लिए बाहुबल की रणनीति का आश्रय लेने के बजाय कानून द्वारा मान्य प्रक्रिया का आश्रय लेना चाहिए।

विश्व बैंक से ऋण

***174. श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने आगामी कुछ वर्षों के दौरान भारत की दी जाने वाली कुल ऋण राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने भारत में चल रही अनेक परियोजनाओं हेतु सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी सहायता मुहैया करायी गयी है; और

(ङ) सरकार किस प्रकार से ब्याज सहित मूलधन का पुनर्भुगतान कर रही है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारत के लिए विश्व बैंक का ऋण, देश सहायता कार्यनीति (सीएएस) द्वारा निर्देशित होता है जो भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य पारस्परिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। विद्यमान देश सहायता कार्यनीति (जुलाई, 2004-जून, 2008) में भारत को बैंक का ऋण इन चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रवर्धित 2.5 से 3 बिलियन अमरीकी डालर दिए जाने की परिकल्पना है।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा (28.2.2007 की स्थिति के अनुसार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) ब्याज सहित मूल राशि की अदायगी, भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य हुए ऋण/उधार करार की शर्तों के अनुसार, सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट में आवश्यक प्रावधान करके की जाती है।

विवरण

विश्व बैंक का विद्यमान पोर्टफोलियो (28.02.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तारीख	राशि (मि.अम. डालर)	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु सिंचित कृषि एमओडी और जल निकाय संग्रहण व प्रबंधन परियोजना	23 जनवरी, 07	485.0	2182.5
2.	तृतीय आंध्र प्रदेश आर्थिक सुधार ऋण/उधार	11 जनवरी, 07	225.0	1012.5
3.	पंजाब ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	14 दिसम्बर, 06	154.0	693.0
4.	पंजाब राज्य सड़क परियोजना	5 दिसम्बर, 06	250.0	1125.0
5.	उत्तरांचल ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना	5 सितम्बर, 06	120.0	540.0
6.	कर्नाटक स्वास्थ्य प्रणाली	22 अगस्त, 06	141.8	638.2
7.	द्वितीय राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण परियोजना	22 अगस्त, 06	170.0	765.0
8.	प्रजनन और बाल स्वास्थ्य द्वितीय चरण	22 अगस्त, 06	360.0	1620.0
9.	उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास ऋण-II	1 अगस्त, 06	225.0	1012.5
10.	कर्नाटक पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना	29 जून, 06	120.0	540.0
11.	राष्ट्रीय कृषि नवीकरण परियोजना	18 अप्रैल, 06	200.0	900.0
12.	कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना	14 मार्च, 06	216.0	972.0
13.	विद्युत प्रणाली विकास परियोजना-III	19 जून, 06	400.0	1800.0
14.	हिमाचल प्रदेश मध्य-हिमाचल जल संभरक विकास परियोजना	13 दिसम्बर, 05	60.0	270.0
15.	तमिलनाडु अधिकारिता और निर्धनता उन्मूलन	12 जुलाई, 05	120.0	540.0
16.	तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (टीएनयूडीपी-III)	5 जुलाई, 05	300.0	1350.0
17.	महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	23 जून, 05	325.0	1462.5
18.	भारत: आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण परियोजना	3 मई, 05	465.0	2092.5
19.	लखनऊ-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	21 दिसम्बर, 04	620.0	2790.0
20.	तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना	16 दिसम्बर, 04	110.8	498.7
21.	असम कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना	14 दिसम्बर, 04	154.0	693.0
22.	एसएमई वित्तपोषण और विकास	30 नवम्बर, 04	120.0	540.0

1	2	3	4	5
23.	ग्रामीण सड़क परियोजना	23 सितम्बर, 04	399.5	1797.8
24.	मध्य प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	7 सितम्बर, 04	394.0	1773.1
25.	हाइड्रोलाजी परियोजना चरण-II	24 अगस्त, 04	105.0	472.4
26.	एकीकृत रोग निगरानी परियोजना	8 जुलाई, 04	68.0	306.0
27.	उत्तरांचल विकेन्द्रीकृत जल संभरक विकास परियोजना	20 मई, 04	69.6	313.3
28.	कर्नाटक शहरी जल क्षेत्र सुधार परियोजना	8 अप्रैल, 04	39.5	177.8
29.	राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	11 मार्च, 04	89.0	400.5
30.	इलाहाबाद बाईपास परियोजना	14 अक्तूबर, 03	240.0	1080.0
31.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई ''जलस्वरूप'' परियोजना	26 अगस्त, 03	181.0	814.5
32.	तमिलनाडु सड़क क्षेत्र परियोजना	17 जून, 03	348.0	1566.0
33.	खाद्य और औषध क्षमता निर्माण परियोजना	5 जून, 03	54.0	243.1
34.	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	24 अप्रैल, 03	112.6	506.5
35.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन परियोजना	20 फरवरी, 03	150.0	675.1
36.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	19 दिसम्बर, 02	488.0	2196.0
37.	तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना	14 नवम्बर, 02	250.0	1125.0
38.	आंध्र प्रदेश सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना	16 जुलाई, 02	108.0	486.0
39.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	18 जून, 02	542.0	2439.0
40.	गुजरात आपातकालीन भूकंप पुनर्निर्माण परियोजना	2 मई, 02	442.8	1992.6
41.	कर्नाटक समुदाय आधारित टैंक प्रबंधन परियोजना	25 अप्रैल, 02	98.9	445.1
42.	केरल राज्य परिवहन परियोजना	14 मार्च, 02	255.0	1147.5
43.	मिजोरम राज्य सड़क परियोजना	14 मार्च, 02	60.0	270.0
44.	राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19 फरवरी, 02	140.0	630.0
45.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	19 फरवरी, 02	149.2	671.4
46.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई परियोजना-II	18 दिसम्बर, 01	151.6	682.2
47.	कर्नाटक जलसंभरक विकास परियोजना	21 जून, 01	100.4	451.8
48.	राजस्थान द्वितीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	21 जून, 01	74.4	334.8
49.	ग्रांड ट्रेक रोड सुधार परियोजना	21 जून, 01	589.0	2650.5

1	2	3	4	5
50.	कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना	24 मई, 01	360.0	1620.0
51.	मध्य प्रदेश जिला निर्धनता पहल परियोजना	7 नवम्बर, 00	110.1	495.5
52.	केरल ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरणीय सफाई परियोजना	7 नवम्बर, 00	65.5	294.8
53.	तृतीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	7 सितम्बर, 00	64.9	292.1
54.	गुजरात राज्य राजमार्ग परियोजना	5 सितम्बर, 00	381.0	1714.5
55.	द्वितीय नवीकरणीय ऊर्जा	27 जून, 00	130.0	585.0
56.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	8 जून, 00	516.0	232.2
57.	आर्थिक सुधार परियोजना के लिए तकनीकी सहायता	12 मई, 00	45.0	202.5
58.	राजस्थान जिला निर्धनता पहल परियोजना	25 अप्रैल, 00	100.5	452.2
59.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	25 अप्रैल, 00	110.0	495.0
60.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि पुनरुद्धार परियोजना (02)	15, दिसम्बर, 98	194.1	873.5
	योग		13118.3	59032.3

[हिन्दी]

शेयरों के आवंटन में अनियमितताएं

***175. श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री काशीराम राणा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में शेयरों के आवंटन में हुई अनियमितताओं/घोटालों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा शेयरधारकों के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) सेबी द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 तथा 12 जनवरी, 2006 को येस बैंक तथा आईडीएफसी आईपीओ के संबंध में अंतरिम आदेश जारी करने के उपरांत, सेबी को शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें वर्ष 2005 के दौरान जारी किए गए विभिन्न आईपीओ में शेयरों के आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा की गई पूछताछ तथा जांच-पड़ताल से यह पता चला है कि कुछेक निकायों ने जाली/बेनामी व्यक्तियों के नाम में निक्षेपागारों में हजारों डीमैट खाते तथा बैंकों में बैंक खाते खोले। उन्होंने खुदरा व्यष्टि निवेशकों के लिए अनुमत आकारों में इन बेनामी/जाली खातों से आईपीओ के शेयरों के लिए आवेदन किया तथा आवंटन प्राप्त कर लिया। परिणामस्वरूप, वास्तविक खुदरा निवेशक आवंटन प्राप्त नहीं कर सके अथवा उन्हें अपेक्षाकृत कम शेयर आवंटित हुए जो उन्हें अन्यथा प्राप्त होते।

(ग) और (घ) सरकार ने सेबी को सलाह दी है कि वह उन व्यक्तियों से, जो शेयर आवंटित किए जाने के हकदार नहीं थे, से शेयरों का पुन: आवंटन उन व्यक्तियों को करें जिनको शेयर आवंटित किए जाने चाहिए थे। वर्ष 2007-08 के बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतिभूति बाजार में सभी भागीदारों के लिए पैन को एकमात्र पहचान संख्या बना दिया जाए। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूति बाजार में ऐसी आईपीओ अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने तथा प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का

संरक्षण करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

* सेबी ने संलिप्त पाए गए सभी निकायों को प्रतिभूति बाजार में लेनदेन करने से प्रतिषिद्ध करते हुए अंतरिम निदेश जारी किए हैं;

* सेबी ने आईएसआईएन को स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार के आरंभण की तिथि को ही सक्रिय करने के लिए निक्षेपागारों को निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया है;

* निक्षेपागारों ने बहुविध खातों का पता लगाने के लिए आवश्यक साफ्टवेयर सहित एक प्रणाली सुव्यवस्थित की है;

* निक्षेपागारों ने डीमैट प्रणाली में असामान्य लेनदेनों की मानीटरी करने तथा इस संबंध में अपने निष्कर्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को सूचित करने के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

* सेबी ने संलप्ति पाए गए निकायों के विरुद्ध जांच तथा न्यायनिर्णयन कार्यवाही सहित अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियां की हैं;

* सेबी ने उच्चांश सदोष की संलिप्तता वाले निकायों के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही शुरू की है; और

* सेबी ने गलत तरीके से प्राप्त लाभों को जब्त करने के निदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों में शामिल हैं:

* बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन 10 बैंकों पर उनके भूल-चूक संबंधी कृत्यों के लिए 5 लाख रुपए और 30 लाख रुपए के बीच की राशि की शास्तियां लगाई गई हैं;

* आईपीओ अनियमितताओं में संलिप्त 10 बैंकों में अवलोकित विभिन्न आंतरिक नियंत्रण विफलताओं के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है तथा अन्य सभी वाणिज्यिक बैंकों को इस मुद्दे पर सुग्राही बनाने के लिए इसे उनमें परिचालित भी किया गया है;

* 5 जनवरी, 2006 को सभी बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने आईपीओ पोर्टफोलियो की समीक्षा करें तथा इस संबंध में एक रिपोर्ट अपनी लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत करें। सभी बैंकों ने इस संबंध में कार्रवाई पूर्ण होने की सूचना दी है;

* बैंकों को अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां, प्रक्रियाओं तथा प्रक्रियाविधियों पर पुनर्विचार करने तथा यथापेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई करने एवं इस संबंध में एक रिपोर्ट बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सभी बैंकों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।

* बैंकों को 23 जनवरी, 2006 को निदेश जारी किए गए हैं जिनमें ''आदाता के खाते में'' चैक, उसमें उल्लिखित आदाता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा करने से प्रतिषिद्ध किया गया है।

[अनुवाद]

विधि मंत्रियों तथा विधि सचिवों का सम्मेलन

***176. श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद में विधि मंत्रियों एवं विधि सचिवों का एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, हां। 17 जनवरी, 2007 को हैदराबाद में विधि सचिवों और विधि मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी:

(1) न्यायालयों में लंबित और बकाया मामले।

(2) न्यायालयों में मामलों, विशेषकर दांडिक मामलों का शीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपाय और उठाए जाने वाले कदम।

(3) ग्राम न्यायालयों से संबंधित पृष्ठभूमि टिप्पण।

(4) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में मध्यस्तता और सुलह के लिए सक्षमता के निर्माण संबंधी पृष्ठभूमि पत्र।

(5) त्वरित निपटान न्यायालयों के कार्य निष्पादन और वित्तपोषण से संबंधित विषय।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश पदसंख्या-रिक्त पदों को समयबद्ध रीति में भरे जाने के लिए उपाय।

(7) न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण से संबंधित विषय।

(8) राज्यों में कुटुंब न्यायालयों की स्थिति और उनका कार्यपालन।

(9) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास की स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।

(10) राज्य विधि विभागों का कंप्यूटरीकरण।

जहां तक सम्मेलन के परिणाम का संबंध है, सम्मेलन में विधि मंत्रियों द्वारा ''हैदराबाद संकल्प'' नामक एक संकल्प अंगीकार किया गया था।

(ग) हैदराबाद सम्मेलन में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि मंत्रियों द्वारा अंगीकृत संकल्प को 31 जनवरी, 2007 को अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों को अग्रेषित किया गया था।

[हिन्दी]

त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियों का उपयोग

***177. श्रीमती नीता पटैरिया:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं इसके बाद त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत जारी की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण पेय जल क्षेत्र के लिए परिव्यय में वृद्धि करने तथा राज्यों को जारी की गई धनराशि के प्रभावी उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) पेयजल राज्य का विषय है और ग्रामीण बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी मदद दी जाती है। तथापि, राज्य सरकारें त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से ग्रामीण बसावटों तथा विद्यालयों को कवर करने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन, स्वीकृति, कार्यान्वयन और निष्पादन में सक्षम हैं। भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति वाली बसावटों को कवर करने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना के आधार पर ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अनुमानित अपेक्षित निधियां निम्नानुसार हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	कुल	केन्द्र	राज्य
2006-07	10485	5731	4754
2007-08	16192	9632	6560
2008-09	15840	9807	6033
2009-10	17436	10800	6636
2010-11	19160	11860	7300
2011-12	21000	13000	8000

(ख) और (ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियों में से खर्च न की गई शेष राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

खर्च न की गई राशि के मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा परियोजनाओं को समय पर तैयार करने तथा उन्हें अनुमोदित करने के लिए सही आयोजना बनाने में कमी, दूसरी किस्त के लिए पूरे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलम्ब, कतिपय भागों में विकट मौसमी स्थिति के कारण कार्यदिवसों में कमी जैसे विभिन्न घटक

हैं। इसके अलावा, राज्यों ने निधियों के साथ-साथ पिछले कुछ वर्षों से बढ़े हुए परिव्यय को खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुकूल उपाय नहीं किए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां, भारत निर्माण कार्यक्रम को (2005-06 से 2008-09 तक) कवर न की गई बसावटों को कवर करने, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु गुणवत्ता की समस्या को सुलझाने और निचली श्रेणी में चली गई बसावटों को कवर करने वाला कार्यक्रम माना गया है।

राज्यों को निम्नलिखित कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है:

* वर्षा जल एकत्रीकरण ढांचा मुहैया कराना।
* पारंपरिक स्रोतों का पुनः चालू करना।
* पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए भूमि एवं सतही जल का उचित उपयोग।
* उन बसावटों में नई योजनाएं चलाना जहां पुरानी योजनाएं चल रही हैं।
* उन पुरानी हो चुकी योजनाओं को पुनः सक्रिय करना जो अपनी निर्धारित क्षमता से कम कार्य कर रही हैं।
* नई पाइप लाइनें बिछाकर वैकल्पिक स्वच्छ स्रोत के क्षेत्रीय योजनाएं मुहैया कराना।
* स्रोत को सुदृढ़ करने वाले उपाय।
* वाटरशेड विकास में संबद्ध विभागों के प्रयासों के साथ तालमेल।
* बिना किसी स्वच्छ स्रोत वाली बसावटों की कवरेज के लिए वैकल्पिक स्रोतों से जल आपूर्ति उपलब्ध कराना।
* गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के लिए किफायती प्रौद्योगिकी/उपचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
* जल गुणवत्ता निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाना।

(च) क्षेत्र के लिए परिव्यय को चालू वर्ष में 25% तक बढ़ा दिया गया है। निधियों का अधिकतम उपयोग करने को बढ़ावा देने के मद्देनजर, बैठकों, आवधिक सूचना-प्रणाली, स्वतंत्र मूल्यांकन तथा वित्तीय अनुशासनात्मक उपायों के माध्यम से राज्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया जाता है। इसके अलावा, राज्यों को जल आपूर्ति योजनाओं के नियोजन, संचलन एवं रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य + प्राकृतिक आपदा + डीडीपी) के अंतर्गत खर्च न की गई राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	9044.29	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	820.94	0.00	156.38	820.94
3.	असम	2304.06	3344.78	7282.01	2304.06
4.	बिहार	1562.69	4574.30	12943.39	1562.69
5.	छत्तीसगढ़	0.00	702.60	2984.54	0.00
6.	गोवा	551.33	0.00	86.37	551.33
7.	गुजरात	0.43	0.00	118.53	0.43

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	0.00	0.00	1581.26	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	87.48	231.31	215.01	81.48
10.	जम्मू-कश्मीर	4576.53	3342.94	8735.47	4576.53
11.	झारखंड	793.46	1817.45	4203.49	793.46
12.	कर्नाटक	68.31	909.59	930.53	68.31
13.	केरल	0.00	0.00	1255.95	0.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	1267.05	823.20	0.00
15.	महाराष्ट्र	3880.42	675.52	1625.00	3880.42
16.	मणिपुर	747.87	367.37	2235.77	747.87
17.	मेघालय	1120.85	780.83	727.09	1120.85
18.	मिजोरम	0.00	0.00	110.40	0.00
19.	नागालैंड	171.95	290.87	1291.58	171.95
20.	उड़ीसा	0.00	1419.37	6397.75	0.00
21.	पंजाब	0.00	147.71	527.61	0.00
22.	राजस्थान	520.05	7670.70	21701.06	520.05
23.	सिक्किम	14.12	0.00	162.12	14.12
24.	तमिलनाडु	0.00	936.06	3615.10	0.00
25.	त्रिपुरा	1024.41	530.26	474.74	1024.41
26.	उत्तर प्रदेश	2562.92	3656.39	13894.48	2562.92
27.	उत्तरांचल	969.84	273.41	1299.42	969.81
28.	पश्चिम बंगाल	1016.09	731.22	1571.47	1016.09
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.40	1802.95	3550.46	4.40
30.	दादरा और नगर हवेली	0.45	0.45	0.45	0.45
31.	पांडिचेरी	0.00	100.00	100.00	100.00
	कुल	22798.60	35573.13	109644.92	224277.58

*28.2.2007 तक जारी की गई राशि तथा सूचित व्यय के आधार पर।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त जारी करना

*178. **श्री शिशुपाल एन. पटले:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत कुछ राज्यों को दूसरी किस्त जारी कर दी गई है अथवा जारी किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि जारी की गई है/जारी की जायेगी;

(ग) क्या ऐसे राज्यों द्वारा पहली किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि को खर्च कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा प्रत्येक राज्य में कितने परिवारों को आवास प्रदान किए गए;

(ङ) क्या सभी आवासीय इकाइयों की स्थिति/निर्माण को उच्च स्तर का पाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (च) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निधियों की दूसरी किस्त केवल उन्हीं राज्यों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं जिन्होंने पहली किस्त की राशि सहित वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध निधियों की कम से कम 60% राशि व्यय कर ली हो। वर्ष 2006-07 के दौरान, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त के रूप में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई राशि के साथ उनके द्वारा उपयोग की गई राशि और बनाए गए मकानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आईएवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आईएवाई मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा अपनी पसंद के नक्शे और डिजाइन के हिसाब से किया जाता है। तथापि, मंत्रालय की समवर्ती मूल्यांकन रिपोर्ट 1998-99 से पता चलता है कि 86% लाभार्थियों ने बनाए गए मकानों के प्रति बेहद संतोष व्यक्त किया है।

विवरण

2006-07 (28.2.2007 तक) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज की दूसरी किस्त, कार्यान्वयन करने वाले राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियों का उपयोग और बनाए गए मकानों की राज्यवार संख्या

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दूसरी किस्त के रूप में केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग	बनाए गए मकानों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12919.50	17561.60	84192
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.24	812.22	3399
3.	असम	5438.38	25622.67	77490
4.	बिहार	2346.80	82328.00	256182
5.	छत्तीसगढ़	1579.72	2733.60	2466
6.	गोवा	55.56	99.05	818
7.	गुजरात	5569.16	9009.78	30970
8.	हरियाणा	744.14	1223.13	3326

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	225.13	547.49	1038
10.	जम्मू-कश्मीर	421.58	1637.49	6029
11.	झारखंड	469.54	8685.34	37171
12.	कर्नाटक	2245.01	9183.41	36128
13.	केरल	2588.17	4309.26	16679
14.	मध्य प्रदेश	3521.00	8750.42	25390
15.	महाराष्ट्र	4922.85	13126.22	35433
16.	मणिपुर	107.48	0.00	0
17.	मेघालय	76.57	524.81	1475
18.	मिजोरम	130.17	261.54	1175
19.	नागालैंड	57.49	1024.78	6046
20.	उड़ीसा	1497.91	10164.11	36655
21.	पंजाब	120.20	1230.52	4095
22.	राजस्थान	2472.00	4186.09	8606
23.	सिक्किम	38.17	260.02	911
24.	तमिलनाडु	4311.66	8888.11	2275
25.	त्रिपुरा	528.60	1444.23	3456
26.	उत्तर प्रदेश	13851.31	31916.36	120905
27.	उत्तरांचल	305.17	1875.62	11359
28.	पश्चिम बंगाल	5865.00	19759.58	87164
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	12.29	50
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	7.27	44
31.	दमन और दीव	0.00	0.28	1
32.	लक्षद्वीप	10.63	18.68	76
33.	पांडिचेरी	0.00	37.44	214
	कुल	74021.38	267241.41	901218

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों को ऋण

***179. श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री के.एस. राव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्व-सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है;

(ख) दिए गए ऋणों की वसूली के लिए क्या तंत्र उपलब्ध है तथा अशोध्य ऋणों का प्रतिशत क्या है और अशोध्य ऋण की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने बैंकों को स्व-सहायता समूहों को और अधिक ऋण देने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्व-सहायता समूहों को बैंकवार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ङ) माइक्रो वित्त संस्थाओं के विनियमन हेतु सांविधिक ढांचे की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) स्व-सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली, जिसमें वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) शामिल होते हैं, द्वारा स्व-सहायता समूहों का वित्तपोषण किया जाता है। स्व-सहायता को बढ़ावा देने वाले गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सरकारी विभाग, बैंक जैसी संस्थाएं ग्रामीण गरीबों को 15-20 सदस्यों को लेकर एकसमान आर्थिक स्तर वाले समूह में स्वैच्छिक रूप से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उसके पश्चात समूहों को नियमित आधार पर कुछ राशि की बचत करने तथा इस राशि को स्वयं के बीच ऋण प्रदान करने के लिए उपयोग में लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जैसी ही ये समूह अपने संसाधनों को नियंत्रित करने में पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं, बैंक इन समूहों का वर्गीकरण करते हैं और योग्य समूहों को उनकी बचतों के गुणक में ऋण प्रदान करते हैं। स्व-सहायता समूह अपने सदस्यों से ऋण वसूली करते हैं और उसे बैंकों को लौटाते हैं। स्व-सहायता समूहों को दिए गए बैंक ऋण की वसूली दर समूहों के लगातार दबाव के कारण पूर्णरूपेण संतोषजनक होने की सूचना है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों के ऋण संबद्धता का लक्ष्य एवं उपलब्धि नीचे दी गई है:

वर्ष	लक्ष्य (सं. लाख में)	उपलब्धि (सं. लाख में)	उपलब्धि (राशि मिलियन रुपए)
2003-04	1.50	3.62	18555.50
2004-05	1.85	5.39	29943.00
2005-06	3.00	6.20	44990.00

गत तीन वर्षों के दौरान स्व-सहायता समूहों को जारी राशि का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) ''व्यष्टि वित्त क्षेत्र (विकास एवं विनियम) विधेयक'' को संसद के चालू सत्र में पेश किया जाना है।

विवरण

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को संवितरित एस एच जी बैंक संबंध बैंक ऋण

(मिलियन रुपये)

क्र.सं.	वाणिज्यिक बैंक	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5
	सरकारी क्षेत्र के बैंक			
1.	इलाहाबाद बैंक	73.26	250.35	317.69
2.	आंध्रा बैंक	1618.2	1986.27	2800.93

1	2	3	4	5
3.	बैंक आफ बड़ौदा	226.41	413.91	589.59
4.	बैंक आफ इंडिया	216.88	422.61	684.02
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	82.14	62.95	128.83
6.	केनरा बैंक	540.74	938.43	1214.95
7.	कार्पोरेशन बैंक	120.64	155.84	259.54
8.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	222.11	428.11	470.92
9.	देना बैंक	14.61	15.49	39.38
10.	इंडियन बैंक	1180.63	2025.9	3832.59
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	592.94	1590.65	1553.06
12.	ओरिण्टल बैंक आफ कामर्स	28.41	38.87	51.02
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	10.8	17.49	21.09
14.	पंजाब नैशनल बैंक	265.77	673.39	720.59
15.	भारतीय स्टेट बैंक	2676.01	6105.00	8878.92
16.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	15.14	84.23	216.85
17.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	609.69	843.38	1182.41
18.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	45.48	27.32	93.03
19.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	40.82	203.6	515.53
20.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	14.45	27.19	21.35
21.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1.19	1.71	5.87
22.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	59.84	128.11	258.12
23.	सिंडिकेट बैंक	438.05	556.23	1091.79
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	279.242	566.4	579.2
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	38.24	81.1	122.15
26.	यूको बैंक	73.27	221.44	352.28
27.	विजया बैंक	165.39	97.51	236.15
	उप कुल	9650.352	17963.48	26,237.85

1	2	3	4	5
	गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक			
1.	शामली बैंक लि.	0.16	0.12	0.04
2.	बैंक आफ राजस्थान लि.	4.75	9.78	13.93
3.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	22.46	111.95	114.29
4.	ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.*	0	–	–
5.	जम्मू-कश्मीर बैंक लि.	1.51	0	4.81
6.	कर्नाटक बैंक लि.	7.96	9.47	35.45
7.	साउथ इंडिया बैंक लि.	19.25	22.99	53.19
8.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	0	10.92	0.1
9.	विजया बैंक लि.	80.68	99.01	185.4
10.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	2.7	4.67	6.8
11.	फेडरल बैंक लि.	14.7	58.06	137.65
12.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	1.7	3.59	4.00
13.	सिटी यूनियन बैंक लि.	3.16	14.61	4.16
14.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	0	0	0
15.	करूर वैश्य बैंक लि.	2.09	1.03	2.66
16.	आईसीआईसीआई बैंक लि.	1224.7	721.14	1470.42
17.	नैनीताल बैंक लि.	2.66	3.02	3.24
18.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.6	0.42	10.29
19.	रत्नाकर बैंक लि.	0.03	0.39	0.02
20.	यूटीआई बैंक लि.	0	0	0
21.	केबीएस लोकल एरिया बैंक	12.74	7.25	0
	उप कुल	1402.85	1078.42	2,046.45
	सकल योग	11053.202	19041.90	28284.30

*वर्ष 2005 में ओरियंटल बैंक आफ कामर्स द्वारा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को लिया गया।

नैनो-इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश

***180. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश ने नैनो-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और अन्य अग्रणी देशों की तुलना में ये उपलब्धियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने नैनो इलैक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सरकार के पास नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देने का एक व्यापक कार्यक्रम है। 130 से अधिक अनुसंधान परियोजनाओं का निधि पोषण किया गया है। बायोमेम्स, उतक इंजीनियरिंग, औषधि वितरण, कार्यात्मक सामग्री, स्मार्ट टेक्सटाइल्स आदि जैसे अनुसंधान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर लगभग 20 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की गई है। विशिष्ट प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने वाली कुछ संयुक्त संस्था-उद्योग संबद्ध परियोजनाओं को भी चलाया गया है। अनेक पोस्ट डोक्टोरल अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई हैं। अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, स्कूलों आदि का भी आयोजन किया गया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 350 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की है। हाल ही में हैदराबाद में नैनो कार्यक्रम की एक बड़ी राष्ट्रीय स्तरीय पुनरीक्षा भी आयोजित की गई जिसमें अनेक रोचक और आशाजनक परिणामों की सूचना दी गई। फिर भी, अन्य अग्रणी देशों की तुलना में हमारे निवेश और उपलब्धियां अभी भी कम हैं। उदाहरण के लिए अमरीका, जापान और चीन द्वारा इस क्षेत्र में निवेश क्रमश: लगभग 1000 मिलियन डालर, 950 मिलियन डालर और 100 मिलियन डालर है। इस उदीयमान क्षेत्र को बढ़ावा देने के अपने प्रयत्नों में और तेजी लाने के लिए सरकार नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) की योजनाएं तैयार कर रही है। पहले ही शुरू किए गए क्रियाकलापों में तेजी लाने और उनको बढ़ाने के लिए अनेक शैक्षणिक और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों को चलाने, वाणिज्यिक इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के माध्यम से उद्यमिता संवर्धन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से संयुक्त केन्द्रों की स्थापना और नैनो प्रौद्योगिकी के विकास और वाणिज्यीकरण की दिशा में विशेष प्रयत्न करने की योजना है और यह कार्य सरकारी-निजी भागीदारियों से ही नहीं बल्कि इसमें निवेश के लिए निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित एवं समर्थ बनाकर किया जाएगा और इस उदीयमान प्रौद्योगिकी को उन्नत किया जाएगा।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने नैनो इलैक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का पहले ही विधिपोषण कर दिया है। अधिक ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र हैं: नई चुम्बकीय और फैरो इलैक्ट्रिक सामग्रियां, गैलियम नाईट्राइड उपकरण, सिलिकोन आधारित नैनो इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन का भी इस क्षेत्र में आगे निवेश करने का विचार है।

[हिन्दी]

पेयजल योजनाएं एवं परियोजनाएं

1506. श्री गिरिधारी यादव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेयजल आपूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार का हिस्सा कितना था; और

(ग) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरी की गई परियोजनाओं तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं की राज्य-वार एवं योजना-वार संख्या कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए ग्रामीण बसावटों में पेयजल मुहैया कराने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिए, राज्य सरकारों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और स्वजलधारा नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दी जाती है।

(ख) केन्द्र और राज्यों द्वारा दी गई एआरडब्ल्यूएसपी निधियों का विवरण सारणीबद्ध ढंग से क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। स्वजलधारा योजना के अंतर्गत केन्द्र के प्रावधानों को, जिसमें राज्य का कोई अंशदान नहीं है, संलग्न विवरण-III में अलग से दर्शाया गया है।

(ग) एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत, राज्यों को निधियां परियोजना-वार रिलीज नहीं की जाती हैं, इसलिए केंद्र स्तर पर परियोजना-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। स्वजलधारा योजना के अंतर्गत पूरी हो चुकी तथा चल रही परियोजनाओं की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य+डीडीपी+प्राकृतिक आपदा) के अंतर्गत रिलीज-केन्द्रीय अंश

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13112.00	16418.40	25080.29	17179.84
2.	अरुणाचल प्रदेश	4102.40	6825.00	10674.54	10299.00
3.	असम	5772.62	9565.62	14800.63	10416.50
4.	बिहार	3159.50	8941.03	15324.00	9285.50
5.	छत्तीसगढ़	2574.00	2269.80	5020.44	4827.96
6.	गोवा	0.00	0.00	182.45	127.00
7.	गुजरात	8458.00	6696.35	12769.16	14033.08
8.	हरियाणा	2662.00	2707.00	4193.80	3350.32
9.	हिमाचल प्रदेश	5137.00	5438.20	11895.00	10211.86
10.	जम्मू-कश्मीर	12850.63	12833.60	23671.50	21788.67
11.	झारखंड	2060.00	2752.83	6307.28	3631.00
12.	कर्नाटक	12062.00	12677.44	21208.99	23336.00
13.	केरल	4268.71	4401.00	6170.65	6216.00
14.	मध्य प्रदेश	7310.00	7945.00	15039.88	19733.40
15.	महाराष्ट्र	15710.00	15971.00	33235.88	34192.00
16.	मणिपुर	1624.15	2103.00	2713.67	1689.50
17.	मेघालय	1811.78	2613.87	3190.10	3773.74
18.	मिजोरम	1386.00	1810.00	2599.27	3317.20
19.	नागालैंड	1626.73	1702.00	2647.76	1499.00
20.	उड़ीसा	4713.81	6934.00	13880.94	5166.00
21.	पंजाब	2269.00	2815.00	4134.81	4098.00
22.	राजस्थान	23368.51	30439.76	49135.34	30966.30
23.	सिक्किम	763.00	731.00	1283.68	1229.00
24.	तमिलनाडु	6269.00	8494.13	12053.66	12496.22

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	1903.00	1575.13	3199.86	3397.71
26.	उत्तर प्रदेश	10457.00	13455.00	28372.10	28389.40
27.	उत्तरांचल	2371.50	3265.47	6559.12	7882.92
28.	पश्चिम बंगाल	6827.00	8270.21	15078.33	17118.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	2037.00	1747.51	0.00
30.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	–	–	–	–
32.	दिल्ली	–	–	–	–
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	–	–
34.	पांडिचेरी	0.00	100.00	0.00	0.00
	कुल	164629.34	201787.84	352170.64	309651.52

*23.2.2007 तक की रिलीज

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 23.2.2007 तक के खर्च की जानकारी दी गई है।

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रावधान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	18239.81	24140.24	23947.35	39393.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	2933.30	7286.00	2900.00	639.40
3.	असम	5661.00	8794.40	6500.12	7485.00
4.	बिहार	5962.30	5866.00	9750.05	20427.85
5.	छत्तीसगढ़	7294.69	7510.50	9131.25	11415.00
6.	गोवा	1242.96	1318.35	1870.00	1525.10
7.	गुजरात	24062.00	19060.00	29051.31	28754.00
8.	हरियाणा	10832.15	10528.00	18640.00	21825.00
9.	हिमाचल प्रदेश	11220.10	11475.88	10486.34	10615.82
10.	जम्मू-कश्मीर	16212.64	12500.00	10100.00	23326.00

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	6500.00	7825.00	6046.55	5200.00
12.	कर्नाटक	11633.36	10353.61	17800.00	9432.18
13.	केरल	4242.61	11339.00	11655.27	15406.50
14.	मध्य प्रदेश	11471.85	8954.54	15461.70	9897.93
15.	महाराष्ट्र	22319.30	21378.23	38144.89	58118.34
16.	मणिपुर	1573.15	1095.48	1460.00	3497.00
17.	मेघालय	2925.00	3160.23	3620.00	3620.00
18.	मिजोरम	1755.96	1657.72	2839.20	3441.00
19.	नागालैंड	1561.00	1541.00	2930.12	796.00
20.	उड़ीसा	6680.00	5952.75	9211.44	9988.98
21.	पंजाब	7093.00	7288.31	12453.26	15000.00
22.	राजस्थान	18232.20	52637.21	34133.43	28812.30
23.	सिक्किम	1200.00	2731.68	2942.50	901.50
24.	तमिलनाडु	39180.15	42200.00	41100.00	41100.00
25.	त्रिपुरा	2020.75	1965.00	843.15	3450.00
26.	उत्तर प्रदेश	20508.51	24371.23	33652.70	41073.27
27.	उत्तरांचल	10807.39	12326.88	19231.24	18200.00
28.	पश्चिम बंगाल	6936.63	10736.00	12889.00	13797.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	700.00	850.00	3326.00	असूचित
30.	दादरा और नगर हवेली	170.00	148.00	51.66	153.84
31.	दमन और दीव	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित
32.	दिल्ली	74.85	असूचित	असूचित	असूचित
33.	लक्षद्वीप	164.51	186.00	असूचित	असूचित
34.	पांडिचेरी	740.99	841.47	936.00	1326.00
	कुल	282152.16	338018.71	393104.53	448618.86

*राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 23.2.2007 तक के खर्च की जानकारी दी गई है।

विवरण III

विगत तीन वर्षों के दौरान स्वजलधारा के अंतर्गत आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1,616.07	1,632.65	4,065.55	2,880.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	447.41	473.76	933.61	–
3.	असम	754.59	797.36	1,751.29	–
4.	बिहार	873.73	923.98	2,232.74	–
5.	छत्तीसगढ़	262.8	332.2	750.97	–
6.	दादरा और नगर हवेली	8	8.46	16.67	–
7.	दिल्ली	6	6.35	12.5	–
8.	गोवा	14.55	15.04	28.05	–
9.	गुजरात	765.56	2000.09	2,172.94	1,838.00
10.	हरियाणा	234.23	246.48	682.31	–
11.	हिमाचल प्रदेश	680.19	677.16	1,667.72	1,420.64
12.	जम्मू-कश्मीर	1,497.90	1,560.02	2,900.60	–
13.	झारखंड	356.02	368.12	1074.14	310.96
14.	कर्नाटक	1,397.03	3,515.13	3,005.31	2,005.00
15.	केरल	504.03	492.54	1046.19	914
16.	मध्य प्रदेश	840.54	966.49	2,696.24	–
17.	महाराष्ट्र	2,172.15	2,935.46	5,359.79	–
18.	मणिपुर	153.59	162.86	320.93	205
19.	मेघालय	176.96	186.12	366.77	–
20.	मिजोरम	126.88	133.25	262.58	–
21.	नागालैंड	130.22	137.48	361.24	173
22.	उड़ीसा	733.28	865.23	2,409.99	–
23.	पांडिचेरी	6	6.35	12.5	–
24.	पंजाब	313.79	351.11	580.45	–

1	2	3	4	5	6
25.	राजस्थान	2,191.77	2,866.81	6,179.19	3,884.00
26.	सिक्किम	53.42	57.11	112.53	–
27.	तमिलनाडु	673.22	1118.8	2,306.82	1,772.00
28.	त्रिपुरा	156.93	164.97	325.1	–
29.	उत्तर प्रदेश	1,532.91	1,621.06	3,608.10	4,114.00
30.	उत्तराखंड	364.33	378.67	1112.15	986
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	–	–	–
32.	पश्चिम बंगाल	943.9	1,064.06	2,585.18	–
	कुल	20,000.00	24,065.08	50,760.15	20,502.60

विवरण IV

विगत तीन वर्षों के दौरान स्वजलधारा के अंतर्गत पूर्ण तथा चालू परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		पूर्ण	चालू	पूर्ण	चालू	पूर्ण	चालू	पूर्ण	चालू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	361	52	427	124	149	409	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	75	106	0	0	0	0		
3.	असम	115	293	171	0	0	0		
4.	बिहार	0	0	0	1	0	2		
5.	छत्तीसगढ़	0	0	109	87	0	0		
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0		
7.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0		
8.	गोवा	0	0	0	0	0	0		
9.	गुजरात	132	30	190	97	50	148	10	62
10.	हरियाणा	7	35	1	30	1	32		
11.	हिमाचल प्रदेश	146	4	133	165	75	363	0	255
12.	जम्मू-कश्मीर	59	62	13	6	0	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	झारखंड	82	46	0	0	12	58	0	0
14.	कर्नाटक	255	37	103	21	47	189	0	68
15.	केरल	50	28	9	3	0	1	0	0
16.	मध्य प्रदेश	229	473	47	112	66	216		
17.	महाराष्ट्र	159	160	71	116	4	119		
18.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	मेघालय	0	0	0	18	0	3		
20.	मिजोरम	0	0	3	2	0	8		
21.	नागालैंड	0	9	0	0	0	0	0	0
22.	उड़ीसा	254	55	207	62	133	246		
23.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0		
24.	पंजाब	0	7	0	11	0	10		
25.	राजस्थान	202	270	191	247	5	426	0	59
26.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0		
27.	तमिलनाडु	362	3	322	1	389	13	1	11
28.	त्रिपुरा	404	152	10	47	32	42		
29.	उत्तर प्रदेश	0	128	25	388	0	201	0	0
30.	उत्तराखंड	22	9	24	0	6	37	0	7
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0		0		0		
32.	पश्चिम बंगाल	20	27	0	0	2	33		
	कुल	2724	1128	2056	1538	971	2589	11	462

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005

1507. श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा': क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 क्रियान्वित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब से क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की विधिमान्यता को रिट याचिकाओं के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी गई थी। सभी रिट याचिकाओं को संगठित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में 2 फरवरी, 2006 को एक अंतरण याचिका संख्या 92/2006 फाइल की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने तर्क सुनने के पश्चात् 9 जनवरी, 2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह संप्रेक्षण किया गया था कि न्यायालय इस विषय की समीक्षा ऐसे संशोधनों के पश्चात् करेगा, जिन्हें सरकार उक्त अधिनियम में करना उचित समझे और विषयों का उल्लेख किया गया है तथा अधिनियम के उपबंध में संशोधन किए जाने के पश्चात् इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार हेतु स्वतंत्रता आरक्षित रखी है। तद्नुसार, 29 जनवरी, 2007 को राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को प्रख्यापित किया गया था। राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 को प्रतिस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 को 1.3.2007 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय कर अधिकरण की शीघ्र स्थापना को सुकर बनाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले का उल्लेख किया जाएगा।

[हिन्दी]

ऊर्जा क्षेत्र में कृतिक बल

1508. श्री बालेश्वर यादवः क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऊर्जा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास उठाए गए हैं और ऐसे प्रयासों के क्या परिणाम निकले;

(ख) क्या सरकार का विचार ऊर्जा क्षेत्र संबधी कृतिक बल का गठन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) एनटीपीसी लि., नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन और पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसी बड़ी विद्युत यूटिलिटियों में इन-हाऊस आर एंड डी की स्थापना है जो नई तकनीक शुरू करने तथा अपनाने पर विचार करती है। मुख्य भारतीय उपकरण उत्पादक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिं. के पास अपना स्वयं का आर एंड डी सेट-अप है, जो उत्पाद विकास पर बल देता है। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान के पास इन हाऊस अनुसंधान सुविधाएं हैं और यूटिलिटियों, उद्योगों तथा एकेडेमिक संस्थानों को अनुसंधान निधियां भी वितरण करती है। ताप विद्युत उत्पादन के लिए नवीनतम सुपर क्रिटिकल तकनीक पर टैरिफ आधारित बोली पर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना पहल शुरू की गई है। आर्थिक पैमाने पर प्राप्त लाभों तथा ताप विद्युत क्षमता में समग्र सुधार के साथ, प्रथम दो परियोजनाओं अर्थात् सासन और मुंद्रा यूएमपीपी के संबंध में सफल विकासकर्त्ता द्वारा बताया गया समान टैरिफ पूर्ण रूप से प्रतियोगी है।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उन्होंने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र पर किसी टास्क फोर्स का गठन नहीं किया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण संबंधी मानदण्ड

1509. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभरः क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत नियत धनराशि में परिवर्तन किया गया है और इसके अंतर्गत आवासों के निर्माण संबंधी नियमों एवं शर्तों में कई परिवर्तन किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां, वर्ष विशेष में ग्रामीण विकास के लिए किए गए समग्र बजटीय आवंटन के आधार पर आबंटित की जाती हैं जो कि वर्ष दर वर्ष भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। तथापि, ग्रामीण आवास की कमी से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के आबंटन के लिए मानदंड में संशोधन किया गया था जिसके तहत आवास की कमी को 75% वेटेज और 25% गरीबी अनुपात को वेटेज दिया जाता है, जबकि पूर्व में दोनों मानकों को बराबर वेटेज दिया जाता था। परिणामस्वरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए निधियों के आबंटन में कुछ बदलाव हुए हैं। जारी किए गए आदेश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आईएवाई दिशानिर्देश और उनमें समय-समय पर किए गए परिवर्तन का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.rural.nic.in पर भी उपलब्ध है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आवास की कमी को 75% तथा गरीबी अनुपात को 25% वेटेज देते हुए आबंटित की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए गरीबी अनुपात का उपयोग किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अंतर-जिला आबंटन संबंधित जिले में आवास की कमी को 75% तथा ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी को 25% वेटेज देते हुए किया जाएगा। जिले में ब्लाकों के लिए तथा ब्लाकों में ग्राम पंचायतों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण इसी सिद्धांत पर किया जाएगा। संसाधनों का एक जिले से अन्य जिले में विपथन का निषेध है। मौजूदा कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए तथा ऋण से मकानों के निर्माण के लिए सब्सिडी हेतु आईएवाई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.4 के अनुसार कुल निधियों की 20% राशि तक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

[अनुवाद]

उत्कृष्टता केन्द्र

1510. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ने देश के विभिन्न शहरों में ''उत्कृष्टता केन्द्रों'' की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इनके कार्यों एवं स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन केन्द्रों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता: (क) से (ग) भारतीय चार्टर्डई एकाउंटेन्ट संस्थान (आईसीएआई) ने सिद्धांतत: कुछ स्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संस्थान द्वारा अब तक कोई भी उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। अभी तक इस उद्देश्य से कोई समय-ढांचा निर्धारित नहीं किया गया है।

सीमा शुल्क एवं उत्पाद-शुल्क के बकाए

1511. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 2007 तक सीमा-शुल्क एवं उत्पाद शुल्क की बकाया राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फरवरी, 2007 तक वसूल की गई बकाया राशियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क के बकाए में वर्षानुवर्ष वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन बकायों को परिसमाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बकाया राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

	दिनांक 31.03.2005 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.03.2006 तक की स्थिति के अनुसार	दिनांक 31.01.2007 तक की स्थिति के अनुसार
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	12195.00	16092.57	18886.50
सीमा शुल्क	2940.06	4850.55	5938.50
सेवा कर	524.03	650.31	1310.09
कुल	15659.09	21593.43	26135.09

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वसूल की गई बकाया राशियों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

	2004-05	2005-06	2006-07 (दिनांक 31.01.1007 तक)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1799.38	1657.94	1014.95
सीमा शुल्क	843.49	600.29	847.77
सेवा कर	**	881.42	710.70
कुल	2642.87	3139.65	2573.42

**केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में आंकड़े शामिल

(ग) चूंकि राजस्व संग्रहण वर्ष दर वर्ष बढ़ता है, राजस्व की बकाया राशि भी कुछ हद तक बढ़ती है। यह उल्लेखनीय है कि राजस्व का सृजन और बकायों की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। जहां पुराने मामले निपटाये जाते हैं वहीं नए मामले जुड़ जाते हैं। बकाया कर की वसूली नहीं हो पाने के कारणों में न्यायालय/सी ई एस टी ए टी, आयुक्त (अपील) आदि द्वारा स्थगन आदेश; चूककर्त्ता यूनिटों का बी आई एफ आर/ओ एल/डी आर टी के अंतर्गत होना; चूककर्त्ताओं का पता नहीं लगना; विवाद पर गठित समिति के समक्ष मामले का लम्बित होना; मामले का अपील अवधि के अंतर्गत होना, आदि शामिल हैं।

(घ) बकायों की वसूली के लिए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयासों को समन्वित करने, सुकर बनाने, मानीटर करने तथा देख-रेख करने के लिए सरकार ने एक केन्द्रीयकृत कार्य बल का गठन किया है। राजस्व के बकायों के मामले की विभिन्न स्तरों पर नियमित मानीटरिंग की जा रही है ताकि ऐसे मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। ऐसे मामलों में बकाया राशि की वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई की जा रही है जो अड़चनों से मुक्त हैं। महत्वपूर्ण मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए तथा स्थगन आदेश खारिज करने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा नियम

1512. श्री के.सी. पल्लाणी शामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमों को उदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। विदेशी मुद्रा का उदारीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार की गई विदेशी मुद्रा नियमावली में समय-समय पर संशोधन किया गया है। जून, 2000 से किए गए ऐसे संशोधन कारणों सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

एफईएमए 1999 के अंतर्गत [illegible]

क्र.सं.	जीएसआर सं./तारीख और प्रकाशन की तारीख (डीओपी)	अधिनियम की धारा	नियम का शीर्षक	दी गई रियायत
1	2	3	4	5
1.	663 (ई)/ 09.08.2000 (प्रकाशन की तारीख) 17.08.2000	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2000	किसी राज्य सरकार अथवा उसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विदेश में विज्ञापन देने के लिए। वित्त मंत्रालय का अनुमोदन अपेक्षित है।

1	2	3	4	5
2.	301 (ई)/ 30.03.2001 (प्रकाशन की तारीख) 30.3.2001	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2001	चालू खाता नियमावली के नियम 4 और 5 में संशोधन। चालू खाता नियमावली की अनुसूची-II में संशोधन। चालू खाता नियमावली की अनुसूची-III का संशोधन।
3.	442/ 22.10.2002 (प्रकाशन की तारीख) 2.11.2002	सीए नियमावली	विदेशी मुद्रा (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2002	चालू खाता नियमावली की अनुसूची-II का क्रम सं. 6 हटाया गया। अनुसूची-III के क्रम सं. 18 में ट्रांस्पोंडर का भाड़ा प्रभार विप्रेषण शामिल किया गया है।
4.	443/ 22.10.2002 (प्रकाशन की तारीख) 2.11.2002	15 (1) और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (संयोजन कार्यवाहियां) (संशोधन) नियमावली, 2002	नियम 9 संशोधित किया गया। आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर वह राशि जमा करानी होगी जिस राशि के लिए उल्लंघन संयोजित किया गया है।
5.	831 (ई, 17.12.2002 (प्रकाशन की तारीख) 20.12.2002	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2002	अनुसूची-III की मद सं. 2 को संशोधित किया गया अर्थात् प्राइवेट ट्रिप के लिए, विदेशी मुद्रा 5,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 10,000 अमरीकी डालर मुद्रा की जारी करना।
6.	33 (ई)/ 15.1.2003 (प्रकाशन की तारीख) 16.1.2003	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमाबली, 2003	अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग-चालू खाता नियमावली के नियम 5 का लागू न होना।
7.	397 (ई)/ 1.5.2003 (प्रकाशन की तारीख) 14.5.2003	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2003	अनुसूची-I की मद सं. संशोधित की गई अनुसूची-III की मद सं. 7 संशोधित की गई।
8.	731 (ई)/ 5.9.2003 (प्रकाशन की तारीख) 11.9.2003	5 और 46	विदेशी मुद्रा (चालू खाता लेन देन) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2003	अनुसूची-III का मद सं. 5, 6 और 7- 5,000 अमरीकी डालर की राशि बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डालर करना। अनुसूची-III का पद सं. 10 राशि को 30,000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100,000 अमरीकी डालर करना। अनुसूची-III की मद सं. 15-100,000 अमरीकी डालर की राशि बढ़ाकर 1 मिलियन अमरीकी डालर करना।

1	2	3	4	5
9.	849 (ई)/ 27.10.2003 (प्रकाशन की तारीख) 29.10.2003	5 और 46	विदेशी मुद्रा (चालू खाता लेन देन) (चौथा संशोधन) नियमावली, 2003	अनुसूची-II का मद सं. 4 संशोधित किया गया इसको "आयात का भुगतान" पढ़ा जाए।
10.	608 (ई)/ 13.9.2004 (प्रकाशन की तारीख) 13.9.2004	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2004	अनुसूची-II (मद सं. 6, 5 के बाद अंतर्विष्ट)। (मद सं. 10 हटा दिया गया) अनुसूची-III - (मद सं. 11 और 16 संशोधित) अनुसूची-III (मद सं. 1, 12, 13, 14 और 18 को हटा दिया गया)
11.	609 ई/ 13.9.2004 (प्रकाशन की तारीख) 13.9.2004	46 और 15	विदेशी मुद्रा (संयोजन कार्यवाहियां) (संशोधन) नियमावली, 2004	आरबीआई और डीओई को शक्तियों के प्रत्यायोजन में संशोधन।
12.	511 (ई)/ 27.7.2005 (प्रकाशन की तारीख) 28.7.2005	नियम 4 (9) और 6	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां और अपील) (संशोधन) नियमावली, 2005	नियम 4 और 6 का संशोधन।
13.	512 (ई)/ 27.7.2005 (प्रकाशन की तारीख) 28.7.2005	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2005	नियम 3 की अनुसूची-I और नियम-4 की अनुसूची-II में संशोधन।
14.	412 (ई)/ 10.7.2006 (प्रकाशन की तारीख) 11.7.2006	5 और 46	विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन देन) (संशोधन) नियमावली, 2006	अनुसूची-III का मद सं. 16 (व्यापार मार्क) हटा दिया गया।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत निधियों की दूसरी किस्त जारी किया जाना

1513. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को दूसरी किस्त जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने उक्त योजना के अंतर्गत पूर्व में प्राप्त निधियों का अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत राज्यों को दूसरी किस्त की रिलीज का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जैसाकि संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरे में देखा जा सकता है, विभिन्न कारणों से कुछ राज्य 2005-06 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों का उपयोग नहीं कर सके। भारत सरकार को प्रस्ताव विलंब से प्रस्तुत करने तथा राज्य मैचिंग अंश की रिलीज में विलंब कम उपयोग के मुख्य कारण हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों के पास उपलब्ध कुल निधियों के प्रतिशत उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय नियमित रूप से आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों जैसे विभिन्न निगरानी तथा समीक्षा तंत्रों के माध्यम से एसजीएसवाई योजना की समीक्षा करता है तथा केन्द्र स्तरीय समन्वय समिति (सीएलसीसी), निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों तथा राज्य विशिष्ट समीक्षाओं जैसे विभिन्न मंचों में राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी करता है।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत दूसरी किस्त की केन्द्रीय रिलीज

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिलीज की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2722.00
2.	बिहार	5033.31
3.	छत्तीसगढ़	1290.84
4.	गोवा	4.36
5.	गुजरात	1039.46
6.	हरियाणा	584.68
7.	हिमाचल प्रदेश	213.77
8.	जम्मू-कश्मीर	138.40
9.	झारखंड	1219.97
10.	कर्नाटक	1660.27
11.	केरल	936.73
12.	मध्य प्रदेश	2845.31
13.	महाराष्ट्र	3649.76
14.	उड़ीसा	3159.15
15.	पंजाब	288.66
16.	राजस्थान	1204.89
17.	तमिलनाडु	2444.52
18.	उत्तर प्रदेश	8313.56
19.	उत्तरांचल	486.30
20.	पश्चिम बंगाल	2382.70
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00
22.	दमन और दीव	0.00
23.	दादरा और नगर हवेली	0.00
24.	लक्षद्वीप	0.00
25.	पांडिचेरी	50.00
	कुल	39668.64
	पूर्वोत्तर राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	50.65
2.	असम	3084.52
3.	मणिपुर	31.76
4.	मेघालय	47.30
5.	मिजोरम	62.08
6.	नागालैंड	5.32
7.	सिक्किम	70.77
8.	त्रिपुरा	444.21
	कुल	3796.61
	कुल योग	43465.25

विवरण II

2005-06 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत कुल उपलब्ध निधियों में से उपयोग का प्रतिशत

(रु. लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल उपलब्ध निधियां*	निधियों का उपयोग	कुल उपलब्ध निधियों में से उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7473.26	7066.03	94.55
अरुणाचल प्रदेश	395.31	231.14	58.47
असम	12684.37	8164.07	64.36
बिहार	23016.40	15875.41	68.97
छत्तीसगढ़	4038.84	3740.30	92.61
गोवा	65.23	51.45	78.87
गुजरात	2797.37	2857.07	102.13
हरियाणा	1911.46	1888.51	98.80
हिमाचल प्रदेश	859.9	678.32	78.88
जम्मू-कश्मीर	895.21	703.66	78.60
झारखंड	6976.05	6518.55	93.44
कर्नाटक	5858.25	5590.36	95.43
केरल	2491.03	2420.47	97.17
मध्य प्रदेश	8838.21	8600.34	97.31
महाराष्ट्र	11807.25	10878.65	92.14
मणिपुर	261.36	111.36	42.61
मेघालय	476.44	364.07	76.41
मिजोरम	183.78	200.82	109.27
नागालैंड	246.08	253.51	103.02

1	2	3	4
उड़ीसा	7594.55	8073.92	106.31
पंजाब	930.73	638.82	68.64
राजस्थान	5676.31	4009.83	70.64
सिक्किम	232.74	247.87	106.50
तमिलनाडु	6931.46	6759.92	97.53
त्रिपुरा	1294.65	1464.19	113.09
उत्तर प्रदेश	29276.68	26779.42	91.47
उत्तरांचल	2445.84	2085.78	85.28
पश्चिम बंगाल	9856	7525.25	76.35
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69.96	7.07	10.11
दमन और दीव	86.05	-	0.00
दादरा और नगर हवेली	0	0	0.00
लक्षद्वीप	46.84	2.15	4.59
पांडिचेरी	135.2	89.22	65.99
कुल	155852.82	133877.53	85.90

*इसमें 01.04.2005 का अथशेष, केन्द्रीय रिलीज, राज्य रिलीज तथा विविध प्राप्तियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

कटे-फटे करेंसी नोट

1514. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्यिक बैंकों ने नष्ट करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितने मूल्य के कटे-फटे करेंसी नोट सौंपे;

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंकों की सभी करेंसी तिजोरियां पुराने नोटों से भरी पड़ी हैं तथा लम्बे समय से इन नोटों का निपटान नहीं किया गया है;

(ग) क्या वापस लौटाए गए ये नोट लम्बे समय से बिना नष्ट किए भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुद्रा पेटिका धारित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निर्णीत कटे-फटे नोट, जो गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को नष्ट करने के लिए हस्तांतरित किए गए थे, के कुल मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2004-06 के दौरान करेंसी चेस्ट द्वारा निर्णीत नोट

मुख्य वर्ग	1	2	5	10	20	50	100	500	1000	कुल
2004-05	215926	432799	742967	1466149	503684	1830156	1680338	249165	20350	7,141,534.00
2005-06	81208	135148	308620	332805	82469	221889	299438	62799	10673	1,535,049.00
2006-07	40817	54624	168553	287223	67927	219351	298758	109121	18912	1,265,286.00
कुल अदद	337951	622571	1220140	2086177	654080	2271396	2278534	421085	49935	9,941,869.00

मुख्य वर्ग	1	2	5	10	20	50	100	500	1000	कुल
2004-05	215926	865598	3714835	14661490	10073680	91507800	168033800	124582500	20350000	434,005,629.00
2005-06	81208	270296	1543100	3328050	1649380	11094450	29943800	31399500	10673000	89,982,784.00
2006-07	40817	109248	842765	2872230	1358540	10967550	29875800	54560500	18912000	119,539,450.00
कुल मूल्य	337951	1245142	6100700	20861770	13081600	113569800	227853400	210542500	49935000	643,527,863.00

[हिन्दी]

स्वजलधारा योजना का क्रियान्वयन

1515. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों में स्वजलधारा योजना का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत राज्य-वार कौन-कौन से जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् प्रत्येक राज्य से स्वजलधारा योजना से संबंधित कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) क्या इस योजना की निगरानी जिला स्तर पर न करके मात्र राज्य स्तर पर की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) स्वजलधारा योजना इस समय देश के 27 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को स्वजलधारा परियोजनाएं बनाने, मंजूर करने, निष्पादित करने तथा कार्यान्वित करने के लिए अधिकार सम्पन्न बनाया गया है। विशिष्ट प्रस्तावों को जिला जल एवं स्वच्छता समिति (डी.डब्ल्यू.एस.सी.)/राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) के द्वारा स्वजलधारा दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है।

(ङ) और (च) जिला स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियुक्त जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं द्वारा, अधिकारियों के फील्ड दौरों के जरिए तथा वेब साइट पर आन लाइन आंकड़े दर्ज कराने के लिए जिलों को कह कर, की जाती है। जिले से निर्वाचित संसद सदस्य की अध्यक्षता तथा जिले के सांसदों तथा विधान सभा सदस्यों की सदस्यता वाली जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति भी जिला स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करती है।

विवरण

स्वजलधारा योजना के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश	–	अदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, पू. गोदावरी, गुंटूर, करीमनगर, खम्माम, कृष्णा, कुरनुल, महबूबनगर, मेडक, नालगौंडा, निजामाबाद, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, वारंगल, प. गोदावरी।
असम	–	बारपेट, बोंगाईगांव, कछार, दरांग, गोआलपाड़ा, गोलाघाट, हैलाकांडी, कामरूप, करीमगंज, मोरीगांव, नागांव, नलबाड़ी, शिवसागर, तिनसुकिया।
छत्तीसगढ़	–	बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर, चांपा, जसपुर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनंदगांव, सरगुजा।
दादरा एवं नगर हवेली		
गुजरात	–	अहमदाबाद, आनंद, बनासकांठा, भड़ौच, भावनगर, जूनागढ़, खेड़ा, नर्मदा, पंचमहल, पाटन, साबरकांठा, वडोदरा, वलसाड।
हरियाणा	–	अंबाला, फरीदाबाद, झज्झर, कैथल, कुरूक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, पंचकुला, रिवाड़ी, रोहतक, सोनीपत।
हिमाचल प्रदेश	–	बिलासपुर चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन।
कर्नाटक	–	बंगलौर (ग्रा.), बागलकोट, बंगलौर (श.), बेलगाम, बेल्लारी, बीदर, बीजापुर, सीआर नगर, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, दावनगेरे, धारवाड़, गडग, गुलबर्गा, हासन, हवेरी, कोडागु, कोलार, कोप्पल, मांड्या, रायचूर, शिमोगा, तुमकुर, उडुपी, उत्तर कन्नड।
केरल	–	अलप्पुजा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोट्टायम, कोझीकोड, मलप्पुरम, पलक्कड, तिरूवनंतपुरम, त्रिशुर, वायनाड।
मध्य प्रदेश	–	बालाघाट, बरवानी, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, देवास, धार, गुना, ग्वालियर, हर्दा, जबलपुर, झबुआ, कटनी, खारगौन, मांडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, टीमकगढ़, उज्जैन, विदिशा।
महाराष्ट्र	–	अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड़, बुलढाना, गढचिरौली, हिंगोली, जलगांव, जालना, कोल्हापुर, लातूर, नागपुर, नंदूरबार, नासिक, उस्मानाबाद, परभनी, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग, सोलापुर, ठाणे, वर्धा, यवतमाल।
उड़ीसा	–	अंगुल, बालासोर, बारगढ़, भद्रक, बोलांगिर, बौध, कटक, ढेंकानल, गजपति, गंजम, जाजपुर, झारसुगुडा, कालाहांडी, कांधामल, केन्द्रपाड़ा, क्योंझर, खुर्दा, कोरापुट, मलकानगिरी, मयुरभंज, नवरंगपुर, नयागढ़, पुरी, रायगडा, सम्भलपुर, सोनेपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, जगतसिंहपुर, नवपाड़ा, फुलबनी।
राजस्थान	–	बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बुंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झालवाड़, जोधपुर, करौली, कोटा, नागपुर, पाली, राजसमुंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, अलवर, बारन, बारमेड़, चुरू, गंगानगर।
तमिलनाडु	–	कोयंबटूर, कुड्डालोर, धरमपुरी, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, कन्याकुमारी, करूर, कृष्णगिरी, मदुरै, नगापट्टिनम, नामक्कल, नीलगिरी, पेराम्बुर, पुडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, सेलम, शिवगंगा, तंजावुर, थीनी, तिरूनेलवेली, तिरूवल्लूर, तिरूवन्नामलाई, तिरूवरूर, टुथुकुडी (तुतीकोरीन), तिरूचिरापल्ली, वेल्लौर, विलुपुरम, विरूधुनगर।

उत्तर प्रदेश	–	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बदायुं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबांकी, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूर्खाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गौंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ज्योतिबा फुले नगर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतापगढ़, पीलिभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी।
पश्चिम बंगाल	–	बर्द्धमान, कूचबिहार, दक्षिण दिनाजपुर, हुगली, हावड़ा, जलपाईगुड़ी, मालदा, मुर्शीदाबाद, नादिया, पश्चिम मिदनापुर, पुरूलिया, दक्षिण 24 परगना, पुर्व मिदनापुर, दार्जीलिंग, उत्तर दिनाजपुर।
उत्तरांचल	–	देहरादून, अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरगाढ़, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, हरिद्वार।
नागालैंड	–	दीमापुर, त्वेन्सांग, जुन्हेबोटो।
त्रिपुरा	–	उ. त्रिपुरा, धलाई, प. त्रिपुरा, द. त्रिपुरा।
झारखंड	–	रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा, पू. सिंहभूम, प. सिंहभूम, सरायकेला, डाल्टेनगंज, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, बोकारो, गिरीडीह, दुमका, साहेबगंज, पांकुड़, जामताड़ा, देवघर गोड्डा।
जम्मू-कश्मीर	–	अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, डोडा, जम्मू, कारगिल, कठुआ, कुपवाड़ा, लेह, पुंछ, पुलवामा, राजौरी, श्रीनगर, उधमपुर।
अरुणाचल प्रदेश	–	अपर सुबनसिरी, अपर सियांग, तिरप, लोअर, सुनबसिरी, तवांग, प. कामेंग, पू. कामेंग, पापुमपारे, क/कुमे. प. सियांग, पू. सियांग, अपर दिवांग वैली, लोअर दिवांग वैली, लोहित, चांगलांग।
पंजाब	–	अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, मोगा, पटियाला, रोपड़, संगरूर।
बिहार	–	पटना, वैशाली, पू. चम्पारण, भागलपुर, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर (भभूआ), कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लक्खीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नबादा, प. चम्पारण, पू. चम्पारण, पुर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल।
मेघालय	–	पू. खासी हिल्स, प. खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, पू. गारो हिल्स, प. गारो हिल्स, द. गारो हिल्स।
मिजोरम	–	सैहा, सरच्छिप, ममित, आइजाल, लुंगलेई।
सिक्किम	–	उ. सिक्किम, गंगटोक, द. जिला, सिक्किम प.।

[अनुवाद]

राजस्व वसूली

1516. श्री ए. साईं प्रताप: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 हेतु और दिसम्बर, 2006 तक प्रत्येक राज्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितना राजस्व एकत्रित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, वर्ष 2005-06 के लिए प्रत्येक राज्य से संग्रहित राजस्व संलग्न विवरण-I में दिया गया है। दिसम्बर, 2006 तक के उसी तरह के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, राज्य-वार राजस्व के आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते हैं।

(ख) वर्ष 2005-06 और दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को आवंटित और जारी धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष कर के रूप में एकत्रित राजस्व

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यों से प्रत्यक्ष कर के रूप में एकत्रित राजस्व
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6693.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.61
3.	असम	1596.12
4.	बिहार	595.95
5.	छत्तीसगढ़	1202.72
6.	गोवा	1083.12
7.	गुजरात	6187.82
8.	हरियाणा	2211.99
9.	हिमाचल प्रदेश	234.76
10.	जम्मू-कश्मीर	243.91
11.	झारखंड	979.19
12.	कर्नाटक	14075.68
13.	केरल	1694.46
14.	मध्य प्रदेश	2252.06
15.	महाराष्ट्र	60657.07
16.	मणिपुर	5.02
17.	मेघालय	40.30
18.	मिजोरम	0.35
19.	नागालैंड	5.00
20.	उड़ीसा	2415.06
21.	पंजाब	1692.02
22.	राजस्थान	2162.01
23.	सिक्किम	14.24
24.	तमिलनाडु	10764.05
25.	त्रिपुरा	31.95
26.	उत्तर प्रदेश	3235.24
27.	उत्तरांचल	9142.43
28.	पश्चिम बंगाल	7563.64

विवरण II

वर्ष 2005-06 और वर्ष 2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक) के दौरान राज्य सरकारों को जारी किए गए संघीय करों और शुल्कों में से राज्य का हिस्सा

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	6950.86	5371.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	272.15	210.24
3.	असम	3056.78	2362.14

1	2	3	4
4.	बिहार	10420.59	8052.39
5.	छत्तीसगढ़	2507.82	1937.88
6.	गोवा	244.7	189.18
7.	गुजरात	3372.43	2605.95
8.	हरियाणा	1015.77	784.89
9.	हिमाचल प्रदेश	493.26	381.24
10.	जम्मू-कश्मीर	1135.26	859.95
11.	झारखंड	3175.89	2454.12
12.	कर्नाटक	4213.42	3255.93
13.	केरल	2518.20	1945.98
14.	मध्य प्रदेश	6341.35	4900.23
15.	महाराष्ट्र	4721.81	3648.60
16.	मणिपुर	342.09	264.33
17.	मेघालय	350.57	270.81
18.	मिजोरम	225.83	174.51
19.	नागालैंड	248.50	192.06
20.	उड़ीसा	4876.75	3768.39
21.	पंजाब	1227.45	948.51
22.	राजस्थान	5300.08	4095.63
23.	सिक्किम	214.5	165.78
24.	तमिलनाडु	5012.75	3873.51
25.	त्रिपुरा	404.38	312.39
26.	उत्तर प्रदेश	18202.93	14066.19
27.	उत्तरांचल	887.32	685.71
28.	पश्चिम बंगाल	6668.33	5153.04

[हिन्दी]

लाकर सुविधा संबंधी दिशानिर्देश

1517. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों में लाकर सुविधा हेतु कतिपय नए दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए दिशानिर्देशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से प्रतिसूचना आमंत्रित करते हुए 4 दिसम्बर, 2006 को सेफ डिपोजिट लाकर/सेफ कस्टडी आर्टिकिल फैसिलिटी देने के संबंध में अनुदेशों का मसौदा अपनी वेबसाइट पर दिया था। इन मार्गनिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, लाकर आबंटित करना, सेफ डिपोजिट लाकरों के संबंध में सुरक्षा संबंधी पहलू, उत्तरजीवी (उत्तरजीवियों)/नामित (नामितियों)/कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों), आदि के लिए सेफ डिपोजिट लाकरों तक पहुंच/उन्हें सेफ कस्टडी आर्टिकिल वापस करना, आदि शामिल हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों से उनकी प्रतिक्रिया संबंधी सूचना प्राप्त हुई है और अब वह नए मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों द्वारा पनधारा लक्ष्यों का पुनर्आबंटन

1518. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने स्थानीय स्थितियों के अनुसार जिला स्तर पर पनधारा लक्ष्यों का पुनर्आबंटन करने हेतु स्वयं को प्राधिकृत करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है/की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एसोसिएशन की मांग

1519. श्री सुदाम मरन्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** 15 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1835 तथा 24 फरवरी, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 912 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित सूचना/ब्यौरा एकत्रित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एसोसिएशन की मांग कब तक पूरी कर दी जाएगी; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) संबंधित अभिकरणों से सम्पूर्ण सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और उनके साथ मामले को उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1520. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किए गए कार्य तथा इसके अंतर्गत आबंटित निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार किन-किन जिलों में यह योजना पूरी नहीं हुई है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) देश में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था जिसका 1991 में नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया था तथा फिर 1999 में पेयजल आपूर्ति विभाग बनाया गया था ताकि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए मिशन दृष्टिकोण पर नए सिरे से ध्यान दिया जा सके। ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में मिशन त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चलाता है ताकि निम्नलिखित विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी जा सके:-

* कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों और ग्रामीण विद्यालयों को कवर करना;
* मौजूदा ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन एवं रख-रखाव करना;
* जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान करना और जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना;
* स्थायित्व संबंधी परियोजनाएं शुरू करना;
* अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू करना;
* सूचना, शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन विकास क्रियाकलाप शुरू करना तथा प्रबंधन आसूचना प्रणाली शुरू करना ताकि क्षेत्र में विभिन्न क्रिया-कलापों का नियोजन, निगरानी तथा कार्यान्वयन किया जा सके।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत आबंटित निधियों और लाभान्वित बसावटों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में है। उपलब्ध जानकारी के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 41.55 लाख हैंडपम्प, लगभग 15.77 लाख पब्लिक स्टैण्डपोस्ट, लगभग 1.60 लाख लघु-पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं तथा 45000 बहु-ग्राम योजनाएं हैं। 10वीं योजना के दौरान अब तक 312164 बसावटों को कवर कर लिया गया है तथा इनमें कवर न की गई बसावटें, निचली श्रेणी में गई बसावटें तथा जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटें शामिल हैं।

विवरण

2006-07 के दौरान आबंटित निधियों तथा कवर की गई बसावटों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटित निधियां	कवर की गई बसावटें
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26376.08	4422
2.	बिहार	26932.00	8353

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	8024.00	5709
4.	गोवा	259.00	1
5.	गुजरात	20837.56	1213
6.	हरियाणा	6446.63	387
7.	हिमाचल प्रदेश	11126.86	1335
8.	जम्मू-कश्मीर	26944.79	41
9.	झारखंड	9526.00	1350
10.	कर्नाटक	34605.40	2222
11.	केरल	7441.00	812
12.	मध्य प्रदेश	25245.00	8009
13.	महाराष्ट्र	44603.00	2003
14.	उड़ीसा	19082.00	4894
15.	पंजाब	6227.00	555
16.	राजस्थान	66036.68	6785
17.	तमिलनाडु	14892.00	5084
18.	उत्तरांचल	7693.00	1480
19.	उत्तर प्रदेश	37117.00	8901
20.	पश्चिम बंगाल	30363.00	490
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	65.73	31
22.	चंडीगढ़*	5.46	–
23.	दादरा और नगर हवेली	22.92	9
24.	दमन और दीव	13.53	असूचित
25.	दिल्ली*	13.00	–
26.	लक्षद्वीप	3.64	असूचित
27.	पांडिचेरी	104.72	42
28.	अरुणाचल प्रदेश	10509.00	68
29.	असम	22027.00	1437
30.	मणिपुर	3588.00	105
31.	मेघालय	4142.00	356
32.	मिजोरम	2962.00	38
33.	नागालैंड	3054.00	14
34.	सिक्किम	1256.00	85
35.	त्रिपुरा	4121.00	93
	कुल	481666.00	66324

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का आगम

1521. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पास देश में विदेशी मुद्रा के आगम की निगरानी एवं तालिका-बद्ध करने हेतु पर्याप्त तंत्र और प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक देशवार आधार पर विदेशी मुद्रा के आगम का आंकड़ा एकत्रित करता है और उसको तालिका-बद्ध करता है;

(ग) यदि नहीं, तो भारतीय रिजर्व बैंक यह पता करने के लिए किस प्रकार से सूचना एकत्र करता है कि कौन-से अनिवासी भारतीय अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं;

(घ) इस बुनियादी कार्य को कुशल तरीके से करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक किस सीमा तक सुसज्जित है;

(ङ) उन अनिवासी भारतीयों को सहायता पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है जो वस्तुत: वैधानिक बैंकिंग चैनल के माध्यम से देश में विदेशी मुद्रा भेजते हैं;

(च) क्या रकम अवैध चैनलों के माध्यम से भी भेजी जा रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत में विदेशी मुद्रा के कुल अंतर्वाहों और भारत से होने वाले बहिर्वाहों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत के समग्र भुगतान सन्तुलन के एक भाग के रूप में संकलित और प्रचारित-प्रसारित किया जाता है। ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के "बैलेंस आफ पेमेन्ट मैनुअल, पांचवां संस्करण" में यथानिर्धारित अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार संकलित किए जाते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखे जाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में भी प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के स्रोतों को भी प्रकाशित करता है।

(ख) से (ङ) समग्र भुगतान सन्तुलन अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुसार संकलित और प्रचारित-प्रसारित किया जाता है, जहां देश-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मासिक बुलेटिन में अनिवासी जमाराशियों से संबंधित लिखत-वार ब्यौरा मुहैया कराता है। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित भारतीयों से निजी अन्तरणों के रूप में प्राप्त विप्रेषणों को तिमाही भुगतान-संतुलन सांख्यिकी के भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस बुनियादी कार्य को करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय रिजर्व बैंक अनिवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विदेशी मुद्रा के विप्रेषणों की प्रक्रियाओं और नियमों की समीक्षा और सरलीकरण के कार्य में सतत् आधार पर लगा है।

(च) और (छ) अवैध मार्गों से आने वाले विप्रेषण मुक्त कार्यकलाप होते हैं जिनके संबंध में कोई ठोस आंकड़े नहीं रखे जा सकते। तथापि, प्रवर्तन निदेशालय सतत् आधार पर निवारक सतर्कता बनाए रखता है और अवैध गतिविधियों की समस्या का समाधान करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 को प्रवर्तित करता है।

राज्य कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण

1522. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियां जारी करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि राज्य कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण हेतु स्कीम एन.ई.जी.ए.पी. (राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्य योजना) में तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस परियोजना पर 37 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत उठाई है तथा उन्होंने भारत सरकार से इस पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत को वहन करने का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया था कि सी.एम.पी. द्वारा सप्लाई किए गए साफ्टवेयर विकास और हार्डवेयर की लागत का 90 प्रतिशत, एस.टी.पी.आई. द्वारा आपूर्तित नेटवर्क हार्डवेयर की लागत का 50 प्रतिशत को वहन करने का अनुरोध किया है। यह भी अनुरोध किया था कि सी.एम.सी. द्वारा सप्लाई किए गए साफ्टवेयर विकास और हार्डवेयर की लागत का 90 प्रतिशत, एस.टी.पी.आई. द्वारा आपूर्तित नेटवर्क हार्डवेयर की लागत का 50 प्रतिशत तथा बी.एस.एन.एल. को राज्य सरकार द्वारा अदा की गई अंतरिक्ष (स्पेस) सेगमेंट की पूरी लागत और लाइसेंस प्रभारों को भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाए।

(ङ) इस समय राज्य द्वारा उठाए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की कोई स्कीम भारत सरकार में नहीं है। तथापि, कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक स्कीम एन.ई.जी.ए.पी. के अंतर्गत अंतिम चरण में प्रक्रियाधीन है। जैसे ही स्कीम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, कर्नाटक सहित राज्य मौजूदा प्रणाली के स्तरोन्नयन तथा नेटवर्क संपर्क के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता के हकदार हो जाएंगे।

जम्मू और कश्मीर में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी

1523. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर में लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां आवंटित करने हेतु जम्मू और कश्मीर से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जम्मू और कश्मीर राज्य में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की, राज्य सरकार द्वारा अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टों में यथासूचित वर्षवार संख्या इस प्रकार है:-

	2003-04	2004-05	2005-06
स्वरोजगार के लिए लघु/समूह उद्यम लगाने के लिए सहायता प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	681	1265	918
कौशल प्रशिक्षण प्राप्त शहरी गरीबों की संख्या	838	1748	5165
मजदूरी रोजगार के अंतर्गत सृजित मानव कार्य दिनों की संख्या (लाख में)	0.08	0.29	0.00

(ख) और (ग) जम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार से एसजेएसआरवाई के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त राशियों हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत निधियां

1524. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर.जी.एन.डी.डब्ल्यू.एम.) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी धनराशि मुहैया करायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के अंतर्गत निर्धारित आबंटन मानदण्ड के आधार पर हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2006-07 के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी (सामान्य) के तहत 9663.00 लाख रु. और एआरडब्ल्यूएसपी (डीडीपी) के अंतर्गत 43.86 लाख रु. की राशि आबंटित की गई थी। कुल आबंटित राशि राज्य सरकार को रिलीज कर दी गई है। 1 फरवरी, 2007 को राज्य सरकार ने 1665 बसावटों की कवरेज के लिए अपने राज्य आबंटन से 54.09 करोड़ रु. अधिक की अतिरिक्त निधियों का अनुरोध किया है। इस पर वित्त वर्ष के अन्त में विचार किया जा सकता है बशर्ते कि विभाग के पास कोई राशि बची रहे।

स्वजलधारा के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के लिए केन्द्रीय आबंटन 1068 लाख रु. है जिसमें 1420 लाख रु. की परियोजना लागत शामिल है। इसमें से 1065.49 लाख रु. की राशि 10 जिलों के लिए प्रथम किस्त के रूप में पहले ही रिलीज कर दी गई है। राज्य सरकार ने 2854.02 लाख रु. की अधिरिक्त निधियों के लिए अनुरोध किया है। इस पर निधियां उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जांच कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार ने 213.65 लाख रु. की रिलीज का अनुरोध किया है। वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन 149.60 लाख रु. है। राज्य सरकार को वर्ष 2005-06 के दौरान रिलीज की गई 60.53 लाख रु. की राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि 2006-07 में रिलीज पर विचार किया जा सके।

[अनुवाद]

कम मूल्य के सिक्कों का परिचालन

1525. **श्री ई.जी. सुगावनम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम मूल्य के सिक्कों के परिचालन पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी मूल्य के सिक्कों को स्वीकार करने हेतु सभी एजेंसियों को अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बैंकों सहित अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठान कम मूल्य के सिक्कों को स्वीकार करने से इंकार करते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2003 और अप्रैल, 2004 में परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे बिना किसी रोक के विनिमय के लिए अथवा खातों में जमा करने के लिए सर्व साधारण के सभी मूल्यवर्ग के सिक्के स्वीकार करें। समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियां भी जारी की गई है (अंतिम 23 अक्तूबर, 2006 को जारी)।

(घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रालर मालिकों का ऋण माफ किया जाना

1526. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुरारी समिति की सिफारिशों यानि बकाया मूलधन का 70 प्रतिशत और ऋण राशि पर संचित ब्याज को माफ करने के संबंध में केरल में स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर (एस.बी.टी.) और यूनियन बैंक के नकारात्मक रवैये के कारण केरल के ट्रालर मालिकों द्वारा झेली जा रही परेशानियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ट्रालर मालिकों की शिकायतों के निवारण हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में ट्रालर मालिक मुरारी समिति की सिफारिशों से लाभान्वित हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) मुरारी समिति ने गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाली कंपनियों के लिए वित्तीय पुनर्गठन और उन्हें दी जा सकने वाली राहतों के लिए एक पैकेज की सिफारिश की है ताकि वे क्षतिपूर्ति और भविष्य में लाभप्रद आधार पर काम करने और सरकार को ऋण का भुगतान करना शुरू करने में भी सक्षम हो सकें। पैकेज में एकमुश्त निपटान के विकल्प की व्यवस्था भी की गई है। तथापि, समिति की सिफारिशों में विशेष रूप से नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीयकृत बैंकों को देय बकाया ऋण शामिल नहीं है। रिपोर्ट में केवल सरकारी ऋणों के बारे में उल्लेख है और सिफारिशें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

चूंकि गहरे समुद्र में चलने वाले अधिकांश जलयानों का वित्तपोषण पूर्व नौवहन विकास निधि समिति (एसडीएफसी) द्वारा किया गया था, इसलिए पुनरुद्धार योजना एसडीएफसी और उसकी उत्तराधिकारी संस्थाओं एससीआईसीआई और आईसीआईसीआई द्वारा दिए गए ऋणों के लिए 1997 में पूर्व भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम (एससीआईसीआई) द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा कार्यान्वित की गई थी।

गहरे समुद्र में चलने वाले अधिकांश जलपोत मालिकों ने प्रदान की गई रियायतों का लाभ प्राप्त किया था और एकमुश्त निपटान योजना के अंतर्गत बकाया मूल ऋण के 30 प्रतिशत का भुगतान करके ऋण राशि का निपटान किया था।

नाबार्ड की पुनर्वित्त योजना 1990 के अंतर्गत गहरे समुद्र में चलने वाले जलयानों का वित्तपोषण करने वाले सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों द्वारा देयराशियों का निपटान न किए जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में यह अनुरोध किया गया है कि पूर्व एससीआईसीआई द्वारा घोषित पैकेज वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित और नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्तपोषित किए गए गहरे समुद्र में चलने वाले जलपोतों पर लागू किया जाना चाहिए। अलग-अलग बैंकों को इस संबंध में अपने मानदण्डों और वाणिज्यिक विवेक के आधार पर निर्णय लेना होगा।

पीजीसीआईएल द्वारा अमरीका में पारेषण प्रणाली

1527. **श्री नवीन जिंदल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड संयुक्त राज्य अमरीका में पारेषण परियोजनाएं निष्पादित करने हेतु अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर के साथ रणनीतिक सहयोग की संभावना का पता लगा रही है जैसा कि 30 जनवरी, 2007 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या आपसी सहयोग और अन्य कार्य विधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) समझौता ज्ञापन पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने अवगत कराया है कि जनवरी, 2007 के अंतिम सप्ताह के दौरान अमेरिकन इलेक्ट्रिक पावर (एईपी), यू.एस.ए., के प्रतिनिधियों ने पीजीसीआईएल का दौरा किया और उन्हें अमेरिका के पारेषण क्षेत्र में उभरते अवसरों से अवगत कराया। एईपी ने पीजीसीआईएल को यू.एस.ए. में नई ट्रांसमिशन लाइनों के कार्यान्वयन के बारे में संयुक्त रूप से पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। पीजीसीआईएल ने ए.ई.पी. से परियोजनाओं तथा सहयोग की रीति का विवरण मांगा है।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं को बंद करना

1528. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा संभावित विद्युत उत्पादन क्षमता की प्रत्याशा का कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पर वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान बाढ़ और गाद जमने के कारण जल विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हुई है;

(ग) ऐसी प्रभावित परियोजनाओं को बंद किए जाने के कारण अनुमानत: मेगावाट में विद्युत उत्पादन में कितनी कमी आई है;

(घ) क्या इन सभी विद्युत परियोजनाओं की मरम्मत और पुन: चालू करने का काम पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां। वर्ष 2006-07 के लिए जल विद्युत स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु 1,01,000 मि. यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जनवरी, 2007 तक जल विद्युत परियोजनाओं से वास्तविक उत्पादन समनुरूप अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 12.1% अधिक रहा है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य में निम्नांकित जल विद्युत केन्द्र वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान बाढ़ और गाद से प्रभावित हुए-

वर्ष	अवधि	परियोजना का नाम	कंपनी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	ऊर्जा हानि (मि.यू.)	अभ्युक्तियां
2004-05	6.8.2004 से 16.8.2004	बास्पा-II	जे.पी. हाइड्रो पावर लि.	300	12.91	बाढ़ और नदी में अत्यधिक गाद के कारण आपातकालीन मशीन का रूकना
2004-05	अगस्त, 2004	नाथपा झाकड़ी	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	1500	549.57	पारिछू झील में दरार के कारण अत्यधिक गाद और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई।
2005-06	22.6.2005 से 29.7.2005	बासपा-2	जे.पी. हाइड्रो पावर लि.	300	44.37	बाढ़ और नदी में अत्यधिक गाद के कारण आपातकालीन मशीन का रूकना।
2005-06	25.6.2005 से 31.8.2005	नाथपा झाकड़ी	सतलुज जल विद्युत निगम लि.	1500	1653.7	पारिछू झील के ब्लाकेड में दरार के कारण अत्यधिक गाद एवं बाढ़ की समस्याएं।

(घ) और (ङ) प्रभावित परियोजनाओं के उपचारी उपाय के रूप में बंद की गई सभी यूनिटों को बाढ़ और गाद की समस्या समाप्त होने पर पुनः चालू कर दिया गया।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का पुनरुद्धार

1529. **श्री किसनभाई वी. पटेल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार कितनी विद्युत परियोजनाएं बंद पड़ी हैं;

(ख) ऐसी विद्युत परियोजनाओं को बंद करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का विचार ऐसी परियोजनाओं के पुनरुद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी परियोजनाओं के पुनरुद्धार का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) इस समय निम्नांकित 4 थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस) प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट कारणों से बंद है-

क्र.सं.	विद्युत केंद्र का नाम और क्षमता (मे.वा.)	राज्य	बंद होने के कारण
1.	बरौनी थर्मल पावर स्टेशन (2×50+2×110)	बिहार	मुख्य आर एंड एम/नवीकरण अपेक्षित है
2.	मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन (2×110)	बिहार	मुख्य आर एंड एम/नवीकरण अपेक्षित है
3.	चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (2×30)	असम	उच्च ईंधन लागत के कारण गैर-किफायती प्रचालन
4.	बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन (4×60)	असम	मुख्य आर एंड एम/नवीकरण अपेक्षित है

(ग) से (ङ) बरौनी टीपीएस- 2×110 मेगावाट (यूनिट 6 तथा 7) और मुजफ्फरपुर टीपीएस 2×110 मेगावाट का पुनरोद्धार/बहाली कार्य प्रगति पर है। बरौनी में यूनिट-6 और मुजफ्फरपुर में यूनिट-2 का मार्च, 2007 तक पुनरोद्धार होने का अनुमान है। बरौनी टीपीएस 2×50 मेगावाट (यूनिट 4 तथा 5) का पुनरोद्धार/बहाली 11वीं योजना में अनुमानित है।

चन्द्रपुर टीपीएस 2×30 मेगावाट का पुनरोद्धार/बहाली प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और गैस फायरिंग के लिए यूनिट में अपेक्षित परिवर्तन करने पर हो सकेगा। बोंगईगांव टीपीएस 4×60 मेगावाट यूनिटों का पुनरोद्धार/बहाली तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

एफडीआई का अंतर्प्रवाह

1530. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2006 तक सेक्टर-वार प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सेक्टरों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) चीन और अन्य पड़ोसी देशों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है;

(घ) चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और आगामी तीन वर्षों के लिए क्या अनुमान लगाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह में वृद्धि करने और नए सेक्टर खोलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। विश्व आर्थिक मंच के वर्ष 2006-07 के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक क्रमनिर्धारणों के अनुसार, भारत अपने स्थान के क्रम में सुधार कर उसे 43वें क्रम कर ले आया है जो ब्राजील (66), चीन (54) तथा रूस (62) से कहीं आगे है। कीर्नी में, एफडीआई विश्वास सूचकांक 2006 ने व्यवसाय विश्वास सूचकांक के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमरीका की तुलना में भारत का दर-निर्धारण ऊंचा रखा है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा एफडीआई के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। एफडीआई प्रवाहों का निर्धारण, अन्य बातों के अलावा, वैश्विक आर्थिक स्थिति, बाजार दशाओं और वैश्विक एफडीआई प्रवाहों द्वारा किया जाता है। सरकार ने एफडीआई संबंधी एक उदार तथा पारदर्शी नीति व्यवस्थित की है जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रकों में 100% तक एफडीआई स्वत: मार्ग के अंतर्गत अनुमत है। सरकारी अनुमोदनों की अपेक्षा वाले प्रस्तावों पर एफआईबीपी द्वारा एक समयबद्ध तरीके से विचार किया जाता है। आगे और उदारीकरण/यौक्तिकीकरण के लिए नीति की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उच्चांश स्वचलन के साथ एक आकर्षक तथा निवेश अनुकूल नीति तैयार करके सरकार ने निवेश अवसरों के संबंध में सूचनाप्रद प्रकाशनों के माध्यम से निवेश संवर्धन के पक्ष पर भी नवीकृत बल दिया है।

विवरण

अप्रैल, 2003 से दिसम्बर, 2006 तक एफडीआई अंतर्वाहों का वित्तीय वर्षवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए)

क्र.सं.	क्षेत्रक	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	धात्विक उद्योग	146.06	880.95	680.84	678.11	2,385.96
2.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधनशाला)	520.94	759.00	415.71	872.31	2,567.96
3.	बायलर्स और भाप उत्पादक संयंत्र	0.20	2.34	0.00	14.98	17.52
4.	इलेक्ट्रिकल को छोड़कर प्राइम मूवर्स	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
5.	इलेक्ट्रिक उपकरण (साफ्टवेयर और इलेक्ट्रानिकी सहित)	2,449.32	3,280.58	6,499.06	6,546.38	18,775.35
6.	दूर-संचार	531.95	588.41	3,023.46	2,216.68	6,360.50
7.	परिवहन उद्योग	1,417.13	815.10	982.99	1,677.34	4,892.56
8.	औद्योगिक मशीनरी	13.93	40.74	187.52	73.95	316.13
9.	मशीन टूल्स	250.75	50.73	100.25	156.78	558.51
10.	कृषि मशीनरी	0.11	0.01	415.97	114.52	530.61
11.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	0.05	0.47	231.30	4.58	236.40
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	100.07	56.73	226.21	230.34	613.33
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	40.96	62.46	111.41	20.72	235.55
14.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा एप्लायंसेज	9.26	24.05	6.72	7.89	47.92
15.	औद्योगिक उपस्कर	4.16	4.95	1.69	0.00	10.80
16.	वैज्ञानिक उपस्कर	0.07	0.14	0.45	0.34	1.00

1	2	3	4	5	6	7
17.	उर्वरक	99.29	61.90	19.31	22.82	203.33
18.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	93.69	908.68	1,979.06	671.96	3,653.38
19.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	1.35	27.62	0.00	12.60	41.57
20.	रंजक सामान	2.00	5.42	0.00	0.00	7.42
21.	औषध और भेषज	501.67	1,342.91	759.70	714.84	3,319.12
22.	कपड़ा (रंजित, प्रिंटेड सहित)	42.84	196.84	414.67	438.34	1,092.69
23.	कागज उत्पाद सहित कागज और गुदा	31.68	12.41	122.90	22.57	189.57
24.	शर्करा	0.25	13.51	13.10	70.38	97.24
25.	किण्वन उद्योग	7.82	41.64	28.57	19.87	97.90
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	510.85	174.08	182.94	221.83	1,089.71
27.	वनस्पति तेल और वनस्पति	7.79	41.03	54.00	10.03	112.85
28.	साबुन, श्रृंगार और प्रसाधन सामग्री	0.00	4.09	388.49	1.76	394.34
29.	रबर पदार्थ	29.31	184.18	150.77	83.72	447.98
30.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	32.18	2.03	4.89	35.14	74.24
31.	कांच	24.11	38.47	3.54	6.43	72.56
32.	मृत्तिका शिल्प	6.78	123.09	25.02	198.58	353.47
33.	सीमेंट और जिम्पस उत्पाद	44.04	0.73	1,969.82	952.01	2,966.59
34.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	0.50	0.31	465.64	0.00	466.45
35.	रक्षा उद्योग	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
36.	परामर्शी सेवाएं	257.13	1,166.83	206.44	487.49	2,117.89
37.	सेवा क्षेत्रक	1,235.27	2,105.53	2,565.04	17,328.58	23,234.43
38.	होटल और पर्यटन	226.80	168.85	315.59	753.21	1,464.46
39.	व्यापार	104.66	65.72	123.43	364.70	658.51
40.	विविध उद्योग	1,319.11	1,399.71	1,907.83	7,106.38	11,733.03
41.	अंतर्प्रवाह का आगम	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
42.	स्टाक अदला-बदली	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.36	17,137.87	24,612.74	42,138.15	96,006.11

टिप्पणी: 1. क्षेत्र विशिष्ट राशि में केवल एसआईए/एफआईपीबी मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग द्वारा प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल है।

2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के जरिए प्राप्त अंतर्वाह शामिल नहीं किए गए हैं।

3. अंतर्वाहों में केवल "इक्विटी पूंजी संघटक" ही शामिल है।

सरकारी कार्यालयों का एन.सी.आर. में शिफ्टिंग

1531. श्री टेकलाल महतो: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को एन.सी.आर. में स्थापित करने हेतु नया मास्टर प्लान, दिल्ली, 2021 को अधिसूचित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है और एनसीआर में इन कार्यालयों की स्थापना से कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में यह नोट किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) में केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) का कोई नया कार्यालय अवस्थित नहीं किया जाए और इसमें यह भी बताया गया है कि मौजूदा सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कार्यालयों को दिल्ली से स्थानांतरित करने तथा नए कार्यालयों को स्थापित करने पर प्रतिबंध का मुद्दा, उपयुक्त प्रोत्साहनों तथा प्रतिबंधों सहित एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के बाद ही संभव होगा।

(ख) व्यय और लाभ का ऐसा कोई मामला तैयार नहीं किया गया है।

कस्बों में पेयजल की आपूर्ति

1532. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में बड़े कस्बों में जिस पेयजल की आपूर्ति की जा रही है वह पेयजल निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जल आपूर्ति राज्यों का विषय है और यह दायित्व राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों का है कि वे शहरी आबादी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें एवं सप्लाई किए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता पर निगरानी रखें। नगरपालिकाओं द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार पेयजल आपूर्ति बहुधा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप है।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का सुनिश्चिय करने के लिए राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों के मार्गदर्शन हेतु निम्नलिखित नियम पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं:-

(1) जल आपूर्ति तथा जलशोधन नियम पुस्तिका (मई, 1999)

(2) जल आपूर्ति व्यवस्था प्रचालन तथा अनुरक्षण नियम पुस्तिका (जनवरी, 2005)

[हिन्दी]

बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी उच्चतम सीमा

1533. श्री संतोष गंगवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार घरेलू कंपनियों द्वारा विदेशों से और अधिक ऋण जुटाने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) संबंधी उच्चतम सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा के संदर्भ में सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर समग्र उच्चतम सीमा को हाल ही में 18 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 22 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया है।

[अनुवाद]

सिडबी द्वारा ग्रोथ फंड की स्थापना

1534. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्रोथ फंड की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिडबी का विचार ऐसे ग्रोथ फंड में से किन क्षेत्रों को फाइनेंस करने का है; और

(घ) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सिडबी द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और सिडबी को क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने 500 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि के साथ राष्ट्रीय स्तर की उद्यम निधि अर्थात एसएमई विकास निधि (एसजीएफ) स्थापित की है और इसके निवेश का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के मार्गनिर्देशों के अनुसार असूचीबद्ध कंपनियों/विकासोन्मुख एसएमई में परिवर्तनीय लिखतों सहित इक्विटी, इक्विटी से संबंधित लिखतों में निवेश करके मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि पूंजी में वृद्धि करना है। एसजीएफ का उद्घाटन 25 अक्तूबर, 2004 को सिडबी उद्यम पूंजी लि. (एसबीसीएल) के पास उसके निवेश प्रबंधक के रूप में सामान्य निधि के रूप में की गई थी। सिडबी के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों ने एसजीएफ की आधारभूत निधि में अंशदान किया है। प्रारंभिक चरण या प्रथम/द्वितीय चरण का वित्तपोषण करने वाली उन कंपनियों में निवेश किया जाता है, जिनकी प्रौद्योगिकी या कारोबार माडल और/या वृद्धि एवं आय का पिछला कार्यनिष्पादन रिकार्ड अच्छा होता है।

(ग) एसजीएफ फार्मा, बायो-टेक, हल्की अभियांत्रिकी, साफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विकासोन्मुख ज्ञान आधारित उद्योगों में लघु इकाइयों पर ध्यान केन्द्रित करता है।

(घ) उपर्युक्त विकास निधि के अंतर्गत, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान एसजीएफ के अंतर्गत मंजूरियां और संवितरण निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए)

	मंजूरियां	संवितरण
वित्तीय वर्ष 2005	26.00	10.50
वित्तीय वर्ष 2006	98.82	33.42

ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की कमी

1535. श्री रेवती रमन सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे कितने गांव हैं जहां पर शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में शौचालय की सुविधा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) जी, हां। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान परियोजनाओं के संबंध में बेस लाइन सर्वेक्षण करने और परियोजना कार्यान्वयन योजना रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।

(ख) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) को जिले को इकाई मानते हुए कार्यान्वित किया जा रहा है। संबंधित जिले के सभी गांवों को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) के तहत कवर किया जाता है। इस समय 572 जिले इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार ने अप्रैल, 1999 से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया है जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

* ग्रामीण क्षेत्रों में आम जीवन-स्तर में सुधार लाना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।
* जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग उत्पन्न करना।
* ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों/आंगनबाड़ियों में स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करना और विद्यार्थियों में स्वच्छता शिक्षा तथा स्वच्छता संबंधी आदतों को प्रोत्साहित करना।
* स्वच्छता के संबंध में लागत प्रभावी और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना।
* पेयजल स्रोतों और भोजन के दूषित होने के जोखिम को न्यूनतम करने के लिए खुले में शौच की क्रिया को समाप्त करना।
* शुष्क शौचालयों को पोर फ्लश शौचालयों में बदलना और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी व्यक्तियों द्वारा मैला ढोने की प्रथा है, वहां इसे समाप्त करना।

[हिन्दी]

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं संबंधी व्यय

1536. **श्री मो. ताहिर:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों में क्रियान्वित की गई केन्द्र प्रायोजित योजनाओं पर हुए वास्तविक व्यय के ब्यौरे संबंधी सूचना मांगी गई है जैसा कि 4 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि का अन्यत्र उपयोग और कम उपयोग हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सामान्य वित्तीय नियमावली के तहत वे सभी संगठन जिन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है, के लिए अपेक्षित है कि वे अभिप्रेत प्रयोजनों के लिए निर्धारित समय-सीमा में अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। चूंकि कई मामलों में ये उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराएं गए हैं, इसलिए वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी है कि अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले संगठनों को निधियों की नई धनराशि जारी करने पर रोक लगाई जाए। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को भेजने में विलम्ब कुछ मामलों में अनचाहे प्रयोजनों के लिए निधियों के अपवर्जन के कारण भी हो सकता है। इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं।

(घ) और (ङ) बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति की समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है और इस पर संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणी की जाती है जिस पर बाद में लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाता है। इस विभाग के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, मार्च, 2005 तक जारी किए गए अनुदानों के लिए अपेक्षित कुल 126,844 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 01.01.2007 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार कुल 70,713 उपयोगिता प्रमाण-पत्र ही प्राप्त हुए हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अलग-अलग केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों पर व्यय की प्रगति की मानिटरिंग वित्त मंत्रालय नहीं करता है। अत: इस मंत्रालय के पास विशेष ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

एनटीपीसी द्वारा कोयला ब्लाकों का विकास

1537. **श्री एस. राजगोपाल:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) देश में आठ कोयला ब्लाकों को विकसित करने हेतु 550 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित देश में राज्य-वार पहचान किए गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा घरेलू कंपनियों से अपनी कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष और कंपनी-वार कोयले की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया है अथवा खरीद की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लि. ने कोयला खनन कार्य पर वर्ष 2006-07 के दौरान 79.79 करोड़ रुपये तथा 2007-08 के दौरान 528.50 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है। वर्तमान में कोयला मंत्रालय ने एनटीपीसी लि. को 5 ब्लाक आबंटित किए हैं, जो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित हैं। एनटीपीसी लि. ने लगभग 45 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कोयला उत्पादन क्षमता बनाने के लिए इन कोयला ब्लाकों को विकसित करने की योजना बनाई है। एनटीपीसी लि. ने विभिन्न तकनीकी अध्ययन शुरू कर दिए हैं तथा भूमि अर्जन एवं बुनियादी विकास संबंधी कार्य भी आरंभ कर दिए हैं। उक्त ब्लाकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	राज्य/जिला	क्षमता (एमटीपीए)	तैयार परियोजना (क्षमता)
1.	पाकड़ी बरवाडीह	झारखंड/हजारीबाग	15	एनटीपीसी संयंत्र के लिए बास्केट स्रोत
2.	चत्ती बरियाटू	झारखंड/हजारीबाग	5	एनटीपीसी का (1320 मेगावाट) बाढ़ एसटीपीपी चरण-II
3.	केरांद्री	झारखंड/हजारीबाग	5	
4.	तलीपल्ली	छत्तीसगढ़/रायगढ़	15	एनटीपीसी का लारा इंटीग्रेटिड पावर प्रोजेक्ट (4000 मेगावाट)
5.	दुलांगा	उड़ीसा/सुंदरगढ़	5	दरलीपल्ली इंटीग्रेटिड पावर प्रोजेक्ट (3200 मेगावाट)

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने झारखंड के निम्नलिखित दो ब्लाक भी एनटीपीसी लि. और कोल इंडिया लि. के बीच 50:50 के अनुपात में संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में प्रचालन हेतु आरक्षित किए हैं।

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	राज्य/जिला	क्षमता (एमटीपीए)	तैयार परियोजना (क्षमता)
1.	ब्राह्मणी	झारखंड	15	एनटीपीसी के फरक्का और कहलगांव परियोजनाएं
2.	चिचरो पत्सीमाल	दुमका		

(ग) एनटीपीसी ने 2005-06 के कोयले का आयात शुरू किया जिसे एमएमटीसी तथा एसटीसी के जरिए कार्यान्वित किया गया। वर्षवार व कंपनी-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

(मिलियन टन)

वर्ष	भारतीय पत्तनों में आयातित कोयले की मात्रा		
	एमएमटीसी	एसटीसी	कुल
2005-06	2.117	1.205	3.322
2006-07 (फरवरी, 2007 तक)	0.00	2.292	2.292
कुल	2.117	3.497	5.614

एनटीपीसी द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय कंपनियों से प्राप्त कोयले के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(मिलियन टन)

कोयला कंपनी	2006-07* (फरवरी, 07 तक)	2005-06	2004-05	2003-04
1	2	3	4	5
ईसीएल	12.63	12.94	12.59	12.37
बीसीसीएल	3.25	3.69	3.15	2.21

1	2	3	4	5
सीसीएल	10.78	9.64	9.77	8.98
एमसीएल	22.00	22.10	20.14	16.45
एसईसीएल	11.20	12.34	12.06	11.88
डब्ल्यूसीएल	0.95	1.19	0.00	1.84
एनसीएल	28.20	29.17	25.42	24.34
एनईसी	0.10	0.15	0.00	0.00
कुल कोल इंडिया लि. (सीआईएल)	89.12	91.21	83.13	78.07
एससीसीएल	9.62	10.59	10.44	8.41
कुल योग	98.738	101.80	93.57	86.48

*2006-07 के दौरान कोयला आपूर्ति बदरपुर सहित।

राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट

1538. डा. के.एस. मनोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी कम्बाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट, केरल का परियोजना कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का कायमकुलम पावर प्रोजेक्ट वर्तमान में विद्युत उत्पादन कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एनटीपीसी लि. की राजीव गांधी संयुक्त विद्युत परियोजना (आरजीसीसीपीपी) चरण-I इस समय प्रचालनाधीन है। एनटीपीसी लि. का ईंधन के रूप में एलएनजी/प्राकृतिक गैस पर आधारित कायमकुलम स्थित चरण-II में 1950 मेगावाट क्षमता जोड़कर अपनी वर्तमान नाप्था फायर्ड आरजीसीसीपीपी का विस्तार करने का प्रस्ताव हैं।

7584.51 करोड़ रुपये (2002 की तीसरी तिमाही एवं गैर मेगा के आधार पर) की अनुमानित लागत के साथ 1950 मेगावाट चरण-II विस्तार की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) फरवरी, 2003 में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के माध्यम से ईंधन के रूप में पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी)/प्राकृतिक गैस मंगाई जाएगी, तैयार की गई। तथापि, जब एनटीपीसी ने आरएलएनजी/एनजी की खरीद के आईसीबी प्रक्रिया का अनुसरण किया तब कोई संपूर्ण बोली प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि मै. पैट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) से इसके प्रस्तावित कोच्चि टर्मिनल से 2.5 मिलियन टन प्रति वर्ष/तरलीकृत सुनिश्चित की जा रही प्राकृतिक गैस (एलएनजी) में से कायमकुलम में सीसीपीपी (चरण-I एवं II) 2.1 एमटीपीए एनटीपीसी लि. को बेची जाएगी।

इस परियोजना के लिए भूमि पहले से उपलब्ध है। इसके लिए राज्य सरकार से जल की उपलब्धता, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से क्लीरियेंस तथा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र सिद्धांत रूप में उपलब्ध है।

वर्ष 2006-07 के लिए आरजीसीसीपीपी चरण-II के लिए कोई वित्तीय आबंटन नहीं किया गया है। तथापि, आरजीसीसीपीपी चरण-I के लिए एक करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) और (घ) आरजीसीसीपीपी चरण-I ने अप्रैल, 2006 से फरवरी, 2007 तक 918 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन किया।

कस्बों के विकास हेतु धनराशि आबंटन

1539. श्री हितेन बर्मन: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में उन कस्बों के क्या नाम हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) आबंटित धनराशि में से कितनी धनराशि खर्च की गई है और इसमें से कितनी धनराशि खर्च नहीं की गई है तथा इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

आयकर प्रतिदाय फर्जीवाड़ा

1540. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:**
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर प्रतिदाय फर्जीवाड़ा सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे फर्जीवाड़े में अन्तर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फर्जीवाड़े में आयकर के अनेक अधिकारियों को संलिप्त पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या विभाग की मिलीभगत से चल रही जांच के कारण ऐसे फर्जीवाड़ों में संलिप्त आयकर अधिकारी खुले आम घूम रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ज) क्या सरकार समुचित जांच हेतु आय कर फर्जीवाड़े की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति, जिसने प्रतिदाय, धोखाधड़ी के स्वरूप एवं मात्रा की जांच की, ने बताया है कि दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर और भुवनेश्वर से प्रतिदाय धोखाधड़ी की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस प्रकार जानकारी में आए धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. दिल्ली में एक मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार में 158 प्रतिदाय जाली पाए गए जिनमें 56.54 लाख रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी।

2. कुल 1.07 करोड़ रुपए के जाली प्रतिदाय दिल्ली में दूसरे मुख्य आयकर आयुक्त प्रभार में 25 फर्जी कंपनियों को जारी होने का पता चला।

3. दिल्ली में एक सर्किल से 1.66 करोड़ रुपए के प्रतिदायों के जारी होने का पता चला जिसका उन मामलों पर वस्तुत: क्षेत्राधिकार नहीं है जिनके पक्ष में प्रतिदाय जारी किए गए।

4. चेन्नई में 28 मामलों में प्रतिदाय ऐसे मामलों में जारी किए गए जहां प्रतिदाय देय नहीं था या पहले ही जारी हो चुका है।

5. चेन्नई से सूचित 22 मामलों में, जाली कर भुगतान चलानों अथवा प्रमाणपत्रों के आधार पर वास्तविक से अधिक प्रतिदाय के दावे किए गए।

6. 110 मामलों में, चेन्नई में प्रतिदाय क्षेत्राधिकार के बिना अथवा फर्जी कर निर्धारितियों को जारी किए गए पाए गए।

7. बंगलौर में आयकर विभाग का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी फर्जी प्रतिदाय का दावा करने हेतु जाली कर भुगतान चालान बनाने में संलिप्त पाया गया।

8. भुवनेश्वर से जाली टीडीएस प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रतिदाय दावे के छिटपुट मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

तथापि, प्रतिदायों के फर्जी नकदीकरण के और भी मामले हो सकते हैं जिनकी स्थानीय रूप से जांच की गई है तथा बोर्ड/ समिति की जानकारी में न लाये गये हों।

(ग) जी, हां।

(घ) समूह 'क' का कोई अधिकारी किसी प्रतिदाय फर्जीवाड़े में संलिप्त नहीं पाया गया है। समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के उन्नीस अधिकारी/कर्मचारी प्रतिदायों को कपटपूर्ण तरीके से जारी करने संबंधी मामलों में फंसे हुए हैं।

(ङ) प्रतिदाय फर्जीवाड़ों में फंसे अधिकारियों के विरुद्ध कुछ मामलों में सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है तो कुछ मामलों में संबंधित राज्य सरकारों के आर्थिक अपराध स्कंध द्वारा और शेष मामलों में स्वयं आयकर विभाग द्वारा जांच की जा रही है। कुछ मामलों में भारी अर्थदंड तथा निलंबन सहित अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त, कई मामलों में आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है।

(च) जी, नहीं। विभाग की मिली-भगत से चल रही किसी जांच के कारण प्रतिदाय फर्जीवाड़े में फंसे किसी आयकर अधिकारी को बक्शा नहीं गया है।

(छ) उपर्युक्त पैरा (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ज) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ मामलों में सी बी आई पहले से ही जांच कर रही है और अन्य मामलों में भी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित जांच पहले से ही की जा रही है अत: इस समय प्रतिदाय फर्जीवाड़ों के सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(झ) उपर्युक्त पैरा के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्रमुख महानगरीय शहरों में आवासों का निर्माण

1541. श्री रामदास आठवले: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख महानगरीय शहरों विशेषकर दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में आवासों के निर्माण हेतु कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चैन्ने जैसे बड़े महानगरों सहित 63 चुनिंदा नगरों में स्लमों में आवास व्यवस्था करने और शहरी गरीबों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं देने हेतु सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है। जो नगर और कस्बे इस मिशन में शामिल नहीं हैं उनमें स्लम बस्तियों के आवास समस्या को हल करने तथा नागरिक सुविधाएं देने के लिए एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कम मूल्य वाले सिक्कों की तस्करी

1542. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर पूर्वी राज्यों से कम मूल्य वाले सिक्कों को अवैध रूप से विदेशों में भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) ऐसा कोई दृष्टान्त ध्यान में नहीं आया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत शून्य समझा जाये।

(ग) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को इस संबंध में कड़ी निगरानी रखने के लिए सुग्राही बनाया गया है।

[अनुवाद]

विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति

1543. श्री रघुनाथ झा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण विद्यालयों में पेयजल सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्य-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(घ) क्या बहुत से राज्यों में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) पेयजल राज्य का विषय है और ग्रामीण बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस दिशा में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के लिए, राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात् राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी मदद दी जाती है। विद्यालय कवरेज के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं, तथापि, राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि एआरडब्ल्यूएसपी तथा अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध निधियों से ग्रामीण विद्यालयों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता दें। राज्य अपने स्तर पर इन्हें नियोजित तथा कार्यान्वित करने के लिए सक्षम हैं। केन्द्र तथा राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां एकत्र करके दसवीं योजना अवधि के दौरान सभी विद्यालयों को कवर करने की परिकल्पना की गई थी।

(ख) से (घ) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2002-03	35030	30017
2003-04	78554	42155
2004-05	66273	20040
2005-06	140000	72464
2006-07*	–	40601
10वीं योजना	319857	205277

*31.1.2007 की स्थिति के अनुसार

(ङ) कुछ राज्यों द्वारा पूरी कवरेज प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यालय दुर्गम तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित बसावटों में हैं जहां पहुंचना एक समस्या है। आगे, विरल आबादी तथा सुरक्षित स्रोत की अनुपलब्धता प्रति व्यक्ति लागत को काफी ऊंचा बनाती है। कवरेज की स्थिति बदलती रहती है क्योंकि बहुत से विद्यालय जो पहले कवर कर लिए गए थे वे स्रोतों के सूख जाने के कारण, छात्रों की संख्या में वृद्धि, खराब रख-रखाव इत्यादि के कारण पेयजल की कमी का सामना करते हैं।

दसवीं योजना अवधि के दौरान अब तक की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) नियमित समीक्षा के अलावा, विभाग सभी ग्रामीण विद्यालयों को पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ सहयोग कर रहा है।

विवरण

दसवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विद्यालयों की कवरेज का लक्ष्य और कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज	लक्ष्य	कवरेज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1951	47	1951	1768	4673	433	3600	1391		573
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	125	80	150	452	306	500	347		147
3.	असम	1200	2123	2123	714	2123		10000	1838		41
4.	बिहार	686		686	0	686	0	11000	350		111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़	1448	1137	5928	4569	4500	3511	4000	3996		2394
6.	गोवा	37		100		100	0	300	0		
7.	गुजरात	800	600	600	645	600	625	1000	2099		715
8.	हरियाणा	76	100	0		0		2000	917		2510
9.	हिमाचल प्रदेश	350	350	350	350	350	350	3000	2476		0
10.	जम्मू-कश्मीर	381		381	153	381	473	5000	3501		
11.	झारखंड	500	444	9527	2334	5473	1285	4000	541		
12.	कर्नाटक	1500		11889	10516	9333	663	20000	7015		8667
13.	केरल	114	86	114	76	114	506	4000	114		214
14.	मध्य प्रदेश	5000	4010	12000	9188	4000	6155	20494	12421		3083
15.	महाराष्ट्र	2287	2875	2287	2533	5939	1889	10000	5154		1172
16.	मणिपुर	440	47	440		440		500	0		
17.	मेघालय	70		70	73	70	66	600	650		57
18.	मिजोरम	100	16	583	96	400	56	2000	685		1185
19.	नागालैंड	50	125	100	62	100	44	600	36		9
20.	उड़ीसा	1500	6000	10000	0	10000		6000	9476		2018
21.	पंजाब	1650	1023	1200	397	2473	740	2500	293		54
22.	राजस्थान	2500	2500	2500	2092	4000		7500	8736		8002
23.	सिक्किम	50	40	50	40	67	67	81	51		0
24.	तमिलनाडु	6000	6064	5358	3780	269	269	0	5		2570
25.	त्रिपुरा	200	467	500	395	0	216	300	276		72
26.	उत्तर प्रदेश	3811		3811		3811	883	11000	4738		5824
27.	उत्तरांचल	229		3852	357	3852		5000	2361		858
28.	पश्चिम बंगाल	2000	1800	2000	1859	2000	1500	5000	2970		325
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	27		12	0	35		24	12		
30.	दादरा और नगर हवेली	38	38	38	8	8	3	0	14		
31.	दमन और दीव	0		0		0		1	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	दिल्ली	0		0		0		0			
33.	लक्षद्वीप	0		0		0		0			
34.	पांडिचेरी	24		24		24		0			
	कुल	35030	30017	78554	42155	66273	20040	140000	72464		40601

*कवरेज राज्यों द्वारा 28.2.2007 को दी गई जानकारी के अनुसार 31.1.2007 तक की है।

नोट: लक्ष्य भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण बसावटों की कवरेज के लिए प्राथमिकता के कारण 2006-07 के दौरान निर्धारित नहीं किए गए।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

1544. श्री राम कृपाल यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एन एन सी) द्वारा कितनी धनराशि का कर अपवंचन किया जा रहा है;

(ख) 1 अप्रैल, 2006 से बकाए के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कर की कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार शेष बकाया धनराशि कितनी है; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों से करों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए है/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत

1545. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए ऋण नीति की समीक्षा करने के लिए बैंकों को निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने ऋण नीति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त नीति को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) बैंक प्राकृतिक आपदाओं के कारण जिन किसानों की चुकौती क्षमता में क्षति पहुंचती है, को समय-समय पर आवश्यक राहत प्रदान करते हैं और इस संबंध में बैंकों को स्थायी अनुदेश दे दिए गए हैं। आपदाग्रस्त किसानों को ऋण की अवधि में वृद्धि कर चालू मांग का स्थगन/पुनर्निर्धारण सुविधा दी जा सकती है। आस्तियों की पूर्ण/आंशिक हानियों के मामले में आस्ति को पुनरुज्जीवित करने/प्रतिस्थापित करने के लिए बैंक नए ऋण दे सकते हैं। बैंकों को ऋणों के स्थगन एवं सावधि ऋणों के पुनर्निर्धारण की संस्वीकृति करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना से मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सूचना होती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 18.06.2004 को एक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, ''आपदाग्रस्त किसानों'' के लिए ऋण पुनर्गठन उपाय शामिल हैं। इसमें उन किसानों के ऋणों के पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन की व्यवस्था है, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा यथा घोषित आपदा प्रभावित जिलों में लगातार सूखे, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पादन एवं आय में हानि हुई है। बकाया ब्याज को 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार बकाया मूलधन के साथ जोड़ा जाता है तथा इस प्रकार जोड़ी गई राशि को 2 वर्ष के अधिस्थगन के साथ चालू ब्याज दर पर 5 वर्षों की अवधि में लौटाया जाना है।

इसके अतिरिक्त, चार राज्यों नामत: महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) तथा केरल (03) के 31 ऋणग्रस्त जिलों में किसानों के लिए घोषित पैकेज में यह व्यवस्था की गई है कि दिनांक 1.7.2006 तक की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज को माफ कर दिया जाएगा तथा इन अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारित किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड ने बैंकों को उपर्युक्त के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

खुदरा ऋण का संवितरण

1546. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान पर्सनल/खुदरा ऋण की धनराशि को बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निजी और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पर्सनल/खुदरा ऋण के रूप में अलग-अलग कितनी धनराशि संवितरित की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। 31 मार्च, 2006, 2006 एवं 31 दिसम्बर, 2006 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो-जिसमें आवास ऋण, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, क्रेडिट कार्ड प्राप्य राशियों, आटो ऋण एवं अन्य वैयक्तिक ऋण शामिल हैं, में बकाया ऋण निम्नांकित है:-

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	मार्च, 2005	मार्च, 2006	दिसम्बर, 2006
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,55,540	2,12,445	2,50,680
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	80,746	1,24,916	1,62,625

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

1547. श्री अजीत जोगी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अनुसंधान एवं विकास पर कितनी धनराशि आवंटित की गई और खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी योजनाओं हेतु वार्षिक आवंटन बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) नवीनतम सरकारी आंकड़ों में वर्ष 2002-03 में अनुसंधान एवं विकास पर किए गए खर्च संबंधी जानकारी दी गई है। तदनुसार वर्ष 2000-2001 से 2002-2003 तक संगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आबंटित निधियों और अनुसंधान और विकास पर किएगए खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना आबंटन 9वीं योजना में 12,002 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10वीं योजना में 25,243 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 11वीं योजना में सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए संसाधनों के अधिक आबंटन का प्रस्ताव किया है।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी निधि आबंटन और वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और विकास व्यय

(करोड़ रुपये में)

विभाग/एजेंसी	2000-01		2001-02		2002-03	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
परमाणु ऊर्जा विभाग	1612.3	1005.5	1524.1	1115.6	1795.0	1234.7
महासागर विकास विभाग	106.2	84.2	151.8	118.7	174.3	139.6

1	2	3	4	5	6	7
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	755.7	311.5	792.3	370.5	931.5	509.5
डी.एस.आई.आर./सी.एस.आई.आर.	910.6	864.1	927.7	892.3	985.0	951.3
अंतरिक्ष विभाग	1908.5	1905.4	1909.4	1901.0	2163.9	2163.4
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	150.9	120.6	185.5	141.0	220.8	167.8

नोट:

1. आबंटन-विज्ञान और प्रौद्योगिकी आबंटन (संशोधित आकलन)
2. व्यय-केवल अनुसंधान और विकास व्यय
3. नवीनतम सरकारी आंकड़ों में केवल वर्ष 2002-03 में विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए गए खर्च संबंधी जानकारी दी गई है।

स्रोत: व्यय बजट (विभिन्न वर्ष) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार अनुसंधान और विकास सांख्यिकी 2004-05, भारत सरकार

[अनुवाद]

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं को आवंटित धनराशि

1548. श्री मोहन रावले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के शहरी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत 50,000 करोड़ रु. आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 63 शहरों के नगर निगमों की ऋण योग्यता का आकलन करने हेतु चार रेटिंग एजेंसियों का चयन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन इसके दो उपमिशनों अर्थात् शहरी अवस्थापना तथा शासन (उपमिशन-1) तथा शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (उपमिशन-2) और दो बहुप्रयोजनीय स्कीमों अर्थात् छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के लिए 50,000 करोड़ रुपये की रकम दी गई है। इस मिशन की अवधि 2005-06 से शुरू होकर 7 वर्ष है।

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरूआत से अब तक इस मिशन में शामिल 63 नगरों में से 62 नगरों ने शहरी शासन तथा विकास के लिए अपने दीर्घावधिक दृष्टिकोण और लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए व्यापक नगर विकास योजनाएं तैयार कर ली हैं। इन योजनाओं में जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने की व्यवस्था जैसी नगरवार शहरी अवस्थापना सेवाओं के प्रावधान पर विशेष ध्यान देते हुए निवेश योजनाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 44 नगरों में दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधारों को कार्यान्वित करने हेतु समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया है। उपमिशन-1 के अंतर्गत 36 नगरों के लिए 15332.62 करोड़ रुपये की लागत वाली 182 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। 63 नगरों के शहरी स्थानीय निकायों की ऋण चुकता करने संबंधी साख का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित चार एजेंसियों का चयन किया गया है:-

1. क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लि., नई दिल्ली
2. आई.सी.आर.ए. लि., गुड़गांव
3. सी.आर.आई.एस.आई.एल. लि., नई दिल्ली
4. फिच रेटिंग इंडिया प्रा.लि., नई दिल्ली

[हिन्दी]

कारपोरेट घरानों के विरुद्ध मामले

1549. **श्री मोहन सिंह:**
श्रीमती सी.एस. सुजाता:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे कारपोरेट घरानों/व्यक्तियों का ब्यौरा क्या हैं जिन पर 31 दिसम्बर, 2005 तथा 31 दिसम्बर, 2006 तक आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा शुल्क तथा सेवा कर के रूप में दस करोड़ रुपये से अधिक बकाया है;

(ख) सरकार द्वारा इस धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) न्यायालय के मामलों के कारण कितने कारपोरेट घरानों/व्यक्तियों से बकाया धनराशि की वसूली किया जाना बाकी है;

(घ) क्या इन मामलों के न्यायालय से बाहर निपटारे के लिए कोई गैर-न्यायिक प्रणाली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) 31.12.2005 और 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार आयकर के साथ-साथ अप्रत्यक्ष करों के कुल बकाया के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

शुल्क का शीर्ष	बकाया की कुल राशि (करोड़ रुपए में)	
	31.12.2005 को	31.12.2006 को
आयकर	84,662.00	95,698.00
सीमा शुल्क	14,612.26	5,870.54
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	4,730.90	18,674.04
सेवा कर	650.29	1,257.48

देश में कारपोरेट घरानों/व्यक्तियों जिनके विरुद्ध 31 दिसम्बर, 2005 और 31 दिसम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क के रूप में दस करोड़ रुपए से अधिक की बकाया के ब्यौरे अत्यधिक बोझिल होंगे और इनके संग्रहण/संकलन में अंतर्ग्रस्त समय और श्रम प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) बकाया की वसूली एक सतत प्रक्रिया है। सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए बहुत से कदम उठाए हैं जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बकाया से अधिकांश वसूली करने के लिए बहु-आयामी रणनीति विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए कार्य बलों का गठन शामिल है।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है करों की बकाया की वसूली और परिशोधन के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं- ऐसे मामलों की पहचान करना जिनमें बकाया की वसूली विशेष प्रयासों के माध्यम से वित्तीय वर्ष के दौरान की जा सकती है; आयुक्तों (अपील) और आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित ऊंची मांग के मामलों की पहचान करना, विशेष रूप से वे जिनमें अपील के निपटान पर मांग के अधिकांश कर वसूल होने की संभावना है और आयुक्तों (अपील) को ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अनुरोध करना; ऊंची मांग वाले मामलों के शीघ्र निपटान के लिए समझौता आयोग के साथ संपर्क करना और वित्तीय वर्ष के दौरान ही बकाया मांग की वसूली के लिए परिवीक्षण करना, उपयुक्त मामलों में वसूली के लिए आयकर अधिनियम की अनुसूची-II के नियम 69 के उपबंधों के तहत कारोबार के लिए प्रापक की नियुक्ति के लिए कर वसूली अधिकारियों द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना; गैर-अनुपालन वाले चूककर्त्ताओं के संबंध में अनुसूची-II के नियम 73 से 81 के उपबंधों के अनुसार गिरफ्तारी और नजरबंदी के उपबंध कर वसूली अधिकारी द्वारा लगाए जाएं; ऐसे मामलों में जिनमें अधिकरण/न्यायालय से अनुकूल आदेश प्राप्त होते हैं, मांग की अविलंब वसूली की जाए; महत्वपूर्ण मामलों में वसूली के लिए आस्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करने और अथवा गुप्त पूछताछ के द्वारा वसूली प्रक्रिया में सहायता के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रों में जांच-पड़ताल स्कन्ध स्थापित किए जाएं।

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, बकाया का तेजी से वसूली के लिए विकसित की गई रणनीति निम्नानुसार है:

(क) आयुक्तों/मुख्य आयुक्तों के स्तर पर बकाया की वसूली में की गई प्रगति की नियमित समीक्षा;

(ख) महत्वपूर्ण मामलों में स्थगन आदेशों को हटाने के लिए आवेदन देना;

(ग) न्यायालयों/सीस्टेट में शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दाखिल करना;

(घ) चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना;

(ङ) बकाया की अदायगी के लिए प्रमुख इकाइयों को प्रेरित करना;

(च) बी आई एफ आर/डी आर टी/ओ एल/सी ओ डी में लंबित मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई करना;

(छ) सीस्टेट/न्यायालयों के अनुकूल अनुदेशों में अंतर्ग्रस्त बकाया की तेजी से उगाही करना; और

(ज) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वेबसाइट पर चूककर्त्ताओं की सूची दर्शाना।

(ग) जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए न्यायालय में लंबित मामलों में बकाया अंतर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार है:

(1) आयुक्त (अपील) – 34,951 करोड़ रुपए

(2) आयकर अपील अधिकरण – 20,029 करोड़ रुपए

(3) उच्च न्यायालय – 2494 करोड़ रुपए

जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, 31.12.2006 की स्थिति के अनुसार मामलों की संख्या और विभिन्न अपील मंचों द्वारा स्थगित राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
सीमा शुल्क	8676	6,284.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1,733	2,319.14
सेवा कर	741	519.12

(घ) और (ङ) इन मामलों के न्यायालय से बाहर निपटारे के लिए कोई गैर-न्यायिक प्रणाली विकसित नहीं की जा रही है।

स्वजलधारा योजना की धीमी गति

1550. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वजलधारा योजना पर बहुत से राज्यों में कार्य धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इसके अंतर्गत आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का आबंटन न करने के कारण यह योजना पीछे चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। स्वजलधारा की चल रही योजनाओं की राज्यवार समीक्षा के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वजलधारा परियोजनाओं की धीमी प्रगति के लिए दिए गए कारण इस प्रकार हैं:

(1) सामुदायिक अंशदान प्राप्त करना कठिन है क्योंकि अन्य योजनाओं जैसे कि त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में यह घटक नहीं है।

(2) समुदाय को पूंजी लागत में हिस्सेदारी देने के लिए मनाने का कार्य एक लंबी प्रक्रिया है तथा इसमें समय लगा।

(3) कुछ स्थानों पर, समुदाय ने आपसी मतभेद के कारण अपनी हिस्सेदारी वापिस ले ली। ऐसे मामले भी हैं जहां काम शुरू करने के लिए निधियां रिलीज करने के बाद समुदाय ने अपनी हिस्सेदारी वापस ले ली। ऐसे मामलों में या तो समुदाय को मनाने अथवा योजना को अन्य बसावट में शुरू करने में समय लगा।

(4) जिलों द्वारा विलंब से जानकारी देने के कारण प्राय: दूसरी किस्त रिलीज करने में देरी होती है।

(5) स्वजलधारा सिद्धांतों को बताने के लिए समुदायों के साथ गहन और निरंतर बातचीत करने के लिए ग्राम और जिला पंचायत स्तरों पर स्टाफ की कमी है।

(ग) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्वजलधारा योजना के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) से (च) जी, नहीं। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सभी राज्यों को निधियां आबंटित की जाती हैं तथा उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है।

विवरण

2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत राज्यों को आवंटन

(लाख रु. में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.00	12.69	25.01	20.00
आंध्र प्रदेश	1616.07	1632.65	4065.55	2160.00
अरुणाचल प्रदेश	447.41	473.76	933.61	449.00
असम	754.59	797.36	1571.29	755.00
बिहार	873.73	923.98	2232.74	1830.00
चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	262.80	332.20	750.97	645.00
दादरा और नगर हवेली	8.00	8.46	16.67	13.00
दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	6.00	6.35	12.50	10.00
गोवा	14.55	15.04	28.05	25.00
गुजरात	765.56	2000.09	2172.94	1382.00
हरियाणा	234.23	246.48	682.31	448.00
हिमाचल प्रदेश	680.19	677.16	1667.72	1068.00
जम्मू-कश्मीर	1497.90	1560.02	2900.60	2578.00
झारखंड	356.02	368.12	1074.14	715.00
कर्नाटक	1397.03	1515.04	3005.31	1930.00
केरल	504.03	492.54	1046.19	687.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	840.54	966.49	2696.24	1852.00
महाराष्ट्र	2172.15	2935.46	5359.79	3562.00
मणिपुर	153.59	162.86	320.93	154.00
मेघालय	176.96	186.12	366.77	176.00

1	2	3	4	5
मिजोरम	126.88	133.25	262.58	126.00
नागालैंड	130.22	137.48	361.24	130.00
उड़ीसा	733.28	865.23	2409.99	1018.00
पांडिचेरी	6.00	6.35	12.50	10.00
पंजाब	313.79	351.11	580.45	404.00
राजस्थान	2191.77	2866.81	6179.19	2920.00
सिक्किम	53.42	57.11	112.53	54.00
तमिलनाडु	673.22	1118.80	2306.82	1332.00
त्रिपुरा	156.93	164.97	325.10	156.00
उत्तर प्रदेश	1532.91	1621.06	3608.10	3093.00
उत्तरांचल	364.33	378.67	1112.15	741.00
पश्चिम बंगाल	943.90	1064.06	2585.18	1557.00
कुल	20000.00	24077.77	50785.16	32000.00

[अनुवाद]

मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर

1551. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड में इस समय केन्द्र सरकार का अनुपात कितना है तथा उसकी कुल कितनी धनराशि लगी हुई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विनिवेश के भाग के रूप में कंपनी में अपने सभी शेयरों को बेचने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) इस समय भारत सरकार के पास मारुति उद्योग लिमिटेड की 10.27% प्रदत्त इक्विटी पूंजी धारित है जो प्रत्येक पांच रुपए अंकित मूल्य के 2,96,79,709 शेयरों के रूप में है, जिनका मूल्य 14,83,98,545 रुपए बनता है।

(ख) सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी समस्त अवशिष्ट शेयरधारिता की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

कृषि ऋण माफ करना

1552. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लिए गए कृषि ऋणों को माफ करने का कोई प्रस्ताव अथवा योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की अब तक किसानों पर राज्य-वार कृषि ऋण की कितनी धनराशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, दिनांक 18.06.2004 को सरकार ने कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की जिसमें छोटे और सीमांत किसानों के लिए अधिस्थगन अवधि और "एकबारगी निपटान योजना" सहित ऋणों का पुनर्निर्धारण करके किसानों को ऋण राहत की परिकल्पना की गई है। ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों बैंकों से नया ऋण लेने के लिए पात्र थे।

इसके अतिरिक्त, चार राज्यों नामतः महाराष्ट्र (06), आंध्र प्रदेश (16), कर्नाटक (06) तथा केरल (03) के 31 ऋणग्रस्त जिलों में किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज में मूलधन की माफी की परिकल्पना नहीं की गई है। इसमें यह व्यवस्था है कि दिनांक 1.7.2006 की स्थिति के अनुसार अतिदेय ऋणों पर समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा और उन अतिदेय ऋणों को एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि के साथ 3-5 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इन पुनर्निर्धारण से ये किसान बैंकिंग प्रणाली से नए ऋणों के लिए पात्र हो जाएंगे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मार्च 2006 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिमों का ब्योरा

राज्य का नाम	कुल	
	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	519250	58960210
हिमाचल प्रदेश	171767	10587397
जम्मू-कश्मीर	18413	881394
पंजाब	743863	94687899
राजस्थान	1055079	78345619
चंडीगढ़	42504	25177580
दिल्ली	40218	134851143
उत्तरी क्षेत्र	2591094	403461242
असम	151723	6620992
मणिपुर	15093	435141
मेघालय	25932	782832
नागालैंड	14931	438606
त्रिपुरा	79292	1174383
अरुणाचल प्रदेश	7127	217241
मिजोरम	6348	217879
सिक्किम	7532	159628
पूर्वोत्तर क्षेत्र	307978	10046702
बिहार	771978	40504204
झारखंड	370088	9700040
उड़ीसा	641305	20982187
पश्चिम बंगाल	897980	66353375
अंडमान एवं निकोबार	1239	73810
पूर्वी क्षेत्र	2682590	137613616
मध्य प्रदेश	939675	84716799
छत्तीसगढ़	158846	10026743
उत्तर प्रदेश	3076353	162868349
उत्तराखंड	229897	11315308
मध्य क्षेत्र	4404771	268927199
गुजरात	885989	59839120
महाराष्ट्र	1288789	132576385
दमन एवं दीव	155	5705
गोवा	27093	1453308
दादरा एवं नगर हवेली	1417	42312
पश्चिम क्षेत्र	2197143	193916830
आंध्र प्रदेश	5027654	194284023
कर्नाटक	1649326	145522122
केरल	1273571	50114301
तमिलनाडु	3619796	146823231
पांडिचेरी	43509	1469862
लक्षद्वीप	596	16742
दक्षिण क्षेत्र	11614452	538230281
अखिल भारत	23798028	1552195870

सीमा एवं उत्पाद शुल्क अधिकारियों के विरुद्ध सीबीआई मामले

1553. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीबीआई द्वारा कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभाग के कुछेक अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दर्ज किए गए मामले निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1.	2004	55
2.	2005	58
3.	2006	54

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिए विभाग द्वारा निम्नोक्त कार्रवाई की जाती है:-

(1) उन मामलों में, जहां केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल पूरी कर लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वहां विभाग केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार तुरंत कार्रवाई करता है, जैसे कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 (भ्र.नि.अधि.) के तहत और अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान करना अथवा जहां कहीं भी आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग का परामर्श लेने के बाद सी सी एस (सी सी ए) नियमों के तहत नियमित अनुशासनात्मक कार्रवाई आरम्भ करना।

(2) जहां तक ऐसे मामलों का संबंध है जिनकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, विभाग द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच शीघ्रता से पूरा करने के लिए अपेक्षित अभिलेख/सूचना तथा अन्य सहायता भी उपलब्ध करवा कर आवश्यक सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

विद्युत वितरण प्रणाली का निजीकरण

1554. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री पंकज चौधरी:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार का विचार देश के गांवों और छोटे कस्बों में विद्युत प्रणाली का निजीकरण करने का है जैसा कि दिनांक 25 जनवरी, 2007 को ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में फ्रेंचाइजी प्रणाली को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है;

(घ) क्या गांवों और कस्बों में विद्युत पारेषण एवं वितरण में होने वाली हानि का कोई आकलन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इसे क्रियान्वित करने के लिए मेगा विद्युत नीति में संशोधन किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, नहीं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की राजस्व संवहनीयता सुनिश्चित करने, निर्माणाधीन अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रखरखाव तथा लगातार अच्छी बिजली प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजियों के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के उद्देश्य से फ्रेंचाइजियों की तैनाती अनिवार्य बना दी गई है, जो गैर-सरकारी संगठन, उपभोक्ता संघ, सहकारी या निजी उद्यमी हो

सकते हैं। इससे ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के अलावा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने में मदद मिलती है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत मंत्रालय ने राज्य विद्युत यूटिलिटियों को ऐसे शहरों में विद्युत वितरण प्रणाली के प्रबंधन का काम फ्रेंचाइजियों को देने की सलाह दी है, जहां सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां अपेक्षाकृत अधिक है और यूटिलिटी इन हानियों को पर्याप्त रूप से कम करने में नाकाम रहा हो।

(ग) आरजीजीवीवाई का कार्यान्वयन करने वाले सभी 27 राज्यों ने त्रिपक्षीय एवं चतुर्पक्षीय समझौतों को निष्पन्न करने के पश्चात् आरजीजीवीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण प्रणाली के प्रबंधन के फ्रेंचाइजियों की तैनाती पर सहमति दे दी है। आरजीजीवीवाई के नोडल एजेंसी के रूप में आरईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में फ्रेंचाइजियों के चयन एवं तैनाती को सुगम बनाने के लिए इनके विभिन्न माडल शामिल करते हुए दिशा-निर्देश परिचालित किए हैं।

एपीडीआरपी के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न समीक्षाओं के दौरान यूटिलिटियों ने अत्यधिक सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों वाले शहरों में फ्रेंचाइजी प्रणाली अपनाने पर सहमति दी है।

(घ) और (ङ) जी, हां। एपीडीआरपी के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों का आकलन किया गया है। यूटिलिटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 212 शहरों में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि 15% से कम, 125 शहरों में 20% से 30% के बीच, 82 शहरों में 30% से 40% के बीच तथा 158 शहरों में यह हानियां 40% से अधिक हैं।

(च) और (छ) मेगा पावर पालिसी के अंतर्गत एक विद्युत संयंत्र को मेगा पावर प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जा सकता है, यदि वह अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त पूरा करता है कि "विद्युत के खरीददार राज्य विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर 10 लाख से अधिक की आबादी वाले उस राज्य के नगरों में विद्युत वितरण के निजीकरण पर सिद्धांत रूप से वचनबद्धता दे।"

छत्तीसगढ़ राज्य बिजली विभाग में अनियमितताएं

1555. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य बिजली विभाग में अनियमितताओं और घोटालों की हाल ही में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी हां, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा टर्नकी आधार पर उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए निविदाओं के आबंटन में अभिकथित अनियमितताओं की शिकायत की एक प्रति हाल ही में प्राप्त हुई है। चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, इसलिए शिकायत को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

करेंसी का परिचालन

1556. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करेंसी परिचालन की दर सरकार द्वारा 2006-07 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 2006 के दौरान करेंसी की परिचालन दर में पिछले वर्ष की इसी अवधि में करेंसी की परिचालन दर की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) करेंसी की परिचालन दर में वृद्धि के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत सरकार मुद्रा के परिचालन अर्थात् नोटों के परिचालन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के विकास, सकल घरेलू उत्पाद, मुद्रा स्फीति आदि पर निर्भर करते हुए परिचालन में नोटों का मूल्य निर्धारित करती है। नोटों के मूल्यवर्गों का मात्रावार वितरण बाद में किया जाता है।

(ग) और (घ) अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान करेंसी की परिचालन दर उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10.10% की दर से बढ़कर 11.19% हो गई है।

ऊर्जा सुरक्षा

1557. **डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्री वी. के. ठुम्मर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा सुरक्षा को एक राष्ट्रीय मिशन बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एकीकृत ऊर्जा नीति संबंधी विशेषज्ञ समिति ने ऊर्जा सुरक्षा के उन्नयन के लिए अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं— ऊर्जा आवश्यकता में कमी, घरेलू विकल्पों द्वारा आयातित ऊर्जा का प्रतिस्थापन, आपूर्ति स्रोतों का विस्तार, संसाधन आधार में वृद्धि, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास, ऊर्जा आयात तथा बाजार जोखिम से निपटने की क्षमता में वृद्धि और तकनीकी जोखिमों से निपटने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा में बढ़ोत्तरी आवश्यक है। तदनुसार, विद्युत क्षेत्र में स्वदेशी ईंधन संसाधन, विशेषकर कोयले का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को उचित प्राथमिकता दी गई है। जल विद्युत अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है इसके अलावा मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण को उचित प्राथमिकता दी गई है।

[अनुवाद]

लार्ड कृष्णा बैंक

1558. **श्रीमती पी. सतीदेवी:**
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लार्ड कृष्णा बैंक और सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रस्तावित विलय के परिणामस्वरूप नौकरी छूटने और बैंक प्रबंधन द्वारा उत्पीड़न के भय से लार्ड कृष्णा बैंक के कतिपय कर्मचारियों ने आत्महत्या की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार की और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) लार्ड कृष्णा बैंक लि. (एलकेबीएल) तथा सेंचुरियन बैंक आफ पंजाब लि. (सीबीओपीएल) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क के उपबंधों के क्रम में स्वैच्छिक विलय के लिए अपने-अपने निदेशक मंडलों और शेयरधारकों के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक को एक प्रस्ताव भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एलकेबीएल के शेयरधारक द्वारा दायर मामले, जहां उसने, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक की आम वार्षिक बैठक की कार्यवाही को चुनौती दी है जिसमें समामेलन की प्रारूप योजना को अनुमोदित किया गया था, में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय होने तक अपने निर्णय को रोक लिया है।

(ग) से (ङ) हालांकि, लार्ड कृष्णा बैंक कर्मचारी यूनियन के संयुक्त मंच ने एक ऐसे दृष्टांत की सूचना दी है जहां सूचनानुसार एलकेबीएल के एक कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली है, तथापि मृत्यु के कारण का अभी तक पता नहीं चला है।

विदेशों में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1559. **श्री सर्वे सत्यनारायण:**
श्री चाडिगा रामकृष्णा:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में विद्युत परियोजनाओं में निवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) देश के लिए यह किस प्रकार से उपयोगी होगा?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार 478 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अफगानिस्तान में पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 202 कि.मी. की 220 केवी डबल सर्किट पारेषण लाईन और काबुल में 220/110/20 केवी उपकेंद्र के निर्माण की परियोजना को वित्तपोषित कर रही है। इसमें 600 से अधिक पारेषण टावरों का निर्माण शामिल है। यह परियोजना उज्बेकिस्तान से काबुल को विद्युत की आपूर्ति

करेगी और इससे अफगानिस्तान के उद्योग और अर्थव्यवस्था में सुधार होने की आशा है। परियोजना को फरवरी, 2009 तक पूरा किया जाएगा।

भारत 498 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अफगानिस्तान में हिरात प्रांत में सलमा बांध विद्युत परियोजना (42 मेगावाट) का पुनर्निर्माण भी कर रहा है। इस परियोजना में भी सलमा बांध से हिरात शहर तक 143 कि.मी. लंबी 110 केवी विद्युत पारेषण लाइनों का निर्माण भी शामिल है जिससे अफगानिस्तान के पश्चिमी प्रांतों में विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना के जनवरी, 2009 तक पूरा होने की संभावना है।

भारत ने 39.2 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर उत्तरी अफगानिस्तान में, फरयाब प्रांत में 110 केवी और 20 केवी पारेषण लाईन मैटेरियल सहित 20/0.4 केवी ,उपकेंद्र के साथ 130 कि.मी. की 110 केवी पारेषण लाईन तथा 150 कि.मी. की 20 के.वी. पारेषण लाईन के लिए उपकरण की आपूर्ति भी की थी।

भारत ने चुखा जल विद्युत परियोजना (336 मेगावाट), कुरिचू जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) और ताला जल विद्युत परियोजना (1020 मेगावाट) के निर्माण में भूटान सरकार को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग दिया है। भूटान में तीन परियोजनाएं आपस में सहमत दरों पर भारत को विद्युत आपूर्ति कर रही हैं। भूटान से आयात की गयी ऊर्जा से भारत को मांग आपूर्ति के अंतर को पूरा करने में मदद मिल रही है।

भारत ने नेपाल को अपनी जल विद्युत क्षमता के विकास के लिए भी सहायता प्रदान की थी। चार जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् पोखरा (1 मेगावाट), त्रिसूली (21 मेगावाट), पश्चिमी गंटक (15 मेगावाट), देवीघाट (14.1 मेगावाट) को भारतीय सहायता से कार्यान्वित किया गया है।

बीमा पालिसी पर सेवा कर

1560. श्री अबु अयीश मंडल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा के प्रीमियम पर सेवा कर लगाना शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बीमा पालिसियों पर लगाए गए करों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बड़ी संख्या में आम लोगों तक बीमा पालिसियों को पहुंचाने की योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के लिए बीमा पालिसियां खरीदने की लागत को कम करने हेतु सरकार की बीमा पालिसी पर करों को घटाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) सेवाकर निम्नलिखित सेवाओं पर 12% की दर से उद्ग्रहणीय होता है:-

(1) साधारण बीमा की प्रभारित प्रीमियम की धनराशि पर, और

(2) जीवन बीमा को जोखिम प्रीमियम की राशि पर। जहां जोखिम प्रीमियम अलग से नहीं दर्शाया गया है, प्रीमियम का 1% सेवाकर के रूप में प्रभारित किया जाता है।

(ग) और (घ) बीमा पालीसियों की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाये गये बहुत से कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) गरीब और ग्रामीणों की आवश्यकता के उपयुक्त माइक्रो-बीमा उत्पाद,

(2) वर्षा/तापक्रम/बायोमास सूचक से जुड़ी फसल बीमा, और

(3) जोखिम कवर और निवेश के मिश्रण के साथ यूनिट से जुड़े उत्पाद।

(ङ) और (च) निम्नलिखित बीमा स्कीमों को सेवाकर से छूट है, नामश:

(1) व्यक्तिगत दुर्घटना और सामाजिक सुरक्षा झोपड़ी बीमा सुरक्षा,

(2) वृहद फसल बीमा स्कीम,

(3) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पशु बीमा,

(4) जनजातियों की बीमा की स्कीम,

(5) कृषि पम्पसेट और खुदाई के बाद बिना पानी वाला कुआं बीमा,

(6) जन आरोग्य बीमा पालिसी,

(7) राजस्थान सरकार द्वारा प्रावधान की गई समूह व्यक्तिगत दुर्घटना स्कीम,

(8) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम,

(9) पशु बीमा पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम,

(10) सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम,

(11) भेड़ बीमा स्कीम।

शहरी गरीबों के लिए माइक्रो क्रेडिट मैकेनिज्म संबंधी कृतिक बल

1561. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी गरीबों के लिए अर्थक्षम माइक्रो क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित करने हेतु सरकार द्वारा गठिक कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल की महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कृतिक बल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस कृतिक बल की सिफारिशों को किस समय-सीमा तक लागू कर दिया जाएगा?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, हां। शहरी गरीबों को माइक्रो क्रेडिट संबंधी कार्य दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है।

(ख) कार्य दल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(1) शहरी गरीबों को उनके छोटे-मोटे कार्यों के लिए लचीले निबंधनों पर क्रेडिट मुहैया कराने की आवश्यकता है।

(2) सम्पूर्ण भारत में सभी शहरी गरीबों को शामिल करते हुए एक समुचित व्यापक बीमा योजना डिजाइन की जानी चाहिए, क्योंकि वे समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग हैं।

(3) स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी) का चयन करने, उसे संगठित करने तथा उसके क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और इन समूहों को बैंकों से जोड़ने एवं पुनर्वित्तपोषण कराने के लिए एक शीर्ष संगठन की आवश्यकता है।

(4) इस शीर्ष वित्तपोषण संगठन को इक्विटी सहायता देने के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) को अतिरिक्त सहायता देकर सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

(5) स्वयं सेवी समूहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा इसके लिए विख्यात गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ली जानी चाहिए।

(6) माइक्रो क्रेडिट मैकेनिज्म की सफलता के लिए शहरी गरीबों, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य हितबद्धों की क्षमता का विकास अनिवार्य है।

(7) इस क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों, एमएफआई के कार्यों की समुचित देखरेख के लिए एक विनियामक तंत्र भी अपेक्षित है।

(8) मीडिया, दूरदर्शन और अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए असंगठित क्षेत्र और माइक्रो फाइनेंस के संबंध में बड़े पैमाने पर जागरूकता लायी जानी चाहिए।

(ग) और (घ) गरीबों के लिए माइक्रो फाइनेंस तथा क्रेडिट की आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए योजना आयोग में माइक्रो फाइनेंस एवं गरीबी उपशमन संबंधी एक संचालन समिति का गठन किया गया है। कार्य दल की रिपोर्ट संचालन समिति को उपलब्ध करा दी गयी है। संचालन समिति इस मुद्दे पर विचार कर रही है तथा कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा देना संभव नहीं है।

ओसियनेरियन मैरिन बायोलाजी रिसर्च सेन्टर

1562. श्री पी. सी. थामस:
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से केरल के कोच्चि में ओसियनेरियम कॉम्प्लैक्स एण्ड मैरिन बायोलॉजी रिसर्च सेन्टर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक समुद्रशाला स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिस पर योजना आयोग विचार कर रहा है। एक बार प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर मंत्रालय आगे कार्रवाई करेगा।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों हेतु सौर ऊर्जा

1563. श्री बालासोधरी वल्लभनेनी:
श्री हितेन बर्मन:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री रनेन बर्मन:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री कैलाश बैठा:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को नि:शुल्क सौर ऊर्जा प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश में राज्य-वार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने लोगों को घरेलू उपयोग हेतु सौर ऊर्जा उपलब्ध करायी गई?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौर लालटेन और दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण पर स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे वाला एक परिवार कुछ शर्तों के अध्यधीन 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) से एक सौर रोशनी प्रणाली प्राप्त करने के लिए पात्र है।

वर्ष 2006-07 के दौरान सौर लालटेन स्कीम के अंतर्गत एक नए प्रावधान को शामिल किया गया जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे परिवार की एक बालिका, जो कक्षा 9-11 में पढ़ती हो और विशेष श्रेणी राज्यों और संघ शासित द्वीप समूह के अविद्युतीकृत गांवों/बस्तियों में रहती हो, अपने स्कूल अध्ययन की संपूर्ण अवधि के दौरान एक सौर लालटेन मुफ्त पाने के लिए पात्र है। ऐसी बालिकाओं को सौर लालटेन का वितरण जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति के सत्यापन और बालिका के स्कूल तथा कक्षा के विवरण के सत्यापन के पश्चात राज्य नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ अविद्युतीकृत गावों/बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में, पूर्व-निर्दिष्ट अधिकतम राशि के अध्यधीन, एक लैंप सौर घरेलू रोशनी प्रणाली की लागत का 100 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रावधान को वर्ष 2005-06 के दौरान स्कीम में आरंभ किया गया। राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है।

(ग) दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम से अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता, उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, असम में 512 परिवारों, उड़ीसा में 4295 परिवारों और मध्य प्रदेश में 2326 परिवारों को मंजूर की गई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रत्येक को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, 500 सौर लालटेनों के वितरण का लक्ष्य मंजूर किया गया है।

भारतीय तथा विदेशी कंपनियों का विलय एवं अधिग्रहण

1564. श्री सी. के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बहुत सी भारतीय तथा विदेशी कंपनियों का विलय एवं अधिग्रहण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2005 से हुए ऐसे विलय एवं अधिग्रहण का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कंपनियों के क्या नाम हैं एवं प्रत्येक सौदे का मूल्य कितना है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेम चंदगुप्ता): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा हिस्सेदारी जारी करना

1565. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना के लिए जिला पंचायतों को सीधे अनुदान सहायता जारी की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने इस योजना हेतु अपनी हिस्सेदारी जारी नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए) 2 फरवरी, 2007 से लागू किया गया है तथा अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय से जिलों को सीधे निधियां रिलीज की जाती हैं। एनआरईजीए के दिशानिर्देशों के अनुसार जिले में एक अलग एनआरईजीए खाता के माध्यम से निधियों का उपयोग किया जाता है। 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान फरवरी, 2007 तक रिलीज की गई राज्य-वार निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ राज्यों ने राज्य अंश रिलीज नहीं किया है। इन राज्यों को राज्य अंश तत्काल रिलीज करने की सलाह दी गई है तथा अगली किस्त की रिलीज के लिए अपना प्रस्ताव भेजते समय अपने उपयोग प्रमाण-पत्र में उसको दर्शाया जाना चाहिए। एनआरईजीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि कार्यान्वयन एजेंसी/राज्य निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं तो मंत्रालय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केन्द्रीय निधियों की रिलीज को रोक देगा और ऐसे मामलों में निधियां उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	पहचाने गए जिलों की सं.	एनआरईजीए के लिए रिलीज		
			2005-06	2006-07*	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	16474.81	91461.46	107936.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	446.31	1210.85	1657.16
3.	असम	7	33650.13	13970.85	47620.98
4.	बिहार	23	30806.3	41581.38	72387.68
5.	छत्तीसगढ़	11	785	55716.74	56501.74
6.	गुजरात	6	4241.12	6165.94	10407.06
7.	हरियाणा	2	873.82	3129.39	4003.21
8.	हिमाचल प्रदेश	2	898.37	2207.64	3106.01
9.	जम्मू-कश्मीर	3	1135.29	2776.37	3911.66
10.	झारखंड	20	23429.66	48618.59	72048.25
11.	कर्नाटक	5	4402.1	17595.69	21997.79
12.	केरल	2	1169.18	2179.51	3348.69
13.	मध्य प्रदेश	18	13713.82	178129.20	191843.02
14.	महाराष्ट्र	12	19743.56	19235.64	38979.20

1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	1	461.63	1252.89	1714.52
16.	मेघालय	2	1457.87	2064.68	3522.55
17.	मिजोरम	2	770.91	783.90	1554.81
18.	नागालैंड	1	1031.28	430.11	1461.39
19.	उड़ीसा	19	7384.75	75456.49	82841.24
20.	पंजाब	1	822.54	2755.75	3578.29
21.	राजस्थान	6	4142.11	72961.00	77103.11
22.	सिक्किम	1	722.16	451.50	1173.66
23.	तमिलनाडु	6	6571.72	14389.21	20960.93
24.	त्रिपुरा	1	2572.97	1456.66	4029.63
25.	उत्तराखंड	3	1269.11	2710.60	3979.71
26.	उत्तर प्रदेश	22	33242.07	48655.69	81897.76
27.	पश्चिम बंगाल	10	17038.15	30858.84	47896.99
	कुल	200	229256.74	738206.56	967463.30

*28 फरवरी, 2007 तक रिलीज

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन

1566. श्री रशीद मसूद: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उच्च वृद्धि दर के बावजूद गरीब परिवारों के जीवन में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गरीबी उपशमन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जनगणना, 2001 तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में रह रहे गरीबों के जीवन-यापन स्थितियों में सुधार के संबंध में मिश्रित स्थिति का पता चलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे गांव से शहरों में लोगों का आना, एक शहर से दूसरे शहर में लोगों का आना-जाना, बड़े शहरों में आबादी बढ़ाना, स्वाभाविक रूप से आबादी की वृद्धि, पर्यावरण संबंधी कारण, आदि।

(ग) देश में रह रहे शहरी गरीब लोगों के जीवन-यापन की स्थितियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना नामक रोजगारोन्मुख शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम 1.12.1997 से कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अल्प रोजगार प्राप्त गरीब लोगों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथमत: नौवीं कक्षा तक पढ़े लोगों को स्वत: नियोजन उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और द्वितीयत: सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उपयोग सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, स्लमों में रह रहे शहरी गरीबों की मकानों तथा बुनियादी सुविधाओं संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अधीन शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं से संबंधित उपमिशन दिसम्बर, 2005 में 63 चुनिंदा शहरों में शुरू किया गया था। जो शहर/कस्बे इस मिशन में शामिल नहीं हैं, उनके लिए एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम शहरी गरीबों की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक जोनों को कर छूट

1567. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में विशेष आर्थिक जोनों को विशेष कर छूट दिए जाने के कारण सरकार ने विभिन्न कर राजस्व के रूप में कितनी राशि गंवाई;

(ख) आने वाले दो वर्षों अर्थात 2007-2008 तथा 2008-2009 में सरकार द्वारा गंवाए जाने वाले कुल राजस्व का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वर्ष 2004-05 से 2006-07 (जनवरी, 2007 तक) निविष्टियों और उपभोज्यों पर संलिप्त अप्रत्यक्ष करों के कारण छोड़ा गया राजस्व 3951.39 करोड़ रुपये है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, केवल वर्ष 2006-07 के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं और कर रियायतों के कारण 4156 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया जाता है। राज्यवार छोड़े गए राजस्व के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के कारण अगले दो वर्षों (2007-08 और 2008-09) के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए छोड़ा गया अनुमानित राजस्व लगभग 52,470 करोड़ रुपये होगा। राज्य-वार छोड़े गए राजस्व का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत विकासकर्ताओं और उद्यमियों को कतिपय छूटें, वापसियों और रियायतें ग्राह्य हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ राशि छोड़े गए राजस्व की राशि होगी। यह आशा की जाती है कि इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास के परिणामस्वरूप अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन, निर्यात और निवेश का संवर्धन, रोजगार का सृजन और आधार संरचना का विकास होगा जब उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, तभी छोड़े गए राजस्व की प्रतिपूर्ति की संभावना हो सकती है।

शेयर बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव

1568. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान शेयर बाजार में हो रहे अत्यधिक उतार-चढ़ाव की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेयर बाजार में बेहिसाब किताब सट्टेबाजी लेनदेन नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) किसी भी प्रतिभूति बाजार में उतार-चढ़ाव अंतर्निहित है। अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 की अवधि के दौरान सेंसेक्स में उतार-चढ़ाव का दायरा 0.58 प्रतिशत और 3.25 प्रतिशत के बीच रहा और निफ्टी का उतार-चढ़ाव 0.61 प्रतिशत और 3.22 प्रतिशत के बीच था। बाजार सूचकांक की घटबढ़ या विशिष्ट शेयर की कीमत देशीय और विदेशी, खुदरा और संस्थागत निवेशकों की अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और कंपनी के बारे में अवधारणा का कार्य है। यह अवधारणा बहुत से कारकों द्वारा प्रभावित होती है जिसमें वृहत आर्थिक माहौल, अर्थव्यवस्था की वृद्धि क्षमता, कारपोरेट निष्पादन, देशीय और अंतर्देशीय घटनाएं और बाजार मनोभाव शामिल हैं।

(ग) सेबी बाजार पर कड़ी नजर रख रहा है और जहां कहीं भी आवश्यक था, इनसे तत्काल कार्रवाई की है। असामान्य दिवस कारोबार और अटकलबाजी को निरुत्साहित करने के लिए अनेक स्क्रिपों को व्यापार से व्यापार खंड में अंतरित किया गया है। अनेक स्क्रिपों पर सर्किट फिल्टर्स/कीमत सीमाएं लगाई गई हैं। सेबी स्टॉक एक्सचेंजों के निगरानी अधिकारियों के साथ नियमित और साप्ताहिक बैठकें भी आयोजित करता रहा है। स्टाक एक्सचेंजों को अपने स्वयं के निगरानी उपाय बढ़ाने और जहां कहीं भी आवश्यक हो त्वरित प्रदर्शनात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है ताकि निवेशकों के हितों की संरक्षा की जा सके एवं स्टॉक बाजार का सुव्यवस्थित कार्यचालन सुनिश्चित हो सके।

लघु बचत ऋणों संबंधी समिति

1569. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को लघु बचत ऋण जारी किए जाने की बात को प्रोत्साहित करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में राज्यों को बकाया ऋणों के संदर्भ में उनके ऋण भार ऋण राहत संबंधी मुद्दों की जांच-पड़ताल के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की एक उप-समिति का गठन दिनांक 16 सितम्बर, 2005 को वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुआ। उप समिति ने एनडीसी को अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की:-

(1) लघु बचत संग्रहण राज्यों और केन्द्र के बीच 80:20 के अनुपात में (राज्य सरकारों को निवल संग्रहणों के 100 प्रतिशत अंतरण की वर्तमान व्यवस्था की तुलना में) बांटे जाएंगे, जिसमें राज्यों को अपने संग्रहणों का 100 प्रतिशत लेने का विकल्प होगा। बांटने की संशोधित पद्धति 1 अप्रैल, 2007 से प्रभावी होगी।

(2) राज्य सरकारों द्वारा एनएसएसएफ से वर्ष 1990-2000 से 2002-2003 तक के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज दरों को अप्रैल, 2007 से 10.5 प्रतिशत पर पुन: निर्धारित किया जाएगा। यदि वर्तमान ऋणों पर ब्याज दर में कमी की जाती है अथवा 3 वर्ष के पश्चात जो भी पहले हो तो इन पुराने ऋणों पर ब्याज दर की समीक्षा की जाएगी।

(3) वर्तमान एनएसएफ ऋणों पर ब्याज दर 9.5 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

(4) अतिरिक्त मुक्त बाजार उधार के संबंध में राज्य सरकारों के अनुरोधों पर मामला आधार पर विचार किया जाएगा ताकि वे गैर-एनएसएसएफ ऋण की अदायगी कर सकें।

(5) वर्ष 2002-2003 तक संविदा किए गए एनएसएसएफ ऋणों की पूर्व अदायगी हेतु राज्य सरकारों के अनुरोध पर भी अनुमोदित बाजार उधार उच्चतम सीमाओं के भीतर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 9 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त सिफारिशों का समर्थन किया है। सरकार ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित) की सरकारों को अवगत करा दिया है।

एजेंटों का चयन

1570. श्री वसुदेव आचार्य: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय जीवन बीमा निगम में डिवलपमेंट आफिसरों के पदों हेतु परीक्षा में बैठने वाले अर्हक एलआईसी एजेंटों से 20 प्रतिशत कोटा भरने के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अत्यधिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण एजेंटों का चयन नहीं किया जाता है भले ही उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि 18 अक्तूबर, 2005 की यथासंशोधित एलआईसी [शिक्षु विकास अधिकारियों (एडीओ) की भर्ती] विनियमावली, 1999 के अनुसार, एडीओ की भर्ती में अभिकर्ताओं का कोई कोटा नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि एडीओ के लिए भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभिकर्ताओं के लिए अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र की स्थापना

1571. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कर अनियमितताओं को रोकने के लिए राजधानी में राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र (एनडीसी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 17 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एनडीसी के माध्यम से क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी;

(ग) एनडीसी के कब तक कार्यशील हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित केन्द्रीयकृत डाटाबेस रखा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि तक वसूले गए/बकाया करों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) तथा अन्य न्यायालयों में 180 दिन, एक वर्ष तथा तीन वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े मामलों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां। व्यापक कंप्यूटरीकरण पर संदर्भ योजना के एक भाग के रूप में आयकर विभाग दिल्ली में प्राथमिक साइट के साथ राष्ट्रीय डेटा केन्द्र, मुम्बई में बिजनेस कांटिन्यूटी सेन्टर साइट तथा चेन्नई में डिजास्टर रिकवरी साइट स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है।

(ख) राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र से सभी कर-निर्धारण अधिकारी सामान्य नेटवर्क तक पहुंच सकेंगे। सिके अतिरिक्त, यह अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक सूचना विवरणियों में उपलब्ध सूचना का मिलान कर सकेगा। यह करदाताओं के लिए ई-गवर्नेंस सुविधाओं को लागू करने में भी मदद करेगा।

(ग) आशा है कि अगस्त, 2007 तक राष्ट्रीय आंकड़ा केन्द्र की स्थापना हो जाएगी।

(घ) इस समय आयकर विभाग 36 क्षेत्रीय कंप्यूटर केन्द्रों के माध्यम से एक विकेन्द्रीकरण तरीके से प्रत्यक्ष करों से संबंधित डाटा बेस रखता है। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में इस समय कोई केन्द्रीकृत डाटा बेस नहीं रखा जा रहा है।

(ङ) वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान वसूले गए प्रत्यक्ष कर एवं 31.1.2007 की स्थिति के अनुसार बकाये का ब्यौरा (करोड़ रुपये में) निम्नवत है:

	व्यक्तिगत आयकर	निगमित आयकर	योग
वसूले गए करों की बकाया राशि	1,093	8,051	9,144
बकाया करों की राशि	43,132	49,122	92,244

(च) 1.4.2006 की स्थिति के अनुसार लम्बित अपीलों के ब्यौरे निम्नवत हैं:

लम्बित रहने की अवधि	आयकर अपीलीय अधिकरण	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
1 वर्ष से अधिक	30498	13593	1578
2 वर्ष से अधिक	14795	7997	1122
5 वर्ष से अधिक	4659	3299	634

180 दिन तथा तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लम्बित अपीलों के संबंध में ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

अर्बन लैंड सिलिंग एक्ट का निरसन

1572. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अर्बन लैंड सिलिंग एक्ट का निरसन करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम का निरसन करने वाले राज्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम का निरसन न करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम का निरसन न करने वाले राज्यों की केन्द्रीय निधि बन्द कर दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां। राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया गया था कि वे नगर (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के स्थान पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 को अपनाएं।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1999 का उक्त निरसन अधिनियम निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है:-

(i) गुजरात

(ii) हरियाणा

(iii) कर्नाटक

(iv) मध्य प्रदेश

(v) पंजाब

(vi) उड़ीसा

(vii) राजस्थान

(viii) उत्तर प्रदेश प्रदेश

(ix) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

(x) पांडिचेरी

(xi) चंड़ीगढ़

केरल और तमिलनाडु की राज्य सरकारें अधिकतम भूमि सीमा से संबंधित अपने-अपने कानूनों का अनुसरण कर रही हैं।

(ग) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन), अधिनियम, 1976 को अभी तक निरस्त नहीं किया है।

(घ) और (ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता जारी करने की शर्त यह है कि वे समझौता ज्ञापन में उल्लिखित राज्य तथा नगर स्तरीय सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित सहमत लक्ष्यों को प्राप्त करें। इन सुधारों में नगर (अधिकतम सीमा तथा विनियमन), अधिनियम को निरस्त करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु निगरानी समिति

1573. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम (टीएससी) के अंतर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु एक निगरानी समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निगरानी समिति द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है और परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उन्हें आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। इस प्रयोजनार्थ एक विस्तृत मॉनीटरिंग प्रणाली शुरू की गई है। इसमें प्रगति की ऑन-लाइन मॉनीटरिंग स्वतंत्र एजेंसियों जिला स्तरीय मॉनीटरों और राष्ट्र स्तरीय मॉनीटरों के जरिए मॉनीटरिंग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के फील्ड दौरे शामिल हैं।

[अनुवाद]

रेलवे कर्मचारियों के वेतनमान

1574. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के विभिन्न संघों, संगठनों नें पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा उचित वेतन संरक्षण नहीं दिए जाने से संबंधित प्रतिवेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग में उपयुक्त वेतन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें रेलवे बोर्ड मान्यता प्राप्त परिसंघों द्वारा की गई मांगों के आधार पर पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत संशोधित वेतनमानों में वेतन के आरम्भिक नियतन के बारे में कहा गया था। जांच-परख के बाद सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हो सकी। दिनांक 05.10.2006 को गठित छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में यह शामिल किया गया है कि आयोग कर्मचारियों के

विविध संघों द्वारा किए गए प्रतिवेदन के साथ-साथ विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक व्यापक वेतन पैकेज प्रस्तुत करे।

रियल एस्टेट कीमतों पर नियंत्रण

1575. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रियल एस्टेट कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए कोई फार्मूला बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉलोनाइजर्स द्वारा विकसित किये जा रहे फ्लैटों/प्लॉटों का मूल्य निर्धारित करने हेतु कोई सांविधिक प्राधिकरण स्थापित करने है;

(घ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सरकार का स्थावर संपदा प्रबंधन (नियामक और नियंत्रण) विधेयक तैयार करने का विचार है जो कि अभी ड्राफ्ट स्तर पर है इससे स्थावर संपदा कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलने की संभावना है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। यह विकास प्राधिकरणों/म्यूनिसिपल एजेंसियों आदि जैसी राज्य सरकार एजेंसियों के क्षेत्राधिकार में आता है। सरकार, कालोनाइजरों द्वारा विकसित फ्लैटों/प्लाटों की कीमत निर्धारित करने के लिए कोई भी कानूनी प्राधिकरण बनाने पर विचार नहीं कर रही है।

[हिन्दी]

बैंकों में धोखाधड़ी

1576. श्री रघुनाथ सिंह शाक्य: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंकों में धोखाधड़ी के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं जैसा कि दिनांक 19 जनवरी, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सामने आए हैं; और

(घ) इस संबंध में सकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) ''दैनिक जागरण'' के 19 जनवरी, 2007 के दिल्ली संस्करण में बैंकों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में कोई समाचार नहीं है। तथापि, 19 जनवरी, 2007 के ''दैनिक जागरण'' में ड्राफ्ट में हेर-फेर करके भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ हुई धोखाधड़ी का समाचार छपा था। यह पांच मामलों में ड्राफ्टों में हेर-फेर करके एसबीआई, दिल्ली के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2003-2004, 2004-05, 2005-06 और दिसम्बर 2006 तक के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (दिसम्बर 2006 तक)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
सरकारी क्षेत्र के बैंक	2207	653.50	2663	600.16	2557	1111.81	1986	605.37
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	1326	104.50	4141	158.50	7877	230.93	11504	264.60
विदेशी बैंक	3320	17.93	3646	20.38	3480	37.91	3897	23.11
कुल	6853	775.93	10450	779.04	13914	1380.66	17387	893.12

(घ) एसबीआई, दिल्ली, से संबंधित मामले विशेष में स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और दिल्ली सर्किल में सभी शाखाओं को एहतियाती निर्देश जारी किए गए हैं। आरबीआई, अपने पर्यवेक्षी दायित्व के एक भाग के रूप में, सामान्य धोखाधड़ी-संभावित क्षेत्रों और बैंकों में धोखाधड़ियों/भ्रष्टाचार के मामलों को रोकने के लिए/कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में समय-समय पर बैंकों को परामर्श देता रहा है। धोखाधड़ियों की घटनाओं को रोकने/कम करने के उद्देश्य से बैंकों में तंत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

* आरबीआई ने 1993 में बैंकों को, व्यवसाय (जमा एवं अग्रिम) के 50 प्रतिशत वाली शाखाओं को शामिल करते हुए समवर्ती लेखा परीक्षा की एक प्रणाली आरंभ करने का निदेश दिया था।

* आरबीआई ने, आंतरिक निरीक्षण के कार्यक्रम और लेखा परीक्षा तंत्र की बैंकों में उच्चतम स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित करने का परामर्श दिया।

* धोखाधड़ी निवारण पर बोर्ड का ध्यान केन्द्रित करने के लिए बैंकों को जनवरी 2004 में आरबीआई द्वारा परामर्श दिया गया था कि वे 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की उच्च-मूल्य धोखाधड़ियों के अनन्य अनुवीक्षण के लिए बोर्ड की एक विशेष समिति गठित करें।

* आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे बहियों के तुलन, अंतर-शाखा खातों के समाधान, आंतरिक निरीक्षण/लेखा परीक्षा मशीनरी एवं नियंत्रण विवरणियों की पर्याप्तता की समीक्षा और अधिकारियों द्वारा शाखाओं के दौरे संबंधी प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और परिष्कार करें और यह सुनिश्चित करें कि चेतावनी संकेतों पर अवश्य ध्यान दिया जाए।

* आवास ऋण के क्षेत्र में धोखाधड़ियों की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में धोखाधड़ियों को रोकने के लिए, आरबीआई ने भी निम्नानुसार कदम उठाए हैं:-

  (1) बैंकों को समय-समय पर धोखेबाजों और उनके द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के बारे में सावधान किया गया है।

  (2) आरबीआई ने कुछ प्रगतिजनक उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ भी मसले को उठाया है जैसे कि स्थावर संपत्ति रिकॉर्डों और लेन-देनों का कंप्यूटरीकरण, नाममात्र शुल्क के भुगतान के साथ आश्वासन पंजीयक के साथ बैंकों के पास बंधक संपत्ति पर भारों को रिकॉर्ड करना क्योंकि यह उपाय धोखेबाजों द्वारा बंधक संपत्तियों को एक से अधिक बार बंधक रखने को रोकने में सहायक होगा जिससे आवास ऋण क्षेत्र में धोखाधड़ियों की घटनाएं रुक सकें।

* उच्च-मूल्य धोखाधड़ियों की गहन निगरानी करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि वाली धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, द्वारा की जाती है और त्रैमासिक आधार पर उन्हें वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड, आरबीआई, को भेजा जाता है। 1 लाख रुपये और उससे अधिक परन्तु 1 करोड़ रुपये के कम की राशि वाली धोखाधड़ियों की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

[अनुवाद]

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु धनराशि का आवंटन

1577. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेष संसाधन का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा इसके आगे अल्पसंख्यकों हेतु किए गए ऐसे आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक व्यक्तियों तथा परिवारों को ऐसी धनराशि आवंटित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) एसजीएसवाई के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए विशिष्ट रूप से संसाधन आबंटित करने की प्रक्रिया वर्ष 2006-07

से शुरू हुई थी। अपसंख्यकों* के लिए उक्त आबंटन नियत करने हेतु वर्ष 2006-07 के दौरान स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 तथा 4.30 में संशोधन किया गया था। (*अल्पसंख्यक समुदाय वे हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है)।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बताए गए बी पी एल अल्पसंख्यकों के अनुपात के आधार पर राज्य सरकारों के लिए लक्ष्य नियत किए हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, अल्पसंख्यकों के संबंध में निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्यों को निधियों का अन्तरण डी आर डी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और अल्पसंख्यकों के मामले में निधियों के अन्तरण की अलग से प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है। लक्ष्य निर्धारित किए जाने के बाद डी आर डी एजेंसियां निर्धारण के अनुसार निधियां खर्च करती हैं।

विवरण

उन स्वरोजगारियों के लक्ष्य जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत सहायता दी जानी है

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	स्वरोजगारियों के लक्ष्य जिन्हें सहायता दी जानी है	अल्पसंख्यक स्वरोजगारियों के लिए लक्ष्य जिन्हें सहायता दी जानी है
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	57921	1342
2.	अरुणाचल प्रदेश	3023	617
3.	असम	78544	25104
4.	बिहार	137805	29678
5.	छत्तीसगढ़	30592	1931
6.	गोवा	546	50
7.	गुजरात	21803	415
8.	हरियाणा	12827	1533
9.	हिमाचल प्रदेश	5402	18
10.	जम्मू-कश्मीर*	6686	16
11.	झारखंड	51939	10036
12.	कर्नाटक	43739	2049
13.	केरल	19625	4966
14.	मध्य प्रदेश	65584	1931
15.	महाराष्ट्र	86461	3543
16.	मणिपुर	5266	917
17.	मेघालय*	5899	49
18.	मिजोरम*	1365	16
19.	नागालैंड*	4047	16
20.	उड़ीसा*	66250	3322
21.	पंजाब*	6234	65
22.	राजस्थान	33212	2782
23.	सिक्किम	1511	49
24.	तमिलनाडु	51215	1997
25.	त्रिपुरा	9507	595
26.	उत्तर प्रदेश	198389	33616
27.	उत्तराखंड	10426	1047
28.	पश्चिम बंगाल	73624	35875
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	205	16
30.	दमन और दीव	205	16
31.	दादरा और नगर हवेली	205	16
32.	लक्षद्वीप	205	16
33.	पांडिचेरी	819	16
	कुल	1091081	163660

नोट: पात्र अल्पसंख्यक वे हैं जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है- मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध तथा पारसी।

*ऐसे राज्यों में जहां अल्पसंख्यक बहुमत में हैं, वहां केवल अन्य अल्पसंख्यक जनसंख्या को अल्पसंख्यक माना जाता है जैसे जम्मू-कश्मीर में मुस्लिमों, पंजाब में सिक्खों और मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में ईसाइयों को इन राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है।

बोट कार

1578. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक वैज्ञानिक ने एक नई प्रकार की व्हीकल-बोट कार बनाई है जो भूमि तथा पानी पर चलती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत के नागरिकों की बृहत नवप्रवर्तन की संभावना का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाईफैक) द्वारा संयुक्त रूप से तक्नोउद्यमी संवर्धन कार्यक्रम (टैप) चलाया जाता है। टैप कार्यक्रम के अंतर्गत बोट-कार से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि, डीएसटी द्वारा समर्थित, नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन (एनआईएफ) में हाल ही में इसी प्रकार का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और जो आरेखों को बनाने में नवप्रवर्तकों की मदद कर रहा है। तथापि, डिजाइन में नूतन लक्षणों के लिए एक पेटेंट दायर किया जा सकता है।

(ख) एनआईएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार, केरल के एक कार मैकेनिक द्वारा यह आविष्कार किया गया है, जिसका नाम है- ''एमफीबियस कार'' जो भूमि और जल दोनों पर दौड़ सकती है। अन्वेषक का दावा है कि यह बोट-कार जल में 20 कि.मी. घंटे की अधिकतम गति से चल सकती है और इससे ऊर्जा की बचत होगी, भीड़-भाड़ को कम करेगी तथा उन सवारियों की यात्रा को सुगम बनाएगी, जो सड़क की अपेक्षा जल में यात्रा करना पसंद करते हैं।

राज्यों को ऋण माफी दिया जाना

1579. श्री सुभाष महरिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में ऋण माफी चाहने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऋण माफी दिए गए राज्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान का ऋण माफ नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बारहवें वित्त आयोग ने, राज्यों के राजस्व घाटे में कटौती से जुड़ी राजकोषीय निष्पादन के आधार पर ऋण माफी की एक योजना तैयार की है। राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा संबंधी इस स्कीम के तहत समेकित केन्द्रीय ऋणों पर 2005-06 से 2009-10 के दौरान देय पुनर्भुगतान राशि बट्टे-खाते डाली जा सकेगी। बट्टे-खाते डालने की मात्रा उस सम्पूर्ण राशि से जुड़ी होगी जिसके कारण बारहवें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटे में कमी आई हो। राजस्व अधिशेष वाले राज्यों में ऋण को तब तक बट्टे-खाते डाला जाता रहेगा जब तक राज्य की राजस्व अधिशेष राशि पूर्ण रूप से आधार वर्ष के स्तर से कम नहीं हो जाती।

(ख) वर्ष 2005-06 में 12 राज्यों को ऋण माफी दी गई। वर्ष 2006-07 में 20 राज्य ऋण माफी का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

(ग) राजस्थान ने दोनों वर्षों, अर्थात 2005-06 और 2006-07 में ऋण माफी का लाभ लिया है।

पी एफ डी एफ की स्थापना

1580. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूल्ड फाइनेंस डेवलपमेंट फंड (पीएफडीएफ) की स्थापना की है, जो निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दीर्घकालिक आधार पर बाजार से धनराशि जुटाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सक्षम बनाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। साझा वित्त विकास कोष (पीएफडीएफ) के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

(i) समुचित क्षमता निर्माण उपायों और परियोजनाओं के वित्तीय गठन के जरिए विश्वसनीय शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के विकास में सहायता पहुंचाना;

(ii) अभिज्ञात शहरी अवस्थापना परियोजनाओं में निवेश के लिए एक या अधिक अभिज्ञात शहरी स्थानीय निकायों की ओर से साझा वित्त बॉण्डों के जरिए पूंजी बाजारों का लाभ लेने के लिए राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई) को साख वृद्धि अनुदान प्रदान करके

महत्वपूर्ण नगर अवस्थापना में निवेश हेतु पूंजी और वित्त बाजारों में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की पहुंच को आसान बनाना;

(iii) समुचित साख वृद्धि उपायों और मौजूदा मंहगे ऋणों के पुनर्गठन के जरिए स्थानीय निकायों को ऋण देने की लागत घटाना; और

(iv) म्यूनिसिपल बॉण्ड बाजार के विकास को सरल बनाना।

साझा वित्त प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य साझा वित्त संस्था (एसपीएफई) का गठन करना अपेक्षित है। राज्य में गठित की जाने वाली एसपीएफई मुख्यत: एक न्यास अथवा विशेष प्रयोजन संस्था हो सकती है, बशर्ते कि संस्था केवल ''पास थ्रू व्हीकल'' हो। एसपीएफई गठित करने का बुनियादी लाभ यह है कि इससे शहरी स्थानीय निकाय नियमित आधार पर बांड बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और आवर्द्धित कार्यकलापों का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा, कुशल एसपीएफई बांड बाजार में काफी गुडविल सृजित कर सकते हैं और किसी शहरी स्थानीय निकाय की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर स्तर के कार्यकलाप हासिल कर सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि इससे किसी शहरी स्थानीय निकाय की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा कार्यकलापों के जोखिमों का बचाव कर सकेंगे।

केन्द्र सरकार, पीएफडीएफ के जरिए एसपीएफई को सहायता पहुंचाएगी। पीएफडीएफ के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध राशियों में से 5% परियोजना विकास सहायता के लिए खर्च की जाएगी। शेष 95% का उपयोग, साख निर्धार वृद्धि कोष (सीआरईएफ) को अंशदान के लिए किया जाएगा ताकि म्यूनिसिपल बॉण्डों के साख निर्धार को सुधार कर निवेश ग्रेड किया जा सके।

[हिन्दी]

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों का अतिरिक्त आबंटन

1581. श्री गणेश सिंह: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पीएमजीएसवाई (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त/और अधिक निधियों को संस्वीकृत करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, पीएमजीएसवाई के लिए परिव्यय को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, वर्ष 2006-07 के लिए बजट आबंटन 5225.62 करोड़ रु. था। वर्ष 2007-08 के लिए इसे बढ़ाकर 6500 करोड़ रु. कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए नाबार्ड से 4000 करोड़ रु. मिलेंगे।

[अनुवाद]

केबल आपरेटरों पर सेवा कर

1582. श्री एम. अप्पादुरई: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई केबल आपरेटर/कंपनियां सरकार को देय सेवा कर नहीं दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया देय राशि की वसूली करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) केबल आपरेटरों के विरुद्ध 2087.29 लाख रु. की सेवा कर राशि के कुल 1767 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं;

(i) बकाया राशियों की वसूली के लिए प्रेरित करने वाली कार्रवाई शुरू की गई है।

(ii) चूककर्ताओं के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं और न्याय निर्णयन संबंधी कार्यवाहियां शुरू की गई हैं।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 459.4 लाख रु. की बकाया राशि की वसूली हुई है।

स्वजलधारा योजना के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण-पत्र के बिना धनराशि जारी किया जाना

1583. श्री अलकेश दास:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** स्वजलधारा योजना के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव के बारे में दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2452 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वजलधारा योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या राज्यों के लिए उक्त योजना के अंतर्गत और धनराशि लेने के लिए पूर्व प्राप्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं;

(ग) यदि हां, तो किन-किन राज्यों द्वारा अब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजे गए हैं तथा उन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सहित कई राज्यों को केवल उपयोगिता प्रमाण-पत्र न देने के कारण वर्ष 2006-07 के लिए धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या वर्ष 2006-07 के लिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे राज्यों को धनराशि प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार धनराशि के किसी वैकल्पिक स्रोत का प्रस्ताव किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो वर्ष 2006-07 के लिए इन राज्यों द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि के लिए भेजे गए प्रस्तावों का भविष्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान राज्यों को किए गए आबंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। वित्तीय नियमों के अनुसार प्रापक एजेंसियों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। साथ ही यह योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत एक शर्त है।

(ग) और (घ) चूंकि जिले कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, इसलिए एक या एक से अधिक जिले यदि उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं भेजते हैं तो उस आधार पर पूरे राज्य को निधियों के लिए इंकार नहीं किया जाता है। जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक जिले को आगे की धनराशि रिलीज नहीं की जाती है। ऐसे राज्य, जहां किसी भी जिले से उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं— अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मेघालय हैं। वर्ष 2006-07 के दौरान, 17 राज्यों को चल रही परियोजनाओं के लिए तथा 12 राज्यों को नई परियोजनाओं के लिए निधियां रिलीज की गई हैं। वर्ष 2006-07 में, राजस्थान को चल रही परियोजनाओं के लिए 95.95 लाख रु. तथा नई परियोजनाओं के लिए 2329.19 लाख रु. रिलीज किए गए हैं।

(ङ) और (च) ऐसे राज्यों के लिए वित्तपोषण के किसी भी वैकल्पिक स्रोत की व्यवस्था नहीं है, जो उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्रस्तुति सहित नियमों के तहत निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं करते हैं। ऐसे राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को तब तक लंबित रखा जाता है जब तक कि वे विगत रिलीजों के सभी अपेक्षित मानदण्ड को पूरा न कर दें।

विवरण

2004-05 और 2005-06 के लिए स्वजलधारा के अंतर्गत राज्यों को आबंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.69	25.01
2.	आंध्र प्रदेश	1,632.65	4,065.55
3.	अरुणाचल प्रदेश	473.76	933.61
4.	असम	797.36	1,571.29
5.	बिहार	923.98	2,232.74
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00
7.	छत्तीसगढ़	332.20	750.97
8.	दादरा और नगर हवेली	8.46	16.67
9.	दमन और दीव	0.00	0.00
10.	दिल्ली	6.35	12.50
11.	गोवा	15.04	28.05
12.	गुजरात	2,000.09	2,172.94
13.	हरियाणा	246.48	682.31
14.	हिमाचल प्रदेश	677.16	1,667.72
15.	जम्मू-कश्मीर	1,560.02	2,900.60
16.	झारखंड	368.12	1,074.14
17.	कर्नाटक	1,515.04	3,005.31

1	2	3	4
18.	केरल	492.54	1,046.19
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
20.	मध्य प्रदेश	966.49	2,696.24
21.	महाराष्ट्र	2,935.46	5,359.79
22.	मणिपुर	162.86	320.93
23.	मेघालय	186.12	366.77
24.	मिजोरम	133.25	262.58
25.	नागालैंड	137.48	361.24
26.	उड़ीसा	865.23	2,409.99
27.	पांडिचेरी	6.35	12.50
28.	पंजाब	351.11	580.45
29.	राजस्थान	2,866.81	6,179.19
30.	सिक्किम	57.11	112.53
31.	तमिलनाडु	1,118.80	2,306.82
32.	त्रिपुरा	164.97	325.10
33.	उत्तर प्रदेश	1,621.06	3,608.10
34.	उत्तराखंड	378.67	1,112.15
35.	पश्चिम बंगाल	1,064.06	2,585.18
	कुल	24,077.77	50,785.16

आय कर निर्धारिती

1584. श्री सुनील खां: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर निर्धारितियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या टेलीफोन (लैण्डलाइन या मोबाइल) तथा गाड़ी रखने वालों को आयकर के दायरे में लाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2005-06 के लिए वास्तविक कर निर्धारितियों की श्रेणीवार संख्या निम्नवत थी:

श्रेणी	कर निर्धारितियों की संख्या
कम्पनी	3,82,003
व्यष्टि	2,69,77,218
हिन्दू अविभाजित परिवार	6,37,716
फर्म	12,13,890
न्यास	71,616
अन्य	56,232
कुल	2,93,38,675

(ख) मोबाइल एवं कार के संबंध में सूचना समय-समय पर एकत्र की जाती है और यह सूचना क्षेत्रीय कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रसारित कर दी जाती है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय सुधार

1585. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्याहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी) की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई वित्तीय सुधार सुविधा (एफ.आर.एफ.) में आवश्यक वित्तीय सुधार न करने वाले कुछ राज्यों से बचत करके वित्तीय सुधार करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान हैं;

(ख) क्या ई.एफ.सी. की सिफारिशों के अंतर्गत उन्नयन अनुदान तथा स्थानीय निकाय अनुदानों की बचत को एफ.आर.एफ. की बचतों में जोड़ा जाना है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) के अंतर्गत कितनी राशि की बचत होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) ग्यारहवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों (राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा) के लिए प्रबोधन योग्य (मॉनिटरेबल) राजकोषीय सुधार कार्यक्रम की संस्तुति की है। ग्यारहवें वित्त

आयोग द्वारा संस्तुति की गई थी कि गैर-योजनागत राजस्व लेखे के संबंध में राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए संस्तुत अनुदानों को रोके हुए भाग की 15 प्रतिशत राशि तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुरूपी अनुदान को प्रोत्साहन निधि में डाला जाए ताकि राजकोषीय निष्पादन पर आधारित अनुदान सभी 25 राज्यों को वर्ष 2000-2005 के दौरान उपलब्ध कराया जा सके। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि स्तरोन्नयन विशेष समस्याओं और स्थानीय निकायों जैसे विशिष्ट प्रयोजन के लिए दिए गए अनुदान जो अनुदानों को जारी करते समय संबद्ध शर्तों की अनुपालना होने के कारण अप्रयुक्त रह जाते हैं, ऐसी अनुदान राशि को पांचवें वर्ष अर्थात 2004-05 में प्रोत्साहन निधि में जोड़ा जाए ताकि निष्पादन करने वाले राज्यों में उसका वितरण किया जा सके। तथापि, ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि प्रोत्साहन निधि की अतिरिक्त शेष धनराशि के संबंध में अंतिम निर्णय बारहवें वित्त आयोग सिफारिशों के अनुसार किया जा सकता है। बारहवें वित्त आयोग ने इस व्यवस्था की समीक्षा की तथा चूंकि इसके द्वारा संस्तुत ऋण राहत स्कीम किसी पृथक राजकोषीय सुधार सुविधा की जरूरत के लिए अनावश्यक थी, अत: राज्य राजकोषीय सुधार सुविधा स्कीम (एफ.आर.एफ) को इसकी अवार्ड अवधि 2005-10 के बाद जारी रखने की सिफारिश नहीं की। सरकार ने बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। चूंकि एफ.आर.एफ. स्कीम ही समाप्त कर दी गई थी, इसलिए इस संबंध में किसी बचत का प्रश्न नहीं उठता।

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्यों की सहायता

1586. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का पूरे देश में विभिन्न कस्बों तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में कार्यवाही शुरू करने वाली राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जी डी पी

1587. श्री अर्चना नायक:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद के केवल एक प्रतिशत का निवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों को पुन: सक्षम बनाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययन एवं अनुसंधान को पुन: उत्साहवर्द्धक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का 0.8% है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार की "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" में देश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए एक कार्यान्वयन कार्य योजना शामिल है। इस कार्य योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं: (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रशासन एवं निवेश, (ii) शैक्षिक संस्थाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, (iii) मौलिक अनुसंधान के लिए नई निधिकरण कार्यप्रणाली, (iv) मानव संसाधन विकास, (v) औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास, तथा (vi) अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग।

(ङ) देश में अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलापों को तेज करने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोजन परिव्यय 9वीं योजना में 12,022 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10वीं योजना में 25,243 करोड़ रुपये कर दिया है और 11वीं योजना में इसे पुन: बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा सरकार द्वारा अनेक उपायों से संस्थाओं और उद्योग दोनों में अनुसंधान एवं विकास पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये अनेक कदम उठाए गए हैं। इन उपायों में शामिल हैं— वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अधिक आबंटन, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिये नई संस्थाओं की स्थापना, शैक्षिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उदीयमान एवं अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता एवं सुविधा केन्द्रों का सृजन, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुदान, अनुसंधान एवं विकास व्यय पर आयकर, राहत प्रायोजित अनुसंधान के लिए भारित कर कटौती, सरकारी निधि से चलने वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में प्रयोग हेतु आयातित माल पर सीमा शुल्क की छूट, उत्कृष्ट अनुसंधान एवं विकास के लिए करावकाश एवं राष्ट्रीय पुरस्कार।

आयकर प्रतिदाय के लम्बित मामले

1588. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो निर्धारण वर्षों में आय कर प्रतिदाय के कितने मामले क्षेत्र-वार विभाग के पास लम्बित हैं;

(ख) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारितियों को समय पर प्रतिदाय का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) महोदय, आयकर अधिनियम, 1961 के सांविधिक उपबंधों के अनुसार कर निर्धारण के फलस्वरूप मांग जारी करना अथवा कर निर्धारिती को प्रतिदाय प्रदान करना आयकर विभाग की एक सतत प्रक्रिया है। विवरणियों वाले प्रतिदाय की लंबित संख्या के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) आमतौर पर विवरणियां चार महीने के भीतर संसाधित कर दी जाती हैं और प्रतिदायी जारी कर दिए जाते हैं। तथापि, जन शक्ति की कमी के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है। कुछ मामलों में संदत्त किए गए अथवा काटे गए करों के सत्यापन की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिदाय जारी करने में विलम्ब हो जाता है।

(ग) कर निर्धारितियों को समय से प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं:-

(i) प्रतिदायों के समय से निर्गम को सुनिश्चित करने हेतु विवरणियों की कम्प्यूटरीकृत प्रोसेसिंग शुरू की गई है।

(ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि विवरणियों के दाखिल करने के चार माह के भीतर विवरणियों पर कार्रवाई की जाए तथा प्रतिदायी जारी किए जाएं।

(iii) आयकर विभाग जन शक्ति में वृद्धि करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

(iv) टी डी एस प्रमाणपत्रों को निष्प्रभावी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है तथा इलेक्ट्रानिक करीके से सत्यापन किया जाएगा।

(v) 25 बड़े शहरों में इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली पहले ही लागू कर दी गई है ताकि करदाता के बैंक खाते में प्रतिदायों को सीधे क्रेडिट किया जा सके।

(vi) रिफंड बैंकर स्कीम लागू कर दी गई है ताकि करदाताओं को समय से प्रतिदाय मिलने में सुविधा हो सके।

संयुक्त उद्यम में विद्युत उत्पादन

1589. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार रेलवे के साथ उद्यम में विद्युत का उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयुक्त उद्यम में कब तक विद्युत उत्पादन आरंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सरकार ने बिहार के औरंगाबाद जिले में मेगा पावर प्रोजेक्ट के रूप में नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (4×250 मे.वा.) स्थापित करने के लिए 5,352.50 करोड़ रुपये (जिसमें 30% इक्विटी होगी) के निवेश तथा 74% (1188.26 करोड़ रुपये) और 26% (417.50 करोड़ रुपये) के इक्विटी योगदान के साथ क्रमश: एन.टी.पी.सी. लि. और रेलवे की संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए अनुमोदन दिया है। पहले, नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (4×250 मे.वा.) को लगाने के संबंध में एन.टी.पी.सी. लि. ने रेलवे मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए थे। रेलवे को विद्युत की आपूर्ति करने के अलावा 10% विद्युत की आपूर्ति अन्य प्रयोगकर्त्ताओं को की जाएगी।

(ग) इस परियोजना से विद्युत उत्पादन 11वीं योजना अवधि के दौरान चालू होना परिकल्पित है।

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

1590. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' स्टेशनों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे स्टेशनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) ऐसे स्टेशन किस तरीके से 'क्रिस्टल मूवमेंटस' का अनुवीक्षण कर पाये हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) कुल 41 (इक्तालीस) जी.पी.एस. स्टेशनों की स्थपना की गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ये स्थायी स्टेशन हैं और सतत आधार पर प्राचलित होते हैं। इन स्टेशनों का चयन फॉल्ट्स और डाइक्स जैसी भू-भौतिकी विशेषताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात किया गया है।

इसके अतिरिक्त 300 से भी अधिक स्थानों का चयन किया गया है जहां, जब भी आवश्यकता हो जी.पी.एस. की स्थापना की जा सकती है। ऐसे स्थानों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) 41 जी.पी.एस. स्टेशनों से राष्ट्रीय जी.पी.एस. आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून में आंकड़े प्राप्त होते हैं और नियमित रूप से इनका संग्रहण किया जाता है। अधिकांश स्टेशन पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी पट्टी में स्थापित किये गये हैं जो भूकम्पीय रूप से सक्रिय जोन (भूकम्पविर्तनिकी) मानचित्र के जोन-V) में पड़ते हैं।

(घ) विभिन्न स्टेशनों के मध्य वेक्टर दूरी का निर्धारण किया जा सकता है तथा पर्पटी (क्रस्टल) के संचलन का सूचक हो सकता है। पर्पटी (क्रस्टल) संचलन और भूकम्पविवर्तनिक अध्ययनों के लिए स्थायी जी.पी.एस. स्टेशनों से आंकड़ों का विभिन्न अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है।

विवरण I

41 जी.पी.एस स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	अनुरक्षणकर्ता
1	2	3
1.	आईजौल	मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजौल
2.	अल्मोड़ा	जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा
3.	अनीनी	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल
4.	बंगलौर (आई.जी.एस. स्टेशन)	आई.जी.एस स्टेशन सी.एम.एम.ए.सी.एस.
5.	भतवारी	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
6.	भोपाल	रिजनल रिसर्च लेबोरेटरी, भोपाल
7.	भुवनेश्वर	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
8.	बोमडिल्ला	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, नापाम
9.	चित्रकूट	चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट
10.	देहरादून	भारतीय सर्वेक्षण विभाग/ डब्ल्यू.आई.एच.जी.
11.	दिल्ली	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
12.	धनबाद	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
13.	गुलमर्ग	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जिओमेग्नेटिज्म, मुम्बई
14.	गंगटोक	जी.बी. पंत इंस्टीट्यूट, अल्मोड़ा
15.	गुवाहाटी	गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी
16.	हानले	भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, बंगलौर
17.	इम्फाल	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुरम, इम्फाल
18.	जबलपुर	जी.एस.आई.
19.	जयपुर	आई.आई.टी.
20.	कानपुर	आई.आई.टी.
21.	कोडाईकनाल	भारतीय तारा भौतिकी संस्थान
22.	कोठी	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
23.	कोल्हापुर	आई.आई.जी, मुम्बई

1	2	3
24.	लेह	भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, बंगलौर
25.	लखनऊ	भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण विभाग, लखनऊ
26.	मुम्बई	आई.आई.टी, बॉम्बे, बॉम्बे
27.	मंसूरी	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
28.	नाड्डी	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
29.	नागपुर	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई
30.	पानामिक	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
31.	पिथौरागढ़	वाडिया हिमालयी भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून
32.	पांडिचेरी	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई
33.	पोर्ट ब्लेयर	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
34.	पुणे	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
35.	राजकोट	आई.आई.जी., मुम्बई
36.	शिलांग	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
37.	तेजरपुर	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, नापाम
38.	त्रिवेन्द्रम	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
39.	तिरुनेलवेली	आई.आई.जी, मुंम्बई
40.	विशाखापट्टनम	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, नवी मुम्बई
41.	लुमामी	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, नापाम

विवरण II

उन स्थानों की सूची, जहां जब भी आवश्यकता हो जी.पी.एस. की स्थापना की जा सकती है

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यों के नाम	जी.सी.पी. की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	04
3.	असम	08
4.	बिहार	09
5.	छत्तीसगढ़	09
6.	दिल्ली	01
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	22
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	05
11.	जम्मू-कश्मीर	08
12.	झारखंड	08
13.	कर्नाटक	21
14.	केरल	07
15.	मध्य प्रदेश	22
16.	महाराष्ट्र	29
17.	मणिपुर	02
18.	मेघालय	02
19.	मिजोरम	02
20.	नागालैंड	02
21.	उड़ीसा	11
22.	पंजाब	07
23.	राजस्थान	29

1	2	3
24.	सिक्किम	04
25.	तमिलनाडु	16
26.	त्रिपुरा	02
27.	उत्तराखंड	16
28.	उत्तर प्रदेश	22
29.	पश्चिम बंगाल	09
संघ शासित प्रदेश		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	01
2.	चंडीगढ़	01
3.	दादरा और नगर हवेली	01
4.	लक्षद्वीप समूह	02

एन.बी.एफ.सी.एस.

1591. **श्री आनंदराव बिठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ फर्मों ने खाद्यान्न की खरीद एवं जमाखोरी करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से धनराशि ली है जैसाकि दिनांक 24 फरवरी, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने खाद्यान्नों की खरीद और जमाखोरी करने के लिए इन संस्थानों से धनराशि लेने वाले कुछ कार्पोरेट के बारे में चिंता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या आरबीआई ने इन संस्थानों से रिपोर्टें मांगी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में आरबीआई द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी नें ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने खाद्यान्नों की खरीद के लिए बड़े उधारकर्ताओं को किए गए अपने वित्तीय निवेश की संवीक्षा करने के लिए 100 करोड़ रु. या उससे अधिक की आस्तियों वाली व्यवहार्य रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 23 फरवरी, 2007 को परिपत्र जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों को उन खातों की संवीक्षा करने पर शीघ्रता से विचार करने के लिए कहा गया है जिसमें उन्होंने बड़ा निवेश किया है और इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा है कि जमाखोरी के उद्देश्य से खाद्यान्न की खरीद के लिए निधियों का अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है। उनसे भारतीय रिजर्व बैंक को इस बारे में व्यापक रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है।

[हिन्दी]

निर्धन व्यक्तियों की जनगणना

1592. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निर्धन व्यक्तियों की जनगणना का कोई प्रावधान नहीं है तथा सरकार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा तैयार किए गए अनुमान के आधार पर इन आंकड़ों को केवल अद्यतन कर देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों तथा मध्य वर्ग के लोगों के बीच अंतर करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड काफी व्यापक हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (बीपीएल) द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के स्तर को प्राप्त करने वाले बीपीएल लोगों की संख्या की पहचान करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या सरकार के पास गरीबी कम करने का कोई लक्ष्य तथा वास्तविक मूल्यांकन है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (झ) हालांकि, योजना आयोग अनुमानत: 5 वर्षों के अंतराल पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का आकलन करता है, फिर भी ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता हेतु गरीबों का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल जनगणना करता है। ऐसी पहली बीपीएल जनगणना, 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कराई गई थी। विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुशासित क्रियाविधि के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नवीनतम बीपीएल जनगणना, 2002 कराई गई थी। विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण गरीबों के वर्गीकरण और निर्धारण के लिए पूर्ववर्ती जनगणनाओं में अपनाई गई आय तथा व्यय दृष्टिकोण की बजाए 13 अंक आधारित सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के आधार पर बीपीएल जनगणना, 2002 कराने की सिफारिश की थी। विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के अनुसार राज्यों को इस तरह से बीपीएल जनगणना, 2002 कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता हेतु निर्धारित लोगों की कुल संख्या वर्ष 1999-2000 के लिए योजना आयोग के गरीबी आकलन या समायोजित अंश इनमें से जो भी अधिक है, से अधिक नहीं हो। इसके अतिरिक्त, अस्थायी गरीब लोगों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत की छूट दी गई है। सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया था। किन्तु इसी समय 2001 की रिट याचिका सं. 196 की सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 5.5.2003 को एक आदेश पारित किया कि केन्द्र सरकार मौजूदा बीपीएल सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाने के लिए राज्यों पर दबाव नहीं डालेगी। चूंकि बीपीएल जनगणना में बीपीएल सूची में नामों को शामिल/हटाया जाता है, इसलिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि तब तक बीपीएल जनगणना, 2002 को तब तक अंतिम रूप न दें जब तक कि स्थगन-आदेश खारिज नहीं कर दिया जाता है। सर्वोच्च नायायालय ने 14.2.2006 को स्थगन-आदेश को खारिज कर दिया तथा तदन्तर, राज्यों को बीपीएल सूची (2002) को अंतिम रूप देने की सलाह दी गई है। लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए दो-स्तरीय अपील तंत्र बनाया गया है।

बीपीएल जनगणना, 2002 की क्रियाविधि में यह व्यवस्था की गई है कि सभी ग्रामीण परिवारों की रैंकिंग 13 सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित उनके अंक पर निर्भर करेगी। राज्यों को ग्रामीण बीपीएल परिवारों का निर्धारण करने के लिए कट-आफ अंक के बारे में निर्णय लेने हेतु लोचशीलता प्रदान की गई है जो समग्र रूप में राज्य में एक समान हो सकती है या स्थानीय स्थितियों के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के निदेश पर दिशानिर्देशों में यह प्रावधान पहले ही कर दिया गया है कि उस अवधि, जिसके लिए सूची लागू की गई है, के दौरान निरंतर आधार पर बीपीएल सूची में नए नामों को शामिल किया जाए तथा अपात्र नामों को हटा दिया जाए। इस प्रयोजनार्थ, ग्राम सभा को बीपीएल सूची अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार 1993 से 2004 की अवधि में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के प्रतिशत में औसत गिरावट प्रति वर्ष 0.74% है।

लोक अदालतें

1593. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित लोक अदालतों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन लोक अदालतों में कितने मामले निपटाए गए;

(ग) सरकार द्वारा लोक अदालतों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी अदालतें आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) देश में सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) लोक अदालतों को सुदृढ़ करने के विचार से सरकार ने "लोक उपयोगिता सेवाओं" से संबंधित विवादों के सुलह और समाधान के लिए अनिवार्य मुकदमा-पूर्व तंत्र का उपबंध करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2002 अधिनियम किया है। संशोधित अधिनियम लोक उपयोगिता सेवाओं

जैसे कि परिवहन सेवाएं, डाक, संचार, विद्युत आपूर्ति, अस्पतालों/औषधालयों में सेवाएं, बीमा सेवाएं आदि से संबंधित विवादों के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना हेतु अनुबंध करता है।

(घ) लोक अदालतों का आयोजन एक सतत प्रक्रिया है और वे आवश्यकता आधारित हैं और इस प्रकार लोक अदालतों की विनिर्दिष्ट संख्या को उपदर्शित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

राज्यों को नाबार्ड से सहायता

1594. श्री एस.के. खारवेलधन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में ग्रामीण अवसंरचना के विकास हेतु ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने धनराशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी प्रगति की गई है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने उक्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। गत तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 एवं 2005-06) के लिए विभिन्न राज्यों को संस्वीकृत आरआईडीएफ ऋण एवं उसके उपयोग का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नाबार्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

राज्यवार संस्वीकृति एवं संवितरण-आरआईडीएफ-2003-04, 2004-05 एवं 2005-06

(करोड़ रुपये)

राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		राज्य का कुल	
	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण	संस्वीकृति	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	864.96	648.34	1556.03	655.98	1556.03	793.76	3977.02	2098.08
कर्नाटक	291.13	266.17	412.48	242.41	412.48	250.95	1116.09	759.53
केरल	93.50	127.26	235.23	71.01	235.23	125.71	563.96	323.98
तमिलनाडु	547.73	363.24	657.72	275.91	657.72	515.87	1863.17	1155.02
दक्षिणी क्षेत्र का कुल	1797.32	1405.01	2861.46	1245.31	2861.46	1686.29	7520.24	4336.61
पश्चिमी क्षेत्र								
गोवा	0.00	14.99	–	0.00	–	0.00	0.00	14.99
गुजरात	899.21	373.85	1311.69	510.16	1311.69	857.99	3522.59	1742.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	67.03	2.75	95.41	512.74	95.41	164.50	257.85	679.99
पश्चिमी क्षेत्र का कुल	966.24	391.59	1407.10	1022.90	1407.10	1022.49	3780.44	2436.98
उत्तरी क्षेत्र								
हरियाणा	152.77	144.88	171.48	145.00	171.48	138.40	495.73	428.28
हिमाचल प्रदेश	141.70	142.35	91.64	83.18	91.64	125.08	324.98	350.61
जम्मू-कश्मीर	153.82	80.39	49.36	139.61	49.36	159.30	252.54	378.30
पंजाब	288.18	180.02	312.63	165.99	312.63	236.01	913.44	582.02
राजस्थान	140.27	178.55	356.26	163.93	356.26	315.43	852.79	657.91
उत्तर प्रदेश	217.84	140.60	516.34	182.33	516.34	182.32	1250.52	505.25
उत्तराखंड	223.30	391.96	308.44	249.29	308.44	410.18	840.18	1051.43
उत्तरी क्षेत्र का कुल	1317.88	1258.75	1806.15	1128.33	1806.15	1566.72	4930.18	3953.80
मध्य क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	432.88	272.20	62.53	300.67	62.53	447.58	557.94	1020.45
मध्य प्रदेश	276.45	49.88	533.51	122.41	533.51	175.00	1343.47	347.29
मध्य क्षेत्र का कुल	709.33	322.08	596.04	423.08	596.04	622.58	1901.41	1367.74
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	97.24	47.97	290.91	66.29	290.91	79.13	679.06	193.39
झारखंड	49.13	0.00	174.78	5.00	174.78	227.24	398.69	232.24
उड़ीसा	185.11	107.57	375.66	154.60	375.66	177.15	936.43	439.32
पश्चिम बंगाल	213.41	251.63	526.96	195.45	526.96	336.97	1267.33	784.05
पूर्वी क्षेत्र का कुल	544.89	407.17	1368.31	421.34	1368.31	820.49	3281.51	1649.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम								
अरुणाचल प्रदेश	15.12	22.31	20.14	12.77	20.14	45.00	55.40	80.08
असम	189.75	29.96	13.77	13.83	13.77	116.88	217.29	160.67
मणिपुर	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	7.99	1.06	7.99
मेघालय	15.52	20.70	–	15.09	–	14.02	15.52	49.81
मिजोरम	13.50	23.25	6.90	2.11	6.90	8.30	27.30	33.66
नागालैंड	16.94	11.60	28.66	16.76	28.66	25.94	74.26	54.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	13.17	24.95	–	10.46	–	8.64	3.17	44.05
सिक्किम	3.30	4.72	7.97	4.87	7.97	8.00	19.24	17.59
पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम का कुल	257.30	137.49	77.97	75.89	77.97	234.77	413.24	448.15
कुल योग	5592.96	3922.09	8117.03	4316.85	8117.03	5953.34	21827.02	14192.28

संयुक्त विद्युत आयोग

1595. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत आयोग की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक दो-सदस्यीय संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 2 मई 2005 द्वारा अधिसूचित की गई है। सरकार ने आयोग को क्रियात्मक बनाने के लिए पदों के सृजन का भी अनुमोदन किया है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

डी.आर.डी.ए. में विशेषज्ञ

1596. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीए) के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञों/एक्सपर्टों के पदों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विशेषज्ञों/एक्सपर्टों की रिक्तियों को तत्काल प्रभाव से भरने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (घ) राज्य सरकारों को उनके भर्ती नियमों के अनुसार समूह "क", "ख" और "ग" में रिक्त पदों के लिए ठेका आधार पर योग्य अनुभवी कर्मिकों को नियुक्त करने की अनुमति है। डीआरडीए प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों को तत्काल प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को रिक्त पदों को तत्काल भरने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता

1597. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता (एन.बी.सी) को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एनबीसी को अपनाने तथा इसे सख्तीपूर्वक क्रियान्वित करने के लिए देश के सभी स्थानीय निकायों को उपयुक्त निदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2005 अनुशंसी स्वरूप की संहिता है और एकरूपता का सुनिश्चय करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार की एजेंसियों/

अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी निर्माण एजेंसियों द्वारा एनबीसी के प्रावधान लागू करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

(घ) राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) को भारतीय मानक ब्यूरो ने वर्ष 2005 में संशोधित किया है जिसके खण्ड-IV (ढांचे की सुरक्षा) में मानक तथा विनिर्देशन निर्धारित किये गये हैं और यह एक ऐसी व्यापक धारा है जिसमें भूकंप, सुनामी आदि जैसी नैसर्गिक आपदाओं से भवनों के लिए सभी सुरक्षा पहलू दिए गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी राज्यों को पत्र भेज कर कहा है कि वे अपने संगत अधिनियम/भवन उपनियमों में राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप संशोधन/परिवर्द्धन करके राष्ट्रीय भवन संहिता को कार्यान्वित करें।

इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में प्रकाशित माडल भवन उपनियमों में भी राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुरूप ढांचे सुरक्षा संबंधी प्रावधान की गई है जिसे सभी शहरी स्थानीय निकायों को अपनाने हेतु सभी राज्यों के पास भेजा गया है।

टी.एस.सी. के अंतर्गत लम्बित परियोजनाएं

1598. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से कर्नाटक के बेल्लारी जिले के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के दिशानिर्देशों में किए गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए धनराशि जारी करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है और केन्द्र सरकार ने कुल कितनी सहायता प्रदान की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। 20.01.2007 को आयोजित राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति की बैठक में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 2338.72 लाख रु./- की कुल लागत वाला एक संशोधित प्रस्ताव बेल्लारी जिले के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और लाभार्थियों का हिस्सा क्रमश: 1503.57 लाख रु., 487.75 लाख रु. और 347.40 लाख रु. है। योजना के अंतर्गत बेल्लारी जिले को 376.23 लाख रु. की राशि रिलीज कर दी गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण भवन केन्द्र

1599. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार स्थापित किए गए ग्रामीण भवन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) ग्रामीण भवन केन्द्र (रूरल बिल्डिंग सेंटर्स) योजना 1999-2000 के दौरान शुरू की गई और इसे 2004-05 में समाप्त कर दिया गया। अत: 1.4.2004 के बाद कोई ग्रामीण भवन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत ऐसे केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन परियोजनाओं को एक वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना था जिसे और आगे बढ़ा दिया गया है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के जिम्मेवार अधिकारियों की एक बैठक इस मंत्रालय में 20.2.2007 को आयोजित की गई थी जिसमें उन्हें इन परियोजनाओं को यथासम्भव पूरा करने की सलाह दी गई थी।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान स्वीकृत ग्रामीण भवन केन्द्र

क्र.सं.	एजेंसी का नाम
1	2
1.	एनआईआरडी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
2.	एपीएसएचसी, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश
3.	एपीएसएचसी, परकल, वारंगल, आंध्र प्रदेश
4.	डीआरडीए, तवांग, अरुणाचल प्रदेश
5.	ग्राम विकास परिषद (एनजीओ) (नौगांव), असम
6.	अभिनव प्रि-फैब इंडस्ट्रीज (एनजीओ) (मोतिहारी), बिहार

1	2
7.	राजेन्द्र इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन एंड सोशल वैलफेयर (एनजीओ) (सीतामढ़ी) बिहार
8.	डीआरडीए, बालाघाट, मध्य प्रदेश
9.	जेल प्राधिकरण, भोपाल
10.	बसेरा बिल्डिंग सेंटर, राजगढ़, मध्य प्रदेश
11.	लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल, फॉउंडेशन, (एनजीओ) बिजनौर, उत्तर प्रदेश
12.	संकल सेवा संस्थान (एनजीओ), जालौन, उत्तर प्रदेश
13.	कसार ट्रस्ट (एनजीओ), बागेश्वर, उत्तरांचल
14.	रूरल एरियाज डेवलपमेंट सोसा. (एनजीओ), टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल

[अनुवाद]

कर्नाटक के लिए प्रोत्साहन अनुदान

1600. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन अनुदान हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) जी, हां। ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों की राजकोषीय सुधार सुविधा (एस.एफ.आर.एफ.) 2000-01 से 2004-05 पर संस्तुत दिशा-निर्देशों में परिभाषित राजकोषीय पैरामीटर पर आधारित वर्ष 2000-01 से 2003-04 के दौरान राज्य को 217.23 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई थी। कर्नाटक सरकार ने मार्च, 2005 में इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वर्ष 2004-05 से संबंधित प्रोत्साहन अनुदान की शेष राशि उसे जारी की जाए। राज्य सरकार के उक्त दावे पर विचार किया गया था तथा वर्ष 2004-05 के संबंध में प्रोत्साहन अनुदान 68.92 करोड़ रुपए दिनांक 14.03.2006 को राज्य सरकार को जारी किए गए थे।

[हिन्दी]

करमुक्त म्यूनिसिपल बाण्ड

1601. **श्री बालेश्वर यादव:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सराकरों को अपने शहरों के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि के अभाव को पूरा करने के लिए कर मुक्त म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने का परामर्श दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001 में सरकार ने स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जारी बाण्डों से होने वाली ब्याज रूपी आय को छूट देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (15) में एक नया खंण्ड (7) जोड़ा है। करमुक्त म्यूनिसिपल बाण्डों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित में से एक या अधिक चीजें मुहैया कराने के लिए केवल शहरी अवस्थापना में पूंजीगत निवेश किया जाना है:-

(1) पेयजल आपूर्ति

(2) सीवरेज या सफाई

(3) जल निकासी

(4) कचरा प्रबंधन

(5) सड़क, पुल एवं फ्लाईओवर; और

(6) शहरी परिवहन (यदि संगत कानून के तहत म्यूनिसिपल कार्य है)।

हाल ही में वित्त मंत्रालय के परामर्श से करमुक्त म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करने संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा दिनांक 7.3.2006 को सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेश सरकारों को परिचालित किया गया है।

(ग) करमुक्त म्यूनिसिपल बाण्ड जारी करके धनराशि जुटाने की अनुमति पाने वाले शहरी स्थानीय निकायों/निगमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

करमुक्त म्यूनिसिपल बांड
अनुमति पा चुके शहरी स्थानीय निकाय/पैरा स्टेटल

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	नाम	राशि (करोड़ रु. में)	राजपत्र में अधिसूचना की स्थिति
1.	अहमदाबाद नगर निगम	100.00	21.08.01
2.	हैदराबाद नगर निगम	82.50	4.03.02
3.	नासिक नगर निगम	50.00	7.03.03
4.	विशाखापत्तनम नगर निगम	50.00	29.12.03
5.	हैदराबाद मेट्रोपोलिटन जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	50.00	29.12.03
6.	अहमदाबाद नगर निगम	58.00	16.03.04
7.	चेन्नई मेट्रोपोलिटन जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	42.00	24.03.04
8.	कर्नाटक जल एवं सफाई साझा कोष ट्रस्ट	*100.00	20.08.04
9.	चेन्नई मेट्रोपोलिटन जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	50.00	23.03.05
10.	चेन्नई निगम	44.80	24.03.05
11.	अहमदाबाद नगर निगम	100.00	24.03.05
12.	नागपुर नगर निगम	128.00	4.01.07

*वर्ष 2004-05 में अनुमति दी गई थी तथा बाद में आवेदन करने पर 2005-06 में इसे पुन: वैध किया गया।

इसके अतिरिक्त अहमदाबाद शहर में 310.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के अवस्थापना कार्य के निष्पादन के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा 150 करोड़ रु. के करमुक्त म्यूनिसिपल बांड जारी करने के प्रस्ताव की हाल ही में वित्त मंत्रालय से सिफारिश की गई थी तथा भारत के राजपत्र में विशिष्ट बांडों को अधिसूचित करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित किया गया है।

[अनुवाद]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरों को शामिल करना

1602. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत तमिलनाडु के और शहरों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन के अधीन लगभग 60 नगरों तक को शामिल करने का निर्णय सरकार के अनुमोदन से लिया गया था। तथापि, जो नगर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं हैं उन्हें मंत्रालय की दूसरी स्कीम यथा, छोटे तथा मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना स्कीम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

अनुसंधान संबंधी संविदाएं

1603. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने परामर्शदाताओं, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षिक और अनुसंधान संगठनों आदि को अनुसंधान संबंधी संविदाएं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों को अनुसंधान संविदाएं प्रदान की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनुसंधान संबंधी संविदाओं को मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अनुसंधान संबंधी संविदाएं प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है;

(च) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) जो कि विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय है, के जरिए विद्युत मंत्रालय अपनी निम्नलिखित तीन स्कीमों के तहत यूटिलिटियों को अनुसंधान परियोजनाएं, शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान संगठन प्रदान करता है-

(1) विद्युत संबंधी अनुसंधान स्कीमें (आरएसओपी)

(2) राष्ट्रीय संदर्भ योजना परियोजनाएं (एनपीपी)

(3) अन्य योजना आर एंड डी

(ख) विगत तीन वर्षों में निम्नलिखित संगठनों को आर एंड डी परियोजनाएं सौंपी गईं-

आरएसओपी- तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी), कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. (केपीटीसीएल), पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पीएसईबी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद, मैसर्स सेंचुरी कंट्रोल्स इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोशिएशन (इरेडा) बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बंगलौर, बनारस हिन्दू यूनिर्वसिटी, वाराणसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बंगलौर, सतलुज जल विद्युत निगम लि., सीपीआरआई और एनटीपीसी लि.।

एनपीपी- इलेक्ट्रिक रिसर्च डेवलपमेंट एसोशिएशन (इरेडा), एमको ट्रांसफार्मर कंपनी और नेशनल मेटालरजीकल लैबोरेट्री (एनएमएल), जमशेदपुर।

अन्य योजना आर एंड डी- सीपीआरआई।

(ग) और (घ) संगठनों के ब्यौरे एवं नाम सीपीआरआई की वेबसाइट पर दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) विभिन्न संगठनों से प्राप्त आरएसओपी प्रस्ताव का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें सीपीआरआई, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), आईआईटी, केपीटीसीएल, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सदस्य शामिल होते हैं।

एनपीपी के लिए चार विभिन्न कार्य बलों (थर्मल जेनरेशन, हाइड्रो जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन) द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं अभिज्ञात की जाती हैं, जहां इन कार्यबलों में सीईए, सीपीआरआई, एनटीपीसी तथा पीजीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। कार्यबल की सिफारिशों को विद्युत मंत्रालय द्वारा नियुक्त अनुसंधान एवं विकास संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदन दिया जाता है।

अन्य योजनाएं— आर एंड डी परियोजनाओं का चयन विद्युत उद्योग एवं यूटिलिटी की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इन परियोजनाओं का मूल्यांकन सदस्य, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के नेतृत्व वाली अनुसंधान समिति द्वारा किया जाता है। परियोजना की विद्युत क्षेत्र के लिए उपयोगिता के आधार पर इन्हें अनुमोदन दिया जाता है।

सभी मामलों में प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं चयन संस्थानों, एस एंड टी प्रयोगशालाओं का विशेषज्ञता स्तर, उपलब्ध सुविधाएं तथा पूर्वानुभव एवं यूटिलिटियों द्वारा परियोजना को निष्पादित करने की क्षमता के आधार पर किया जाता है।

चक्रवात चेतावनी प्रणाली

1604. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में आंध्र प्रदेश और देश के अन्य भागों से भारी बाढ़ और चक्रवात की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी जान-माल की हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने लोगों को आने वाले चक्रवात और बाढ़ के प्रति पहले ही आगाह कर दिया था जिससे वे सुरक्षित स्थानों पर जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चक्रवात चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि बाढ़ और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सके?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी हां। अक्तूबर 2006 के अंत में आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में चक्रवातीय तूफान (अग्नि) के साथ भारी होने से बाढ़ आने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) 28 अक्तूबर 2006 को सांय में दक्षिणी आन्ध्र प्रदेश तट के निकट पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव वाले क्षेत्र के रूप में चक्रवातीय तूफान 'अग्नि' उठा। धीरे-धीरे 29 अक्तूबर 2006 की सायं तक तीव्र होकर यह चक्रवातीय तूफान में परिवर्तित हो गया और कावली से लगभग 50 किमी. पूर्व में बना रहा। चक्रवातीय तूफान कमजोर होकर गहरे अवदाब में बदल गया तथा 30 अक्तूबर 2006 को दोपहर के आसपास बापतला के निकट के तट को पार कर गया और इसी दिन दोपहर बाद अवदाब में बदल गया।

चेन्नै श्रीहरिकोटा तथा मछलीपट्टनम स्थित डॉप्लर मौसम राडारों का प्रयोग करके प्रणाली पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, प्रणाली को मानीटर करने तथा चेतावनी बुलेटिन जारी करने के लिए तटीय स्टेशनों से हर घंटे पर उपग्रह चित्रों तथा सतह प्रेक्षणों का प्रयोग किया गया।

आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार चक्रवात के कारण हुई जान-माल की हानि का ब्यौरा इस प्रकार है:

हताहत	:	35
मारे गये मवेशी	:	348087
नष्ट हुए घर	:	67259
नष्ट हुआ फसली क्षेत्र (है. में)	:	384550

(ग) और (घ) विशाखापट्टनम स्थित चक्रवात चेतावनी केन्द्र तथा हैदराबाद स्थित राज्य मौसम वैज्ञानिक केन्द्र ने तटीय आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना क्षेत्र में चक्रवातीय तूफान 'अग्नि' (29.10.06 से 2.11.06) की वजह से भारी वर्षा संबंधी चेतावनियां समय पर जारी कीं। ये चेतावनियां मुख्य सचिव, राहत आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन, प्रभावित जिलों के संबंधित राजस्व अधिकारियों, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया को भेजी गई। विशाखापट्टनम और हैदराबाद के मौसम विज्ञानी कार्यालयों के निदेशकों/कार्य अधिकारियों ने राज्य/जिला अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से संक्षिप्त विवरण भी दिया।

(ङ) चक्रवात के लिए अधिक दक्ष मॉनीटर तथा चेतावनी प्रणाली प्रदान करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी तट के निकट चुनिंदा चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात चेतावनी प्रसारण प्रणालियां (सी डब्ल्यू डी एस) स्थापित कर दी है। इन क्षेत्रों में एनालॉग तथा डिजिटल सी डब्ल्यू डी एस के जरिए चक्रवात संबंधी सतर्कता, चेतावनी तथा चेतावनी वापस लेने संबंधी संदेश भी प्रसारित किए गए। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, और अत्याधुनिक डिजिटल सी डब्ल्यू डी एस यूनिटें लगाकर एनालॉग और सी डब्ल्यू डी एस को बदले जाने का प्रस्ताव है। भारत के पूर्वी तट सहित समूचे देश में प्रेक्षणात्मक तथा पूर्वानुमान प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। आधुनिक मॉडलिंग क्षमता का प्रयोग करके 48 घंटे तक चक्रवात मार्ग को पूर्वानुमान में सुधार लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

डीआरडीएएस का डीपीसीएस में विलय

1605. **श्री के.एस. राव:**
श्री रशीद मसूद:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डीआरडीएएस) को भंग करके इन्हें जिला आयोजना समितियों (डीपीसीएस) में विलय करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का अनुचित क्रियान्वयन

1606. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अनुचित क्रियान्वयन के लिए कोई अधिकारी दोषी पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

1607. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री के.एस. राव:
श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:
श्री बालेश्वर यादव:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या आवास और शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितने सिर पर मैला ढोने वाले हैं;

(ख) क्या सरकार ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने समयबद्ध ढंग से मैला ढुलान के पूर्ण उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में केन्द्रीय मॉनीटरिंग समिति लगातार राष्ट्रीय कार्य योजना के कारगर कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग कर रही है।

विवरण

मैला ढोने वालों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुनर्वास किये जाने के लिए शेष मैला ढोने वाले
1.	गुजरात	52542
2.	महाराष्ट्र	45699
3.	राजस्थान	43567
4.	असम	38819
5.	उत्तर प्रदेश	33256
6.	उड़ीसा	24368
7.	पश्चिम बंगाल	21514
8.	हरियाणा	20804
9.	दिल्ली	14479
10.	बिहार	11941
11.	तमिलनाडु	11874
12.	झारखंड	5750
13.	जम्मू-कश्मीर	3939
14.	मध्य प्रदेश	3795
15.	हिमाचल प्रदेश	2734
16.	कर्नाटक	1958
17.	नागालैंड	1800
18.	उत्तराखंड	1477
19.	केरल	1198
20.	मेघालय	607
21.	पांडिचेरी	347
22.	आंध्र प्रदेश	0
23.	पंजाब	0
24.	छत्तीसगढ़	0
	कुल	342468

इंटरसेप्टर क्राफ्ट की खरीद

1608. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा-शुल्क विभाग के पास वर्तमान में कितने इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सीमा शुल्क विभाग भारतीय जल सीमा में अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए और अधिक इंटरसेप्टर क्राफ्ट खरीदने की योजना बना रहा है जैसाकि दिनांक 29 जनवरी, 2007 के ''द टाइम्स ऑफ इण्डिया'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) ये इंटरसेप्टर क्राफ्ट कब तक कार्य करना आरंभ कर देंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सीमा शुल्क विभाग के पास अवरोधक पोतों (इंटरसेप्टर क्राफ्ट) की वर्तमान संख्या 24 है।

(ख) जी, हां।

(ग) 12 मीटर लम्बे और 40 नॉट की अधिकतम गति के कुल 22 अवरोधक पोत को अधिप्राप्त किया जाना है। इस अधिग्रहण के लिए योजित कुल व्यय 106.93 करोड़ रु. हैं जिसमें 22 पोतों की क्रय लागत, प्रतिभूति अवधि के प्रथम वर्ष के गारंटी अवधि के बाद पांच वर्ष के लिए वार्षिक अनुरक्षण और प्रचालन के प्रथम पांच वर्षों के दौरान अपेक्षित बेस एवं डिपो पुर्जों की संभावित लागत शामिल है।

(घ) पोतों के लिए आदेश जून, 2007 तक दिए जाने की संभावना है और प्रथम पोत की सुपुर्दगी जून, 2008 में की जाएगी। इसके पश्चात प्रत्येक माह एक पोत सुपुर्द किया जाएगा और यह सुपुर्दगी मार्च, 2010 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी ऋण

1609. **श्री महावीर भगोरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और परियोजना-वार सरकार ने कितने विदेशी ऋण लिये;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार प्राप्त हुए विदेशी ऋण के आबंटन और उपयोग के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऋणों की अदायगी की स्थिति क्या है;

(ङ) विदेशी ऋणों की प्राप्ति और भुगतान के संबंध में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है; और

(च) सरकार द्वारा विदेशी ऋण पर कितना ब्याज अदा किया गया और इस पर ब्याज दर कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क), (घ) और (च) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी ऋणों का परियोजनावार ब्यौरा वेबसाइट http://www.finmin.nic.in/the_ministry/dept_eco affairs/aids_accounts/caaa/mainframe.html. पर उपलब्ध है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित ऋणों के भुगतानों की स्थिति और ब्याज दरों के साथ विदेशी ऋणों की समान्य शर्तें विदेशी सहायता विरणिका 2005-06 में क्रमश: विवरण ''क'' और विवरण-4 में दी गई है, यह भी उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) किसी परियोजना के लिए राशियों का आबंटन और उपयोग उसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि परियोजना दस्तावेज में दिया जाता है।

(ङ) ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस 2005-06 विश्व बैंक के अनुसार, विदेशी ऋणों के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत का स्थान 7वां और स्थान पाए हुए देशों के मध्य वर्ष 2004 में कुल ऋण शोधन भुगतानों में उसका 8वां स्थान है जो कि उस वर्ष के अंत में उनके कुल ऋण बकाया पर आधारित था।

दिल्ली की मलिन बस्तियों का भूमि सर्वेक्षण

1610. **डा. राजेश मिश्रा:**
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक एजेंसियों से दिल्ली में कितनी सरकारी भूमि पर मलिन बस्तियां बसी हुई हैं, के बारे में पूछा है और उसमें से कितनी भूमि की एजेंसियों को आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन बस्तियों का पुन: सर्वेक्षण किया गया है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सरकार भू-स्वामी एजेंसियों को अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे से बचाने हेतु उनके स्वामित्वाधीन भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की समय-समय पर सलाह देती रही है। चूंकि, विभिन्न प्रयोगों हेतु सरकारी भूमि की आवश्यकता के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सर्वेक्षण शामिल है इसलिए भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण किये जाते हैं।

[अनुवाद]

शहरी विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1611. **श्री निखिल कुमार:**
श्री अधीर कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश भर की शहरी विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भगीदारी को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बहुत-सी शहरी विकास परियोजनाएं क्रियान्वयन में पीछे चल रही हैं और इनकी ओर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित शहरी विकास परियोजनाओं को और देरी किए बिना पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता

1612. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री जुएल ओराम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सितम्बर, 2006 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के प्रबंध निदेशक, डा. के.जी. करमाकर की अध्यक्षता में परिचालनात्मक क्षमता हेतु आरआरबी बोर्ड के सशक्तीकरण के संबंध में एक कार्य बल का गठन किया था। इस कार्य बल ने दिनांक 31.01.2007 को भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस कार्य बल की प्रमुख सिफारिशें अन्य बातों के साथ-साथ (1) बड़े आकार के बैंकों के लिए आरआरबी के बोर्ड में निदेशकों की संख्या में वृद्धि, (2) अर्हता प्राप्त करने वाले अधिकारियों की सूची से गुणवत्ता के आधार पर अध्यक्षों के चयन, (3) अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अवधि निश्चित करना, (4) बैंकों के प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए जैसा भी अपेक्षित हो, समितियों के गठन, (5) आरआरबी द्वारा अपनी आय में वृद्धि के लिए नए उत्पाद तैयार किए जाने, (6) पूंजी पर्याप्तता मानदंडों (सीआरएआर) को आरआरबी पर भी लागू करने, (7) पृथक समिति द्वारा स्टाफ मानदंडों, शाखाओं का पुनर्वर्गीकरण, इत्यादि की जांच आदि से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

विदेशों में प्रशिक्षण पर खर्च

1613. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बहुत धनराशि खर्च होती है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय के अधिकारियों के विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों पर वहन किया गया खर्च उनसे प्राप्त लाभों के अनुरूप होता है; और

(घ) यदि हां, तो अवांछनीय विदेशी यात्रा को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है। एकत्र होने पर सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

[अनुवाद]

ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत धनराशि का आबंटन

1614. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:**
श्री अनन्त नायक:
श्री पी.सी. थामस:
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, राज्यों में विद्युत उत्पादन एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और प्रणाली का उन्नयन करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और प्रत्येक परियोजना को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को समय से पूरा नहीं किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) भारत सरकार तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी व सी) हानियों को कम करने, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारने, राजस्व एकत्रीकरण में वृद्धि तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार करने के लक्ष्य के साथ 2002-03 से त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन कर रही है। उक्त कार्यक्रम के दो घटक हैं अर्थात (1) निवेश घटक एवं प्रोत्साहन घटक। निवेश घटक के अंतर्गत, उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उत्थान हेतु राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में निधियां जारी की जाती हैं। एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत, प्रभावित वास्तविक नकद हानि कमी का 50% नकद हानियों को कम करने के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के रूप में दिया जाता है। एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत निधियों का लाभ उठाने के लिए, परियोजना प्रस्तावों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के रूप में राज्य यूटिलिटियों द्वारा तैयार किया जाता है जिनकी समीक्षा एडवाइजर-कम-कन्सलटेंट (एसीसी) द्वारा की जाती है और उसके बाद मेरिट पर एपीडीआरपी स्टीरिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाता है तथा मंजूरी दी जाती है।

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान, 284.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 14 नई परियोजनाएं प्रस्तुत की गई थी और इन्हें एपीडीआरपी के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की गई है। ब्यौरे निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	राज्य	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)
1.	छत्तीसगढ़	1	3.33
2.	कर्नाटक	2	26.19
3.	मध्य प्रदेश	6	4.34
4.	महाराष्ट्र	2	199.37
5.	पंजाब	1	6.19
6.	उत्तर प्रदेश	2	45.35
	कुल	14	284.77

एपीडीआरपी को 10वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसे ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2006-07 के दौरान किसी नई परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। किन्तु, 11वीं योजना के दौरान कार्यक्रम को जारी रखने के लिए सरकार के अनुमोदन के अधीन 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

क्र.सं.	योजना के ब्यौरे	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (रुपये करोड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1	6.75
2.	असम	1	3.63
3.	बिहार	7	129.58
4.	छत्तीसगढ़	2	8.16
5.	जम्मू-कश्मीर	1	48.73
6.	झारखंड	4	27.91
7.	कर्नाटक	4	10.93
8.	मध्य प्रदेश	3	1.86
9.	महाराष्ट्र	23	226.45
10.	नागालैंड	1	39.54
11.	उड़ीसा	3	295.40
12.	पंजाब	5	33.71
13.	सिक्किम	1	75.85
14.	तमिलनाडु	1	0.69
15.	उत्तर प्रदेश	28	540.57
16.	पश्चिम बंगाल	5	137.86
	कुल	90	1587.62

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एपीडीआरपी के निवेश एवं प्रोत्साहन घटकों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों को जारी की गई निधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	2005-06			2006-07 (अब तक)		
		निवेश	प्रोत्साहन	कुल	निवेश	प्रोत्साहन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	–	148.08	148.08	–	12.50	12.50
2.	कर्नाटक	12.52	–	12.52	12.50	–	12.50
3.	केरल	–	64.94	64.94	–	20.00	20.00
4.	मध्य प्रदेश	–	–	–	20.00	–	20.00
5.	महाराष्ट्र	80.78	–	80.78	25.12	–	25.12
6.	पंजाब	–	65.28	65.28	–	12.50	12.50
7.	राजस्थान	–	–	–	17.50	–	17.50
8.	उत्तर प्रदेश	39.49	–	39.49	62.61	–	62.61
9.	पश्चिम बंगाल	52.75	302.76	355.51	–	5.88	5.88
10.	असम	119.66	–	119.66	70.77	–	70.77
11.	हिमाचल प्रदेश	78.41	–	78.41	35.39	–	35.39
12.	जम्मू-कश्मीर	93.53	–	93.53	141.55	–	141.55

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मणिपुर	–	–	–	9.00	–	9.00
14.	मेघालय	–	–	–	32.07	–	32.07
15.	मिजोरम	49.05	–	49.05	–	–	–
16.	नागालैंड	25.75	–	25.75	–	–	–
17.	त्रिपुरा	–	–	–	16.67	–	16.61
18.	उत्तराखंड	39.00	–	39.00	–	–	–
	कुल	590.94	581.04	1172.00	443.18	50.88	494.06

(घ) और (ङ) परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ है। परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के विभिन्न कारण निम्नलिखित हैं-

(1) यूटिलिटियों द्वारा ठेके प्रदान करने के लिए नोटिस इनवाइटिंग टेन्डर (एनआईटी) में विलम्ब।

(2) यूटिलिटियों द्वारा ठेके सौंपने में विलम्ब।

(3) बढ़ी हुई मांग के कारण उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब।

(4) ठेकेदारों से खराब प्रतिउत्तर, विशेषरूप से उत्तरपूर्वी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर में।

(5) राज्यों द्वारा यूटिलिटियों को निधियों के अंतरण में विलम्ब।

(6) कार्य की भारी मात्रा जिसकी देखरेख के लिए यूटिलिटियों को तैयार नहीं किया गया था।

(7) बहुत सी यूटिलिटियों द्वारा टर्नकी ठेका प्रणाली को नहीं अपनाना।

विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान, राज्यों से शीघ्रअतिशीघ्र एपीडीआरपी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ठेके सौंपने, उपकरण आपूर्ति, निष्पादन आदि को तेज करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

भूमि सुधार अधिनियम का क्रियान्वयन

1615. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धनों में अतिरिक्त भूमि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ङ) संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो (राज्य सूची) की प्रविष्टि सं. 18 में की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसका प्रबंधन पूर्णतया संबंधित राज्यों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। भूमि सुधारों के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की भूमिका केवल सलाहकारी और समन्वयकारी है। तथापि, भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों और राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

30.9.2006 की स्थिति के अनुसार, देश में तूफान घोषित की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल 68.73 लाख एकड़ था, जिसमें से 60.27 लाख एकड़ क्षेत्र का कब्जा लिया गया है तथा 49.00 लाख एकड़ क्षेत्र 54.01 लाख लाभार्थियों को वितरित किया गया है,

जिसमें से 39 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जातियों के तथा 16 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजातियों के हैं। अधिकतम सीमा से फालतू 8.44 लाख एकड़ भूमि विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी में फंसी हुई है। राज्य सरकारों से न्यायालयों में पड़े मामलों, विशेष रूप से राजस्व न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों के निपटान हेतु एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए अनुरोध किया गया है। उनसे लम्बित पड़े मामलों के शीघ्रता से निपटान हेतु संविधान के अनुच्छेद 323-ख के अंतर्गत भूमि अधिकरण तथा उच्च न्यायालयों में विशेष पीठ स्थापित करने हेतु भी अनुरोध किया गया है।

इसके अलावा, 148.55 लाख एकड़ सरकारी बंजरभूमि और 16.57 लाख एकड़ भूदान भूमि पात्र ग्रामीण गरीबों को वितरित की गई है।

राज्य सरकारों ने 167.16 लाख एकड़ क्षेत्र को शामिल करते हुए 125.85 लाख काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार मुहैया कराये हैं।

इसके अलावा, 3.76 लाख एकड़ अंतरित जनजातीय भूमि जनजातीय समुदाय को वापस दिलाई गई है।

देश में 1739.01 लाख एकड़ क्षेत्र की चकबंदी की गई है।

कम मूल्य वर्ग के सिक्कों की अल्प आपूर्ति

1616. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कम मूल्य वर्ग के सिक्कों की आपूर्ति कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत प्रस्ताव

1617. श्री एल. राजगोपाल:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के उन नगरों का ब्यौरा क्या है जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शामिल किये गए हैं;

(ख) उन नगरों का ब्यौरा क्या है जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन छोटे तथा मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुछ प्रस्ताव प्राप्त किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश को कितनी निधि का आबंटन किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) आंध्र प्रदेश के तीन शहर अर्थात हैदराबाद, विजवाड़ा और विशाखापत्तनम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शामिल हैं।

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत शामिल शहरों को छोड़कर सभी कस्बों एवं शहरों को लघु एवं मझोले शहरों को लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के तहत शामिल किया गया है।

(ग) जी, हां। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत आंध्र प्रदेश सरकार से 63 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(घ) विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जे.एन.एन.यू.आर.एम. एक मांग आधारित कार्यक्रम है और वर्ष 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए आयोग द्वारा 300 करोड़ रु. का संकेतात्मक आबंटन किया गया है। समग्र निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के आधार पर राज्य को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

विवरण

(करोड़ रु. में)

शहर	प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की सं.	अनुमानित लागत	मूल्यांकनाधीन	अस्वीकृत	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्टें	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशियां	संशोधन हेतु वापस	आस्थगित	मंजूरी प्रदानकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु लंबित	अनुमोदन हेतु संस्तुत
हैदराबाद	28	2117.35	3	3	13	522.58	45.70	4	4	1	शून्य
विजयवाड़ा	14	404.87	शून्य	शून्य	7	250.24	25.36	7	शून्य	शून्य	शून्य
विशाखापत्तनम	21	1213.27	3	1	6	175.12	16.92	6	4	शून्य	1
आंध्र प्रदेश के लिए कुल	63	3735.49	6	4	26	947.94	87.98	17	8	1	1

विदेशी कारों का आयात

1618. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के अंतर्गत विदेशी कारों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत कितनी कारों का अब तक आयात किया गया है;

(ग) इन आयातों पर अब तक सरकार द्वारा एकत्रित किया गया शुल्क तथा शास्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने मामलों में सीमा शुल्क तथा अन्य बकाये लंबित हैं; और

(ङ) अब तक इन बकायों को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अपूर्ण ग्रामीण विकास परियोजनाएं

1619. श्री अजीत जोगी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजनाओं तथा इनमें से अभी तक अपूर्ण रही परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सारी परियोजनाओं को समय पर पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) ठेके आधार पर इन परियोजनाओं के लिए किसी एजेंसी या प्राधिकरण को कार्य सौंपने के लिए निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(घ) इन एजेंसियों के खिलाफ मानदंड के अनुसार विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं करने के लिए की-गई-कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डीडीपी), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) तथा स्वजलधारा योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देता है। परियोजनाओं की समापन अवधि अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत भिन्न-भिन्न होती हैं, जो उनके स्वरूप और कार्यक्रम दिशानिर्देशों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्वजलधारा के अंतर्गत छोटी योजनाओं के लिए 12-18 महीने तथा आईडब्ल्यूडीपी,

डीपीएपी तथा डीडीपी के मामले में पांच वर्ष। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत तथा पूरी की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत संबद्ध जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों अथवा राज्य सरकारों के लाइन विभागों द्वारा परियोजनाओं का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय संसद सदस्यों तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए आवधिक प्रगति रिपोर्टों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, क्षेत्र अधिकारी योजना, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं तथा राज्य/जिला स्तर पर निगरानी समितियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों की नियमित रूप से निगरानी करता है। राज्य सरकारों को निधियों की अगली किस्त तब रिलीज की जाती है जब वे उन्हें प्राप्त निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (अर्थात 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य	एसजीएसवाई (स्वीकृत विशेष परियोजनाएं)	आईडब्ल्यूडीपी स्वीकृत	डीपीएपी स्वीकृत*	डीडीपी स्वीकृत*	टीएससी स्वीकृत	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		पीएमजीएसवाई स्वीकृत
							स्वीकृत	पूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	44	916	354	4	1744	781	1053
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	56	–	–	10	181	75	64
3.	असम	1	72	–	–	9	694	115	788
4.	बिहार	5	54	218	–	22	77	0	327
5.	छत्तीसगढ़	2	38	367	–	11	61	0	1536
6.	गोवा	1	4	–	–	1	0	0	6
7.	गुजरात	5	41	790	966	20	396	54	779
8.	हरियाणा	0	15	–	376	12	361	0	44
9.	हिमाचल प्रदेश	0	31	127	133	5	1169	75	708
10.	जम्मू-कश्मीर	2	21	209	131	10	2437	64	67
11.	झारखंड	0	16	634	–	16	42	4	259
12.	कर्नाटक	3	41	719	530	24	623	148	549
13.	केरल	5	21	–	–	1	184	82	148
14.	मध्य प्रदेश	5	59	848	–	30	2157	348	2586
15.	महाराष्ट्र	5	33	959	–	13	947	4	544
16.	मणिपुर	2	20	–	–	0	33	0	0
17.	मेघालय	1	59	–	–	3	61	0	30
18.	मिजोरम	1	27	–	–	7	28	0	48
19.	नागालैंड	4	15	–	–	1	28	0	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उड़ीसा	0	38	462	–	15	799	124	1875
21.	पंजाब	0	12	–	–	11	49	0	173
22.	राजस्थान	7	52	307	2672	22	2169	230	2779
23.	सिक्किम	0	12	–	–	0	0	0	55
24.	तमिलनाडु	5	48	510	–	7	1278	975	910
25.	त्रिपुरा	1	16	–	–	0	331	0	36
26.	उत्तर प्रदेश	2	51	510	–	29	1420	0	4516
27.	उत्तराखंड	4	26	285	1	7	204	4	79
28.	पश्चिम बंगाल	2	17	224	–	3	160	5	651
	कुल	71	939	8085	5162	293	17633	3088	20664

[अनुवाद]

टी.आई.एफ.ए.सी. के नियम तथा विनियमन

1620. श्री मोहन रावले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेक्नोलॉजी इंफोरमेशन फोरकास्टिंग एण्ड एसेसमेंट काउन्सिल (टी.आई.एफ.ए.सी) भारत सरकार के नियमों तथा विनियमों का पालन कर रही है या इसने अपने नियम तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नोडल मंत्रालय या सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने कर्मचारी टी.आई.एफ.ए.सी. के सेवानिवृत्त हुए या इसे छोड़ दिया;

(ङ) क्या नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारियों को टर्मिनल/सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद (टाइफैक) के अपने "उप-नियम और स्टाफ नियमावली" है जो आमतौर पर भारत सरकार के नियमों और विनियमों के आधार पर बनाये गये हैं और इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(घ) से (च) मांगी गई जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	कार्मिकों की संख्या	छोड़ने का कारण	सेवांत हितलाभों का भुगतान	अभ्युक्ति
1.	2004-05	03	त्यागपत्र देना	भुगतान कर दिया गया है	-
2.	2005-06	-	-	-	-
3.	2006-07	02	1- त्यागपत्र देना	भुगतान कर दिया गया है	-
			1 अधिवर्षिता की आयु पर सेवानिवृत्ति	भुगतान नहीं किया गया	कर्मचारी से भुगतान किये जाने योग्य हितलाभों से अधिक देयताओं की वसूली की जानी है।

[हिन्दी]

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1621. **श्री मोहन सिंह:**
डॉ. मुनव्वर हसन:
श्री पी. करुणाकरन:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में देश में कितने गांवों को अब तक विद्युतीकृत किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही योजना की धीमी गति को देखते हुए कुछ विद्युतीकरण कार्य संबद्ध राज्यों के विद्युत परिषद को हस्तांतरित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि, नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) कार्यान्वयन एजेंसियों ने अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शुरू होने से 2.3.2007 तक प्रथम चरण के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत 32052 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और 7413 विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण और 7413 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की सूचना दी है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। नौ राज्य सरकारों ने अपने 68 जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन सौंपते हुए पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) की परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता तथा सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जानबूझकर निर्णय लिया है। तदनुसार, इन सभी नौ राज्यों ने संबंधित राज्य सरकार, राज्य विद्युत यूटिलिटी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) और पावरग्रिड को शामिल कर चतुष्पक्षीय करारों का निष्पादन किया है। इन नौ राज्यों में से किसी भी राज्य ने इन 68 जिलों में पावरग्रिड द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना परियोजनाओं के निष्पादन की धीमी गति के संबंध में आरईसी से अब तक संपर्क नहीं किया है।

[अनुवाद]

पैन कार्ड

1622. **श्री उदय सिंह:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में एक से ज्यादा पैन कार्ड धारकों को अल्टीमेटम जारी किया है तथा 23 फरवरी, 2007 तक इसे वापस करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो विभाग को ऐसे कितने पैन कार्ड प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार ने डुप्लीकेट कार्ड की समस्या से निपटने के लिए "बायोमेट्रिक" प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। आयकर विभाग ने पैन के लिए 12.2.2007 से 23.2.2007 तक डि-डुप्लीकेशन पखवाड़े का आयोजन किया तथा पैन धारकों से अपने डुप्लीकेट पैन लौटाने का अनुरोध किया।

(ख) 657174 डुप्लीकेट पैन कार्ड पैन डाटाबेस से हटाए/निष्क्रिय किए गए हैं।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग पैन कार्ड धारकों की बायोमेट्रिक सूचना प्राप्त करने तथा उसका प्रयोग विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहा है ताकि डुप्लीकेट पैन कार्ड की समस्या दूर की जा सके।

पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

1623. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य स्तर पर तथा जिला स्तर पर पीएमजीएसवाई के क्रियान्वयन हेतु गठित निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) वर्ष 2004-05, 2005-06 और चालू वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं और मंजूर की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पीएमजीएसवाई के कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक राज्य में मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्यस्तरीय स्थायी समिति (एसएलएससी) है। समिति (क) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति, और (ख) गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी करती है; प्रबंधन संबंधी वित्तपोषण व्यवस्था की देख-रेख करती है; वित्तीय प्रबंधन और ऑनलाइन निगरानी सहित राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी और कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई की क्षमता की समीक्षा करती है। इसमें तीन-स्तरीय गुणवत्ता निगरानी की व्यवस्था है। प्रथम स्तर पर ठेकेदारों को आवश्यक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करने की जरूरत होती है। इस स्तर की निगरानी जिला एवं राज्य स्तर पर की जाती है। दूसरे स्तर पर, राज्य सरकार को कार्यान्वयन एजेंसी से स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता को तैनात करने की जरूरत होती है। कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है और राज्यों से निगरानीकर्ताओं की टिप्पणियों पर उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने की अपेक्षा की जाती है। इस स्तर की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है। गुणवत्ता तंत्र के तीसरे स्तर पर, जांच कार्य राष्ट्रस्तरीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं और उनकी टिप्पणियां जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई को भेजी जाती है। राज्यों को टिप्पणियों के आधार पर उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई करनी होती है।

इसके अलावा, राज्यस्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां तथा जिलास्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी बनाई गई हैं जिनमें संसद सदस्यों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम भागीदारी होती है। इसके अलावा, राज्यों को पांच-सूत्री कार्यनीति अर्थात (1) जागरूकता सृजन, (2) पारदर्शिता, (3) जनभागीदारी, (4) जवाबदेही/सामाजिक लेखा परीक्षा, और (5) सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता एवं निगरानी अपनाने की सलाह भी दी गई है।

परियोजना की प्रभावी निगरानी एवं प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था (ओएमएमएस) भी शुरू की गई है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव			2005-06 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव			2006-07 के दौरान स्वीकृत प्रस्ताव		
		लागत करोड़ रु. में	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में	लागत करोड़ रु. में	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में	लागत करोड़ रु. में	सड़कों की सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	369.24	607	2638.84	350.21	340	1829.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	106.22	64	340.04	413.03	116	898.61
3.	असम	244.46	195	750.64	927.01	486	2060.51	–	–	–
4.	बिहार	202.50	75	732.45	733.01	252	2291.92	1498.56	432	3728.28
5.	छत्तीसगढ़	256.26	187	1303.96	1035.73	990	4467.50	1102.26	683	2619.44
6.	गोवा	1.08	6	4.32	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	42.69	123	247.41	121.38	370	763.72	224.02	449	1298.66
8.	हरियाणा	40.22	18	183.03	84.25	26	361.93	199.64	47	618.83
9.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	264.03	208	1204.01	978.43	639	4559.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू-कश्मीर	91.27	67	295.47	-	-	-	144.41	108	413.83
11.	झारखंड	-	-	-	113.78	102	479.39	-	-	-
12.	कर्नाटक	-	-	-	212.05	190	1273.26	422.42	256	2114.57
13.	केरल	52.76	96	179.47	-	-	-	48.83	84	163.92
14.	मध्य प्रदेश	-	-	-	1114.32	1191	5625.67	3152.13	3071	4934.91
15.	महाराष्ट्र	143.15	240	847.81	-	-	-	1107.92	1559	6079.08
16.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	152.23	59	556.19
17.	मेघालय	-	-	-	30.05	30	93.10	39.62	26	105.59
18.	मिजोरम	-	-	-	121.99	34	494.13	-	-	-
19.	नागालैंड	-	-	-	70.20	23	390.38	-	-	-
20.	उड़ीसा	398.72	418	1645.12	983.73	827	3351.69	1093.65	851	3121.37
21.	पंजाब	78.87	59	419.41	-	-	-	569.26	119	1525.16
22.	राजस्थान	-	-	-	976.17	1579	5445.63	1833.02	3634	10768.20
23.	सिक्किम	-	-	-	63.10	34	144.49	149.00	67	323.27
24.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	174.31	379	849.23
25.	त्रिपुरा	-	-	-	39.58	36	80.92	525.83	266	861.36
26.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	1013.38	.2313	4257.67	2289.77	2881	8093.77
27.	उत्तराखंड	-	-	-	103.34	79	595.47	203.04	102	890.31
28.	पश्चिम बंगाल	278.31	208	955.64	625.61	284	1974.85	666.22	236	1692.79
29.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	7.78	38	66.21
	कुल	1830.29	1692	7564.73	9108.17	9725	38335.13	17345.19	66266.48	29439

जलवायु परिवर्तन

1624. श्री अनन्त नायक:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व में बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तनों से अवगत है जिसका भारत में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के लिए कुल कितने निवेश का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे तथा सामान्यतया विश्व एवं प्रदेश के जलवायु पर होने वाले इसके संभावित प्रभावों से पूरी तरह अवगत है। भारतीय जलवायु पर पड़ने वाले प्रभावों तथा इससे अन्य क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने के प्रयास जारी हैं। भारत के संबंध में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किये गए अध्ययनों के निष्कर्ष हैं (1) 1900 से 1970 तक औसत तापमान वृद्धि 0.1 डिग्री से./दशक है लेकिन 1970 से 2006 तक यह 0.2 डिग्री से./दशक रही है। (2) अभी तक वैश्विक गर्मी अथवा भारतीय गर्मी से भारत के औद्योगिक कार्यकलाप पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। (3) पिछले 100 वर्षों में भारत में वर्षा में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है। (4) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए गए मॉडलिंग अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्विक गर्मी के बावजूद 2050 तक वर्षा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद वर्षा में मामूली वृद्धि हो सकती है।

(ख) नवगठित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन की समस्या पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया है और भारतीय जलवायु पर वैश्विक गर्मी के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करने और भविष्य में होने वाले अनुमानित परिवर्तनों से संबंधित अनिश्चितताओं की मात्रा ज्ञात करने के लिए तत्काल अनुसंधान कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके लिए (1) ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (जलवायु में गर्मी बढ़ाने वाली) और ऐरोसॉलों (शीत बढ़ाने वाले जिससे गर्मी कम होती है) के बेहतर आकलन के लिए व्यापक क्षेत्र प्रेक्षणात्मक कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं।

(2) संभावित प्रभावों के लिए बेहतर ढंग से गहन जानकारी प्राप्त करने और अनुमानित जलवायु परिवर्तनों की अनिश्चितताओं की मात्रा बेहतर ढंग से ज्ञात करने के लिए जलवायु मॉडलिंग प्रयासों को सुदृढ़ करना ताकि नीति निर्माताओं को संभावित परिवर्तनों से अच्छी तरह अवगत कराया जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन और जल संबंधित प्रभावों के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ग) यद्यपि पिछली शताब्दी में वैश्विक माध्य तापमान में वृद्धि देखी गई है, तथापि भारतीय मानसून वर्षा में स्थिरता रही है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव उग्र मौसम स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ने की आशा है जिसके परिणाम स्वरूप बार-बार बाढ़/सूखे की स्थितियां पैदा होती है। इस संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है जो अग्रिम रूप से चेतावनी तैयार करने और आपदाओं को कम करने के लिए किया जाने वाला प्रयास है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत में मानसून के जलवायु पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए व्यापक विज्ञान योजना तैयार कर रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों में से एक भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान भारत के कई अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को शामिल कर ऐसी विज्ञान योजना तैयार करने में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व कर रहा है। इसमें प्रेक्षणात्मक और मॉडलिंग दोनों अध्ययनों को शामिल करते हुए दोहरा उद्देश्य प्राप्त करने का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(घ) तैयार की जा रही विज्ञान योजना से कार्य योजना का मार्गदर्शन होगा और उस स्तर पर वास्तविक बजटीय आवश्यकता ज्ञात की जाएगी। मंत्रालय भारत में मौसम-वैज्ञानिक प्रेक्षणों का नेटवर्क बढ़ाने और संगठन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी कार्य कर रहा है। इसके लिए जलवायु मॉडलिंग अध्ययनों के लिए अपेक्षित अच्छी कार्य-निष्पादन वाले कम्प्यूटर प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) जलवायु परिवर्तन और प्रभावों के क्षेत्रों में कार्यरत कई अनुसंधान समूह विभिन्न अंतर्गराष्ट्रीय संगठनों को सहयोग कर रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन पर भारत-यूके संयुक्त सहयोग के अंतर्गत कार्यक्रम का समन्वय मूल्यांकन और प्रभाव के विश्लेषण के कई अग्रणी अनुसंधान समूह शामिल है तथा जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन और प्रभाव के विश्लेषण के कई पहलुओं को शामिल किया गया है। एटमास्फेरिक ब्राउन क्लाउड संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में दक्षिण एशियाई प्रदेश पर ऐरोसालों का अध्ययन करने के लिए कई प्रेक्षणात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समान्तर प्रयास किए जा रहे हैं। अंतिम रूप दिए जाने के बाद कई भारतीय संस्थानों द्वारा भाग लिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

एफ.आर.बी.एम. का क्रियान्वयन

1625. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 'फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एण्ड बजट मैनेजमेंट' के क्रियान्वयन को दो वर्ष के लिए स्थगित करने का है जैसाकि 8 जनवरी, 2007 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रबंध के माध्यम से धन की कमी को पूरा करने की संभावना का आकलन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 'फ्लैगशिप' योजनाओं के धन में कमी लाई जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। राजकोषीय समेकन एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) सरकार के आठ 'फ्लैगशिप' कार्यक्रमों को बजट 2007-08 में उच्च प्राथमिकता दिया जाना जारी है।

[अनुवाद]

युवा वैज्ञानिकों का पलायन

1626. श्री बृज किशोर:
श्री बालेश्वर यादव:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से परिचित है कि युवा वैज्ञानिक उच्च अध्ययन/अनुसंधान के लिए अन्य देशों में जाते हैं तथा वे वापस नहीं लौटते हैं;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों के विदेश पलायन को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों को देश में वापस बुलाने के लिए कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जी, हां। बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक उच्चतर अध्ययनों/अथवा उन्नत अनुसंधान के लिए विदेश जाते हैं और उनमें से अधिकांश वापस नहीं लौटते हैं। यह पलायन मुख्यत: विदेश में बेहतर शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं तथा अवसरों के कारण है। अधिकांश विकसित राष्ट्रों में निजी क्षेत्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के प्रति महत्वपूर्ण योगदान करता है तथा अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश करता है जिसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के आकर्षक अवसर पैदा होते हैं। यद्यपि, हाल में भारत में निजी क्षेत्र द्वारा किए गए ऐसे योगदानों में वृद्धि हुई है, तथापि देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को रोके रखने के लिए ऐसे योगदानों में अभी कई गुनी वृद्धि होनी है। भारत सरकार ने अपनी ओर से हाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शैक्षिक और अनुसंधान अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कोलकाता, पुणे और चंडीगढ़ में तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर) की स्थापना की गई है। अग्रणी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी अनुसंधान करने के अतिरिक्त ये संस्थान बहुविषयी और शैक्षिक रूप से लचीले तथा अनुसंधान उन्मुख परिवेश में एकीकृत एम.एस.सी. कार्यक्रम प्रदान करेंगे। इस वर्ष के बजट में 3 नए आई.आई.टी. की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। देश में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन मोड कार्यक्रम प्रारंभ किया है, उत्कृष्टता के केन्द्र स्थापित किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाएं प्रारंभ की हैं, शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए हैं, वैज्ञानिकों की व्यक्तिगत अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं तथा वैज्ञानिकों विशेषत: युवा वैज्ञानिकों को उनके वैज्ञानिक योगदानों के लिए आकर्षित और पुरस्कृत करने हेतु अनेक अध्येतावृत्तियां प्रारंभ की हैं, जैसे उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयंती अध्येतावृत्ति, कार्यशील वैज्ञानिकों के लिए रमन्ना अध्येतावृत्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति, जे.सी. बोस अध्येतावृत्ति, के.एस. कृष्णन अध्येतावृत्ति, आदि।

सरकार ने 11वीं योजना में इंस्पायर (अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान खोज में नवोन्मेष) नामक एक नई योजना शामिल की है। प्रस्तावित स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार होंगी; (1) स्कूलों में नवोन्मेष निधिकरण (1 मिलियन युवा नवोन्मेषक), (2) विज्ञान की जानी-मानी हस्तियों के साथ ग्रीष्मकालीन शिविर (उच्च निष्पादकों के लिए), (3) सिद्ध प्रतिभा बल के लिए सुनिश्चित अवसर योजनाएं, और (4) सार्वजनिक-निजी भागीदारियों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से निधिकृत अनुसंधान में प्रतिभा का प्रतिधारण। इसके अलावा, 11वीं योजना में उच्चतर शिक्षा में विज्ञान

के लिए छात्रवृत्तियों पर एक अन्य नई योजना प्रारंभ की जाएगी। इस स्कीम का उद्देश्य मेधावी छात्रों के बी.एस.सी./एम.एस.सी. पाठ्यक्रम के दौरान विज्ञान विषयों में उनके लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की 10,000 अध्येतावृत्तियों को प्रारंभ करना है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने हाल में विदेश में रह रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को वापस भारत लाने के लिए प्रेरित करने अथवा देश में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास की संवृद्धि के लिए उनकी वैज्ञानिक सुविज्ञता बढ़ाने के लिए कुछ अभिनव स्कीमें प्रारंभ की हैं। उदाहरणार्थ, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान का अनुशीलन करने के लिए संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की रामानुजम अध्येतावृत्तियां प्रारंभ की गई हैं; तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) का विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ सहयोगी परियोजना कार्यक्रम (सी.पी.-एस.टी.आई.ओ.) कार्यक्रम) विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को संक्षिप्त अवधि के लिए भारत आने तथा भारतीय वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से अनुसंधान कार्यकलाप करने का अवसर प्रदान करता है। सी.पी.-एस.टी.आई.ओ. कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 9 रामानुजम अध्येतावृत्ति प्रदान की गई हैं और 27 परियोजनाएं प्रदान की गई हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का के.एस. कृष्णा अनुसंधान एसोसिएटशिप भारत अथवा विदेश से वैज्ञानिकों के लिए डी.ए.ई. की यूनिटों में कैरियर अवसर प्रदान करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए अपनी प्रतिभा खोज स्कीम के माध्यम से उनके अनुभव के आधार पर डी.आर.डी.ओ. में विभिन्न ग्रेडों में वैज्ञानिक के रूप में योग्य और उपयुक्त अनिवासी भारतीयों की नियुक्ति करता है। विगत दो वर्षों के दौरान ऐसे 19 अनिवासी भारतीयों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने भी विश्व के किसी भी हिस्से में बसे भारतीय मूल के उन वैज्ञानिकों के लिए रामालिंगास्वामी अध्येतावृत्ति प्रारंभ की है जो भारत वापस आना चाहते हैं और यहां अपना अनुसंधान कार्य करना चाहते हैं।

पेयजल तथा स्वच्छता पर सम्मेलन

1627. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेयजल तथा स्वच्छता पर राज्य के मंत्रियों का सम्मेलन इस वर्ष आयोजित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयप्रकाश साहू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं को बंद करना

1628. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की कुछ प्रयोगशालाओं को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, नहीं। सीएसआईआर की किसी प्रयोगशाला को बंद करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।-

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

'बायोमास' ऊर्जा

1629. **डा. एम. जगन्नाथ:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 'बायोमास' से विद्युत उत्पादन हेतु कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में 'बायोमास' से राज्यवार मेगावाट के रूप में कुल कितनी विद्युत सृजित की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने बायोमास क्षमता में वृद्धि हेतु नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है तथा इसका विचार प्रत्येक गांव में सामुदायिक बायोमास संयंत्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यवार कितनी राशि प्रस्तावित है; और

(च) इससे कुल कितने मेगावाट बिजली का सृजन किया जा सकेगा?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, हां।

(ख) बायोमास गैसीफायर से जुड़े 100 प्रतिशत प्रोड्यूसर गैस इंजिन का प्रयोग करते हुए बायोमास से बिजली के उत्पादन हेतु देश में प्रौद्योगिकी का हाल ही में विकास किया गया है।

(ग) देश में अब तक बायोमास दहन, खोई सहउत्पादन और बायोमास गैसीकरण प्रौद्योगिकियों पर आधारित लगभग 1175 मेवा. की कुल संस्थापित क्षमता स्थापित की गई है। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) बायोमास आधारित ग्रिड-सम्बद्ध परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए चालू वर्ष के दौरान बायोमास विद्युत/सहउत्पादन कार्यक्रम को जारी रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, लेकिन 'सामुदायिक बायोमास संयंत्र' शीर्षक के अंतर्गत नहीं, प्रत्येक गांव में कुकिंग, मोटिव पावर और बिजली उत्पादन जैसी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनिंदा संभाव्यता वाले गांवों में सरकार द्वारा बायोमास आधारित प्रौद्योगिकियों का संवर्धन किया जा रहा है।

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान, बायोमास रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के संवर्धन हेतु 200 करोड़ रु. का एक वार्षिक योजना परिव्यय बनाया गया है। निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है।

(च) ग्राम आधारित बायोमास ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना का उद्देश्य विकेन्द्रित पद्धति में गांव की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करना है, और मेगावाट पैमाने पर बिजली का उत्पादन करना नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	310.63
2.	छत्तीसगढ़	89.00
3.	गुजरात	14.76
4.	हरियाणा	7.06
5.	कर्नाटक	259.44
6.	मध्य प्रदेश	5.73
7.	महाराष्ट्र	71.82
8.	पंजाब	28.70
9.	राजस्थान	23.52
10.	तमिलनाडु	220.91
11.	उत्तर प्रदेश	126.39
12.	पश्चिम बंगाल	8.43
13.	अरुणाचल प्रदेश	2.8
14.	त्रिपुरा	1.18
15.	अन्य	4.62
	कुल	1174.99

इन्सेट आधारित संचार सुविधा

1630. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग टाइड गेजेज एण्ड बॉटम प्रेशर रिकार्डर्स' द्वारा सही समय में आंकड़े प्राप्त करने के लिए इन्सेट आधारित संचार सुविधा स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य करने लगेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। समय पर सुनामी चेतावनी देने के लिए ज्वारमापियों और तल दाब रिकॉर्डरों से वास्तविक समय संबंधी डाटा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इनकॉयस), हैदराबाद को संप्रेषित करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सहयोग से इस

छोर से उस छोर तक संप्रेषण की योजना बनाई गई है, जिसमें एक ओर के संप्रेषण के लिए इन्सेट डीआरटी और क्रमशः ज्वार मापी और डार्ट ब्वॉयों से दोनों ओर के संप्रेषण के लिए इन्सेट एमएसएस का प्रयोग करना निर्धारित है। इस समय, वास्तविक समय संबंधी डाटा पहले से लगे ज्वारमापियों और तल दाब रिकॉर्डरों से वी-सेट संयोजकता के जरिए इनकॉयस में प्राप्त किए जा रहे हैं। इन्सेट हब स्टेशन और डीआरटी तथा एमएसएस टर्मिनलों को लगाने का कार्य इनकॉयस में जून 2007 तक पूरा हो जाएगा।

बायोमास रिसोर्स एटलस

1631. प्रो. एम. रामदासः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी डेवलपर्स को बायोमास परियोजनाएं स्थापित करने में कठिनाइयां आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं से निबटने के लिए सरकार द्वारा संस्थागत तथा अन्य कौन-कौन से कदमों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2007 तक भारत के लिए एक बायोमास रिसोर्स एटलस तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निजी डेवलपर्स के लिए 'गैसीफीकेशन' प्रौद्योगिकी में सुधार लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) अतिरेक कृषि अवशिष्टों को सम्मिलित करते हुए एक बायोमास संसाधन एटलस तैयार की गई है और सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग हेतु इसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की वेबसाइट पर रखा गया है।

(ङ) और (च) विद्युत उत्पादन अनुप्रयोगों हेतु बायोमास गैसीकरण प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए भारत सहित विश्वव्यापी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है जिसके एक भाग की सहायता मंत्रालय द्वारा की जा रही है। यह प्रौद्योगिकी वर्तमान समय में प्रदर्शन चरण में है इसमें आगे सुधार करने के लिए प्रयास प्रगति पर हैं।

एसएफआईओ की सिफारिशें

1632. श्री चन्द्रकांत खैरेः क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस) (एसएफआईओ) ने भारत सरकार से मेसर्स बोनान्जा बायोटेक लिमिटेड तथा मेसर्स डिजायन ऑटो सिस्टम्स लि. के खिलाफ कंपनी कानून तथा भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसएफआईओ की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गंभीर धोखाधड़ी जांच-पड़ताल कार्यालय द्वारा (एसएफआईओ) मैसर्स डिजाइन ऑटो सिस्टम्स लि. तथा मैसर्स बोनान्जा बायोटेक लिमिटेड के बारे में जांच रिपोर्टें क्रमशः 19.01.2005 तथा 20.01.2005 को भेज दी गई थीं। जांच रिपोर्टों के निष्कर्ष के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अभियोजन/कानूनी कार्रवाई सक्षम न्यायाधिकार के न्यायालय/कम्पनी विधि बोर्ड के सक्षम आरंभ कर दी गई हैं, जो कि उपयुक्त है और यह मामला प्रगति पर है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बैंक शाखाएं

1633. श्री मो. ताहिरः
श्री पंकज चौधरीः
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभरः
श्री बालेश्वर यादवः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार ऋण प्रक्रिया में सरलीकरण तथा देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्धि करने का

है जैसा कि 26 जनवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2007-08 के दौरान राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी; और

(च) ऋण प्रक्रिया के सरलीकरण तथा किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक शाखाओं को खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) किसानों के लिए ऋण की आसान उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऋण-प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कई उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) बैंकों से कहा गया है कि किसानों को उचित ब्याज-दरों पर ऋण देते समय प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और मार्जिन धन एवं प्रतिभूति मानदंडों से संबंध में अपने विवेक का प्रयोग करें। 50,000/- रुपये तक के ऋणों को सम्पार्श्विक एवं मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं से मुक्त रखा गया है।

(2) बैंकों के बीच एक पृष्ठ का दस्तावेज अपनाए जाने हेतु परिचालित किया गया है।

(3) शाखा प्रबंधकों को अपने स्तर पर ही किसानों के लिए तुरंत ऋण मंजूर करने के लिए पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

(4) आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने हेतु अनुदेश।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि वर्ष 2007-08 में तीव्र गति से शाखा विस्तार कार्यक्रम चलाएं। उनसे यह भी कहा गया है कि देश के ऐसे 80 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक शाखा खोलें, जिनमें कोई भी शाखा न हो।

(ग) और (घ) शाखा रहित 80 जिलों को छोड़कर देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की कोई कमी नहीं है। वाणिज्यिक अर्थक्षमता को ध्यान में रखकर शाखाएं खोली जाती हैं। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार देश के 525 जिलों में 133 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे, जिनका 14494 शाखाओं का नेटवर्क था।

(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रायोजित बैंक के अनुरोध पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में एक या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित कर सकता है। इस समय, किसी भी प्रायोजक बैंक से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने हेतु ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) ऋण-प्रक्रिया को सरल बनाना भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों पर आधारित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि तीव्र गति से शाखा विस्तार करें और ऐसे 80 जिलों में से प्रत्येक में, जिनमें शाखा नहीं हैं, कम से कम एक शाखा खोलने के लिए प्रयास करें।

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत परियोजना

1634. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाभोल इकाई को शुरू करने के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन आयातों को मिलाने से परियोजना की विद्युत लागत में कमी आने की संभावना है जैसा कि 29 जनवरी, 2007 के "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो लंबी अवधि के समझौते के अंतर्गत पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा जहाजों में आयातित गैस का मूल्य स्पॉट मार्किट से खरीदे जा रहे डाभोल के लिए महंगे ईंधन को मिलाकर कम औसत लागत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के उपलब्ध बाजार से अल्पकालिक आयात और दीर्घकालिक आयात को मिलाने से डाभोल गैस टरबाइन यूनिटों को आरंभ करने की औसत ईंधन लागत कम हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोनेट एलएनजी लि. (पीएलएल) डाभोल विद्युत परियोजना हेतु अल्पकालीन आधार पर एलएनजी आपूर्तिकर्त्ताओं से एलएनजी प्राप्त कर रहा है। दीर्घकालीन

ठेका के तहत एलएनजी के साथ इस गैस से ईंधन लागत कम होगी और इससे परियोजना की विद्युत लागत कम होगी।

(ख) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि उन्होंने सभी संबंधितों को निर्देश जारी किए गए हैं कि दीर्घकालीन ठेकों के तहत प्राप्त आरएलएनजी की आपूर्ति पर वसूली जाने वाली गैस कीमतें गैर-पक्षपातपूर्ण आधार पर होनी चाहिए और सभी विद्यमान एवं नये उपभोक्ताओं से समान संचित कीमतें वसूल की जानी चाहिए।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों हेतु धनराशियों का आबंटन

1635. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए इस प्रकार के आबंटनों की तरह अल्पसंख्यकों के लिए वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में कोई विशिष्ट संसाधन का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा उसके पश्चात अल्पसंख्यकों के लिए किए गए ऐसे आबंटनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यक व्यक्तियों तथा परिवारों को ऐसी निधियों के आबंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) चालू वर्ष के अक्तूबर, 2006 से यह निर्णय लिया गया है कि बीपीएल अल्पसंख्यकों के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर वास्तविक एवं वित्तीय संसाधनों का 15 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए सन्दर्भित राज्यों में उनकी बीपीएल अल्पसंख्यक आबादी के अनुपात के आधार पर राज्य-वार आबंटन किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए पहली बार निधियां निर्धारित की गई हैं। चालू वर्ष के लिए आबंटन के अनुसार अल्पसंख्यकों के लिए 2.30 लाख मकान बनाने हेतु 581.20 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। जिलों या अन्य में अल्पसंख्यकों की आबादी के आधार पर प्रत्येक राज्य द्वारा जिला-वार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना होता है।

(ग) आईएवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाना होता है।

[हिन्दी]

बिहार में मूलभूत सुविधाएं

1636. श्री गिरिधारी यादव: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के शहरी मलिन क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान उन्हें कितनी धनराशि प्रदान की गई?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में शहरी स्लम क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं से संबंधित उपमिशन के अधीन पटना और बोधगया सहित 63 मिशन नगर शामिल हैं। एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम के अधीन वे सभी नगर शामिल हैं, जो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं हैं। जहां तक शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने का संबंध है, बिहार की सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर जिले से क़ान्ति कस्बे के लिए 3.20 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाला केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय समिति द्वारा इस परियोजना के लिए 2.56 करोड़ रुपये के केन्द्रीय अंश को स्वीकृति दे दी है।

पिछले 2 वर्षों के दौरान 35.63 करोड़ रुपये (2004-05 के दौरान) तथा 3.06 करोड़ रुपये (2005-06 के दौरान) की रकम बिहार राज्य को क्रमश: राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम तथा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना के अधीन दी गई है। राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम तथा वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना नामक दोनों स्कीमों का दिसम्बर, 2005 से लागू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अधीन एकीकृत आवास तथा स्लम विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास हेतु निधियों में कटौती

1637. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल में नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण विकास योजना संबंधी निष्पादन समीक्षा समिति की 10वीं बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी है कि अग्रनयन शेष को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या कतिपय राज्यों का विशेषकर राजस्थान से इस संबध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) निष्पादन समीक्षा समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए शुरू किए गए व्यापक निगरानी के विभिन्न उपायों में से एक है। नई दिल्ली में निष्पादन समीक्षा समिति की 12-13 मार्च, 2006 को सम्पन्न 10वीं बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2005-06 के अग्रनयन शेष राशि की अनुमेय सीमा, जो वार्षिक आबंटन का 15% थी, को घटाकर 10% करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्णय की जानकारी दी गई थी।

(घ) और (ङ) बाद में राजस्थान राज्य ने ऐसी कुछ कठिनाइयों की जानकारी दी थी जो अग्रनयन राशि की अधिकतम सीमा को 15% से घटाकर 10% करने के निर्णय की वजह से आ सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पहले ही विभिन्न स्तरों पर इन चिंताओं से वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया था और अधिकतम सीमा को 15% पर बहाल रखने का अनुरोध किया था। तथापि, वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं था और अग्रनयन राशि की 10% की अधिकतम सीमा के निर्णय को कार्यान्वित कर दिया गया है।

यमुना रीवर-फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी

1938. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना सौंदर्यीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु यमुना रीवर-फ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका कब तक गठन किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) यमुना रीवरफ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन हेतु अंतर-विभागीय विचार-विमर्श शुरू किया गया है। कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। इसलिए, अभी समयावधि का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

राष्ट्रमंडल खेलों हेतु भूमि का अधिग्रहण

1639. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खेलगांव स्थापित करने हेतु राज्यों से भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है जैसाकि दिनांक 24 फरवरी, 2007 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने खेलगांव की स्थापना करने हेतु भूमि की खरीद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से कुल कितने हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी हेक्टेयर भूमि को संस्वीकृत किया गया है और इसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रमंडल खेल गांव स्थल की भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अंतरित करने के लिए सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने खेल गांव स्थल में लगभग 12.35 हेक्टेयर भूमि (30.887 एकड़) अंतरित करने का उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस भूमि को डीडीए को अंतरित करने के लिए सहमत हो गई है। डीडीए द्वारा 67.65 लाख रुपये प्रति एकड़ के मुआवजे का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार को किया जाना है।

[अनुवाद]

पीएन रूट के माध्यम से प्राप्त निधियां

1640. श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पीएन रूट के माध्यम से प्राप्त निधियों एवं विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा वापस ली गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारतीय शेयर बाजार में पीएन रूट के माध्यम से आ रही निधियों के स्रोत का कभी सत्यापन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) प्रबंधन के अंतर्गत सितम्बर, 2003 से नवम्बर, 2006 तक परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में पार्टिसिपेटरी नोटों (पीएन) के आनुमानिक मूल्य में 19 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव हुआ है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एफआईआई द्वारा निधियों का अंतर्प्रवाह और बर्हिप्रवाह निम्नानुसार है:

(राशि मिलियन अमरीकी डॉलर में)

वर्ष	अंतर्प्रवाह	बर्हिप्रवाह	निवल
2004-05	39907.04	31628.04	8279.00
2005-06	64487.13	55627.13	8860.00
2006-07	95692.38	89066.24	6626.14

*(23 फरवरी, 2007 तक)

(ख) और (ग) वर्ष 2004 में सेबी (एफआईआई) विनियमावली 1995 में संशोधन किया गया ताकि सेबी पंजीकृत एफआईआई विनियमावली के क्षेत्र के भीतर पीएन के निर्गम को लाया जा सके। विनियमावली में संशोधन यह सुनिश्चित करने हेतु आशयित है कि पीएन जारी करने वाले एफआईआई केवल विनियमित कंपनियों को ही यह जारी करेंगे।

विद्यमान विनियामक व्यवस्था के अनुसार जो एफआईआई सेबी में पंजीकृत हैं और पीएन जारी कर रहे हैं, को एक मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सेबी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। रिपोर्ट में एफआईआई मुख्यत: निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करते हैं:

* पीएन के ग्राहकों के नाम
* पीएन के ग्राहकों के नियम संग्रह
* ग्राहकों का अधिकार क्षेत्र
* भारतीय आधार प्रतिभूति का स्वरूप
* निर्गम/मोचन/बकाया

रिकार्डों के अनुसार, पीएन जारी करने वाले एफआईआई नियमित रूप से निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे हैं।

(घ) (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कंपनी पंजीयक का उप-केन्द्र

1641. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **कॉर्पोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि जामनगर, राजकोट और सूरत में कंपनी पंजीयक के उप-केन्द्र के न होने के कारण कंपनियों को अपने नामों का पंजीयन कराने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त शहरों में कंपनी पंजीयक का उप-केन्द्र खोलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस स्थिति का समाधान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता): (क) जी, नहीं। मंत्रालय को इस बारे में कहीं कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) सरकार ने एमसीए-21 के नाम से एक ई-गवर्नेंस कार्यक्रम कार्यान्वित किया है, जिसके अंतर्गत कम्पनियां तथा व्यवसायिक अपने सभी दस्तावेजों को अपने कार्यालयों या घरों से किसी भी समय या कहीं से भी अपनी सुविधा के अनुसार एमसीए-2 पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। इस प्रकार भौगोलिक दूरियों के कारण कम्पनी रजिस्ट्रारों के साथ व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं आती। इनके रहते हुए, गुजरात राज्य के लिए अहमदाबाद के कम्पनी रजिस्ट्रार का पूरा कार्यालय है, और कार्य के मैनुअल तरीके से ई-गवर्नेंस तरीके में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, तथा कांडला, एसईजेड में एमसीए-21 ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत सुविधा केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जो स्टेकधारकों को किसी फीस के बिना ई-फाईलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त व्यवसायिकों द्वारा प्रबंधित तथा प्रचालित 29 प्रमाणित फाइलिंग केन्द्रों को (सीएफसी) गुजरात राज्य के लिए अनुमोदित भी कर दिया गया है। औसतन 80% दस्तावेजों को स्टेकधारकों द्वारा पूरे देश में प्रत्यक्षत: एमसीए-21 पोर्टल का इस्तेमाल कर के बिना सुविधा केन्द्र सीएफसी की सहायता प्राप्त करे फाइल किया जा रहा है। अत: गुजरात में और अधिक केन्द्र खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ठोस कचरे का पाटन

1642. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी जनसंख्या द्वारा कितनी मात्रा में ठोस कचरे का सृजन किया जाता है;

(ख) क्या ठोस कचरा खुले लैंडफिलों में उड़ेला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चिकित्सीय कचरा एवं खतरनाक रासायनिक कचरा भी इन लेंडफिलों में उड़ेला जाता रहा है जिससे भू-जल प्रदूषण के माध्यम से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा नगर प्राधिकारियों को क्या अनुरोध जारी किए गए हैं; और

(च) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेचुरल रिसोर्सिज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम

1643. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नेचुरल रिसोर्सिज डाटा मैनेजमेंट सिस्टम (एन.आर.डी.एम.एस.) विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में एन.आर.डी.एम.एस. में राज्यवार कौन-कौन से जिले शामिल हैं;

(घ) उक्त जिलों में जिले के डाटाबेस का प्रबंधन करने में भू-स्थानिक तकनीकों को किस प्रकार विकसित किया गया है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान उक्त प्रणाली के अंतर्गत राज्यवार कितने जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ विविध भू-भागीय परिस्थितियों में सूक्ष्म स्तर पर आयोजना के लिए स्थानिक आंकड़ा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रदर्शित और प्रोन्नत करना है;

(i) आंकड़ा प्रबंधन, निदर्शन और प्रचालन अनुसंधान के लिए सॉफ्टवेयर सहायता प्रदान करना।

(ii) स्थानिक आंकड़ा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।

(iii) प्रौद्योगिकी अंतरण और संभावित प्रयोक्ताओं का क्षमता निर्माण।

(iv) विभिन्न स्तरों पर प्रयोक्ताओं के साथ संयोजनों को आगे बढ़ाना।

* स्थानिक आंकड़ा प्रौद्योगिकियों से संबंधित नीतियों के निरूपण के लिए विज्ञान और प्रद्योगिकी सूचना मुहैया करना।

* राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना के लिए पायलट पैमाने पर स्थानिक अवसंरचना का विकास और प्रदर्शन तथा अनुसंधान सहायता प्रदान करना।

(ग) देश में एन.आर.डी.एम.एस. के तहत शामिल किये गये राज्य-वार जिले इस प्रकार हैं:

	राज्य	जिले
1.	असम	सोनितपुर
2.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल, महबूबनगर, विशाखापट्टनम
3.	बिहार	मुंगेर
4.	गुजरात	खेड़ा
5.	हरियाणा	अंबाला, यमुनानगर, गुड़गांव, पंचकुला
6.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू
7.	कर्नाटक	सभी जिले (27)
8.	मणिपुर	इम्फाल, थौबल
9.	नागालैंड	कोहिमा
10.	उड़ीसा	कोरापुट
11.	पंजाब	मंसा
12.	राजस्थान	टोंक
13.	तमिलनाडु	पुडुकोट्टाई, वेल्लौर, थेनी, कुड्डुलोर, नागापट्टनम
14.	उत्तराखंड	नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पौड़ी, टिहरी
15.	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ
16.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया, पश्चिम मिदनापुर, जलपाइगुड़ी, बांकुरा

(घ) सभी जिलों में जहां एन.आर.डी.एम.एस. कार्यक्रम चल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों के स्थानिक संसाधन परिदृश्य और संबद्ध क्षेत्रकों को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) प्लेटफार्म पर विकसित किया गया है। इससे स्थान विशेष की योजना और समस्याओं को सुलझाने में मदद मिली है इस प्रकार विकेन्द्रीकृत आयोजना की संकल्पना को सुदृढ़ किया गया है।

(ङ) 2006-07 के दौरान आंध्र प्रदेश में दो जिले एन.आर.डी.एम.एस. केन्द्रों को स्थापित किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण

1644. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिजली बचाने तथा निकट भविष्य में नये भवन निर्माण हेतु इसे अनिवार्य बनाने के लिए विभिन्न सरकारी भवनों में ऊर्जा बचाने वाली विधियां शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों के बीच ऊर्जा बचाने की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के भवनों में स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा कार्यकुशलता में सुधार के उपायों को लागू करने का काम शुरू किया है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार के 20 से अधिक भवनों में ऊर्जा ऑडिट अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं। ऊर्जा ऑडट की सिफारिशें ऊर्जा सेवा कंपनियों (एस्क्रो) के जरिए राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, श्रम शक्ति भवन तथा परिवहन भवन में लागू की गई है। संचार भवन में अभिज्ञात ऊर्जा संरक्षण उपायों को विभागीय रूप से लागू किया गया है। 500 कि.वा. और इससे अधिक से संयोजित भार या 600 केवीए या इससे अधिक के ठेका मांग वाले नए वाणिज्यिक भवनों के लिए प्रारूप संरक्षण बिल्डिंग कोड तैयार किए गए हैं।

(ग) केन्द्र सरकार ने ऊर्जा संरक्षण पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण पर स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रेस और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जागरूकता निर्माण, स्ट्रीट शो, लाइट एमिटिंग डायोड (एल.ई.डी.) डिसप्ले बोर्ड पर संदेश तथा जनसाधारण में ऊर्जा संरक्षण की संकल्पना को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के जरिए ऊर्जा संरक्षण पर सूचना का प्रचार-प्रसार शामिल है।

[हिन्दी]

शहरी विकास योजनाओं हेतु राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव

1645. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु संस्वीकृत एवं जारी किए गए धन का योजना-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बढ़ता समुद्र स्तर

1646. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते समुद्र स्तर के कारण भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सीमा के अंदर स्थित कोई द्वीप जलमग्न हो गया है जैसाकि दिनांक 23 दिसंबर 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे संकटों के लिए क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) प्रेक्षणों से पता चलता है कि पिछले कुछ समय में समुद्र स्तर में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई। उत्तरी हिंद महासागर में तटीय ज्वार मापियों के 40 वर्ष से अधिक अवधि के रिकार्डों से यह अनुमान लगाया गया है कि समुद्र स्तर में 1.29 मि.मी. की क्षेत्रीय औसत वृद्धि के साथ प्रति वर्ष 1.06-1.75 मि.मी. के बीच वृद्धि होती है। अन्तरसरकारी जलवायु परिवर्तन संबंधी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा सूचित किए अनुसार पूरे विश्व के समुद्र स्तर में प्रति वर्ष 1 से 2 मि.मी. तक वृद्धि होने का अनुमान है। 23 दिसंबर, 2006 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिकॉर्ड के अनुसार उपग्रह चित्रों में सुंदरवन क्षेत्र के सुपारीभंगा और लोहचरा दो द्वीपों का मानचित्र नहीं लिया गया है। द्वीपों और तटीय क्षेत्रों का डूबना जटिल प्रक्रिया है जिसके कई कारक है।

(ग) और (घ) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे के वैज्ञानिकों ने भारत के विभिन्न भागों में वैश्विक चेतावनी के संभावित परिदृश्य का प्रारंभिक मूल्यांकन किया है। इन परिणामों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा यूएनएफसीसीसी (यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेंट चेंज) को प्रस्तुत उनके नेशनल कम्यूनिकेशन-1 में प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2070 तक गर्मी 1.5-2.0 डिग्री. से. की रेंज तक हो जाने की आशा है और यह भारत के अधिकांश भागों में कमोबेश समान रूप से होगी। परन्तु उत्तर पश्चिमी भारतीय प्रदेश में इसके मामूली बढ़ने की आशा है।

(ङ) विश्व में गर्मी बढ़ना और समुद्र स्तर में वृद्धि वैश्विक घटना-चक्र है जो जटिल प्रकृति का है। हाइड्रोकार्बनों का उपयोग करने से रोकने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज करने के लिए संवेदनशील विश्व निकायों के अधीन समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राज्यीय विद्युत विवाद

1647. श्री महावीर भगोरा:
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1984 में केन्द्र सरकार और पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं में उत्पादित विद्युत के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार द्वारा अन्य राज्यों के साथ जल के बंटवारे से संबंधित सभी समझौतों को समाप्त करने वाले पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रिमेंट एक्ट, 2004 को लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने पंजाब की पन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत का अन्य राज्यों के साथ बंटवारे के मामले को सलाह हेतु उच्चतम न्यायालय के पास भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस पर उच्चतम न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मुद्दे का समाधान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) 10.5.1984 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों और भारत सरकार के बीच एक करार हुआ था जिसमें यह तय हुआ था कि आनंदपुर साहिब हाइडल परियोजना, मुकेरियां हाइडल परियोजना, थीन बांध परियोजना, यूबीडीसी स्टेज-2 और शाहपुर कंड हाइडल योजना में विद्युत की हिस्सेदारी के लिए हरियाणा और राजस्थान द्वारा उठाए गए दावों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट को उसका विचार जानने के लिए भेजेगी। संदर्भ के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार जानने हेतु मामला भेजा जाना था कि क्या राजस्थान और हरियाणा राज्य इन हाइडल योजनाओं से उत्पादित विद्युत में हिस्से के हकदार हैं और यदि वे हैं तो प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा होगा। इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत सरकरार द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च न्यायालय का विचार हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को प्रेषित किया जाएगा और यह उनके लिए बाध्यकारी होगा।

मामले को मित्रतापूर्वक निपटाने के लिए, 1984 से कई औपचारिक एवं अनौपचारिक विचार-विमर्श हुए हैं। अब तक, अलग-अलग विचारों के कारण सामंजस्य नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों के साथ जल की हिस्सेदारी से संबंधित अपने सभी करारों को समाप्त करते हुए पंजाब सरकार द्वारा टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप संघ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने के लिए मामला उसे भेज दिया है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भूकंप-रोधी भवनों का निर्माण

1648. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली भूकंप-रोधी जोन में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो भवनों को भूकंप-रोधी बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) भारतीय भूकम्पीय जोन नक्शे के अनुसार दिल्ली को भूकंपीय जोन-4 में रखा गया है। भवनों के लिए भूकंपीय और संरचनात्मक सुरक्षा हेतु प्रावधान करने के लिए दिनांक 21.3.2001 को दिल्ली के लिए एकीकृत भवन उपनियम को संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माइक्रो जोनीकरण नक्शे के प्रथम स्तर का कार्य पूरा किया जा चुका है जिससे भवनों/संरचनाओं की मजबूती का आकलन करने में मदद मिलेगी। भूकंपीय सुरक्षा मूल्यांकन तथा भूकंपीय दृष्टिकोण से मौजूदा कमजोर भवनों की रेट्रोफिटिंग के लिए एक मॉडल मुहैया कराने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत कम मजदूरी का भुगतान

1649. श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न पक्षों से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एन.आर.ई.जी.एस.) के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी से कम का भुगतान किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त उक्त शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान करने वाली राज्य सरकारों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एनआरईजीए) की धारा 6(1) में यह व्यवस्था है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निहित किसी बात के होते हुए भी,

केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मजदूरी दरें विनिर्दिष्ट कर सकती है परन्तु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी दरें विनिर्दिष्ट की जाएं और यह कि ऐसी अधिसूचना के अंतर्गत समय-समय पर विनिर्दिष्ट मजदूरी दर साठ रुपये प्रतिदिन की दर से कम नहीं होगी। अधिनियम की धारा 6(2) में यह भी प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी राज्य में किसी क्षेत्र के लिए मजदूरी दर निर्धारित किए जाने तक राज्य सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा-3 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी लागू है। अधिकांश राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी काम आधारित होती है और भुगतान कार्य की मात्रा के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग होता है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी एनआईजीए प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्यों को कार्य उपयुक्त रूप से विनिर्दिष्ट करने होते हैं और व्यापक समय एवं गति अध्ययन करना होता है। इन अध्ययनों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा गुजरात की सरकारों ने पैदावार मानकों को संशोधित किया है। राजस्थान ने भी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मियों में अत्यधिक गर्मी के दिनों में मानकों को शिथिल किया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक एवं एडीबी सहायता

1650. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, विशेषकर पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उपयोग में लाई गई सहायता राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राधिकृत और संवितरित वित्तीय सहायता का राज्य और परियोजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(आंकड़े करोड़ रु.)

राज्य	विकास भागीदार	परियोजना और करार वर्ष	कुल प्राधिकृत राशि	संवितरण		
				2003-04	2004-05	2005-06
छत्तीसगढ़	विश्व बैंक (आईडीए)	छत्तीसगढ़ जिला ग्रामीण निर्धनता परियोजना (वर्ष 2003-04)	539.95	22.64	0.22	28.59
आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक (आईडीए)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना (2003-04)	748.84	89.86	176.25	237.26
तमिलनाडु	विश्व बैंक (आईडीए)	तमिलनाडु अधिकारिता और गरीबी उन्मूलन परियोजना पुथुवाजवु परियोजना (2005-06)	1024.15	0.00	0.00	59.46

डी.डी.ए. के सतर्कता विभाग के कार्यकरण की समीक्षा

1651. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग में भ्रष्टाचार रोकने तथा इसके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए इसके कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग की समीक्षा करती रही है तथा लंबित मामलों की संख्या कम करने एवं सतर्कता कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उन्हें सलाह देती है। डीडीए के उपाध्यक्ष, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सतर्कता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्य की समीक्षा करते हैं तथा गुणवत्ता की जांच, सतर्कता मामलों के शीघ्र निपटान तथा विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन

1652. श्री निखिल कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन को देश के विभिन्न भागों में ''रियल इस्टेट बिजनेस'' में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो एन.बी.सी.सी. द्वारा प्रमुख शहरों में भूमि/आवासों की खरीद-बिक्री के लिए पहचान किए गए स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ''रियल इस्टेट बिजनेस'' में एन.बी.सी.सी के प्रवेश का विभिन्न शहरों में आवासों/भूखंडों की बढ़ती लागत पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) स्थावर सम्पदा परियोजना शुरू करने की अनुमति कम्पनी से संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में निहित है और नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. 10 वर्ष से भी अधिक समय से स्थावर संपदा का विकास कार्य करती आ रही है।

(ख) नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. द्वारा बड़े शहरों में भूमि/मकानों की खरीद-फरोख्त के लिए जिन स्थानों की पहचान की गई है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:-

(1) एन.बी.सी.सी. प्लाजा, वाणिज्यिक तथा शॉपिंग परिसर, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली।

(2) कटक विकास प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर कटक (उड़ीसा) में शॉपिंग और वाणिज्यिक केन्द्र,

(3) एन.बी.सी.सी. विबग्योर टॉवर्स (आवासीय परिसर), न्यू टाऊनशिप, राजारहॉट, कोलकाता

(4) अगरतला नगर निगम के साथ मिलकर त्रिपुरा राज्य में पैलेस में परिसर में शापिंग परिसर तथा वाणिज्यिक केन्द्र,

(5) नेताजी नगर और मोती बाग (पूर्व), नई दिल्ली का पुनर्विकास

(6) वाणिज्यिक परिसर, मंगोईलेन, कोलकाता

(7) मौजा बोड़ा खोला भूमि, कोलकाता का विकास।

(ग) और (घ) एन.बी.सी.सी द्वारा यह बताया गया है कि न्यू टाऊनशिप, राजारहॉट, कोलकाता में एन.बी.सी.सी. द्वारा विकसित एन.बी.सी.सी. विबग्योर टॉवर, आवासीय परिसर में स्थित आवासीय इकाइयों को इसी क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बिल्डरों द्वारा इसी प्रकार की परिसम्पत्ति की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी मूल्यों पर बेचा गया है।

इस अनुभव के आधार पर एन.बी.सी.सी. अब स्थावर सम्पदा परियोजना के विकास के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सरकारी निकायों आदि से भारत के विभिन्न नगरों में भूमि की खरीद करने की संभावनाओं का पता लगा रही है और एन.बी.सी.सी को आशा है कि वह उसी स्थान पर निजी क्षेत्र के बिल्डरों की तुलना में सस्ती दरों पर इन सम्पत्तियों को बेच पाएगी।

निधियों का उपयोग

1653. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी विभागों/मंत्रालयों को निधियों का उपयोग निर्धारित समयावधि में करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मंत्रालय/विभाग वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान आबंटित निधियों का उपयोग करने में समर्थ नहीं हो सके हैं जैसा कि दिनांक 7 जनवरी, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों/विभागों को अपना व्यय अंतिम तिमाही में बजट के 33 प्रतिशत और अंतिम माह में बजट के 15 प्रतिशत तक सीमित करने की सलाह दी है। ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययाधिक्य से बचा जा सके।

(ग) से (ङ) व्यय के संशोधित अनुमानों को बजट से साथ प्रस्तुत किया गया है। बजट सेट के व्यय बजट खण्ड-2 की ओर ध्यान दिलाया गया है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कमी

1654. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी तथा स्पेशलिटी अस्पतालों द्वारा विभिन्न बीमारियों एवं रोगों के लिए वसूल किए जाने वाले हेल्थकेयर प्रभावों का विनियमन करने और तदनुसार वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए हेल्थकेयर बीमा प्रीमियम निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हेल्थकेयर बीमा के लिए अधिक लोगों को आकर्षित करने हेतु प्रीमियम दरों में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बीमा कवर प्राप्त रोगियों के मामलों में हेल्थकेयर प्रदाताओं द्वारा अधिक राशि वसूल किए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) चिकित्सा दावा संविभाग पर बढ़ते हुए व्यय, जो कि पिछले तीन वर्षों के लिए चिकित्सा दावा पालिसियों के अंतर्गत सकल प्रीमियम के 125% से 150% तक की सीमा में है, को ध्यान में रखकर कंपनियां, चिकित्सा दावा बीमा की प्रीमियम दरों में वृद्धि करने की प्रक्रिया में है।

(ङ) तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) पद्धति, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तृतीय पक्ष प्रशासक-स्वास्थ्य सेवाएं) विनियमावली, 2001 के अनुसार, दावा, प्रबंधन में और अधिक व्यावसायीकरण, पालिसीधारकों को नकदी-रहित सेवा सुविधा और दावा अनुपात कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बीमा द्वारा संरक्षित मरीजों की चिकित्सा के लिए स्वस्थ्य सुरक्षा प्रदाताओं द्वारा अधिक वसूल किए जाने से संबंधित मामलें बीमाकर्ता और तृतीय पक्ष प्रशासकों के विचाराधीन हैं तथा चिकित्सालय प्रक्रिया और उनके खर्चों को मानकीकृत करने की दृष्टि से तृतीय पक्ष प्रशासकों और सेवा प्रदाताओं (चिकित्सालय) के मध्य बातचीत के द्वारा आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो के तत्वाधान में आईसीडी-10 कोडिंग पर प्रत्येक तृतीय पक्ष प्रशासक के कम से कम दो कर्मचारियों को लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

आवासीय इकाइयों का निर्माण

1655. श्री एल. राजगोपाल: क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कृष्णा एवं बुडामेरू वागू नदी के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास हेतु 15,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा कार्रवाई की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम. लि. और विजवाड़ा नगर निगम ने आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा तथा बुडामेरू वागू नदी में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए 15,000 रिहायशी इकाइयों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाओं से संबंधित (उपमिशन-2) के अधीन इस मंत्रालय को 258.74 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना प्रस्तुत की थी।

(ग) 15,000 रिहायशी इकाइयों के निर्माण तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 129.36 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने हेतु इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय अंशदान की पहली किश्त के रूप में 32.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार की नोडल एजेन्सी को जारी कर दी गई थी।

पेयजल और जल-मल निकासी प्रणाली की समस्या

1656. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के तीन सौ चयनित नगरों में पेयजल-मल निकासी प्रणाली और ठोस अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना में राज्यवार कितने नगर शामिल किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) समयबद्ध तरीके से अवस्थापना के विकास हेतु सुधार संबंधित केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) शुरू किया गया था। इस योजना में मेगा, मेट्रो राज्यों की राजधानियां हैरीटेज और अन्य महत्वपूर्ण शहरों सहित कुल 63 चुनिंदा शहर शामिल हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, अन्य सभी 5098 शहरों/कस्बों हेतु छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम नामक एक दूसरी योजना शुरू की गई थी।

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज और ठोस कचरा प्रबंधन इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य घटक हैं।

ग्रामीण अवसंरचना संबंधी अध्ययन

1657. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) ने भारत में ग्रामीण अवसंरचना के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को एन सी ए ई आर की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें की गई प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ग्रामीण प्रगति योजना पर अनुमानित कितना व्यय किए जाने का अनुमान है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) 1999 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) ने भारत में ग्रामीण अवसंरचना पर सर रतन टाटा फाउन्डेशन द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन कराया था।

(ख) सरकार को अक्टूबर, 2006 के अंत में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) क्षेत्रीय सिफारिशों के अलावा, रिपोर्ट में स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने, मांग सृजित करने के लिए लघु वित्त देने, निजी प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने विनियमन के विकेन्द्रीकरण, राजकोषीय प्राधिकरण को विकेन्द्रीकृत करने और सब्सिडी के लक्ष्य निर्धारित करने के माध्यम से नए दृष्टिकोणों की सिफारिश की गई है।

(घ) दूरसंचार विद्युत, सड़क एवं परिवहन, जल और स्वच्छता के क्षेत्रों की संपूर्ण कवरेज के लिए 2002-03 के मूल्यों के आधार पर अपेक्षित कुल अनुमानित निवेश 1583.13 बिलियन रुपये है।

[हिन्दी]

बी.एस.ई.एस. विद्युत कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

1658. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को संसद सदस्यों से बी.एस.ई.एस. विद्युत कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये किस प्रकार की हैं; और

(ग) इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) जी, हां। माननीय संसद सदस्यों से बीएसईएस पावर कंपनियों के विरुद्ध अधिक बिलिंग, इलेक्ट्रिक कनैक्शन को बहाल न करने, बिजली चोरी/अनधिकृत खपत के मामलों की गलत बुकिंग, बिजली के तार/ट्रांसफार्मरों को स्थानांतरित न करने, मीटरों के तेजी से चलने आदि की गई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रेषित की गईं थीं क्योंकि बिजली का वितरण राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान की कानूनी व्यवस्था स्वतंत्र रूप से पहले ही अगस्त, 2004 से लागू है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उपभोक्ताओं की शिकायतों को मानीटर करने और उनके प्रभावी समाधान के लिए लोक शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया है। माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं।

[अनुवाद]

शेयर बाजार के लिए स्व-विनियामक संगठन

1659. श्री उदय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) की स्थापना की है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिभूति घोटालों को रोकने के लिए सेबी अधिनियम में संशोधन करने की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो एसआरओ की स्थापना से शेयर बाजार में विभिन्न अनियमितताओं को किस सीमा तक रोका जा सकेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, वर्ष 2007-08 के बजट में सेबी द्वारा बनाए जाने वाले और यदि आवश्यक हो तो समर्थकारी कानून द्वारा समर्थित विनियमों के अधीन विभिन्न बाजार भागीदारों के लिए स्व-विनियामक संगठन के विचार को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) प्राप्त अनुभव की तर्ज पर पूंजी बाजार के विनियमन के सुदृढ़ीकरण के लिए, जिससे स्टॉक बाजार में अनियमितताओं की संभावना कम होने की आशा है, सेबी अधिनियम में संशोधन करने की परिकल्पना की गई है।

(घ) जब स्व-विनियामक संगठनों (एसआरओ) की स्थापना हो जाएगी तो वे उन संगत कंपनियों, के प्रथम स्तरीय विनियामकों के रूप में कार्य करेंगे जिनके कार्यों का समाधान पूंजी बाजार में एसआरओ करना चाहते हैं।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कार्य

1660. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत देश में विभिन्न वंचित वर्गों के लोगों के लिए राज्यवार कितने आवासों का निर्माण किया गया है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है/उपयोग में लाई गई है;

(ख) क्या कतिपय राज्य विशेषकर तमिलनाडु उक्त योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि खर्च कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने ऐसे राज्यों को प्रतिपूर्ति की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अंतर्गत जारी निधियों, राज्यों द्वारा उपयोग की गई निधियों और बीपीएल परिवारों के लिए निर्मित आवासों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आईएवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, आईएवाई आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, मैदानी इलाकों में 25000 रु. प्रति इकाई की दर से और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 27500 रु. प्रति इकाई की दर से दी जाती है जिसे केन्द्र तथा राज्यों द्वारा क्रमश: 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। राज्य सरकारें यदि चाहें तो अपने स्वयं के संसाधनों से अपने राज्य

हिस्से से प्रति इकाई अधिक राशि उपलब्ध करा सकती हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार आरसीसी रूफिंग के लिए अपने देय राज्य हिस्से से 12000 रु. प्रति इकाई अधिक का अंशदान कर रही है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि राज्य सरकार स्वेच्छा से अपने देय राज्य हिस्से से अधिक राशि का अंशदान कर रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2003-04, 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 (फरवरी 2007 तक) के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केन्द्रीय रिलीज, निधियों के उपयोग तथा निर्मित आवासों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04			2004-05			2005-06			2006-07		
		केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग #	निर्मित आवास	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग #	निर्मित आवास	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग #	निर्मित आवास	केन्द्रीय रिलीज	निधियों का उपयोग #	निर्मित आवास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	12946.66	19453.50	105295	19190.68	24813.84	126039	24609.65	31791.06	132521	25889.07	17561.60	84192
2.	अरुणाचल प्रदेश	797.11	1215.89	6646	1106.03	950.76	4162	711.88	1189.94	5327	579.75	812.12	3399
3.	असम	14702.75	14318.35	78752	22080.95	27941.87	129495	21465.64	23682.96	104353	15868.63	25622.67	77490
4.	बिहार	25848.10	37422.41	183792	91533.13	58275.18	252026	62437.06	87769.49	331651	41852.16	82328.00	256182
5.	छत्तीसगढ़	2520.38	3068.27	18302	3135.95	3982.75	20134	4473.57	5043.71	26578	3710.41	2733.60	2466
6.	गोवा	69.56	83.26	233	90.17	164.82	428	136.95	179.54	615	135.45	99.05	818
7.	गुजरात	3744.63	5817.24	31189	5416.01	7064.63	33654	11959.28	15840.26	65602	11929.91	9009.78	30970
8.	हरियाणा	1365.84	1833.58	9175	1785.10	2215.56	8845	2008.33	2448.31	9743	1629.74	1223.13	3326
9.	हिमाचल प्रदेश	574.16	696.12	3841	767.60	1021.72	4749	755.75	812.56	3031	530.89	547.49	1038
10.	जम्मू-कश्मीर	698.17	1253.69	8412	928.43	1404.54	7252	2001.35	1834.88	8231	1389.00	1637.49	6029
11.	झारखंड	8693.64	11033.91	60290	11960.36	16031.16	66081	8823.34	13023.93	75403	3884.20	8685.34	37171
12.	कर्नाटक	6580.16	8516.22	49833	7831.84	10360.19	50707	9639.02	12850.18	56944	7354.33	9183.41	36128
13.	केरल	4272.75	5767.37	39825	5841.32	7839.16	39831	5169.28	7421.36	36413	5366.87	4309.26	16679
14.	मध्य प्रदेश	8333.54	10734.48	65768	10594.54	13905.33	75365	9592.17	11438.67	59420	7528.60	8750.42	25390
15.	महाराष्ट्र	12315.63	22767.55	103135	15569.13	22673.85	105449	14960.66	22531.87	94274	12744.41	13126.22	35433
16.	मणिपुर	446.05	286.30	1666	921.55	885.17	5820	876.39	1128.85	4962	497.09	असूचित	असूचित
17.	मेघालय	481.18	1147.50	6465	1435.65	1080.97	4665	918.84	1561.47	6678	626.61	524.81	1475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	319.91	390.72	2202	343.68	435.76	2052	331.12	482.43	2182	294.27	261.54	1175
19.	नागालैंड	673.94	826.19	5966	865.88	716.11	5099	928.20	1188.07	7949	554.99	1024.78	6046
20.	उड़ीसा	27731.05	35728.08	154205	13954.68	22620.13	89891	15047.54	22344.43	87070	12313.52	10164.11	36655
21.	पंजाब	802.72	1059.94	6050	1039.86	880.79	4460	1523.88	1753.49	7868	1005.76	1230.52	4095
22.	राजस्थान	3748.20	5274.69	41888	4971.71	6561.81	31070	6494.31	8563.42	38471	5993.28	4186.09	8606
23.	सिक्किम	161.71	308.97	2041	250.51	346.08	1584	197.04	275.69	1296	135.63	260.02	911
24.	तमिलनाडु	6922.99	11988.64	57069	9921.24	17692.31	58687	9999.13	18109.11	66434	9517.73	8888.11	2275
25.	त्रिपुरा	1340.96	2749.89	15003	2295.75	2797.54	12132	2070.92	2808.54	11902	1520.76	1444.23	3456
26.	उत्तर प्रदेश	24672.82	34628.98	190950	31509.17	40536.06	199096	35470.31	44862.77	185541	31080.24	31916.36	120905
27.	उत्तराखंड	3263.04	3977.92	21666	3400.03	5579.45	26376	1806.85	3563.92	21722	1233.19	1875.62	11359
28.	पश्चिम बंगाल	12892.42	15478.41	90601	19084.50	27350.19	155598	19355.70	20728.16	99259	16635.61	19759.58	87164
29.	अं.नि. द्वीप समूह	110.44	108.52	671	352.93	43.52	337	0.00	74.03	90	0.00	12.29	50
30.	दादरा और नगर हवेली	33.35	23.98	14	33.35	23.71	108	25.78	9.01	101	0.00	7.27	44
31.	दमन और दीव	0.00	0.72	7	0.00	2.09	9	0.00	0.61	6	0.00	0.28	1
32.	लक्षद्वीप	2.84	2.76	14	3.86	3.75	16	32.64	18.55	48	21.26	18.68	76
33.	पांडिचेरी	41.28	45.64	264	94.43	7.84	88	0.00	77.68	238	37.50	37.44	214
	कुल	187107.78	258009.69	1361230	288310.02	326208.64	1521305	273822.58	365409.05	1551923	221860.86	267241.41	901218

निधियों के उपयोग में राज्य सदृश हिस्सा भी शामिल है, अधशेष तथा अन्य प्राप्तियां जैसे बैंक बैलेंस पर ब्याज इत्यादि शामिल हैं।
एनआर : सूचित नहीं।
पी. : अनंतिम

स्व-सहायता समूहों के लिए बीमा

1661. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को बीमा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य सरकारों की भूमिका क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डवाकरा) के लिए 1.4.88 को शुरू की गई समूह जीवन बीमा योजना को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए लागू किया गया था, जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डवाकरा और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के विलय के बाद 1.4.99 को शुरू की गई थी। यह योजना उस तारीख से लागू होती है जिस तारीख से स्वरोजगारियों को परिसंपत्तियों का संवितरण किया जाता है और जब तक स्वोरोजगारी 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं या कवर के प्रारंभ होने की तारीख से 5 वर्षों के लिए, इनमें से जो भी पहले हो। स्वरोजगारियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिक से

अधिक 60 वर्ष की होनी चाहिए। प्राकृतिक मृत्यु के मामले में मृतक के नामिती को जीवन बीमा निगम द्वारा 6000 रु. का भुगतान किया जाएगा। दुर्घटना की वजह से हुई मृत्यु के मामले में, एलआईसी द्वारा 12000 रुपये का भुगतान किया जायेगा। एसजीएसवाई के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों की भागीदारी 25 प्रतिशत राज्य अंश के आबंटन और बीमा सहित एसजीएसवाई कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं निगरानी से संबंधित है।

निजी जल विद्युत परियोजनाएं

1662. **श्री के.एस. राव:**
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र आवंटित और प्रचालित जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ और संबंधित राज्य को कितनी मात्रा में नि:शुल्क विद्युत दी गई तथा सार्वजनिक वितरण के लिए कितना विद्युत प्रशुल्क प्रभारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार निजी जल विद्युत परियोजनाओं को चलाने और उन्हें बिल्ट ऑपरेट और ट्रांस्फर (बीओटी) सिद्धांत पर प्रचालित करने के लिए एक समान नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त सूचनाओं से अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को आबंटित एवं उनके द्वारा प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं तथा उनके विद्युत उत्पादन के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/नीति के अनुसार 7.9.1990 के बाद चालू हाइड्रो परियोजनाओं से गृह राज्य को 12 प्रतिशत मुफ्त विद्युत प्रदान किया जाता है। इन परियोजनाओं द्वारा तैयार विद्युत वितरण लाइसेंसियों को आपूर्ति जी जाती है, जो इसे उपभोक्ताओं को आपूर्ति करते हैं। वितरण लाइसेंसियों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली की टैरिफ विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 66 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

(ग) और (घ) परियोजना विकासकर्त्ताओं को हाइड्रो स्कीमों का आबंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपलब्ध सूचना से अनुसार कुछ राज्य सरकारें वर्तमान में बिल्ड-ऑन-आपरेट एंड ट्रांसफर आधार पर जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का कार्य निजी विकासकर्त्ताओं को आबंटित कर रही हैं, जिसकी करार अवधि 35 वर्ष से 45 वर्ष तक की होती है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को आबंटित एवं उनके द्वारा प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाएं तथा उनके विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 के दौरान विद्युत उत्पादन (मि.यू.)
1	2	3	4
	हिमाचल प्रदेश		
1.	मलाना पावर कंपनी लि.	86	307.73
2.	बास्पा-2	300	1227.17
	उत्तराखंड		
3.	विष्णुप्रयाग	400	874.22
	मध्य प्रदेश		
4.	तवा	13.50	33.97
	महाराष्ट्र		
5.	भंडारधारा-1	10.00	31.71
6.	भंडारधारा-2	34.00	–
7.	भीरा	150.00	1112.55
8.	भिवपुरी	75.00	368.03
9.	खोपली	72.00	378.56
10.	भीरा पीएसएस	150.00	–
	आंध्र प्रदेश		
11.	गुंटूर	3.75	–
	कर्नाटक		
12.	शिवापुर	18.00	69.43

1	2	3	4
13.	शाहपुर	6.60	19.38
14.	माधवमंत्री	4.50	23.55
15.	मंडागेर	3.50	5.7
16.	नारायणपुर	11.60	47.65
17.	हरांगी	9.00	3.55
केरल			
18.	मनियार एचईपी	12.00	40.22
19.	कुथूंगल	21.00	47.52

छात्रों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि

1663. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का विचार छात्रों विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के छात्रों का उदार रूप से शिक्षा ऋण देने में बैंकरों/बैंकों का उत्साहवर्धन करने हेतु लघु उद्योग की एक मौजूदा ऋण प्रणाली तर्ज पर छात्रों के लिए शिक्षा ऋण हेतु एक ''क्रेडिट गारंटी फंड'' की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सि प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह महसूस किया गया है कि बैंकों के लिए शिक्षा ऋण संबंधी आवेदन-पत्रों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना और बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की चुकौती की समय सारणी के अनुसार वसूली करना उपयुक्त होगा। इससे शिक्षा के लिए ऋण लेने के इच्छुक छात्रों में ऋण संबंधी संस्कृति का विकास होगा और इससे भविष्य में एक स्वस्थ परम्परा बनेगी।

जल की उपलब्धता

1664. प्रो. एम. रामदास: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में जल की औसत उपलब्धता के जल दाब स्तर से नीचे गिरने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में प्रति व्यक्ति जल संग्रहण अनेक देशों में जल संग्रहण के स्तर से कम है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार सुरक्षित पेयजल उपलब्ध और सुलभ कराने का विचार है; और

(ङ) विभिन्न योजनाओं के डिलीवरी तंत्र में क्या बदलाव लाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 बी.सी.एम. आंकी गई है। औसत वार्षिक जल उपलब्धता स्थिर मानी जा सकती है। देश के लिए जल की उपलब्धता को विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग के मौजूदा स्तर को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) भारत में जल की प्रति व्यक्ति भण्डारण क्षमता 207 घनमीटर है जो बहुत से अन्य देशों में जल की प्रति व्यक्ति भण्डारण क्षमता से कम है। राज्य सरकारें जल संसाधनों के उपयोग के लिए बड़ी, मझौली तथा छोटी योजनाएं संरक्षित करने, बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाती हैं। तदनुसार, अब तक लगभग 213 बिलियन घनमीटर (बी.सी.एम.) की भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है। मौजूदा आकलन के अनुसार, विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की कुल अनुमानित भण्डारण क्षमता लगभग 76 बी.सी.एम. है तथा तैयार की जा रही परियोजनाओं के लिए यह क्षमता लगभग 108 बी.सी.एम. है।

(घ) और (ङ) जहां तक पेयजल का प्रश्न है, पेयजल भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है। भारत निर्माण की संकल्पना 2005-06 से 2008-09 तक चार वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली एक योजना के रूप में की गई है। भारत निर्माण के अंतर्गत 2008-09 तक सभी कवर न की गई बसावटों को स्वच्छ पेयजल स्रोत उपलब्ध कराने तथा पिछली स्थिति में वापस आ चुकी बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी),

कमांड एरिया विकास तथा जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम, मरम्मत के लिए राष्ट्रीय परियोजना कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जलाशयों का पुनरुद्धार इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा रही है। भारत सरकार जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संभरण तथा भूजल के पुनर्भरण को भी प्रोत्साहन देती है। जल संरक्षण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत उच्चतम वरीयता वाले क्षेत्रों में से एक है।

[हिन्दी]

शहरी स्थानीय निकाय

1665. श्री मो. ताहिर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए एक योजना तैयार कर रही है, जैसाकि दिनांक 7 फरवरी, 2007 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में सभी नगर पालिकाओं को उक्त योजना के अंतर्गत ई-गवर्नेंस के दायरे में लाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में एक मिशन-मोड परियोजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) म्युनिसिपल निकायों द्वारा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा उनके कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रतिसंवेदना लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 से 2011-12 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान एक लाख तथा उससे अधिक आबादी वाले 423 शहरों/कस्बों में कार्यान्वयन के लिए "नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना" नामक एक नयी स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले अनेक वर्षों से दुनियाभर में अनेक सरकारों ने सरकार की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और उसके उपस्करों का उपयोग करके व्यापक पहल प्रयास शुरू किए हैं। आंतरित क्षमता और कारगरता में सुधार करके नागरिकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करने पर जोर दिया जाता रहा है। भारत सरकार भी इसी दिशा में अनेक पहल-प्रयास कर रही है। भारत सरकार ने कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को अनुमोदित किया है। इस योजना का उद्देश्य देश में ही ई-गवर्नेंस का आधार रखना और इसके दीर्घावधि विकास को बल प्रदान करना है। योजना का उद्देश्य अच्छे शासन के लिए नागरिक मूलक तथा व्यापार मूलक पर्यावरण से सृजन हेतु समुचित शासन और सांस्थानिक प्रणाली का सृजन, कोर अवस्थापन, नीतियों और एकीकृत सेवा स्तरों की स्थापना करना भी है।

एनईजीपी में, ई-गवर्नेंस में विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) को तैयार करना तय किया गया है। इन एमएमपी में केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के संगत मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाएं और शहरी विकास मंत्रालय के दायित्वाधीन नगरपालिकाओं के लिए एजेंसी सहित अनेक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों में फैली हुई एकीकृत परियोजनाएं शामिल हैं। नगर पालिकाओं के लिए मिशन मोड परियोजनाएं, राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजनाओं (एनएमएमपी) में से एक है जिसमें नागरिकों से काफी सरोकार होता है, क्योंकि नगरपालिकाएं, भारत के शहरी केन्द्रों में रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए बड़ी संख्या में बुनियादी सेवाएं प्रदान करती हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने "नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना" तैयार की है।

मुख्य उद्देश्य

नगरपालिकाओं में ई-गवर्नेंस संबंधी राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

* नागरिकों को "किसी भी समय, कहीं भी" "आधार पर" सिंगल विंडो" सेवाएं मुहैया कराना ।
* शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना।
* राज्य में सभी शहरी स्थानीय निकायों में शहरी स्थानीय निकाय सूचना प्रणाली का एकल और एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना।
* कारगर निर्णय लेने के लिए नगर प्रशासन से संबंधित समय पर और विश्वसनीय प्रबंधन सूचना मुहैया करना।
* अन्य संबंधित अनुप्रयोगों से एकीकृत करने हेतु मानक आधारित दृष्टिकोण अपनाना।

कार्यक्रम कवरेज

एनएमएमपी में वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान एक लाख या अधिक आबादी वाले श्रेणी-1 शहरों (कुल 423) में सभी शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने की संकल्पना की गई है। इन शहरों में देश की 55% से अधिक आबादी है।

एनएमएमपी के अंतर्गत शामिल सेवाएं

अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए एनएमएमपी ने शहरी स्थानीय निकायों के भीतर ही 8 सेवाओं/प्रबंधन कार्यों के कार्यान्वयन की संकल्पना की है:- अर्थात (1) जन्म और मृत्यु पंजीकरण व प्रमाणपत्र जारी करना, (2) संपत्ति कर, जल आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान और शहरी स्थानीय निकायों के तहत आने वाले यूटिलिटीज का प्रबंधन, (3) शिकायतें और सुझाव, (4) भवन निर्माण योजना का अनुमोदन, (5) ई-प्रापण सहित प्रापण और परियोजनाओं की मानीटरिंग और परियोजना/वार्ड कार्य, (6) लाइसेंस और कचरा प्रबंधन सहित स्वास्थ्य कार्यक्रम, (7) एकाउंटिंग प्रणाली, और (8) कार्मिक सूचना प्रणाली।

वित्तपोषण पद्धति

एनएमएमपी स्कीम की वित्तपोषण पद्धति निम्न प्रकार है:-

* 35 स्थानों (एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों) के लिए पूंजीगत लागत का 75% और पहले दो वर्षों के लिए पूंजीगत लागत का 75% और पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक लागत का 75% केन्द्र सरकार और शेष 25% राज्य सरकार द्वारा, और

(ख) अन्य स्थानों के लिए पूंजीगत लागत का 90% और पहले दो वर्षों के लिए वार्षिक लागत का 90% केन्द्र सरकार और शेष 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

[पूंजीगत लागत में 1 (पहले) वर्ष के लिए हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कंसल्टेंट शुल्क, नेटवर्किंग लागत, डाटा डिजिटाइजेशन लागत, कार्यक्रम स्तर सेट अप लागत, प्रशिक्षण लागत और शहरी स्थानीय निकायों के भी 1(पहले) वर्ष के निवेश/ डिजास्टर बैक अप शामिल है। वार्षिक लागत में प्रचालन और अनुरक्षण लागत, चालू कम्यूनिकेशन लागत, लाइसेंस शुल्क आदि शामिल है।]

पात्रता मानदण्ड

राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए विचार किए जाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों/राज्य सरकारों द्वारा सहमति देने/अनुपालन किए जाने वाले मुख्य पात्रता मानदण्ड:-

* राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।

* मुख्य उद्देश्यों और राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना के लक्ष्यों तथा वित्तपोषण व्यवस्थाओं से सहमत होने के लिए राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय प्रतिबद्ध होने चाहिए।

* प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य ई-गवर्नेंस म्युनिसिपल रोड मैप तैयार करके राज्य का दृष्टिकोण, चयनित रोड मैप उपलब्धियों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा।

* कार्यनीति में कानूनी कार्रवाई सहित संस्थागत सुधार, पूंजीगत लागत में हिस्सेदारी सिद्धांतों, शुल्क/प्रभारों, सृजित किए जाने वाली प्रणालियों के प्रचालन और अनुरक्षण तथा कार्यान्वयन के लिए संस्थागत तन्त्र जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

* समझौता ज्ञापन में राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस) स्कीम और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा इनसे जुड़ी स्कीमों जैसे अन्य कार्यक्रमों के जरिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा परिभाषित सुधार सिद्धांतों का पालन करने पर बल दिया जाना चहिए; और

* राज्यों को राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू करने चाहिए।

[अनुवाद]

नगर अवसंरचना संबंधी निवेश

1666. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नगर अवसंरचना संबंधी निवेश को उच्च प्राथमिकता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नगर अवसंरचना संबंधी निवेश के लिए सरकारी-निजी भागीदारी को बढ़ावा दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) भारत सरकार ने 3 दिसम्बर, 2005 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है। इस मिशन को शुरू करने का उद्देश्य 63 चुनिंदा नगरों में अवस्थापना विकास के लिए सुधार आधारित केन्द्रीय सहायता मुहैया कराना है। इन नगरों में से 62 नगरों ने शहरी शासन तथा विकास के लिए दीर्घावधिक दृष्टिकोण और लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए अपनी-अपनी व्यापक नगर विकास योजना तैयार कर ली है। इन योजनाओं में जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं देने की व्यवस्था जैसी नगरवार शहरी अवस्थापना सेवाओं के प्रावधान पर विशेष ध्यान देते हुए निवेश योजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। उप मिशन-1 (शहरी अवस्थापना तथा शासन) के दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था है कि जिन परियोजनाओं को शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटलों द्वारा स्वयं निष्पादित किया जाना है, उनकी अपेक्षा निजी क्षेत्र की भागीदारी वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि इससे गैर-सरकारी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी।

पी.यू.आर.ए. के अंतर्गत परियोजनाएं

1667. श्री सुभाष महरिया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात एकीकृत वाड़ी विकास कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन रहित परिवारों के सतत विकास के संबंध में कोई परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना (पीयूआरए) के अंतर्गत फतेहनगर (उदयपुर) और झालावाड़ के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस परियोजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2005 के दौरान राजस्थान के झालावाड़ जिले के लिए एकीकृत वाड़ी विकास कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन रहित परिवारों के सतत विकास के संबंध में एक स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक विशेष परियोजना के रूप में विचार किया जाना था। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2004 में राजस्थान के उदयपुर जिले में रिहायशी क्षेत्र के आसपास समेकित कृषि व्यवस्था दृष्टिकोण के माध्यम से एसजीएसवाई के अंतर्गत कृषि और बागवानी विकास के लिए एक अन्य विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भी वाड़ी कार्यक्रम का घटक था। दोनों परियोजना प्रस्तावों की एसजीएसवाई के अंतर्गत विशेष परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार जांच/कार्रवाई की गई थी और उन्हें 2005 में राज्य सरकारों को लौटा दिया गया था।

(ग) और (घ) सरकार वर्ष 2004-05 से तीन वर्षों की अवधि के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा समूह सहित सात राज्यों में से प्रत्येक से एक समूह लेते हुए सातों समूहों में प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान योजना (पुरा) कार्यान्वित कर रही है। यह योजना फिर से बनाई जा रही है। जब कार्यान्वयन हेतु योजना को स्वीकृति मिल जाएगी, तब पुन: बनाई गई योजना के झालावाड़ और फतेहनगर (उदयपुर) सहित अन्य समूहों में विस्तार की जांच-पड़ताल की जाएगी।

[हिन्दी]

न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों के लिए आवास

1668. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में न्यायालयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान कितने न्यायालयों की स्थापना की गई और क्या आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या न्यायाधीशों के लिए आवास की व्यवस्था न्यायालय परिसरों में की जाती है;

(च) क्या सरकार को कतिपय राज्यों से नए न्यायालयों की स्थापना करने और न्यायाधीशों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (छ) अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और न्यायाधीशों के लिए आवासों का संनिर्माण करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार न्यायपालिका के लिए अवसंरचना के विकास हेतु एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम चलाती है (केन्द्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर निधियों के अंशभाजन के पैटर्न पर) जिसके अधीन राज्यों को न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के निवास के लिए आवासों के संनिर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दस वर्ष की अवधि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की न्यायालयों और न्यायाधीशों के निवास के लिए आवासों के संनिर्माण के लिए अपेक्षा का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई की गई थी और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर एक दस-वर्षीय भावी योजना तैयार की गई है।

ग्रामीण विकास के लिए विदेशी सहायता

1669. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक समझौतों के अंतर्गत गांवों पर विशेष ध्यान देने संबंधी योजना पर जापान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जापान द्वारा भारत में गांवों की दशा सुधारने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन ग्रामीण क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां विदेशी योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास क्षेत्र में निम्नलिखित परियोजना जापान बैंक फार इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) की ऋण सहायता से कार्यान्वित की जा रही है:

परियोजना का नाम	ऋण राशि (मिलियन येन)	उद्देश्य
अट्टापेडी हिल डवलपमेंट सोसायटी, केरल सरकार द्वारा केरल राज्य में कार्यान्वित अट्टापेडी वेस्टलेंड कम्प्रीहेंसिव एनवायरमेंटल कंजरवेशन प्रोजेक्ट। हस्ताक्षर/बंद होने की तारीख: 25.1.96/ 26.3.08	5112	अट्टापेडी में डिग्रेडेड बंजर भूमि की पारिस्थितिकीय बहाली और भागीदारी पूर्ण पारिस्थितिकीय बहाली के पुन: प्रयुक्त होने वाले मॉडल का विकास ताकि भूमि का आगे डिग्रेशन न हो और स्थानीय लोगों (जनजातीय आबादी पर विशेष बल देते हुए) की जीविका के स्थायी उपाय को प्रोत्साहन दिया जा सके और यह संसाधन आधार के अनुरूप होना चाहिए।

(ग) और (घ) मंत्रालय को भारत के गांवों की दशा में सुधार करने के लिए जापान द्वारा बनाई गई किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(ङ) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है।

यूएनडीपी की सहायता से 'गरीबी उन्मूलन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के प्रति सामाजिक जागरण' नाम की परियोजना राजस्थान (अजमेर, उदयपुर, बारन), उड़ीसा (बोलंगीर, कोरापुट तथा नौपाड़ा) तथा झारखंड (गोग्गा, गुमला, लोहरदग्गा, रांची, दुमका) में कार्यान्वित की जा रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति

1670. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों और अन्य शेयरधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति में संशोधन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्यबल द्वारा वहनीय लागत पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवासीय इकाई उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) जी, हां। तत्कालीन शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 27.01.2005 को एक कार्य दल का गठन किया गया था जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों तथा आवास क्षेत्र से संबंधित वित्तीय एवं अन्य संस्थान के प्रतिनिधि सदस्य थे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) कार्य दल द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय शहरी आवास संबंधी नीति के प्रारूप को अभी केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों में संशोधन

1671. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यान्वयन में कतिपय राज्यों विशेषकर गुजरात द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए योजना के वर्तमान दिशानिर्देशों/मानदण्डों में संशोधन करने/छूट देने का है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के दिशानिर्देशों/मानदण्डों को संशोधित/शिथिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मौजूदा दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक लचीला फेमवर्क है। तदनुसार प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य विशिष्ट समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

मेट्रो रेल परियोजना को वित्तीय सहायता

1672. **श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का दिल्ली, मुंबई, बेंगलूर और अन्य महानगरों में चल रही/प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में मेट्रो रेल परियोजनाओं के शीघ्र निष्पादन और पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) शहरी परिवहन राज्य का विषय है। इसलिए राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार चालू/प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाओं को सकल बजट सहायता अथवा अवस्थापना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्त मंत्रालय की वित्तीय सहायता स्कीम के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक भारत सरकार ने देश में चालू/प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्त सहायता के रूप में निम्नलिखित वित्त पोषण व्यवस्था अनुमोदित की है:

क्र.सं.	शहर तथा परियोजना का नाम	अनुमोदित वित्त पोषण पैटर्न			केन्द्रीय वित्तीय सहायता का माध्यम
1	2	3			4
1. (1)	दिल्ली मेट्रो फेज-2	विवरण		निवेश राशि (करोड़ रुपये में)	
		इक्विटी:			
		भारत सरकार		1217.5	
		जीएनसीटीडी		1217.5	
		जेबीआईसी से ऋण		5081.00	
		संपत्ति विकास		405.00	
		आंतरिक संसाधन (डीएमआरसी)		405.00	
		अधीनस्थ ऋण:			
		भारत सरकार		175.00	
		जीएनसीटीडी		175.00	
		कुल		8676.00	
(2)	नोएडा तक मेट्रो का विस्तार	विवरण	एजेंसी	राशि (करोड़ रु. में)	इक्विटी/अधीनस्थ ऋण के रूप में सकल बजट सहायता/दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन की सीधे तथा पासथ्रू सहायता।
		भूमि	नौएडा	32.00	
		नेटवर्क लागत	उ.प्र.स.	488.80	
		रॉलिंग स्टॉक	भा.स.	122.20	
			डीएमआरसी	93.00	
		कुल लागत (कर रहित)		736.00	
(3)	गुड़गांव तक मेट्रो का विस्तार	भूमि			
			हरियाणा स.	20.00	
			जीएनसीटीडी	24.50	
			भा.स.	24.50	
		नेटवर्क लागत	हरियाणा सं.	567.00	
		तथा अन्य	जीएनसीटीडी	225.00	
		परि. लागत	भा.स.	111.00	
			जेबीआईसी	352.00	
		रालिंग स्टाक	डीएमआरसी	98.00	
		कुल लागत (कर रहित)		1422.00	

1	2	3	4
2.	बंगलौर मेट्रो रेल परियोजना	**वित्तपोषण पैटर्न** पूर्णता लागत 6395 करोड़ रुपये द्वारा अंशदान भा.स. कर्नाटक स. इक्विटी 15% 15% अधीनस्थ ऋण 10% 15% दीर्घावधि ऋण* 45% कर्नाटक सरकार अपने कर और शुल्क माफ करेगी। तथापि भारत सरकार द्वारा करों और शुल्कों में कोई छूट नहीं होगी। *जापान बैंक फार इंटरनेशनल को-आपरेशन (जेबीआईसी) ने भी 1795 करोड़ रु. का ऋण देने की सहमति दी है।	इक्विटी/अधीनस्थ ऋण के रूप में सकल बजट सहायता और बंगलौर मेट्रो रेल कारपोरेशन का पीटीए
3.	कोलकाता मौजूदा मेट्रो रेलवे का टॉलीगंज से नई गढ़िया तक विस्तार	अनुमानित लागत-907.69 करोड़ रु.। एक तिहाई लागत प. बंगाल राज्य सरकार तथा दो तिहाई रेलवे द्वारा वहन की जाएगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने अवस्थापना में सार्वजनिक निर्ज भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम (वित्त मंत्रालय की) के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।	रेल मंत्रालय द्वारा।

[हिन्दी]

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राजस्थान में किया गया काम

1673. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत किए गए/किए जाने वाले कामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई सात-सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन) (क) राजस्थान के जयपुर और अजमेर-पुष्कर शहर ''शहरी अवस्थापना एवं शासन'' उप मिशन के तहत जावहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अधीन शामिल हैं। राजस्थान के प्राप्त 11 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाए अनुमोदित की गई हैं और अब तक 4146.93 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, लघु एवं मझौले शहरों के लिए शहरी अवस्थापन विकास स्कीम की बहुप्रयोजनीय स्कीम के तहत राजस्थान के इन दो शहरों के लिए 957.12 लाख रुपये की राशि जारी किए जाने हेतु सिफारिश भी की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

कानून के छात्रों द्वारा बार ज्वाइन न करने को प्राथमिकता देना

1674. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वकालत करने हेतु बार ज्वाइन करने वाले कानून के छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जी हां, व्यवसाय के लिए बार में प्रवेश करने वाले विधि विद्यार्थियों की संख्या में कमी आई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने यह सूचना दी है कि इस कमी के मुख्य कारण, भविष्य के प्रति अनिश्चितता, आय और कार्य के निबंधनों में संघर्ष, इस उच्च प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में बने रहने में कठिनाईयां, नए प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता की कमी और निगम सेक्टर तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बेहतर अवसरों की उपलब्धता हैं।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद देश में लगभग 40 वकीलों को, प्रत्येक को 750 रुपए की एक लघु वृत्तिका दे रही है। कर्नाटक सरकार इस वृत्ति में प्रवेश करने वाले सभी नए व्यक्तियों को एक वर्ष के लिए 1000 रुपए प्रतिमास की वृत्तिका दे रही है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 को भी अधिनियमित किया है जो अधिवक्ताओं के लिए कतिपय कल्याण उपायों का उपबंध करता है जैसे कि अस्पताल में दाखिल होने की दशा आदि में अनुग्रही अनुदान, जीवन बीमा उपलब्ध कराना, चिकित्सीय और शैक्षणिक सुविधाएं और पुस्तकों आदि के क्रय के लिए प्रावधान करना, आदि।

[हिन्दी]

ग्राम विद्युतीकरण

1675. श्री महावीर भगोरा:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री संतोष गंगवार:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री अब्दुल मन्नान हुसैन:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों ने अभी तक शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त और मंजूर की गई ग्रामीण और घरेलू योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) मंजूरी हेतु लंबित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2006 के अंत तक राज्य-वार कितने गांवों का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया गया था; और

(च) सरकार द्वारा देश में शत-प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.06 तक 28 राज्यों में से 5 राज्यों नामत: गोवा, हरियाणा, पंजाब, केरल तथा तमिलनाडु ने 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण की सूचना दी है। इसके अलावा, 7 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तरांचल ने 90 प्रतिशत से अधिक गांवों के विद्युतीकरण की सूचना दी है।

शेष राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी करण ये हैं:

* राज्य विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति।
* ग्रामीण विद्युतीकरण की गैर-लाभकारी प्रकृति।
* जनशक्ति समेत संसाधनों की अनुपलब्धता।
* विद्युत यूटिलिटियों की ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनिच्छा।
* कम आबादी घनत्व, गैर-विद्युतीकृत गांवों का दूर-दूर होना और भौगोलिक दबाव।

(ग) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन (आरईसी) ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहे 27 राज्यों के 565 जिलों को कवर करके अभी तक 592 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त की हैं। 317 परियोजनाओं को मंजूरी और 144 परियोजनाओं को सिद्धांतत: अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्राप्त और मंजूर विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) 113 जिलों की शेष 131 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें आरईसी की संवीक्षा/मूल्यांकन के लिए रखी गई हैं।

(ङ) सीईए द्वारा प्रकाशित ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31.3.2006 तक 593732 बसे हुए गांवों (2001 की जनगणना) में से 459486 बसे हुए गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। दिनांक 31.3.06 के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण का स्तर 77.4 प्रतिशत बैठता है। वर्ष 2006-07 के दौरान दिसम्बर तक आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 15463 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अलावा, कुछ राज्यों ने अन्य स्कीमों के अंतर्गत 548 गांवों के विद्युतीकरण की सूचना सीईए को दी है। दिनांक 31.12.2006 के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(च) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को सन 2009 तक संपूर्ण देश में सभी गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य से अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया है। वर्ष 2005-06 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 9819 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया और वर्ष 2006-07 में दिनांक 2.3.2007 तक 22233 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया।

विवरण I

आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं की स्थिति

(23.02.2007 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त परियोजनाओं की कुल संख्या	शामिल जिलों की कुल संख्या	परियोजनाओं की कुल लागत (लाख रु. में)	डीपीआर स्वीकृत	स्वीकृत परियोजना की लागत (लाख रु. में)	सिद्धांत रूप में डीपीआर अनुमोदित	सिद्धांत रूप में अनुमोदित परियोजनाओं की लागत (लाख रु. में)	जारी निधि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	26	22	80477.44	17	64815.61	5	13362.87	1979.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	16	16	58119.67	2	4330.11	14	53789.56	
3.	असम	21	21	126486.43	7	30044.38	8	47563.78	
4.	बिहार	44	38	332927.56	29	169438.465	9	100855.98	42769.54
5.	छत्तीसगढ़	15	15	91388.65	5	23653.45			1597.48
6.	गुजरात	25	25	30617.12	9	12922.71	16	17694.41	977.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	हरियाणा	18	18	18570.36	6	7699.57	12	10870.79	1233.10
8.	हिमाचल प्रदेश	12	12	45429.80	1	2502.36	3	7348.98	
9.	जम्मू-कश्मीर	12	12	36440.97	4	14592.77	6	15163.14	
10.	झारखंड	22	22	261327.82	11	106738.49	7	99827.92	350.00
11.	कर्नाटक	26	26	61336.95	26	61336.95			13431.82
12.	केरल	14	14	32101.02	7	22175.74	7	9925.28	
13.	मध्य प्रदेश	48	48	248803.47	16	80946.91	5	38295.39	10466.07
14.	महाराष्ट्र	34	34	49252.61	17	21481.37			
15.	मणिपुर	4	4	15242.73	3	9462.64	1	5780.09	
16.	मेघालय	3	3	6171.2	3	6171.2			
17.	मिजोरम	8	8	10244.68	8	10244.68			
18.	नागालैंड	11	11	11944.82	3	2569.27	2	1591.98	
19.	उड़ीसा	27	26	307823.1	4	40977.25	5	54665.66	350.00
20.	पंजाब	17	17	14493.02	1	2297.11	16	12195.91	
21.	राजस्थान	41	41	105881.95	27	48092.2197	12	45313.52	10540.60
22.	सिक्किम	4	4	5625.82	4	5625.82			
23.	तमिलनाडु	29	29	44834.59	16	26501.26	13	18333.33	
24.	त्रिपुरा	3	3	16220.64	1	1957.77	1	3232.14	
25.	उत्तर प्रदेश	67	65	323752.38	64	271951.589	2	34327.79	165927.70
26.	उत्तराखंड	13	13	64389.43	13	64389.43			10657.72
27.	पश्चिम बंगाल	32	18	402841.4	13	38503.5599			23381.34
	बीपीएल दाबे								5546.00
	कुल	592	565	2802745.62	317	1151422.69	44	590138.52	289208.21

विवरण II

31.12.2006 के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001 की जनगणना के अनुसार कुल बसे हुए गांव	31.03.06 तक विद्युतीकृत गांव			2006-2007 के दौरान उपलब्धि (दिसम्बर, 2007 तक)	31.12.2006 तक संचयी उपलब्धि	31.12.2006 तक विद्युतीकृत गांव का प्रतिशत
			संख्या		प्रतिशत			
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	26613	26565		99.8	शून्य	26565	99.8
2.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2195	*	56.8	शून्य	2195	56.8
3.	असम	25124	19660	*	78.3	81	19741	78.6
4.	बिहार	39015	20610		52.8	3078	23688.	60.7
5.	दिल्ली	158	158		100.0	-	158	100.0
6.	झारखंड	29354	8923	*	30.4	196	9119	31.1
7.	गोवा	347	347		100.00	-	347	100.0
8.	गुजरात	18066	17908	*	99.1	शून्य	17908	99.1
9.	हरियाणा	6764	6764		100.0	-	6764	100.00
10.	हिमाचल प्रदेश	17495	16915	*	96.7	240	17155	98.1
11.	जम्मू-कश्मीर	6417	6304		98.2	उपलब्ध नहीं	6304	98.2
12.	कर्नाटक	27481	27125		98.7	शून्य	27125	98.7
13.	केरल	1364	1364		100.0	-	1364	100.0
14.	मध्य प्रदेश	52117	50213		96.3	शून्य	50213	96.3
15.	छत्तीसगढ़	19744	16456	*	83.3	18	16474	83.4
16.	महाराष्ट्र	41095	35541		86.5	उपलब्ध नहीं	35541	86.5
17.	मणिपुर	2315	1930		83.4	12	1942	83.9
18.	मेघालय	5782	3428		59.3	उपलब्ध नहीं	3428	59.3
19.	मिजोरम	707	570		80.6	शून्य	570	80.6
20.	नागालैंड	1278	822	*	64.3	1	823	64.4
21.	उड़ीसा	47529	26235		55.2	उपलब्ध नहीं	26235	55.2

1	2	3	4		5	6	7	8
22.	पंजाब	12278	12278		100.0	–	12278	100.0
23.	राजस्थान	39753	25845	*	65.0	269	26114	65.7
24.	सिक्किम	450	425		94.4	शून्य	425	94.4
25.	तमिलनाडु	15400	15400	*	100.0	–	15400	100.0
26.	त्रिपुरा	858	491		57.2	शून्य	491	57.2
27.	उत्तर प्रदेश	97942	66879	*	68.3	10938	77817	79.5
28.	उत्तराखंड	15761	14737	*	93.5	492	15229	96.6
29.	पश्चिम बंगाल	37945	32861		86.6	953	33814	89.1
	कुल (राज्य)	593015	458949	*	77.4	16278	475227	80.1
	संघ राज्य क्षेत्र							
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	321		64.1	शून्य	321	64.1
2.	चंडीगढ़	23	23		100.0	–	23	100.0
3.	दादरा और नगर हवेली	70	70		100.00	–	70	100.0
4.	दमन और दीव	23	23		100.0	–	23	100.0
5.	लक्षद्वीप	8	8		100.0	–	8	100.0
6.	पांडिचेरी	92	92		100.0	–	92	100.0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	717	537		74.9	–	537	74.9
		593732	459486	*	77.4	16278	475764	80.1

$1991 की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की सूची के अनुरूप उपलब्धि।
*राज्यों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

तटीय क्षेत्रों में वर्षा

1676. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तटीय क्षेत्रों के कई अन्य भागों में भारी वर्षा हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस सीमा तक मानसून की सही भविष्यवाणी की गई थी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) जी, हां। अक्तूबर और नवम्बर 2006 में उत्तरपूर्वी मानसून ऋतु के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में भारी वर्षा हुई है।

(ख) उत्तपूर्वी मानसून ऋतु 2006 (अक्तूबर-नवम्बर) के दौरान वर्षा के दैनिक आंकड़े (सेमी. में) इक प्रकार हैं:

(अत्यधिक भारी वर्षा का तात्पर्य 24 घंटे में 12 सेमी. से अधिक वर्षा होना है)

25.10.2006	तमिलनाडु, रामनाथपुरम-25, नमक्कल-14
26.10.2006	तमिलनाडु: थामरीपक्कम-15, रेडहिल्स-14 चैन्नै एपी-14, परंगीपेट्टई-14
28.10.2006	तमिलनाडु: पनरुती-16, चेन्नै हवाईअड्डा-14
29.10.2006	आन्ध्र प्रदेश: अंगोले-19, काकीनाडा-13, तमिलनाडु: चेन्नै शहर-19, थिरूवल्लूवर-18, चेयूर-16
30.10.2006	आंध्र प्रदेश: रिपल्लै-28, मछलीपट्टनम-27, बापतला-20, नरसापुर-15, काकीनाडा-15
30.10.2006	आंध्र प्रदेश: गुडीवड़ा-55, मछलीपट्टनम-34, गन्नावरम-14, रिपल्लै-19, अमलापुरम-15, भीमावरम-14, मंगलागिरी-13
01.11.2006	आंध्र प्रदेश: मछलीपट्टनम-17
08.11.2006	तमिलनाडु: चेंगलापेट-14
16.11.2006	तमिलनाडु: पंरगीपेट्टई-13
18.11.2006	तमिलनाडु: थोजुधुर-14
22.11.2006	तमिलनाडु: थिरूचेन्दूर-15
27.11.2006	तमिलनाडु: सथानकुलम-13

(ग) आईएमडी ने पहली बार दक्षिणी प्रायद्वीप (पांच उप-प्रभागों अर्थात तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, रायालासीमा तथा कर्नाटक का दक्षिणी भीतरी प्रदेश) का अक्तूबर-दिसम्बर 2006 के लिए उत्तरपूर्वी मानसून वर्षा का गुणात्मक दीर्घावधि पूर्वानुमान अक्तूबर 2006 के पहले सप्ताह में जारी किया। वर्ष 2006 के ऋतुवत पूर्वानुमान में सामान्य मानसून वर्षा दर्शाता है जिससे सामान्य वर्षा के सकारात्मक पक्ष की अधिक संभावना नजर आती है। आईएमडी द्वारा स्पष्ट पूर्वानुमान किए गए अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीप में वास्तविक ऋतुवत वर्षा का दीर्घावधि औतस (एलपीए) 103 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

एनआरईजीएस लागू करने हेतु कर्मचारियों की कमी

1677. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों ने राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (एनआरईएस) को लागू करने में कर्मचारियों की कमी का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे एनआरईजीएस का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने हेतु क्या कर्यवाही की गई है/की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) से (घ) कुछ राज्यों ने एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध न होने की सूचना दी है। उन्हें सलाह दी गई है कि वे अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ठेका अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर स्टॉफ की नियुक्ति करें। राज्य सरकारों को यह भी सूचित किया गया है कि स्टॉफ, प्रशिक्षण और अन्य प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति निर्धारित सीमा के अंतर्गत केन्द्र सरकार से की जाएगी। इसके अलावा, प्रशासनिक खर्चों के लिए विद्यमान 2% की सीमा को बढ़ाकर 4% करने के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। प्रशासनिक खर्चों के लिए बढ़ी हुई अधिकतम सीमा से राज्य अधिक स्टॉफ उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे।

[अनुवाद]

सिंगापुर में बैंक खोलना

1678. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के अनुसार दोनों देशों के बैंक एक-दूसरे के देश में अपनी शाखाएं खोल सकते हैं और क्वालीफाइड फुल बैंक (क्यूएफबी) लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत और सिंगापुर में ऐसे कितने बैंक काम कर रहे हैं;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के आवेदन क्यू एफ बी लाइसेंस हेतु मॉनीटरी अथारिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) के समक्ष लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के समक्ष सिंगापुर के बैंकों के भारत में बैंक खोलने संबंधी कितने आवेदन लंबित हैं;

(च) क्या आरबीआई और एमएएस के रुख से सीईसीए के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो सीईसीए के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) में यह व्यवस्था है कि सिंगापुर में परिचालन करने या न करने वाले, भारतीय बैंकों को सिंगापुर अर्हता प्राप्त पूर्ण बैंक विशेषाधिकार (क्वालीफाइड फुल बैंक) (क्यूएफबी) के साथ अधिक से अधिक 3 बैंक लाइसेंस दे सकता है और ऐसे भारतीय बैंकों को सीधे ही अर्हता प्राप्त पूर्ण बैंक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भारत चार वर्ष की अवधि में सिंगापुर के तीन बैंकों के लिए 15 शाखाओं की व्यवस्था करने के लिए राजी हो गया है। 30 सितम्बर, 2006 की स्थिति के अनुसार सिंगापुर में 8 भारतीय बैंक थे और भारत में सिंगापुर का एक बैंक था।

(ग) से (ङ) जी, हां। क्यूएफबी लाइसेंस के लिए भारतीय स्टेट बैंक सहित तीन भारतीय बैंकों के आवेदन सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के अनुमोदनार्थ लम्बित हैं। नौ शाखाओं के लाइसेंस के लिए सिंगापुर के दो बैंकों के आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित हैं।

(च) और (छ) सरकार का यह मानना है कि सिंगापुर में भारतीय स्टेट बैंक को क्यूएफबी का दर्जा दिया जाना और भारत में सिंगापुर के बैंकों को लिए नई शाखा लाइसेंस संबंधी अनुमोदन दिए जाने का कार्य साथ-साथ और पारस्परिक आधार पर किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी

1679. श्री एल. राजगोपाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है और यह अनिवार्य कर दिया है कि इन योजनाओं के 15 प्रतिशत लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के हों;

(ख) यदि हां, तो जिन कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और प्रत्येक में क्या संशोधन किया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) और (ख) जी, हां। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों का 15 प्रतिशत निर्धारित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तीन कार्यक्रमों अर्थात (1) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (2) इंदिरा आवास योजना, और (3) संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की पहचान की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के अनुपात के आधार पर राज्य वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, एसजीएसवाई के लिए राज्य वार वास्तविक लक्ष्य और आईएवाई के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिला, मध्यस्तरीय पंचायत और ग्राम पंचायतों के लिए मौजूदा आबंटन मानदंड को ध्यान में रखते हुए एसजीआरवाई के मामले में प्रत्येक जिला स्तर पर जहां कहीं भी यह कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के लिए जिला स्तरीय और मध्य स्तरीय पंचायत स्तर पर आबंटित निधियों का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं के दिशानिर्देशों में यथोचित संशोधन किया गया है ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के लाभों को संबंधित कार्यक्रमों की मासिक प्रगति रिपोर्टों में समाहित किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निधियों का निर्धारण इन कार्यक्रमों के लिए किए गए सामान्य आबंटन से किया गया है।

फर्जी कंपनियां

1680. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कई फर्जी कंपनियां पंजीकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी कंपनियां अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं कर रही हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कंपनी पंजीयक द्वारा राज्यवार कितनी कंपनियों के नाम काट दिए गए हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी कंपनियां बंद हो गई हैं;

(च) कंपनियों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ज) सरकार द्वारा बंद कंपनियों को पुनः खुलवाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है।

इलेक्ट्रिकल उपकरणों के लिए ऊर्जा खपत का ब्यौरा देना

1681. श्री के.एस. राव: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियेंसी (बीईई) रेंटिंग के बिना निर्मित विभिन्न इलेक्ट्रिकल सामानों/उत्पादों के प्रयोग से कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है;

(ख) क्या इलेक्ट्रिकल उपकरणों की परीक्षण पद्धति विकसित करने और इलेक्ट्रिकल उपकरणों हेतु ऊर्जा खपत का ब्यौरा देने हेतु रेटिंग विकसित करने हेतु गठित कार्यदल किसी निष्कर्ष पर पहुंचा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेटिंग के लिए परीक्षण पद्धतियां बनाने और इलेक्ट्रिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए इसे अनिवार्य बनाने तथा विभिन्न कंपनियों द्वारा विनिर्मित सभी इलेक्ट्रिकल उपकरणों की पैकिंग पर लगे लेबल पर उसे प्रदर्शित करने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) की रेटिंग के बिना उत्पादित 7 चिह्नित वैद्युत उत्पादों/उपकरणों की अनुमानित ऊर्जा बचत क्षमता वर्ष 2007 के दौरान 7223 मिलियन कि.वा.घं. है। केन्द्र सरकार ने ऊर्जा दक्षता को सुधारने के लिए स्वैच्छिक आधार पर 18 मई, 2006 को दो यंत्रों/उपकरणों अर्थात् फ्री रेफ्रीजरेटरों तथा चार फीट के टैबूलर फ्लोरोसेंट लैंप के लिए ऊर्जा लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया है।

यंत्रों/उपकरणों के लिए स्टार रेटिंग योजना के अभिकल्प हेतु ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बीईई) द्वारा गठित तकनीकी समिति ने ऊर्जा लेबलिंग कार्यक्रम हेतु शुरू किए गए उपकरणों/यंत्रों के लिए स्टार रेटिंग और चेक/चैलेंज टेस्टिंग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की जांच प्रक्रियाओं के प्रयोग की सिफारिश की है।

विशेष दर्जा प्राप्त राज्य

1682. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री एम. राजामोहन रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कुछ राज्यों के अति पिछड़े क्षेत्रों को 'विशेष दर्जा प्राप्त राज्य' की श्रेणी के अंतर्गत लाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि वे वित्तीय छूट और अन्य रियायतों तथा औद्योगिकीकरण के पात्र बन सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। कुछ राज्यों के अति पिछड़े क्षेत्रों को 'विशेष श्रेणी राज्यों' की श्रेणी के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्नन नहीं उठता।

(ग) विशिष्ट वास्तविक और आर्थिक मानदंडों के एक समुच्य के आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा केवल कुछ राज्यों को ही विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है।

ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम

1683. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **नवीन और नवीकरणीय** ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक पूर्ण ग्राम ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जांच परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) गांवों की संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अब तक 12 राज्यों में कार्यान्वयन हेतु 80 ग्राम ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाएं आरंभ की गई हैं। इन परीक्षण परियोजनाओं के परिणामों के आधार पर अपेक्षाकृत एक बड़े कार्यक्रम को शुरू करने का विचार किया जा सकता है।

(ग) अब तक छ: परीक्षण परियोजनाएं, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक में तीन, कमीशन की गई हैं। स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ स्थानीय रूप से उपलब्ध बायोमास संसाधनों का प्रयोग करने वाली ऊर्जा उत्पादन प्रणालियों के माध्यम से गांवों की कुकिंग और बिजली आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। अन्य आठ परियोजनाएं कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं।

[हिन्दी]

एसजीएसवाई के अंतर्गत राशि का संवितरण और उपयोग

1684. **श्री मो. ताहिर:**
श्री गणेश सिंह:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान सरकार द्वारा सवर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार कुल कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत अभी 50 प्रतिशत राशि संवितरित की जानी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) आवंटित राशि का न्यूनतम उपयोग करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(छ) सरकार द्वारा राशि का इष्टतम उपयोग हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ज) क्या सरकार का विचार अगले वित्त वर्ष से अतिरिक्त/अधिक राशि स्वीकृत करने का है; और

(झ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू): (क) दसवीं योजना के दौरान (जनवरी, 2007 तक) केन्द्रीय आवंटन, केन्द्रीय रिलीज, उपयोग तथा सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारियों को दर्शानेवाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, आदिनांक केन्द्रीय निधियों का 86.92% रिलीज किया गया है।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) अरुणाचल प्रदेश (49.08%) तथा मणिपुर (21.10%) ने उन्हें आवंटित निधियों में से 50% से भी कम निधियों का उपयोग दिखाया है। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों, समीक्षा बैठकों, विभिन्न कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों तथा राज्य प्राधिकारियों के साथ चर्चाओं के माध्यम से नियमित रूप से कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। राज्य और जिला स्तर पर बनी सतर्कता एवं निगरानी समितियां भी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित संपूर्ण समीक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रस्तरीय और जिलास्तरीय मॉनीटरों को नियमित रूप से फील्ड जांच के लिए राज्यों और जिलों में भेजा जाता है।

(ज) और (झ) वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए आवंटन 1200 करोड़ रु. से बढ़ाकर 1800 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

विवरण I

दसवीं योजना के दौरान (जनवरी 2007 तक) राज्य-वार वस्तविक एवं वित्तीय प्रगति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03				2003-04			
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3738.02	5800.68	70504	4238.88	3942.42	5631.80	79736
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.10	78.06	162.50	1053	221.53	139.60	176.17	1220
3.	असम	3302.59	2802.61	3587.09	50176	5756.15	5313.00	7417.91	45480
4.	बिहार	7300.00	3493.34	10822.77	123546	10084.97	5488.44	11216.49	111613
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1968.76	3510.70	25950	2238.84	2025.44	2975.36	22926
6.	गोवा	50.00	17.65	40.18	697	50.00	25.00	51.31	364
7.	गुजरात	1154.96	1403.27	2006.46	18132	1595.58	1508.00	2415.12	21462
8.	हरियाणा	679.48	827.79	1317.00	11673	938.70	932.06	1437.07	11863
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	348.62	593.07	5745	395.33	304.77	642.77	7928
10.	जम्मू-कश्मीर	354.16	350.44	650.91	10617	489.27	427.45	618.44	6965
11.	झारखंड	2751.41	1801.02	3939.38	53729	3801.08	2817.41	4738.75	66644
12.	कर्नाटक	2317.00	2686.99	4882.43	37116	3200.94	2777.12	4711.28	43293
13.	केरल	1039.63	1266.55	2062.58	19778	1436.25	1435.18	2054.13	20062
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	4232.53	7402.90	51907	4799.65	4397.14	7040.11	41979
15.	महाराष्ट्र	4580.15	5579.85	8239.25	55442	6327.49	5712.39	8805.51	60451
16.	मणिपुर	221.40	0.00	–	असूचित	385.88	56.75	–	असूचित
17.	मेघालय	248.05	27.51	86.88	1935	432.33	117.12	161.90	5514
18.	मिजोरम	57.40	86.06	84.03	884	100.04	99.96	138.00	1457
19.	नागालैंड	170.16	83.15	184.01	2218	296.58	157.80	301.05	4177
20.	उड़ीसा	3509.50	4181.99	5499.02	48925	4848.38	4553.07	6699.20	59289
21.	पंजाब	330.22	391.58	668.22	6547	456.20	444.25	671.96	6554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	राजस्थान	1759.38	2143.41	2917.62	27901	2430.60	2261.24	3157.57	28618
23.	सिक्किम	63.55	95.33	129.80	1397	110.76	110.76	230.30	1942
24.	तमिलनाडु	2713.06	3290.35	5068.76	56838	3748.10	3690.70	5852.91	61120
25.	त्रिपुरा	399.75	599.65	975.63	7777	696.73	696.74	967.15	6581
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	7126.87	14721.83	98469	14518.73	11756.85	19564.60	140622
27.	उत्तराखंड	552.30	667.95	1305.22	7690	763.00	686.02	1356.48	10780
28.	पश्चिम बंगाल	3900.11	1121.19	5355.23	28748	5388.01	2617.59	5298.25	27008
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	50.00	0.00	14.41	142	50.00	0.00	4.24	350
30.	दमन और दीव	50.00	0.00	1.34	17	50.00	0.00		0
31.	दादरा और नगर हवेली	50.00	0.00		0	50.00	0.00	4.57	163
32.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	0.70	7	50.00	0.00	2.53	26
33.	पांडिचेरी	50.00	53.64	80.67	707	50.00	25.00	0.04	708
	कुल	56790.00	50464.18	92111.27	826267	80000.00	64519.64	104342.97	896895

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05					2005-06				
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज		उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या	
			कुल संख्या	अतिरिक्त						लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	5305.97	5305.97	-	6970.51	84825	5305.97	5263.37	7066.03	45602	132462
2.	अरुणाचल प्रदेश	276.91	278.92	61.74	242.38	1743	276.91	183.89	231.14	2380	2013
3.	असम	7195.18	6595.62	230.60	8046.89	64814	7195.18	6601.52	8164.07	61839	55753
4.	बिहार	12623.79	9619.84		13442.98	128075	12623.79	11079.65	15875.41	108494	131033
5.	छत्तीसगढ़	2802.45	2676.11		3863.97	28842	2802.45	2633.11	3740.30	24086	28971
6.	गोवा	50.00	27.82		60.93	683	50.00	29.36	51.45	430	625
7.	गुजरात	1997.27	1946.40		2814.63	27457	1997.27	1996.08	2857.07	17165	30948

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8.	हरियाणा	1175.03	1175.08		1595.25	14132	1175.03	1147.48	1888.51	10099	14955
9.	हिमाचल प्रदेश	494.85	487.42		745.26	8950	494.85	448.75	678.32	4253	8457
10.	जम्मू-कश्मीर	612.44	436.74		779.94	8039	612.44	419.78	703.66	5264	7185
11.	झारखंड	4757.98	4180.61		5587.89	59705	4757.98	3498.87	6518.55	40892	79847
12.	कर्नाटक	4006.76	3735.03		5487.70	52976	4006.76	3579.36	5590.36	34436	46924
13.	केरल	1797.82	1783.56		2445.14	23306	1797.82	1797.82	2420.47	15451	22483
14.	मध्य प्रदेश	6007.91	5516.04		7592.17	48777	6007.91	5722.89	8600.34	51635	56456
15.	महाराष्ट्र	7920.39	7409.42		10630.89	70146	7920.39	7443.34	10878.65	68071	73839
16.	मणिपुर	482.36	91.05			0	482.36	116.82	111.36	4146	1964
17.	मेघालय	540.42	190.84	27.76	241.88	7508	540.42	281.43	364.07	4645	1835
18.	मिजोरम	125.06	146.76	37.52	189.77	1488	125.06	123.21	200.82	1075	1557
19.	नागालैंड	370.70	203.94	38.54	188.77	2981	370.70	135.90	253.51	3186	3508
20.	उड़ीसा	6068.94	5866.19		8281.82	65712	6068.94	6065.95	8073.92	52159	63904
21.	पंजाब	571.05	442.81		552.73	5246	571.05	562.17	638.82	4908	5923
22.	राजस्थान	3042.47	2941.56		4051.15	35225	3042.47	2662.12	4009.83	26148	33476
23.	सिक्किम	138.45	179.99	41.54	222.09	1598	138.45	138.45	247.87	1190	1466
24.	तमिलनाडु	4691.65	4676.06		7066.73	74927	4691.65	4691.65	6759.92	40322	39708
25.	त्रिपुरा	870.92	1102.28	261.28	1136.56	9301	870.92	869.92	1464.19	7485	6188
26.	उत्तर प्रदेश	18173.71	17293.83		27722.43	246824	18173.71	17018.11	26779.42	156193	261080
27.	उत्तराखंड	955.10	954.59		1686.24	12493	955.10	943.75	2085.78	8209	17243
28.	पश्चिम बंगाल	6744.42	4608.31		7317.61	28280	6744.42	5465.50	7525.25	57965	18829
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	25.00		5.09	373	25.00	6.25	7.07	161	1594
30.	दमन और दीव	25.00	0.00		0.06	0	25.00	0.00		161	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	12.50		8.28	87	25.00	0.00		161	0
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00		1.16	6	25.00	0.00	2.15	161	15
33.	पांडिचेरी	100.00	100.00		104.28	1409	100.00	100.00	89.22	645	875
	कुल	100000.00	90010.29	698.98	129083.18	1115928	100000.00	91026.50	133877.53	859230	1151116

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07 (दिसम्बर, 2006 तक)				
		केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय रिलीज	उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या	
					लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	21	22	23	24	25
1.	आंध्र प्रदेश	5885.70	5658.14	5581.77	57921	565239
2.	अरुणाचल प्रदेश	282.45	107.59	26.97	3023	72
3.	असम	7339.07	3669.54	7047.19	78544	118483
4.	बिहार	13998.30	7517.01	11509.14	137805	78670
5.	छत्तीसगढ़	3109.61	2923.60	3206.04	30592	26094
6.	गोवा	50.00	45.80	46.76	546	541
7.	गुजरात	2216.70	2172.37	1710.23	21803	7232
8.	हरियाणा	1304.92	1304.92	981.83	12827	7254
9.	हिमाचल प्रदेश	548.73	418.64	394.00	5402	4740
10.	जम्मू-कश्मीर	679.13	522.36	442.53	6686	4463
11.	झारखंड	5278.02	3902.21	4558.18	51939	53844
12.	कर्नाटक	4445.01	3909.77	3492.76	43739	29834
13.	केरल	1995.54	1979.16	1687.06	19625	15672
14.	मध्य प्रदेश	6664.05	6402.63	8298.53	65584	38803
15.	महाराष्ट्र	8784.83	8443.92	7187.98	86461	46395
16.	मणिपुर	492.01	146.43	17.50	5266	360
17.	मेघालय	551.23	105.38	254.93	5899	1112
18.	मिजोरम	127.56	119.16	55.20	1365	5269
19.	नागालैंड	378.12	164.46	93.03	4047	2125
20.	उड़ीसा	6729.73	6698.16	4508.76	66250	42978
21.	पंजाब	635.23	624.50	660.66	6234	6243
22.	राजस्थान	3375.71	3051.47	2943.31	33212	21791

1	2	21	22	23	24	25
23.	सिक्किम	141.22	135.25	123.29	1511	829
24.	तमिलनाडु	5204.41	5143.89	5286.57	51215	36530
25.	त्रिपुरा	888.34	871.43	540.44	9507	1598
26.	उत्तर प्रदेश	20152.62	19409.70	19880.81	198389	202100
27.	उत्तराखंड	1061.01	1061.01	823.25	10426	7665
28.	पश्चिम बंगाल	7480.75	5726.77	5837.43	73624	14884
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25.00	0.00	4.40	205	102
30.	दमन और दीव	25.00	0.00		205	0
31.	दादरा और नगर हवेली	25.00	12.50		205	0
32.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	3.45	205	30
33.	पांडिचेरी	100.00	94.01	108.27	819	1013
	कुल	110000.00	92341.78	97312.26	1091081	1341965

विवरण II

दसवीं योजना के दौरान (जनवरी 07 तक) एसजीएसवाई के अंतर्गत राज्य-वार निधियों का उपयोग

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	34450.51	31050.79	90.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1709.76	839.16	49.08
3.	असम	47435.63	34263.15	72.23
4.	बिहार	95499.31	62866.79	65.83
5.	छत्तीसगढ़	18809.51	17296.36	91.96
6.	गोवा	415.38	250.63	60.34
7.	गुजरात	13106.94	11803.51	90.06
8.	हरियाणा	8211.92	7219.66	87.92
9.	हिमाचल प्रदेश	3805.33	3053.42	80.24

1	2	3	4	5
10.	जम्मू-कश्मीर	4375.13	3195.48	73.04
11.	झारखंड	31079.66	25342.75	81.54
12.	कर्नाटक	27496.84	24164.53	87.88
13.	केरल	11898.57	10669.38	89.67
14.	मध्य प्रदेश	40628.64	38934.05	95.83
15.	महाराष्ट्र	53285.59	45742.28	85.84
16.	मणिपुर	610.77	128.86	21.10
17.	मेघालय	1796.31	1109.66	61.77
18.	मिजोरम	821.57	667.82	81.29
19.	नागालैंड	1196.70	1020.37	85.27
20.	उड़ीसा	34702.60	33062.72	95.27
21.	पंजाब	4151.01	3192.39	76.91
22.	राजस्थान	24643.45	17079.48	69.31
23.	सिक्किम	1107.99	953.35	86.04
24.	तमिलनाडु	35021.05	30034.89	85.76
25.	त्रिपुरा	5667.66	5083.96	89.70
26.	उत्तर प्रदेश	135718.59	108669.09	80.07
27.	उत्तराखंड	8691.79	7256.97	83.49
28.	पश्चिम बंगाल	46496.22	31333.77	67.39
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	244.99	35.21	14.37
30.	दमन और दीव	383.81	1.40	0.36
31.	दादरा और नगर हवेली	34.16	12.85	37.62
32.	लक्षद्वीप	234.21	9.99	4.27
33.	पांडिचेरी	623.71	382.48	61.32
	कुल	694355.30	556727.21	80.18

व्यक्ति जज अनुपात

1685. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री कैलाशनाथ सिंह यादव:
श्री देविदास पिंगले:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यक्ति-जज अनुपात का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) विधि आयोग ने अपनी 120वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीशों की वर्तमान पदसंख्या को बढ़ाकर 50 न्यायाधीश दस लाख जनसंख्या किया जाए।

विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या का अंतिम त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन वर्ष 2006 में किया गया था। उच्च न्यायालयों से, उच्च न्यायालयों की न्यायाधीश पदसंख्या के त्रैवार्षिक पुनर्विलोकन के लिए प्राप्त आंकड़ों का पद संख्या में वृद्धि करने के लिए नियत दिशानिर्देशों के अनुसार विश्लेषण किया गया है और केवल आठ उच्च न्यायालय उनकी न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि के लिए अर्हित हुए हैं। जहां तक अधीनस्थ न्यापालिका का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने आल इंडिया जजेज एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अपने तारीख 21 मार्च, 2002 के निर्णय में यह निदेश दिया है कि 10.5 या 13 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या की वर्तमान न्यायाधीश पदसंख्या से 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या की वृद्धि को संघ के विधि मंत्री द्वारा अवधारित और निदेशित की जाने वाली चरणबद्ध रीति में पांच वर्षों की अवधि में प्रभावी और कार्यान्वित किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह अनुरोध करते हुए एक शपथपत्र फाइल किया है कि ऐसे संघ राज्यक्षेत्रों में, जिनके लिए केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है, न्यायाधीश पदसंख्या में वृद्धि को कार्यभार और लंबित मामलों की संख्या के आधार पर अनुज्ञात किया जाए। यह विषय न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को वित्तीय और तकनीकी सहायता

1686. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने और राज्य की विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु विद्यमान विद्युत स्टेशनों का नवीकरण/आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में उपलब्ध विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए ताप/जल विद्युत केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा केन्द्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ।

तथापि, नवीकरण और आधुनिकीकरण/नवीकरण, आधुनिकीकरण और उच्चीकरण (आरएमएण्डयू)/उत्कृष्टता में भागीदारी (पीआईई) कार्यक्रम के अधीन कतिपय ताप/जल विद्युत केन्द्रों पर कार्य प्रगति पर है।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत उत्पादन

1687. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्तिवर्धन सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की विश्व भर में विद्युत उत्पादन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी; और

(घ) इस संबंध में एनटीपीसी द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) एनटीपीसी का श्रीलंका में त्रिकोमाली क्षेत्र में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और उसने 50:50 के आधार पर सीईबी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी के माध्यम से 2×250 मेगावाट विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए 29.12.2006 को श्रीलंका सरकार और सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (सीईबी) के साथ करार ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं।

करार ज्ञापन हस्ताक्षरित करने के पश्चात एनटीपीसी लि. की एक टीम ने परियोजना के लिए सीईबी के साथ उपयुक्त स्थल को चिह्नित करने के लिए जनवरी, 2007 में श्रीलंका का दौरा किया। परियोजना स्थल को अंतिम रूप देने के पश्चात परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट के प्रतिपादन के संबंध में आगे कार्यवाही किया जाना परिकल्पित है जिसके पश्चात अनुमानित लागत का पता चलेगा।

व्यवहार्यता स्थापित होने एवं समय पर स्वीकृतियां मिल जाने के अधीन यूनिटों के 2011-12 तक प्रचालन शुरू करने की परिकल्पना है।

एनटीपीसी लि. नाइजीरिया संघीय सरकार के साथ विद्युत क्षेत्र में परस्पर सहयोग की संभावनाएं भी तलाश कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एनटीपीसी लि. द्वारा नाइजीरिया में कोयला/गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

आर्थिक वृद्धि

1688. श्री महावीर भगोरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले 25 वर्षों के दौरान चीन ने भारत को आर्थिक वृद्धि के मामले में पीछे छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न आर्थिक संकटों के संबंध में भारत और चीन की किस प्रकार तुलना की जा सकती है;

(घ) क्या समग्र आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में चीन, जापान जैसे देशों से मुकाबला करने के लिए कोई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया है/बनाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक डाटाबेस में दी गई भारत और चीन की वर्ष 1980 से 2005 की अवधि के दौरान स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि इस अवधि के अधिकतर वर्षों में चीन की वृद्धि दर की रफ्तार भारत की वृद्धि दर से अधिक थी। परिणामस्वरूप, एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक का अनुमान नामत: चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2005 में भारत के मामले में 705 अमरीकी डालर था जिसकी तुलना में चीन के मामले में यह 1709 अमरीकी डालर (डब्ल्यूईओ डाटाबेस में) रहा है। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के संदर्भ में, वर्ष 2004 में चीन के 81वें स्थान की तुलना में भारत का स्थान 126 था।

(घ) से (च) अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक, सितंबर, 2006 में चीन और जापान की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2006 में क्रमश: 10.0 प्रतिशत और 2007 में क्रमश: 10.0 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था। भारत से संबंध में केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 9.0 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। आगामी वर्षों के दौरान भारत में आर्थिक वृद्धि के बारे में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण-पत्र "अधिक तेज और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर" में सूचित किया गया है कि "11वीं योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्थायी वृद्धि के मार्ग पर लाने का होना चाहिए जहां योजनावधि के अंत तक वृद्धि दर लगभग 10 प्रतिशत हो जाए"

आवश्यक वस्तुओं पर वैट

1689. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वैट प्रणाली लागू करने के बावजूद आवश्यक वस्तुओं पर समान कर नहीं लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में वैट प्रणाली के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं पर समान कर लगाने हेतु राज्य सरकारों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं पर वैट समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) राज्य मूल्य वर्धित कर से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए और सिफारिशें करने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) गठित की गई है। अधिकार प्राप्त समिति ने विभिन्न वस्तुओं के लिए कर दरों की संरचना

सहित मूल्य वर्धित कर की रूपरेखा को अन्तिम रूप दे दिया है, जिसके अंतर्गत बहुत सी अनिवार्य वस्तुओं को या मूल्य वर्धित कर से छूट प्रदान की गई है अथवा मूल्य वर्धित कर की 4 प्रतिशत की दर की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत कर संरचना समान्यतया राज्यों द्वारा अपनाई जा रही है, हालांकि, कुछ विपथन के उदाहरण हो सकते हैं।

(ख) से (ङ) राज्य मूल्य वर्धित कर, राज्य के अंदर माल के क्रय अथवा विक्रय पर कर होने के कारण, संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-54 के फलस्वरूप राज्य का विषय है। मूल्य वर्धित कर क्योंकि एक राज्य का विषय है, अत: एक समान कर दरों को कार्यान्वयन के संबंध में अथवा अनिवार्य वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर की समाप्ति से संबंधित कोई भी निर्णय केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही लिए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

बैंकों की अतिरिक्त शाखाएं

1690. **श्री जोवाकिम अलवा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 के दौरान किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों को अपनी अतिरिक्त शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) इन शाखाओं को किन-किन स्थानों पर खोलने की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इनमें से किन शाखाओं को खोलने के लिए लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए हैं और ये लाइसेंस किन तिथियों को प्रदान किए गए हैं; और

(घ) शेष शाखाओं को लाइसेंस प्रदान करने का लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मौसम पूर्वानुमान

1691. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर:** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा किए जा रहे मौसम पूर्वानुमान गलत साबित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा प्रयोग में लायी जा रही प्रौद्योगिकी अद्यतन नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सही मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने हेतु भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम का सही पूर्वानुमान किया जाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) यह कहना सही नहीं है कि आईएमडी द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान भ्रांतिपूर्ण हैं। प्रत्येक पूर्वानुमान में त्रुटि की गुंजाइश रहती है और वैज्ञानिकों का सदैव यह प्रयास रहता है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इस त्रुटि की गुंजाइश को कम किया जाए। मौसम पूर्वानुमान मौसम विज्ञानी प्रेक्षणों के आधार पर तथा समुचित मॉडल में इन प्रेक्षणों का उपयोग करते हुए तैयार किए जाते हैं। पूर्वानुमान की सटीकता अथवा त्रुटि की गुंजाइश इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेक्षणात्मक नेटवर्क कितना सघन है और उस क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जा रहा मॉडल कितना उपयुक्त है जिस क्षेत्र के लिए मौसम पूर्वानुमान किया जा रहा है।

आईएमडी के समक्ष आ रही समस्या यह है कि प्रेक्षण नेटवर्क को अपेक्षकृत अधिक सघन बनाने के लिए वर्षों से यंत्रीकरण के क्षेत्र में अभी तक पर्याप्त निवेश नहीं किया गया है। इसके अलावा, विश्व से इस भाग में मौसम प्रणालियों के लिए उपयुक्त मॉडल विकसित करने के क्षेत्र में सार्थक अनुसंधान और विकास प्रयासों की भी कमी है। यह वास्तविकता है कि हमारे क्षेत्र में मध्यमापक्रम प्रणालियां अक्सर अचानक विकसित होती हैं तथा उष्णकटिबंधीय से भिन्न प्रदेशों की तुलना में त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रदर्शित करती हैं जिन्हें क्रमबद्ध विकास और गति दर्शाने वाली अग्रणी प्रकार की मौसम प्रणालियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए हमारे देश में मौसम पूर्वानुमान भिन्न और अधिक कठिन है।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए प्रमुख उपाय के रूप में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सृजन किया गया है। इस मंत्रालय

का प्रयास समुद्र और वायुमण्डलीय प्रेक्षणों को एस साथ जोड़ना तथा बेहतर मौसम पूर्वानुमान तैयार करना भी है। इस समय, सरकार की न केवल प्रेक्षण नेटवर्क में काफी सुधार करने की योजना है बल्कि डॉप्लर मौसम, राडार, स्वचालित वर्षा मापियों, पवन प्रोफाइलरों, इत्यादि जैसे उपकरणों की संस्थापना के जरिए इसे प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत करना भी है।

भारत-अमरीका सहायता परियोजना के तहत अमरीका के सहयोग से भी, हाल ही में आईएमडी और एनसीएमआरडब्ल्यू के कुछ युवा वैज्ञानिकों को अंकीय मॉडलों के विभिन्न पहलुओं पर अमरीका में प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित अधिकारी इस समय भारतीय स्थितियों में मॉडलों के वैधीकरण, परीक्षण और उन्हें परिष्कृत करने के लिए भारत में कार्य कर रहे हैं। उक्त सभी प्रयासों के परिणामस्वरूप आईएमडी निकट भविष्य में संवर्धित मौसम पूर्वानुमान सेवाएं मुहैया कराने के लिए सुविधा सम्पन्न हो जाएगा।

भ्रमित करने वाले विज्ञापन

1692. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सरकार ने भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के संबंध में कितने मामले दर्ज किए हैं; और

(ख) ऐसे मामलों में कितने लोगों को दोषी पाया गया है?

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्र मंडल खेल-2010

1693. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री जे.एम. आरून रशीद:
श्री सज्जन कुमार:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली राष्ट्र मंडल खेल-2010 से संबंधित परियोजनाओं और सरकार के पास स्वीकृति के लिए अब तक लंबित परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) समय के अभाव के मद्देनजर इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रमंडल खेल के लिए विभिन्न एजेंसियों से अनुमति लेने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है तथा स्थानीय निकायों द्वारा उठायी गयी किसी आपत्ति/मांगे गए स्पष्टीकरण का संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा समुचित रूप से समाधान किया जाता है। मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अध्यक्षता में अनुमतियां लेने के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए एक अधिकारप्राप्त समिति भी गठित की गयी है। खेलों से संबंधित सभी परियोजनाओं के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए समय पर पूरा होने की उम्मीद है।

[अनुवाद]

बांस केन्द्र की स्थापना

1694. श्री पी.सी. थामस: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) को केरल में बांस उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उप पर क्या कार्यवाही की गई है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं। आवास और नगर विकास निगम (हुडको) को बांस उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करने के लिए केरल राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी बैंकों का बंद होना

1695. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान कितने निजी बैंक बंद हो गए हैं; और

(ख) देश में निजी बैंकों के कुप्रबंधन को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई भी बैंक बंद नहीं हुआ है। तथापि, इस अवधि के दौरान, खराब वित्तीय स्थिति की वजह से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के प्रावधानों के तहत गैर-सरकारी क्षेत्र के 6 बैंकों का अन्य बैंकों के साथ समामेलन किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक मौके पर जाकर निरीक्षण और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई विरणियों की संवीक्षा के रूप में बैंकों की वित्तीय स्थिति की निरंतर आधार पर निगरानी करता है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई करता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक में स्वामित्व और अधिशासन के संबंध में 28 फरवरी, 2005 को मार्गनिर्देश जारी किए हैं, ताकि इन बैंकों में ठोस पूंजीगत आधार, विविध स्वामित्व, उचित प्रबंधन और प्रबंध संबंधी प्रथाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन

1696. श्री रेवती रमन सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास प्रवासी भारतीयों हेतु फार्म हाउस तथा कृषि भूमि खरीदने की व्यवस्था करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मतदाता पहचान-पत्र

1697. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने के बावजूद 30 प्रतिशत मतदाताओं को मतदान पहचान-पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़ी संख्या में दोषपूर्ण मतदाता पहचान-पत्र जारी किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने यह सूचित किया है कि लगभग 30 प्रतिशत निर्वाचकों को अभी तक मतदाता पहचान-पत्र जारी नहीं किया गया है। आयोग का प्रयास यह रहा है कि यथासाध्य रूप में एस समयबद्ध रीति में 100% निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। यद्यपि, सभी निर्वाचकों को ईपीआईसी स्कीम के अंतर्गत लाने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं, फिर भी प्राकृतिक आपदाएं, प्रशासनिक तंत्र की व्यस्तता, जो निर्वाचन कार्य से भिन्न कार्य भी करता है, स्वयं मतदाताओं का उदासीन होना, कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एकसमान प्रगति नहीं हो पाई है। यद्यपि, कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे कि केरल, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, लक्षद्वीप, पांडिचेरी में ईपीआईसी का प्रतिशत 90% से अधिक है, असम और मणिपुर में विभिन्न कारणों से ईपीआईसी कार्यक्रम वास्तविक रूप में प्रारंभ नहीं हो सका है।

आयोग इस तथ्य के प्रति भी चिंतित है कि ईपीआईसी जारी करने में उक्त 30% का अंतर, वार्षिक ईपीआईसी अभियान चलाये जाने के बावजूद भी बना हुआ है। इस अंतर के पीछे मुख्य कारक हैं: (1) ऐसे व्यक्तियों को, जो पहली बार पात्र बनते हैं, प्रत्येक वर्ष रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और जो लगभग 2% हो सकते हैं। (2) मृत निर्वाचकों के नामों को हटाया न जाना, जो लगभग 1% हो सकते हैं; (3) प्रमुख महानगरों में नगर के भीतर और नगर से बाहर निवास में परिवर्तन, जो कि लगभग 7-8 प्रतिशत हो सकता है। आयोग ने यह भी नोट किया है कि अधिकांश मामलों में निवास परिवर्तन करने वाले निर्वाचक, अपने निवास के नए स्थानों पर अपने नामों को नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए भरे जाने वाले आवेदन प्ररूप में ऐसी ईपीआईसी संख्याओं, यदि कोई हों, का उल्लेख नहीं करते हैं, जो उन्हें उनके पूर्व निवास-स्थानों पर जारी किए गए थे। अत: यद्यपि उनके नाम ऐसी निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित कर लिए जाते हैं जहां निर्वाचक स्थानांतरित होते हैं, किन्तु ईपीआईसी संख्या भरी जानी शेष रह जाती है और इसके कारण ऐसे निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि होती है जिनके पास ईपीआईसी नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, आदि जैसे राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों से कुशल और अकुशल व्यक्तियों का समयानुसार, देश के अन्य भागों में काफी स्थानांतरण होता रहता है किन्तु उनके नाम उनके मूल स्थान की मतदाता सूची से हटाए नहीं जाते हैं क्योंकि मूल स्थान पर

निवास करने वाले उनके कुटुंब के सदस्य भावुक और कुछ ऐहिक (संपत्ति विवादों को रोकने आदि) कारणों से उनके नामों को उसमें बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति फोटोग्राफी के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें ईपीआईसी जारी नहीं किए जा सकते और अंतर बना रहता है।

इसके अतिरिक्त, ऐसे शहरी क्षेत्रों में अन्य फोटोग्राफ आधारित पहचान दस्तावेज (जैसे कि पासपोर्ट, चालक अनुज्ञप्ति, विभागीय या नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पहचान पत्र) उपलब्ध हैं। शहरी व्यक्ति ईपीआईसी अभिप्राप्त करने के लिए उत्साह नहीं दिखाते क्योंकि इसके लिए उन्हें ऐसे दस्तावेज हेतु फोटो अवस्थान पर जाने के लिए समय लगाना पड़ता है जो केवल 5 वर्षों में एक बार ही संगत होता है और जिसके लिए उनके पास पहले से विकल्प है।

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग की जानकारी में बड़ी संख्या में मिथ्या फोटो पहचान-पत्र जारी करने के कोई मामले नहीं आए हैं।

यद्यपि, ऐसे कुछ मामले हुए हैं जहां विशिष्टियों को मिथ्या उल्लिखित किया गया है, इन मामलों को त्रुटि दूर करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को भेजा जाता है। ईपीआईसी पर मुद्रित किसी निर्वाचक की विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली के डाटा बेस से ईपीआईसी बनाए जाने संबंधी साफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही ले लिया जाता है। निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप सभी मतदान केन्द्र अवस्थानों, क्षेत्र के डाकघरों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों आदि के कार्यालयों पर अन्य बातों के साथ, उनकी त्रुटियों को दूर करने हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है। यह देखा गया है कि साधारणतया बहुत कम निर्वाचक अपनी ऐसी विशिष्टियों में, जो प्रारूप नामावली में मुद्रित की जाती है, त्रुटियों, यदि कोई हों, को ठीक करने के लिए प्ररूप-8 में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। साधारण प्रवृत्ति यह है कि त्रुटियों को केवल ईपीआईसी प्राप्त करने के पश्चात ही इंगित किया जाता है। ईपीआईसी तैयार करने के लिए फोटोग्राफी के समय पर भी निर्वाचकों की विशिष्टियों में त्रुटियां उपदर्शित करने का अवसर दिया जाता है जिससे कि सही विशिष्टियों वाले ईपीआईसी को जारी किया जा सके।

[हिन्दी]

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा शेयरों में निवेश

1698. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक/वित्तीय संस्थाएं गैर-सरकारी तथा सरकारी शेयरों के माध्यम से और उन्हें रणनीति के रूप में ऋण देकर निवेश करते हैं;

(ख) यदि हां, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ग्रुप की सभी कंपनियों में ऋणों और शेयरों के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितना निवेश किया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अवधियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा लिए गए आकस्मिक ऋणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऐसे ऋणों का भुगतान दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे ऋणों का संस्थावार-बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(च) ऋणों के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और तथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पैन कार्ड जारी करना

1699. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पैन कार्ड जारी करने में लंबित मामलों के निपटान हेतु यू टी एल तथा एन एस डी एल को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो लम्बित पड़े आवेदनों के संबंध में की गई प्रगति का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): (क) सरकार ने आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने के 10 कार्यदिवसों के भीतर पैन कार्ड जारी करने के लिए सेवा प्रदाताओं अर्थात यू टी आई टी एस एल एवं एन एस डी एल को निर्देश जारी किए हैं।

(ख) आबंटित पैन कार्ड एवं लंबित आवेदन-पत्रों के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

वर्ष	पैन आबंटन की कुल संख्या	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
2003-04	4460038	28948
2004-05	6373028	18873
2005-06	5898470	25473
2006-07 (28.2.2007 तक)	7113105	215443

वित्त वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 के लिए लंबित आवेदन-पत्र त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र हैं। इसी तरह वित्त वर्ष 2006-07 के लिए 215443 आवेदन-पत्रों में से 122503 आवेदन-पत्र भी त्रुटिपूर्ण प्रकृति के हैं। ऐसे आवेदन-पत्रों में आवेदकों के द्वारा त्रुटियों को सुधारा नहीं गया है।

(ग) पैन सेवा प्रदाता आवेदकों को उनके आवेदन-पत्रों में त्रुटियों के संबंध में जानकारी दे देते हैं। सभी आवेदन-पत्रों की स्थिति सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर भी दर्शाई जाती है। आयकर विभाग द्वारा आवेदकों को उनके आवेदन-पत्रों की स्थिति की सूचना प्रदान करने के लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। यू टी आई टी एस एल एवं एन एस डी एल में लंबित आवेदन-पत्रों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है एवं यदि ऐसा पाया जाता है कि विलम्ब हुआ है तो इस संबंध में पैन कार्डों को त्वरित रूप से जारी किए जाने के लिए सेवा प्रदाता को सूचित कर दिया जाता है।

मेगा सिटी स्कीम

1700. प्रो. एम. रामदास: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़े शहरों में अवसंरचना विकास योजना की प्रगति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस योजना में शामिल पांच शहरों में अवसंरचना विकास में विसंगतियां देखी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो असंतुलनों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम की वित्तीय और वास्तविक प्रगति दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। इस स्कीम को अब 3.12.2005 को शुरू की गई जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में मिला दिया गया है। संबंधित राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों से अनुरोध किया गया है कि स्कीम के तहत सभी परियोजनाओं को 31.3.2007 तक पूर्ण कर लिया जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस स्कीम को 1.04.2007 से बंद कर दिया जाए और इसकी सूचना संबंधित राज्य सरकारों/नोडल एजेंसियों को दे दी गई है। जेनएनयूआरएम स्कीम के शुरू हो जाने से इन पांच मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

विवरण

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित स्कीम (मेगा सिटी स्कीम) वित्तीय और वास्तविक प्रगति

(करोड़ रु. में)

मेगा सिटी का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की सं.	कुल परियोजना लागत	चालू परियोजनाएं	जारी केन्द्रीय अंश	जारी राज्य अंश	जुटाया गया संस्थागत वित्त	किया गया खर्च	आवर्ती कोष
मुंबई	63	1785.58	20	416.42595	394.66661	297.88	1108.97205	86.92
कोलकाता	130	1275.61	38	307.43040	646.57000	186.49	1140.4904	35.38
चेन्नई	201	2021.56	07	320.97139	300.15750	815.23	1436.35889	392.69
हैदराबाद	224	2067.05	59	341.76250	374.42130	183.93	900.1138	21.00
बंगलूर	60	1476.59	12	241.84976	241.75220	206.83	690.43196	339.71
कुल	678	8626.39	136	1628.44000	1957.56761	1690.36	5276.36761	875.70

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना

1701. श्रीमती निवेदिता माने: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल विद्युत संयंत्र की तीन इकाईयों में से वर्तमान में केवल एक ही इकाई कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने शेष इकाइयां खोलने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे): (क) जी, हां। विद्युत ब्लॉक-II (740 मेगावाट) अप्रैल 2006 में पुन: आरंभ किया गया था और वर्तमान में यह नाफ्था पर प्रचालनाधीन है और महाराष्ट्र ग्रिड को अनिश्चित विद्युत की आपूर्ति कर रहा है।

(ख) से (घ) शेष दो विद्युत ब्लॉकों के पुनरुत्थान की समय सीमा गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मै. पेट्रोनेट एल एन जी लिमि/गैल (इंडिया) लि. द्वारा दिये गये संकेतों के आधार पर विद्युत ब्लॉक-II (740 मेगावाट) का पुनरुत्थान निर्धारित समय से पूर्व तय किया गया है और इसे अब अप्रैल 2007 के लिए नियोजित किया गया है तथा विद्युत ब्लॉक-I (670 मेगावाट) का पुनरुत्थान उत्तम प्रयास आधार पर नवम्बर 2007 मे नियोजित किया गया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। *...(व्यवधान)*

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एलटी-5876/07]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5877/07]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड 48 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2108(अ) से का.आ. 2113(अ) जो 15 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिनके द्वारा अवसंरचना पूंजीगत कंपनी अथवा अवसंरचना पूंजीगत निधि अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को 'जीरो कूपन बांड्स' जारी करने की अनुमति दी गई है, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5878/07]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग की उपधारा (2) के खंड (सोलह) के उप-खंड (क) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 37(अ) जो 11 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इंडिया हैबीटेट सेंटर की पब्लिक जमा योजना

की राशि एक हजार करोड़ रुपए विनिर्दिष्ट की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5879/07]

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2007 जो 15 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 25 जनवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 82(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5880/07]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जुडिशियल एकेडमी, भोपाल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5881/07]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 33 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय नियोजन गारंटी निधि नियम, 2006 जो 3 जनवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5882/07]

[हिन्दी]

कंपनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (निवेशकों की जानकारी और संरक्षण) संशोधन नियम, 2007 जो 20 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 93(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5883/07]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 4782 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन ''ईएएन इंडिया, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 4783 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन ''दी मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर'' को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 4784 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन ''इंस्टीट्यूट आफ रेल ट्रांसपोर्ट, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2005-2006 से 2007-2008 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 4785 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अधीन ''राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से 2005-2006 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 4787 जो 16 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बैंक मैनेजमेंट, मुंबई'' को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 4522 जो 2 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अधीन ''दी साइनाडिकल बोर्ड आफ हेल्थ सर्विसेज, नई दिल्ली'' को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से 2008-2009 तक की अवधि के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5884/07]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 760(अ) जो 19 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 772(अ) जो 28 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या 81/2006-सी.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5885/07]

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 776(अ) जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5886/07]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 777(अ) जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 778(अ) जो 29 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना संख्या 21/2001-के.उ.शु. (गै.टै.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5887/07]

(5) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2007 जो 2 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 103(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5888/07]

(6) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एलटी-5889/07]

(7) (एक) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एलटी-5890/07]

(9) अधिसूचना संख्या का.आ. 2098(अ) जो 14 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 14 दिसम्बर, 2006 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के सभी उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5891/07]

(10) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी नियम, 2006 जो 14 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 753(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5892/07]

(11) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी विनियम, 2006 जो 14 दिसम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 754(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एलटी-5893/07]

अपराह्न 12.03 बजे

लोक लेखा समिति

उनतालीसवां और चालीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में संयंत्र और उपस्कर की खरीद और उपयोगिता" के बारे में लोक लेखा समिति (14वीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी उनतालीसवां प्रतिवेदन।

(2) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों द्वारा शुरू की गई मृदा और जल की उपयोगिता और संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं का प्रबंधन" के बारे में चालीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03½ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ चौरानवेवां से एक सौ सत्तानवेवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (सिद्दीपेट): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 189वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 194वां प्रतिवेदन;

(2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 190वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 195वां प्रतिवेदन;

(3) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 191वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 196वां प्रतिवेदन; और

(4) कृषि और ग्रामीण उद्योग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में समिति के 188वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 197वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** अध्यक्ष महोदय, मैं यह वक्तव्य आपके निदेश 73क, जिसे दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-भाग-II के द्वारा जारी किया गया था, के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के उन्नीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रहा हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का उन्नीसवां प्रतिवेदन लोक सभा में 18 मई, 2006 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन भूमि संसाधन विभाग की वर्ष 2006-2007 के लिये अनुदानों की मांगों की समीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन में 36 सिफारिशें शामिल हैं। समिति के प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को 31.08.2006 को भेजी गई थी।

ये सिफारिशें मुख्यत: परिव्ययों के वास्तविक अनुमानों, विभिन्न वाटरशैड कार्यक्रमों के समेकन, बायो-ईंधन योजना को शुरू करने, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुधर विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) की परियोजनाओं को समय-पूर्व बंद करने, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना के कार्यान्वयन तथा राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने (एस.आर.ए. एंड यू.ल.र.) की योजना के अंतर्गत वित्तपोषण पद्धति से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य, जिसे सभा पटल पर रखा गया है, के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा माना जाये।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एलटी-5894/07

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार 12 मार्च, 2007 से आरंभ होने वाली सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:-

1. आज की कार्य सूची से आगे ले जाई गई सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।
2. सामान्य बजट, 2007-08 पर सामान्य चर्चा।
3. निम्नांकित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों का पुर:स्थापन विचार और पारित करना:-
   (क) 2007-08 की लेखानुदानों की मांगें (सामान्य)।
   (ख) 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें।
4. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार और पारित करना।
5. बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार और पारित करना।
6. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार और पारित करना।
7. राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा और राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार और पारित करना।

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, निम्नांकित मुद्दों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

1. केरल में मुख्यालय सहित दक्षिण पश्चिम जोन का गठन शीघ्र किया जाए ताकि केरल राज्य में रेलवे विकास की और उपेक्षा को रोका जा सके।

2. अथीरापिल्ली पन बिजली परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति देने के मामले में केन्द्रीय हस्तक्षेप की तात्कालिक आवश्यकता ताकि राज्य में विद्युत की कमी को दूर किया जा सके।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): निम्नांकित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित करने की अनुमति दी जाए।

(1) कच्छ (गुजरात) में उद्योगों की स्थापना हेतु कर छूट के संबंध में समय-सीमा बढ़ाना।

(2) गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003 को केन्द्र सरकार की स्वीकृति।

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): मान्यवर, मेरे निम्नलिखित प्रस्तावों को लोक सभा की अगले हफ्ते की कार्य-सूची में शामिल किया जाए:-

1. सौराष्ट्र के महुआ क्षेत्र से राजूला, अहमदाबाद, सूरत होते हुए बांद्रा तक एक डायमंड एक्सप्रैस चलाने का कार्य जिससे सूरत एवं अहमदाबाद के हीरे उद्योग में बड़ी संख्या में कार्यरत कारीगरों को सुविधा दी जा सके।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एफ एम रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कार्य, क्योंकि यहां पर गरीब किसानों के पास मनोरंजन के साधन उपलब्ध नहीं हैं।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, लोक सभा की अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का कष्ट करें।

1. देवरिया जनपद के देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ और बिहार संपर्क क्रांति रेल सेवा का ठहराव किये जाने का कार्य।

2. दुर्ग एक्सप्रैस रेल सेवा का ठहराव औद्योगिक क्षेत्र बिल्थरा रोड एवं सलेमपुर में किये जाने का कार्य।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): महोदय, संसद की आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:-

1. जयपुर में बड़ी रेलवे लाइन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फोर लेन, मेडिकल युनिवर्सिटी व 370 एकड़ में बना हुआ मालवीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो आई.आई.टी. के लिए हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा भवन है, जहां कमरे और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध है, इसे आई.आई.टी. में परिवर्तित करने के बारे में। इससे राजस्थान और भारत के सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा।

2. बाल श्रमिक पुनर्वास भवन जयपुर में खोलने के विषय में।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, निम्नांकित मदों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) सार्वजनिक कार्यों हेतु अधिग्रहित अपनी भूमियों और मकानों से निष्कासित किसानों और लोगों को वर्तमान कानूनों और मानकों के अनुसार पर्याप्त भुगतान और पुनर्वासित नहीं किया जा रहा है। इन मानकों और भूमि अधिग्रहण कानूनों को पूर्णतः संशोधित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समय पर बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा मिल सके और जब ऐसी अधिग्रहित भूमि का प्रयोग वाणिज्यिक, औद्योगिक या लाभ अर्जित करने वाले कार्यों में किया जाये तो इनके परिवार के सदस्यों को रोजगार देना। जब ऐसी भूमियों पर भारतीय रेलवे, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड), औद्योगिक पार्क इत्यादि का निर्माण किया जाता है तो इनके परिवार के सदस्यों को वरीयता आधार पर रोजगार देने पर विचार नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को उनसे कानून के बल पर ली गई भूमियों पर बनाए गए स्थापनों में कार्य और अवसरों हेतु विधिक अधिकार दिया जाना चाहिए।

(2) भारत में पुराने बांधों के टूटने जैसे केरल में मुल्लापेरियार बांध, जो सौ वर्ष पूर्व उस समय उपलब्ध ऐसी सामग्रियों, जो बांध के लंबे जीवन काल को सुनिश्चित नहीं करती, का उपयोग करके बनाया गया था, से प्रभावित होने वाले लोगों को बचाने की आवश्यकता।

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की): निम्नांकित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:-

(1) देश में बंद पड़े चाय बगानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों को केन्द्र सकरार द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता, ताकि पारंपरिक चाय बागान उद्योग को बचाया जा सके और इन बागानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए हजारों कामगारों की मदद की जा सके।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में चर्चा हेतु निम्नलिखित विषय जोड़ने का कष्ट करें:-

1. बच्चे राष्ट्र के सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन होते हुए भी बहुत बड़ी संख्या में उपेक्षा के शिकार हैं। इसलिए बच्चों की स्थिति पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है।

2. भारतवर्ष में आर्थिक विकास की दर नौ प्रतिशत की दर पार कर रही हैं, परन्तु इसमें कृषि क्षेत्र की भागीदारी नाममात्र की है। भारतवर्ष में खेती को ज्ञान पर आधारित उपक्रम बनाया जाना आवश्यक है। अत: इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में निम्नलिखित कार्य को शामिल किया जाए, जो लोकहित में हैं:-

1. गुजरात के मेरे संसदीय क्षेत्र के भरूच जिले में स्थित बड़े उद्योगों में विस्थापित परिवार एवं स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाने हेतु प्राथमिकता दिए जाने का कार्य।

2. गुजरात के रिजर्व फोरेस्ट एरिया में विकास एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु केन्द्र स्तर पर लम्बित प्रस्तावों को तत्काल एकीकृत किए जाने का कार्य।

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए:-

1. पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय जो मिल रहा है, महंगाई को देखते हुए उनका मानदेय दोगुना बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

2. जुआ, शराब, सट्टा, अफीम, चरस से संलग्न महिला या पुरुष, युवक-युवतियां, जो उक्त नशे त्याग कर समाज में अच्छे काम करने या सेवा के काम करने वाले को गरीबी उन्मूलन योजना नवा अजोर कार्यक्रम में शामिल कर पूरे देश में प्रति परिवार को मुफ्त में एक लाख रुपए देकर नशेबंदी अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम विधायी कार्य पर आते हैं, मद संख्या-13 ।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कल रात ही आया था। यह मेरे विचाराधीन है। इसे मुझ तक आने दीजिए।

अपराह्न 12.15 बजे

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 9.3.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 12.15¼ बजे

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मुझे संशोधन विधेयक पुर:स्थापित करने पर आपत्ति है। कल मैं देर रात्रि तक अध्यक्षपीठ पर आसीन था। मैं नोटिस तैयार नहीं कर सका। यह मेरी कमी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा कि जब विधेयक पर चर्चा आरंभ हो, आपको पहले बुलाया जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं नोटिस नहीं दे सका।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक व्यक्ति आपकी सावधानी से परिचित है। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: यदि आप मुझे अनुमति देंगे मैं अपनी आपत्ति रखूंगा।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2 दिनांक 9.3.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अध्यक्ष महोदय: कल सभा के संचालन में आपने बड़ी कठिनाई झेली है उसकी मैं हार्दिक प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, अखबार में एक यह खबर छपी है।

[अनुवाद]

कि हाल ही में पुणे और मुंबई में सम्पत्तियों पर पड़े छापे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे नोटिस दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस मुझे नहीं मिला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आज हम कोई अन्य मामला नहीं ले रहे हैं। अन्यथा, मुझे प्रत्येक को अनुमति देनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, उसमें न केवल पालिटीशियन्स के नाम हैं, बल्कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स और बिल्डर्स के नाम भी हैं। फायनेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इश्यू किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप जानते हैं कि आज हम कोई अन्य मामला नहीं ले रहे हैं। इस पर हम पहले ही सहमत हो चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: 10 फारेन बैंक्स पकड़े गए हैं। फारेन एकाउंट्स पकड़े गए हैं। 35 हजार करोड़ रुपए का मामला पकड़ा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है।

[अनुवाद]

उन्हें यहां भी वक्तव्य देना चाहिए।

[हिन्दी]

यहां भी स्टेटमेंट होना चाहिए। उसमें पालिटिशियन्स, बिल्डर्स, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। उसमें आतंकवादियों के नाम भी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। आप अपनी बात रख चुके हैं। अब हमें महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य जारी किया है। उन्हें सभा में भी वक्तव्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी बात से सम्बद्ध हो जाएं। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उन्हें सभा में वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: वह अभी वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं है। हमें एक नया पूर्वोदाहारण स्थापित नहीं करना चाहिए। आप इसका उल्लेख कर चुके हैं। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, वित्त मंत्री सभा में उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे मालूम है कि मंत्री जी यहां है और उन्होंने इसको ध्यान में रख लिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अरे यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका मामला यहां नहीं उठाया जाएगा? मैंने आपका नाम पुकारा है। इसे उठाया जाएगा। मुझे सभा को नियंत्रित करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, उसमें पालिटिशियन्स के नाम हैं, बिल्डर्स के नाम हैं और आतंकवादियों के भी नाम है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप अपनी बात रख चुके हैं। इससे अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह अत्यन्त गंभीर मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल बार-बार दोहराने से यह अधिक गंबीर नहीं बन जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

यदि आप इसी तरह व्यवहार करेंगे तो मैं सदन स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सर, जैसे तेलगी का मामला दबा दिया वैसे ही हमारी एप्रीहेंशन है कि इस मामले को भी वे दबा देंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। आप इस तरह किसी भी समय खड़े नहीं हो सकते।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): सर कल गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, पूरे गुजरात के गरीब और दलित लोग अपनी डिमांड लेकर गए थे। उनकी मांग थी कि सरकार में जो उनकी खाली जगहें हैं उन्हें भरा जाए। जो उनकी स्कीमें हैं, उनके लिए पैसा दिया जाए। उन्हें सुनने की बजाय गुजरात सरकार की पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किए, उन्हें पीटा गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हमने निर्णय किया है कि इस सप्ताह केवल वित्तीय कार्य निपटाए जाएंगे। प्रो. मल्होत्रा ने जिसे हम 'शून्य काल' नोटिस कहते हैं, वह दिया है और उन्होंने यह मामला उठाने की जिद की थी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अनुरोध किया था कि यह सोमवार को आ सकता है। अत:, आज जब एक बार हमारा निर्णय भंग हो गया तो, मुझे अन्य माननीय सांसदों को भी अनुमति देनी पड़ेगी जिन्होंने महत्वूपर्ण मुद्दों पर नोटिस दिया है।

अब जहां तक उनका संबंध है, वह किसी दलित मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं जोकि आप जानते है हम हमेशा सुन सकते हैं। अत: कानून और व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप केवल दलित मुद्दे का उल्लेख करें।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं इसी का उल्लेख कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

दलितों को पुलिसवालों ने बेरहमी से मारा है। रैली में आए हुए दलितों और औरतों को एक-एक किलोमीटर तक भगाया गया और मारा गया, उनको जेल ले जाया गया। कल गुजरात में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमेशा से कहती आई है कि हम दलितों के साथ हैं, उसने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। इतना ही नहीं एक दलित एमएलए को धमकी देकर *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका हो गया है। श्री रेवती रमन सिंह।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका मामला यहां आ चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं बार-बार आपसे निवेदन कर रहा हूं। यदि मामला प्रासंगिक है तभी आप कुछ बोलेंगे और अन्य बातों के लिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने कहा कि केवल दलित मुद्दा ही यहां उठाया जा सकता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, वह कांग्रेस की रैली थी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कांग्रेस को मालूम होगा, लेकिन हमने कांग्रेस के बारे में बोलने के लिए नहीं कहा है, दलित मुद्दे पर बोलने के लिए कहा है। आप बोल चुके हैं, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भी दलितों की ही बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री रेवती रमन सिंह का नाम पुकारा है। कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक बात यहां आ गई है। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री रेवती रमन सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया यहां बैठे हुए इस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखें। मेरे पास केवल दो कान ही हैं। मेरे बहुत से कान नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: यह विषय लोक महत्व का है और तात्कालिक है। उत्तर प्रदेश के कई भू-भागों में और पूरे देश में खास तौर से उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड, इलाहाबाद, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ जिलों में ओलावृष्टि हुई और बहुत ज्यादा पानी बरसा। गेहूं की फसल और रबी की फसल औलावृष्टि से चौपट हो गई है। मैं आपके माध्यम से इलाहाबाद की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेझा, करछना, बारा, कौरावं चारों तहसीलों में फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इस संबंध में हमारे नियम और लाजृ इतने जटिल हैं कि किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाती है, इसीलिए किसान आत्महत्या करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसके नियमों में संशोधन करें और तत्काल एक टीम प्रभावित क्षेत्रों में भेजकर सर्वे करवाकर किसानों की मदद करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, क्या आप पाम पर आयात शुल्क से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं? मैं यह आपके कल के प्रदर्शन को देखते हुए पूछ रहा हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, सामान्यत: मुझे 'शून्य काल' के दौरान अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि उस समय मैं पीठासीन रहूंगा। यह पहला अवसर है जब मुझे 'शून्य काल' के दौरान बोलने का अवसर मिला है।

अध्यक्ष महोदय: अत: कृपया मेरे बारे में शुभ-शुभ बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं आप तैयार नहीं है। आप इसे सोमवार को उठा सकते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

अब श्री शैलेन्द्र कुमार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल आपसे इतना ही धन्यवाद चाहता हूं कि आप हाउस में काम कीजिए। हमें धन्यवाद नहीं चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, हम काम करने के लिए बैठे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, व्यवधान हो गया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं सदन को नारियल किसानों की दुर्दशा के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि श्री राधाकृष्णन को अब अपना विषय याद आ गया है। अत: श्री शैलेन्द्र कुमार जी, मुझे संरक्षण दें और श्री राधाकृष्णन को बोलने दें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं न केवल केरल में बल्कि सभी दक्षिणी राज्यों में नारियल उत्पादकों की दुर्दशा का मुद्दा उठाना चाहता हूं। मुसीबत यह है कि केन्द्र सरकार ने पाम आयल और अन्य खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने का प्रस्ताव रखा है। परिणामस्वरूप बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है जिसके फलस्वरूप नारियल उत्पादकों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

मैं केन्द्र सरकार से बिना किसी विलम्ब के पाम आयल पर शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार का आग्रह करता हूं ताकि हम राज्य में किसानों की आत्महत्याओं को रोक सकें। यदि इसी तरह चलता रहा तो गरीब किसानों द्वारा आत्महत्या रोज का क्रम बन जाएगा। जब तक सरकार प्रभावी कदम नहीं उठाएगी, राज्य के किसानों की स्थिति शोचनीय बनी रहेगी और हमें पूरे देश में किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं का अनुभव होता रहेगा।

अत: महोदय मैं सरकार से लम्बे समय से संकट का सामना कर रहे गरीब नारियल उत्पादकों को राहत देने के लिए, शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शून्य काल में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहूंगा, जो चिन्ता का विषय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप वही मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: सम्पूर्ण देश में आज भी हम लोग, चाहे सत्ता या विपक्ष में सदन में बैठे हुए हैं, सम्मानित सदस्य जब अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो हर गरीब आदमी खड़ा हो जाता है और खासकर जो बी.पी.एल. धारक होते हैं, जिनके ऊपर बहुत अत्याचार और शोषण हुआ है, गरीब आदमी खड़े होकर बस यही कहते हैं कि साहब, मेरा बी.पी.एल. का कार्ड नहीं बना। यह बहुत बड़ी समस्या है और यह भी शिकायत आती है, जब प्रधान से पूछा जाता है या क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों से पूछा जाता है तो यही जवाब आता है कि हमें 50 कार्ड मिले हैं और 150-200 लोग खड़े हैं, हम किस किसको दें।

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और भारत सरकार से भी मेरी मांग है कि इसमें जो बी.पी.एल. धारक हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा कार्ड बनें ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका फायदा उनको मिल पा रहा है और उन लोगों का शोषण हो रहा है। गरीबी आज भी पूरे देश में है, जबकि जो भी सरकार आती है और खासकर यू.पी.ए. सरकार कहती है कि हम गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर नहीं हो सकती, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सभी बी.पी.एल. धारकों का शत-प्रतिशत कार्ड बनाया जाये, ताकि उनको जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ उनको मिल सके, तभी देश का विकास हो सकता है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बुन्देलखंड क्षेत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां पिछले माह बेमौसम बरसात की वजह से सारे किसान तबाह हो गये हैं। साथ ही साथ जो कुछ भी फसल बची थी, वह ओलावृष्टि से तबाह हो गई है। पिछले दिनों बुन्देलखंड क्षेत्र सूखे की चपेट में था। इसके बाद कुछ किसानों ने जो फसल बोई थी, किसानों ने जो अनाज किसी तरह से बोया था, वह बुरी तरह से नष्ट हो गया है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिन किसानों ने कर्ज लेकर अपनी फसल बोई थी या किसी तरीके से फसल बोई थी, निश्चित ही उनको मुआवजा दिया जाये। हम केन्द्र सरकार से अपनी मांग करते हैं कि जो पूर्व में सूखा घोषित होने की वजह से विशेष पैकेज की मांग की थी, वह विशेष पैकेज बुन्देलखंड को दिया जाये, जिससे वहां के किसान, जो भुखमरी के कगार पर हैं, आत्महत्या करने की स्थिति में हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का विस्तार देश में 130 नए जिलों में करने का निर्णय किया है। अत: आज इस योजना के तहत शामिल किए जा रहे जिलों की कुल संख्या 330 हो गई है। सरकार ने भी इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 12000 करोड़ रु. की राशि आबंटित की है।

महोदय, उस दिन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने चालू वर्ष के दौरान शामिल किए जाने वाले जिलों के नाम घोषित किए। केरल में अलापुझा जिला राज्य के पिछड़े जिलों में से एक है।

महोदय, यह जिला केरल के तटवर्ती क्षेत्र में आता है और यहां जनसंख्या का घनत्व भी बहुत ज्यादा है। अलापुझा जिला उन जिलों में से है जहां कृषि क्षेत्र में गंभीर संकट है। मजदूरों की घटती हुई प्रति व्यक्ति आय और कृषि, नारियल और मत्स्ययन में आंशिक स्वरोजगार ही उपलब्ध होने के कारण गरीबी बढ़ी है। दुर्भाग्यवश अलप्पुझा वर्तमान सूची में शामिल नहीं है।

मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से जो यहां उपस्थित हैं अलप्पुझा की भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में शामिल किए जाने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, पूरे हिन्दुस्तान से समाचार आ रहे हैं कि हिंदुस्तान महिलाओं और बच्चों के अवैध कारोबार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। यह दुर्भाग्य का विषय है कि इस अवैध कारोबार को रोकने के लिए कोई उपयुक्त कानून भारत की संसद में अब तक नहीं बनाया गया है। इसलिए बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। आप के माध्यम से मेरा सदन और सरकार से कहना है कि तत्काल इस संबंध में उपयुक्त कानून बना करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कानून बनाएं। जिससे हम

हिन्दुस्तान से इसे खत्म कर सकें और पूरी दुनिया में इसे खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है इस मुद्दे पर सदन आपसे सहमत होगा।

शेष मामले आज रेलवे बजट पर चर्चा समाप्त होने के बाद उठाए जा सकते हैं।

अपराह्न 12.33 बजे

रेल बजट, 2007-2008—सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगें-(रेल), 2007-2008 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2006-2007 और रेल अभिसमय समिति (2004) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में संकल्प

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम रेल बजट में मद सं. 15, 16, 17 एवं 18 को एक साथ लेंगे। माननीय मंत्री जी के उत्तर सहित इसके लिए चार घंटे और चौंतीस मिनट शेष हैं। अब श्री कैलाश बैठा जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री कैलाश बैठा (बगहा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था। माननीय रेल मंत्री जी ने तथाकथित बहुत अच्छा बजट पेश किया। इसके अंदर गरीब रथ चलाने की बात कही गयी। ऐसी बातें कहीं गयी, जिन्हें सुनकर बहुत अच्छा लगा। कुछ सवाल हमारे संसदीय क्षेत्र के अंदर के हैं, मैं उनके बारे में माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। चंपारण के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण से और पढ़ाई के दृष्टिकोण से बनारस से लगाव रहता है। माननीय मंत्री जी ने सप्ताह में तीन दिन गाड़ी चलाने की घोषणा की है। मैं मांग करता हूं कि उस गाड़ी को प्रत्येक दिन चलाया जाए, जिससे वहां के यात्रियों को सुविधा हो सके।

नरकटियागंज हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा जंक्शन है। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि वहां वाशिंग पिट कायम किया जाएगा और गाड़ियों की सफाई की जाएगी। यहां चारों तरफ से गाड़ियां आती हैं, लेकिन बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बगहा, रामनगर तथा नरकटियागंज में रोड ओवर-ब्रिज बनाने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि बगहा बिहार का अंतिम छोर है। वहां से राजधानी पटना जाने के लिए एक भी ट्रेन नहीं है। वहां एक लिंक इंटरसिटी ट्रेन चलायी जाती है, जो नरकटियागंज से है। मेरी मांग है कि उसे बढ़ाकर बगहां तक कर दिया जाए, जिससे कि राजधानी जाने में यात्रियों को सुविधा हो सके।

दूसरी बात, मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी ने बहुत जोरदार शब्दों में कहा कि रेलवे बहुत मुनाफे में है। उन्होंने और भी बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं। मैं देखता हूं कि जब कोई रेलवे के अधिकारी आते हैं, तो रेलवे स्टेशंस की बड़ी सफाई होती है। हमारे यहां एक तरफ गरीब की बात कही जाती है और दूसरी तरफ अधिकारी के आने पर छोटे-छोटे दुकानदार उजाड़ दिए जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है, वह छोटे-छोटे दुकानदारों को मुहैया कराई जाए। वहां से गरीबों को न उजाड़ा जाए। बगहा में कैलाशनगर नाम का एक गांव है जिसके रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन उत्तर दिशा की ओर हो चुका है। उस जमीन में तीन हजार परिवार चालीस वर्षों से गंडक नदी से कटकर बसे हुए हैं। उन्हें उनका हक दिया जाए। साथ ही मुजफ्फरपुर और बगहा रेल खंड को समस्तीपुर जोन में टोकन लेस बनाया जाए ताकि रेलवे का परिचालन समय पर हो सके। एक ट्रेन नरकटियागंज से चलाई जाती है जिसमें यात्रियों से एक्सप्रैस गाड़ी का भाड़ा लिया जाता है, लेकिन उसे पैसेंजर गाड़ी के तौर पर चलाया जाता है। हमारी मांग है कि उस गाड़ी (5215-5216) में या तो यात्रियों से पैसेंजर गाड़ी का भाड़ा लिया जाए या उसे एक्सप्रैस गाड़ी बनाई जाए। जो ट्रेन रात्रि में गोरखपुर से चलकर सुबह मुजफ्फरपुर जाती है, उसमें पहले एक स्लीपर बोगी लगती थी जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होती थी। लेकिन एक साल पहले उस बोगी को हटा दिया गया है। सप्तक्रान्ति एक्सप्रैस जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक जाती है, माननीय सदस्य जानते होंगे कि उसमें सालभर पहले अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलता था, लेकिन अब घटिया क्वालिटी का भोजन मिलता है। साथ ही उसकी एसी बोगी में जो बिछावन और कम्बल मिलते हैं, उनकी क्वालिटी भी खराब है। उस गाड़ी में काफी ज्यादा भीड़ होती है। हम रेल मंत्री जी से मांग करते हैं कि उस ट्रेन में एसी बोगी और स्लीपर बोगी बढ़ाई जाए। रेल मंत्री जी कप्तानगंज से तमकुही रोड

[श्री कैलाश बैठा]

तक रेलवे आमान परिवर्तन के कार्यक्रम को भी पूरा करवाएं। रेलवे के बारे में सदन में जो बातें कही गईं, सारा देश देख रहा है कि ट्रेन में सफाई भी नहीं होती। मैं पिछले शुक्रवार को ट्रेन से जा रहा था। जब रात को मैं उठा तो देखा कि ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। इसमें सुधार लाया जाए और ट्रेनों में सफाई और उनका रखरखाव अच्छा हो।

मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि बनारस वाली ट्रेन जो सप्ताह में तीन दिन चलती है, उसे हर रोज चलाया जाए। मंत्री जी ने बगहा के पास रेल लाइन पर मदनपुर देवी स्थान हाल्ट बनाने की घोषणा की थी। वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का भावनात्मक लगाव है। वहां कम से कम पैसेंजर ट्रेन्स मदनपुर देवी स्थान पर रोकने का आप कष्ट करें। साथ ही बरस्तन, नरकटियागंज से सिकटा जाने वाले रास्ते में पुरुषोत्तम पुर हाल्ट बनाया जाये। उसके बाद नरकटियागंज से गौनाहा-भिखनाढोरी के बीच एक हाल्ट महायोगिन में बनाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुन: मंत्री जी से मांग करेंगे कि जिसके बारे में आपने वायदा किया है नरकटियागंज वाशिंग पिट शीघ्र बनाया जाये। वहां जो पुराना पुल है, उससे जनता को कोई सुविधा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले सब बोल चुके हैं इसलिए रिपीट न करें।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश बैठा: उस पुल को हटाने के लिए निर्देश दिया जाये।

***श्री वी.के. दुग्मर** (अमरेली): महोदय, मैं रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद जी के लगातार चौथे रेल बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बजट कई रिकार्ड को तोड़ता हुआ 20 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमा रहा है। एक समय रेलवे के लिए ऐसा था जब डिविडेंड के भुगतान के लिए उसके पास पैसा नहीं था। रेलवे की वित्तीय हालत बहुत ही खराब हो गयी थी। तीन साल के बाद उसी रेलवे को मुनाफा वाला बना दिया है जिसका श्रेय माननीय रेल मंत्री जी, दोनों राज्य मंत्रियों एवं 14 लाख रेल कर्मचारियों को जाता है। इस बजट में एक तरफ रेल किराये में कमी की गयी है, तो दूसरी तरफ सुविधाओं में बढ़ोत्तरी भी की गयी है।

इस बजट में यात्री सुविधाएं बढ़ायी गयी। आम आदमी को अनारक्षित डिब्बों में गद्देदार सीटों पर यात्रा दिलाने का प्रयास किया है। माल भाड़ा भी नहीं बढ़ाया गया है और रेलवे की आमदनी में कमी भी नहीं होने दी गयी। यह बजट महंगाई पर एक तमाचा है। इस रेल बजट से निसन्देह पेट्रोलियम पदार्थों, इस्पात उर्वरकों इत्यादि वस्तुओं के परिवहन की लागत में कमी होगी जो निसन्देह महंगाई को कम करेगी। जिस तरह से मोबाइल कम्पनी एक मिनट के 16 रुपये से घटाकर एक मिनट की काल करने के बाद लाभ कमा रही है, उसी तरह से रेलवे भी किराया कम करके लाभ कराने की स्थिति में है। यह सब कार्य यात्री संख्या बढ़ाकर एवं माल यातायात का वाल्यूम बढ़ाकर किया जायेगा जिससे एक ओर रेलवे की आय होगी और दूसरी ओर कम पैसे में रेल यात्रा और रेल के माध्यम से समान को ढोया जा सकता है।

यह रेल बजट तकरीबन 31 हजार करोड़ रुपये का है जो सब बजट से ज्यादा है। इससे रेल के विकास को तेजी मिलेगी। समय के समय रेल यात्रा और रेल से समान ढोने की मांग बढ़ रही है और रेल इस मांग को पूरा करने के लिए जो प्रयास जिस तरीके से किये हैं, वे सराहनीय हैं। नये कोच में 12 नये आदमी बैठक कर सकते थे और साधारण रेल सेवाओं में गद्देदार सीट लगाने का फैसला गरीब लोगों के हित में है। विकलांग लोगों के लिए विशेष डिब्बे, सीनियर सिटीजन एवं 45 साल की महिलाओं के लिए नीचे की सीट उपलब्ध कराने का फैसला, दुधिया और सब्जी वालों के लिए वैंडर्स कोच, जैसे निर्णय प्रशंसा के योग्य हैं जिसकी प्रशंसा सर्वत्र हो रही है।

वैसे रेल यातायात सुगम एवं सुविधा वाला साधन है और अधिकतर लम्बी यात्रा रेलों से करते हैं। इस बजट में 32 जोड़ी नई रेल सेवा, 800 डिब्बे जोड़ने का कार्य 50 प्रतिशत तक किराये में छूट, परीक्षा देने वालों के लिए करना, 5 प्रतिशत डीजल, पेट्रोल, स्टील की ढुलाई में छूट देने का निर्णय निसन्देह महंगाई पर अंकुश लगाने का काम करेगा।

देश में रेल यात्रा में 14 प्रतिशत एवं अन्य कोचिंग आय में 48 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है और 150 साल के इतिहास में रेलवे के आंतरिक संसाधनों एवं सम्पत्ति का प्रयोग जिस ढंग से किया है, उसके लिए रेल मंत्री एवं रेलवे के 14 लाख कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उसकी वजह से फंड बैलेंस बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपये हुआ और रेलवे की सम्पत्ति का रिटर्न प्रतिशत भी बढ़ा है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र के पिपासा से जयपुर तक डबल स्टेक कंटेनर रेल सेवा चल रही है। इसे तीन मंजिल किये

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जाने से कम मेहनत में माल ढोने का कार्य होगा जिससे लोगों का माल समय पर पहुंचाया जा सकता है। पूर्व में देखने में आया है कि रेल पटरियों पर किसी प्लानिंग के रेल गाड़ियां बहुत देर तक खड़ी रहती थीं और खाली दौड़ती थीं। जिसे इस सरकार ने एक सोची समझी योजना के तहत उसका अच्छा उपयोग किया है। अभी एक अखबार में हमने पढ़ा कि एक पूर्व रेल मंत्री जी ने इसे बकवास बजट कहा जबकि उनके कार्यकाल का बजट सबसे ज्यादा निकम्मा था। जिसकी वजह से वह मंत्री जनता से चुना नहीं जा सका। वे अपने नेताओं की जी हुजूरी करके दूसरे सदन में पहुंच गये।

यह देखा गया है कि गरीब आदमी एवं मजदूरों को रेल के संबंध में जानकारी प्लेटफार्म पर देने के लिए उनकी सहायता करने के लिए रेल कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके लिए प्रयास यह होना चाहए कि जिस आदमी को कोई दिक्कत हो रही है, उसका समाधान प्लेटफार्म पर तुरन्त किया जाये। रेलवे में जो कर्मचारी हैं जिनकी वजह से यह रेल बजट अच्छा रहा है परन्तु अभी रेलवे में कामचोर लोग भी हैं। सरकार को उनका पता लगाकर उनकी खिंचाई करनी चाहिए। इस संबंध में एक-एक कम्प्यूटराइज्ड शिकायत बड़े-बड़े रेलवे स्टेशनों पर होनी चाहिए और उसकी मौनीटरिंग करनी चाहिए। उसमें पाये दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

रेलवे स्टेशनों पर अब फूड प्लाजा एवं एटीएम सेन्टर खोले गये हैं। वहां खान-पान का सामान भी महंगा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रेलवे अपने केन्टीन के माध्यम से भोजन एवं स्नेक्स उपलब्ध उचित दाम पर उपलब्ध कराये जिससे गरीब आदमी भी रेल की यात्रा का आनन्द उतना ले सके जितना अमीर ले रहा है। जो खाद्य पदार्थ प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशन पर दिया जा रहा है, उसकी समय पर जांच भी की जानी चाहिए।

हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि रेलवे के माध्यम से उन क्षेत्रों का विकास कर सकते हैं। जहां पर अभी तक आर्थिक विकास और औद्योगिकरण नहीं किया जा सका है। इस समय देश में संतुलित विकास की अत्यंत आवश्यकता है। उसमें रेलवे एक अहम भूमिका निभा सकते है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर आधुनिक किस्म की रेल सेवा नहीं चलाई गई है। मैं रेल मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि कई सालों के बाद मेरे क्षेत्र में ढासा और जेतलसर का आमान परिवर्तन का कार्य मंजूर हुआ है जिससे मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली से दूसरे राज्यों के लिए सीधी रेल सेवा की जा सकती है। पहले कई गाड़ियां बदलनी पड़ती थीं और टाइम भी बहुत खराब होता था।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि जोन के सलाहकार समिति एवं मंडल रेल की सलाहकार समितियों की बैठक नियमित रूप से बुलाने का निर्देश दिया जाये। मेरे गृह राज्य गुजरात में एक साल में दो बैठक ही हुई जिसकी मुझे शिकायत करनी पड़ी। कई किसानों की जमीन रेल पटरी से इस पार एवं उस पार होती है जिसके कारण सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए सरकार को आसानी से मंजूरी दे देनी चाहिए और इस संबंध में जो किराया किसानों द्वारा लिया जा रहा है, उसको कम किया जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सुरेन्द्र नगर पिंपावाव के बीच आमान परिवर्तन का कार्य हुआ है उसे जाफराबाद तक बढ़ाया जा सके। इससे रेलवे को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाया जा सकता है। जब से रेल मंत्री जी बजट पेश कर रहे हैं तभी से मैं अपने क्षेत्र में महुआ से धोला एवं धोला से अहमदाबाद के बीच एक पैसेन्जर रेल सेवा चलाने का अनुरोध कर रहा हूं। इस बार के बजट में इसे जगह नहीं मिली है। इस पर गहनता से विचार किया जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली से लम्बी रेल सेवा महुआ राजूला होते हुए मुम्बई के लिए डायमंड नाम से रेल चलाई जाये, तो मेरे संसदीय क्षेत्र पर बुहत मेहरबानी होगी। अभी एक रेल सेवा सीधी मुम्बई क्या अहमदाबाद के लिए नहीं है। पिपावाव तक डबल डेक्क कन्टेनर चलाने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र ढासा एरिया पर एक रेलवे का अंडरब्रिज था जिसे तोड़ दिया गया है। लोग पूल से पहले यात्रा करते हैं परन्तु रेलवे द्वारा एक बाय पास बनाकर दिया था जो बरसात से बहुत खराब हो गया है। इस कारण लोगों और वाहनों को खेतों में होकर जाना पड़ा। इसलिए यहां पर पुल बनाया जाये। सौराष्ट्र क्षेत्र में कोडीनार से जूनागढ़ के लिए लगातार एक रेल सेवा की मांग की जा रही है जिसे पूरा किया जाये।

अमरेली का पीआरएस का समय घटा दिया है। उसके पहले की तरह ही नौ बजे का समय किया जाये आऐर सावरकुडला एवं राजूला को एक पीआरएस दिया जाये। यह मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं।

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर): महोदय, जयपुर से चंडीगढ़ के लिए एक नई गाड़ी चलाए जाए इसके लिए कई बार मांग की है कि क्योंकि जयपुर से लोगों को सीधा चंडीगढ़ जाने में बड़ी कठिनाई होती है। दिल्ली अहमदाबाद गाड़ी जो हरिद्वार तक की गई है, उसमें जयपुर के यात्रियों के लिए एक अतिरिक्त डिब्बा लगाया जाना आवश्यक है। जयपुर मुम्बई एक्सप्रैस गाड़ी संख्या 2955, 2956 आते जाते समय वापी स्टेशन पर रुके और गाड़ी संख्या 2980, 2979 जयपुर बांद्रा एक्सप्रैस को नित्य किया

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

जाए और आते जाते समय वापी स्टेशन पर रुके क्योंकि दमन और द्वीप जो पर्यटक स्थल है, वे वापी स्टेशन से ही नजदीक पड़ते हैं। वापी स्टेशन पर गाड़ी नहीं रुकने से सूरत या वलसाड स्टेशन पर उतरकर वापी स्टेसन आना पड़ता है। यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली जयपुर के बीच एक नई जनशताब्दी गाड़ी चलाई जाए। उदयपुर दिल्ली गाड़ी को वाया जयपुर किया जाए। जयपुर अहमदाबाद लाइन के दोहरीकरण को उचित महत्व दिया जाए। जयपुर शहर उपनगरीय स्टेशन बनाया जाए और अजमेर, जोधपुर में भी उपनगरीय स्टेशन बनाया जाए और यात्रियों के लिए बजट होटल जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में भी बनाया जाए। जयपुर में मैट्रो ट्रेन चलाई जाए। जयपुर से गोरखपुर के बीच नई रेल गाड़ी चलाई जाए। जयपुर अरुणाचलम मैसूर एक्सप्रैस को बढ़ाकर तिरुअनंतपुरम और सप्ताह में तीन दिवस चलाने व एक पैन्ट्री कार जोड़ी जाए। जयपुर सियालदाह एक्सप्रैस को प्रतिदिन चालू किया जाए। जयपुर सियालदाह एक्सप्रैस को प्रतिदिन चालू किया जाए। अजमेर बंगलौर एक्सप्रैस को जयपुर तक चालू किया जाए जिससे जयपुर पूना जुड़ सके। जयपुर अमृतसर एक्सप्रैस को लिंक एक्सप्रैस बनाया जाए जो भिवानी से चंडीगढ़ को जाए। जयपुर चैन्नई एक्सप्रैस प्रतिदिन चलाई जाए। काठगोदाम-दिल्ली-कुचामान एक्सप्रैस को जयपुर से जोड़ा जाए जिससे जयपुर और नैनीताल जुड़ सके। जोधपुर त्रिवेन्द्रम साप्ताहिक गाड़ी को जयपुर तक चलाया जाए जिससे तिरुअनन्तपुरम जयपुर से जुड़ सके। पोरबन्दर दिल्ली सराय रोहिल्ला एक्सप्रैस को प्रतिदिन करके हरिद्वार तक बढ़ाया जाए। गाड़ी नं. 20978 मरूसागर एक्सप्रैस में पेन्ट्रीकार चालू की जाए। गाड़ी सं. 1254 और झांसी बांद्रा गाड़ी सं. 1523 को ग्वालियर तक बढ़ाया जाए। मीटर गेज की लाईन बदली जा रही है। इसलिए जयपुर और इन्दौर के बीच चलने वाली गाड़ी को दो दिन के बजाय प्रतिदिन चलाई जाए। हरसौली स्टेशन पर इंटरसिटी गाड़ी का ठहराव किया जाए।

माननीय मंत्री जी आपने जो अपने बजटीय भाषण में योजनाओं के लिए राज्य सरकारों के सहयोग की बात कही है, वह कभी भी पूरी नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकारों के पास योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए इनको पूरा करने में केन्द्र सरकार ही सहयोग करें।

[अनुवाद]

***श्री अब्दुल्लाकुट्टी** (कन्नौर): माननीय महोदय, कृपया आपके सूचनार्थ मुझे कन्नूर रेलवे स्टेशन एवं इसके ईर्द-गिर्द व्याप्त वर्तमान स्थिति के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देने की अनुमति दें।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखा गया।

यह स्टेशन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत शहर के मध्य में अवस्थित बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अनूठे रेलवे स्टेशनों में से है जिसका क्षेत्रफल लगभग 55 एकड़ है। उचित रख-रखाव की कमी के कारण इस सम्पत्ति के आस-पास का क्षेत्र झाड़ियों, कूड़े-करकट इत्यादि से भरा है और यह परिवेश बदमाशों, अपराधियों एवं अन्य असामाजिक तत्वों को यहां अपना ठिकाना बनाने में मदद कर रहा है ताकि वे अपने असामाजिक कार्यों को अंजाम दे सकें। यहां यह भी नोट किया जा सकता है यहां लगभग एक दर्जन अनधिकृत रास्ते हैं और इससे इन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिल जाती है। रेलवे स्टेशन के आस-पास व्याप्त इस प्रकार की स्थिति से ऐसे असामाजिक तत्वों को अपनी गतिविधियों हेतु रेलवे स्टेशन में आसानी से प्रवेश मिल जाता है और इससे यहां के निवासियों, आमजन एवं यात्रीगण जो रेलवे स्टेशन आ रहे होते हैं, के लिए खतरा पैदा होता है। इस क्षेत्र में आत्महत्या, डकैती इत्यादि सहित कई ऐसे मामलों की भी सूचना मिली थी। यह सभी घटनाएं रेलवे की भूमि के खराब रख-रखाव के कारण हो रही है। इसकी जांच से यह स्पष्ट होता है कि इस रेलवे भूमि में कई भागों पर अतिक्रमण हुआ है। ''रेलवे मुथप्पन मंदिर'' का निर्माण हाल ही में हुआ है जोकि 1 एकड़ भूमि पर स्थित है। इससे अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है एवं अनधिकृत प्रवेश में सहायता प्राप्त हो रही है। मैं समझता हूं कि केवल बाड़ लगाने से इन खतरों पर अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा।

रेलवे संस्थान एवं क्वार्टर यहां-वहां अलग-अलग जगह हैं और इससे रेलवे की जमीन का बड़ा भाग फंसा हुआ है। रेलवे स्थापन एवं रेलवे क्वार्टरों के पुनर्निर्माण के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किए जाने चाहिए. इससे अधिक से अधिक उपयोग के द्वारा रेलवे स्थापन के रख-रखाव के खर्चे को न्यूनतम किया जा सकता है। पुराने क्वार्टरों के बदले नए फ्लैट्स बनाए जाने चाहिएं तथा प्रशासनिक ब्लाक भी खोले जा सकते है। चूंकि यह स्टेशन शहर के बीचो-बीच है इसलिए वाणिज्यिक परिसर के निर्माण की भी संभावना है। सरकारी क्षेत्र के संस्थान के रूप में रेलवे को अपने राजस्व को बढ़ाने में इस खाली जमीन के उपयोग के प्रयास करने चाहिए।

मैंने इस संबंध में दक्षिण रेलवे, कन्नूर के सहायक मंडल अभियंता से विचार-विमर्श किया था। हमने निजी वास्तुकार की सहायता से मोटे तौर पर एक रूप-रेखा तैयार की थी जिसमें नई आधुनिकीकरण परियोजना की व्यवहार्यता एवं दायरे का स्पष्ट उल्लेख है। इसमें 66 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 13 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इन सुविधाओं में कार्यालय, काम्प्लेक्स, शापिंग माल, बच्चे के लिए पार्क, लगभग 200 कारों के लिए पार्किंग सुविधा, कार्यालय कर्मचारियों के लिए अपार्टमेंट काम्प्लेक्स

एवं मनोरंजन क्षेत्र शामिल है। इन्हें पट्टे पर देने से लगभग 181.47 करोड़ रुपए की आय होगी। ऐसी आय केवल क्षेत्र के प्रथम चरण के उपयोग से आयेगी तथा द्वितीय चरण के क्षेत्र उपयोग से भी संभवत: इतनी ही आय होगी। कृपया इसके साथ संलग्न परियोजना रिपोर्ट देखें जिसे मैंने आपके संदर्भ के लिए सहायक मंडल अभियंता, कन्नूर रेलवे स्टेशन के परामर्श से एक निजी वास्तुकार की सहायता से तैयार किया है।

पश्चिमी तट क्षेत्र में होने वाले संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि इस परियोजना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसलिए मैं आपसे इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देने तथा इसे संस्वीकृत किए जाने की सिफारिश करने हेतु अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 12.41 बजे

[**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** *पीठासीन हुए*]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट 2007-2008 के संबंध में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2007-2008 का समर्थन करता हूं। यह तीसरी बार है कि माननीय रेल मंत्री ने लोगों के अनुकूल बजट प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं पूरे राष्ट्र के लोगों की ओर से उन्हें दिल से बधाई देता हूं। श्री लालू प्रसाद यादव जी को 'मैनेजमैन्ट गुरु' भी कहा जाता है। मैंने भारतीय रेल के इतिहास में अभी तक ऐसा सक्रिय मंत्री नहीं देखा है। अपने कार्यकाल के दौरान वे रेलवे को नई उंचाइयों तक ले गए हैं जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। उनके बजट से आम आदमी पर कोई भार नहीं पड़ा है। इस वर्ष रेलवे को 20,000 करोड़ रु. का लाभ हुआ है। यह वास्तव में प्रशंसनीय उपलब्धि है। माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट में सब्जी बेचने वालों, दुकानदारों, कुम्हारों, कुलियो सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है। यद्यपि, यह व्यापक तौर पर एक उल्लेखनीय बजट है परंतु इसमें कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय किया गया है।

सभापति महोदय: श्री शिवन्ना, आप अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री एम. शिवन्ना: महोदय, मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा पटल पर रख रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

*गलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*कर्नाटक सरकार ने अनेक रेल परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। परंतु रेलवे ने कर्नाटक की मांगों पर मुश्किल ही ध्यान दिया है। मैं माननीय रेल मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय में कर्नाटक के साथ क्या अन्याय किया है। ये हैं:-

1. कर्नाटक सरकार ने 10 नई रेल लाइनों की मांग की थी परंतु वर्तमान बजट में केवल दो रेल लाइनों की घोषणा की गई है।

2. बंगलौर-कनकपुरा-कोलेगल-चामराजनगर रेल लाइनों की घोषणा नहीं की गई है।

   मेरा निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर देश के अत्यंत पिछड़े जिलों में से एक है। महोदय, मैंने कई बार मेतुपलयम से चामराजनगर के बीच नई रेल लाइन की मांग की है परंतु गत वर्ष में इसके लिए केवल एक करोड़ रु. की ही मंजूरी दी गई थी। इसके बावजूद कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। अत: महोदय हमारे लोगों का सपना पूरा नहीं किया गया है।

3. गुलबर्ग-बागलकोट-शाहबाद-कोडगी रेल लाइन की घोषणा नहीं की गई है।

4. मेतुपलयम-चामराजनगर रेल लाइन पर विचार नहीं किया गया है।

5. बंगलौर-शिमोगा और बंगलौर गुलबर्ग के बारे में घोषणा नहीं की गई हैं।

6. कुशल नगर-होल नरसीपुर-कोडेगू रेल लाइन की अनदेखी की गई है।

7. दक्षिण भारत को विशेष मालभाड़ा कोरीडोर में शामिल नहीं किया गया है।

8. मैसूर-तेलचेरी-ननजनगढ़-नीलाम्बर रेल लाइन हेतु केवल सर्वेक्षण की अनुमति दी गई है परंतु इसके लिए निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

9. कर्नाटक सरकार ने 30 ऊपरि पुलों और अधोगामी पुलों के निर्माण की मांग की थी परंतु इनमें से एक को भी मंजूरी नहीं दी गई है।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम. शिवन्ना]

10. मुनीराबाद-महबूबनगर नई रेल लाइन के लिए 5 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। परन्तु परियोजना को प्रारंभ करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है।

इसके अतिरिक्त कुछ मांगों पंर विचार किया गया है और वर्तमान बजट में इनकी घोषणा की गई है परंतु ये बहुत अधिक लाभदायक नहीं हैं और न ही पर्याप्त हैं।

1. पटना-बंगलौर रेल को सप्ताह में तीन दिन चलाने की घोषणा की गई है परंतु इसे प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए।

2. बंगलौर-कुत्तुवेल्ली रेल लाइन की घोषणा की गई है।

3. तालागुप्पा-होनावार को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की घोषणा की गई है।

4. थिरूवनन्तपुरम-मंगलौर रेल लाइन को बजट में शामिल किया गया है। परंतु ये परियोजनाएं कर्नाटक के लिए बहुत लाभदायक नहीं हैं।

मैं चामराजनगर और मैसूर के बीच और कोलार तथा चिकबालापुर के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए क्रमश: 45 करोड़ रु. और 64 करोड़ रु. आबंटित करने के लिए माननीय रेल मंत्री और उनके मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में बंगलौर-मैसूर रेल लाइन के दोहरीकरण की घोषणा की गई है।

मैं इस सम्माननीय सभा को यह बताना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय को बिहार और अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक से अधिक आय होती है। परंतु राज्यों में निधियां आबंटित करते समय कर्नाटक के लिए केवल 467.81 करोड़ रु. ही निर्धारित किए गए हैं। जबकि बिहार के लिए 1251 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण बिहार में रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। राज्यों को निधियां आवंटित करते समय ऐसा पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सभी राज्य अपने तरीके से राष्ट्र के लिए योगदान कर रहे हैं। इसीलिए मैं कर्नाटक के प्रति रेल मंत्री के इस सौतेले व्यवहार की निन्दा करता हूं।

मैं यह बताना चाहूंगा कि परियोजनाओं को मंजूरी देते समय रेल मंत्रालय राज्यों से दो तिहाई हिस्सा मांग रहा है। परंतु, हमारे राज्य से मंत्रालय में अधिक आय हो रही है और मंत्री महोदय ने भी यह घोषणा की है कि रेलवे को भारी लाभ हो रहा है। अत: उनके मंत्रालय को कर्नाटक से 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी पर विचार करना चाहिए।

अत: मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे कर्नाटक के लोगों की सभी मांगों पर विचार करे और रेलवे परियोजनाओं में बेहतर हिस्सेदारी प्रदान करके उनके साथ न्याय करें।*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय: श्रीमती परमजीत कौर गुलशन-उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

अब श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा बोलेंगे।

[हिन्दी]

****श्री के.सी. सिंह 'बाबा'** (नैनीताल): महोदय, सर्वप्रथम रेलवे का लगातार चौथा सर्वलोकप्रिय बजट पेश करने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों द्वारा आज भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति का ऐतिहासिक कायाकल्प हुआ है। आज भारतीय रेल विश्वस्तरीय रेल सेवा देने के लिए अग्रसर है। मैं रेल बजट 2007-08 का स्वागत करते हुए इस ऐतिहासिक बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट एक प्रगतिशील बजट है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही भारतीय रेल विश्व की सर्वश्रेष्ठ रेल सेवाओं में आंकी जाएगी।

महोदय, मैं रेल बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेल बजट में रेल किराए में कमी करने का साथ सभी वर्ग के यात्रियों को आधुनिक और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बों की व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए लोअर बर्थ के आरक्षण की सुविधा, विद्यार्थियों के लिए रेल किराए में रियायत, विकलांग यात्रियों के लिए विशेष कोच की व्यवस्था, वेंडर्स कोच की व्यवस्था सब्जी विक्रेता, दूध वाले एवं अन्य खुदरा व्यापारी फल विक्रेता के लिए यात्री गाड़ियों में वेंडर्स कोच लगाए जाने की बात कही है, यात्री

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

डिब्बों की क्षमता में बढ़ोत्तरी और हाई स्पीड पैसेंजर कारिडोर का निर्माण। आज भारत को विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, अर्थव्यवस्था में हो रहे तेजी से विकास बढ़ते हुए औद्योगिकीरण एवं शहरीकरण और दो शहरों के बीच यात्री यातायात में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के मद्देनजर हाई स्पीड पैसेंजर कारिडोर की असीम संभावनाओं का उल्लेख किया है।

महोदय, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुका हूं, इसलिए मुझे अत्यधिक हर्ष हो रहा है कि रेलवे ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज की हैं। मेलबोर्न में राष्ट्रमंडल खेलों में दो स्वर्ण व छः रजत पदक प्राप्त किए हैं तथा दोहा एशियाई खेलों में दो स्वर्ण, दो रजत एवं नौ कांस्य पदक भारत के लिए प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है, जोकि काफी सराहनीय है। बजट में अनुसूचित जाति-जनजाति भर्ती अभियान के तहत काफी भर्ती हुई है।

महोदय, मंत्री महोदय ने वर्ष 2007-08 में देश के लगभग 32 क्षेत्रों के लिए नई गाड़ियां, आठ जगह गरीब रथ, 23 जगह के लिए गाड़ियों का विस्तार 14 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि, 500 किलोमीटर नई लाइन के निर्माण, कई रेल लाइन गेज कंवर्जन, रेल लाइन दोहरीकरण, रेल फ्लाईओवर आदि का रेल बजट 2007-08 में प्रावधान किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान उत्तराखंड में रेल सेवा विस्तार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चार वर्ष से श्री लालू प्रसाद जी द्वारा रेल बजट पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड, जोकि एक पर्यटक विशेष राज्य है, प्रदेश में रेल सेवा विस्तार के लिए गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा लगातार की जा रही मांग पर अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक पर्यटक विशेष प्रदेश है, इसलिए यहां रेल यातायात की समुचित व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। जैसे हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अनेक पर्यटक स्थल हैं। रामनगर के पास जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जहां देश-विदेश के वन जीव प्रेमी हर वर्ष लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन खेद है कि दिल्ली से चलने वाली एक मात्र गाड़ी रानीखेत एक्सप्रेस, जिसमें पहले ए.सी. सैकिंड क्लास की सुविधा थी, लेकिन कुछ महीने पहले इसे भी समाप्त कर दिया गया है। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था कि रानीखेत एक्सप्रेस में रामनगर तक एसी फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड, तीनों श्रेणियों की व्यवस्था करने का कष्ट करें। समुचित रेल सेवा के अभाव में यहां देश-विदेश पर्यटकों तथा स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

महोदय, उत्तराखंड में रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मेरे द्वारा एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। रेलवे बजट 2007-08 में उत्तराखंड राज्य हेतु दिल्ली से देहरादून तक के लिए गरीब रथ चलाए जाने की बात कही है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत कतिपय अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का रेल बजट में समावेश नहीं हो पाया है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा रेल सेवाओं के विस्तार संबंधी प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण मंत्री महोदय के कार्यवाही के लिए, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तराखंड में काशीपुर-जसपुर-धामपुर में रेल लाइन का निर्माण किए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में भावर तराई बैल्ट एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ सकती है।

महोदय, दिल्ली देहरादून मार्ग को मुजफ्फर नगर से लकसर तक सीधे रेल लाइन से जोड़ने की आवश्यकता, लकसर से देहरादून वाया हरिद्वार रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता, नई दिल्ली से देहरादून हेतु एक सीधी द्रुतगामी नान स्टाप रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता, टनकपुर से देहरादून सीधे सम्पर्क रेल लाइन निर्माण की आवश्यकता अर्थात् उत्तराखंड के एक मैदानी छोर से दूसरे छोर को जोड़ने हेतु भविष्य में किच्छा सितारगंज खटीमा रेल मार्ग बन जाने के पश्चात् काशीपुर से नजीबाबाद हेतु नई रेल लाइन का निर्माण होने से पर्यटकों के साथ-साथ यहां के निवासियों को सुविधा प्राप्त होगी, देहरादून से काठगोदाम के लिए दैनिक रेल चलाए जाने की आवश्यकता है, काठगोदाम से दिल्ली हेतु चलाई जा रही वर्तमान सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस में तीन बोगियां लालकुआं पर जोड़ने की आवश्यकता है, रानीखेत एक्सप्रेस में क्रमशः काठगोदाम एवं रामनगर दोनों स्थानों हेतु प्रथम एसी व रामनगर हेतु प्रथम एवं द्वितीय एसी बोगी की आवश्यकता है, अमृतसर एवं जम्मू तवी हेतु काठगोदाम एवं देहरादून से एक सीधी रेल चलाए जाने की आवश्यकता है, महुआखेड़ा गंज पर सभी रेलों के रूकने की व्यवस्था की आवश्यकता, उत्तराखंड सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस हल्द्वानी पहुंचने से पहले हल्दी स्थान पर नहीं रूकती है, जो कि वास्तव में प्रख्यात गोविन्द बल्लभपंत कृषि विश्वविद्यालय का स्टापेज है तथा उत्तराखंड का एक नवनिर्मित विशाल औद्योगिक स्थल भी है, यहां सभी रेलगाड़ियों के रूकने की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। ऋषिकेश के देहरादून हेतु नए रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता, ऋषिकेश से देवप्रयाग/बद्रीनाथ तथा रामनगर से चौखुटिया के लिए रेल मार्ग के निर्माण की आवश्यकता, बरेली-टनकपुर मीटरगेज को ब्रोडगेज लाइन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। टनकपुर से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पूर्णागिरी तक नई

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है। सहारनपुर-देहरादून नए रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता, तिरूवनंतपुरम (केरल) एवं देहरादून के मध्य रेल सेवा आवश्यक है, बाजपुर रेलवे स्टेशन को कम्प्यूटरीकरण एवं सौन्दर्यीकरण करने की आवश्यकता, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 व 72 पर एवं प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंग पर तथा काशीपुर में रेलवे मालगोदाम से 39ए ओवर ब्रिज का निर्माण की आवश्यकता है, रामनगर-बाजपुर-गदरपुर-रुद्रपुर-किच्छा-सितारागंज-खटीमा टनकपुर तक नई रेल लाइन के निर्माण की आवश्यकता है, काशीपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत बाजपुर रोड रेलवे क्रासिंग से शुगर फैक्ट्री रोड तक रेलवे स्टेशन क्षेत्र में नाला निर्माण की आवश्यकता है।

महोदय, यह सत्य है कि देश भर के सुदूर स्थानों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए मंत्री जी के लिए अनेक दबाव एवं समस्याएं हैं, परन्तु आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य में वहां की जनसंख्या से गई गुना पर्यटक, तीर्थ यात्री, प्रकृति प्रेमी, हिमालय प्रेमी, वन्य जन्तु प्रेमी, चलचित्र निर्माता अनेक यात्री बारह मास भारतवर्ष तथा विदेशों से आते हैं तथा उत्तराखंड राज्य का 65 प्रतिशत भूभाग वन एवं पर्वतीय क्षेत्र से आच्छादित है, जहां रेल पथ का निर्माण वर्तमान में संभव नहीं हो पाएगा। इन सभी बिन्दुओं और विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि राज्य के हित को दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा तथा पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किए गए प्रस्तावों को वर्ष 2007-08 के रेल बजट में समाहित करने का कष्ट करेंगे।

महोदय, अंत में मैं आपको पुनः धन्यवाद देते हुए रेल बजट के समर्थन के साथ रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, आपने मुझे रेलवे बजट, 2007-2008 पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत जो झांसी और कानपुर रेलवे लाइन है, वह सिंगल लाइन है और वहां से गाड़ियां जो दक्षिण की ओर मुम्बई, मद्रास जाने के लिए लखनऊ से निकलती हैं, वे मात्र 200 किलोमीटर के इस टुकड़े में पांच-पांच छः-छः घण्टे लेट हो जाती हैं। मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके अनुरोध करता हूं कि जो कानपुर से झांसी लाइन है, उसका दोहरीकरण किया जाए और साथ ही उसका विद्युतीकरण किया जाए।

जब तक दोहरीकरण के साथ-साथ विद्युतीकरण नहीं किया जाएगा, इंजन बदलते रहेंगे और समय लगेगा। इसलिए उस लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाए। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन में उरई स्टेशन का प्लेटफार्म बहुत नीचे है। इस कारण जब यात्री उतरते हैं तो कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। इसलिए उस प्लेटफार्म को ऊंचा किया जाए।

अपराह्न 12.50 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

गर्मी का मौसम आने वाला है इसलिए उस प्लेटफार्म पर वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए। उरई स्टेशन के सीधे हाथ पर शहर की एक चौथाई आबादी है। वहां के लोगों को अगर कहीं यात्रा करनी हो या बस्ती की तरफ आना हो तो रास्ता नहीं है। इसलिए मेरी मांग है कि वहां एक आरओबी बनाया जाए, जिससे लोग पूरब की तरफ से स्टेशन रोड पर निकल जाएं और जो ट्रेन से जाना चाहते हैं, वे समय पर यात्रा कर सकें। उरई स्टेशन के आगे राजकोट है, जहां घंटों जाम लगा रहता है। इस वजह से हजारों वाहन इकट्ठा हो जाते हैं, यहां तक कि स्टेशन तक जाम लग जाता है। इसलिए वहां आरओबी बनाया जाए।

हमारे यहां काल्पी स्टेशन है। काल्पी वेद व्यास जी की जन्मस्थली है। उस स्टेशन पर कुछ समय पूर्व शायद रेल विभाग द्वारा सी.सी. रोड बनाई गई है, जिसे ढाई फीट ऊंचा उठा दिया गया है। इस कारण वह पुल नीचा हो गया है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार के कार्यालय जाने और 100 गांवों तक जाने का रास्ता काफी मुश्किल हो गया है। वहां से अब वाहन नहीं निकल सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उस रोड की जैसी स्थिति पहले थी, यथास्थिति बनाई जाए, जिससे वाहन आ-जा सकें और लोग 100 गांवों की तरफ तथा एसडीएम कोर्ट की तरफ आसानी से जा सकें।

काल्पी और आट्टा स्टेशंस के बीच औसर गांव का स्टेशन है। पहले वहां पैसेंजर ट्रेन रूकती थी, लेकिन अब नहीं रुकती है। मेरी मांग है कि पैसेंजर ट्रेन का वहां एक मिनट का हाल्ट दिया जाए। वहां प्राइवेट कांट्रेक्टर द्वारा जो टिकट दी जाती थीं, पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए, जिससे वहां के लोग पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर सकें।

उरई, एट और कौंच जहां से हम लोग भी यात्रा करते हैं, वहां के स्टेशन पर एक वीआईपी रिटायरिंग रूम होना चाहिए। कौंच वेद व्यास जी की धरती है, इस कारण काफी लोग वहां आ सकते हैं। अगर वहां रिटायरिंग रूम होना, तो उन्हें सुविधा होगी और वे वहां रूक सकेंगे।

एट और कौंच जंक्शन हैं, वहां कम से कम पुष्पक और कोचीन एक्सप्रेस का ठहराव किया जाए। एक ट्रेन जो उद्योग नगरी कानपुर से मुम्बई तक जाती है, वह है तो उद्योग नगरी के नाम से, लेकिन उरई में उसका हाल्ट नहीं है, जबकि उरई भी एक उद्योग नगरी है। अगर उसका ठहराव यहां किया जाएगा तो वहां से जो उद्योगपति और अन्य लोग मुम्बई जाना चाहते हैं, वे आसानी से आ-जा सकेंगे।

कौंच स्टेशन को कम्प्यूटराइज किया जाए। कौंच से जो शटल चलती है, हमें बार-बार कहा जाता है कि उससे आय कम है। मेरी मांग है कि कौंच को मेन लाइन पर लाया जाए। परौना से कौंच और कौंच से एट अगर यह व्यवस्था हो जाएगी तो वहां की समस्या का समाधान हो जाएगा। कौंच से चलने वाली शटल को आनंदनगर सकोई और उरई तक बढ़ाया जाए। ऐसा करने से वहां के लोगों को निश्चित ही लाभ होगा और रेलवे डिपार्टमेंट को भी आमदनी होगी।

कौंच से जालौन और उरई-दिब्या लाइन का 1970 में सर्वे किया गया था और अर्थवर्क का काम भी किया गया था। मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि जिस लाइन का सर्वे और अर्थवर्क किया गया हो, उसे अगले बजट में लिया जाए और कार्य पूरा कराया जाए। अभी बीच में भिंड से उरई और उरई से महोवा के लिए एक सर्वे कराया गया। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि इसे भी मंत्री जी अपने अगले बजट में निश्चित तौर पर लें। मैं माननीय मंत्री जी से मिला था और मांग की थी दो ट्रेनें जो दिल्ली से हावड़ा, कोलकाता के लिए चलती है वे गाड़ियां दिल्ली से चलकर झांसी, झांसी से कानपुर और कानपुर से हावड़ा के लिए निकाली जाएं और वहां से इसी रूट पर वापस की जाएं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे यहां से पूजा एक्सप्रेस इंटर-सिटी के नाम से चलती है। वह बहुत अच्छी गाड़ी है झांसी से चलकर कानपुर 10 बजे पहुंचती है और वहां खड़ी रहती है। इस इंटरसिटी को इलाहाबाद तक बढ़ाया जाए। इससे निश्चित तौर पर रेलवे को लाभ होगा।

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सही समय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पिछले महीने 26 फरवरी को माननीय रेल मंत्री ने रेल बजट इस देश की जनता के सामने, सदन के माध्यम से प्रस्तुत किया। यूपीए की सरकार ने, इस देश की जनता से जो वायदे किये थे उनमें से यह भी एक था कि "कांग्रेस का हाथ, गरीब के साथ"। आज यातायात में रेल ही एक ऐसा साधन है जिसमें गरीब आदमी यात्रा करता है। आज बड़े लोग हवाई-जहाज में या अपने निजी वाहनों में जाते हैं लेकिन इस देश का गरीब आदमी, इस देश का किसान, रेल में यात्रा करता है। रेल बजट में किरायों का न बढ़ाया जाना, यूपीए सरकार, माननीय रेल मंत्री और उनके सहयोगियों का एक प्रशंसनीय कदम है। पूरा देश सोचता था कि रेल में किराए जरूर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन किराए नहीं बढ़ाए गये। यह यूपीए सरकार का चौथा रेल बजट है। रेल किराया न बढ़ाकर माननीय रेल मंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया है। मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम वे विपक्ष की रचनात्मक भूमिका निभाते हुए इस बात की प्रशंसा करें कि यूपीए ने इस देश की गरीब जनता के सामने जो वायदा किया था उसे रेल मंत्रालय ने पूरा करने का काम किया है। आज गरीब-रथ चलाकर गरीबों को मौका दिया गया है। गरीब एयरकंडीशन गाड़ियों की खिड़की को हाथ नहीं लगा सकते थे आज गरीब किसान और मजदूर उनमें बैठकर यात्रा करता है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि इस देश में बहुत सी नयी रेल लाइनें बनाने की चर्चा आई। इस सरकार ने दो कोरीडोर बनाने की घोषणा की है। कुछ हमारे साथी कहते थे कि यह तो सब पिछली सरकारों ने किया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि पिछली सरकारें ऐसा काम करतीं तो उनका हस्र ऐसा नहीं होता। इस देश के गरीब आदमियों ने उस सरकार को सत्ता से वंचित करने का कार्य किया है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उनका बजट बहुत अच्छा है। रेल में रखरखाव, नियुक्तियों का काम, रेल पटरियां बिछाने का काम बहुत अच्छा किया गया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में दो ऐसी रेलवे लाइने हैं, एक है झज्जर से रोहतक और दूसरी है सोनीपत से जिंद, जो मंजूर हो चुकी हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

जब इतना पैसा रेल के रखरखाव और नई पटरियां बनाने के लिए दिया है, तो हरियाणा के लोगों को तब निराशा हुई, जब सोनीपत-जींद लाइन को इस बजट में पैसा नहीं दिया गया। यदि इस लाइन के लिए पैसा दिया जाता तो वे किसान और मजदूर, जिनका रास्ता दिल्ली से सीधा होता है, उन्हें फायदा होता। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने बजट में इस लाइन पर जरूर उल्लेख करें और यह भी बताएं कि कितना बजट एलोकेट किया गया है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा में स्टेशन की बिल्डिंग बन कर तैयार है और डीएम साहब ने वहां पर निरीक्षण भी किया, लेकिन आज तक उस स्टेशन को चालू नहीं किया गया। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस रेलवे स्टेशन पर जो हाल्ट बनाया है, कम से कम 10 लाख रुपया जिसमें केंद्र सरकार

[श्री जय प्रकाश]

और रेलवे विभाग का कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि वहां की जनता की खून-पसीने की कमाई का पैसा हाल्ट बनाने में खर्च हुई है, उस हाल्ट का उपयोग हो सके। दिल्ली-भटिंडा सेक्शन जहां बड़ौदा गांव है। एनडीए के हमारे साथी कहते थे कि हमने बहुत सुधारीकरण किया था, उस वक्त के सांसद ने भी यह मामला सदन में उठाया था। उस समय एनडीए सरकार के तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा था कि किसान और गांववासी अगर यहां मिट्टी भर देंगे, तो यहां हाल्ट बनवा देंगे। बड़ौदा गांव के लोगों ने ट्रेक्टरों से, अपने संसाधनों से वहां मिट्टी का भराव किया, लेकिन आज तक रेलवे स्टेशन नहीं बनाया गया। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री और दोनों रेल राज्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि बड़ौदा गांव, जो धार्मिक दृष्टि से जैनी साधुओं की बहुत बड़ी जगह है, आपको यह भी जानकर अति प्रसन्नता होगी कि बड़ौदा गांव के जाट जाति के लोग भी जैन धर्म में विश्वास करते हैं और यहां जैनियों को धार्मिक धर्म स्थान है, इसलिए वहां पर हाल्ट बनाया जाए।

हिसार स्टेशन से रेलवे लाइन पर दांसू स्टेशन से बरवा स्टेशन के बीच एक क्रासिंग स्टेशन भिवाना गांव में बनाया जाए, यह स्टेशन पहले भी था, लेकिन एनडीए की सरकार के शासनकाल में आठ वर्ष पहले इसे तोड़ दिया गया था। हिसार से धूरी तक, लुधियाना से हमारा व्यापारिक संबंध भी है और रोजी का, रोटी का और बेटी का रिश्ता भी है। हिसार से धूरी 180 किलोमीटर है। बीच में चैकिंग हैडक्वार्टर नहीं है। रायपुर, हिसार, हरियाणा में चैकिंग हैडक्वार्टर बनाया जाए। रेलवे गेट संख्या 127, वहां लाइन के दोहरीकरण का काम शुरू हो चुका है। वहां बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। किसान जब खेत में जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, वहां आज भी मानवरहित फाटक हैं, इसलिए वहां एक फाटक बनाया जाए ताकि दुर्घटना न हो सके। वहां लाइन के दोनों तरफ गांव हैं। छोटे-छोटे बच्चे मानवरहित फाटक क्रास करते हैं और दुर्घटना में मारे जाते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। जींद हरियाणा प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केवल जींद से वाया निर्वाणा कुरूक्षेत्र किसी दूसरी रेलवे लाइन के साथ जोड़कर एक रेल चलाई जाए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हरिद्वार हमारा धार्मिक स्थान है। हिसार से हरिद्वार तक, क्योंकि लोगों को सुख में भी और दुख में भी हरिद्वार जाना पड़ता है, वहां जाने के लिए गरीब आदमी को बहुत दिक्कत आती है। मैं निवेदन करूंगा कि हिसार से हरिद्वार तक गाड़ी चलाई जाए। हिसार से रेवाड़ी, बांदीकुई आईआरएच गाड़ी को जयपुर तक बढ़ाया जाए। हिसार जंक्शन के पास गांव रागनी है, वहां से तीन-चार गांव के किसानों के पास जाने का रास्ता नहीं है। रागनी गांव के लोगों को बीस किलोमीटर दूर से ट्रेक्टर लेकर अपने ही खेत में जाना पड़ता है या ट्राली दूसरी तरफ खड़ी करनी पड़ती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्रासिंग 58/15 पर है उसे 59/1 पर बनाने की कृपा करें। इसी तरह से गंगुआ एक जगह है जो दाबड़ा सेक्शन पर आती है, उस गांव में पक्का फाटक बनाया जाए।

दिल्ली से जींद तक इलैक्ट्रीफिकेशन कराया जाए, वहां रेल लाईन के दोहरीकरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। जींद से दिल्ली मेरा संसदीय क्षेत्र है, मैं आपके माध्यम से दोनों रेल मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक इएमयू रेल चलाई जाए क्योंकि दिल्ली का बहुत लोड है। काफी लोग एनसीआर में काम करते हैं, दिल्ली से जींद 125 किलोमीटर है। यहां इएमयू रेल चलाई जाए ताकि गरीब आदमी और छोटा कर्मचारी जो दिल्ली में रोटी कमाने के लिए जाता है, वह सुबह आए और शाम को घर आ जाए। मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने उत्तर में इन सब बातों का जवाब दें। हरियाणा प्रदेश के लिए इस बजट में पैसा नहीं दिया गया, इसे आप शामिल करवाएं ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता यह कहे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों का मान और सम्मान रेल मंत्रालय ने रखा है।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस. मल्लिकार्जुनैया** (तुमकुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को रेल बजट 2007-08 प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, निधियां आबंटित करते समय और प्रस्तावों की घोषणा करते समय काफी पक्षपात हो रहा है। इस बजट में कर्नाटक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया है।

मैं माननीय रेल मंत्री से निम्नलिखित रेल परियोजनाओं जो राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या और मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर जिले की मांगों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक यशवंतपुर-तुमकुर रेल लाइन का संबंध है, यह कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को काफी असुविधा हो रही है। अत: इस कार्य

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर तथा भाषण सभा पटल पर रखा गया।

में तेजी लाने तथा इसे 2007 तक पूरा किये जाने की आवश्यकता है। महोदय, तुमकुर कर्नाटक की राजधानी बंगलौर, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी शहर भी कहा जाता है, से केवल 70 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग में कार्यालयों में काम करने वालों से लेकर, विद्यालय और कालेज के विद्यार्थियों और व्यापारियों सहित यात्रियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इस मार्ग पर और रेल गाड़ियां चलाना अत्यंत आवश्यक है। तुमकुर के पास श्री शिवन्ना के आवास के आस-पास रेलवे क्रासिंग बनाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। रेलवे क्रासिंग न होने के कारण लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तुमकुर जिले में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे भोजनालय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इस कार्य को तुरंत प्रारंभ किया जाना चाहिए।

हायरहैली, कामतसन्दरा, गोदाहल्ली, दोडेबेले, मल्लासन्दरा रेलवे स्टेशनों का नई प्रौद्योगिकी और पर्याप्त उपकरणों के द्वारा आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। पेय जल, विश्राम गृह, बैठने की व्यवस्था, कम्प्यूटर के माध्यम से टिकट देना, रेलवे स्टेशनों की सफाई, सूचना बोर्डों आदि जैसे प्रबन्ध बुनियादी सुविधाओं की निगरानी और उनके रख-रखाव के लिए रेलवे अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाने चाहिएं। तथा सभी रेलवे क्रासिंगों पर पर्याप्त द्वार बनाए जाने चाहिएं।

तुमकुर जिले में गुब्बी, मल्लासन्दरा, निहोरू, चिक्का नायाकना हल्ली, बाना सान्द्रा प्रसिद्ध व्यावसायिक केन्द्र है। इस क्षेत्र में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर तुमकुर-गुब्बी, निहोरू-तुमकुर, तुमकुर-चिक्का नायकाना हाली-बनासन्द्रा के बीच और इसलिए इन मार्गों पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाना अत्यन्त आवश्यक है। मल्लासन्दरा में एक आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाना चाहिए तथा निहोरू-सेमपिज के बीच एक दूसरा स्टेशन बनाया जाना चाहिए। साथ ही मल्लासन्दरा-तुमकुर रेलवे स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन का दोहरीकरण भी किया जाना चाहिए। कराडी स्टेशन पर सभी तेज गाड़ियों का 2 मिनट का ठहराव होना चाहिए। इससे महाविद्यालय एवं विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को निश्चय ही फायदा मिलेगा। तथा कराडी स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

तुमकुर-चिक्का नायकाना हल्ली-बानसन्द्रा के बीच चलने वाली यात्री गाड़ियों का ठहराव किबानाहल्ली में होना चाहिए। मैं रेल मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि कर्नाटक राज्य में सभी रेलवे स्टेशनों पर जारी किए जाने वाले रेलवे टिकट को कन्नड़ भाषा में मुद्रित किया जाए जैसा कि तमिलनाडु में तमिल भाषा एवं महाराष्ट्र में मराठी भाषा में मुद्रित होता है।

अत:, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उपर्युक्त सभी सुझावों एवं प्रस्तावों पर विचार करें और इन पर कार्य शीघ्र शुरू किया जाये।

[हिन्दी]

***श्री चन्द्रभान सिंह** (दमोह): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि-

1. ललितपुर सिंगरौली विस्तृत रेल लाइन में प्रतिवर्ष जो राशि दी जाती है, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। यह प्रोजेक्ट 990 करोड़ की राशि से वर्ष 1997 में चालू किया गया था तथा 40 करोड़ प्रतिवर्ष के हिसाब से यह प्रोजेक्ट 25 वर्ष में भी पूर्ण नहीं हो सकता तथा इस प्रोजेक्ट की लागत 2000 करोड़ की हो जाएगी, इसलिए 50 वर्षों में भी यह प्रोजेक्ट पूर्ण नहीं हो सकता है।

   मान्यवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने की समयावधि निर्धारित की जाए और इस परियोजना को पर्याप्त राशि प्रतिवर्ष आवंटित की जाए।

2. महोदय, जबलपुर, दमोह, पन्ना में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु रेल मंत्रालय द्वारा राजनीतिकरण के कारण इस परियोजना पर इस बजट वर्ष में राशि देने का प्रावधान नहीं रखा गया है। यदि प्रोजेक्ट को संशोधित कर जोड़ा जाता है तो जबलपुर से दमोह की दूरी 200 किलोमीटर के स्थान पर 100 किलोमीटर पड़ेगी तथा दमोह से पन्ना की दूरी वाया कटनी, सतना से जाने पर 300 किलोमीटर पड़ती है, यह मात्र 150 किलोमीटर से कम पड़ेगी। जनहित में इसे संशोधित बजट में से राशि देने की कृपा करें।

3. नई परियोजना के तहत दमोह, कुंडलपुर रेल लिंक को 50-50 प्रतिशत राज्य/केन्द्र शासन के तहत स्वीकृत राशि देने को कहा है। अत: आपसे अनुरोध है कि इसे 100 प्रतिशत रेलवे प्रशासन संशोधित कर राशि देने का प्रावधान करने की कृपा करें।

4. दमोह, कुंडलपुर नई रेल लाइन को इसी बजट सत्र में संशोधित कर आवंटन प्रदान करें।

5. दमोह स्टेशन पर स्वीकृत माडल स्टेशन निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ किया जाए।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री चन्द्रभान सिंह]

6. मध्य प्रदेश सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस का पथरिया में स्टापेज किया जाए।

7. दमोह स्टेशन पर एक वीआईपी प्रतीक्षालय का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

8. छत्तीसगढ़ सम्पर्क क्रांति को दमोह एवं सागर में स्टापेज दिया जाए।

9. दमोह रेलवे स्टेशन पर एटीएम सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

10. जबलपुर जम्मूतवी एक्सप्रेस को एक दिन के स्थान पर चार दिन चलाया जाए एवं उक्त ट्रेन को उधमपुर तक बढ़ाया जाए, जिससे जबलपुर एवं सागर में छावनी के जवानों को उधमपुर तक जाने की सुविधा उपलब्ध हो सके।

11. गोडवाना एक्सप्रेस 2412, 2411 में एसी प्रथम श्रेणी का फुल रैक लगाया जाए।

12. दमोह रेलवे स्टेशन का आरक्षण कोटा वर्तमान कोटे से दुगुना किया जाए।

13. दमोह-बीना चलने वाली पैसेंजर गाड़ी को भोपाल तक बढ़ाया जाए।

14. रेवांचल एवं ओवर नाईट गाड़ियों को भोपाल से इंदौर तक बढ़ाया जाए।

15. शिप्रा एक्सप्रेस गाड़ी को तीन दिन के स्थान पर सातों दिन चलाया जाए।

16. राजकोट एक्सप्रेस को दो दिन के स्थान पर तीन दिन चलाया जाए।

17. विध्यांचल एक्सप्रेस को घटेरा एवं सगौनी में पूर्णत: स्टापेज दिया जाए।

18. विलासपुर राजधानी को सागर, दमोह, कटनी होकर रायपुर तक चलाया जाए। अनूपपुर विलासपुर स्टापेज देते हुए उक्त गाड़ी का नाम रायपुर राजधानी रखा जाए।

19. ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन का कार्य पन्ना, गंगऊ-अभ्यारण में नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने रेल लाइन निकालने पर रोक लगा दी है, इसे वाया अजयगढ़ से सर्वे करवाकर कार्य यथाशीघ्र शुरू कराया जाए अथवा गंगऊ अभ्यारण के नेशनल पार्क से निकालने की स्वीकृति दी जाए।

20. दमोह रेलवे गुड्स प्लेटफार्म को हाफ रेट पोन्ट के स्थान पर फुल रेक पोन्ट का विस्तार कराया जाए जिससे फूड, ग्रीन एवं लाइन स्टोन की फुल रेल वेगन अनलोडिंग एवं लोडिंग की व्यवस्था हो सके।

21. दमोह में पथरिया फाटक पर ओवर ब्रिज बना है, उसे पथरिया मार्ग की ओर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए।

22. अमरकंटक एक्सप्रेस को सागर-बीना होकर चलाया जाए जिससे दमोह सागर के यात्रियों को भोपाल के लिए एक अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अत: सप्ताह में तीन दिन अमरकंटक एक्सप्रेस वाया दमोह-सागर-बीना होकर चलाई जाए।

23. भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह 5 बजे बिलासपुर पहुंची है, जो दिन भर वहीं खड़ी रहती है, इस गाड़ी को दुर्ग तक बढ़ाया जाए, इससे आम नागरिकों को सुविधा होगी तथा रेलवे मंत्रालय को अतिरिक्त गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी।

अत: आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को जनहित में ध्यान में रखते हुए स्वीकृत करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2007-08 के रेल बजट की प्रशंसा करता हूं।

श्री लालू जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की कि इस बार भी रेलवे के किराए में वृद्धि नहीं होगी। महोदय, यह आश्चर्य का विषय है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही श्री लालू जी ने रेल मंत्री के रूप में संपूर्ण देश के समक्ष एक उदाहरण रखा है कि रेल यात्री किराए में वृद्धि के बिना भी बजट प्रस्तुत किया जा सकता है।

महोदय, हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद से ही हम सभी ने देखा है कि जब भी रेल बजट प्रस्तुत किया गया तब-तब रेल किराए में वृद्धि की गई। किंतु, यह सचमुच श्री लालू जी की

विलक्षण क्षमता है कि उन्होंने इस बार भी किराए में वृद्धि किए बिना इस बजट को पेश किया है। महोदय, यह सरकार इस मंत्रालय के अभूतपूर्व कार्यनिष्पादन के लिए निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। किंतु महोदय, मैं श्री लालू जी से इस सदन को 20,000 करोड़ रुपए के नकद शेष के बारे में सूचित करने के लिए कहूंगा। सदन को इस नकद शेष के ब्यौरे का पता होना चाहिए। इस नकद शेष में क्या शामिल हैं? यह नकद शेष कहां से उत्पन्न हुआ है? सदन को इस बारे में जानना चाहिए। मैं उनसे इस बारे में अनुरोध करूंगा।

महोदय, चूंकि समय काफी कम है इसलिए राष्ट्रीय मुद्दों पर जाए बिना ही मैं अपने राज्य के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा तथा रेलवे के विकास के बारे में कुछ मुद्दे उठाऊंगा। महोदय, मुझे इस सदन को सूचित करते हुए दुख है कि यद्यपि यह बड़ा आश्चर्यजनक बजट है फिर भी इस बार भी इसमें पश्चिम बंगाल को वंचित रखा गया। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो लंबित पड़ी हैं या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। हम इस बजट की तथा श्री लालू जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह बजट इस देश के लोगों के लिए स्वीकार्य योग्य है। मेरे साथियों ने कल भी कहा तथा अपने-अपने राज्यों के संदर्भ में बजट की समीक्षा करते हुए प्रत्येक ने अपना विचार प्रकट किया है कि उनके राज्यों से जुड़े कुछ मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है। हमारे राज्य में भी कुछ मुद्दों पर विचार नहीं किया गया है।

महोदय, मेरी कुछ मांगें हैं जिसे मैं माननीय रेल मंत्री के विचार हेतु इस सदन के समक्ष रखना चाहूंगा।

दमदम रेलवे स्टेशन को आंशिक अंतिम स्टेशन (टर्मिनस) के रूप में विकसित किया जाना है। यह एक जंक्शन है तथा काफी बड़ा स्टेशन है। यह वस्तुतः कोलकाता का प्रवेश-द्वार है। इसलिए मैं माननीय लालू जी से अनुरोध करता हूं कि इस स्टेशन को आंशिक रूप से अंतिम स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, कोलकाता में सर्कूलर रेल सेवा है किंतु इस सर्कूलर रेल ने अपने ही सर्किल को पूरा नहीं किया है। इसलिए मैं रेलवे लाइन के दोहरीकरण किए जाने के साथ पूरे सर्किल को पूरा करने की मांग करता हूं।

महोदय, मैं परिचालन समय को कम करने के उद्देश्य से सियालदह एवं मालदा मंडल के बीच रेलवे लाइन को मजबूत बनाए जाने का भी अनुरोध करता हूं। रेल गाड़ी एवं रेल लाइनों की सुरक्षा के आधार पर धीरे-धीरे परिचालन समय में वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस रेल लाइन को मजबूत बनाने एवं परिचालन समय को कम करने का अनुरोध करता हूं।

बैरकपुर स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन घोषित किया जाए। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस स्टेशन को हेरिटेज स्टेशन के रूप में घोषित किया जाए जहां प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्षों के प्रथम चरण में भागीदारी करने एवं इसकी स्मृति में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा एक संग्रहालय बनाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप अपने भाषण का शेष अंश सदन के पटल पर रख दें।

श्री अमिताभ नन्दी: महोदय, पश्चिम बंगाल में विद्यमान कचड़ापाड़ा रेल कारखाना जहां 100 एकड़ भूमि उपलब्ध है, में एक रेल डिब्बा निर्माण कारखाने की स्थापना पर विचार करने की आवश्यकता है। इसे कचड़ापाड़ा में बनाया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, उपनगरीय रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ायी जानी है।

इसके पश्चात् मेट्रो का दमदम से बड़ानगर तक विस्तार किया जाना है। मैं माननीय लालू जी से नम्र निवेदन करूंगा कि मेट्रो लाने के संबंध में उत्तर देते समय इसे बी.टी. रोड तक जोड़ने के इरादे से वे इसे इस वर्ष के बजट में शामिल करें। इससे संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही माननीय रेल मंत्री जी को भेज दी गयी है। जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले का प्रस्ताव मेट्रो के बैरकपुर तक विस्तार का था। अब मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसका बड़ानगर तक विस्तार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नन्दी, आपके पार्टी के सात और वक्ताओं को बोलना है। कृपया अब समाप्त करें।

श्री अमिताभ नन्दी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेट्रो रेल के माध्यम से हावड़ा एवं हुबली के साथ-साथ उत्तरी बैरकपुर से यात्रियों की आवाजाही पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इसे बड़ानगर तक बढ़ाया जाना है। बड़ानगर तक की विस्तार परियोजना के आकलन किए जाने से यह पता चला है कि इसमें प्रत्येक दिन विभिन्न 9 नगरपालिका क्षेत्रों से 21,52,468 लोगों को कवर करने की क्षमता होगी तथा इससे मेट्रो रेल की सुविधा का लाभ उठाने वाले दैनिक यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नन्दी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपने भाषण के शेष अंश को सभा के पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री इलियास आजमी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री इलियास आजमी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री नन्दी, अब आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। मैंने श्री आजमी को बोलने की अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)*...

श्री अमिताभ नन्दी: महोदय, समयाभाव के कारण मैं सभी मुद्दों को विस्तारपूर्वक नहीं बता सका। इसलिए मैं अपने भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित कराने के लिए सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां, आप अपने प्रस्ताव लिखित रूप में दे सकते हैं।

***श्री अमिताभ नन्दी:** महोदय, मैं भाषण का शेष भाग पटल पर रखना चाहता हूं। महोदय, हां स्पष्ट रूप से, यात्री भाड़े में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, लेकिन तब भी रेल भाड़ों में अप्रत्यक्ष बढ़ोत्तरी हुई है। उदाहरण के लिए- नेटवर्किंग सिस्टम के माध्यम से टिकट बुकिंग से बुकिंग शुल्क में वृद्धि होगी और यह यात्रियों द्वारा वहन किया जाना है। नेटवर्किंग सिस्टम के रख-रखाव में शामिल अतिरिक्त व्यय के पूरा करने के लिए, टिकट बुकिंग स्टेशन से अलग स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने के लिए आरक्षित टिकटों के आरक्षण शुल्क में द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी में 10 रु. और पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की अन्य श्रेणियों में 15 रु. और राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस में 20 रु. और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की द्वितीय श्रेणी में 15 रु. और एसी चेयरकार में 20 रु. की वृद्धि की गई है।

रद्दीकरण शुल्क के माध्यम से एक से तीन महीने बढ़ी हुई लागत को पूरा करने हेतु टिकट रद्दकरण में, आरक्षित टिकटों पर रद्दकरण शुल्क में द्वितीय श्रेणी में 10 रु. शयनयान श्रेणी एसी प्रथम श्रेणी में 20 रु. और अन्य श्रेणियों में 30 रु. की वृद्धि की गई है। सभी श्रेणियों से एक रुपए की कमी करना ठीक है, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उपनगरीय यात्रियों के लिए, जिनका रेलों से हर क्षेत्र आना-जाना होता है, यह कमी क्यों नहीं की गई और क्या इसका उनके सीजन टिकटों पर प्रभाव पड़ा है?

इस वर्ष में, ऐसा लगता है कि रेल बजट का मुख्य हिन्दु 'आउटसोर्सिंग' या जो सामान्यत: 'निजीकरण' की ओर ले जाता है। महोदय, मैं इस गरिमामय सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि 10 सितम्बर 2004 को उत्पादन इकाइयों और कोलकाता मेट्रो रेलवे मंडल के महाप्रबंधकों को संबोधित करते हुए माननीय मंत्री जी ने इसे उचित बताया था और कहा था मैं निजीकरण की अनुमति देने की अपेक्षा त्याग पत्र देना चाहूंगा यह कहते हुए कि यदि रेलवे का निजीकरण किया गया तो निजी क्षेत्र जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं करेगा।

क्योंकि संचालन और सेवा लागत कई गुना बढ़ जाएगी। उन्होंने जो 10 सितम्बर 2004 को कहा था। आज सारा देश उसके विपरीत देख रहा है। भारतीय रेल का निजीकरण कभी भी इतना सर्वव्यापक नहीं रहा।

चार स्पष्ट उदाहरण हैं जिनसे मेरी बात को समर्थन मिलता है। ई-टिकट पर स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा पहले ही 682 एटीएम स्थापित कर दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त 711 अन्य एटीएम पूरे देश में विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित किए जाएंगे। इस 711 में से 473 एटीएम ई-टिकटिंग सुविधायुक्त होंगे। यद्यपि माननीय मंत्री जी ने ई-टिकट शुल्क में कमी के बारे में सूचित करते हुए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास किया और कहा कि इसमें और भी कमी की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मंत्री जी टिकट खरीदते समय छुपे हुए शुल्कों से संबंधित बातें बताना भूल गए। निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है क्योंकि कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर उस बैंक का एटीएम नहीं ढूंढ सकता जिसका कार्ड उसके पास है और ऐसी स्थिति में दूसरे बैंक के एटीएम का प्रयोग हर बार लेन-देन शुल्क को बढ़ाएगा। अब, यहां तक कि पेट्रोल पंपों से भी ई-टिकट सुविधा शुरू करने के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। यह कदम हजारों कर्मचारियों के लिए खतरे की घंटी है जो बेरोजगार हो रहे हैं।

खान-पान में, भारतीय रेलवे ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर आन-बोर्ड खान-पान सेवाओं के लिए करार किए हैं, पेय पदार्थों की बिक्री हेतु स्वचालित विक्रय मशीन और स्वास्थ्यकर भोजन के लिए वातानुकूलित फूड-प्लाजा के लिए करार किए हैं। भारतीय रेल द्वारा रोज आने-जाने वाले 15 मिलियन यात्रियों में से ज्यादातर

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

वे लोग होते हैं जिन्हें 'आम आदमी' कहा जाता है जिनके लिए शायद एक कप काफी खरीदना भी विलासिता होगी। स्वास्थ्यवर्धक भोजन खरीदने की तो बात ही छोड़िए बिडम्बना यह है कि ये 'आम आदमी' यद्यपि टिकट खरीदकर भारतीय रेलवे के लिए सर्वाधिक व्यवसाय उत्पन्न करते हैं तथापि ये उस तथाकथित स्वास्थ्यवर्धक आधुनिक भोजन से वंचित है।

तथापि, यदि हम 8 फरवरी, 2007 की एक प्रेस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो, भारतीय रेलवे के खान-पान विभाग की अकुशलता और अस्वास्थ्यकर स्थिति ऐसी है कि उसके लिए केवल एक ही उपाय बचा था, और वह था विभाग का निजीकरण। हमें निकट भविष्य में मैक्डोनाल्ड और निरूलाज जैसी कंपनियों को पाकर हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए।

एक सुझाव था कि क्यों न आईआरसीटीसी जो भारतीय रेलवे का एक विभाग है उसमें सुधार किया जाए और इसकी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने और बनाए रखने के उपाय किए जाएं।

भारतीय रेलवे ने जनवरी 2005 में इस वर्ष का सबसे बड़ा सफाई ठेका भुवनेश्वर स्टेशन पर डिब्बों की यांत्रिक सफाई के लिए भारत विकास ग्रुप इंडिया लिमिटेड (बीवीजी) को दिया है। यह ठेका पांच वर्ष हेतु सात करोड़ रु. में दिया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा किस सीमा तक बनाए रखी गई है जिसमें कटौती की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है जबकि इसी प्रकार अंधाधुंध निजीकरण और आउटसोर्सिंग जारी है।

रेलवे द्वारा चलाई जा रही कंटेनर सेवाओं को निगम-कानकार के रूप में बदले जाने के बाद सरकारी निजी भागीदारी व्यवस्था में बदला जा रहा है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि निकट भविष्य में क्या हम पैसेंजर ट्रेनों के लाइसेंस देने की ओर बढ़ रहे हैं।

अब मैं राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर आता हूं। महोदय, आप विश्व की सबसे बड़ी सरकारी रेलवे होने के कारण निश्चित रूप से भारतीय रेलवे की प्रशंसा करेंगे, ऐसी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्राथमिक चिंता का विषय बन जाता है। महोदय, भारतीय रेलवे के 1,27,000 रेलवे पुलों में से 51,000 से अधिक पुल 100 साल पुराने हैं। इन पुलों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है, इन पर चलने वाली रेलगाड़ियों की बढ़ती संख्या से इन पुलों पर दबाव बढ़ेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी के पास इन पुलों के लिए विशेष योजनाएं हैं।

यद्यपि इस बजट में यह घोषित किया गया है कि नई चलाई गई प्रत्येक गाड़ी में चार की जगह छः अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएंगे, मुझे आशा है प्लेटफार्मों की वर्तमान लंबाई ट्रेन की अतिरिक्त लंबाई को खपाने के लिए पर्याप्त होगी और यात्रियों की परेशानी नहीं बढ़ेगी।

मैं समझता हूं कि यह गरिमामय सदन इस बात पर सहमत होगा कि जब यात्रा के दौरान आरक्षित डिब्बों के शौचालयों की स्थिति खराब होती जाती है तो सामान्य श्रेणी के डिब्बों में क्या होता होगा। अतः यदि इसी आधारभूत ढांचे को बनाए रखते हुए विभिन्न डिब्बों की क्षमता बढ़ाई जाती है तो क्या हम यात्रियों की अतिरिक्त संख्या को खपाने के लिए तैयार हैं?

इस बजट प्रस्ताव के द्वारा अनेक सुपर फास्ट रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं जिससे सुपर फास्ट अधिभार के माध्यम से कुछ अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा; क्या इन रेलगाड़ियों के चलाने का समय वाकई सुपरफास्ट श्रेणी का होगा? यद्यपि माननीय लालू प्रसाद जी ने रेलवे के लाभ पर ध्यान दिया है, इस गरिमामय सदन को इस बात को मानना चाहिए कि इस लाभ कमाने की प्रक्रिया में रेलवे कर्मचारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन उन्हें उनके कल्याण के लिए लाभ का एक अंश भी नहीं मिल रहा है।

पूरे देश में रेलवे क्वार्टर बहुत पुराने हैं और जीण-शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संपूर्ण नवीकरण की आवश्यकता है। रेलवे कर्मचारियों को बेहतर शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करायी जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी से सुंदरवन के बारासात से आमखाली (एसएलडी-बेलगांव संभाग) तक नई रेल लाइन शुरू करने का निवेदन करता हूं। अंत में, एक बार फिर यद्यपि मैं बजट का समर्थन करता हूं तथापि मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि एक और एक कभी भी ग्यारह नहीं हो सकते बल्कि हमेशा दो ही होते हैं और हम जितनी लाइन दोहरी करेंगे उतनी ही रेल व्यवस्था मजबूत होगी।*

[हिन्दी]

***श्री इलियास आज़मी** (शाहाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव जी, दोनों रेल राज्य मंत्री, रठवा जी और वेलु साहब को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने रेलवे के इंतजाम बेहतर करके जो घाटे का सौदा था, उसे नफे तक पहुंचाया और जो रेलवे सरकार पर बोझ बन रही थी, वह देश को कुछ देने लगी। इसलिए मैं उन्हें मुबारकवाद देता हूं। लेकिन मैं कहूंगा कि आखिर मैंने तो कोई कसूर नहीं किया था। मेरा एक छोटा सा काम है। मैं रठवां साहब और वेलु

[श्री इलियास आजमी]

साहब से कहूंगा कि आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि वही काम नहीं हो पा रहा है, बाकी सारे रेलवे के हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में गोला गोकरननाथ से मोहमदी होकर शाहजहांपुर तक 66 कि.मी. पर काम होना है जिसमें सिर्फ 172 करोड़ का खर्च है। वहां के लोगों ने रेलवे लाइन देखी ही नहीं है और 66 कि.मी. रेलवे लाइन बना देने से तीन रेलवे लाइन का लिंक बेहतर हो जाएगा। इससे जो मेन लाइनों पर लोड है, वह कम होगा। लेकिन जब मैं कोई प्रश्न करता हूं तो जवाब यही आता है सर्वेक्षण हो गया है। लेकिन अलाभप्रद प्रवृत्ति कही गई है, हालांकि अलाभप्रद नहीं है। 14.9 है, 14 प्रतिशत तक लाभप्रद में आ जाता है। यह 14 से ऊपर है। लेकिन यह गलत जवाब दिया जाता है, इसलिए मैं यह कहूंगा कि इसे सप्लीमेंट्री बजट में जरूर लाया जाए। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने लखनऊ से लखीमपुर खीरी-गोला गोकरननाथ होते हुए बरेली तक की रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन इस बजट में ला दिया है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और लखीमपुर खीरी जिला जो मेरे क्षेत्र में आता है, वहां की जनता आपको बहुत धन्यवाद देती है कि आपने उसे बजट में ला दिया है। अभी उसी के साथ लखीमपुर में आपको एक ओवरब्रिज बनाना भी जरूरी हो जाएगा, वह इसलिए कि जहां से रोड निकलती है, वह मौजूदा प्लेटफार्म से बिल्कुल नजदीक है और बड़ी लाइन बनाने के लिए प्लेटफार्म लम्बा करना ही पड़ेगा। उससे बड़ी लाइन का एक रूट बन जाएगा।

इसके अलावा एक छोटा सा काम है जिसके लिए मैं काफी समय से निवेदन कर रहा हूं। आझी-शाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक पीआरएस बना दिया जाए। कई ट्रेने आपने वहां रुकवा दी और फिर आप कहेंगे कि टिकट कम बिक रहे हैं क्योंकि लोग टिकट खरीदने के लिए हरदोई और शाहजहांपुर जाते हैं। अगर वे वहां से टिकट खरीदेंगे तो जो ट्रेन रुकती है और जब आप 6 महीने का हिसाब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि टिकट कम बिका। इसलिए पीआरएस जल्दी से लगा दीजिए। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है कि वहां आपके मानक से ज्यादा टिकट बिकेगा। कम नहीं बिकेगा।

दूसरे, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि आझी-शाहाबाद रेलवे स्टेशन एक लाख की आबादी वाले शाहबाद कस्बे से ढाई-तीन कि.मी. दूर पड़ता है।, वहां कोई टेलीफोन उठाता नहीं है कि ट्रेन कितनी लेट है। अगर दो घंटा लेट है तो कोई आदमी स्टेशन पर इंतजार नहीं करना चाहता। इसलिए भी रेलवे का कम यूज हो रहा है। वहां सिर्फ एक आदमी आप बढ़ा दीजिए जिससे स्टेशन मास्टर से जब बात की जाए तो वह हमें जो कुछ भी बताएं, उससे हम संतुष्ट हो जाएं। अभी उनकी समस्या यह है कि वही स्टेशन मास्टर ड्यूटी पर है तो वही प्वाइंट ही बदलवाएगा, वही ट्रेन को पास करेगा आरेर वही टिकट भी बोंटेगा। इसलिए वह टेलीफोन पर जो इंक्वायरी की जाती है, टेलीफोन नहीं उठा पाते हैं। इसलिए सिर्फ एक आदमी आझी-शाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ा दें तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा। बाकी पूरे बजट के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: इलियास आज़मी जी, आज तो आपने कमाल कर दिया।

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लालू प्रसाद जी और वेलु जी तथा रठवा जी को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि देश भर के लिए रेलवे के लिए बजट करीब-करीब अच्छा हुआ है लेकिन हमारे प्रदेश अरुणाचल प्रदेश रेलवे के लिए तो काला पानी है। मैं यह देखना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान के रेलवे के मानचित्र में हमारा प्रदेश कब आएगा? मैं उम्मीद रख रहा हूं कि इस बार हमारा प्रदेश होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन था जब रेलवे मंत्री जी ने अपने भाषण में रंगिया-मुरकांगसेलेक का जिक्र किया था कि उसको नेशनल प्रोजेक्ट करेंगे लेकिन वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में सिर्फ बोगीबील ब्रिज की बात की है और रंगिया-मुरकांगसेलेक का जिक्र नहीं किया है। इसलिए मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा और सरकार पर दबाव भी डालना चाहूंगा कि रंगिया-मुरकांगसेलेक प्रोजेक्ट को तुरंत ही नेशनल प्रोजेक्ट के हिसाब से लिया जाए।

दूसरी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने जिला मुख्यालय हैं, वहां कम्प्यूटर रिजर्वेशन स्थानों को मजबूत करना चाहिये। हमारा अरुणाचल प्रदेश भी दूर दराज का इलाका है लेकिन लालू जी केवल दूर का इलाका समझकर यह न सोचें कि वहां रेल नहीं चाहिये। हमारे यहां भी बिहार के हजारों लोग रहते हैं, बंगाल के लोग काम के लिये रहते हैं और यहां तक कि दक्षिण भारत के लोग भी कामकाज के लिये आते हैं। वे बिजनैस करते हैं लेकिन रेल की सुविधा नहीं रहने से उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर उन लोगों को रेल की सुविधा मिल जायेगी तो आपको आशीर्वाद देंगे।

उपाध्यक्ष जी, जितनी भी रेलगाड़ियां नार्थईस्ट से आती हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रैस, नार्थ ईस्ट एक्सप्रैस, ब्रह्मपुत्र मेल, असम-अवध एक्सप्रैस हैं, वे यहां आते-आते 36 से 40 घंटे लगा देती हैं। मुम्बई के लिये जो दादर एक्सप्रेस आती है, वह काफी समय लगाती है। आपको उसकी समयावधि कम करके गाड़ियों की स्पीड बढ़ानी चाहिये। जैसा चीन ने लाहसा तक रेल लाईन बना दी है, हम वैसे तो नहीं मागेंगे।

[अनुवाद]

मैं 16,000 फुट की उंचाई पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए नहीं कह रहा हूं। किंतु कम से कम बोमडिला, सेप्टा, ईटानगर, जिरो, अलोंग जैसे सभी जिला मुख्यालयों को आसानी से रेलमार्ग से जोड़ा जा सकता है। ब्रिटिश शासन ने रेलवे लाइन को शिमला एवं दार्जलिंग तक पहुंचाया है। किंतु स्वतंत्र भारत में रेलवे का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन द्वारा जो कुछ भी किया गया था बस उतना ही कार्य हुआ है। उसके बाद आगे कुछ नहीं किया गया है। इसका विस्तार होना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि पहाड़ों को भी रेल मिलनी चाहिये। आज सारे लोग रेल मंत्री जी की सराहना करते हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग दुखी हैं। इसलिये कि हमारे प्रदेश को भी रेलवे के मैप पर लाइये।

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री श्री लालू जी, दोनों रेल राज्य मंत्रियों को बधाई देता हूं कि जो रेल बजट इस सदन में रखा गया है, उसमें कई अच्छे सामाजिक कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इनमें वृद्ध, अपंगों, पढ़े-लिखे नौजवानों को रेल यात्रा में कंसैशन दिये गये हैं। खासतौर पर यूपीएससी के लिये इंटरव्यु पर जाने वाले बेरोजगार नवयुवकों को रेल में रियायती दर, सैकिंड क्लास में 50 प्रतिशत की दर पर टिकट दिया जाना है। पहले रेलवे घाटे में चल रही थी लेकिन अपने योगदान से रेल मंत्री जी ने उसे 20 हजार करोड़ रुपये के मुनाफे में बदल दिया है। मैं एक अच्छे सिस्टम के लिये उन्हें बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के सांसदों के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल चुका हूं और माननीय लालू जी से भी मिले हैं। उसके बाद श्रीमती सोनिया गांधी से भी मिल चुका हूं। हमारे प्रदेश की घोर उपेक्षा की गई है। मैं तो ब्रिटिश लोगों को मुबारकवाद देना चाहता हूं कि उनके वक्त में कालका-शिमला रेल लाइन बनाई गई और शिमला उसकी राजधानी रखी गई। रेलवे का सबसे पहले आफिस शिमला में बना। तब की सारी आलीशान इमारतें यादें ताजा कर देती हैं। पठानकोट-जोगिन्दर नगर रेलवे लाइन का जो प्रोजैक्ट बना था, वह ब्रिटिश काल तक लाहौर तक जाने का था लेकिन अफसोस की बात है कि आज चीन ने पीचिंग से लाहसा तक की रेल लाइन बना दी है और पूरा हिमालय कवर कर दिया है। हमारे अरुणाचल और उत्तराखंड के माननीय सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि चीन ने हिमालय रेंज में 1000 किलोमीटर में रेल लाइन का विस्तार किया है। बड़े खेद की बात है कि पिछली बार पठानकोट-जोगिन्दरनगर रेलवे लाइन को सर्वे में डाला गया और उसका कास्ट बैनिफिट रेशियो माइनस किया गया। वेलू जी ने स्टेटमैंट दिया कि इस रेल लाइन को बदलने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। मुझे अफसोस है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आप नैरो गेज रेलवे लाइन को बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जोगिन्दरनगर-पठानकोट रेलवे लाइन को जो बड़ी स्ट्रैटेजिक रेलवे लाइन है टूरिज्म पाइंट आफ व्यू से, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ब्यास के बेसिन में कई हाइडल प्रोजैक्ट्स आ रहे हैं। उसके लिए भी आपने कहा कि जहां-जहां खनिज पदार्थ ज्यादा होंगे, जहां-जहां हाइडल पावर जनरेशन ज्यादा होगी, हम उन एरियाज में रेलवे का विस्तार करेंगे। मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो नेशनल रेलवे प्रोजेक्ट चले हैं, उनको उसमें डाला जाए ताकि गेज कनवर्शन हो सके। वहां जमीन की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत जमीन उपलब्ध है। सिर्फ नैरो गेज से ब्राड गेज बनानी है। उस ट्रैक पर सबसे ज्यादा लोग ज्वालामुखी, चिन्तपूर्णी और कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर जाते हैं। मैं तो लालू जी से प्रार्थना करता हूं कि ज्वालामुखी आपकी कुलदेवी है। आप उन इलाकों को यदि पर्यटन की दृष्टि से डैवलप करना चाहते हैं तो उस रेलवे लाइन को बड़ा किया जाए। इसी तरह से सतलुज बेसिन में एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. के बहुत से प्रोजैक्ट्स आ रहे हैं, कोल डैम आ रहा है। आदरणीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने कहा कि बिलासपुर से भानुपल्ली और रामपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाए। इस लाइन को आगे मंडी के साथ जोड़कर हम लाहौल स्पीति तक ले जा सकते हैं और लेह-लद्दाख तक इसे पहुंचाया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर में जब डिसटर्बैन्स होती है तो मिलिट्री के लिए और कोई रास्ता नहीं है। सारी आवाजाही पठानकोट से लेह लद्दाख की तरफ से मंडी और मनाली से होती है। इसलिए इस रेल लाइन को 11वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया जाए। इसी तरह से एक रेलवे लाइन नांगल से तलवाड़ा बन रही है। आज सिर्फ उस रेलवे लाइन पर 24 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि 85 किलोमीटर रेलवे लाइन को बनाने में कितने वर्ष लग जाएंगे और ये प्रोजैक्ट्स कब से चालू हुए हैं। 15-20 साल हो गए, लेकिन वह इतनी धीमी गति से चल रही है कि लाखों में अलाटमैंट की जाती है।

महोदय, मैं अपना शेष भाषण सभा पटल पर रखता हूं।

*रेलवे विभाग ने जो कुछ आज तक किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। इस बजट में हिमाचल प्रदेश की जो उपेक्षा हुई है, उसके लिए मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से प्रार्थना

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[प्रो. चन्द्र कुमार]

करूंगा कि आप इस बजट में कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों के हितों को सामने रखकर जोगिन्दरनगर-पठानकोट रेलवे लाइन, बिलासपुर, भानुपल्ली और रामपुर रेलवे लाइन को 11वीं पंचवर्षीय योजना में डालकर पहाड़ के लोगों को भी मेन रेलवे लाइन के साथ जोड़ें ताकि हम भी वहां की तरक्की में-चाहे टूरिज्म हो, इंडस्ट्री हो, खनिज पदार्थ हों, हाइडल जनरेशन हो, उनका दोहन कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। जो मेरा लिखा हुआ भाषण है, उसको मैं सभा पटल पर रखता हूं तथा एक चिट्ठी भी मैंने लालू जी के नाम लिखी है।*

उपाध्यक्ष महोदय: चिट्ठी को हम अलाऊ नहीं करेंगे। जो रिटन मैटर है वह आप दे दें। लालू जी को मैं कहूंगा कि कालका से शिमला बहुत पुरानी लाइन है। उसको जरूर कंसिडर करें।

[अनुवाद]

***श्री नरहरि महतो** (पुरूलिया): महोदय, रेल बजट-2007-08 पर चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज भारत को विश्व भर में उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि, बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण तथा पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि ने उच्च गति वाले यात्री कोरिडोर के विकास के लिए असीमित असंभावनाओं को खोल दिया है।

महोदय, भारतीय रेल ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इटली, जर्मनी, रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है। रेलवे सरकार की नीति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। भारतीय रेल द्वारा रेल कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम की व्यापक प्रशंसा हुई है। इस कार्यक्रम का और विस्तार करते हुए रेलवे ने चालू वित्त वर्ष में अफ्रीकी देशों के रेल कर्मियों को मुफ्त प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को एशियाई रेल संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय रेल अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ के कार्यकरण में अहम भूमिका अदा कर रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ के प्रथम गैर यूरोपीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है।

महोदय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम पहले ही योजनाओं की तुलना में कई गुणा अधिक निवेश करेंगे। भारतीय रेल जैसे वृहद नेटवर्क के लिए कोई पहले से तैयार निवेश नीति नहीं है। परिवहन की बढ़ती मांग को केवल अल्पावधि एवं दीर्घावधि नीतियों के सामन्जस्य से ही पूरा किया जा सकता है। इसके साथ आधुनिकीकरण एवं तकनीकी उन्नयन के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए एक मध्यावधि एवं दीर्घावधि निवेश नीति को अपनाया जाएगा।

उपनगरीय रेल सेवा हमारे देश की वाणिज्यिक राजधानी, कोलकाता की जीवन रेखा है। कोलकाता की ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए वहां की उपनगरीय रेल सेवाओं में चल रहे कार्यों को भी प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोलकाता, मुंबई, चैन्नई में उपनगरीय ट्रेनों में वातानुकूलित वर्ग वाली सेवाएं एवं प्रमुख स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ी की सुविधाएं दिए जाने हेतु प्रयास किए जाएंगे।

महोदय, बढ़ती ट्रैफिक की मांग को देखते हुए नेटवर्क विस्तार के साथ उपलब्ध चल स्टाक के प्रभावी उपयोग, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण एवं नई उत्पादन इकाईयां स्थापित कर चल स्टाक की उपलब्धता में वृद्धि की जाएगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पिछली योजना की तुलना में चल स्टाक के उत्पादन को दुगुना किया जाना चाहिए। लोकोमोटिव, विद्युत चालित लोकोमोटिव एवं पहिये अत्याधुनिक तकनीकी से लैस होने चाहिएं एवं इसमें दीर्घावधि तक अधिक वजनी धुरी से युक्त ट्रेनों को खींचने की क्षमता होनी चाहिए।

महोदय, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेल के हित में सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा उपलब्ध करायी गई व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से परियोजनाओं के लिए निवेश में कई हजार करोड़ रुपए की वृद्धि की जाएगी। सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुप्रयोगों का ग्राहकों की दृष्टि में रेलवे की छवि में सुधार लाने के लिए यात्री एवं माल भाड़े से होने वाली आय में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

18 फरवरी, 2007 को पानीपत के निकट ट्रेन सं. 4001, दिल्ली-अटारी लिंक एक्सप्रेस में हुए भयानक बम विस्फोटों को देखते हुए हमने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रेलवे सुरक्षा कार्यों हेतु आवश्यक उपकरण एवं अन्य संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए यात्री सुविधा तथा मशीनरी एवं संयंत्र योजना शीर्षों से पर्याप्त निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेल सुरक्षा बल प्रतिदिन 1,450 ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। महोदय, रेल सुरक्षा बल में रिक्त पड़े 8000 पदों को अखिल भारत स्तर पर तत्काल भरा जाना चाहिए। रेल सुरक्षा बल को गहन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

महोदय, जब भी वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को ऊपरी अथवा मध्य शायिका आवंटित की जाती है तो उन्हें काफी असुविधा होती है। इसलिए अकेले यात्रा कर रहे वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को वातानुकूलित एवं शयनयान में पर्याप्त निम्न शायिकाएं दी जाएं।

बेरोजगार युवकों के लिए रियायत की सुविधा होनी चाहिए। महोदय, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की परीक्षाओं में नौकरी हेतु साक्षात्कार में भाग लेने वाले तथा संघ लोक सेवा आयोग एवं केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली मुख्य लिखित परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्तियों को 50 प्रतिशत रियायत दी जानी चाहिए।

अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की कमी के कारण आम आदमी को अत्यधिक भीड़ में यात्रा करनी पड़ती है। इसलिए नई ट्रेनों में चार के स्थान पर अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के छः डिब्बों को लगाया जाए।

नये शयनयान, वातानुकूलित कुर्सीयान एवं वातानुकूलित-3 टीयर यानों को नया स्वरूप दिया जाना चाहिए। नए बने वातानुकूलित-3 टीयर एवं कुर्सीयानों का किराया घटाया जाए। प्रमुख ट्रेनों में ये घटी हुई दरें वर्ष भर एक समान रहे।

रेल बजट 2007-08 में 18 सर्वे कार्य किया जाना प्रस्तावित है। 18 सर्वे कार्यों में से एक भी सर्वे कार्य पश्चिम बंगाल में नहीं किया जाना है जो बहुत दुखद बात है। इसलिए, महोदय, मैं ''झारग्राम-पुरूलिया को भारत के पश्चिम बंगाल में कमजोर आर्थिक एवं पिछड़े जिले के रूप में विचार करते हुए वहां प्रस्तावित रेलवे लाइन के सर्वे के लिये अनुरोध करूंगा। यदि यह रेलवे लाइन बनकर तैयार हो जाती है तो इससे इस क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लोगों को बड़ी सहायता मिलेगी।

बजट 2007-08 में आमान परिवर्तन पर विचार करने पर मैंने पाया कि ऐसी केवल सात योजनाएं क्रियान्वित की जानी है। इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि पुरूलिया से कोटशिला तक के स्टेशनों के बीच 35 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाए। यह झारखंड राज्य की राजधानी रांची की सम्पर्क लाइन है। यह लाइन दुर्गापुर इस्पात फैक्ट्री, बोकारो इस्पात फैक्ट्री, जमशेदपुर जैसे सभी फैक्ट्रियों एवं पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड के सभी महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है।

जहां तक रेल बजट 2007-08 में नई ट्रेनों को चलाने का मामला है, धनबाद (झारखंड) से पुरूलिया (पश्चिम बंगाल) होते हुए रांची तक एक और ट्रेन चलायी जाए। पुरूलिया बिहार के मनभूम जिले में स्थित था। सन् 1956 ई. में 1 नवम्बर को यह पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया तथा धनबाद अनुमंडल बिहार (अब झारखंड) का हिस्सा बन गया था। इसलिए, पुरूलिया के लोग 2006 में स्वर्णजयंती मना रहे हैं। यदि पुरूलिया के रास्ते धनबाद से रांची तक एक नई ट्रेन चलायी जाती है तथा यदि इसका नाम 'मनभूम' रखा जाता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। वित्तीय कमी एवं खराब अर्थव्यवस्था तथा शैक्षणिक रूप से कमजोर होने की दृष्टि से इस क्षेत्र के लोगों का सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन एक समान है। शिक्षा, इलाज एवं दैनिक आमदनी जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में यह ट्रेन सहायक होगा।

अंत में, महोदय मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र में राजधानी ट्रेन का ठहराव नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के जो लोग दिल्ली यात्रा करते हैं उन्हें राजधानी ट्रेन से यात्रा करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पुरूलिया जिला मुख्यालय से धनबाद की दूरी 85 किमी है। पुरूलिया से बोकारो 50 किमी तथा पुरूलिया से अद्रा भी 50 किमी की दूरी पर है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे नई दिल्ली-रांची राजधानी ट्रेन सं. 2440 का ठहराव झालदा रेलवे स्टेशन पर देकर पश्चिम बंगाल में पुरूलिया के लोगों को अवसर प्रदान करें जिसके लिए पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र एवं झारखंड के कुछ क्षेत्र के लोग इस अवसर के लिए आभारी रहेंगे। इस संदर्भ में पुरूलिया एवं झारखंड के लोग आपके आभारी रहेंगे।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट 2007-08 का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री हरिकेवल प्रसाद** (सलेमपुर): माननीय रेल मंत्री जी ने वर्ष 2007-08 का जो रेल बजट प्रस्तुत किया है उसकी आम तौर पर लोगों ने सराहना की है। रेलवे से भारी भरकम विज्ञापन पाने वाले कुछ समाचार पत्रों की नजर में रेल मंत्री ने जादूगरी की है। मगर एक मामले में मैं मानता हूं कि उन्होंने जादूगरी की है इन्होंने बड़ी सफाई से लोगों की नजर बांधने में कामयाबी पाई है ताकि लोग बजट की खामियां और आने वाले खतरों को देख न सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

रेल मंत्री ने एक हाथ से यात्रियों को कुछ रियायतों और सुविधाओं का झुनझुना थमाया है तो दूसरे हाथ से उनकी जेब टटोलने की चतुराई भी की है। पहली बार रेल मंत्रालय का पदभार संभालने के बाद रेल मंत्री जी ने बड़े ही जोर-शोर के साथ कहा था कि अब रेल में कोका कोला की जगह मट्ठा कोला और सत्तू कोला चलेगा लेकिन लगता है कि ये दोनों देशी कोले विदेशी नजर के शिकार हो गए हैं क्योंकि आज भी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीतल पेय बिक रहे हैं। इसी तरह गाड़ियों में खादी के पर्दे लगाने और बिस्तर मुहैया कराने की बात कही गई थी लेकिन यह आश्वासन भी कोरा साबित हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जहां मंत्री जी ने कई सहूलियतों की घोषणा की है वहीं रेलों में दिए जाने वाले भोजन के दाम बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर उनकी गुणवत्ता उसी रफ्तार से कम होती जा रही है। जहां तक रेल किराए और माल भाड़ा में कमी करने की बात है तो यह करना रेल मंत्रालय की मजबूरी थी। यदि रेलवे को सड़क और हवाई यातायात से प्रतिस्पर्धा करनी है तो किराया कम करना ही पड़ेगा। इसी तरह डीजल-पेट्रोल की बढ़ी कीमत के चलते माल भाड़ा बढ़ाना संभव नहीं था।

मान्यवर, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में परिचालन अनुपात में काफी सुधार हुआ है लेकिन इसके लिए यात्रियों की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। रेलवे में कारोबार बढ़ने के बावजूद कर्मचारियों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके चलते पटरियों की देखरेख से लेकर रेलवे सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की उपेक्षा की गई है। लगभग 15 वर्षों के दौरान रेल पटरियों को बदलने, जर्जर पुलों के स्थान पर नए पुल बनाने तथा रेलवे के आधुनिकीकरण का समुचित उपाय नहीं किया गया। हर साल दर्जन भर से अधिक नई रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं परन्तु उस अनुपात में नई रेल लाइनों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। दोहरीकरण की रफ्तार भी बहुत धीमी है। इसके चलते गाड़ियों के संचालन में भारी कठिनाई आ रही है और वे घंटों विलम्ब से चल रही हैं। वर्ष 2006-07 में कुल 275 किलोमीटर नई लाइन का निर्माण कराया गया। यह गति पिछले 40 साल के औसत के बराबर है इसी तरह बजट प्रस्ताव में रेल मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2006-07 में कुल 450 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि नई लाइन के निर्माण तथा दोहरीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की जाती रही है जिसकी झलक मौजूदा रेल बजट में भी देखने को मिल रही है। लखनऊ से गोरखपुर होते हुए छपरा तक के दोहरीकरण का कार्य गत 15 वर्षों से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह लखनऊ से जाफराबाद जंक्शन तक के दोहरीकरण का कार्य 10 वर्षों से चल रहा है जो पूरा नहीं हुआ है। रेल मंत्री ने कुछ माह पूर्व लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी लाइन का दोहरीकरण कराने का सार्वजनिक बयान दिया था लेकिन बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। चालू वर्ष के बजट में 2007-08 के दौरान 500 किलोमीटर नई लाइन के निर्माण की बात कही गयी है परन्तु उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर का भी प्रस्ताव नहीं है। पूर्वोत्तर रेलवे के बरहज बाजार से दोहरीघाट (बड़हल गंज) होते हुए फैजाबाद तक नई रेल लाइन के सर्वेक्षण की घोषणा मंत्री जी ने अपने पहले बजट भाषण में की थी लेकिन मौजूदा बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर के अनेक वर्क्सशाप व कारखाने बंद कर दिए गए हैं तथा इस जोन को काटकर नए रेल जोनों में जोड़ दिया गया है। पिछले साल के रेल बजट में भाड़ा गलियारा योजना का प्रस्ताव किया गया था। इस योजना का कोई लाभ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश को होने नहीं जा रहा है और न इन राज्यों को इस गलियारा योजना से जोड़ा गया है।

इस योजना के पूर्व रेल मंत्री ने स्वयं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के विस्तार की बात कही थी। यह योजना क्यों ठण्डे बस्ते में डाल दी गई, यह रहस्य बना हुआ है।

मैं मांग करता हूं कि देश के चार बड़े महानगरों दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई व चेन्नई को जोड़ने वाली दोहरी रेल लाइनों का चार लाइनों में विस्तार किया जाए तथा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंगल लाइनों का दोहरीकरण किया जाए। मैं चाहता हूं कि पड़ोसी राज्य होने के नाते मंत्री जी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे के साथ न्याय करेंगे। साथ ही मैं मांग करता हूं कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए छपरा से गोरखपुर के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी तत्काल चलाई जाए।

मैंने रेल की अनुदान मांगों पर इसी सत्र में सुझाव दिया था कि बहरज से छपरा, बरहज से गोरखपुर, बहरज से वाराणसी तक जनहित में ट्रेन चलाई जाए, आय की बढ़ोत्तरी जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए देवरिया, बलिया पिछड़े क्षेत्र के लिए गोरखपुर दुर्ग ट्रेन का ठहराव सलेमपुर व विल्थर रोड में किया जाए। तमशा ट्रेन का मऊ से भटनी तक विस्तार किया जाए, इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव किड़िहिरापुर नुनखार में किया जाए, कृषक ट्रेन का ठहराव नूनखार व लिच्छवी ट्रेन का ठहराव लाररोड में किया जाए। सलेमपुर में सहकारी समिति के द्वारा पूर्व से गुमटी झोपड़ रख कर जीविकोपार्जन करने वाले दुकानदारों को नियमित किया जाए। बहरह व विल्थरा रोड में पूर्व की भांति माल ढुलाई की तत्काल व्यवस्था की जाए। विल्थर रोड औद्योगिक केन्द्र है यहां विश्रामालय

की व्यवस्था की जाए। भाटपाररानी रेलवे स्टेशन जर्जर हो गया है, यहां पर विश्रामालय व स्टेशन भवन के निर्माण के साथ स्टेशन का सुन्दरीकरण कराया जाए, सलेमपुर दक्षिण तरफ ढाले पर घंटों का जाम हटाने के लिए दिसम्बर 2004 की यातायात गणना के बाद यातायात एक लाख से अधिक हो गया है उस पर ओवरब्रिज बनाया जाए, इसी प्रकार जनहित में विल्थरा रोड में भी ओवरब्रिज बनाया जाए। इन मांगों पर रेल मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है और अधिकारीगण तथ्यों के विपरीत जनहित का अनादर कर रहे हैं।

श्री विजय कृष्ण (बाढ़): महोदय, रेलवे को लाभ में पहुंचा कर माननीय रेल मंत्री जी ने आम जनता की प्रशंसा प्राप्त की है। रेल भाड़े में कमी से आम जन प्रसन्न है। यात्री सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से प्रस्तावित सुझाव सराहनीय हैं।

मैं कतिपय अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं-

1. दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत बाढ़ एवं फतुहा रेलवे स्टेशन को माडल स्टेशन का दर्जा दिया जाए और सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 30ए बाढ़ पर आर.ओ.बी. (ऊपरी रेल पुल) तथा दनियौवा में पटना-सहरसा मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 30ए पर आर.ओ.बी. बनाया जाए। बाढ़ सरमेरा रोड में शहरी (पटना जिला) के निकट आर.ओ.बी. तथा मोकामा अस्पताल के निकट आर.ओ.बी. बनाया जाए।

मोकामा-बाढ़ में आम जन के लिए पार्सल सुविधा पुनः बहाल की जाए तथा बेगुसराय जिला स्थित मशपुर रेल का गड़हरा यार्ड का विशाल परती जमीन परिसर पर रेल का कारखाना बनाया जाए, अतिक्रमण पर रोक लगाई जाए। दानापुर रेल मंडल के इस्लामपुर स्टेशन से मानपुर (गया) में सीधी रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण कराया जाए, ताकि पटना, नालंदा, गया के आम लोग कम दूरी में यात्रा कर सकें। बिहारशरीफ अरवल वाया जहानाबाद नई रेल लाइन बनाई जाए। मोकमा से बम्बई तथा दिल्ली के लिए एक-एक ट्रेन दी जाए ताकि उत्तर बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत के लोग लाभांवित हो सकें।

नेऊरा दनियौवा, बिहारशरीफ शेखपुरा रेल खंड की धीमी गति को तेज करने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाए।

दानापुर, रेलमंडल स्थित मोकामा, बाढ़, फतुहा, पंडारक, खुशरूपुर, हरदासबिगाहा स्टेशनों पर नागरिक सुविधा एवं सौन्दर्यीकरण किया जाए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2007-08 के रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा। चूंकि यहां आधा और आधा मिलाकर एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर बैठे हैं। लालू जी होते तो बड़ा उत्तम होता। रेलवे की तरक्की और विकास तभी संभव है जब रेल का प्रबंधन हुआ हो। आज रेल का प्रबंधन बहुत बदतर पोजीशन में है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आर.पी.एफ. जो आपकी फोर्स है, उसकी पोजीशन जीआरपी से भी बदतर हो गई है। हम और हमारे दल के रेवती रमन सिंह जी ने एक सब इंस्पैक्टर संजय पांडे जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर है, उससे कहा, परंतु उसके बावजूद भी उसने सवा लाख रुपये लेने के बाद किसी को छोड़ा जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। यह स्थिति आज है। हम लिखकर भी देते हैं मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वे कहते हैं कि वे तमाम बेकार लोग हैं। वह ऐसी बात करता है कि जैसे रेलवे के आई.जी. और डीआईजी से भी बड़ा है और कहता है कि मैं रेल मंत्री से नहीं डरता। आज पूरे देश की आबादी के 35 प्रतिशत लोग रेल सुविधाओं से वंचित हैं और रेल को नहीं देख पाए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि रेल का विस्तार उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां पर रेल नहीं है। यह मैं सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि रेल के कर्मचारियों की संख्या आप दिन पर दिन घटाते चले जा रहे हैं। 20 लाख रेल कर्मचारी घटकर 14 लाख रह गए हैं। इस छंटनी से रेलवे के सुरक्षा और संरक्षण पर बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए अगर रेलवे की सुरक्षा और संरक्षण देखनी है तो कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। आज भी देखा गया है कि रेलवे की वजह से पूरे देश में एक करोड़ लोगों को रोजी-रोटी मिल रही है। अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिये हैं कि रेल के अगल-बगल रेल की तमाम फालतू जमीनें हैं। उनको कम से कम जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो कमजोर लोग हैं, खासकर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लोग हैं, उनको आबंटित कर दिया जाए ताकि वे उस पर कुछ रोजगार कर सकें और उसके बदले कुछ राजस्व आपको दे सकें ताकि रेलवे के लक्ष्य में बढ़ोत्तरी हो सके।

आज देखा गया है कि दो करोड़ लोग रोजाना रेल से यात्रा करते हैं। तमाम ट्रेनों के बारे में सम्मानित सदस्यों ने कहा कि आज चाहे शताब्दी हो, राजधानी हो या हमारे यहां की प्रयागराज एक्सप्रैस या लखनऊ मेल हो, इन गाड़ियों को छोड़कर जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है कि खिड़कियां और दरवाजे नहीं हैं, सीटें फटी हुई हैं। बड़ी बुरी पोजीशन है। सात-आठ घंटे ट्रेनें लेट रहती हैं। यह आम ट्रेनों की स्थिति है। जहां तक गरीब

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

रथ की बात कही गई है कि एक गरीब रथ चलाया गया, आठ और चलाए जाएंगे। इसका हाल भी वैसा न हो जैसे चरवाहा विद्यालय लालू जी ने बनाया था। वह फ्लाप हो गया। गरीब रथ आपने बढ़ा दिये वह ठीक है लेकिन उसका प्रबंधन और संचालन ठीक तरीके से होना चाहिए। इस ओर माननीय मंत्री जी को विशेष ध्यान देना होगा। ट्रेनों में आये दिन देखा गया है कि आतंकी हमले हो रहे हैं। हम जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि आतंकी हमला हुआ है। देश के कोने-कोने से जो भी रेल यात्री यात्रा करते हैं, उनको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाना रेलवे की जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन रेल यात्रियों का बीमा भी किया जाना चाहिए ताकि अगर कोई बात होती है तो कम से कम उनके परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। यह व्यवस्था हमें करनी होगी।

अब मैं अपने क्षेत्र की दो चार बातें कहकर समाप्त करूंगा क्योंकि आपने मुझे विशेष परिस्थितियों में बोलने का मौका दिया। मेरा क्षेत्र इलाहाबाद, कौशाम्बी तथा फतेहपुर, तीन जिलों में बसा है। एक राष्ट्रीय सम विकास योजना से चार करोड़ रुपये हमने दिये हैं। राज्य सरकार भी दे रही है, लेकिन आपका विभाग बनने के लिए अनुमति नहीं दे रहा है जबकि इस पर कई फाटक हैं- मनौरी है, सिराधू है, भरवारी है, खागा है जो जीटी रोड से मिला हुआ फाटक है। वहां पर अगर यह स्थिति न बनी तो मेरे ख्याल से देश के विकास की परिकल्पना और रेलवे के विस्तार और विकास की परिकल्पना जो हम सोच रहे हैं, वह नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अच्छी-अच्छी ट्रेनों का इन स्टेशनों पर ठहराव हो चूंकि धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से वह क्षेत्र काफी विकसित है। देश भर से लोग लखनऊ और इलाहाबाद जाते हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का हृदय प्रदेश है। तमाम मुख्यालय के बड़े-बड़े आफिस वहां पर हैं। आठ घंटे में ट्रेन वहां पहुंचती है। आज ट्रेन से यात्रा करना कोई पसंद नहीं करा। इसलिए वहां दोहरा ट्रैक होना चाहिए और इलैक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। तब जाकर ढाई-तीन घंटे में वह 200 किलोमीटर की दूरी पूरी हो सकती है। हम गाजियाबाद से दिल्ली आते हैं। एक डेढ़ घंटा उसमें लगता है जबकि मात्र 15 मिनट और आधे घंटे का सफर है। आज आपको देखना पड़ेगा कि हम सदन की कार्यवाही में भाग लेने के लिए दिल्ली आते हैं तो कभी-कभी हम देर से पहुंचते हैं। इस व्यवस्था को भी देखना होगा। माल ढुलाई के बारे में बहुत ढिंढोरा इस बजट में पीटा गया है। कल ही मैं आई.बी.एन.-7 टीवी चैनल देख रहा था। हम जो माल पहले डेढ़ लाख रुपए में भिजवाते थे, माल ढुलाई का देते थे, वह चार्ज अब ढाई लाख देना पड़ेगा। आपने क्या सहुलियत दी? ये तमाम सारी बातें हैं, इस पर आप विशेष गौर करें और विशेष तौर पर ध्यान दें, तभी हम देश में जो रेल के विस्तार और विकास की परिकल्पना सोच रहे हैं, वह पूरी हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी** (नलगौंडा): महोदय, शुरू में रेलवे बजट बहुत अच्छा प्रतीत होता है। कारण यह है कि लोगों को प्रत्येक बजट में किराए में बढ़ोत्तरी की आशा रहती है लेकिन इसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई। दूसरी ओर, इसमें मामूली कमी भी की गई है, जो कि अच्छी बात है। तथापि, मुझे ए.सी. के किराए में कमी का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। यह कहा गया है कि एसी के किराए में कमी विमान सेवा के यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अनिवार्य थी, लेकिन ट्रेनों के आवागमन के समय को कम करके और अधिक सुविधाएं प्रदान करके यात्रियों को आकर्षित करना संभव है।

बजट में आंध्र प्रदेश के लिए किए गए आवंटन से मैं खुश नहीं हूं। आंध्र प्रदेश में यह भावना व्यक्त की गई है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है। यह दूसरा वर्ष है जब आंध्र प्रदेश के सांसदों ने अपना रोष और असंतुष्टि प्रकट की। मैं समझता हूं कि रेल मंत्री जी के लिए सभी मांगों के लिए एक ही समय में आवंटन करना संभव नहीं है, लेकिन यह चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में अनेक लम्बित परियोजनाएं हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत परियोजनाओं को भी न्यूनतम आवंटन मिला है। नलगौंडा, जो कि एक पिछड़ा जिला है, के लिए परियोजनाओं को अधिक धन आवंटित किए जाने की संभावना है। इससे इस क्षेत्र को देश के अनेक भागों से जोड़ने में मदद मिलेगी।

काजीपेट में डिब्बे बनाने वाले कारखाने की मांग पिछले 15 वर्षों से की जा रही है। मैं रेल मंत्री जी से संशोधित बजट में इस प्रस्ताव पर विचार करने का निवेदन करता हूं। बिहार एक पिछड़ा राज्य है, और बिहार में उद्योग पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन रेल बजट में पिछले वर्ष और इस वर्ष भी बिहार में रेल उद्योगों के लिए प्रस्ताव किए गए हैं। इससे रेल मंत्री की अच्छी छवि नहीं बनेगी। उन्हें क्षेत्रीय भावनाओं से ऊपर होना चाहिए और यह उनके आवंटनों में झलकना चाहिए।

मैं हैदराबाद-नई दिल्ली के बीच प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस का भी प्रस्ताव करता हूं। आवागमन समय में भी काफी कमी की जानी चाहिए। आंध्र प्रदेश को एक ट्रेन के सिवाय कोई नई ट्रेन नहीं मिली है। भीड़ को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेलगाड़ियां चलाई जानी चाहिएं। मैं नलगौंडा में बीबीनगर में एक आर.ओ.बी. और हैदराबाद सिटी में चेंचलगुडा में रेलवे अंडर ब्रिज के दोहरीकरण का प्रस्ताव करता हूं। जिसके कारण शहर के लोगों को काफी मुश्किलें हो रही हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के विभिन्न भागों में पुराने पुलों, जो कि लगभग 100 वर्ष पहले बने थे, की मरम्मत के लिए अधिक धन आवंटित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह ललन (बेगूसराय): महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे 2007-08 के रेल बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। सन् 2007-08 का जब रेल बजट रेल मंत्री जी ने पेश किया तो जिन लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई, उन्होंने अपनी पीठ भी खुद थपथपाई और अपनी ही खुद प्रशंसा करते हुए वे नजर आए कि उन्होंने रेलवे को बीस हजार करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। मुझे लगता है कि यह बहुत ही इंटेलीजेंस ढंग से पेश किया गया तथ्य है, क्योंकि इसमें लालू जी वैसे भी माहिर हैं, उसी कला में वे रहे हैं।

महोदय, मैं आपको बताऊं कि जो बीस हजार करोड़ रुपए के फायदे की बात बता रहे हैं और बैटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, वह वास्तव में सही नहीं है। इन्होंने जो बीस हजार करोड़ रुपए का फीगर दिखाया है, उसमें जो डेप्रीसिएशन और डिविडेंड है, उसे भी इन्क्लुड किया हुआ है। उसे अगर हटा दिया जो तो आठ हजार करोड़ रुपए सीधे तौर पर बाहर निकल जाते हैं। इन सब को जोड़ कर, अपना वह एक फीगर बना कर बता रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने भी जनरल बजट पेश किया है, हम उनसे कहेंगे कि अगले साल से वित्त मंत्री जी भी रेल मंत्री जी से कुछ सलाह लें, वैसे ही आंकड़ों को घुमा-फिरा कर पेश करने का काम करें। हम चाहेंगे कि जब रेल मंत्री जी जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें कि डिविडेंड और डेप्रीसिएशन, जो आठ हजार करोड़ रुपए का है और जो बीस हजार करोड़ रुपए के फायदे की बात बता रहे हैं, वह उसमें एक्सक्लुडेड है या इन्क्लुडेड है। आपरेटिंग रेश्यो की बात कही गई, 2005-06 में आपरेटिंग रेश्यो को घटाने के लिए पूरे एकाउंटिंग सिस्टम को ही चैंज कर दिया, उसे चेंज करके उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को और जो केपिटल एक्सपेंडीचर है, उस सारे को उसमें डाल कर छोड़ दिया, उसमें उन्होंने उसे रिफ्लैक्ट नहीं किया। इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री जी, जब आप जवाब दें तो देश की जनता को बताएं कि जो आपरेटिंग रेश्यो है, उसके एकाउंटिंग सिस्टम को चैंज करके आपने आपरेटिंग सिस्टम को घटा हुआ दिखाया है। लालू जी ने खुद बजट एस्टीमेट

में कहा ता कि 90.8 प्रतिशत आपरेटिंग रेश्यो होगा और अब उसे घटा कर दिखा रहे हैं। एकाउंटिंग सिस्टम को चैंज करके दिखा रहे हैं कि 83.2 प्रतिशत होगा। यह कौन सी कलाकारी है? पूरे रेलवे की आमदनी का जो स्रोत है, पैसेंजर्स से रेलवे को आमदनी नहीं होती, पैसेंजर सोशल आब्लीगेशन है और इसके तहत रेलवे करती है, लेकिन रेलवे को जो सबसे बड़ी आमदनी होती है, वह माल ढुलाई से होती है। लालू जी कह रहे हैं कि हम जब से रेल मंत्री बने तब से इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोडिंग की फीगर्स सन् 2001 में 492.50 मीट्रिक टन, 2002-03 में 518.70 मीट्रिक टन, 2003-04 में 557.40 मीट्रिक टन, 2004-05 में 602.80 मीट्रिक टन और 2005-06 में 667.40 मीट्रिक टन थी।

महोदय, वर्ष 2006-07 में 726 मीट्रिक टन माल ढोया जाना एस्टीमेटेड है। यह फ्रेट लोडिंग का काम तो वर्ष 2001 से बढ़ रहा है और यह इसलिए बढ़ रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो सरकार थी, जिसके श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रधान मंत्री थे और जिसमें नीतीश कुमार जी, रेल मंत्री थे, उसने 17 हजार करोड़ रुपए से एक रेलवे सेफ्टी फंड बनाया था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइए। आपकी पार्टी के मंत्री जी हैं। वे स्वयं जवाब देंगे।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': अब जब असलियत सामने आ रही है, तो क्या आप इस प्रकार से रनिंग कमेंट्री करेंगे? रेलवे सेफ्टी फंड के 17 हजार करोड़ रुपए में से 12 हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट आफ इंडिया की ग्रांट थी और 5 हजार करोड़ रुपए रेलवे का शेयर था। इस धन से लगभग 17 हजार रेलवे ट्रैक का रिनुअल होना था, 3 हजार ब्रिजेज को री-बिल्ट करना था और 950 रेलवे स्टेशनों का सिगनलिंग करना था। इसके साथ-साथ रौलिंग स्टाक का रिप्लेसमेंट भी होना था। ये सारे आइटम उसके अंदर थे जिनको हमें करना था। वर्ष 2003-04 तक एन.डी.ए. की सरकार रही, तब तक इस फंड से 60 प्रतिशत खर्च हुआ और 55 प्रतिशत तक उसका फिजीकल एचीवमेंट हुआ। वर्ष 2004 में इन्होंने बजट में दर्शाया कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए बचे। जो 60 प्रतिशत खर्च हुआ, वह एन.डी.ए. की सरकार के समय में हुआ जिसके कारण 'ए' और 'बी' श्रेणी के टैक्स का रिनुअल हुआ। उन ट्रैक्स पर रेल मंत्री जी ओवर लोडिंग कर माल ढुलाई कर रहे हैं। जिस बोगी की कैपेसिटी 62 टन है, उसकी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाकर 70 टन कर दी है। इस प्रकार से 12 प्रतिशत ओवर

[श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन']

लोडिंग की जा रही है। आज वे ओवर लोडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर लोडिंग का बुरा प्रभाव दो-तीन वर्ष के बाद दिखेगा जब प्रति दिन रेल ट्रैक पर दुर्घटनाएं होंगी। अब पता नहीं आने वाले समय में श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री रहेंगे या नहीं। हम तो चाहते हैं और भगवान करे कि श्री लालू प्रसाद जी ही सदैव रेल मंत्री बने रहें। उन ट्रैक्स के ऊपर जो आज ओवर लोडिंग की जा रही है उसके परिणाम मंत्री जी को दो साल बाद भुगतने पड़ेंगे। दो साल के बाद पता चलेगा जब प्रति दिन एक्सीडेंट होंगे।

महोदय, मंत्री जी ने रेलवे को दुधारू गाय समझकर उसे दुहने की कोशिश शुरू कर दी और उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखा। यदि ऐसा चलेगा, तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गाय दूध नहीं देगी और बीमार पड़ जाएगी। एक्सल लोड की बात इस सदन में आई और अब हम फ्रेट अर्निंग की बात कर रहे हैं। आपने यह कैसे किया, वह भी मैं बताना चाहता हूं। मालभाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मालभाड़े का जो क्लासीफिकेशन है, उसका जो वर्गीकरण है, उसे ही आपने बदल दिया है। आयरन ओर और जो लाइम स्टोन जैसे इम्पोर्टेंट मटीरियल हैं, उनका क्लासीफिकेशन चेंज कर दिया है जिसके कारण देश भर में स्टील की कीमतें बढ़ रही हैं। इसी प्रकार जो फूडग्रेन 120 के रेट में था उसे आपने 170 तक पहुंचाया। इस प्रकार उसमें 30 प्रतिशत इन्क्रीज हुआ। उसे अब आपने इस वर्ष के बजट में 160 कर दिया और इस प्रकार 30 प्रतिशत से घटाकर 24 प्रतिशत कर दिया है। ऐसा करके आप वाहवाही लूट रहे हैं। आपने बजट के दौरान कहा था कि फूड ग्रेन्स में 24 परसेंट की वृद्धि हुई है जिसके कारण इनके दाम आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

आपने महिलाओं को सुविधा देने की बात कही है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं को बहुत सुविधा दी है, लेकिन यदि कोई महिला रिजर्वेशन में लोअर बर्थ मांगेगी तो उसे 20 रुपये अतिरिक्त देना होगा। इसका मतलब 20 दूना 40 रुपये आने जाने के एक रूट के लिए देने होंगे।

महोदय, पैसेंजर सर्विसिज के बारे में मंत्री जी कह रहे हैं कि 20 हजार करोड़ रुपये यदि रेलवे की कमाई हुई है तो उसमें से 493 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। आपने ट्रैक रिनिवल के लिए मात्र 1580 करोड़ रुपये का प्रावधान रेल बजट में किया है। इस सब से देश की जनता और इस सदन की आंखों में धूल झोंकने का काम आपने किया है। मैं चाहूंगा कि जब रेल मंत्री जी अपना जवाब दें तो सही बात और तथ्य इस देश के सामने रखें।

[अनुवाद]

***श्री पन्नियन रवीन्द्रन** (तिरूवनन्तपुरम): महोदय, हम इस वर्ष रेलवे बजट की प्रकृति में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं। पहले, हम रेलवे बजट की पूर्ण संध्या पर यात्री किराए में वृद्धि की आशा कर रहे थे। इस बार, न केवल किरायों में वृद्धि नहीं हुई बल्कि कुछ मामलों में किरायों में न्यूनतम कमी भी की गई। हमें प्रसन्नता है आपने केरल के लिए उदारता दिखायी लेकिन हमारी आवश्यकताएं कुछ अधिक हैं और हमें आशा है कि आप हमारी आशाएं पूरी करेंगे।

एर्नाकुलम-तिरूवनन्तपुरम मार्ग दोहरीकरण और विद्युतीकरण लगभग पूरा होने को है। इसी तरह, आपने कन्याकुमारी-तिरूवनन्तपुरम मार्ग के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह एक अच्छा कदम है। लेकिन आपने शोरनपुर-मंगलापुरम मार्ग के विद्युतीकरण के बारे में उल्लेख नहीं किया है। अभी इस मार्ग पर दोहरीकरण का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। 304 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 12 किलोमीटर मार्ग का कार्य अधूरा पड़ा है। कृपया इसे देखें ताकि इसे शीघ्र ही पूरा किया जा सके। इस मार्ग पर और अन्यत्र उपरिपुलों का कार्य केवल आंशिक रूप से पूरा हुआ है। कृपया आगामी वर्ष में इन लंबित कार्यों का पूरा कीजिए।

इसी तरह, अब लालू जी तिरूवनन्तपुरम आए, उन्होंने रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के बारे में उल्लेख किया। कृपया उस वायदे को पूरा करें। कुछ धनराशि कोचुवेली टर्मिनल के लिए भी निर्धारित की जानी चाहिए। आपने चेरतला के लिए रेल डिब्बा कारखाने की घोषणा की है। यह मांग भी काफी समय से लम्बित है, और इसे स्वीकृति देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। नमेम में कोच रिपेयरिंग इकाई शुरू करने पर भी आप सहमत हो गए हैं। इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान में केरल में ईएमयू ट्रेनें नहीं चल रही हैं। यदि केरल में ई एम यू ट्रेनें शुरू होती हैं तो वहां की यात्रा की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। यदि ई.एम.यू ट्रेनें चलायी जाती हैं तो वर्तमान ट्रेनों का उन्नयन करके उन्हें सुपर फास्ट ट्रेन बनाया जा सकता है और तब केरल में एक ईएमयू कार्यशाला भी स्थापित की जा सकती है। अभी केवल इरोड में ही मरम्मत सुविधाएं हैं। इसी तरह, महोदय, आपने गरीब रथ का वादा किया था। आपने केरल में घोषणा की थी कि गरीब रथ दिल्ली से तिरूवनन्तपुरम तक चलेगा। यह बहुत अच्छा वादा था क्योंकि हमारे अधिकांश दक्षिणी राज्यों को राजधानी से जोड़े जाने की आवश्यकता है।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

लेकिन, अब आपने मुम्बई के लिए गरीब रथ स्वीकृत किया है। हमें दिल्ली के लिए भी एक गरीब रथ चाहिए। क्योंकि केरल से दिल्ली के लिए यात्रियों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। इसी तरह, नई दिल्ली से तिरूवनन्तपुरम तक चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए। एर्नाकुलम से बंगलौर के लिए यात्रियों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। हमें संपूर्ण एसी कुर्सीयान वाली दिन की ट्रेन की आवश्यकता है। तिरूवनन्तपुरम-एर्नाकुलम जनशताब्दी एक्सप्रेस को शोरनपुर तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह केवल यात्रियों के लिए ही सहायक नहीं होगा, अपितु रेलवे के लिए भी लाभदायक होगा।

विशिंगम बंदरगाह, वल्लारपडम और एल एम जी टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा होने और उनके कार्य शुरू करने से केरल की सूरत बदल जाएगी। माल परिवहन के लिए हमें अधिक सुविधाओं की आवश्यकता होगी। अभी के प्रस्ताव के अनुरूप हमने मालभाड़ा गलियारे की मांग नहीं की। लेकिन माल आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, हमें शोरनपुर से एर्नाकुलम तक एक अतिरिक्त लाइन की आवश्यकता है और आगे भी इसका विस्तार होना चाहिए। केवल तभी केरल में माल परिवहन की समस्या हल की जा सकती है।

अगले दस वर्षों में, केरल सभी मोर्चों पर विकास करेगा। रेलवे को हमारे इस प्रयास में मदद करनी चाहिए। अभी भी शोरनपुर-एर्नाकुलम मार्ग पर 160 प्रतिशत माल वहन किया जा रहा है। इसी तरह हमने एक अतिरिक्त जोन की मांग की है। पहले, हमें बताया गया था कि किसी भी अतिरिक्त जोन पर विचार नहीं किया जा सकता। अब आपने अपना रूख बदल लया है। एक नया मंडल बनाया गया है। हमें नये मंडल बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब नया सेलम मंडल बना तो केवल पालघाट के हिस्से छांटे गए। और अन्य किसी मंडल को छुआ नहीं गया है या उसमें बदलाव नहीं लिया गया है। चेन्नई, मदुरै, त्रिची, बंगलौर को छुए बिना आपने केवल पालघाट के भागों को छांटा है। यह बहुत आपत्तिजनक है और यहां तक कि प्रधानमंत्री और लालू जी पालघाट मंडल में बदलाव किये जाने से संबंधित हमारी आपत्ति से अवगत हैं। अत: कृपया इस पर पुनर्विचार करें। इसी तरह, तिरूवनन्तपुरम, पालघाट और गोवा और सेलम के हिस्सों सहित सभी स्थानों को एक जोन में शामिल किया जाना चाहिए। इससे चारों दक्षिण राज्यों की एकता बढ़ेगी और यह गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को मजबूत रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ऐसा जोन शेष भारत के लिए एक माडल होगा।

मैं रेलवे में रोजगार क्षमता के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। इसे हमारे युवाओं को अधिकतम संभव रोजगार अवसर प्रदान करने चाहिएं। अत: आपको हमारे मानव संसाधनों का भारतीय रेलवे के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि आप इसका अधिकांश कर सके तो लालू जी आपको एक आदर्श रेल मंत्री के रूप में याद किया जाएगा और वेलुजी को एक योग्य मंत्री के रूप में। मैं रेलवे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

रेल बजट के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है विशेषकर यात्री किराए एवं मालभाड़े में वृद्धि न किए जाने के बारे में। मेरे वरिष्ठ सहयोगियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बजट में दिए गए विवरण गुमराह करने वाले हैं। सर्वप्रथम, उर्वरक सहित वर्गीकरण बदल दिए गए हैं। सभी प्रमुख यात्री गाड़ियों को एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है जिसके माध्यम से वे एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया वसूल कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं किंतु वे यह कह रहे हैं कि उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, नियमित आरक्षण को तत्काल आरक्षण का रूप दे दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने शुल्क को 50 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है।

गत वर्ष भी उन्होंने बजट में यह दावा किया था कि हमने किराए में वृद्धि नहीं की है। किंतु भारतीय रेल की कथित दूरदर्शी प्रणाली में, इसके पूर्व दूर की यात्रा के संदर्भ में वे सीधे टिकट दिया करते थे। अब उन्होंने लोगों को ठहरकर यात्रा (ब्रेक जर्नी) किए जाने के लिए टिकट लेने को मजबूर कर दिया है परिणामस्वरूप 100-150 रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। बजट में इसका उल्लेख किए बिना तथा बाद में इस पर चर्चा किए बिना आपने ऐसा किया है और आधे वर्ष बाद उसे पुन: लागू कर दिया गया है।

बजट में इसका उल्लेख किए बिना उन्होंने आगे कहा है कि उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए अर्जित किये हैं। यहां मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह राशि अवक्षयण के पहले की राशि है अथवा उसके बाद की राशि। इसका उल्लेख सदन में किया जाना चाहिए ताकि देशवासियों को स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

कल उस ओर से हमारे बहुत सारे सहयोगियों द्वारा यह कहा गया था कि राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कल आंध्र प्रदेश विधान सभा-जहां कांग्रेस की सरकार है ने एकमत से कहा है कि आंध्र प्रदेश को भी नजरअंदाज

[श्री प्रहलाद जोशी]

किया गया है। इसी प्रकार कर्नाटक की भी उपेक्षा की गई है। मैं समय की कमी के कारण उन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

अब मैं अपने राज्य कर्नाटक के बारे में बात करूंगा। कर्नाटक का अधिकांश हिस्सा दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है जिसका गठन हाल ही में किया गया है। इसका कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा है; इसने 640 करोड़ रुपए राजस्व अर्जित किया है और लाभ कमाया है।

उस लाभ में से केवल 300 करोड़ रुपए की राशि राज्य को दी गई है। कर्नाटक की 21 परियोजनाओं, जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, की तुलना में उन्हें केवल 300 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। यदि यही गति रही तो चल रही सभी परियोजनाओं को पूरा करने में कम-से-कम और 10-12 वर्ष का समय लगेगा। दक्षिण-पश्चिम रेलवे, जिसे 2003 में बनाया गया था, ने नए जोन के गठन के दो से तीन वर्षों की अवधि में ही अपना कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा दर्शाया है किंतु बढ़िया कार्यनिष्पादन के बावजूद हुबली में इसके मुख्यालय के उन्नयन, जिसमें करीब 4.5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, के लिए इस बजट में केवल 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

हुबली-अंकोला जो स्व. प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की परिकल्पित परियोजना थी, जिन्होंने 'सी बर्ड प्रोजेक्ट' का शुभारंभ किया था जो कि इस देश का सबसे आदर्श नौसैनिक अड्डा है तथा पश्चभूमि से पश्चिमी तट के बीच संयोजक है, पर्यावरण मंत्रालय में पिछले 16-17 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। लगातार अनुरोध किए जोन के बाद भी पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): मैंने सम्माननीय सभा को सूचित कर दिया था कि राज्य सरकार से भी स्वीकृति अभी लंबित है। बाद में उन्होंने कहा था कि पुनः यह उच्चतम न्यायालय में लंबित है क्योंकि अधिकार प्राप्त समिति को इसकी जांच करनी थी। हमने पहले ही लगभग 61 करोड़ रुपए खर्च कर दिये हैं। *...(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनिए। हम भी समझते हैं कि यह एक परिकल्पित परियोजना है तथा बंदरगाह के विकास के कारण यह परियोजना बहुत ही लाभकारी बनने जा रही है।

श्री प्रहलाद जोशी: कइगा भी वहां है।

श्री आर. वेलु: रुकावट केवल वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण है।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अधिकार प्राप्त समिति से निकलने के पश्चात् यह पर्यावरण मंत्रालय में पड़ी हुई है। दक्षिण-पश्चिम रेलवे एवं रेलवे बोर्ड द्वारा आगे जैसे प्रयास किये जाने अपेक्षित थे, वैसे प्रयास नहीं किये गये है। कल ही, मैं पर्यावरण मंत्रालय गया था। अभी तक मंत्रालय को उचित रूप से यह नहीं बताया गया है कि इसमें क्या किया जाना है। मंत्रालय ने अभी तक सही तरीके से यह नहीं बताया है कि इसमें क्या किया जाना है। दक्षिण-पश्चिम रेलवे द्वारा एक पत्र लिखा गया और फाइल बंद हो गयी। जब मैं वहां गया तो मैंने उनसे कहा कि केवल उच्चतम न्यायालय की अधिकार प्राप्त समिति ने कहा है कि उन्हें क्षेत्रीय वन समुदाय के साथ संयुक्त सर्वेक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए। यह निर्देश उच्चतम न्यायालय का था। किंतु पर्यावरण मंत्रालय ने इस निर्देश को उचित रूप में नहीं समझा है। रेल मंत्रालय को उन्हें शिक्षित करना चाहिए क्योंकि अन्ततोगत्वा यह रेल मंत्रालय से छोटा है न कि बड़ा। महोदय, ऐसा नहीं किया गया है। केवल 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए है। आपने कहा है कि 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं किंतु यह परियोजना लगभग 1100 करोड़ रुपए की है। यदि प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं तो यह कब पूरी हो जाएगी कृपया आप स्वयं अनुमान लगाएं।

हुबली-अंकोला के अतिरिक्त, हरिहर-कोतूर जैसे कर्नाटक की अन्य आमान परिवर्तन के कार्य की चर्चा नहीं की गई है। मेरे पास एक प्रस्ताव है जिसे मैं सभा के पटल पर रखूंगा। जहां तक हुबली रेलवे स्टेशन के उन्नयन का संबंध है, रेल मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान हुबली रेलवे स्टेशन जो दक्षिण-पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, के विस्तार के लिए जगह नहीं है। हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था कि रेलवे को 100 एकड़ भूमि निःशुल्क दे दी जाए। किंतु रेल परियोजना को पूरा करने के लिए बजटीय आबंटन काफी कम है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, केवल 50 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं जबकि यह लगभग 11 करोड़ रुपए वाली परियोजना है। इसी प्रकार यद्यपि, गडग एवं धारवाड़ जिला मुख्यालय है, किंतु ये स्टेशन जर्जर हालत में हैं और उनका उन्नयन किया जाना चाहिए।

गत तीन वर्षों से जब मैं इस सभा का सदस्य बना, मैं मांग करता रहा हूं कि कोल्हापुर एवं बंगलौर के बीच चलने वाली 6589 रानी चेनम्मा एक्सप्रेस ट्रेन मिराज से कोल्हापुर के बीच रोज खाली ही चलती है। मैं इसके लिए रिकार्ड प्रस्तुत कर सकता हूं। साथ ही, मिराज एवं कोल्हापुर के बीच दो ट्रेनें चलती हैं जो हरिप्रिया एवं रानी चेनम्मा हैं। ये ट्रेनें आधे घंटे के अंतराल पर

अपराह्न 2.00 बजे

चलती हैं। मैंने कई बार अनुरोध किया है कि इन्हें मिराज में समाप्त किया जाए और इसका समय कम कर दिया जाए। रानी चेनम्मा एक्सप्रेस ट्रेन सं. 5689 प्रतिदिन चलती है। यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जो दक्षिण-पश्चिम रेल मुख्यालय को कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से जोड़ती है। किंतु यह प्रतिदिन विलंब से चलती है। मैंने इस संबंध में कई पत्र, अभ्यावेदन भेजे हैं, दिये है और कई बार अनुरोध किया है। करीब तीन से चार बार मैंने इस मामले को इस सभा में भी उठाया है किंतु इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। यदि इसे इस बार भी नहीं किया जाता है तो निःसंदेह लोग भड़क जाएंगे। इस ट्रेन को प्रतिदिन 10.30 बजे चलाना चाहिए किंतु इसे हुबली, जो कर्नाटक का प्रमुख शहर है, से अर्ध रात्रि को 12 बजे चलाया जाता है।

अंत में, हमने निम्नांकित नई ट्रेनों को चलाने की मांग की थी: हुबली से मुम्बई, हुबली से बंगलौर एवं हुबली से वाराणसी। किंतु इन सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। संपूर्ण कर्नाटक राज्य की उपेक्षा की गई है। एक बार पुनः, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया देखें कि कर्नाटक के लिए भी भारतीय रेल के मानचित्र में कुछ जगह हो। महोदय, मैं अपने भाषण के शेष भाग को सभा पटल पर रख दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

***श्री प्रहलाद जोशी:** महोदय, प्रारंभ में मैं कहना चाहूंगा कि श्री लालू द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2007 में गत वर्ष के रेल बजट की तुलना में एक और भिन्नता है। गत वर्ष, वह चाहते थे कि रेलवे विमान सेवा के साथ प्रतिस्पर्धा करे किंतु वास्तव में ट्रेन में लगे पहिए के कारण यह पटरी पर ही चलती है। परंतु इस बार ऐसा लगता है कि उन्होंने रेलवे को आकाश में उड़ा दिया है किंतु यह केवल हवाई किला बनाने के लिए किया गया है।

मेरे अनुसार इस रेलवे बजट के दो भाग हैं। एक भाग यह है कि इसमें संपूर्ण देश के लिए क्या है और दूसरे, परन्तु समान रूप से महत्वपूर्ण भाग यह है कि इसमें मेरे राज्य अर्थात् कर्नाटक और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र हेतु क्या है।

सबसे पहले मैं इसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण अर्थात् संपूर्ण भारतीय रेलवे के बजटीय सहयोग और इसके समेकित विकास के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूंगा।

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

अवसंरचना विकास

आजादी के 60 वर्ष बाद भी यदि हम बिछाई गई नई लाइनों के संदर्भ में रेलवे द्वारा निर्मित अवसंरचना को देखें तो रेलवे का निष्पादन निराशाजनक है। यह 1950 के आंकड़ों से स्पष्ट होता है, जब रेलवे लाइन की कुल लंबाई 53,596 किमी थी। इसका अर्थ है 60 वर्षों में हम लगभग 9,736 किमी लंबी रेलवे लाइने ही बिछा सके हैं। इसका अर्थ है कि ब्रिटिश सरकार 89 वर्षों में और 54,000 कि.मी. लाइनों का निर्माण कर सकती थी और हम 60 वर्षों में केवल 9000 कि.मी. ही जोड़ पाए हैं। मैं इन आंकड़ों और पहलुओं के बारे में सदन को इसलिए बता रहा हूं कि किस प्रकार सत्ता में आई अनुवर्ती सरकारों ने विशेषकर कांग्रेस की सरकारों ने जोकि 50 वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रही है ने रेलवे की अवसंरचना के विकास की अवहेलना की है।

श्री लालू जो वस्तुतः कांग्रेस के प्रभाव में रहते हैं, रेलवे विकास के कांग्रेसीकरण के इस मार्ग से खुद को कभी अलग नहीं कर सके। यह इस बजट में पुनः स्पष्ट होता है। कुल मिलाकर लगभग 500 कि.मी. लंबी नई लाइनों हेतु प्रस्ताव है। वर्ष 2005-06 के दौरान निर्मित केवल 186 कि.मी. लंबी नई लाइनों के निर्माण की ओर देखिए। यहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर नई लाइनों के निर्माण के प्रति रेलवे का रवैया इतना लापरवाहीपूर्ण क्यों है।

इन वर्षों के दौरान भारतीय रेलवे ने इस महत्वपूर्ण अवसंरचना की अवहेलना कैसे की? मेरे राज्य कर्नाटक में, हुबली-अंकोला नई बड़ी लाईन परियोजना 80 वर्ष पुरानी है। यह दूर-दराज क्षेत्रों को पश्चिमी तटीय लाइन से जोड़ती है। इसकी महत्ता रणनीतिक नौसेना बेस अर्थात् करतार में निर्मित किए जा रहे 'सी बर्ड' के संदर्भ में और बढ़ जाती है। दिवंगत राजीव गांधी का एक स्वप्न होने के कारण पूरी हो जाने पर यह परियोजना संपूर्ण उत्तर कर्नाटक जिसे सबसे पिछड़ा माना जाता है, के लिए विकास के द्वार खोल देगी। इससे पूर्वी तट से पश्चिमी तट के लिए माल विशेषकर भारी भरकम मैंगनीज अयस्क की सुगम और समन्वित आवाजाही का भी मार्ग खुलेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 168 कि.मी. है और परियोजना लागत लगभग 997 करोड़ रुपये है और वह भी कर्नाटक राज्य के साथ लागत भागीदारी पर आधारित है। परन्तु फिर भी यह परियोजना खटाई में पड़ी है।

क्या विमान यात्रा के साथ प्रतिस्पर्धा सही मुद्दा है? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर रेलवे को विमान यात्रा से प्रतिस्पर्धा करने की क्या जरूरत है जबकि यह पहियों पर चल रही है। पिछले वर्ष भी श्री लालू ने वातानुकूलित श्रेणी के यात्रियों हेतु सुविधाओं की घोषणा की थी। इस वर्ष के बजट में विशेषकर इस कारण से हुए लाभों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। रेल भाड़ा

[श्री प्रहलाद जोशी]

कटौती तुलनात्मक दृष्टि से कम है और इससे विमान यात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण पर विचार कीजिए, एक छूट आधारित दिल्ली-बंगलौर विमान यात्रा लगभग 3000 रुपये की है जबकि घटी दर पर रेल किराया 4100 रुपये है। दर स्पष्ट है और इसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक के लिए रेल बजट

जहां तक कर्नाटक का संबंध है, एक बार फिर लालू जी ने हमारे लोगों को गहरे कुंए में धकेल दिया है। एक पुरानी कहावत यहां अधिक चरितार्थ होती है कि मेरे राज्य के साथ 'सौतेला व्यवहार' किया गया है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां रेलवे विकास के संबंध में लोगों की उम्मीदें काफी अधिक हैं, परन्तु सब कुछ धूल में मिल गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है को श्रेष्ठतम जोन माना जाता है। इस जोन ने लगभग 2,240 करोड़ की आय और 1600 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 639 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। जबकि इसकी सभी चालू परियोजनाओं के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता के मुकाबले इसे केवल 325 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

चालू परियोजनाओं हेतु बजटीय आवंटन

बंगलौर-तालगुप्पा और कोलार-चिक्कबल्लापुर आमान परिवर्तन कार्य के अतिरिक्त शेष सभी कार्यों हेतु केवल थोड़ी सी राशि धोखा मात्र के लिए आवंटित की गई है। हुबली-अंकोला लाईन के लिए केवल 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कर्नाटक में चल रही परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से पूरा करने के संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। कर्नाटक में चल रही सभी 21 परियोजनाओं के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता के मुकाबले केवल 325 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यदि आवंटन इसी प्रकार किए जायेगे तो हमें इन परियोजनाओं को पूरा करने में और 10 वर्ष लगेंगे। इसलिए, मैं रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे पर्याप्त निधियां निर्धारित करें और इन सभी परियोजनाओं को न्यूनतम संभव अवधि में पूरा करने के लिए एक समय सारणी तैयार करें।

हुबली स्टेशन का उन्नयन

दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय होने के कारण हुबली रेलवे स्टेशन का 4.10 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन और सुधार किया जाना है। परन्तु, इस वर्ष केवल 50 लाख रुपये ही निर्धारित किए गए हैं, जोकि अवहेलना का स्पष्ट मामला है। इसके लिए पूर्ण निधियां जारी की जानी चाहिए और यह कार्य इस वर्ष पूरा किया जाना चाहिए।

कार्यशाला आधुनिकीकरण

हुबली कार्यशाला देश की सबसे पुरानी कार्यशालाओं में से एक है, तथा इसके समन्वित आधुनिकीकरण हेतु 195 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। परन्तु दुर्भाग्यवश बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। सामान्यतः कर्नाटक के लोगों और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की अधिकांश मांगों को दरकिनार कर दिया गया है। ये निम्नानुसार हैं:

(1) हुबली से मुम्बई के लिए नई रेलगाड़ी

(2) हुबली से बंगलौर के लिए नई रात्रि रेलगाड़ी

(3) हुबली-वाराणसी से नई रेलगाड़ी

रेल मंत्री से आग्रह है कि इन गाड़ियों का प्रावधान करें।

मैं यह जानकर प्रसन्न हूं कि हुबली-हेवसुर और धारवाड-कुम्भारभावी लाइनों को दोहरा करने का एक प्रस्ताव है। परन्तु, मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन परियोजनाओं का नाम हुबली-हेवसुर के स्थान पर हुबली-गडग और धारवाड़-कुम्भारभावी के स्थान पर हुबली-लोंडा कर दिया जाए।

बंगलौर-कोलापुर रानीचेनम्मा एक्सप्रैस गाड़ी संख्या 6589 को मिराज स्टेशन पर समाप्त करने की एक मांग की गई थी, ताकि यह अधिक समय अनुरूप चल सके। परन्तु अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मांग को मानने का आग्रह करता हूं। अन्यथा मुझे इस मामले में लोगों के साथ प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।*

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं कई वर्षों से प्रयास कर रही हूं कि हर बार रेल बजट पर बोलकर मैं आपने राज्य की रेल की मांग को सदन के समक्ष रखूं और वहां की कठिनाइयों को उजागर करूं। इसके लिए मैं लालू जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने इस बार जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें निर्धन महिलाएं, पिछड़े वर्ग और किसानों को रियायतें प्रदान की हैं। मैं इसका स्वागत करती हूं और इसे गतिशील एवं विकासोन्मुखी बजट करार देती हूं।

: रेलवे ने जो वैंडर्स कोच की घोषणा की है, मैं इसका भी स्वागत करती हूं। इससे हमारे फल, फूल तथा सब्जी उत्पादकों को बहुत राहत पहुंचेगी तथा पहले की अपेक्षा वे अपना माल बड़े शहरों में सुविधाजनक तरीके से सस्ते दामों पर पहुंचा सकेंगे। इसके लिए उन्हें मैदानी क्षेत्रों के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाली पदों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना से खासकर हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण बर्फीले तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इससे वहां नौकरियों में बैकलाग समाप्त होगा और उस वर्ग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग तथा केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग की लिखित प्रधान परीक्षाओं में भाग लेने के लिए बेरोजगार युवकों को 50 प्रतिशत रियायत देने से पिछड़े क्षेत्रों के पहाड़ी युवकों को विशेष रूप से लाभ होगा तथा उनके परिजनों को बार-बार आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अनारक्षित सैकिंड क्लास के डिब्बों में यात्रा करने वाले लोगों को गद्देदार सीटों तथा प्रत्येक गाड़ी में साधारण श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बों की संख्या में बढ़ोत्तरी से गरीब तथा निचले तबके के यात्रियों के सफर को आरामदेह बनाने के लिए आपने जो कदम उठाए हैं, मैं उसकी भी सराहना करती हूं। इससे पता लगता है कि सरकार कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान की मंशा रखती है। आपके बजट ने इसे जगजाहिर कर दिया है।

सभी मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों में विकलांग यात्रियों के लिए विशेष कोच की व्यवस्था से अपंग तथा असहाय नागरिकों के प्रति सरकार ने जो सोच रखी है, वह भी सराहनीय है और यह साबित करता है कि रेल मंत्रालय रेलवे को केवल व्यापारीकरण की बजाए जनसेवा का माध्यम बनाना चाहती है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं।

रेल के किराए में बढ़ोत्तरी न करते हुए समाज के सभी वर्गों को रियायतें एवं सुविधाएं प्रदान करना वर्तमान सरकार के समाज कल्याण एवं उत्थान के प्रति वचनबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए भी मैं लालू जी को बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

आपने वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए पर्याप्त लोअर बर्थ कोटे का प्रावधान किया जिसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।

इसके अलावा मैं कुछ मुद्दे अपने स्टेट के बारे में बताना चाहती हूं। रेल राज्य मंत्री वेलू जी यहां बैठे हुए हैं। अभी यहां चंद्र कुमार और दूसरे कुछ भाइयों ने पहाड़ी क्षेत्रों की दुख-तकलीफ को जाहिर किया। यह बात सही है कि जब से हमारे देश को आजादी मिली तब से रेलों में कोई विस्तार नहीं हुआ। रेल का जो भी विस्तार किया गया, जैसे अभी कालका-शिमला की बात की गयी, तो वह अभी अंग्रेजों के वक्त बनी थी। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि 60 साल की आजादी के बाद भी हम रेलों में कुछ विस्तार नहीं कर पाये। हम हर बार इस मांग को केन्द्र सरकार के समक्ष रखते हैं परन्तु जब भी बजट पेश होता है, तो हमें निराशा ही हाथ लगती है।

हमारी तीन मुख्य रेल लाइनें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो बंसल साहब भी आपको शिमले के लिए सपोर्ट करेंगे।

श्रीमती प्रतिभा सिंह: आपने इसका जिक्र किया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का जिक्र बजट में किया गया। इसके लिए मैं रेल मंत्री और प्रधान मंत्री जी की बहुत आभारी हूं। जब प्रधान मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था तब एनाउंसमैंट की थी कि जब इसका इकोनामिक सर्वे होगा तब यह काम शुरू कर दिया जायेगा। हमें इस बारे में बहुत आशा और उम्मीद थी क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस बात को लोगों को समक्ष रखा था। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह रेल लाइन 33 किलोमीटर है, जिसकी एस्टीमेट कास्ट 328.14 करोड़ रुपये है। इसको हम अपनी इंडस्ट्रियल बैल्ट से जोड़ते हैं। इसी के साथ बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ का क्षेत्र है। हम केन्द्र सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज की अवधि बढ़ाई जिसकी वजह से कई स्माल इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में सेटअप हुई। इंडस्ट्रीज लगने की वजह से सड़कों पर यातायात बढ़ जाने के कारण काफी विलम्ब होता है। ट्रकों को वहां पहुंचने में काफी दिक्कत होती है। वहां रेल लाइन बनने से हमको काफी सुविधा मिलेगी।

मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद से आग्रह करूंगी कि इस काम को स्पीडअप करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस रेल लाइन के बनने से इनलैंड कंटेनर डिपो अगर बद्दी में सेटअप हो जायेगा, तो उस क्षेत्र की सारी इंडस्ट्रियल बैल्ट को बहुत राहत मिलेगी। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि हमारी स्टेट सरकार एक ऐसा इनलैंड कंटेनर डिपो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लगाने जा रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेल लाइन है इसलिए आप इस पर जरूर गौर करें।

इसी तरह नंगल-डैम तलवाड़ा ब्राडगेज की बात है जिसके बारे में अभी चन्द्र कुमार जी ने कहा। यह भी उस बैल्ट को

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

जोड़ता है। मैं बताना चाहूंगी कि पूरा प्रौजेक्ट 83.74 किलमीटर का हैं, जिस पर फेज-वाइज काम किया जा रहा है। पहली फेज का काम पूरा हो चुका है। यह रेल लाइन 33 किलोमीटर बन कर तैयार हो गयी है जिसमें 105.10 करोड़ रुपये मंत्रालय ने खर्च किये हैं। इसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। अगले फेज में चुरुरू तकराला से अम्ब अनद्वारा जो केवल 11 किलोमीटर है, इसके लिए एडीशनल 270 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं लालू जी से निवेदन करूंगी कि अगर आप हमको यह धनराशि उपलब्ध करायेंगे, तो अच्छा होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि जो भी जमीन इसमें अधिग्रहण होगी, इसमें 13 गांव आते हैं जिसमें से 9 गांव की जमीन अधिग्रहण हो चुकी है और चार गांव शेष रहते हैं। गवर्नमैंट आफ हिमाचल प्रदेश ने यह कहा है कि जो भी गवर्नमैंट जमीन इसमें लगेगी, उसे हम फ्री आफ कास्ट देने के लिए तैयार हैं। मैं रेल मंत्रालय से यह भी आग्रह करूंगी कि जो भी जमीन सरकार की लगेगी, वह आपको फ्री आफ कास्ट मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि इसे आप जल्दी से जल्दी स्पीडअप रकें।

इसके अलावा तीसरी रेल लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए हम बार-बार लालू जी और प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। यह लाइन हिमाचल प्रदेश में जरूर बननी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी कि आप केवल फिगर्स देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कितना खर्च आएगा। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप इसमें केवल एस्टीमेट कास्ट देखते हैं कि इसमें 703.56 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आपको लगता है कि यह धनराशि बहुत ज्यादा है और इस आधार पर इसे हर बार रिजेक्ट कर देते हैं। मैं आश्वासन देना चाहती हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट्स में शामिल करें। यह रेलवे लाइन बनने से इसमें केवल यात्री ही सफर नहीं करेंगे बल्कि हमारे प्रदेश में जो बड़े-बड़े बिजली और सीमेंट के प्रोजेक्ट्स लगने जा रहे हैं, उनके लिए माल का यातायात भी होगा। आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश सेव उत्पादक प्रदेश है और सबसे ज्यादा मात्रा में सेव देश में जाता है। इसके करोड़ों बक्से पूरे देश में जाते हैं, वे रेल के द्वारा भेजे जाएंगे। इस नाते भी अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बेनिफिट होगा। जैसा मैंने पहले बताया है कि जितने बिजली के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उनके लिए माल का यातायात भी रेलों द्वारा होगा और जो सीमेंट के प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी 14.5 मिलियन टन की कैपिसटी है, उसका यातायात भी रेल द्वारा किया जाएगा जिससे हमारे रेल को बहुत मुनाफा होगा। इसके लिए मैं आपसे बार-बार आग्रह करती हूं कि आप इसे केवल इस दृष्टि से न देखें कि इसमें इतना ज्यादा पैसे लगेगा, बल्कि इसका आउटपुट भी रेल को प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी हिमाचल प्रदेश में आकर यह घोषणा की थी और वहां लोगों को आश्वासन दिया था कि अंग्रेजों के जमाने के बाद रेलवे का कोई भी काम हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। जैसा हमारे अरुणाचल प्रदेश से माननीय सदस्य ने कहा, अंग्रेजों के बाद रेलवे का हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं रेल मंत्रालय से इस बारे में बार-बार आग्रह करती रही हूं और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण उम्मीद है कि आप इसे कंसीडर करेंगे। मैंने जो बातें आपके समक्ष रखी हैं, उन पर आप गौर करेंगे और हिमाचल प्रदेश को तवज्जो देंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव ने 26 फरवरी को रेल बजट प्रस्तुत किया था। आंध्र प्रदेश के लोग इस रेल बजट से प्रसन्न नहीं हैं क्योंकि हमें वर्तमान रेल बजट में पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है। 27 फरवरी, 2007 को आंध्र प्रदेश विधान सभा ने एकमत से यह संकल्प पारित किया: जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं:

> "यह सदन इस बात पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करता है कि आंध्र प्रदेश राज्य को नई लाइनों, चालू परियोजनाओं, नई लाइनें प्रारंभ करने इत्यादि के संबंध में बजट में उचित हिस्सा नहीं दिया जाता है। इसलिए यह सदन भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प लेता है कि आंध्र प्रदेश राज्य हेतु विभिन्न परियोजनाओं की पुन: जांच की जाए और पर्याप्त निधियां आबंटित की जाए। यह सदन भारत सरकार से यह अनुरोध करने का भी संकल्प लेता है कि काजीपेट में एक रेल डिब्बा कारखाना और लोकोशैड के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की जाए, जोकि कई दशकों से लंबित है और रेल मंत्रालय द्वारा किए गए वादे के अनुसार वितरगुंटा कंकरीट स्लीपर डिपो और इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट (ईएमयू) डिपो को भी स्वीकृति प्रदान करें।"

यह आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा वहां के सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से स्वीकार किए गए संकल्प का पाठ है। यह आठ करोड़ तेलुगू लोगों की चिन्ता को जाहिर करता है। इसलिए, मैं आशा कर रहा हूं कि इसे सही अर्थ में लिया जाएगा।

मैं एक उदाहरण दूंगा। रेल मंत्रालय ने इस वर्ष 20000 करोड़ रु. और पिछले वर्ष 14,000 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था। वर्ष 2002-03 में मंत्रालय का योजना आवंटन 8000 करोड़ रुपये से अधिक था। इस वर्ष योजना आवंटन 31,000 करोड़ रुपये से

अधिक है। आंध्र प्रदेश राज्य हेतु वर्ष 2003-04 में आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और नई लाइनों हेतु आवंटन 302 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष के बजट अर्थात् वर्ष 2006-07 में आंध्र प्रदेश राज्य हतु आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और नई लाइनों हेतु आवंटन 346 करोड़ रुपये था। यदि आप इस वर्ष का योजना आवंटन देखें, तो यह 31,000 करोड़ रुपये है। परन्तु इस बजट में आंध्र प्रदेश को नई लाइनों, आमान परिवर्तन और लाइनों के दोहरीकरण हेतु केवल 400 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अकेले आंध्र प्रदेश में 20 परियोजनाएं चल रही हैं। इसके लिए 5,400 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। पिछले वर्ष की समाप्ति तक आपने केवल 3,200 करोड़ रुपये दिए थे। आवश्यकता 3200 करोड़ रुपये है और आपने 400 करोड़ रुपये दिए हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने में कितने वर्ष लगेंगे? ये सब परियोजनाएं 1993-94 से शुरू की गई थी, परंतु फिर भी अभी तक इतनी अधिक परियोजनाएं लंबित हैं। आपने हर वर्ष सर्वेक्षणों के लिए आदेश दिए हैं। सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं, परन्तु 40 प्रतिशत से अधिक परियोजनाएं अभी भी रेलवे बोर्ड के पास लंबित है।

मैं आपको उन नई परियोजनाओं का ब्यौरा देता हूं जो सर्वेक्षण के बाद भी रेलवे के पास लंबित हैं-ये हैं भद्राचलम से कोवुरू, कडप्पा से बंगलौर। वाडीकुडी से कलहस्ती के लिए एक नई परियोजना को हाल ही के बजट में राज्य सरकार के 50 प्रतिशत हिस्से के आधार पर सम्मिलित किया गया था; मनोहराबाद से जगीत्याला, जगियाफेटा से विष्णुपुरम, मछलीपट्टनम से रेपाले; डोना कोंडा से ओंगले वाया चीमाकुरती। ये सभी परियोजनाएं 10 वर्षों से लंबित हैं और इनसे 14 प्रतिशत की आय अर्जित होगी।

अब मैं अन्य परियोजनाओं पर आता हूं। कृष्णा कलाबु गुंटूर-तेनाली परियोजना का विद्युतीकरण पांच वर्षों से लंबित है। सिकंदराबाद से द्रोणाचलम का दोहरीकरण; विजयवाड़ा से गुडिया, मछलीपट्टनम से भीमावरम का विद्युतीकरण और भीमावरम से नरसापुर दोहरीकरण; ओंगेले से डोनाकोंडा लाईन कार्य। ये सभी कार्य सर्वेक्षण होने के बाद भी काफी लंबे से लंबित हैं।

महोदय, आंध्र प्रदेश भारत का पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 12 प्रतिशत है। हमारे पास केवल, चार रेलवे मण्डल हैं और हम 4000 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जित करते हैं। आंध्र प्रदेश में अकेले विशाखापट्टनम मण्डल 2300 करोड़ रुपये का योगदान दे रहा है। यहां तक कि यदि आप सिकंदराबाद और विजयवाड़ा मण्डलों को लें तो इसकी आय 4000 करोड़ रुपये से अधिक है, परंतु आबंटन अत्यल्प है। हमारे यहां पिछड़े क्षेत्र हैं। तेलंगाना पिछड़ा क्षेत्र है। रायलसीमा एक पिछड़ा क्षेत्र है। आप चालू परियोजनाओं के लिए आबंटनों को देख सकते हैं। इसलिए यही हमारा क्षोभ है।

माननीय रेल मंत्री ने पिछले वर्ष का रेल बजट प्रस्तुत किया। रेल बजट को प्रस्तुत करने के बाद, दलगत नीति को छोड़ते हुए, सभी सदस्यों ने श्री लालू प्रसाद जी से मुलाकात की। हमने उन्हें पिछले वर्ष भी अभ्यावेदन दिया था। मेरे पास पिछले वर्ष के प्रतिवेदन की प्रति है जो हमने उन्हें पिछले वर्ष दी थी। परन्तु आपने उसे इस वर्ष के बजट में सम्मिलित नहीं किया। आपने इस वर्ष के बजट में 32 नई ट्रेनें चलाई हैं। हमारी आबादी लगभग आठ करोड़ है। परन्तु हमें एक भी ट्रेन नहीं मिली है। आंध्र प्रदेश राज्य से लगभग 40 लोक सभा सदस्य हैं। 40 सदस्यों के सहयोग के बिना यूपीए सरकार दिल्ली में नहीं होती। इसलिए क्या 32 नई ट्रेनों में से आंध्र प्रदेश केवल एक ट्रेन के लिए भी पात्र नहीं है? हम आंध्र प्रदेश के लोगों को क्या बतायेंगे? आपने 24 ट्रेनों को एक्सटेंशन प्रदान किया है, परन्तु यहां केवल एक ट्रेन को एक्सटेंशन दिया है, वो भी विजयवाड़ा से गुंटूर, जो एक पैसेंजर ट्रेन है 30 किलोमीटर के लिए जो आपने इस बजट में सम्मिलित की है। तो क्या आंध्र प्रदेश का हिस्सा यही है? यही वस्तुस्थिति है। मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा। आप अन्य राज्यों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर और निधियां प्रदान कर सकते हैं, लाईन की लंबाई और अन्य आधारों पर। हमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु आंध्र प्रदेश भी एक मुख्य राज्य है। हम राजस्व और अन्य चीजों का योगदान दे रहे हैं।

महोदय, रेल बजट पेश करने के बाद हमने हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की थी। पीसीसी अध्यक्ष, राज्य सभा में संसद के वर्तमान सदस्य ने सीपीआई, सीपीआई(एम), टीआरएस, एनआईएम, टीडीपी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों के साठ संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी। हमने बैठक में भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हमने उन्हें वर्तमान बजट के आंकड़े और ब्यौरे दिए। उन्होंने सभी सदस्यों को यह कहकर आश्वस्त किया कि वह न्याय करेंगे। परन्तु हम अभी भी रेल मंत्रालय से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे द्वारा उनको दिया गया अभ्यावेदन माननीय रेल मंत्री तक पहुंच गया होगा।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने वर्तमान बजट में कहा है कि हम अधिक आय अर्जित कर रहे हैं। यह सही है। परन्तु उन्होंने बजट राशि को माल भाड़े के माध्यम से बढ़ाया है। यहां, मैं यह बताना चाहूंगा कि सभी पटरियां, जो पुरानी पटरियां हैं उन पर

[श्री किन्जरपु येरननायडु]

अधिक भार ढोए जाने की अनुमति देकर वे अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। यह अच्छा है। रेलवे अधिक आय अर्जित कर रही है। परन्तु पटरियां पुरानी हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि 70,000 से अधिक छोटे पुल और पुलिया 100 वर्ष से भी अधिक पुराने है। सुरक्षा सबसे अहम पक्ष है। आप सुरक्षा क्षेत्र हेतु कितनी राशि निर्धारित कर रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पटरियां पुरानी हैं, पुल पुराने हैं और पुलिया पुरानी हैं। परन्तु आप माल का भार बढ़ा रहे हैं। इसलिए, आपको यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यदि दुर्घटना होती है, तो लोग मारे जायेंगे। आप एक भी यात्री को नहीं बचा सकते। इसलिए, सुरक्षा हेतु आपको अधिक निधियां निर्धारित करनी होंगी।

अब, मैं तत्काल प्रणाली पर आता हूं। आम आदमी की सुविधा के लिए आप कुछ ट्रेनों में तत्काल प्रणाली को बढ़ा रहे हैं। परन्तु आप सामान्य डिब्बों की संख्या को घटा रहे हैं। मैं रेल मंत्री जी से यह निवेदन कर रहा हूं कि आपको सामान्य डिब्बों की संख्या नहीं घटानी चाहिए। आप तत्काल प्रणाली को ला सकते हैं। आप अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। यात्री तत्काल टिकट के लिए 150 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। इसके विपरीत, आप सामान्य डिब्बों की संख्या में कमी कर रहे हैं। यह गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। यह लोगों की इच्छा है कि आप साधारण डिब्बों की संख्या में कटौती न करें। उन्होंने मुझे अभ्यावेदन दिए हैं। यह बिल्कुल सही है कि आपने तत्काल प्रणाली और अन्य नई स्कीमें शुरू की है। परन्तु आपको सामान्य डिब्बों की संख्या में कटौती नहीं करनी चाहिए।

अन्य सुरक्षा पहलू, यात्री सुविधाओं के संबंध में, मैं यह बताना चाहूंगा कि आपने अनेक जिला मुख्यालय रेलवे स्टेशनों को आदर्श घोषित किया है। परन्तु कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुए हैं। आप मेरे जिले, श्रीकाकुलम को ही लीजिए। मैं इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। यह स्कीम पिछले वर्ष घोषित की गई थी। कार्य काफी धीमी प्रगति से चल रहा है। आपने बजट में घोषणा की थी कि यह वर्ष की समाप्ति तक पूरा हो जाएगा। इसलिए आपको सभी स्कीमों, कार्यक्रमों और सबकी समीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा, इन्हें केवल बजट में उल्लेखित करने की क्या उपयोगिता है?

अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति समान है। उदाहरण के लिए नई परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन को लीजिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। कोटूपल्ली-नरसापुर परियोजना वर्ष 2001 में संस्वीकृत की गई थी। इसकी आवश्यकता 685 करोड़ रुपये की है। आवंटन केवल 2 करोड़ रुपये है। सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। यहां तक कि राज्य सरकार भी भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। तेलंगाना में मुनीराबाद-कोठापल्ली परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। तत्कालीन मंत्री, श्री टी.आर.एस. चंद्रशेखर राव ने माननीय प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री को अभ्यावेदन दिए थे। उन्होंने इसे पिछले वर्ष के बजट में सम्मिलित किया था। मंत्री ने शिष्टमण्डल, जिसने उनसे पिछले वर्ष मुलाकात की थी, को आश्वासन दिया था कि वो आने वाले वर्षों में और निधियां उपलब्ध करायेंगे। परन्तु, मेरी सूचना के अनुसार केवल एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने इस बजट में केवल यह राशि उपलब्ध कराई गई थी। उन्होंने इस बजट में केवल यह राशि उपलब्ध कराई है। इसलिए, आंध्र प्रदेश के साथ काफी अन्याय हुआ है। तेलगू देशम पार्टी के नेता येरननायडु की बात को छोड़िए। मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं। आपको आंध्र प्रदेश विधान सभा के एक संकल्प का सम्मान करना चाहिए। यह आठ करोड़ लोगों की इच्छाओं को दर्शाता है। पिछली बार, आंध्र प्रदेश विधान सभा के संकल्प के आधार पर एक विधान लाए थे और वहां विधान परिषद को प्रारंभ किया। हमने संकल्प को यहां पारित किया। परन्तु आपको इस संकल्प की विषयवस्तु और संकल्प की इच्छा को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे अधिक अन्याय आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ हुआ है। यहां तक कि मेरे दल ने आंध्र प्रदेश के लिए किए गए कम आवंटन के विरोध में धरना भी दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से आग्रह करता हूं कि आपको इस वर्ष राज्य के साथ हुए अन्याय को दूर करना चाहिए। आपको गाड़ियां देनी होंगी।

श्री आर. वेलु: मैं समझता हूं कि हमने केवल संसाधनों का आवंटन किया है। इस वर्ष आंध्र प्रदेश के लिए हम इसे 49.88 प्रतिशत के स्तर तक बढ़ा रहे हैं। परियोजना परिव्यय में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्या दिया गया था? 427.53 करोड़ रु. की धनराशि दी गई थी। इस वर्ष हमने 640.80 करोड़ रु. आवंटित किए हैं।

दूसरे, आपने 32 नई ट्रेनों का भी उल्लेख किया था और आपको एक भी ट्रेन नहीं मिल रही है। मैं उल्लेख कर रहा हूं कि सभी राज्यों के ट्रेन शुरू करने की योजना नहीं है। हम हमेशा गणना करते हैं कि राज्यों को नई सेवाएं कैसे मिले या उनसे गुजर रही सेवाओं को सुविधा कैसे मिल रही है। वहां तीन ट्रेन हैं। आंध्र प्रदेश के लोग इन ट्रेनों की सेवाएं ले सकते हैं। आप भी भली-भांति जानते हैं कि पिछले वर्ष 55 ट्रेनों में से, हमने 14 ट्रेनें दी थी। यह कितना प्रतिशत है? सामान्यत: हम ट्रेन शुरू करते समय मांग, उपलब्ध संसाधनों और तकनीकी संभाव्यता,जिसे संचालनात्मक संभाव्यता कहा जाता है को ध्यान में रखते हैं।

उन बातों का ध्यान रखा गया था और इस वर्ष सिकन्दराबाद में बैठक भी हुई थी। राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में हमने निर्णय किया कि हमें कितनी ट्रेनें शुरू करनी हैं। उसमें, क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों और अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था।

मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूं। आपको अधिक आवंटन की मांग करने का पूरा हक है। लेकिन परियोजनाओं पर, इस बजट में हमने पिछले वर्ष की तुलना में आवंटन में 49.88 प्रतिशत की वृद्धि की है।

जहां तक नई ट्रेनें शुरू करने का संबंध है, अनेक राज्य संतृप्ति स्तर पर पहुंच चुके हैं। आप कहते हैं कि आवंटन का फैलाव ठीक नहीं है। हर राज्य की यही समस्या है क्योंकि उपलब्ध संसाधनों में से हमें सभी राज्यों को आवंटित करना है। हमारे पास 275 योजनाएं है जिनके लिए पहले ही 58000 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। अत: जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वह यह है कि हम उपलब्ध संसाधनों में जितना अधिक संभव होगा देने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री येरननायडु, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

सामान्यत: ट्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक शुरू होंगी न कि एक गांव से दूसरे गांव तक। आजादी के बाद, हर वर्ष घोषित अनेक ट्रेनों में से हमें केवल एक या दो ट्रेन ही मिलती हैं। ट्रेनें अनेक राज्यों में से होकर जा रही हैं। आपने काजीपेट में डिब्बा कारखाने की स्थापना और विजागुंटा में इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट विनिर्माण हेतु अन्य कारखाने की स्थापना की घोषणा भी की है। आपने बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा की है जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपने एक अन्य कारखाना बिहार में और एक कारखाना रायबरेली में भी स्थापित करने की घोषणा की है। हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा हिस्सा कितना है? आपको इसे देखना है और जवाब देना है। मैं विपक्ष में हूं और इसलिए आपकी आलोचना कर सकता हूं। लेकिन आपको आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा व्यक्त विचारों का सम्मान करना होगा। इसीलिए, आपको आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प का सम्मान करना होगा। तब, दलगत भावनाओं से ऊपर उठते हुए आंध्र प्रदेश के सभी सांसदों ने प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: ये बातें आप पहले ही कह चुके हैं, कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु: यही कारण है कि आंध्र प्रदेश के सांसदों द्वारा किए गए निवेदन पर आपको विचार करना है और आंध्र प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित संकल्प पर भी विचार करना है।

[हिन्दी]

***डा. वल्लभभाई कथीरिया** (राजकोट): महोदय, मैं रेल बजट 2007-2008 के ऊपर अपने विचार और मांगें प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आशा रखता हूं कि माननीय लालू प्रसाद जी हमारी बात को ध्यान में रखकर न्याय देने का प्रयास करेंगे।

महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय लालू प्रसाद जी एवं रेल मंत्रालय का एक अच्छे रेल बजट के लिए अभिनंदन करता हूं। रेल बजट में माननीय मंत्री जी ने गरीब, मध्यम, आम आदमी, मजदूर, छात्र, युवा, अपंग और वृद्ध सभी लोगों का ध्यान रखा है। यात्री किराये में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है बल्कि कटौती की है। साथ-साथ में इंडस्ट्री को भी राहत और सुविधा प्रदान की है। रेल सेवा को बेहतर बनाने का आपका प्रयास सराहनीय है।

महोदय, ऐसा एक अच्छा रेल बजट प्रस्तुत करने के बावजूद भी माननीय रेल मंत्री जी ने गुजरात और विशेष करके सौराष्ट्र प्रदेश के प्रति अन्याय किया है। गुजरात के प्रति आपका रूख गोधरा के बाद अभी भी बदला नहीं है। जबकि आई.आई.एम., अहमदाबाद में आपको बुला करके एक सी.ई.ओ. के रूप में विख्यात करने का हमने प्रयास किया है। गुजरात रेल सेवा रेलवे बोर्ड को सबसे ज्यादा रैवेन्यू अर्जित करने का गौरव लेता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय श्री लालू प्रसाद जी को हमारी मांगें पूरी करने का प्रयास करने के लिए विनती करता हूं। मेरे साथी सांसदों ने उत्तर, मध्य और दक्षिण गुजरात और कच्छ की रेल सेवाओं की मांगें विस्तृत रूप से चर्चा में रखी हैं। इसलिए इनको न दोहराते हुए इनका समर्थन करते हुए सौराष्ट्र प्रदेश की रेल सेवा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, सौराष्ट्र प्रदेश समुद्र से जुड़ा होने के कारण बहुतेरे बंदरगाह से पूरे उत्तर भारत की ओर आयात-निर्यात का एक बड़ा कोरिडोर बना हुआ है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाली ये रेल सेवाएं हैं। यदि हमारी मांग के अनुसार पोरबंदर, विरावल, पीपाव, गांधीधाम, दहेज आदि बंदरगाहों को रेल कनेक्टिविटी मिल जाये तो काफी मात्रा में यातायात मिल सकता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. वल्लभभाई कथीरिया]

महोदय, इस बजट में सौराष्ट्र में एक भी नई ट्रेन नहीं मिली है। न ही किसी ट्रेन का एक्सटेंशन मिला है और न ही किसी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी मिली है। वर्षों से हमारी मांग सौराष्ट्र से मुम्बई तक एक नई एक्सप्रेस ट्रेन की मांग है। पूरे सौराष्ट्र को चेन्नई, पुणे, रामेश्वरम, पुरी वगैरह जगहों को जोड़ने की आवश्यकता है। राजकोट ऐसा एक रेलवे जंक्शन है जहां से यदि आप लम्बे अंतर की ट्रेनों का विभाजन करके आधे डिब्बों को ओखा और पोरबंदर की ओर इनके मूल डेस्टीनेशन पर भेजा जाये और बाकी के आधे को अभी नया ब्राडगेज कनवर्जन हुआ है वे राजकोट-वेरावल-सोमनाथ तक भेजा जाये। इससे आधे सौराष्ट्र को एक भी नई ट्रेन चलाये बिना केवल एक अतिरिक्त इंजन रखकर लम्बे अंतर की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। उसमें देहरादून-ओखा, पूरी-ओखा, दिल्ली-पोरबंदर, सिकंदराबाद-ओखा, वाराणसी-ओखा ऐसी सब ट्रेनें जो हफ्ते में एक दिन चलती हैं, इनका प्रावधान हो सकता है।

अहमदाबाद जंक्शन पर बहुत लम्बे अर्से तक जो ट्रेनें यार्ड में पड़ी रहती हैं उनको समयावधि के अनुसार राजकोट, वेरावल या जामनगर तक लम्बाई जा सकती है।

महोदय, सौराष्ट्र और गुजरात यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यहां के निवासी हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, जगन्नाथ पुरी, रामेश्वरम पूरे देश के यात्रा स्थल पर भारी संख्या में पूरे साल जाते रहते हैं और इसलिए हमारी मांग है कि देहरादून-ओखा, जम्मूतवी-राजकोट और हावड़ा-ओखा ट्रेन को हफ्ते में दो बार चलाया जाये।

राजकोट-वेरावल ब्राडगेज कनवर्जन के बाद बासजालिया-जेतलसर-ढासा का सेगमेंट ब्राडेगज कनवर्जन बहुत धीमे चल रहा है। जो जल्दी पूरा करने से अहमदाबाद के लिए पूरे सौराष्ट्र प्रदेश को एक नया रेल रूट मिलेगा। हमारी प्रार्थना है कि यह कार्य जल्दी से पूर्ण हो।

इनके साथ हम आपसे विनती करते हैं कि विरामगाम से सुरेन्द्रनगर तक दूसरी रेलवे लाइन की आवश्यकता है। रेलवे डिवीजन ने भी प्रपोजल रेलवे बोर्ड को भेजी है। इनकी पूर्ति होते ही रेलवे बोर्ड को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। आजकल एक रेलवे लाइन होने के कारण गुड्स ट्रैफिक का कंजैशन और रास्ते में ज्यादा रुकावट आती है। इसे रेलवे लाइन का इलैक्ट्रिफिकेशन भी साथ-साथ किया जाये यह भी हमारी मांग है।

मैं रेलवे मंत्री से आग्रह करता हूं कि डीआरएम को और लोकल अधिकारी को ज्यादा पावर दिया जाये ताकि समय-समय पर स्टार्ट ट्रेन चलाने के लिए और लोकल ट्रेन में ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए एक या दो अतिरिक्त डिब्बे जोड़ने के लिए आपको पूरी स्वतंत्रता मिले। इससे अंततोगत्वा रेलवे को ही ज्यादा आमदनी मिलती है और मेला, उत्सव आदि के समय यात्रियों को बेहतर सुविधा। आपने जो नई माडल रेलवे स्टेशन का काम शुरू करवाया है उस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ताकि काम की क्वालिटी अच्छी रहे। माननीय रेल मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि डीआरयूसीसी और जैडआरयूसी को विशेष पावर दिया जाये ताकि सही अर्थ में प्राइवेट पार्टनरशिप करके रेलवे स्टेशन और रेल सुविधाओं में उन सदस्यों का बेहतर उपयोग हो सके और अनेक दाताओं को जोड़ करके कम सुविधा की पूर्ति करें।

गुजरात में अहमदाबाद-गांधीनगर के बीच मेट्रो ट्रेन का सर्वे हो रहा है। लेकिन ये काम कब शुरू होगा उसका कोई उल्लेख बजट में नहीं है। माननीय रेल मंत्री जी जानते हैं कि बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगहों से गुजरात में रोजगारी के लिए लाखों लोग आते-जाते रहते हैं। इनके लिए एक भी गरीब रथ का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है।

मैं आदरणीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर सौराष्ट्र विस्तार को न्याय देने का थोड़ा सा प्रयास करें। तभी आपका ये रेल बजट सबके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर): उड़ीसा राज्य गरीबी रेखा से नीचे है, महात्मा गांधी ने कहा था, उड़ीसा भारतीय गरीबी का प्रतिरूप है। आजादी के समय से लेकर आज तक हम उसी गरीबी का सामना कर रहे हैं। गरीबी ही हमारी संपत्ति है। हम उस सम्पत्ति के मालिक हैं और हम गरीबी रेखा से नीचे देश में हमारा प्रथम स्थान हैं। मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार क्यों हमारी उपेक्षा कर रही है। लालू जी आप कर्मठ रेलवे मंत्री हैं, लेकिन जो हमारी मांग है उसे आपके विभाग द्वारा पूरा नहीं किया गया है। आप भी हमारे राज्य की उपेक्षा कर रहे हैं। कितनी बार मैंने अपने उड़िया सांसद मित्रों के साथ आपसे आपके चैम्बर में मिल कर स्मरण कराया है। हम खुर्धा-बोलनगीर रेलवे संपर्क के संबंध में चर्चा करते रहे हैं। राजग शासन के दौरान, अपनी व्यक्तिगत पहल के कारण मैं 60 करोड़ रुपये अधिक राशि स्वीकृत करा सका। वर्तमान में, इस परियोजना के लिए हमारी सरकार की मांग के अनुसार, हमें 1000 करोड़ रु. से अधिक की जरूरत है। उसमें से कम से कम आपको 200 करोड़ रु. स्वीकृत करने चाहिए। लेकिन आपने क्या किया?

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

अपने कम से कम 100 करोड़ रु. स्वीकृत करने के बजाय केवल 20 करोड़ रु. स्वीकृत किए। इस धनराशि से कैसे परियोजना पूरी होगी। एक हजार करोड़ रुपए मिलने में कितने वर्ष लगेंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि यह परियोजना संपूर्ण पूर्वी और पश्चिमी उड़ीसा और संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र से होते हुए तटीय क्षेत्र से खुर्धा-बोलनगीर को जोड़ती है। खुर्धा से बोलगढ़ बेलगुनिया, नयागढ़, दासपाल, फूलबनी से बोलनगीर तक यह एकमात्र रेलवे संपर्क है। ये सभी क्षेत्र वे हैं जहां निम्न गरीब आदिवासी, हरिजन, गिरिजन रहते हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह संपूर्ण राज्य की प्रगति में बहुत उपयोगी रेलवे संपर्क है और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। आवंटित करने में आप कितना समय लेंगे। मैं पुन: विनती करता हूं यदि यह परियोजना आपके कार्यकाल के दौरान पूरी होती है, तो संपूर्ण उड़ीसा के लोग आपके आभारी होंगे।

इसके अतिरिक्त आप संपूर्ण पूर्वी तटीय क्षेत्र की भी उपेक्षा कर रहे हैं। जब आप पूर्वी तटीय क्षेत्र के सरकारी भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, भारत में यह क्षेत्र बहुत ज्यादा उपेक्षित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कार्यालय आंध्र प्रदेश और बंगाल में स्थानान्तरित कर दिए गए हैं। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए और कृपया राष्ट्रीय अखण्डता को बढ़ाने के लिए पूर्वी तटीय क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें। आजादी के समय से पुराने और बड़े पुलों तथा ज्यादा पुरानी रेल लाइनों का भी नवीकरण किया जाना चाहिए। इसके नवीकरण के लिए शीघ्र ही आवश्यक धनराशि जारी की जानी चाहिए। जब आप पुरी तक दोहरी लाइन शुरू करने जा रहे हैं तो पुरी से कोर्णाक तक अन्य लाइन भी जोड़ी जा सकती है। विश्व में आप 60 किमी. परिधि में तीन बड़े स्मारक नहीं देख सकते। यहां तीन विश्व विरासत अवस्थित हैं जो हैं- कोणार्क, भगवान जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर। ये विश्व में सबसे बड़े मंदिर है। कृपया आप ध्यान दें और पर्यटकों को आकर्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये रेलवे संपर्क शीघ्र ही जोड़े जाने चाहिए। आपकी तरफ से विशेष सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। हमें अधिक धन के आवंटन की जरूरत है, हमें अगले बजट में अधिक धनराशि स्वीकृत करने में आपका ध्यान होना चाहिए।

***श्री सुनील खां** (दुर्गापुर): मैं वर्ष 2007-08 के लिए रेल बजट का सामान्यत: पश्चिम बंगाल में और विशेषत: मेरे संसदीय क्षेत्र दुर्गापुर में लम्बे समय से लम्बित मांगों को पूरा नहीं करने के कारण कुछ आपत्तियों सहित, समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

महोदय, वर्ष 1996 में जब मैं पहली बार लोक सभा में आया तो मैंने अपना पहला भाषण रेलवे बजट में दिया तब मैं बांकुरा-दामोदर नदी से संबंधित केवल एक परियोजना शुरू हुई है।

स्वतंत्रता के 60 सालों के बाद, कुमारघाट से अगरतला और जम्मू से कश्मीर तक 1996 में शुरू की गई परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसमें विलम्ब हो गया है और सबसे महत्वपूर्ण यह कि अगरतला से सबरूम तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाना चाहिए।

बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं से बचने के लिए अभी तक किस प्रकार के एहतियाती उपाय किए गए हैं?

अब, मैं केवल अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित रहूंगा क्योंकि मेरी पार्टी के पहले वक्ता ने मेरे राज्य पश्चिम बंगाल के लिए लम्बा भाषण दिया था।

पिछले बजट में आपने कहा था कि रानीगंज से दुर्लावपुर होते हुए बाकुरा तक का सर्वेक्षण किया जाएगा। आपने नहीं बताया है कि सर्वे पूरा हो गया थै नहीं।

उस मार्ग की परियोजना कब शुरू होगी। महोदय, मैं बेलियातोर से दुर्गापुर के सर्वे के सम्बन्ध में पुन: कहता हूं क्योंकि आपने बांकुरा से बेलियातोर होते हुए सोनामुखी-पत्रसायर तक का बी.डी.आर. पूरा कर लिया है जिसे रैना से मासागरम तक बढ़ाया जाएगा लेकिन यदि बेलियातोर से दुर्गापुर तक जो कि मुश्किल से 20 किमी. है किया जाता है तो यह दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर भारत के लिए मार्ग-द्वार होगा। आर्थिक स्थिति विकसित होगी और दक्षिण भारत से पूर्वोत्तर के लिए यह सबसे छोटा मार्ग होगा। बारजोरा-बेलियातोर क्षेत्र में औद्योगिक नेटवर्क स्थापित किया गया है जहां पहले ही कई उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। विशेषरूप से उद्योगपतियों का अपना वह सुझाव है कि यदि बीडीआर लाइन के बेलियातोर स्टेशन के पास मर्खा में माल टर्मिनल की स्थापना की जाए तो इससे उद्योगपतियों को अपने नजदीकी उद्योगों के लिए लौह अयस्क का परिवहन करने में सहायता मिलेगी। बर्जोल-बेलियातोर के औद्योगिक विकास और उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आपसे अनुरोध है कि कम से कम सर्वेक्षण करने का आदेश दे और तत्पश्चात् परियोजना कार्य आरंभ किया जाए।

महोदय, आपको ज्ञात है कि दुर्गापुर को उसके औद्योगिक नेटवर्क के लिए पूर्वी भारत का 'रुर्क' क्षेत्र कहा जाता है। अत: दुर्गापुर स्टेशन का एक 'माडल स्टेशन' के रूप में उन्नयन किया जाए। महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि

[श्री सुनील खां]

रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को देखते हुए दिए गए कई अभ्यावेदनों तथा पूर्वी रेलवे के महा प्रबंधक के साथ रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन का दौरा किए जाने और लोगों से मुलाकात करने तथा प्रेस में यह बयान देने कि दुर्गापुर से हावड़ा तक एक यात्री ट्रेन आरंभ की जाएगी और टीपीएल के द्वारा भूमि दिए जाने, जहां पर एक ट्रेन खड़ी रह सकती है, इन सबके बावजूद इस बजट में इस संबंध में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पटना-पुरी वैद्यनाथ-धाम एक्सप्रैस ट्रेन जो कि वर्तमान में आसनसोल से होकर गुजरती है, दुर्गापुर में प्रवेश करे और आसनसोल-हावड़ा एक्सप्रैस का विस्तार दुर्गापुर अथवा वर्धमान तक किया जाए। दुर्गापुर को नागपुर से जोड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दिला आसनसोल-दुर्गापुर का दुर्गापुर स्टेशन से गुजरते हुए नागपुर हावड़ा से मुंबई तक विस्तार किया जाए। तेरहवीं लोक सभा के दौरान दुर्गापुर में सड़क उपरिपुल की स्वीकृति प्रदान की गई थी परन्तु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सड़क उपरिपुल के लिए 50 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत किए जाने के बावजूद इसका कार्य अभी तक अधूरा है।

महोदय, यात्री भाड़ा न बढ़ाने हेतु मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि यदि कोई यात्री दुर्गापुर से आसनसोल-हावड़ा एक्सप्रैस का टिकट खरीदता है तो उसके 75/- रुपये लेगेंगे और यदि वह दोनों तरफ के लिए टिकट खरीदता है अथवा सिटी सेन्टर के काउंटर के टिकट खरीदता है तो 10/- रुपये अधिक लोगों और शताब्दी और राजधानी एक्स्पैरस में भी 20/- रुपये अधिक लगेंगे। ऐसा बताया गया है कि पानागढ़ स्टेशन दुर्गापुर से 17 कि.मी. से भी कम है परन्तु यदि आप आसनसोल-हावड़ा एक्सप्रैस का टिकट खरीदते हैं तो उसका मूल्य 85 रुपये अर्थात् 20 प्रतिशत अधिक होगा। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के यात्री कभी-कभी उचित उद्घोषणाएं न किए जाने के कारण परेशानियों का सामना करते हैं। कभी-कभी यह घोषणा की जाती है कि ट्रेन सं. 10 मिनट की देरी से आ रही है और आधे घंटे के पश्चात् उसी ट्रेन के और देरी से आने की घोषणा की जाती है। अत:, यह आसनसोल प्रभाग के व्यवसायिक अनुभाग की गलती होती है, उचित उद्घोषणा के लिए इस संबंध में ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, पारागढ़ और दुर्गापुर स्टेशनों पर बेरोजगार युवकों द्वारा लगाई जा रही दुकानों को रेल विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप रेल विभाग के डिजाइन के अनुसार इन दुकानों (स्टालों) का निर्माण कराएं तथा उन दुकानों में कार्य कर रहे युवकों को उनका वितरण कराए। इससे न केवल उनको रोजगार मिलेगा अपितु रेल विभाग को अधिक राजस्व अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी।

अंत में, मैं यह अनुरोध करूंगा कि आप फेरी के माध्यम से बिक्री करने का लाइसेंस प्रदान करने के अपने वायदे को शीघ्र पूरा करें। कल, अर्थात् 8 मार्च, 2007 को बड़ी संख्या में अनुबंधित श्रमिक, रेल हाकर, वेंडर्स कोयला और राख क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक अपनी मांगें पूरी न किए जाने के विरोध में संसद मार्ग पर एकत्र हो गए।

कमीशन वेंडर्सन, जो कि 60 वर्ष की आयु से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए को तुरंत बहाल किया जाए। अनुबंध के अंतर्गत कोयला और राख क्षेत्र में पूर्व में कार्यरत श्रमिकों को खपाने हेतु उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार लाइसेंस प्राप्त सभी कुलियों को तत्काल समायोजित किया जाए।

*श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा): महोदय, रेल बजट 2007-2008 के संबंध में अपनी मातृभाषा पंजाबी में बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मैं शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधित्व कर रही हूं और रेल बजट के संबंध में अपनी पार्टी की राय व्यक्त करूंगी।

महोदय, इस बजट में, आम लोगों को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास किया है उन्होंने अपनी विशेष शैली में बजट भाषण में बहुत से छंदों का इस्तेमाल किया है। तथापि, बजट को बारीकी से देखने पर यह पता चलता है कि इसमें नया कुछ नहीं है। महोदय, रेलगाड़ियां परिवहन का एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है। जिनका उपयोग आम आदमी द्वारा बहुत अधिक किया जाता है। यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की मांग है। तथापि, रेलवे इस कार्य को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है। यद्यपि, यह कम्प्यूटर और कम्प्यूटरीकरण का युग है तथापि, रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। रेलगाड़ियों में आमने-सामने से टक्कर होने की घटनाएं आमतौर पर होती है। तकनीकी कारणों से भी रेलगाड़ियां पटरी से उतरती रहती है। इन दुर्घटनाओं में जान-माल की भारी क्षति होती है। इस बजट में यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा और सुरक्षा करने के लिए कोई पहल नहीं की गई है।

आम यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं। माननीय रेल मंत्री जी ने अपने पूर्व बजट में भी बड़े-बड़े वादे किए थे। बड़े जोर-शोर से नई रेलगाड़ियों की घोषणा की गई थी।

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

बहुचर्चित आरक्षण नीति आरंभ की जानी थी। रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार किया जाना था। तथापि, ये सभी आश्वासन खोखले वादे सिद्ध हुए हैं।

रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर साफ-सफाई को बड़े हल्के ढंग से लिया जाता है। माननीय रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के अधिकारियों को आम यात्रियों के साथ रेलगाड़ियों में सफर करना चाहिए। तभी उन्हें रेलवे में साफ-सफाई की दुदर्शा का अनुभव होगा।

बजट में यह उल्लेख किया गया है कि 300 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आठ नई 'गरीब रथ' रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है। मैं माननीय मंत्री जी को इन महत्वाकांक्षी घोषणाओं के लिए बधाई देती हूं। यद्यपि, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने गत वर्ष के रेल बजट में किए गए सभी वादों को पूरा कर दिया है। हर वर्ष से अधिक वादे किए जा रहे हैं जबकि पहले किए गए वादे पूरे नहीं होते हैं। पूर्व के रेल बजटों में माडल रेलवे स्टेशनों का निर्माण करने, नई रेल पटरियां बिछाने और गरीब रथ आरंभ करने संबंधी वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं।

मेरे चुनाव क्षेत्र में भटिंडा रेलवे स्टेशन, रेल मंत्रालय की उपेक्षा का एक स्पष्ट उदाहरण है। तीन वर्ष पहले बजट में यह घोषणा की गई थी कि भटिंडा रेलवे स्टेशन को एक माडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तथापि, वहां पर अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। माननीय रेल मंत्री जी का यह कहना है कि रेलवे के खजाने में हुई वृद्धि रेल कर्मचारियों के कठिन परिक्षण का परिणाम है। तथापि, वह बड़ी आसानी से उन वादों को भूल गए जो उन्होंने इन्हीं कर्मचारियों से किए थे। रेलवे के कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है। समूह 'ग' और 'घ' रेलवे कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं। नौकरी में स्थिरता के कारण कर्मचारियों का उनसे मोह भंग हो रहा है। गैंगमैन, गेटमैन, गार्ड, माली, सफाई कर्मचारी आदि 30 से 35 सालों तक नौकरी में रहने के बावजूद उसी पर से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की कोई समय-सारणी नहीं है। दूसरी ओर, रेलवे के अधिकारियों के लिए एक समयबद्ध पदोन्नति समय सारणी होती है। पर्याप्त संख्या में इंजन चालक नहीं हैं। यह भी दुर्घटनाओं का एक कारण है क्योंकि एक चालक को बिना विश्राम के लंबे समय तक कार्य करना पड़ता है। रेलवे के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के पास सरकारी आवास नहीं हैं। बहुत से कर्मचारी रेलवे की भूमि पर कुकुरमुत्तों की तरह बस रही झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रह रहे हैं। इन झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में पीने के पानी, बिजली और साफ-सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे के मौजूद मकान सौ साल पुराने हैं। मरम्मत और उचित रख-रखाव के अभाव में उनमें रहना जोखिम पूर्ण कार्य है।

रेल कर्मचारियों को रेलवे अस्पतालों और औषधालयों तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन अस्पतालों और औषधालयों में महिला चिकित्सक, विशेषज्ञ, प्रयोगशालाएं, एक्स-रे मशीनें, दवाईयां, शल्य चिकित्सा कक्ष आदि नहीं हैं। इन अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं हैं। जिन मरीजों को रात में कभी चिकित्सीय देखभाल की जरूरत होती है, उन्हें खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। अस्पताल के कर्मचारियों को दी गई वर्दी घटिया कपड़े की बनी होती है और इसे पहना नहीं जा सकता। पिछले वर्षों में रेलवे के हजारों बढ़ई और मिस्त्री अपनी ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। रेलवे ने उन्हें अभी तक हरजाना नहीं दिया है।

रेलवे बजट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हमेशा उपेक्षा की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। इस बजट में इस बैकलाग को भरने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। रेलवे द्वारा चलाई जा रही खान-पान सेवा, पुस्तक स्टालों और पी सी ओ स्टालों आदि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

लंबे समय से बीमार व्यक्तियों और उनके परिचरों को भाड़े में 75 प्रतिशत की छूट दी जाती है। तथापि, उनको किसी प्रकार की आरक्षण सुविधा नहीं दी जाती। परिणामस्वरूप यदि वे आरक्षण सीट चाहते हैं तो उन्हें पूरी राशि देनी पड़ती है। अतः, इन रोगियों को आरक्षण के किराए में भी छूट दी जानी चाहिए।

अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर विकलांग व्यक्तियों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। गाड़ियां अक्सर देर से आती हैं और यात्रियों को भारी असुविधा होती है।

पंजाब के लोग बहुत निराश हैं। अनुवर्ती रेल बजटों में पंजाब के लोगों की वाजिब मांगों को पूरी तरह अवहेलना की गई है। बजट में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया है। पिछले साल के बजट में रामा, मौर और तलवंडी सभी के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने की घोषणा की गई थी। अब तक कुछ नहीं किया गया है। भटिण्डा-जाखड़-दिल्ली मार्ग पर कोई शताब्दी या एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलाई जाती। लोग पिछले तीन सालों से यह मांग कर रहे हैं लेकिन इस मांग के संबंध में बजट मौन है। चण्डीगढ़ तो अभी तक जम्मू और कश्मीर से नहीं जोड़ा गया है। चण्डीगढ़-लुधियाना रेलवे लाइन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

[श्री परमजीत कौर गुलशन]

भटिण्डा से जम्मू तक कोई सीधी गाड़ी नहीं है जो भुच्ची मण्डी, रामपुरा मण्डी, बरनाला, धुरी, लुधियाना और जालंधर के रास्ते जा सके। मलेरकोटला भी इस रेलमार्ग पर स्थित है। यहां पीर बाबा हैदरशेख की मजार है। हजारों तीर्थयात्री मजार पर अपनी श्रद्धा प्रकट करने इस पवित्र शहर में आते हैं। लुधियाना पंजाब का औद्योगिक केन्द्र है। जालंधर को खेल के सामान के लिए जाना जाता है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केन्द्र है। यह अपनी प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं के लिए भी जाना जाता है। पंजाब के सभी भागों से लोग जम्मू के पास स्थित वैष्णोदेवी के मंदिर जाते है। तथापि, रेल बजट में इन सभी तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया गया है और पंजाब को कुछ नहीं दिया है।

पंजाब के लोगों की यह बहुत पुरानी मांग है कि सिक्खों के सभी पांच तख्तों या पवित्र स्थानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक गाड़ी चलाई जाए। ये पांच तख्त हैं-अमृतसर, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब, दमदमा साहिब और हुजूर साहिब। तत्कालीन रेल मंत्री ने 1999 में परिक्रमा एक्सप्रेस नामक एक गाड़ी की घोषणा की थी। तथापि, पिछले तीन सालों से किसी भी रेल बजट में इस गाड़ी का कोई जिक्र नहीं है। फ्रेट-कारीडोर मुद्दे पर भी पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। पंजाब में फ्रेट कारीडोर लुधियाना में समाप्त हो जाता है। इसे अमृतसर तक बढ़ाया जाना चाहिए। लुधियाना और अमृतसर पंजाब में व्यापार के केन्द्र है। हम पाकिस्तान से अपने व्यापारिक संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में फ्रेट-कारीडोर को अमृतसर तक बढ़ाया ही जाना चाहिए। अमृतसर एक धार्मिक शहर है। लाखों भक्त हरमंदिर साहब में मत्था टेकने के लिए इस शहर में आते हैं। राजस्थान और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से और फिरोजपुर और भटिण्डा से लाखों लोग अमृतसर आते हैं। तथापि, उनको बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है क्योंकि उन्होंने बरास्ता जालंधर बस से यात्रा करनी पड़ती है। इसमें बहुत समय लगता है। यदि भटिण्डा, फिरोजपुर और अमृतसर को रेल द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाए तो इससे तीर्थयात्रियों और यात्रियों को बहुत सहायता मिलेगी। इसलिए, पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए ताकि अबोहर-फाजिल्का रेल लाइन का काम शीघ्र हो सके। इण्टरसिटी गंगानगर-फिरोजपुर एक्सप्रेस के डिब्बों की हालत बहुत खराब है। गाड़ी के डिब्बों से बहुत बुरी गंध आती है। शौचालय बदबूदार हैं। इस गाड़ी में दो नए एसी चेयर कार डिब्बे लगाए जाने चाहिएं। मुम्बई-फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस में भी दो नए एसी चेयर कार डिब्बे लगाए जाने चाहिए।

बजट में महिलाओं को कुछ सुविधाएं दी गई हैं और माननीय मंत्री को मैं उनके इस कदम के लिए धन्यवाद देता हूं। तथापि, यह पर्याप्त नहीं है। रेलवे को महिला यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सभी गाड़ियों में महिला डिब्बों में महिला पुलिस भी तैनात की जानी चाहिए। अन्य राज्यों में शिक्षा हेतु जाने वाले पंजाब में छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए।

स्वतंत्रता पूर्व कादियां, हरगोविन्दपुर और व्यास को परस्पर जोड़ने का एक प्रस्ताव था। तथापि, पिछले 60 सालों में इस मामले में कुछ नहीं किया गया। पंजाब की कई और वाजिब मांगें हैं। फिर भी समय की कमी के कारण मैं उनका उल्लेख करने की स्थिति में नहीं हूं।

इस रेल बजट में पंजाब की वाजिब मांगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। हम शिरोमणि अकाली दल के सदस्य उत्तरवर्ती रेल बजटों में पंजाब की वाजिब मांगों की अवहेलना पर अत्यधिक निराश हैं। यदि हमारी वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो पंजाब के लोग रेलवे में अपना विश्वास खो बैठेंगे।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर नाइक धारावत (वारंगल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से धन्यवाद देता हूं। लालू जी द्वारा जो रेल बजट पेश किया गया है, उससे प्रजा खुश है, लालू जी भी बड़े खुश हैं और हम भी खुश हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में रेलवे की तरफ से जो काम पचास सालों में किये जाने थे, विशेष रूप से तेलंगाना रीजन की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में करीब 6 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन में से केवल 1200 किलोमीटर रेल लाइन ही तेलंगाना रीजन में दी गई है। उस समय निजाम स्टेट के जमाने में जो रेलवे स्टेशंस, रेलवे लाइन्स में इजाफा करने के लिए गुजारिश की गई थी, जिसमें एक रेलवे लाइन मनोहराबाद-कोतपल्ली सैंक्शन हुई, जिसके लिए केवल एक लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। दूसरा काजीपेट-वारंगल आर.ओ.बी. की सात करोड़ की प्रोजैक्ट है, जिसके लिए पांच लाख का प्रावधान रखा गया है। दूसरी महबूबाबाद जहां आर.ओ.बी. की जरूरत नहीं थी, वहां आर.यू.बी. की जरूरत थी। लेकिन वहां आर.यू.बी. सैंक्शन नहीं हुआ। लेकिन दूसरे आर.ओ.बी. का सैंक्शन हुआ, जिसके लिए भी केवल एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। तीसरा आर.ओ.बी. के समुद्रम, एल.सी. 77, 78 बड़ी मुश्किल से काफी दिनों के बाद के समुद्रम आर.ओ.बी. की सैंक्शन दी गई, लेकिन उसके लिए भी एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि बैकवर्ड तेलंगाना रीजन में जो भी कार्यक्रम रेलवे अब ले रहा है, वह पचास साल के बाद ले रहा है। उसके लिए एक-एक लाख रुपये की धनराशि का प्रावधान इसमें रखा है। जो रेलवे में इतिहास दिखाया जा रहा है, इसके लिए भी मुझे दुख से कहना पड़ता है। काजीपेट जो गेटवे आफ साउथ इंडिया का महत्वपूर्ण जंक्शन है,

इस जंक्शन में वहां पर एक डिवीजन रेलवे हैडक्वार्टर है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए पचास साल से वहां डिमांड की जा रही है। आज लालू जी ने कुल चार प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है जो वे लेने जा रहे हैं, जिसमें एक मधेपुरा में है और एक रायबरेली में है। पचास साल के बाद तो प्रोजेक्ट लिये जा रहे हैं, इसलिए इन तीन प्रोजेक्ट में कम से कम काजीपेट जैसी जगह में यूनिट का लगना बहुत जरूरी है और वहां एक यूनिट जैसे कि 1100 मेन लाइन पैसेंजर कोच और दूसरा 150 मेन लाइन डीजल लोकोमोटिव यूनिट, तीसरा 120 मेन लाइन इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव यूनिट, चौथा एक लाख व्हील डिस्क यूनिट, कम से कम इनमें से तेलंगाना रीजन जो पिछड़ा इलाका है जहां पर कई दिनों से मांग की जा रही है कि काजीपेट में एक यूनिट लगाया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र वारंगल में एक जंक्शन है, जो डोरनाकल के नाम से जाना जाता है। वारांगल से खम्मन तक जो मेन रेलवे लाइन है, वहां वारांगल-एलगुरु-रंगमपेट-नेक्कोंडा-महीबाबाद-डोरनाकल और खम्मन इन जगहों के बीच में जितने भी स्टेशंस हैं, वहां पर आज तक कोई प्लेटफार्म नहीं बना और कोई पैसेंजर एमीनिटीज नहीं है। वहां निजाम के जमाने के बने हुए रेलवे स्टेशंस और लाइन्स हैं। उसके लिए मैं रेलवे से तुरंत ही ध्यान देने की गुजारिश करता हूं।

एक और महत्वपूर्ण हमारी वारांगल म्युनिसपिल कारपोरेशन है जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी और राज्य सरकार ने भी फुट-ओवरब्रिज के लिए मान लिया था जहां पर हजारों लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तेलंगाना का जो महत्वपूर्ण शहर वारांगल है, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र भी है जहां से मैं रिजर्व कैटेगरी में रहते हुए भी जनरल सीट से चुनकर आया हूं। वहां पर हमने कई दिनों से फुट ओवरब्रिज के लिए रिक्वेस्ट की थी लेकिन उस बारे में भी यहां कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं रेलवे कंसलटेटिव कमेटी का मैम्बर भी हूं। मैं इस बारे में रेलवे बोर्ड की नालेज में भी यह बात लाया हूं। एक बंजरपल्ली, बंजारों का तांडा, दूसरा सिगनल तांडा, जहां पर तीन बंजारों के तांडे हैं। वह सिगनल तांडा यानी रेलवे के सिगनल का उन लोगों ने नाम लगा लिया है और वह तांडा रेलवे ट्रैक से घिर गया है और बाहर जाने के लिए उन लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है। इसलिए तीन हजारों बंजारों को बाहर निकलने के लिए परेशानी है। इसके लिए हमारे साउथ सेन्ट्रल रेलवे आथोरिटीज ने प्रपोजल दिया और देते-देते यह कंडीशन लगाई है कि इसके लिए राज्य सरकार पैसे दे या एमपीलैड से पैसा दिया जाए।

सर, हमें एमपीलैड में दो करोड़ रुपया मिलता है। यदि आरयूबी के लिए जहां पर डोरनाकल सिगनलतांडा के पास आरयूबी के लिए एक करोड़ रुपये की लागत लगेगी। अगर मैं एमपीलैड से एक करोड़ रुपये दे दूंगा तो बाकी निर्वाचन क्षेत्र में मैं क्या करूंगा? रेलवे की यह गलती है कि रेलवे ने पूरे बंजारा तांडव को रेलवे ट्रैक से घेर लिया है। रेलवे मिनिस्ट्री इसे खुद लेकर यहां पर एक आरयूबी बनाने की कोशिश करे जिसका प्रस्ताव साउथ सेन्ट्रल रेलवे से आया हुआ है।

तीसरे, बंजरपल्ली, जहां पर 15 बंजारों के तांडे हैं जहां उनका मंडल हैडक्वार्टर जाने के लिए और गांवों को जाने के लिए रेलवे ट्रैक क्रास करके खेती के लिए जाना पड़ता है। जहां पर आज तक कई लोगों के 'एक्सीडेंट हुए और गाय, बाल और पैंसों के भी एक्सीडेंट हुए। वहां के लिए अभी रेलवे आथोरिटीज ने बड़ी मुश्किल से एक प्रस्ताव बनाया है। उसको भी राज्य सरकार को देने के लिए कह दिया है। आपको राज्य सरकारों की हालत पता है कि जो पैसा केन्द्र से जाता है, उसी पैसे को ये घुमाते हैं। लेकिन वहां देने का कोई प्रावधान नहीं रखते हैं। मैं इस संदर्भ में एक-दो प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

इसलिए मैं दोनों जगहों पर बंजरपल्ली और डोरनाकल में जो सिगनलतांडा है, रेलवे मिनिस्ट्री मेहरबानी करके क्योंकि यह पिछड़ा इलाका है, ट्राईबल एरिया है जहां पर तीन लाख बंजारा ट्राईबल्स हैं जिन्होंने मुझे चुनकर भेजा है। इसलिए मैं उन लोगों की तरफ से गुजारिश करता हूं। यहां पर हमारे वेलु जी बैठे हैं।

उपाध्यक्ष जी, वेलू जी यहां बैठे हुये हैं, उन्हें मालूम है। वह कहते हैं कि एमपीलैड्स में पैसा दे दो। अगर सरकार यह 5 करोड़ रुपये एमपीलैड्स कर देती है तो हम दे सकते हैं। लेकिन सरकार हमें पैसा और नहीं देना चाहते है। हमारे रेल मंत्री श्री लालू जी बार-बार कह रहे हैं कि रेलवे को 20 हजार करोड़ रुपये का लाभ पहुंचा है। क्या ट्राइब्स एरिया के लिए रेल विभाग डेढ़ करोड़ रुपया नहीं दे सकती? मेरी गुजारिश है कि इस पिछड़े एरिया के लिये डेढ़ करोड़ रुपया सैंक्शन कर दीजिये।

उपाध्यक्ष जी, मैंने बार-बार द्रोणाचलम जं. की बात कही है। वहां इनफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग की फैसिलिटीज हैं, रेलवे एक यूनिट लगा सकती है लेकिन आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। मेरी गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दिया जाये। आदिलाबाद में बस्तर एक ट्राइब्ल एरिया है जो पिछड़ा हुआ है। वहां लालू जी जा चुके हैं। मैंने उनके सामने द्रोणाचलम, बंजरपल्ली का जिक्र कर दूं कि वहां के लोग परेशान हैं। सिगनल टाडा के लिये डेढ़ करोड़ रुपया चाहिए। वह रेल विभाग को निर्देश करें तो यह काम हो सकता है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। रेलवे को 20 हजार करोड़ रुपये का फायदा बताया जा रहा है, केवल डेढ़ करोड़ रुपया चाहिये, वह रेलवे कर सकती है। इसी प्रकार

[श्री रविन्दर नाइक धारावत]

आदिलाबाद में बस्तर नामक जगह पर एक सरस्वती का टैम्पल है जो बहुत फेमस है। लोग दूर-दूर से दर्शन करने आते हैं। वहां रेल लाइन बिछाये जाने के लिये रिक्वैस्ट कर चुका हूं। इसके अलावा मनहूर-रामागुंडम बंजरपल्ली एरिया के सर्वे के लिये कहा है। इसी तरह भद्राचलम रोड और कुवूर के लिये एक नई लाइन बिछाये जाने की प्रार्थना कर चुका हूं। यह तेलंगाना का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लोग बार-बार आंदोलन कर रहे हैं। लालू जी ने भी तेलंगाना राज्य के लिये खुलकर कहा है। मेरी प्रार्थना है कि वहां सर्वे के लिये निर्देश दें ताकि काम को बल मिले।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत प्रसन्न है कि इस वर्ष लालू जी ने 20,000 करोड़ रुपये लाभ के साथ रेल बजट प्रस्तुत किया है। देश के लोगों को वास्तव में ऐसे ही रेल बजट की आवश्यकता है। यह एक आदर्श रेल बजट है जिसे लालू जी ने तैयार किया है। अपनी ओर से और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की ओर से मैं लालू जी को वास्तव में धन्यवाद देता हूं। रूपाई से परशुराम कुण्ड तक अरुणाचल प्रदेश में एक नई रेल लाइन बिछाई गई है। इसलिए मैं अपने लोगों और पूर्वोत्तर की ओर से लालू जी को धन्यवाद देता हूं।

लेकिन, महोदय, आम बजट वास्तव में भ्रामक बजट है। यहां हमें वित्त मंत्री ने भ्रम में डाल दिया है। हम सभी जानते हैं कि यूपीए के भागीदारों में मतभेद हैं। लेकिन भगवान के वास्ते, ये मतभेद आम बजट में नजर नहीं आने चाहिए। लालू जी के रेल मंत्रालय ने बताया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रांग्य-मुकोंग सेलेक, बोगीबिल पुल दीमापुर-कोहिमा और अरिया से बर्नीहाट नामक' चार राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि माननीय वित्त मंत्री ने लालू जी के साथ या फिर यूपीए के साथ अपने मतभेदों को उजागर किया है। यह तो मुझे नहीं मालूम लेकिन उन्होंने केवल बोगीबिल पुल का ही उल्लेख किया है। उत्तरी असम और अरुणाचल के लोगों के लिए यह बहुत निराशाजनक है।

अत:, मैं इस सरकार से आग्रह करता हूं कि माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट में पूर्वोत्तर क्षेत्र की चार राष्ट्रीय परियोजनाओं के बारे में जो भी कहा है, उस पर विचार किया जाना चाहिए।

अपराह्न 2.49 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

महोदया, मैं इस महत्वपूर्ण सदन में एकमात्र ऐसा संसद सदस्य हूं जिसके राज्य में किसी प्रकार का रेल संपर्क नहीं है। संपूर्ण देश मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ है और रेल नेटवर्क पूरे देश में पहुंचा हुआ है। कल मुझे माननीय मिस्त्री जी की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह तीन लेन वाली रेलवे लाइन की मांग कर रहे थे। इस बात से मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई रेलवे संपर्क नहीं है।

लालू जी यहां मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2005-06 में आपने मुकौंगसलेक से पासीघाट रेल लाइन का सर्वेक्षण और जांच के लिए सम्मिलित किया था। परन्तु वर्तमान रेल बजट में आपने मुकौंगसलेक से पासीघाट का उल्लेख नहीं किया है जो कि मेरे जिला मुख्यालय से होकर जाता है और जहां पर अधिकतर व्यवसायी बिहार के हैं। इसीलिए उन्हें रेल संपर्क की आवश्यकता है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को रेल संपर्क की आवश्यकता है।

महोदया, असमी भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है "कबोलो दिले हुबोलाइ विसारे" जो कि संसदीय कार्य मंत्री माननीय हांडिक जी को भी याद होगी। जब आप किसी व्यक्ति को भोजन देते हैं तो वह आश्रय की भी मांग करेगा। इसी प्रकार, मुख्य भूमि में रेल लाइनों का विस्तार हुआ है। 65000 किलोमीटर से अधिक रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है परन्तु हमें अरुणाचल प्रदेश की ओर भी ध्यान देना है। हमें सिक्किम की ओर भी ध्यान देना है। लालू जी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में से कुछ सौ करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश के लिए दें ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम रेल सेवाओं से जुड़े हुए हैं।

महोदया, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। प्रारंभ से ही गुवाहाटी से मुकौंगसेले तक अरुणाचल एक्सप्रेस नामक एक रेलगाड़ी चलती है। उस रेलगाड़ी का नाम अरुणाचल प्रदेश के नाम पर है। परन्तु आज तक उस रेलगाड़ी ने अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश नहीं किया है। अत: हमें रेल-संपर्क की आवश्यकता है और रेल संपर्क को सदैव आर्थिक व्यवहारिकता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अरुणाचल प्रदेश तक रेल सेवाओं का विस्तार करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका आर्थिक व्यहार्यता नहीं है तो चीन अरुणाचल प्रदेश के भूभाग पर अपना दावा क्यों करता? चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा करके उसका आर्थिक महत्व देख रहा है परन्तु इस देश का रेल विभाग या हिन्दुस्तानी रेलवे अरुणाचल प्रदेश तक रेलवे की सेवाओं के विस्तार में कोई आर्थिक व्यवहार्यता नहीं देख रहा है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव: वहां रेलवे लाइन भी नहीं है। यहां भी समय नहीं देंगे तो इसे सदन में हमारी जगह कहां है?

[अनुवाद]

महोदय, अत: मैं इस यूपीए सरकार से रोंगिया से मुकौंगसेलेक तक बड़ी लाइन का विस्तार करने का अनुरोध करता हूं। लालू जी पिछले वर्ष आपने यह कहा था कि रोंगिया से मुकौंगसेलेक तक बड़ी लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसका विस्तार मुकौंगसेलेक से पासीघाट तक क्यों नहीं किया जा सकता? अरुणाचल प्रदेश तक ले जाने के लिए केवल 30 किलोमीटर लंबी लाइन की आवश्यकता है। माननीय रेल मंत्री कृपया इस बात को ध्यान में रखें कि राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित की गई रोंगिया से मुकौंगसेलेक रेल लाइन का पासीघाट तक विस्तार किया जाए।

यहां मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए लीडो से निआउ और लीडो से जोइरामपुर तक एक नई रेल लाइन बिछाने के लिए भी अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इन दो विशेष स्थानों पर तेल के कुएं और कोयले भंडार मौजूद हैं। अत:, भविष्य में इस नई रेल लाइन को शामिल किया जाए ताकि अरुणाचल प्रदेश के चैंगलांग जिले के उस भाग के लोगों को भी रेल सेवाओं का लाभ मिल सके। जोइरामपुर को रेल सेवाओं से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हम म्यांमार के साथ कुनमिंग तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर व्यापार कर सकते हैं। अत:, देश के भविष्य के लिए जोइरामपुर का रेल सेवाओं से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है।

लालू जी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के बारे में बहुत सतर्क होंगे। इसका एक मंडल पश्चिम बंगाल में है और एक बिहार में है। बिहार पूर्वोत्तर क्षत्र का हमारा बड़ा सहयोगी है। पश्चिम बंगाल भी हमारा बड़ा सहयोगी है। परन्तु एक मंडल को आप हमेशा पश्चिम बंगाल और बिहार से क्यों जोड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक अलग रेलवे मंडल की आवश्यकता है। गत दो वर्षों में रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अंतर्गत 200 पदों हेतु भर्ती की है। 200 पदों में से केवल 47 उम्मीदवारों का चयन असम से और एक उम्मीदवार का चयन मणिपुर से हुआ है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से किसी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है। अत:, रेल विभाग में हमारी भागीदारी होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों से संबंधित उस क्षेत्र के लोगों को भी रेलवे सेवाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। उस क्षेत्र के लोगों के साथ यह एक अन्याय है।

मैं संरक्षा, स्वच्छता तथा अन्य पहलुओं जिनके संबंध में माननीय सदस्यों ने इस सम्मानीय सभा में उल्लेख किया है, के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरी चिंता रेल संपर्क को लेकर है। अत:, मैं इस संबंध में बार-बार अनुरोध करना चाहूंगा। इस संबंध में मैं तीन वर्षों से मांग कर रहा हूं। गत वर्ष जब मैंने इस सभा में अपना भाषण दिया था तो उसके उत्तर में एक अधिकारी ने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में भालुकपुंज तक रेल संपर्क स्थापित है। मैं रेलवे के ऐसे अधिकारियों से भालुकपंज का दौरा करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह पता चल सके कि रेलवे लाइन कहां तक है। यह लाइन असम के क्षेत्र में है। असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में समान नाम चलता है। महोदया, इस मामले को गंभीरता से लिया जाए।

चीन, हिमालय क्षेत्र में ल्हासा से 240 किलोमीटर आगे तक रेल लाइन का विस्तार करने जा रहा है। हम पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों तक रेल लाइनों का विस्तार क्यों नहीं कर सकते?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है, अब आप कंक्लुड कीजिए।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यह केवल 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 70 किलोमीटर का प्रश्न है। अत:, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के एकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रेल सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को रेल सेवाओं से जोड़ने के लिए आर्थिक संभाव्यता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महोदया, मुझे विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी रेल सेवाओं का अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार करेंगे।

***श्री ए.वी. वेल्लारमिन** (नागरकोइल): महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी को इस ''घिसी-पिटी कहावत'' कि बजट के बाद महंगाई बढ़ेगी को झुठलाने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपनी प्रशंसनीय व चमत्कारिक कार्यप्रणाली के द्वारा यात्रियों के अनुकूल रेल बजट में न केवल किराया व मालभाड़े में वृद्धि न होने दी अपितु उनमें कुछ सीमा तक कमी की।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री ए.वी. बेल्लारमिन]

उनकी देख-रेख में भारतीय रेल ने वर्ष 2006-07 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जिससे मंत्री जी को रेलवे को संगठित करने में सहायता मिली। उन्होंने एक नए तरीके से विस्तार और प्रतिस्पर्धा करने पर भी विचार किया है। रेल बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:- वातानुकूलित और शयनयान श्रेणियों के भाड़ों में कमी की गई; सुपर फास्ट रेलगाड़ियों में अधिभार में 20 प्रतिशत कटौती की गई; सं.लो.से.आ. की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भाड़े में 50 प्रतिशत की रियायत; दूध और सब्जियां के लिए विशेष डिब्बे; आम आदमी के लिए आठ गरीब रथ; सदियों पुरानी लकड़ी की सीटों को बदलकर गद्देदार बनाना और शयनयान डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना। बजट में ये सभी पहलें प्रशंसनीय और स्वागतयोग्य है।

देश के लिए 32 रेलगाड़ियों में से पांच रेलगाडियां तमिलनाडु के लिए हैं। मंत्री जी तमिलनाडु के लोगों की प्रशंसा के पात्र हैं। कन्याकुमारी जिले के लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि नागरकोइल-कोयम्बटूर एक्सप्रैस ट्रेन को प्रतिदिन चलाना उनका एक बहुत बड़ा सपना रहा है। कोट्टायम यात्री ट्रेन की सेवा फिर से बहाल किया जाना भी उनके लिए राहत का एक और कारण है।

फिर भी बजट में कन्याकुमारी के लोगों की एक बहुत पुरानी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरकोइल से तंजौर, नागापट्टीनम से वेलांकन्नी, नागरकोइल से बंगलौर के लिए रेलगाड़ियां; तूतीकोरिन और त्रिवेन्द्रम के लिए अतिरिक्त यात्री रेलगाड़ियां; क्विलोन, मदुरै यात्री रेलगाड़ी का त्रिची तक विस्तार और नागरकोइल से तूतीकोरिन और मैसूर को रेल सेवाओं से जोड़ने की मांग की गई थी।

सभी रेलगाड़ियों को कन्याकुमारी से प्रारंभ और वहीं समाप्त करने की मांग कश्मीर को कन्याकुमारी से रेल द्वारा जोड़ने के स्वप्न को पूरा करने के लिए पारंगतता का विषय है। चूंकि कन्याकुमारी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता वाला पर्यटन स्थल और तीन समुद्रों का मिल स्थल है।

अवसंरचना के विकास के अतिरिक्त भी जैसे चेन्नई-कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी से लाईन का दोहरीकरण, पार्वतीपुरम में रेलवे स्टेशन का निर्माण जोकि शहर के मध्य में है, की लोगों को अत्यधिक आवश्यकता है।

नागूर, वेलाकन्नी, तूतीकोरिन, तिरूचेंदूर के तटों के साथ चेन्नई से त्रिवेंद्रम की तटीय लाईन में प्राकृतिक सौंदर्य के साथ यात्रा मनोरम हो जाएगी।

समाप्त करने से पूर्व मैं माननीय मंत्री जी से दिहाड़ी श्रमिकों जिन्हें 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्य को हटा दिया गया था, को पक्का करने की अपनी पुरानी मांग को पूरा करने का निवेदन करता हूं। शेष प्रशिक्षुओं, जिन्हें पक्का किया जाना है, उन्हें पात्र श्रेणियों में स्थान दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से गुप्त मतदान जैसा कि स्वीकृत किया गया है, द्वारा कर्मचारी संघों को मान्यता देने पर विचार करने का अनुरोध भी करता हूं ताकि छद्म-संघ कार्यकरणियों को छांटा जा सके।

[हिन्दी]

***श्रीमती सुमित्रा महाजन** (इन्दौर): महोदय, पुरानी कहानी है कि एक राज्य पर दूसरे राजा ने आक्रमण किया। आक्रमण करने वाली सेना जैसे-जैसे नजदीक आती गई सैनिक अपने राजा को कार्रवाई करने के लिए आग्रह करते रहे, परन्तु राजा अपनी मस्ती में ही रहा, जब आक्रमणकारी सेना महल तक पहुंच गई तो उसके पहुंचने की सूचना राजा को मिली और राजा महल छोड़कर भाग गया और प्रजा पराधीन हो गई। ऐसी ही परिस्थिति रेल भवन की है। योजना की वास्तविकता तथा उसके धरातल के संबंध में स्थान पर ऊपरी लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से रेल बजट प्रस्तुत किया गया है। कल तकलीफ शुरू होने पर यही मंत्री हाथ ऊंचा करेंगे।

किराया न बढ़ाना एक अच्छी परम्परा हो सकती है, बशर्ते इसका दूरगामी परिणाम रेलवे की वित्तीय स्थिति पर न हो। प्रस्तावित बजट में रेल किराया बढ़ाने से बचने के लिए अन्य उपाय बजट से पूर्व से ही कर लिए गए, जैसे यात्रियों में तत्काल आरक्षण के लिए 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत शायिकाएं आरक्षित की जाने लगीं, जिसका सीधा अर्थ यह हुआ कि सामान्य यात्रियों को 30 प्रतिशत सीटें कम उपलब्ध हुईं और 30 प्रतिशत सीटों के लिए अधिक धनराशि वसूली जाने लगी, जो सामान्यत: उस यात्री गाड़ी के लिए प्राप्त होने वाली आय करीब 40 प्रतिशत बढ़ गई। इस तरह से सामान्य यात्रियों की सुविधाएं तो कम हुईं व अपरोक्ष रूप से किराया राशि भी बढ़ा दी गई। यही रास्ता यात्री गाड़ियों को सुपर फास्ट की श्रेणी में रखने के लिए अपनाया गया। इस बजट में एक बात और कही गई है कि किराया तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आरक्षण करते समय यदि आपको लोअर बर्थ नहीं मिली और लोअर बर्थ की मांग की तो आपको उसके लिए ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा।

माल ढुलाई वैगनों में ओवर लोडिंग को नियमित कर आमदनी बढ़ाई, दूसरी ओर इस बजट में एक्सैस लोड वाली वैगनें प्रचालित करने का निर्णय लिया गया। ज्यादा भार ढोने वाली मालगाड़ी तथा अधिक गति से चलने वाली यात्री गाड़ियां दोनों ही दशा में रेलवे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ट्रैक पर बढ़ रहे दबाव व उस अनुरूप क्षरण के संबंध में कोई नीति स्पष्ट रूप से बजट में नहीं दीखती। जहां तक आंकड़ों का खेल है, पटरियों के आवश्यक बदलाव के लिए अत्यंत अपर्याप्त धनराशि का आबंटन किया गया है। जो इस बात का द्योतक है कि भविष्य में उनके टूट-फूट से दुर्घटनाएं बढ़ेंगी तथा अतत: रेलवे की वित्तीय पर अत्यधिक भार पड़ सकता है। जो तात्कालिक रूप मे अच्छी वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली परिस्थिति की वास्तविकताएं आम आदमी को महसूस करायेंगी। अभी समय है जब दिखावे के स्थान पर हम सच्ची वास्तविकताओं का सामना करें।

जहां तक यात्री सुविधाओं का प्रश्न है, यात्री गाड़ियों के रख-रखाव का मानक 2500 कि.मी. के स्थान पर 3500 कि.मी. किया जाना प्रस्तावित है, परंतु इस स्तर पर ले जाने के पूर्व अच्छी क्षमता वाले डिब्बों का निर्माण व उनके रख-रखाव की उच्च क्षमता आवश्यक है। जिस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मैं यात्री सुविधाओं की दृष्टि से अपने क्षेत्र की बात करूंगी। प्रथमत: रतलाम-खंडवा आमान परिवर्तन की केवल सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, जबकि इस परिवर्तन को उच्च प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक था। जिससे उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाली सबसे कम दूरी वाले मार्ग से न केवल यात्रियों को वरन रेलवे के लिए भी एक लाभप्रद मार्ग उपलब्ध हो सकेगा तथा अन्य लाइनों का दबाव भी कम किया जा सकेगा। परंतु इसको प्राथमिकता न देकर विभाग ने अपनी अदूरदर्शिता तथा अपरिपक्वता ही दिखाई है। ऐसा ही उदाहरण मक्सी-देवास-इंदौर-गोधरा रेलवे लाइन निर्माण का है, जिस पर इस बजट में केवल 6 करोड़ रुपये की धनराशि ही आबंटित की गई है तथा यह प्रचारित किये जाने की कोशिश की है कि सरकार आदिवासी हितों का ध्यान रख रही है। वास्तविकता में एन.डी.ए. के कार्यकाल में मक्सी-देवास मार्ग में 42 करोड़ रुपये की लागत से कार्य पूर्ण किया गया था तथा विगत 3 वर्षों में 40 करोड़ रुपये की धनराशि देने के पश्चात भी जमीनी वास्तविकता पर एक पैसे की राशि व्यय नहीं की गई। ऐसे में 40 करोड़ रुपये के व्यय से कुछ भी प्राप्तियां रेल विभाग को नहीं हुई, जिससे यह व्यय नकारात्मक होता है। आवश्यक यह था कि विगत 20 वर्षों से स्वीकृत इन लाइन को प्राथमिकता देकर पूर्ण किया जाना था।

यात्री गाड़ियों की दृष्टि से इंदौर-पूना यात्री गाड़ी नियमित की जानी आवश्यक है, जिससे इंदौर मुम्बई के मध्य बढ़ते यात्री दबाव को बिना कोई अतिरिक्त गाड़ी चलाये कम किया जा सकता है। इस यात्री गाड़ी के फेरे बढ़ाये जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। परंतु फेरे बढ़ाने के लिए दिये जाने वाले अतिरिक्त रेक से ही इसे नियमित रूप से चलाया जा सकता है। इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। इंदौर-नागपुर यात्री गाड़ी को हैदराबाद होते हुए बंगलौर तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को विगत दो वर्षों से टाला जाता रहा है, जबकि इसी मार्ग पर यात्री गाड़ियां बढ़ाई जाती रही हैं। इंदौर एक उभरता हुआ आई.टी. शहर है तथा इसका सीधा संपर्क प्रमुख आई.टी. शहर हैदराबाद/बंगलौर से होना आवश्यक है, जिसका लाभ अंतत: प्रदेश व देश के विकास में होता है।

इंदौर-हावड़ा-क्षिप्रा एक्सप्रेस, इंदौर, त्रिवेन्द्रम, अहिल्यानगरी, इंदौर, पटना एक्सप्रेस ऐसी गाड़ियां हैं जिनके फेरे विशेष रूप से क्षिप्रा व अहिल्यानगरी एक्सप्रेस के फेरे विगत 15 वर्षों से नहीं बढ़ाये गये। मैं समझती हूं कि इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। इंदौर के बढ़ते हुए व्यावसायिक व औद्योगिक आकार को देखते हुए इंदौर स्टेशन के विस्तार की दृष्टि से इंदौर में एन.टी.सी. मिलों की जगह प्राप्त कर नया स्टेशन व विचरण क्षेत्र बढ़ाया जाना आवश्यक है अथवा इसी स्थान का उपयोग रख-रखाव के लिए किया जाना विभाग के हित में ही होगा। इस संबंध में मैं विभाग से विगत तीन वर्षों से आग्रह कर रही हूं। डालमियानगर बिहार के बंद कारखानों की जमीन राजनीतिक उद्देश्य साधन के लिए रेलवे 140 करोड़ रुपये में खरीद लेती है, जहां पर रेलवे की कोई योजना नहीं है। लेकिन जहां आवश्यक है, ऐसी इंदौर की एन.टी.सी. की जमीन जो केवल 20 करोड़ के आसपास है, बार-बार निवेदन पर भी रेल विस्तार के लिए इस जमीन को खरीदने पर रेल विभाग जरा भी ध्यान नहीं दे रहा है।

इंदौर की जनता को व्यापार आदि के लिए विभिन्न कार्यों के लिए मुंबई जाना पड़ता है। वहां इन लोगों की काफी तादाद है। उनको लोकल ट्रेनों में प्रवास करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस बजट में मुंबई की उपेक्षा की गई है। मुंबई से केन्द्र सरकार के कोष में करों के माध्यम से 40 प्रतिशत धनराशि दी जाती है तो महाराष्ट्र सरकार को 60 प्रतिशत धनराशि दी जाती है। 2005-2006 में मुंबई उपनगरीय रेल सेवा को रुपये 94.00 करोड़ का मुनाफा हुआ तो कोलकाता में रुपये 629.00 करोड़ और चेन्नई में रुपये 135.00 करोड़ का घाटा हुआ। फिर भी मुंबई के साथ अन्याय हुआ है।

मुंबई लोकल ट्रेनों की भीड़ को कम करने के लिए पुराने डिब्बों को बदलकर नये डिब्बे लगाये जाएं और सभी गाड़ियां 12 डिब्बों की कर दी जाएं, जिससे लोकल में प्रवास करने वाले यात्री सुरक्षित महसूस कर सकें। 2007-2008 के बजट में लोकल गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए और यह कार्य युद्ध स्तर पर निपटाया जाना चाहिए। इस कार्य के लिए बजट में पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

मुंबई में महिला प्रवासी की संख्या भी कम नहीं है। दिनों-दिन नौकरी आदि के लिए हर महिला घर से बाहर जाती है। अत:

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

महिला गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाए। लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन है तो ज्येष्ठ नागरिकों को भी उसी का उपयोग करना पड़ता है। अत: उनकी सुविधा, सुरक्षा के प्रावधान भी बजट में किया जाने चाहिए।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह बजट आम जनता के बजट का दिखावा भर है। जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा है।

[अनुवाद]

***डा. के.एस. मनोज** (अलेप्पी): मैं, वर्ष 2007-08 के रेल बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय रेल मंत्री जी को रेल बजट तीसरी बार प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, वो भी यात्री और माल भाड़ा दरों को बढ़ाए बिना। बल्कि उन्होंने दोनों को कुछ स्तर तक कम ही किया है तथा भारतीय रेल के आधुनिकीकरण और सुरक्षापायों पर बल दिया है। भारतीय रेल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाने के अपने प्रयास हेतु वह बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ ही मैं भारतीय रेल में कुछ सेवाओं जैसे खानपान और पार्सल सेवाएं और भाड़ा आवाजाही का निजीकरण करने तथा सरकारी-निजी भागीदारी योजना के रूप में महत्वपूर्ण रेलवे भूमि को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में रेलवे की भूमिका में समेकित परिवर्तन के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। वह दावा कर रह थे कि वे रेलवे के अंधे निजीकरण के हित में नहीं हैं और न ही सरकारी-निजी भागीदारी उनके लिए कोई बाध्यता या फैशन है। मैं भारतीय रेल की विभिन्न सेवाओं के निजीकरण का विरोध करता हूं।

महोदया, राष्ट्रीय अखण्डता भारतीय रेल की पहचान है। इसलिए रेल बजट तैयार करते समय देश के सभी राज्यों पर विचार किया जाना चाहिए। परन्तु सामान्यत:, इस बजट में भी, इस मापदण्ड की अवहेलना की गई है। कुछ राज्यों को अधिक महत्ता मिलती है जबकि अन्य की अवहेलना की जाती है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय उन राज्यों के रोष को शांत करेंगे।

रेलवे प्लेटफार्मों पर रेलवे लाइसेंस युक्त कुली, खानपान कर्मी, सामान बेचने वाले और एसटीडी बूथ पर काम करने वाले के संबंध में भारतीय रेलवे ने अपने मानवीय दायित्व को खो दिया है और ब्रिटिश शासन के अवशेष के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। रेलवे ने इन गरीब लोगों को बाहर फैंकने में कोई दया नहीं दिखाई है और इन सेवाओं को बड़े खिलाड़ियों को देने का प्रयास कर रही है।

महोदया, केरल राज्य को भारतीय रेलवे से अपेक्षित सेवाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, मैं आपके विचार और उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य की कुछ आवश्यक मांगों को रखना चाहूंगा।

(1) देश के पश्चिमी-तट क्षेत्र के रेलवे विकास को गति देने हेतु नए पश्चिमी तट जोन की स्थापना करना।

(2) पलक्कड़ रेलवे मण्डल का विभाजन करके सलेम मण्डल बनाने के प्रयास को रोकना, जिससे पलक्कड़ मण्डल बिखर जाएगा।

(3) शोरानूर-मंगलौर रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण पर विचार नहीं किया गया। इस पर वरीयता से विचार किया जाए ताकि मंगलौर से कन्याकुमारी के विद्युतीकरण को पूरा किया जा सके।

(4) अलप्पापुजा और कोट्टायम से अर्णाकुलम-कन्याकुमारी लाइन के लिए अधिक आवंटन उपलब्ध करवाया जाए।

(5) त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी लाईन के विद्युतीकरण पर विचार किया जाए।

(6) कोचूवेली से लोकमान्य तिलक के लिए प्रारंभ रेलगाड़ी गरीब रथ का मार्ग अलेप्पी तटीय लाइन से होकर किया जाए।

विशिष्ट पश्चिमी तट रेलवे जोन की स्थापना

केरल राज्य दक्षिणी रेलवे जोन में आता है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। रेलवे बजट में आवंटन जोन को किया जाता है न कि राज्यों को और केरल में रेलवे विकास हेतु उपलब्ध कराई गई राशि हमेशा अपर्याप्त होती है। इन्हीं कारणों से राज्य बार-बार इस राज्य हेतु विशिष्ट रेल जोन की मांग कर रहा है। रेलवे के अनुसार जोनों का निर्धारण क्षेत्रीय आधार पर नहीं बल्कि कार्य भार, अधिगमता भौगोलिक प्रसार और अन्य प्रशासनिक प्रचालनों के आधार पर किया जाता है। केरल के दो रेलवे मण्डल पलक्कड और तिरूअनंतपुरम तीन राज्यों अर्थात् केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैले हैं, जिससे अनेक भौगोलिक, प्रचालनात्मक और प्रशासनिक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

समस्याओं का जन्म होता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि केरल राज्य की आवश्यकताएं और भौगोलिक प्रसार पड़ोसी राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक से काफी भिन्न हैं। राज्य में वर्तमान रेलवे अवसंरचना पूर्णत: अपर्याप्त है और मेट्रो रेल सुविधा भी नहीं है। हाल ही में सलेम में मुख्यालय वाले नये रेलवे मण्डल की स्थापना के कारण भी जन साधारण में काफी आक्रोश है। यह स्वाभाविक है कि इससे पालघाट रेलवे मण्डल का विकास भी कम होगा क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है कि जो खण्ड तमिलनाडु राज्य में है वह स्वाभाविक रूप से पालघाट रेलवे मण्डल के विकास को कम करेंगे। इसलिए अलग जोन की मांग बिल्कुल न्यायोचित है और इसमें केरल के लोगों की अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि केरल के लिए एक पश्चिम तट जोन का निर्धारण किया जाए, जिसका मुख्यालय तिरूअनंतपुरम में हो।

नई पर्यटन ट्रेन

केरल इस शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसे नेशनल जियोग्राफिक द्वारा विश्व के सबसे प्रसिद्ध 'दर्शनीय' स्थलों में से एक बताया गया है। पिछले कुछ वर्षों में केरल में पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों, की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ मिलकर रेलवे द्वारा प्रारंभ की गई पैलेस ऑन व्हील्स रेलगाड़ी ने अनेक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है। इसलिए, ऐसा महसूस किया जाता है कि इसी प्रकार की एक अन्य रेलगाड़ी दक्षिण भारत में चलाई जानी चाहिए जो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को जोड़े, जिससे दक्षिण भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। साधन युक्त, आधुनिक, वातानुकूलित रेल डिब्बों से युक्त तथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाली एक रेलगाड़ी प्रारंभ की जाए ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक दक्षिण भारत के प्राकृतिक सौंदर्य विशेषकर केरल, 'द गोड्स ओन कंट्री' का आनंद ले सके।

नई रेल डिब्बा/इंजन मरम्मत यूनिट की स्थापना

रेलवे रैक/इंजन को मरम्मत कार्य के लिए चेन्नई ले जाया जाता है, जिसके कारण अत्यधिक विलंब होता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि तिरूअनंतपुरम-कन्याकुमारी लाईन पर एक रेल डिब्बा/इंजन मरम्मत केन्द्र स्थापित किया जाए। जो कि नीमोन में उपलब्ध रेलवे भूमि पर बनाया जाए तो बेहतर होगा।

अलेप्पी

इस रेलवे स्टेशन की ऐतिहासिक महत्ता के बारे में रेलवे प्राधिकारियों को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। परन्तु यह पाया गया है कि इस तथ्य को अपेक्षित महत्ता नहीं दी गई है। ज्यादा भीड़-भाड़ के समय एक अतिरिक्त काउण्टर खोलने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और यह बात मण्डलीय रेल प्रबंधक के ध्यान में पहले ही लाई जा चुकी है। इस पर विचार किया जाए।

अलेप्पी रेलवे स्टेशन को स्टेशन के समग्र विकास के लिए स्थायी सुविधाएं दी जाए।

समुचित सुविधाओं सहित एक वी आई पी लाउंज या स्वीट। एक पुलिस सहायता केन्द्र और प्री-पेड आटो रिक्शा भी आवश्यक हैं।

नई गाड़ियां

(एक) त्रिवेन्द्रम से नई दिल्ली के लिए एक नई गाड़ी अथवा चण्डीगढ़ को जाने वाली कोचविली-सम्प्रथांत एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जाए।

(दो) अर्नाकुलम-बंगलौर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाना।

(तीन) अलप्पुजा शोरानुर-अर्नाकुलम तक गाड़ी पहुंचाना।

(चार) अर्नाकुलम-कोल्लम के समय को जनवरी 2007 पूर्व समय-तालिका की तरह पुन:निर्धारण करना।

दो पहिया और चौपहिया वाहनों के लिए तत्काल एक पार्किंग शेड का निर्माण किया जाए।

समुचित पेयजल उपहार केन्द्रों, अमानती सामान कक्षों और पर्यटक सूचना केन्द्र की सुविधाएं प्रदान कर स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए। प्लेटफार्म 2 और 3 की छतों को बढ़ाने पर उचित ध्यान दिया जाए।

थुरावूर स्टेशन

तटवर्ती लाइन पर यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस स्टेशन के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

प्लेटफार्म 2 की छत बढ़ाने और प्लेटफार्म 1 और 2 को जोड़ने के लिए पैदल पार पुल के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

समपार से थुरावूर रेलवे स्टेशन सड़क की मरम्मत की जाए और उसे पक्का किया जाए।

इस स्टेशन को कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं दी जाए।

[डा. के.एस. मनोज]

थमबाल्ट

मौजूदा प्लेटफार्म की लंबाई और ऊंचाई बढ़ाने का सुझाव है और तदनुसार यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएं। उचित प्रकाश व्यवस्था और पेयजल सुविधा प्रदान की जाए और स्टेशन का नाम बदलकर एलेप्पी उत्तर किया जाए।

चेरथला

अलेप्पी-एमाकुलम तटवर्ती लाइन के साथ लगे अंजिलिपलम पर 35 किमी/100-200 नई समपार बनाने पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

मौजूदा प्लेटफार्म की पूरी लंबाई पर छत का निर्माण किया जाए। यात्री सुविधाओं युक्त एक कम्फर्ट स्टेशन, वाहनों हेतु प्रतीक्षा शेड का निर्माण, पेयजल हेतु वाटर कूलरों और नलों की व्यवस्था की जाए। चेरथला स्टेशन से पार्सल बुकिंग सेवा पुन: प्रारंभ की जाए।

वाहनों हेतु प्रतीक्षा शेड के निर्माण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अंबलापुझा

कायमकुलम-एमाकुलम तटवर्ती लाइन के रास्ते गुजरने वाली अधिकांश गाड़ियों के लिए यह क्रासिंग स्टेशन है। सुविख्यात श्रीकृष्ण स्वामी मन्दिर इस स्टेशन से बहुत पास है। अत: मंदिर के शहर को ध्यान में रखते हुए सभी एक्सप्रेस और सुपर एक्सप्रेस गाड़ियों को यहां पर रोके जाने पर विचार किया जाए।

पैदल पार पुल नया बनाया जाए। और मौजूदा प्लेटफार्म की छत बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

हरटाड

दक्षिण केरल का एक मंदिरों का शहर, लेकिन स्टेशन पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इस स्टेशन की निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं-

- दूसरे प्लेटफार्म और रेल ओवरब्रिज का निर्माण
- कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोला जाए
- वाहनों हेतु पार्किंग शेड
- हरीपद से पार्सल बुकिंग सेवा बहाल की जाए
- केएसआरटी के निकट रेलवे स्टेशन से रा. राजमार्ग-97 तक सड़क बहुत खराब हालत में हैं। सड़क चौड़ी की जाए, इसकी मरम्मत की जाए और इसे पक्का किया जाए।
- उचित भुगतान पर प्रयोज्य शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण।
- शौचालयों, स्नानगृहों और अमानती सामान कक्ष युक्त कम्फर्ट स्टेशन मुहैया कराया जाए।
- प्लेटफार्म और स्टेशन परिसरों में प्रकाश व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हें तत्काल प्रदान किया जाए।
- हरीपद स्टेशन में मौजूदा यात्री सुविधाएं अपर्याप्त हैं और इनमें सुधार किया जाए।

अरूर

- अरूर रेलवे स्टेशन का क्रासिंग स्टेशन के रूप में उन्नयन किया जाए।
- मौजूदा प्लेटफार्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाई जाए।
- प्लेटफार्म की छत बढ़ाई जाए और स्टेशन पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की जाए।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-47 तक रेलवे स्टेशन रोड को ठीक किया जाए।
- यात्री सुविधाओं में सुधार।

वायलार

वायलार स्टेशन का प्लेटफार्म बहुत नीचा है इसे ऊंचा किया जाना चाहिए ताकि यात्री गाड़ी में सरलता से चढ़-उतर सकें। चूंकि प्लेटफार्म की लंबाई बहुत कम है और आमतौर पर अंतिम और पहले दो, तीन डिब्बे हमेशा प्लेटफार्म से बाहर होते हैं। गाड़ी में महिला डिब्बा आखिर में होने से यह प्लेटफार्म से बाहर होता है, इसलिए महिलाओं की परेशानी बढ़ जाती है।

इससे बचा जा सकता है। इसलिए प्लेटफार्म की लंबाई बढ़ाई जाए।

पुन्नप्रा

पुन्नप्रा-एमाकुलम-एलेप्पी-कायमकुलम तटवर्ती लाइन के साथ स्थित स्टेशनों में है। अब राज्य सरकार ने मेडिकल कालेज हास्पीटल,

अलेप्पी को वादनम अंतरित कर दिया है। वादनम पुन्नप्रा पंचायत में एक गांव है जो अलेप्पी से 7 कि.मी. दक्षिण की ओर है। नया मेडिकल कालेज परिसर 22.1.2007 से चल रहा है। मेडिकल कालेज परिसर के अंदर ही एक नया सरकारी नर्सिंग कालेज भी शुरू हो गया है। बहुत जल्दी यहां वाइरोलाजी और संक्रामक रोग यूनिट भी खुल जाएगी। अत: मेरा सुझाव है कि मौजूदा पुन्नप्रा रेलवे स्टेशन को वंदनम में अंतरित कर दिया जाए जहां मेडिकल कालेज है। वहां अब अलेप्पी, मेडिकल कालेज हास्पीटल परिसर और सरकारी नर्सिंग कालेज है और स्टेशन का नाम बदला जाए तथा तदनुसार उसका उन्नयन किया जाए। एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस और फास्ट पैसेन्जर गाड़ियों को वंदनम में रोकने की समुचित व्यवस्था भी की जाए और पुन्नप्रा रेलवे स्टेशन पर अस्थायी रूप से गाड़ी रोकने की अनुमति के लिए अंतरिम व्यवस्था की जाए।

समपार को बंद करना

अंजिलीपुरम में समपार के निर्माण की मांग निर्णय हेतु लंबित है, ऐसे समय में यह जानकारी आश्चर्यजनक है कि रेल प्राधिकारियों ने एमाकुलम-अलेप्पी-कायमकुलम तटवर्ती लाइन के पास विद्यमान पोंच समपार को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है।

सं. 8 अरनोर कलाथिल मंदिर जंक्शन

सं. 33 अरथुसल बाइपास जंक्शन

सं. 35 वल्लाइल भगोम, चेरथला

सं. 63 बप्पू वाडयार जंक्शन, मंगलम, एलेप्पी

सं. 73 वडम्कल पोइनी, एलेप्पी, उन समपार में से है जिसे बंद किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी समीक्षा तथा इस पर पुन: विचार किया जाए।

श्री ए. साई प्रताप (राजमपेट): सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए रेलवे बजट का समर्थन करता हूं। मैं पिछड़े क्षेत्र की परियोजनाओं पर विशेषकर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र की परियोजनाओं पर विचार करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद, माननीय राज्य मंत्री श्री आर. वेलु और नारनभाई रठवा, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र में आने वाली हमारी परियोजनाओं की सिफारिश करने और हस्तक्षेप करने के लिए मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। कडप्पा और बंगलौर के बीच एक नई लाइन बिछाने में सहायता देने के लिए मैं आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी

गरू का भी आभार व्यक्त करता हूं। सर्वेक्षण के बाद इस लाइन की कुल अनुमानित लागत 693.71 करोड़ रु. है। हमारे माननीय रेल मंत्री ने राज्य सरकार के मुख्यमंत्री को राज्य में क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में 50 प्रतिशत भागीदारी के लिए पत्र भी लिखा है।

इस संबंध में, माननीय मंत्री जी ने पृष्ठ 78 पढ़ते हुए बताया कि ऐसी परियोजनाओं को अनुमति और स्वीकृति मिलने के बाद ही प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में, मैं माननीय रेल मंत्री से अपने विचार व्यक्त करने का निवेदन करता हूं विशेषकर इसलिए कि यह काफी समय से लम्बित मामला है। 1989 से मैं इस मामले को उठा रहा हूं। इस बार, माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद ने कम से कम इस पर विचार तो किया है और हमारे मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और 693.73 करोड़ रु. की कुल लागत में 50 प्रतिशत भागीदारी के लिए भी सहमत हो गए हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से वाद-विवाद का उत्तर देते समय बंगलौर-कडप्पा लाइन के बारे में उल्लेख करने का विशेष निवेदन करता हूं। जो कडप्पा से लक्कीरेड्डीपल्ली, रायाचोरी, वायाल्पद, मदनपल्ली और रामासमुद्रम और कोलार होते हुए गुजरती है। ये सभी पिछड़े क्षेत्र हैं। मैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र से संबंध रखता हूं। इस संबंध में, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आर ओ आर कारक 17 प्रतिशत से भी अधिक आया है।

धर्मावरम-पाकाला लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में, यह मामला पहले भी सदन के नोटिस में लाया जा चुका है और वर्ष 1996-1997 में स्वीकृति भी दे दी गई थी। अब इसकी कुल अनुमानित लागत 300 करोड़ रु. है जो कि आवश्यक है। पिछले वर्ष केवल 11 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। 13 करोड़ रु. व्यय किये गये थे। इस वर्ष, हमारे माननीय मंत्री, श्री लालू प्रसाद ने विचार किया और 85 करोड़ रु. स्वीकृत किए। मदनपल्ली के लोगों ने भी मदनपल्ली से पाकला तक पदयात्रा की थी। वे इस आमान परिवर्तन कार्य को पूरा किए जाने की मांग कर रहे हैं। चूंकि हमारे माननीय रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि देश में लंबित आमान परिवर्तन कार्य तीन वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे, मैं उनसे इस कार्य को प्राथमिकता देने का आग्रह करता हूं।

227 किलोमीटर रेललाइन को आमान परिवर्तन के लिए शामिल करने हेतु जो स्वीकृत किए गए 85 करोड़ रुपए के अतिरिक्त 50 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की जाए। ताकि जैसा कि उन्होंने घोषणा की है कि यह आमान परिवर्तन कार्य तीन वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

अपराह्न 3.00 बजे

[श्री ए. साईं प्रताप]

महोदया, मैं येरागुंतला-नांदयाल लाइन के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। येरागुंतला में, अनेक बड़े सीमेंट कारखाने स्थापित किए गए हैं और यहां से लाखों टन सीमेंट देश के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। यह येरागुंतला-नांदयाल लाइन एक चालू परियोजना है। पिछले वर्ष इसके लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इस वर्ष 15 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हमने 85 से 100 करोड़ रुपए की मांग की है। कुल 173 करोड़ रुपए की जरूरत है। अत: मैं माननीय मंत्री श्री लालू प्रसाद से इस विशेष लाइन पर विचार करने का निवेदन करता हूं क्योंकि यह हैदराबाद और देश के अन्य भागों के लिए छोटा मार्ग है।

मैं विशेष रूप से रेनिगुंटा और गूटी के बीच विद्युतीकरण और दोहरीकरण से संबंधित विषय के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। यह विषय यहां उठाया गया है और माननीय मंत्री ने 99 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जबकि 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। यह मामला काफी समय या यू कहें दशकों से लंबित है। यह मामला काफी पहले उठाया जा चुका है। नन्दलूर तक विद्युतीकरण हो चुका है। यह गूटी तक किया जाना है। इस लाइन में, रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है क्योंकि अन्य जोनों की तुलना में दक्षिण मध्य रेलवे में, रेलवे को आंध्र प्रदेश में इस लाइन से 5400 करोड़ रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। यदि यह दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाता है तो रेलवे की आय बढ़ाई जा सकती है और रेलवे के लिए हम अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं।

नई लाइन के संबंध में, जैसा कि मेरे अन्य साथियों माननीय सदस्य श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी और कर्नल निजामुद्दीन ने निवेदन किया है, इस रायदुर्ग-कल्याणदुर्ग-पवगादा-भदाकसिरि-मधुगिरि-टुमकुर लाइन के सर्वेक्षण के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। मैं माननीय रेल मंत्री से सर्वेक्षण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि जारी करने का निवेदन करता हूं।

मैं ओबुलावरीपल्ली-कृष्णापटनम पत्तन लाइन के बारे में एक महत्वपूर्ण पहलू माननीय मंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूं। यह कृष्णापत्तनम पत्तन मुख्य पत्तनों में से एक है जिसका निर्माण हो रहा है। पुन: यह भी आंबुलावरीपल्ली से एक छोटा मार्ग है। बेल्लारी और देश के अन्य भागों से अधिकांश लौह अयस्क कृष्णापत्तनम पत्तन पर लदान के लिए ढोया जाएगा। इसके लिए पिछले वर्ष 3.85 करोड़ रुपए दिए गए थे और इस वर्ष केवल एक करोड़ रुपए दिए गए हैं। मैं माननीय मंत्री से इस चालू परियोजना पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

पैसेंजर ट्रेन के संबंध में, माननीय मंत्री ने कहा कि सभी धीमी गति की पैसेंजर रेलगाड़ियां रद्द कर दी जाएंगी और डीएमयू और ईएमयू ट्रेन शुरू की जाएगी। इस संबंध में, यदि वे इससे सहमत होते हैं तो मैं उनसे निवेदन करूंगा और रायलसीमा क्षेत्र के लोगों की तरफ से अपील करूंगा कि नंदलूर से रेनिगुंटा तक ईएमयू शुरू की जा सकती है और नन्दलूर से तडपत्री तक डीएमयू शुरू की जा सकती है। किसानों, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह अत्यंत उपयोगी होगी। मैं माननीय मंत्री से इस निवेदन पर विचार करने को कहता हूं। मैं पुन: उल्लेख कर रहा हूं कि नन्दलूर से रेनिगुंटा के बीच ईएमयू और नन्दलूर से तडपत्री के बीच डीएमयू शुरू की जा सकती है।

अब मैं आधुनिकीकरण के विषय पर आता हूं। आपने देश में 300 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के मामले को लिया है। स्टेशनों का 'ए' से 'ई' श्रेणी तक श्रेणीकरण किया गया है। यह पैसेंजर ट्रेनों से प्राप्त आय पर आधारित है। कडप्पा स्टेशन को अब 7 करोड़ से अधिक प्राप्त हो रहे हैं अत: उन्होंने इसे 'ए' श्रेणी का स्टेशन माना है। जब आप आधुनिकीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कडप्पा को आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल करने का निवेदन करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैंने संसदीय समिति में अनेक बार इस विषय को उठाया है कि सभी संसदीय मुख्यालयों को महत्व दिया जाना चाहिए और ऐसे स्टेशनों को कम से कम 'ए' श्रेणी या 'बी' श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

महोदया, अब मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे इस गरिमामय सदन को एक महत्वपूर्ण बात बतानी। कल माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य ने जो रेल संबंधी स्थायी समिति के सभापति भी हैं, एक तारांकित प्रश्न पूछा था और उन्होंने विशेषकर माननीय मंत्री जी से पूछा था कि क्या चालू परियोजनाएं हैं और क्या ऐसी परियोजनाएं भी लंबित हैं जिनके लिए केवल एक करोड़ रुपए या दो करोड़ रुपए या तीन करोड़ रुपए की जरूरत है।

उन्होंने माननीय रेल मंत्री से विशेष तारांकित प्रश्न पूछा था। श्री वेलु ने उत्तर दिया कि 275 चालू परियोजनाएं हैं और उनके लिए कुल 58.000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। रेल संबंधी स्थायी समिति में हमने अनेक बार चर्चा की है कि कम से कम 500 करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए ताकि काफी समय से लंबित परियोजनाएं जिसका मैंने उल्लेख किया है, पूरी की जा सके। ...*(व्यवधान)* रेल संबंधी समिति का सभापति होने के नाते, उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। हमने अनेक बार चर्चा की है कि जब हम मीटिंग के लिए नोटिस प्राप्त

करते हैं, हमें दक्षिण भारत से एक बार के लिए 20,000 रुपए से विमान भाड़ा देते हुए आना पड़ता है। अत: सरकार बैठक में उपस्थित होने के लिए एक सदस्य पर लगभग 50,000 रुपए खर्च कर रही है। जबकि हमें अपने क्षेत्र से संबंधित विषय पर चर्चा के लिए दो या पांच मिनट मिलते हैं। जबकि हमने इस विषय को प्रस्तुत किया है तथा अध्यक्ष महोदय एवं माननीय मंत्री जी को भी कई बार अभ्यावेदन भी दिया है, मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम उन सदस्यों को महत्व दिया जाए जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े विषयों के बारे में चर्चा की है।

अंत में, मैं आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बारे में कहूंगा। नि:संदेह, हमने गत दिनों में आन्दोलन चलाया था। श्री लालू प्रसाद जी बहुत ही दयालु हैं कि उन्होंने रायलसीमा को पिछड़ा क्षेत्र कहा है। कुल मिलाकर, आंध्र प्रदेश के संसद सदस्य माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मिले थे और उन्हें अभ्यावेदन दिया था कि इस वर्ष के रेल बजट में आंध्र प्रदेश में परियोजनाओं को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएं। जबकि श्री लालू प्रसाद जी उत्तर देने जा रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया आंध्र प्रदेश में लंबित परियोजनाओं पर विचार करें।

इसके साथ ही, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदया, मुझे इस रेल बजट का स्वागत करते हुए खुशी है और मैं भारतीय रेल को एक लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम बनाने के लिए रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद एवं अन्य राज्य मंत्रियों को बधाई देता हूं।

मैं अधिक विस्तार में न जाते हुए केरल से जुड़े कुछेक अति महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करना चाहूंगा। शोरानूर-मंगलोर रेल खंड केरल में रेल के पूर्ण विकास के लिए पूर्वापेक्षित है। कोंकण रेलवे का उद्देश्य शोरानूर-मंगलोर रेल लाइन को दोहरा किए जाने एवं इसका विद्युतीकरण करने के पश्चात ही पूरा होगा। इसलिए इस उद्देश्य के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाना होगा।

केरल में अन्य कई राज्यों की अपेक्षा रेल का घनत्व अधिक है क्योंकि विद्यार्थी, कामगार एवं कार्यालय जाने वाले सहित बहुसंख्यक लोग सड़क मार्ग की अपेक्षा रेल भार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इसलिए उन्हें अधिक रेल सुविधा की आवश्यकता है। इस संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप या तो कन्नूर से बंगलोर या एर्णाकुलम से बंगलोर अथवा त्रिवेन्द्रम से बंगलोर नियमित रेल चलाएं क्योंकि बहुत अधिक संख्या में लोग बंगलोर में रह रहे हैं।

यह सही है कि दिल्ली हमारी राजधानी है तथा यहां से किसी भी ट्रेन के परिचालन को नहीं बढ़ाया गया है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे राजधानी अथवा संपर्क क्रांति ट्रेनों के परिचालनों को बढ़ाएं। इससे न केवल केरल को बल्कि अन्य कई राज्यों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। यह रेल मंत्रालय के लिए एक दुर्लभ जानकारी होगी कि कालीकट से मंगलोर के लिए लगातार पांच घंटे तक कोई ट्रेन नहीं है। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कालीकट से मंगलोर के बीच एक इन्टरसिटी ट्रेन चलाएं।

मैं मा. रेल राज्य मंत्री श्री आर. वेलु को स्मरण कराना चाहूंगा कि जब उन्होंने गत वर्ष कासरगोड का दौरा किया था, उन्होंने सार्वजनिक तौर से मंगलोर से कन्नूर अथवा कालीकट तक लोकल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। एक वर्ष बीत गया किंतु यह वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में निर्णय लिया जाए।

मैं और किसी विषय के तह में नहीं जाना चाहता हूं। हमें सलेम मंडल बनाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है किंतु जहां तक केरल का संबंध है, भारतीय रेल इतिहास में पलक्कड रेल मंडल सबसे पुराना है। इसलिए रेल मंत्री ने हमसे वादा किया था कि जब यह नया मंडल बनाया जाएगा तो इसे विज्ञानुमोदित, युक्तियुक्त एवं कुछ मानदंडों के आधार पर बनाया जाएगा।

हम जानते हैं कि भारतीय रेल वास्तव में हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले एवं विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग प्रतिदिन रेल में यात्रा करते हैं। इसलिए श्री लालू वास्तव में गर्व कर सकते हैं कि रेल राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया है।

नए मंडल अथवा नए क्षेत्र के सृजन में कुछ मापदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि हम पलक्कड़ मंडल का विभाजन करते हैं तो यह पलक्कड़ मंडल जो सबसे महत्वपूर्ण मंडलों में से है, एक छोटा मंडल बन जाएगा तथा सलेम मंडल इससे बड़ा मंडल बन जाएगा। हम सलेम मंडल के विरुद्ध नहीं हैं। इस संदर्भ में, मैं न केवल केरल बल्कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र हेतु एक मंडल क्षेत्र संबंधी केरल सरकार की मांग को प्रस्तुत करना चाहूंगा।

यह सही है कि भारतीय रेल में तीव्र उन्नति की प्रवृत्ति है किंतु क्षेत्र एवं मंडल के प्रतिदिन के प्रशासन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक पश्चिमी तटीय क्षेत्र हो जिसमें गोवा, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु को भी शामिल किया जाए। इससे सही मायने

[श्री पी. करूणाकरन]

में न केवल केरल बल्कि सभी दक्षिणी राज्यों को भी लाभ मिलेगा। हमें समझना चाहिए कि रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है और यह अपने सामाजिक एवं सार्वजनिक चरित्र के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किंतु निजीकरण के कारण कई लोगों से रोजगार के अवसर छिन रहे हैं। श्री लालू कुलियों एवं साधारण कामगारों को पंसद करते हैं किंतु रेलवे द्वारा इस नई नीति को अपनाए जाने के कारण हजारों कुली एवं लाइसेंसशुदा विक्रेता बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से इस मामले का समाधान निकालने का अनुरोध करूंगा।

यह सही है कि मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से रेलवे एक लाभदायक संगठन बन गया है। इसके साथ ही हमें उन 40,000 कामगारों को सलाम करना होगा जो रेलवे की प्रगति के लिए परिश्रम करते रहे हैं। इसलिए कामगारों के मुद्दे एवं उन कामगारों की आवश्यकताओं जिन्होंने एक लम्बे समय से रेलवे की सेवा की है, पर विचार किया जाना चाहिए।

यहां हमने जो कुछ मुद्दे उठाए वे न्यायसंगत थे और मैं मानता हूं कि माननीय रेल मंत्री के उत्तर में इन मुद्दों को स्थान दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वनलाल जावमा (मिजोरम): महोदया, मुझे माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी और माननीय राज्य मंत्री श्री वेलु जी के समक्ष भारत के पूर्वोत्तर कोने अर्थात् मिजोरम की समस्याओं पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद।

महोदया, हमारे पास मिजोरम के उत्तरी कोने में केवल डेढ़ कि.मी. लम्बी रेलवे लाइन है और बेराबी में एक छोटा मीटर आमान वाला रेलवे स्टेशन है। यह मिजोरम राज्य की एक विशिष्ट विशेषता है। कुछ विद्यार्थी और अध्यापक रेलवे लाइन और मिजोरम में रेलवे स्टेशन को देखने जाते हैं। परन्तु बेराबी स्थित रेलवे स्टेशन का अनुरक्षण बहुत घटिया है। मेरा पहला निवेदन यह है कि बेराबी रेलवे स्टेशन सहित रेलवे लाइन के अनुरक्षण में सुधार किया जाए।

दूसरे, मिजोरम में केवल डेढ़ कि.मी. रेलवे लाइन ही है। सैरंग—जोकि मिजोरम की राजधानी आइजोल शहर के बाहरी हिस्से में स्थित है, तक रेलवे लाइन के विस्तार हेतु सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। यह वर्तमान बेराबी स्टेशन के केवल 51.38 किलोमीटर है। मैं माननीय मंत्री जी से इस परियोजना को प्रारंभ करने का आग्रह करना चाहूंगा। इस हेतु सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

कुल अनुमानित लागत केवल 519.34 करोड़ रु. है और यह भारतीय रेलवे के लिए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस परियोजना को इसी वर्ष प्रारंभ करें। यह मेरी दूसरी बात है।

मेरी तीसरी बात यह है कि मेरे राज्य में हमारे पास केवल एक पी आर एल या कंप्यूटरीकृत बुकिंग काउंटर है जो कि आइजोल, मिजोरम की राजधानी में है, और इस पीआरएल से मासिक आय 15 लाख रु. से अधिक है। हम लोग लुंगलेइ, कोलासिब और मिजोरम के अन्य जिलों में पीआरएस की स्थापना हेतु काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह पीआरएस 1997 में प्रारंभ किया गया था और जैसा कि मैंने कहा, आईजोल में आय 15 लाख प्रति माह थी।

यह मेरी तीन बातें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मिजोरम के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन पर कार्यवाही करें।

[हिन्दी]

श्री कृष्णा मुरारी मोघे (खरगौन): सभापति महोदया, जो रेल बजट पेश हुआ और उसके बारे में जो चर्चाएं हुयी, उसमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का लाभांश, बिना किराये को बढ़ाते हुए, बताया गया है। निश्चित रूप से यह अच्छा कदम था। किंतु इसके साथ में कई ऐसे तथ्य हैं, जिन की ओर देखने से ऐसा लगता है कि माननीय रेल मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। आज आश्चर्य होता है कि आजादी के 60 वर्ष के बाद भी देश के अनेक जिले ऐसे हैं, जो रेल सुविधाओं से वंचित हैं। मैं जिस प्रदेश से आता हूं, उस प्रदेश में आज भी छः जिले ऐसे हैं, जहां के लोगों ने आज तक रेल नहीं देखी। इन जिलों को रेलवे लाइन से जोड़ने का प्रयास इस बजट के अंदर कहीं दिखायी नहीं दिया। वास्तव में जिन सुविधाओं का विचार इस बजट के अंदर हुआ है, उसके लिए जितना नेटवर्क बढ़ना चाहिए, लेकिन उस नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आवंटन काफी कम है।

तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात रेलवे सुरक्षा के बारे में कही गयी है। पहले जो आवंटन हुआ उसको 6 वर्ष में रेल मंत्रालय नहीं खर्च पाया। उन्होंने कहा कि एक वर्ष की मोहलत और इस बजट के अंदर प्राप्त हुयी है, जिसके अंदर हम इसकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन इसका भी कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं दिखायी देता, जिससे यह लगे कि सिक्योरिटी के बारे में गंभीरता से विचार हुआ है और उन सब चीजों को पूरा करने का कोई गंभीर प्रयास होगा। रेल की दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उस दृष्टि से भी कोई कारगर योजना इसमें दिखायी नहीं देती है।

जहां तक रेल सुविधा की दृष्टि से कोच के अंदर सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही गयी है, तो वास्तव में कोच तो वही रहेंगे, पर जब उनकी संख्या बढ़ायी जाएगी, तो पैंसेजर्स अपना समान लेकर जब जाते हैं, तो उसको कितनी दिक्कत होती है। अब सीट की संख्या बढ़ने के बाद अंदर का स्थान और कम होने से जो असुविधा होगी, उसका भी पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, जहां आज भी 60 वर्ष के बाद रेलवे लाइन नहीं है। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। यह चारों दिशाओं दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम रेलवे लाइन को जोड़ता है, किंतु आंतरिक दृष्टि से आज भी इस बजट में केवल एक रेलवे लाइन इंदौर-दाहोद, बस्ती-दाहोद को दिया गया है। रतलाम-नीमच रेलवे लाइन को जोड़ दिया गया है। किन्तु जब तक उसे खंडवा तक नहीं जोड़ा जाता, तब तक उस रेल के आमान परिवर्तन का पूरा लाभ लोगों को प्राप्त नहीं होगा। यदि वह जोड़ा जाता है तो राजस्थान और बालवांचक के लिए दक्षिण भारत जाने की दूरी लगभग सौ किलोमीटर कम हो जाती है। उस योजना को ग्यारहवें वित्त आयोग में रखा गया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उसे इसी योजना में जोड़ते हुए आमान परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाए।

जैसे मैंने कहा कि मेरे यहां रेलवे लाइन है ही नहीं। दो जिला केन्द्रों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र दिए गए हैं। किंतु ओंकारेश्वर सेना और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलने की स्वीकृति रेल मंत्रालय दे। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा।

इंदौर औद्योगिक दृष्टि से बड़ा है। वहां एक स्वदेशी मिल बंद हो गई है जिसकी लगभग 15 एकड़ जमीन अभी खाली पड़ी हुई है। बहुत समय से प्रस्ताव है कि उसमें पश्चिमी रेलवे की कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री लगाई जानी चाहिए। स्टेशन का एक्सपैंशन भी हो सकता है। यदि वहां कोच रिपेयरिंग की फैक्ट्री लगाई जाती है तो निश्चित रूप से उसका लाभ इंदौरवासियों और नीमचवासियों को होगा। इसलिए इसे भी प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।

रेल मंत्री जी यह तीनों मांगें पूरी करने की कृपा करें, ऐसा आग्रह करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): सभापति महोदया, क्या रात के खाने का इंतजाम करना पड़ेगा?

सभापति महोदया: नहीं, उससे पहले ही चर्चा समाप्त हो जाएगी।

श्री लालू प्रसाद: माननीय सदस्य बोलकर निकलते जा रहे हैं तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा।

सभापति महोदया: आपकी बात सुनने के लिए सब सदस्य वापिस आ जाएंगे।

[अनुवाद]

***श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** (कालीकट): महोदया, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं चूंकि इसमें आम आदमी की समस्याओं को उठाने का और रेलवे की छवि सुधारने का प्रयास किया गया है। यह सराहनीय है कि रेल मंत्री ने लगातार चौथी बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें किरायों में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है कि श्री लालू प्रसाद यादव भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति और प्रभाविकता में सुधार करने में सफल रहे हैं। और इस कार्य में पूर्व में अनेक विशेषज्ञ और महारथी असफल रहे थे।

तथापि, मैं यह बताना चाहूंगा कि केरल को कुछ अधिक मिलना चाहिए था। अनेक दशकों से राज्य को इस क्षेत्र में रेलवे के विकास हेतु इसका वांछित भाग नहीं मिल रहा है। स्थिति को और गंभीर बनाते हुए, कई वर्ष पुराने पलक्कड डिविजन को छोटा करके उसमें सलेम डिविजन बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसने क्षेत्र के लोगों को निराश किया है और उन्हें कष्ट पहुंचाया है। ऐसे प्रयास से भय है कि यह पलक्कड डिविजन को आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी बनाएगा और अन्ततः डिविजन नष्ट हो जाएगा। इस कदम को उठाने हेतु कोई उचित तर्क नहीं है। जब कुछ सप्ताह पूर्व केरल के संसद सदस्यों द्वारा इसे माननीय रेलवे मंत्री के ध्यान में लाया गया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि संपूर्ण मामले को देखा जाएगा। अब हम पाते हैं कि भारी मात्रा में निधियां सलेम डिविजन को आवंटित की गई हैं, जिसने एक बार फिर पलक्कड़ डिविजन के भविष्य के संबंध में अनिश्चितताओं और चिन्ताओं को जन्म दिया है। महोदया, पलक्कड़ डिविजन केरल में सबसे पुराने डिविजनों में से एक है। इसका अवसान निसंदेह पूरे राज्य के लिए कष्टपूर्ण होगा। इस डिविजन को रखने और केरल को मदद करने का उपाए केवल यही है कि राज्य में एक रेलवे जोन स्थापित किया जाए जिसके अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाए।

हम चेरललाई में डिब्बा फैक्ट्री की घोषणा के लिए आभारी हैं। परन्तु परियोजना हेतु आवंटन मात्र 10 लाख रु. है, जबकि वर्तमान अनुमानों के अनुसार परियोजना को पूरा करने में 85 करोड़ रु. की आवश्यकता होगी। अपर्याप्त आवंटन से परियोजना में विलंब और लागत में वृद्धि होगी। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करता

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

हूं कि परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित करें। यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि पेराम्बूर के बाद मूलत: पलक्कड़ में रेल डिब्बा फैक्ट्री की परिकल्पना की गई थी। हमारे पास अभी करनाल में रेल डिब्बा फैक्ट्री है और एक अन्य हेतु रायबरेली में शिलान्यास किया जा चुका है। एक बार फिर केरल की अवहेलना की गई है। क्या आप इसकी जांच करेंगे और इस क्षेत्र की अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे?

केरल से संबंधित अन्य मामले भी हैं। इस वर्ष प्रारंभ की गई 32 नई एक्सप्रैस रेलगाड़ियों में से केरल हेतु कोई भी नहीं है। राज्य को केवल गरीब रथ मिला जिसकी घोषणा पहले की गई थी और वह भी केवल सप्ताह में दो बार। क्या इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन नहीं चलाया जा सकता?

महोदया, मालाबार क्षेत्र के बारे में अधिक विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र से बंगलौर जाने वाले यात्रियों की संख्या हजारों में है। कन्नूर से बंगलौर के लिए प्रतिदिन एक रेलगाड़ी की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। मैं आपसे सविनय अपील करूंगा कि इस लंबे समय से चली आ रही अपील पर विचार करें। इस क्षेत्र में विद्युतीकरण काफी धीमी गति से किया जा रहा है। इस हेतु शीघ्र ध्यान देने और अधिक निधियां आवंटित करने की आवश्यकता है। महोदया, इस क्षेत्र के रेलवे ऊपरी पुलों को पूरा करने हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है। कई दशकों से इन अपूर्ण पुलों को ध्यान नहीं दिया गया है। पालघाट से कन्नूर तक अनेक ऐसे पुल हैं। नागरिकों हेतु अधिक कष्टदायक यह है कि इन पुलों के निर्माण के समय मार्ग परिवर्तन द्वारा वाहनों की आवाजाही हेतु निर्मित अस्थायी सड़कें अब बुरे हाल में हैं और जिस कारण ट्रैफिक आवाजाही में जाम लग रहे हैं। कोजीकोड रेलवे स्टेशन हेतु निधि आवंटित की गई है, परन्तु कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है। समस्या का समाधान करने हेतु आपका ध्यान शीघ्र अपेक्षित है।

समाप्त करने से पूर्व मैं निलांबूर-नानजनगोडे और तलासरी-मैसूर रेलवे लाइनों के सर्वेक्षण की घोषणा हेतु मालाबार के लोगों की ओर आभार व्यक्त करना चाहता हूं। परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि इन सर्वेक्षणों के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। यदि इन रेलवे लाइनों को कार्यान्वित करना है तो सर्वेक्षण को शीघ्र पूरा कर कार्य को जल्दी प्रारंभ करना चाहिए।

मैं पुन: आपसे अपील करता हूं कि मेरे सुझावों पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करें।

श्री जे.एम. आरून रशीद (पेरियाकुलम): सभापति महोदया, राजग शासन के दौरान किरायों और भाड़ों में वृद्धि के साथ और घोषित योजनाओं को स्थगित करते हुए रेलवे बजट का अर्थ था घाटे का बजट। तथापि, संप्रग अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के कुशल नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, माननीय रेल मंत्री का रेल बजट आम आदमी का बजट सिद्ध हुआ है। गरीब और दलित लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में जैसे दफ्तर जाने वाले, छोटे व्यापारियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, आदि के लिए किरायों में कमी की गई है। हर कोई इस रेल बजट की प्रशंसा कर रहा है।

व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने और सड़क परिवहन सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने से यातायात अवरोध बढ़ा है। भारतीय रेल ने उसी रैंक में दो बिन्दुओं के मध्य नई बोगियां जोड़ते हुए कुछ मिलियन टन तक इसकी मालवाहक क्षमता बढ़ाकर और डिब्बों की मालवाहन क्षमता 65 टन तक बढ़ाकर भी इस चुनौती का सामना किया है। भारतीय रेल लाभकारी सरकारी उद्यम बन गया है। माननीय रेल मंत्री ने नए अस्पताल खोलकर और परिवार कल्याण के लिए नई आधारभूत सुविधाएं देते हुए रेलवे कर्मचारियों पर ध्यान दिया है।

विपक्ष के पास इस बजट के विरुद्ध कहने को कुछ भी नहीं है, वह आम आदमी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहा है और इस बजट का विरोध कर रहा है। राजग गठबंधन के सदस्य भी मन ही मन इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं किन्तु सदन में इसकी आलोचना कर रहे हैं और साथ ही अपने संसदीय क्षेत्रों में अधिक ट्रेनें चलाए जाने की मांग कर रहे हैं। माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव केवल राष्ट्रहित को ध्यान में रख रहे हैं न कि दलगत हित। माननीय रेल मंत्री भारतीय रेल के संपूर्ण संगठन के कुशल निष्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं। वह हमारे देश के निर्धन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

मैं इस गरिमामय सदन को बताना चाहता हूं कि भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष को छोड़ प्रत्येक आम आदमी इस रेल बजट की प्रशंसा कर रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री को नया सलेम संभाग जो कि काफी समय से तमिलों का स्वप्न था खोलने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कल भी मैंने देखा कि केरल और कर्नाटक के कुछ सांसद गांधीजी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि तमिलनाडु के क्षेत्रों को पलक्कड संभाग में ले लिया गया है।

महोदया, मैं आपके नोटिस में कुछ संवेदनशील मुद्दे लाना चाहता हूं। जैसा कि मुल्लाईपेरियार बांध मुद्दे पर, समझौता

999 वर्ष पुराना था। बांध का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर बेन्नी क्विक ने 148 फीट के तल के साथ किया था। डा. कलाईग्नार के सभा में आने के बाद 1000 फीट लम्बाई और 152 फीट ऊंचाई के साथ तल 58 फीट बढ़ाया। चार या पांच बार, जब बाढ़ आई और जब जल स्तर 152 फीट भी पहुंच गया कोई क्षति नहीं हुई। मुल्लाईपेरियार से अल्लापुझा के बीच कोई बांध नहीं था। उन दिनों, पानी 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक बहता था। 1977 में, केरल सरकार ने 75 टीएमसी जल क्षमता वाले 555 फीट ऊंचाई के इदुक्की बांध का निर्माण किया। लेकिन मुल्लाईपेरियार बांध की ऊंचाई केवल 152 फीट और जल क्षमता 15 टीएमसी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: क्या यह रेल बजट से संबंधित है? ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: एमजीआर शासन के दौरान जब इदुक्की क्षेत्र में विरोध हो रहा था, तमिलों की सैकड़ों करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हुई, अनेक लोगों की जान गई; वाहनों को आग लगा दी गई। केरल में जन्मे श्री एम.जी.आर. केरल के ही टी.वी. एन्टोनी मुख्य सचिव के साथ तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के रूप में शासन कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: श्री आरून, क्या आप रेल बजट पर बोल रहे हैं?

श्री जे.एम. आरून रशीद: यह रेल बजट में आता है। तत्कालीन मुख्य सचिव और तत्कालीन मदुरई के जिलाधिकारी ने वार्ताओं में भाग लिया और बांध का जल स्तर 152 फीट से 136 फीट तक कम करने पर सहमत हुए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपको केवल रेल बजट पर बोलना है। यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: जब समस्या थी, तो मैंने माननीय रेल मंत्री से मुल्लाईपेरियार बांध से गुडलूर तक रेल लाइन बढ़ाने का निवेदन किया था क्योंकि अयप्पन मंदिर ...*(व्यवधान)* माननीय रेल मंत्री ने गुडलूर तक रेल लाइन बिछाने की घोषणा की है और सर्वेक्षण कार्य जारी है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह ठीक नहीं है। आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं माननीय रेल मंत्री से मेरे संसदीय क्षेत्र में थेनी और मदुरई के बीच यातायात बढ़ने के कारण दो रेलवे पुलों के निर्माण हेतु निवेदन करता हूं। ...*(व्यवधान)* अन्यथा, मुझे अपना भाषण सभा पटल पर रखना पड़ेगा। महोदया, आप मुझे मना नहीं कर सकती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: मैं आपको मना नहीं कर रही हूं। आप रेल बजट से संगत क्यों नहीं बोलते। आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जे.एम. आरून रशीद: मैं सत्ताधारी दल से हूं। कृपया मुझे दो मिनट दें, और मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा या अपना भाषण सभा पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय: हां, आप भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं लेकिन यह केवल रेल बजट से संबद्ध होना चाहिए।

श्री जे.एम. आरून रशीद: यह रेल बजट से संबंधित है। मैंने रेल मंत्री से अय्यप्पन मंदिर के तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए गुडलूर तक नई रेल लाइन बनाने का निवेदन किया है। रेल मंत्री से मेरा यह निवेदन काफी समय से लंबित है। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वेलु आए और उन्होंने इस योजना की घोषणा की। मैं माननीय रेल मंत्री से मदुरई-बोडी मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तन को युद्ध स्तर पर करने का निवेदन करता हूं।

जब माननीय रेल मंत्री मुंबई में रेलवे लाइन के आस-पास रहने वालों के लिए भवन निर्माण में इतने उदार हैं तो ऐसा ही थेनी में किया जाना चाहिए जहां रेलवे लाइन के पास रहने वाले निर्धनों के लिए एक कमरे वाले घरों का निर्माण किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: ठीक है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या ठीक है?

सभापति महोदया: आपको दस मिनट से अधिक हो गए हैं। मुझे खेद है। यह भाषण देने का सही तरीका नहीं है।

श्री जे.एम. आरून रशीद: उस स्थिति में, अपना शेष भाषण सभा पटल पर रख सकता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री जे.एम. आरून रशीद: ठीक है।

*श्री जे.एम. आरून रशीद: इस सम्माननीय सभा में मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राजग के शासन काल में रेल बजट का अर्थ था घाटे का बजट—यात्री और मालभाड़े में वृद्धि किया जाना और घोषित नीतियों का स्थगित किया जाना। परन्तु संप्रग की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने बजट में निर्धन और दलित यात्रियों के हितों में यात्री भाड़े में वृद्धि न करके यह सिद्ध किया है कि यह एक आम आदमी का बजट है। कार्यालयों में कार्यरत लोग, चाय, सब्जी और अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे-मोटे विक्रेता, वरिष्ठ नागरिकों सहित महिलाएं और गर्भवती महिलाएं सभी इस बजट की प्रशंसा कर रहे हैं। दूसरी ओर व्यवसायिक गतिविधियां बढ़ रही हैं और यातायात में वृद्धि होने से उचित सड़क परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं परंतु रेलवे ने उन्हीं रेलगाड़ियों में कुछ और डिब्बे जोड़कर उनकी नौभार क्षमता में कुछ मिलियन टन तक वृद्धि की है। डिब्बों/वैगनों की नौभार क्षमता में 65 टन तक की वृद्धि करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका परिवहन करके रेलवे सरकारी क्षेत्र का एक लाभकारी उपक्रम बन गया है।

रेल मंत्री ने नए अस्पताल खोलकर और परिवार कल्याण हेतु नई अवसंरचना सुविधाओं का सृजन करके अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है। विपक्ष के पास केवल घड़ियाली आंसू बहाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है। एक ओर उनका मन रेल बजट की प्रशंसा कर रहा है परंतु दूसरी ओर अपने निर्वाचन क्षेत्र में रेल मार्गों की मांग करके वे सभा में इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी केवल राष्ट्र हित को देख रहे हैं और वह रेल के संपूर्ण उत्कृष्ट निष्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं और हमारे देश के निर्धन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।

मैं इस सम्मानीय सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष के अतिरिक्त प्रत्येक आम आदमी इसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का नया सलेम मंडल आरंभ करके नए अवसर प्रदान करने हेतु उनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि तमिल लोगों की यह एक बहुत पुरानी मांग थी। मैंने कल भी यह देखा था कि केरल के सांसद पलक्कड मंडल में तमिलनाडु को कुछ क्षेत्र प्राप्त होने के कारण महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध कर रहे थे।

महोदया, मैं आपके ध्यान में कुछ संवेदनशील मुद्दे लाना चाहता हूं। मुल्लापेरियार मामले में 999 वर्षों का करार था। बांध का निर्माण एक ब्रिटिश इंजीनियर बेनी क्विक द्वारा किया गया था जिसमें 100 फीट लंबाई और 152 की ऊंचाई वाला 148 फीट का एक बेसमेंट था। उसमें 152 फीट तक पानी पहुंचाने के पश्चात लगभग चार से पांच बार बाढ़ आई थी। पानी से उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उन दिनों 150 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक करके पानी मुल्लापेरियार बांध से अल्लपुझा तक बहता था। 1977 में केरल सरकार ने 555 फीट की ऊंचाई और 75 टीएमसी क्षमता वाले इदुक्की बांध का निर्माण कराया। परन्तु 152 फीट ऊंचाई वाले हमारे मुल्लापेरियार बांध की क्षमता 16 टीएमसी थी। एमजीआर के शासन काल के दौरान जबकि इडुक्की क्षेत्र में विरोध हो रहा था तमिल लोगों की सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई। बहुत से लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वाहनों को आग लगाई गई। केरल में पैदा हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री एम.जी.आर. मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त एक केरलवासी श्री टी.वी. एंटोनी के साथ तमिलनाडु में शासन कर रहे थे। मदुरई के कलक्टर ने, जो कि मूलत: केरल से थे वार्ता की अध्यक्षता की और 555 ऊंचाई और 75 टीएमसी क्षमता वाले इडुक्की बांध के निर्माण के पश्चात् वे पानी के स्तर को 152 फीट से घटाकर 136 फीट करने के लिए सहमत हो गए।

अब, उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी खंडपीठ ने जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यदि जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाया जाता है तो उसकी क्षमता 126 टीएमसी तक हो जाएगी। केरल के लोग संसद को यह गलत जानकारी दे रहे हैं कि यदि बरसात के दौरान अधिक जल का बहाव होता है तो इससे चार जिलों में क्षति होगी जो कि सच नहीं है। यदि पानी 136 फीट से ऊपर बहता है तो पानी पहाड़ी क्षेत्रों में न कि मैदानी क्षेत्रों में केवल 45 किलोमीटर तक बहेगा। केरल सरकार ने कुला माऊ और सिरूथोनी नामक दो नए छोटे बांधों का निर्माण कराया है। इन दो बांधों को भरने के पश्चात्, अतिरिक्त पानी इडुक्की बांध में छोड़ा जा सकता है। केरल के लोग प्रदर्शन करते हुए तमिलनाडु के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। वे तमिलनाडु में उत्पादित सब्जियों, दूध, चावल आदि जैसी वस्तुओं को बेचने वाले तमिल व्यापारियों की पिटाई कर रहे हैं। तमिल घरों में लूटपाट की जा रही है। कावेरी मामले में भी इसी तरह का कार्य किया गया था। यह शर्म की बात है कि कावेरी न्यायाधिकरण के आदेश को न मानकर कर्नाटक के लोग भी वही कार्य कर रहे हैं। न्यायाधिकरण के आदेश को मानने के बजाय वे भी तमिलनाडु के वाहनों और कर्नाटक तथा होसुर आदि जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर भी हमला कर रहे है। कर्नाटक द्वारा उनके विरुद्ध न तो कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है और न ही कोई कार्यवाही की जाती है। कर्नाटक में रहने वाले तमिलनाडु के लोग भय के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

साए में जी रहे हैं। यह एक खतरनाक संकेत है। परन्तु, तमिलनाडु के लोगों ने अब तक किसी प्रकार का कोई आंदोलन कभी नहीं किया है और कर्नाटक/केरल के लाखों लोग, कर्मचारी/व्यवसायी शांतिपूर्ण तरीके से तमिलनाडु में रह रहे हैं। कुल मिलाकर महोदया, तमिलनाडु देश के शांतिप्रिय लोगों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। माननीय रेल मंत्री को कोयम्बटूर जैसे तमिलनाडु के क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए और सीमा से लगे हुए तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों को सलेम मंडल के साथ संबद्ध करना चाहिए। मैं डिंडीगुल से गुडालुर तक बड़ी लाइन की स्वीकृति की घोषणा करने हेतु माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इससे अयप्पन मंदिर जाने वाले लाखों तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। मेरा अनुरोध है कि प्रारंभिक सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के पश्चात् तत्काल कार्य आरंभ होना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि मदुराई छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का कार्य तत्काल आरंभ किया जाए। आस पास रहने वाले निर्धन लोगों को एक शयन कक्ष वाला घर प्रदान किया जाए क्योंकि रेल विभाग ने मुंबई रेल लाइन के आसपास रहने वालों को उदारतापूर्वक यह सुविधा प्रदान की है। महोदया, बड़ी इलायची, काली मिर्च और अन्य मसालों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय नीलामी केन्द्र है। चाय नीलामी केन्द्र भी वहां स्थित है। छोटे व्यापारी उनके द्वारा पैदा किए गए मसालों को बुक कराने के लिए उन्हें सड़क मार्ग से मदुरई या कोयम्बटूर ले जाते हैं। उन्हें दोहरे कर भुगतान, परिवहन व्यय और लदान और उतराई व्यय जैसे अन्य व्ययों को झेलना पड़ता है। मैं बाडी और थेनी में एक रेलवे नौभार बुकिंग केन्द्र खोलने का अनुरोध करता हूं। अधिकांश कपास उत्पादक थेनी, अमीठीपल्ली और आस-पास के क्षेत्रों में स्थित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से बाडी, तंजौर, नागौर, वेलंकन्नी के लिए नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने और बाडी से चेन्नई तक भी एक रेलगाड़ी चलाने का अनुरोध करता हूं इससे रेल विभाग अधिक राजस्व भी अर्जित कर सकता है। मैं यातायात की भीड़-भाड़ से बचने के लिए थेनी मुख्य मार्ग चौराहे और मदुराई बाइपास पर रेल पुलों के निर्माण का भी अनुरोध करता हूं। कार्यालय जाने के समय और संध्या के समय उन क्षेत्रों में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। रेल मंत्रालय आम आदमी के हित के लिए बहुत उदार रहा है। अत:, मैं माननीय रेल मंत्री जी से उन क्षेत्रों में रेल उपरिपुल बनाने पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के हित में है। मैं पुन: अपने माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद, श्री वेलु तथा उनके सहयोगियों का आम आदमी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला अच्छा रेल बजट जिसकी इस देश में सभी के द्वारा प्रशंसा की गई है, प्रस्तुत करने के लिए उनके कड़े प्रयासों के लिए धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** (बोलनगीर): महोदया, यद्यपि, मैं माननीय रेल मंत्री के प्रति कृतज्ञ हूं। क्योंकि विगत में भी उन्होंने उड़ीसा का ध्यान रखा है किंतु इस वर्ष के रेल बजट से थोड़ी निराशा हुई है। चूंकि माननीय मंत्री जी 'प्रबंधन गुरु' के रूप में विख्यात हैं, इसलिए उनसे लोगों की अपेक्षा भी बढ़ी है। किंतु दुर्भाग्यवश, उड़ीसा में नई लाइन बिछाने, आमान परिवर्तन एवं आमान के दोहरीकरण करने के लिए मात्र 550 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है एवं उड़ीसा के लिए एक मात्र ट्रेन अर्थात् भुवनेश्वर से रामेश्वरम की स्वीकृति दी गई है।

महोदया, आप पूर्व में मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रति दयालु रही हैं और मैं ईमानदारी पूर्वक आशा करती हूं कि आप भविष्य में भी इसके प्रति दयालु रहेंगी।

जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का संबंध है निम्नांकित चीजें आवश्यक हैं:-

1. नई ट्रेनों की मांग

(क) सम्भलपुर से हैदराबाद

(ख) बोलनगीर एवं टिटलागढ़ होते हुए पुरी से इलाहाबाद के लिए ट्रेन।

पूर्व में ट्रेन संख्या 8507/8508 हीराकुड एक्सप्रेस ट्रेन सम्भलपुर से एक स्लिप कोच लेकर चलती थी जिस स्लिप कोच को बिलासपुर में ट्रेन संख्या 5159/5160 सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाता था, जो इलाहाबाद तक जाती थी। रेलवे ने 8507/8508 हीराकुड एक्सप्रेस ट्रेन में वैक्युम ब्रेक के स्थान पर एअर ब्रेक प्रणाली लगाने के कारण इस सुविधा को समाप्त कर दिया था। यह ज्ञात हुआ कि हीराकुड एवं सारनाथ, दोनों ही एक्सप्रेस ट्रेनों में एअर ब्रेक प्रणाली लगा दी गई है। अत: बिना कोई विलंब किए सम्भलपुर से इलाहाबाद के बीच स्लिप कोच सेवा को पुन: शुरू किया जाना अब संभव है क्योंकि लोगों को 'अस्थि विसर्जन' के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है।

(ग) सम्भलपुर से टिटलागढ़ के बीच एक नई यात्री सवारी गाड़ी चलायी जाए जो सम्भलपुर से शाम में चले और टिटलागढ़ से सुबह में चले। चूंकि सम्भलपुर-टिटलागढ़ खंड पर 333/334 काराबांजी-बिलासपुर एकमात्र सवारी गाड़ी है जो सभी स्टेशनों पर रुकती है। 1400 बजे के बाद सम्भलपुर से टिटलागढ़ के बीच कोई ट्रेन सेवा उपलब्ध नहीं है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

2. ट्रेनों का परिचालन बढ़ाना

(क) सम्भलपुर से होकर विशाखापत्तनम एवं अमृतसर के बीच चलने वाली 8507/8508 हीराकुड एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को हफ्ते में तीन दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाया जाए क्योंकि पश्चिमी उड़ीसा से राजधानी-नई दिल्ली को जोड़ने वाली यह एकमात्र ट्रेन है।

(ख) 2145/2146 भुवनेश्वर-कुर्ला-भुवनेश्वर ट्रेन के परिचालन को बढ़ाकर सप्ताह में एक दिन के स्थान पर प्रतिदिन चलाना क्योंकि यह ट्रेन पश्चिमी उड़ीसा को मुम्बई से जोड़ती है।

(ग) बोलनगीर के रास्ते चलने वाली 8405/8406 पुरी-अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन को साप्ताहिक से बढ़ाकर हफ्ते में कम से कम तीन दिन चलाना क्योंकि पश्चिमी उड़ीसा के बहुत अधिक लोग अपनी जीविका के लिए सूरत, वडोदरा एवं अहमदाबाद तक की यात्रा करते हैं।

3. रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

(क) लोइसिंगा, मुरीबहाल एवं हरिशंकर रोड स्टेशनों पर विद्यमान यात्री सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। ये स्टेशन बहुत अधिक लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं इसलिए इनके उन्नयन की अत्यधिक आवश्यकता है। उच्च धरातलीय प्लेटफार्म; प्लेटफार्म आश्रय; प्रतीक्षालय एवं जलापूर्ति जैसी सुविधाएं तत्काल दी जानी चाहिए।

(ख) हरिशंकर रोड स्टेशन पर 24 डिब्बे वाले ट्रेन के लिए अतिरिक्त प्लेटफार्म की आवश्यकता है।

(ग) नौपाड़ा स्टेशन को सभी सुविधाएं मुहैया कर एक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए क्योंकि यहां जिला मुख्यालय है।

4. ट्रेनों का ठहराव

(क) नौपाड़ा स्टेशन, जहां जिला मुख्यालय है तथा जो मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। अधिकांश ट्रेनें इस स्टेशन पर नहीं रुकती हैं और लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर खरीअर रोड स्टेशन जाना पड़ता है। यह प्रबल सुझाव है कि 8517/8518 कोरबा-विशाखापत्तनम; 2807/2808 समता एक्सप्रेस; 2145/2146 भुवनेश्वर-कुर्ला; 8405/8406 पुरी-अहमदाबाद; 2843/2844 पुरी-ओखा एक्सप्रेस—इन सभी ट्रेनों का ठहराव नौपाड़ा रेलवे स्टेशन पर हो। 8405/8406 पुरी-अहमदाबाद एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव हरिशंकर रोड पर होना चाहिए। ट्रेनों का ठहराव मुरीबहल स्टेशन पर होना चाहिए।

5. नई लाइनें

(क) 700 करोड़ रुपए लागत वाली संस्वीकृत 289 किलोमीटर लंबी बोलनगीर-खुरखा रेलवे लाइन के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। इस वर्ष केवल 20 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि कार्य को शीघ्रता से करने एवं परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए निधि आबंटन में वृद्धि की जाएं। आज की तारीख तक केवल मात्र 67.87 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

6. सड़क ओवरब्रिज की सुविधा

माननीय मंत्री जी की कृपा रही कि उन्होंने टिटलागढ़ पर अत्यधिक व्यस्त लेबेल क्रासिंग पर अतिमहत्वपूर्ण ओवरब्रिज की बहुप्रतीक्षित मांग को गत वर्ष के बजट में शामिल किया था इस पर 3.8 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। तथापि, यह कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। महोदय इसे जल्द शुरू कराने की कृपा करें।

7. ट्रेनों की परिचालन दूरी में वृद्धि

सम्भलपुर एवं हावड़ा के बीच चलने वाली 2871/2872 इस्पात एक्सप्रेस को बढ़ाकर कान्ताबान्जी तक किया जाए ताकि पश्चिमी उड़ीसा के कुछ पिछड़े इलाकों को भी कवर किया जा सके।

महोदया, इस चर्चा में भाग लेने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका दिया।

महोदया, रेलमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट की प्रशंसा सिर्फ यूपीए के लोगों द्वारा ही नहीं, इस देश की गरीब जनता द्वारा

ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है और इस वजह से हो रही है कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसको चलाने में, इसको सक्षम बनाने में रेल मंत्री जी की अहम भूमिका रही है। मैं कहना चाहता हूं कि रेल मंत्रालय में पहले भी मंत्रीगण आए, लेकिन पहले जब भी हम रेल बजट सुनते थे तो यह होता था कि रेलवे हमेशा घाटे में रही। लेकिन आज कौन सी वजह हुई कि रेलवे को 20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। यह माननीय रेलमंत्री जी की सोच की उपज है। उन्होंने रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने जहां आमदनी बढ़ाने के लिए उपाय किए वहीं, जनता पर, यात्रियों पर बोझ देने का काम नहीं किया। साथ ही जो रेलवे से माल ढुलवाने वाले लोग थे, उन पर भी कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया। इसके लिए रेलमंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं को ट्रेन में स्थान मिलने में वाकई काफी कठिनाई होती थी। इन्होंने एक नमूना पेश किया कि महिलाओं के लिए भी निचली बर्थ पर आरक्षण की व्यवस्था कर दी। जो छात्र इन्टरव्यु के लिए जाते हैं, उनके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है। समाज का जो वर्ग रेलवे के लिए काम करता है, जैसे कुली और खलासी, उनके लिए भी सुविधा देने का काम किया है। अभी यहां हमारे यूपीए के माननीय सदस्यों और एनडीए के माननीय सदस्यों के बीच बहस हो रही थी। उधर से माननीय सदस्य सब कुछ कहने के बाद अपनी मांग रखा करते थे कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। लेकिन रेलवे में जो काम बढ़ रहा है, रेलवे का जो विस्तार हो रहा है, नयी रेल लाइनें बिछाने का काम हो, रेलगाड़ियों में बोगियां बढ़ाने का काम हो, नयी ट्रेन चलाने की बात हो, बजट को देखने से नहीं लगता है कि माननीय मंत्री जी ने किसी के साथ समभाव नहीं रखा है या भेदभाव किया है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने गरीब रथ चलाए हैं, कुछ और गरीब रथ चलाने की उनकी ख्वाहिश और कामना है, इसके लिए उनके उपाय भी चल रहे हैं। इन गरीब रथों को चलाने से देश की गरीब जनता जो पैसे की कमी के कारण कभी ए.सी. का मुंह भी नहीं देख सकती थी, जो बीमार आदमी है, कमजोर आदमी है, कम पैसे में ए.सी. का टिकट कटाकर सफर कर सकता है। चारों तरफ देश के हर कोने से मांग हो रही है कि और अधिक गरीब रथ चालने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसकी संख्या आप बढ़ाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़े बहुत पेश हुए और आंकड़ों के आधार पर कहा गया कि मध्य प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश के साथ न्याय नहीं हुआ या तमिलनाडु के साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन अभी हमने माननीय सदस्य की बातों को सुना, उनकी बातों से यह स्पष्ट पता चला कि जिन-जिन प्रदेशों के लिए जो एलोकेशन हुए, सभी करीब-करीब समतुल्य एलोकेशन हुए हैं। कहीं-कहीं प्रदेश को उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष राशि दी गई है। मैं लालू जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए भी काम किया है। हमारे जनता दल (यू) और विपक्ष के साथी कहते हैं कि कोई काम नहीं किया है, यह सही नहीं है। मंत्री जी ने देश में तो काम किया ही है, बिहार में भी अच्छा काम किया है। उन्होंने बिहार में मधेपुरा और छपरा में कारखानों के निर्माण का काम किया है। पटना से मुम्बई तक, पटना से जम्मू तक और पटना से पुणे तक उन्होंने रेलगाड़ियां चलाने का काम किया है। इस तरह से उन्होंने बिहार के साथ भी न्याय किया है।

वर्ष 2003 में जब रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे, जो आजकल बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हैं, उन्होंने उस समय पटना से जम्मू तक अर्चना एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलाई थी। मुझे आश्चर्य होता है कि यह अर्चना कौन है? क्या यह कोई स्वतंत्रता सैनानी है या कोई देश की लब्ध-प्रतिष्ठित महिला है? यह आज तक पता नहीं चला। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर अर्चना कौन है, कैसे यह ट्रेन चली और क्यों इसे चलाने की पहल की गई?

अब मैं कुछ बातें अपने क्षेत्र की करना चाहता हूं। मैं अरवल की जनता की ओर से तथा अपनी ओर से लालू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे यहां बीटा से नारायण रोड तक नई रेलगाड़ी चलाने का निर्णय किया गया है। रेल मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी काफी पुरानी मांग है और हमने पिछले रेल बजट भाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए भी कहा था कि पटना-गया लाइन के दोहरीकरण में तेजी लाई जाए। मैं आज फिर रेल मंत्री जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस लाइन के दोहरीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा कराया जाए, क्योंकि यह कार्य वर्षों से लम्बित है।

पटना और गया तथा गया और पटना के बीच सुबह सात बजे एक ट्रेन चलती है। उसके बाद दस बजे दूसरी ट्रेन चलती है, बीच के समय में कोई ट्रेन नहीं है। सुबह सात बजे चलकर वह ट्रेन अपने गंतव्य पर साढ़े दस बजे और 11 बजे के बीच पहुंचती है या कभी-कभी और लेट भी हो जाती है। इससे दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी होती है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गया से पटना के बीच सुबह सात बजे और दस बजे के बीच में एक नई ट्रेन चलाई जाए। पटना के आसपास के इलाकों के जो काफी संख्या में डेली पैसेंजर्स हैं, उनके लिए मैं मांग करना चाहता हूं कि वहां से चलने वाली रेलगाड़ियों में बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही वहां एक और डीएमयू चलाने की

[श्री गणेश प्रसाद सिंह]

व्यवस्था की जाए जो पहले से डीएमयू चल रही है उसे आगे ईएमयू में कंवर्ट करने की कृपा करें। अगर ऐसा होता है तो उस इलाके के छोटे-छोटे व्यापरी, जो शाक-सब्जियां या अन्य सामान बेचने वाले हैं, उन्हें काफी फायदा होगा। वहां के लोगों की और हमारी भी काफी समय से मांग है इसलिए अलग से इसकी व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके।

जहानाबाद और अरवल के बीच जहानाबाद के मोड़ के आगे से पटना-गया रेल लाइन पास करती है। नीचे सड़क है और सड़क से पार होकर लोग अरवल से जहानाबाद और जहानाबाद से अरवल आते-जाते हैं। वह पुल अंग्रेजों के समय का है। मैं मांग करना चाहता हूं कि वहां रेल लाइन के ऊपर एक पुल का निर्माण कराया जाए। अगर ऐसा होता है तो वहां पर होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी और भीड़-भाड़ से भी मुक्ति मिलेगी।

समयाभाव के कारण मैं अधिक न कहते हुए इस रेल बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शंखलाल माझी (अकबरपुर): माननीय सभापति महोदया, आपने रेल बजट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। रेलवे देश की लाइफ-लाइन है और लाइफ के लिए जरूरी है कि शरीर के हर अंग में रक्त का संतुलित प्रवाह जारी रहे, नहीं तो शरीर को लकवा मार जाता है। उत्तर प्रदेश देश के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से 16वां और आबादी के हिसाब से छठवां हिस्सा आता है, माननीय रेल मंत्री जी ने इस बजट में केवल बाराबंकी से लखनऊ तक डबल लाइन जोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया है। यह लाइन जो बाराबंकी से गोरखपुर होकर छपरा के लिए है, पिछले एक दशक में इस पर ट्रेनों का परिचालन डेढ़ सौ परसेंट से लेकर दो सौ परसेंट बढ़ गया है। लेकिन एक सिंगल लाइन होने के कारण लखनऊ तक की यात्रा करने में ट्रेनों को अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है। यह डबलिंग का काम पिछले एक दशक से हो रहा है लेकिन इसकी गति बहुत मंद है जिसके कारण गोंडा तक का काम भी पूरा नहीं हो पाया है। अगर यही गति रही तो आने वाले दस सालों तक भी यह काम पूरा नहीं होगा। जब इस लाइन पर डेढ़ सौ से दो सौ प्रतिशत तक ट्रेनों का संचालन बढ़ गया है तो हमारी माननीय रेल मंत्री जी से मांग है कि व्यस्ततम रूट का सही संचालन समय से करने के लिए डबलिंग का काम तीव्र गति से किया जाए।

बजट में माननीय मंत्री जी ने तमाम सुविधाओं की घोषणा की है जिनके बारे में तमाम पूर्व-वक्ताओं ने पक्ष-विपक्ष ने अपने विचार रखे हैं। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं लेकिन जो सब्जबाग माननीय रेल मंत्री जी द्वारा दिखाए गये हैं, उनसे काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके कार्यान्वयन पर और उनके अनुपालन पर जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक लोगों का भला नहीं होगा। रेल मंत्री जी ने परीक्षार्थियों के लिए 50 प्रतिशत की छूट दी है, वरिष्ठ-नागरिकों के लिए छूट दी है, सब्जी-दूध वालों के लिए वैंडर्स-कोच की सुविधा दी है, डाकघर, पेट्रोल-पंपों और एटीएम के माध्यम से ई-टिकट वितरण की घोषणा की है, यह निश्चित ही सराहनीय कदम है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में 200 नयी डीजल इंजन, 200 इलैक्ट्रिक इंजन, 11,000 कंटेनर के निर्माण के लिए घोषणा की है, केवल घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई यह है कि इसके लिए जब तक बजट में प्रावधान नहीं होगा और बजट में कहीं भी यह नहीं दर्शाया गया है कि इसके लिए पूंजी कहां से हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो इसका सही ढंग से क्रियान्वयन होना चाहिए। समय कम है, हम आपकी इस बात को समझते हुए केवल अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। वर्ष 2002-2003 से अकबरपुर लोक सभा क्षेत्र में, जो हमारा जिला मुख्यालय भी है, वहां पर 50 मीटर के पुल का सेगमेंट बनना है, ओवर-ब्रिज बनना है। इस बात को चार साल हो गये हैं, इन चार सालों में जो हिस्सा सेतु-निगम को बनाना था, उसने अपने पूरे हिस्से का पुल बनाकर कम्पलीट कर दिया है। केवल 50 मीटर जो रेलवे का हिस्सा है, उतना ही पुल बनना है और चार साल से ज्यादा समय हो गया है।

फैजाबाद से सीधा आजमगढ़ बनारस के लिए जो रूट है, वह घुमा कर वाया टाण्डा इल्तिफाजगंज किया जा रहा है। साठ-सत्तर किलोमीटर के बीच यातायात का जितना संचालन था, उस रूट पर रोक लगी हुई है; सिर्फ 50 मीटर का पुल बनना है। हमारी मांग है कि इस पुल को जो चार साल से पैंडिंग है, माननीय मंत्री जी जल्द से जल्द बनाने का काम करेंगे। अकबरपुर देश स्तर पर पावरलूम का सबसे बड़ा सैंटर है। वहां एनटीपीसी भी है, सीमेंट फैक्टरी भी है और वहां गन्ना मिल भी है। देश के कोने-कोने से अधिकारी, व्यापारी और कर्मचारी इस जनपद में आते हैं। इस रेलवे स्टेशन पर न तो ए.सी. प्रतीक्षालय है और न ही इसका प्लेटफार्म छायादार है। मेरी मांग है कि इस प्लेटफार्म को छायादार बनाया जाए और एक ओवर ब्रिज व 2 ए.सी. रिटायरिंग रूम बनाया जाए।

गोसाईगंज हमारे यहां का दूसरा बड़ा कस्बा है, वहां पर सरयु जमुना एक्सप्रेस के ठहराव के लिए कई मर्तबा कहा है, लेकिन अभी तक ठहराव नहीं दिया गया है। मात्र दो मिनट का ठहराव दे कर गोसाईगंज को रेल लाइन से जोड़ने का काम माननीय मंत्री जी करें। अहमदाबाद, फैजाबाद 9165/9166 साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन

फैजाबाद तक संचालित होती है। अयोध्या धार्मिक नगरी है। मेरी मांग है कि इस ट्रेन को अयोध्या नगरी से जोड़ते हुए अकबरपुर तक बढ़ाया जाए ताकि पूर्वांचल के काफी हिस्से पश्चिम से जुड़ सकेंगे। पूर्वांचल में खासतौर से गोरखपुर बस्ती से मडीयाहूं होते हुए लोगों को बनारस जाना पड़ता है। नेपाल का बार्डर टच होने की वजह से गोरखपुर में विदेशी पर्यटक भी आते हैं, उन्हें अगर बनारस की यात्रा करनी होती है, तो उन्हें बलिया होकर बनारस जाना पड़ता है। दो सौ किलोमीटर से ज्यादा इन्हें अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। बरहलगंज मऊ तक रेलवे लाइन बनी हुई है। बहुत पहले तत्कालीन रेल मंत्री ने सर्वे कराया था और बरहलगंज से सहजनया खलीलाबाद हो कर उत्तरावल गोंडा तक को जोड़ने की योजना थी, उसकी मांग हुई थी और सर्वे भी हो चुका था। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि बनारस से गोरखपुर जाने के लिए 200 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ता है, पांच घंटे से ज्यादा का समय बिना कारण खराब होता है, इसे सीधा वडटलगंज से खलीलाबाद जोड़ सकते हैं, मात्र 55 किलोमीटर अगर जोड़ दिया जाए, तो यह रास्ता सीधा बनारस से जुड़ जाएगा और लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इससे उत्तर प्रदेश का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि रेलवे का भी विकास होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

सभापति महोदया: आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया आप बैठ जाएं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री पुन्नूलाल मोहले (बिलासपुर): महोदया, मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पूरे देश में यात्रा भाड़े या माल भाड़े में सबसे ज्यादा आय देने वाली जोन बिलासपुर है। इस जोन को बजट में कम राशि दी गई है। मैं मांग करता हूं कि बिलासपुर रेलवे जोन को अधिक से अधिक राशि दी जाए, जिससे रेलवे जोन का विकास हो सके। रेलवे जोन बिलासपुर में पीछे जो भर्ती की गई थी, गेंगमैन और पोर्टर तथा अन्य पदों पर तीन हजार लोगों की भर्ती की गई।

उन भर्तियों में गड़बड़ी और धांधली हुई है, 3000 लोगों की धांधली में अधिकतर बिहार के 2000 लोगों को भर्ती किया गया और बिलासपुर में मात्र 300 लोगों की भर्ती हुई। इस भर्ती के लिए बिलासपुर के 50,000 लोगों ने भाग लिया था, हमने जांच की मांग की थी, यह जांच नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाए और सही जांच करके भर्ती की जाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़, बिलासपुर रेलवे जोन में रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय का गठन किया जाए जिससे इन सब लोगों को अधिक से अधिक नौकरी मिल सकेगी। पिछली बार आपने मुझे और करुणा जी को आश्वासन दिया था, मैं उम्मीद करता हूं कि बजट भाषण के जवाब में आप इसे बोलेंगे।

बिलासपुर मंडल रेल लाइन का 50 वर्षों से कई बार सर्वे हो चुका है, लेकिन सर्वे के बावजूद सभी प्रकार के कार्यों को करनें के बाद बिलासपुर मंडल रेलवे लाइन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहां बाक्साइड, कोयला, डोलोमाइट और भिलाई का कोयले का कारखाना है, यह आमदनी का स्रोत है। मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं बिलासपुर रेलवे लाइन को भी बजट में जोड़ा जाएं इससे वहां से अनुसूचित जाति और जनजाति के 50 प्रतिशत लोग रहते हैं, उनको रोजी-रोटी भी मिलेगी और आवागमन की सुविधा भी प्राप्त होगी।

बिलासपुर के बाद मैं रेलवे के खाने के बारे में कहना चाहूंगा। इसमें तीस रुपए की खाने की थाली मिलती है। इसमें आधा प्लेट चावल होता है, भरपेट खाने वाले आधा प्लेट चावल खाते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है, उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है। इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए, प्लेट में रोटी की संख्या बढ़ाई जाए। दाल में पानी की बहुत मिलावट होती है और ज्यादा पानी मिला होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी ट्रेन से जाते होंगे, इससे पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाए।

एसटीडी, पीसीओ केन्द्र की ठेकेदारी की व्यवस्था, खान-पान और अन्य प्रकार के साईकिल स्टैंड्स से अधिकतर बड़े लोगों को फायदा होता है, छोटे लोगों को फायदा नहीं होता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जाए इससे वहां के लेगों को रोजी-रोटी मिलेगी और खोमचे वालों को भी काम मिलेगा। लोग वहां डीआरएम स्तर पर मनमानी करते हैं, इस तरह के वातावरण को सुधारने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो बिलासपुर से नागपुर, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई जाती हैं, इन गाड़ियों को अतिरिक्त बढ़ाने की आवश्यकता है। आपने गरीब रथ चलाया है, गरीब रथ से गरीब लोगों को

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पुन्नूलाल मोहले]

फायदा मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। बिलासपुर मंडला जबलपुर रेलवे लाइन बिछाई जाए। बिलासपुर चेन्नई साप्ताहिक एक्सप्रेस को तीन दिन और बढ़ाया जाए। कोरबा त्रिवेन्द्रम वीकली ट्रेन को चार दिन किया जाए। जोधपुर पुरी साप्ताहिक ट्रेन को तीन दिन तक बढ़ाया जाए। नागपुर-बिलासपुर के मध्य ट्रेन बंद कर दी गई है, बिलासपुर-टाटा पैसेंजर ट्रेन को पुनः नागपुर टाटा के मध्य चलाया जाए। चिरमिरी बिलासपुर पैसेंजर और इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को दुर्ग तक बढ़ाया जाए। पुणे नागपुर एक्सप्रेस को बिलासपुर तक बढ़ाया जाए। दादर नागर संवाग्राम एक्सप्रेस को बिलासपुर तक बढ़ाया जाए। अहमदाबाद नागपुर प्रेरण एक्सप्रेस को बिलासपुर तक बढ़ाया जाए। रायपुर नागपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को बिलासपुर नागपुर इंटरसिटी के रूप में चलाई जाए। संबलपुर एक्सप्रेस को बिलासपुर तक बढ़ाया जाए। दुर्ग-भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस को वाया कटनी-बीना तक चलाया जाए। दुर्ग से लखनऊ के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा दी जाए। दुर्ग से डिब्रूगढ़ वाया हावाड़ा, गुवाहाटी नई ट्रेन की सुविधा और बिलासपुर से कन्याकुमारी तक वाया रायपुर विशाखापट्टनम नई ट्रेन को बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है इसे सम्मिलित किया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन को ज्यादा आय होने वाली है इसलिए वहां सुविधाजनक कार्य के लिए राशि दी जाए। चिरमरी बिलासपुर ट्रेन चलती है और यह चिरमरी में आठ घंटे रुकती है, इसे रायपुर राजधानी तक बढ़ाया जाए। मनेन्द्रगढ़ में नागपुर चलने वाली ट्रेन को स्टापेज दिया जाए। चक्रघटा स्टापेज पर सारनाथ, छत्तीसगढ़ गाड़ी को रोका जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का समय दिया। मैं रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बड़ी देर से विपक्ष को सुन रहा था, भ्रमजाल कहने वाले सदन से चले गये हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सपा वालों में भ्रमजाल फैला रखा है। शायद वह यह भूल गये कि इस पार्लियामैन्ट में सामने वाले भी बैठे हैं। यहां इन सबने ही आलोचना करने का काम किया कि चालीस वर्षों में रेल नहीं चली, पचास वर्षों में रेल नहीं चली। मैं पूछना चाहता हूं कि इनका राज था, तब इन्होंने रेल क्यों नहीं चलवाई। जब दूसरे का राज आता है तो आलोचना करना इनका धर्म है। जिस दिन लालू जी रेल बजट पढ़ रहे थे क्या चमत्कार होने जा रहा है। लालू जी की डिमांड जहां भारतवर्ष में हैं, दुनिया के अनेक देशों में माननीय लालू जी को युग पुरुष, एक ऐतिहासिक पुरुष मानकर उनसे प्रेरणा लेने के लिए देश और विदेश से लोग आते हैं। इसके अलावा आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की जानी-मानी यूनिवर्सिटी है, वह भी लालू जी के कार्यों के ऊपर रिसर्च करने का काम कर रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जब लालू जी सदन में बजट पेश कर रहे तो उस दिन लालू जी के अच्छे बजट को लोग न सुन सकें, यहां ज़ब तक वह बजट पढ़ते रहे, लोग हो-हो करके चिल्लाते रहे। लेकिन मैं लालू जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बिना पानी पीये लगातार देश की जनता और दुनिया को अपना बजट सुनाने का काम किया और उन्हें पानी पिलाने का काम किया। मैं लालू जी का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि वह पहले रेल मंत्री है, जिन्होंने 14 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों का सम्मान करने का काम किया है। आपने उन सभी के सहयोग से यह उपलब्धि प्राप्त की है, अपने दोनों स्टेट मिनिस्टर्स की मदद से तथा श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह की प्रगति का वायदा किया है, उसके अलावा अपने लाखों कर्मचारियों को देश के इतिहास में बोनस देने का काम किया है। जो उनके भवन हैं, जहां वे कालोनियों में रहते हैं, उनकी व्यवस्था करने का भी वायदा किया है और उनके विक्लांग बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जाए, कैसे उन्हें सिखाया जाए, ताकि वे अपना जीवनयापन कर सकें। यह पहले रेल मंत्री है, जिन्होंने अपने परिवार, रेल परिवार की ओर भी ध्यान देने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदया, बीस हजार करोड़ रुपया कहने में बड़ा आसान लगता है। मैं बनिये का बेटा हूं, मुझे पता है इतना पैसा गिनते-गिनते कई दिन, महीने निकल जायेंगे, लेकिन बीस हजार करोड़ रुपये नहीं गिन पायेंगे। लेकिन देश को आगे बढ़ाने के पीछे माननीय लालू प्रसाद जी की सोच है, यदि कोई हमसे पूछे तो आज जिस तरह का काम चल रहा है, उसमें पूरे देश में हमारी इज्जत लालू जी ने बचाई है। मैं इसके लिए लालू जी को लाख बधाई देना चाहता हूं। आपने माल की ढुलाई में चाहे सीमेन्ट, कोयला, स्टील हो, इन सब की ढुलाई में इस तरह की बढ़ोत्तरी की है, जिससे रेलवे को नफा हुआ है। मैं लालू जी से अनुरोध करूंगा कि सीमेन्ट, स्टील, कोयले आदि की ढुलाई के काम में जो असंगठित मजदूर लगे हुए हैं तथा रेलवे स्टेशनों पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। वे गरीब लोग हैं, जिस तरह से कुलियों को पास दिये जाते हैं या उनकी चिकित्सा की व्यवस्था है, ऐसी ही कृपा इन असंगठित मजदूरों पर भी करने का काम करें। क्योंकि लालू जी गरीब परवर हैं। लालू जी ने 32 नई रेलगाड़ियों को चलाने का ऐलान किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने गाजियाबाद से भी ई.एम.यू. चलाने की कृपा की है। गाजियाबाद से नई दिल्ली के लिए दैनिक यह गाड़ी

चलेगी। मैं इसके लिए लालू जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, जहां तक भर्ती का सवाल है। अभी एक माननीय सदस्य अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कह रहे थे। आपने इस बैकलाग को भी बड़े तेजी से भरने का काम किया है। जिसमें 75 परसैन्ट की पूर्ति की जा चुकी है।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और जो 25 प्रतिशत और 27 प्रतिशत पिछड़ों को भर्ती करने का काम है, वह भी जोरों से चल रहा है। अभी बिलासपुर के साथी कह रहे थे कि यह देश की रेल है। यह रेल न बिहार की रेल है, न झारखंड की रेल है। कहीं के भी आदमी को किसी भी रूप में चयन समिति के माध्यम से भर्ती किया जा सकता है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ आरोप लगाने के अलावा और कोई काम नहीं होता और वे एक बात को दस बार झूठ बोलकर उसे सच करने का प्रयास करते हैं। इसलिए उन्होंने आरोप लगाने का काम किया है।

गरीब रथ जो आम आदमी की पहुंच से बाहर था, उसे और बढ़ाने का काम किया जिसमें हर आदमी धर्म स्थलों के अलावा भी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकता है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही साथ पहली बार महिलाओं का भी ध्यान किया है। 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनके लिए लोअर बर्थ का प्रावधान किया है। मानवता के आधार पर भी लालू जी ने अच्छा काम किया है। विकलांगों के लिए कोई सोचता ही नहीं है। पार्लियामेंट में भी हम अपने लिए सोचते हैं। विकलांगों के लिए भी लालू जी ने नये डिब्बों का सृजन करके उन्हें जो सुविधा देने का काम किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं लालू जी से अनुरोध करूंगा कि गाजियाबाद में मैट्रो हालांकि यह लालू जी का विभाग नहीं है लेकिन लालू जी को दुनिया के लोग पूछने आते हैं। मैंने देखा है कि पेरिस के और कहां-कहां के लोग ट्रेनिंग लेने के लिए बैठे हुए थे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि मैट्रो की व्यवस्था भी गाजियाबाद में करवाने का कष्ट करें। आनन्द बिहार जो टर्मिनल बनाया जा रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम ट्रेनें चलाने के लिए काम चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसकी प्रगति बढ़ जाए क्योंकि एशियाड के गेम होने जा रहे हैं, निश्चित तौर से पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन का रश कम होगा। गाजियाबाद और दिल्ली के लोगों को भी उसका लाभ मिल जाएगा।

मैं साथ ही साथ रेलवे मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मोदीनगर में हनुमानपुरी है, इसके बारे में मैंने अनुरोध किया था कि एक अंडरपाथ छोटा सा दे दिया जाए, चाहे आठ फुट का ही दे दिया जाए ताकि वहां पर एक्सीडेंट न हों। इसी प्रकार से तिलकनगर रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम का काम अधूरा पड़ा हुआ है। वहां पर व्यापारी लोग दूर से आते हैं। हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है। उसे पूरा करवाने की आप कृपा करेंगे। साथ ही गाजियाबाद में पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं, नौएडा, गाजियाबाद, मोदीनगर, दादरी, मेरठ, शिवगंगा और वैशाली में दो-दो मिनट का ठहराव देने का कष्ट करेंगे ताकि लोगों को सुविधा मिल सके.

सभापति महोदया: अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: सिंभावली-मोदनीगर में गाजियाबाद मेल सिंभावली आए और एक अनुरोध विशेष रूप से लालू जी से तथा यहां पर हमारे अधिकारीगण बैठे हैं कि हापुड़ से दिल्ली के लिए शटल चलती है। लालू जी ने बढ़ाने की व्यवस्था की है और उन्होंने परसों पांच सवारी डिब्बे काट दिये। जब अधिकारी अंसारी जी से बात करी थी तो वह लाइन पर आने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं जानना चाह रहा था कि डेली जो पैसेंजर हापुड़ से दिल्ली के लिए आते हैं, बजाए डिब्बे बढ़ाने के अंसारी जी ने वहीं बैठे-बैठे पांच डिब्बे उड़ा दिये।

अंत में, मैं लालू जी का विशेष अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि मैं बैजपुरा गूजर गांव से आता हूं और वहां पर जो दूध के डिब्बे टांगकर लोग लाते हैं, सिकंदराबाद से सब्जी वाले टोकरे लाते हैं और जो छोटे-छोटे वेंडर्स हैं, उनके लिए भी आपने व्यवस्था कराने का काम किया है। निश्चित तौर पर देश के इतिहास में पहली बार इन्होंने ऐसा काम किया है जिन्होंने महसूस किया है कि वे भी एक इंसान हैं और छोटा व्यवसाय करते हैं, उनको भी सुविधा देने का काम करें। इसके अलावा दिल्ली सहारनपुर लाइन पर बंथला (लोनी) पर आर.ओ.बी. बनवाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं इसका हार्दिक स्वागत तथा समर्थन करता हूं।

***श्री वीरचन्द्र पासवान** (नवादा): माननीय सभापति महोदया, मैं इस रेल बजट 2007-08 का समर्थन करते हुए माननीय रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि किऊल-नवादा-गया रेल दोहरीकरण का कार्य जनता की जरूरत एवं मांग तथा बिहार के आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास को ध्यान में रखते हुए पूरा करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ने इस कार्य को रेल बजट 2004-05 में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरचन्द्र पासवान]

शामिल कर सर्वेक्षण कराने का कार्य किया है। कृपया मंत्री जी इस कार्य को साकार रूप दें। क्षेत्रीय जनता आशा भरी नजरों से देख रही है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): सभापति महोदया, मैं लालू जी को बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने जनता के फायदे का रेल बजट पेश किया है, खासकर मंझले यात्रियों के लिये कदम उठाने के लिये धन्यवाद देती हूं। मैं इस अवसर पर रेल मंत्री का आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने केरल में बोगी निर्माण की इकाई स्थापित करने की घोषणा की है। हमारे राज्य को इस दिशा में और आर्थिक सहायता मिलने की अपेक्षा करती हूं।

श्री लालू प्रसाद: हिन्दी बोलने के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता: रेल प्रणाली का विकास आर्थिक विकास की मूल आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप हिन्दी में अच्छा बोल रही हैं, आगे बोलिये।

श्रीमती सी.एस. सुजाता: अगली बार बोलूंगी।

[अनुवाद]

यह वास्तविकता है कि हमारी रेल प्रणाली संसार की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। देश इस क्षेत्र में बहुत अधिक विकास कर सकता है। किंतु मैं मानती हूं कि इस विकास पैटर्न में कुछ खामियां हैं। हम रेल नेटवर्क के विकास में सभी क्षेत्रों एवं राज्यों को समान अवसर प्रदान करने में असफल रहे हैं। कई क्षेत्रों एवं राज्यों को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है जिस कारण इन क्षेत्रों के संपूर्ण आर्थिक विकास में बाधा आ रही है। मेरा केरल राज्य इसका एक उदाहरण है। हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। किंतु संबंधित अधिकारी अब भी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं।

नए रेल जोन का गठन इस राज्य के लोगों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांग है। नए जोन के सृजन, जिसमें दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, से केरल राज्य सहित इस क्षेत्र के अपेक्षित रेल विकास में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी और इससे इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी गति आएगी।

रेल मंत्रालय ने सलेम मंडल के रूप में एक नया रेल मंडल बनाने का निर्णय लिया है। केरल राज्य के संसद सदस्यों ने विभिन्न बैठकों एवं विभिन्न अभ्यावेदनों के जरिये स्पष्ट रूप में कहा है कि राज्य के लोग किसी अन्य राज्य अथवा क्षेत्र के विकास के विरुद्ध नहीं हैं। किंतु हमारी चिंता पलक्कड़ मंडल के विभाजन के निर्णय के बारे में है। ऐसे निर्णय से इस मंडल के राजस्व अर्जन पर बुरा असर होगा जिससे इस राज्य की रेल विकास की संभावनाएं और भी कमजोर होंगी।

इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इस तर्कहीन निर्णय की समीक्षा करें और पलक्कड़ डिविजन को अविभक्त रहने दें।

मैं माननीय मंत्री जी को रेलवे को लाभ कमाने वाले एक सरकारी क्षेत्र संस्थान में बदलने हेतु बधाई देती हूं। 20,000 करोड़ रुपये का लाभ एक महान उपलब्धि है और उपलब्धि के लिए माननीय मंत्री के प्रयास सराहनीय हैं। मैं इस महान उपलब्धि के लिए हमारी रेलवे के संपूर्ण स्टाफ को भी बधाई देती हूं, जिनके सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कार्य के बिना यह संभव नहीं हो पाता।

तथापि, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान रेलवे कर्मियों के कुछ वर्गों को पेश आ रही समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। अब, कार्य को बाह्य निजी ठेकेदारों को सौंपने की प्रकृति बढ़ रही है। इन ठेका कर्मियों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और न ही कोई कार्य सुरक्षा ही होती है। प्रत्येक नया ठेकेदार स्टाफ को बदल देता है, अत: पहले के कर्मियों की नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। बाह्य एजेंसियों को कार्य सौंपना बंद करना चाहिए और सभी ठेका कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में शामिल करना चाहिए।

ऐसी रिपोर्टें थी कि दक्षिण भारत में अनेक रेलवे परियोजनाओं में अपर्याप्त निधि आवंटनों के कारण प्रगति नहीं हो रही है। इसमें केरल राज्य की अनेक परियोजनाएं भी शामिल हैं। चालू कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक विधियों को शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।

रेलवे लाईन के दोहरीकरण के मामले की ओर संतोषजनक ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महोदया, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे किया जाना चाहिए और विद्युतीकरण, कंप्यूटरीकरण, सूचना केन्द्रों व टच-स्क्रीन सुविधाएं को खोलना प्लेटफार्म लंबाई को बढ़ाना, रेलवे लाइन के ऊपर पुलों का निर्माण, प्लेटफार्म शेल्टरों इत्यादि का काम भी किया जाना चाहिए। एर्णाकुलम-कायमकुलम क्षेत्र में वाया कोट्टयम से जाने वाली लाईन

के दोहरीकरण कार्य को भी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराकर तेजी से करने की आवश्यकता है। कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है। रेलवे को इस कार्य को न्यूनतम दो वर्षों में पूरा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही मंगलापुरम-शोरानूर और तिरूवनंतपुरम-कन्याकुमारी क्षेत्रों के रेल मार्गों के दोहरीकरण कार्य को भी किया जाना चाहिए।

वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल के पूरा होने से माल आवाजाही में वृद्धि होगी। बढ़ती माल आवाजाही की जरूरतों को पूरा करने और रेल ट्रैफिक को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए रेलवे को कुट्टीपुरम-गुरुवयूर लाइन को एडापल्ली तक बढ़ाने का विचार करना चाहिए। चेंगानूर पंडालम-अदूर-कोटारकार और किलिमन्नूर से होकर तिरुवनंतपुरम तक जाने वाली नई रेल लाइन आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से लाभकर होगी। चंगानूर केन्द्रीय त्रावणकोर के अनेक तीर्थ स्थलों का केन्द्र बिन्दु है। इनमें से सबरीमाला सबसे महत्वपूर्ण है, जहां हर वर्ष लाखों तीर्थ यात्री आते हैं। राज्य के अंदर और बाहर से आने वाले यात्री मुख्यत: चेंगानूर स्टेशन पर ही आश्रित होते हैं। परन्तु वर्तमान में इस स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाएं इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है। इसलिए इस स्टेशन और इसकी सुविधाओं के उन्नयन हेतु पर्याप्त निधियां आवंटित की जानी चाहिए।

महोदया, मेरा अगला प्रश्न यह है कि यद्यपि मंत्री जी ने केरल के विभिन्न भागों को जोड़ने वाली कुछ नई रेल गाड़ियां प्रारंभ की हैं और कुछ ट्रेनों की बारंबारता और मार्गों में परिवर्तन किए हैं, तो भी वर्तमान सुविधाएं राज्य के लोगों की बढ़ती यात्रा आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त नहीं है। देश के विभिन्न भागों, विशेषकर महानगरीय शहरों में काम कर रहे केरल वासियों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। उन्हें व्यस्त समय में आरक्षण प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए रेलवे को मुम्बई, दिल्ली, बंगलौर और चेन्नई महानगरीय शहरों से केरल के लिए अधिक रेलगाड़ियां प्रारंभ करनी चाहिए और वर्तमान रेलगाड़ियों की बारंबारता को भी बढ़ाना चाहिए। चण्डीगढ़ से तिरुवनंतपुरम के लिए सप्ताह में एक बार चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रैस की बारंबारता को बढ़ाकर प्रतिदिन करना चाहिए या उसे सप्ताह में न्यूनतम तीन बार चलाना चाहिए। रेल मंत्री जी को तिरुवनंतपुरम, एर्णाकुलम और कोझीकोडे से उपनगरीय रेल सेवाएं प्रारंभ करने पर भी विचार करना चाहिए।

कायमकुलम में रेल लाइन को पार करने में जनता की समस्याओं के समाधान हेतु एक पैदल ऊपरी पुल की आवश्यकता है। तिरूवला, चेंगानूर, मवेलिकारा और कन्याकुमारी स्टेशनों में संपूर्ण प्लेटफार्मों पर छत बनानी, प्लेटफार्मों की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त मवेलिकारा और कृष्णापुरम में रेल ऊपरी पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। चेंगानूर, कायमकुलम और तिरूवाला स्टेशनों को आदर्श स्टेशन का दर्जा देने हेतु कार्यों को बिना विलंब के पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

मानवरहित समपार रेलवे फाटकों पर रेलवे दुर्घटनाओं के कारण मौत की अनेक घटनाएं हुई हैं। मानवरहित समपारों को बदल कर मानवयुक्त किया जाना चाहिए। मवेलीकारा एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और इसे आदर्श स्टेशन का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। चेंगानूर और कायमकुलम में वर्तमान में पार्सल बुकिंग सुविधाओं को बंद कर दिया गया है। इसे पुन: बहाल किया जाना चाहिए। रेलवे को राजधानी एक्सप्रैस और हप्पा एक्सप्रैस को कायमकुलम में रोकने पर विचार करना चाहिए।

महोदया, दक्षिण रेलवे, रेलवे के राजस्व लाभ में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यात्री सुविधाओं के लिए आवंटित राशि केवल 25 करोड़ रु. है। यात्री आवाजाही की मात्रा को देखते हुए यह राशि काफी कम है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसे बढ़ाकर न्यूनतम 75 करोड़ रु. कर दिया जाए।

मैं रेलवे को एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। चेरियानड रेलवे स्टेशन के पास लगभग 40 एकड़ भूमि खाली है। इस भूमि का प्रयोग रेलवे उत्पादन इकाई की स्थापना हेतु किया जा सकता है। चूंकि इस क्षेत्र में पानी और अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध है, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस स्थल पर रेल नीर फैक्ट्री लगाने पर विचार करें।

महोदया, अपंग व्यक्ति रेलवे प्लेटफार्मों और स्टेशनों में एसटीडी बूथ चला रहे हैं। यह तय है कि उनके लाइसेंसों को अप्रैल, 2007 में समाप्त कर दिया जाएगा। उन पर हजारों लोग आश्रित हैं, और ऐसा निर्णय इन लोगों और इनके परिवारों के जीवन को अंधकारमय कर देगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इन गरीब लोगों को अपने बूथ चलाते रहने की अनुमति दें।

[हिन्दी]

***श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** (गोपालगंज): माननीय महोदया, 26 फरवरी, 2007 को माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा पेश किये गये बजट 2007-08 के संदर्भ में सर्वजनप्रिय बजट पेश करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपने और अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज (बिहार) की जनता का अभिमत इस सत्र की बैठक में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहूंगा।

श्री लालू प्रसाद जी वर्तमान में प्रस्तुत किए बजट से पहले तीन बजट पेश कर चुके हैं। जिस समय रेल मंत्रालय में रेल मंत्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव]

जी का पदभार श्री लालू प्रसाद जी को सौंपा गया, तब रेलवे घाटे में थी। सभा स्थल में उपस्थित सभी सदस्यों को याद होगा कि वर्ष 2001 में रेलवे की वित्तीय स्थिति किस अवस्था से गुजर रही थी। रेलवे वर्ष 2001 में 2,800 करोड़ रुपए के डिविडेंड भुगतान से भी चूकी, फंड बैलेन्स घटकर 350 करोड़ रुपए और आपरेटिंग रेश्यो बिगड़कर 98 प्रतिशत हो गया था। 2,300 करोड़ रुपए के आंतरिक संसाधन, संरक्षा कार्यों के लिए भी कम थे। लेकिन आज रेलवे ने 20 हजार करोड़ रुपए के रिकार्ड आंतरिक संसाधन 16 हजार करोड़ रुपए के फंड बैलेंस एवं 79 प्रतिशत का आपरेटिंग रेश्यो हासिल किया है। 4,200 करोड़ के डिविडेंड भुगतान तथा संरक्षा कार्यों के लिए धनराशि की कमी नहीं है। वर्ष 2000-01 में माल लदान 473 मिलियन टन हुआ, जिससे आय हुई मात्र 23 हजार करोड़ रुपए की आय की तुलना में वर्ष 2006-07 में माल लदान 726 मिलियन टन हो गया, जिससे आय 42 हजार करोड़ तक पहुंच गयी। घाटे की स्थिति से अत्यंत लाभान्वित स्थिति में आज रेलवे पहुंची है। जिसे चमत्कार कहें या श्री लालू प्रसाद जी की कार्य-कुशलता जिन्होंने एक अत्यंत अनुभवी व्यवसायी की तरह देश-विदेश के तमाम विख्यात व्यवसाइयों को भी आश्चर्य में डाल दिया। श्री लालू प्रसाद जी ने बहुत ही कम समय में घाटे में चल रही व्यवस्था को अत्यधिक लाभदायक स्थिति में पहुंचा दिया है। परिवर्तन को देखते हुए देश-विदेश के विद्यार्थी रेल मंत्री जी से तरक्की के गुर को सीखने के लिए आये, जो भारतीय रेल के इतिहास में स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। इस संदर्भ में 23 फरवरी, 2007 को अपने अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति जी ने भारतीय रेल की काया-पलट करने में सफल रहने पर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी की है।

सन् 2007-08 का रेल बजट उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा गरीब जनता के हित में है। जिसकी रचना से भारतीय रेल का बजट बनाकर पेश करना और उसे लागू करने में विगत वर्षों में स्थापित किए गए अपने ही रिकार्ड को तोड़ने में श्री लालू प्रसाद जी ने एक नए इतिहास की नींव रखी है।

रियायतें एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जो कि वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए लोअर बर्थ की आरक्षण की सुविधा, कर्मचारी आयोग एवं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित-प्रधान परीक्षाओं में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को दूसरी श्रेणी के किराये में 50 प्रतिशत की छूट, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण, केंद्रीय अस्पतालों के नजदीक 50 रूम वाले चार रेस्ट हाउसों का निर्माण, स्टेशनों पर यात्री सुविधा, माल-भाड़े में कमी, नयी कामर्शियल पालिसी की दिशा में लिया गया निर्णय जनहित में अति सराहनीय है।

महोदया, मैं अब अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज में रेल मंत्रालय के माध्यम से विकास कार्यों के बारे में माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पूर्वोत्तर रेलवे में दूर-दूर तक रेलवे स्लीपर फैक्टरी नहीं होने के कारण रेल के नए मार्ग निर्माण और पुराने मार्ग के नवीकरण करने में कठिनाइयां होती हैं। स्लीपरों का अभाव होने के कारण इसे अन्य जोनों से मांगना पड़ता है। जिससे स्लीपरों की कास्ट भी ज्यादा पड़ती है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए मैं एक स्लीपर फैक्टरी सिद्दवलिया में लगाने के लिए मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज की जनता की ओर से मांग रखता हूं। गोपालगंज जिला के अंतर्गत सिद्दवलिया में रेलवे की 350 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। उक्त रिक्त स्थल पर स्लीपर फैक्टरी लगाई जाए ताकि जिस तरह से सीतामढ़ी में या मधेपुरा या हाजीपुर में स्लीपर फैक्टरी लगाने का आदेश हुआ है, उसी प्रकार से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज जिला के अंतर्गत सिद्दवालिया में एक स्लीपर फैक्टरी स्थापना करने का आदेश करने की माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज जिले की बहुत सारी जनता का कोलकाता और दिल्ली जैसे महानगरों में रोजगाररत है। दिल्ली व कोलकाता जाने के लिए उनको सिवान से रेलगाड़ी लेनी पड़ती है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गोपालगंज के अंतर्गत थावे जंक्शन से कोलकाता और दिल्ली के लिए डायरेक्ट जाने वाली रेलगाड़ी चलाने का आदेश करने का माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं।

सर्वजनप्रिय बजट पेश करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को हार्दिक बधाई देते हुए एक ऐतिहासिक, लोकप्रिय बजट बनाने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को पुनः हार्दिक बधाई देता हूं।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): माननीय सभापति महोदया, मैं जानती हूं कि समय बहुत कीमती है और समय की कमी भी है। मैं अपना पूरा भाषण ले करूंगी, सिर्फ एक विषय पर आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं। मैं बहुत ही खुश थी कि माननीय लालू जी यहां विराजमान थे और मैं अपनी बात उनके सामने कह सकूंगी।

23 तारीख को जब हमारा बजट सत्र प्रारंभ हो रहा था, उस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण केन्द्रीय कक्ष में होना था। अचानक मेरी मुलाकात रेल मंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी से हो गई। 11 बजे का समय महामहिम के आने का था।

शायद लालू जी को 10 बजे का समय याद था। वे अकेले खड़े थे जब मैंने उनका अभिवादन किया और कहा कि आप फिर इस बार रेल बजट ला रहे हैं, छत्तीसगढ़ को कुछ देंगे या नहीं? उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जरूर दूंगा और आप अगर मांग रही हैं तो मैं आपको जरूर दूंगा। आप मेरे साथ मेरे कक्ष तक चल सकती हैं क्या? पार्लियामेंट में इनका जो कक्ष है, वहां मैं इनके साथ गई। वहां इन्होंने मेरी पूरी इंक्वायरी की कि आपका कौन सा लोक सभा क्षेत्र है, पहले क्या करती थीं। मैंने कहा कि मैं गृहणी थी, गृहणी से विधायक बन गई, उसके बाद काम करते-करते विधायक से अब सांसद बन गई तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की तुम क्या मांग रखना चाहती हो, वह मांग रखो। मैंने संपूर्ण छत्तीसगढ़ का ध्यान रखते हुए उनसे जो मांग रखी, वह मैं आपके माध्यम से उन्हें फिर याद दिला रही हूं, क्योंकि 26 तारीख को अपने बजट भाषण में उन्होंने उसे शामिल नहीं किया, तब मैं निराश हुई। फिर 27 तारीख को मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तर दूंगा तब इसकी घोषणा अवश्य करूंगा। यहां लोक सभा में मनोनीत सुश्री मैक्लोड छत्तीसगढ़ से सांसद बैठी हैं। कल के समाचार-पत्र में इनका भी समाचार पढ़ा कि हमारी इस बहन को भी लालू जी ने होली पर आश्वासन दिया है। ...*(व्यवधान)* अब हम दो बहनों को आश्वासन मिल गया है। ...*(व्यवधान)*

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने सबसे पहले सन् 2005 में इस बात को कहा था। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैं आपकी बात का विरोध नहीं कर रही हूं, सपोर्ट कर रही हूं। ...*(व्यवधान)* मैक्लोड जी, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो लालू जी को उनके वायदे की याद दिला रहे हैं, उन्होंने जो हमसे वायदा किया था, वह उन्हें निभाना पड़ेगा। हम उन्हें उनका किया हुआ वायदा याद दिला रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं इस विषय को इसलिए रख रही हूं, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी डिमांड रखिए।

श्रीमती करुणा शुक्ला: सभापति महोदया, मैं डिमांड ही रख रही हूं। पूरे देश में रेलवे को सबसे अधिक आय देना वाला बिलासपुर का रेलवे जोन और वहां रेलवे बोर्ड का भर्ती कार्यालय खोलना चाहिए, यह हमारी वर्षों से मांग है। पुन्नू लाल मोहले जी जब से सांसद बने, तब से वे कह रहे हैं और हमारे अन्य सांसद भी इस विषय में मांग कर रहे हैं तथा हमने भी इस विषय पर बहुत लिखा-पढ़ी की है। आज मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं, क्योंकि इन्होंने 23 तारीख को मुझसे और मेरी बहन से जो वायदा किया, सबने लिखा-पढ़ी की, जो भी उस क्षेत्र का सांसद होगा वह छत्तीसगढ़ के भले के लिए सोचेगा। वह हर वर्ष, हर सत्र में बोलेगा, लिखा-पढ़ी करके हम सब ने अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया है। हम सब की बात को ध्यान में रखें। छत्तीसगढ़ से दो बहनें आती हैं—एक मनोनीत सांसद लोक सभा में और एक चुनी हुई सांसद, जिसका क्षेत्र बिलासपुर, जांजगीर और कोरबा आता है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय लालू जी को उनके वायदे की याद दिलाना चाहती हूं। हम बहनों से उन्होंने जो वायदा किया है, आश्वासन दिया है, उसे वे पूरा करें, नहीं तो हमारे कोमल मन को ठेस लगेगी और हम भाईयों पर भरोसा करना छोड़ देंगे। इसलिए रेल मंत्री जी आप अपने उस वायदे को निभाएं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने अपने क्षेत्र की बहुत सी मांगें इसमें लिखी हैं, मैं इसे ले कर रही हूं। मेरे क्षेत्र की जनता को मुझ पर विश्वास है कि मैं कोरबा, जांजगीर और बिलासपुर की बात मंत्री जी से जरूर करूंगी। आपको पुन: बहुत-बहुत धन्यवाद।

*मैं निम्न विषयों पर माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं:-

देश में स्थित सभी जोनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश का बिलासपुर रेलवे जोन सबसे अधिक आय देने वाला जोन है। किंतु दुर्भाग्य का विषय है कि वहां रेल भर्ती बोर्ड का कार्यलय स्थापित नहीं किया गया है। बेरोजगार युवकों को इंटरव्यू व लिखित परीक्षा देने दूसरे प्रदेशों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। गरीब बेरोजगारों पर अधिक आर्थिक बोझ पड़ता है। माननीय लालू जी आप गरीब रथ चला रहे हैं उन्हीं गरीबों के लिए बिलासपुर में यदि भर्ती कार्यालय खोलेंगे तो क्षेत्र के साथ न्याय होगा तथा गरीब नौजवानों और युवतियों को राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिला मिनि भारत के नाम से जाना जाता है। सभी प्रदेशों के लोग यहां निवास करते हैं। यहां एसईसीएल, एनटीपीसी, बाल्को तथा छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल संस्थान स्थापित हैं। यहां वर्षों से कोरबा में पिट-लाइन के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे जा रहे हैं। यदि पिट-लाइन का निर्माण हो जायेगा तो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली रेल गाड़ियां यहां तक पहुंच जायेंगी।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो बिलासपुर से अमृतसर तक जाती है उसे कोरबा से प्रारम्भ किया जाए।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

कोचीन एक्सप्रेस जो सप्ताह में पांच दिन चलती है उसे रोज चलाया जाए तथा बिलासपुर के स्थान पर कोरबा से चलाया जाए।

छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्टेशन सक्ती, चांपा, अकलतरा पर लम्बी दूरी तक चलने वाली ट्रेनें आजाद-हिंद एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, हावड़ा पोरबंदर एक्सप्रेस तथा गीताजंली एक्सप्रेस का स्टापेज 2 मिनट का उपरोक्त स्टेशनों पर दिया जाए।

राजधानी तथा शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों में भी विकलांग कोटे की सुविधा देश के विकलांग भाई-बहनों को दी जानी चाहिए क्योंकि आप बाकी ट्रेनों में तो यह सुविधा दे ही रहे हैं, इन ट्रेनों को भी जोड़ा जाना चाहिए।

रायगढ़ एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिला मुख्यालय है। यहां रेलवे के टर्मिनल का शिलान्यास 14.9.1998 को हुआ था। नौ वर्षों का समय गुजर गया और शिलान्यास का पत्थर आज भी आंसू बहा रहा है। आंसू सूख न पायें इससे पहले आप यहां टर्मिनल का निर्माण अवश्य करवाएं।

बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर वीआईपी गेस्ट-हाउस जो सर्व सुविधा युक्त नहीं है उसे बड़ा बनाया जाए तथा सर्व-सुविधायुक्त बनाया जाए।

रायपुर-धमतरी नैरोगेज को ब्राडगेज बनाया जाए। यह वर्षों पुरानी मांग है।

अम्बिकापुर से शहडोल तक चलने वाली लोकल ट्रेन का विस्तार जबलपुर तक किया जाना उचित होगा। देश में अनेकों छोटी बड़ी तीर्थ यात्रा कंपनियां जो लोगों को रेल के माध्यम से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों जैसे प्रयाग, काशी, अयोध्या, गंगासागर, पुरी, तिरूपति, बालाजी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, श्रीशैलम, महेसुन आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा कराती है और इस हेतु रेलवे के स्वतंत्र थ्री टियर कोच आरक्षित करती है। क्योंकि यात्रा कई दिनों, कई महीनों की होती है इसलिए रेल कोचों का विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव आवश्यक होता है। इसके लिए कंपनियों द्वारा रेलवे को हाल्ट चार्जिज दिया जाता है। इससे देश की जनता को जहां तीर्थ यात्रा करने में आसानी होती है वहीं रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होती है किंतु हाल ही में रेलवे ने अपने एक आदेश द्वारा इस तीर्थ यात्रा के हेतु किए जाने वाले किराए में भारी बढ़ोत्तरी की है। पहले डिटेंशन चार्जिज के रूप में 3120 रुपए प्रतिदिन लिया जाता था उसे बढ़ाकर 14400 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य चार्जों को भी बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। इस प्रकार रेलवे द्वारा तीर्थ यात्रा हेतु लगभग तीन लाख रुपया लिया जाता था वहीं अब छः लाख पच्चीस हजार रुपये से ऊपर हो गया है। इतना अधिक किराया बढ़ने से लोगों में भारी रोष है। देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मेरी मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त किराया वृद्धि पर मंत्रालय पुनर्विचार करे तथा अपने उक्त आदेश को वापिस ले ताकि लोगों को रेलवे द्वारा देश में तीर्थ यात्रा करने में वित्तीय परेशानी न हो।

जिला जांजगीर चांपा तथा बिलासपुर जो मेरा संसदीय क्षेत्र का जिला है वहां स्थित लाल खदान तथा खोखसा फाटक तथा चांपा शहर में स्थित फाटकों से जनता को घंटों फाटक बंद होने के कारण इंतजार करना पड़ता है। मंत्री महोदय से निवेदन है कि तीनों फाटकों पर आरओबी का निर्माण कराया जाए ताकि क्षेत्र की जनता का आवागमन सुलभ हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल बजट में नवोदय राज्य छत्तीसगढ़ की माननीय मंत्री जी ने घोर उपेक्षा की है। देश को रेल से सर्वाधिक आय देने वाला यह प्रदेश है मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ को उसका उचित हक देने का कष्ट करें। कोयला, इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट सभी हमारे प्रदेश से रेल के माध्यम से देश भर में जाते हैं। कृपया हमारे प्रदेश को न्याय दें।

रायपुर से टिटकागढ़ रेल लाइन का दोहरीकरण होना चाहिए यदि दोहरीकरण का कार्य हो जाता है तो विशाखापट्टनम पोर्ट का फायदा मिलना प्रारंभ हो जाएगा।*

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सभापति महोदया, लगातार तीसरे वर्ष असाधारण उपलब्धि के लिए मैं माननीय रेल मंत्री को अपने सभी मित्रों के साथ बधाई देता हूं।

महोदया, आम आदमी पर भार बढ़ाए बिना 20,000 करोड़ रु. का लाभ कमाना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जिसकी पूरे देश में सराहना हुई है। वर्ष 2007-08 का रेल बजट अपने आप में माननीय रेल मंत्री द्वारा किए गए साहसी उपायों और रणनीति का श्रेष्ठ उदाहरण है। मालभाड़ा और किराया सस्ता करने और बेहतर सुविधाएं बढ़ाने की उनकी कोशिशों से लाभ हुआ है।

भारत में ट्रेन सेवा बहुत आम और परिवहन का लोकप्रिय साधन है। उन्होंने वही दिया जो आम लोग चाहते हैं जैसे कम किराया, बेहतर यात्री सुविधाएं और मालभाड़े में छूट।

महोदया, उन्होंने अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं और अनेक प्रावधान किए हैं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है अतः मैं इन बातों को नहीं पढ़ रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि

उन्होंने सबका ध्यान रखा है। उन्होंने 1.4 मिलियन रेलवे कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जिन्होंने भारतीय रेल व्यवस्था का सफलता और प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने उनके अथक प्रयासों को भी स्वीकार किया है।

महोदया, मेरे राज्य में, पहली बार, कटिहार से गुवाहाटी तक रेलवे का विद्युतीकरण किया जा रहा है। मेरा राज्य गरीब राज्य है। इसीलिए, इस बार गुवाहाटी से कोलकाता तक एक गरीब रथ भी चलाया जाएगा। हमने मांग की है, हमारे राज्य की सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रेन सरायघाट एक्सप्रेस सप्ताह में प्रतिदिन चलाया जाए और अब इसे सातों दिन चलाया जाएगा। हमने यह भी मांग की है कि यह ट्रेन ओवरनाइट एक्सप्रेस बनाई जानी चाहिए ताकि यह शाम को गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंच सके और वापसी में भी ऐसा ही हो। मैं माननीय मंत्री जी से इस मामले पर विचार करने कि क्या इस ट्रेन को क्षेत्र के व्यापार और वाणिज्य के हित में ओवरनाइट एक्सप्रेस बनाया जा सकता है, निवेदन करता हूं।

अवरोध हटाने के लिए गुवाहाटी से डिगबोई तक दोहरी लाइन प्रस्तावित है। बिगिबिल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया गया है। अजरा से बनिहाट और दीमापुर से कोहिमा तक नई रेलवे का निर्माण शुरू किया गया है। रंगिया से मुरकुंगलतक तक आमान परिवर्तन का कार्य भी शुरू किया गया है। अन्य बजटीय प्रावधानों से आम आदमी को होने वाले लाभों के साथ-साथ हमें भी यह लाभ प्राप्त होगा।

महोदया, पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय विषमताओं को समाप्त करने के लिए कुछ विशेष ध्यान दिए जाने की मांग है। हम माननीय मंत्री जी से कम से कम हम याद रखने और एक रेलवे उत्पादन इकाई प्रदान करने का निवेदन करेंगे जिससे पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में योगदान हो सके।

महोदया, मैं बराक घाटी से हूं और मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। बराक घाटी असम राज्य में है और स्वतंत्रता से पूर्व यहां व्यापार और वाणिज्य पनप रहा था और बांग्लादेश होकर कोलकाता और देश के अन्य भागों तक सामान्य रेल संपर्क था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसे निलम्बित कर दिया गया। हमें लुम्डिंग और बदरपुर के पहाड़ी क्षेत्र से लंबा मार्ग से जाना पड़ता है। हम इससे भी संतुष्ट हैं। 1996 में, इस क्षेत्र में आमान परिवर्तन शुरू किया गया था। पिछले 12 वर्षों से यह कार्य जारी है। इन 12 वर्षों के दौरान, मैं समझता हूं, लगभग 40 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है। इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में लिया जा रहा है और 2009 में पूरा होने का लक्ष्य है। मैं नहीं जानता कि दो वर्षों में कैसे शेष 60 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा सकता है। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी से इसे पूरा करने के लिए अपनी ओर से अधिकाधिक प्रयास करने का निवेदन करता हूं, और मुझे विश्वास है, क्योंकि वे असाधारण प्रतिभा वाले मंत्री हैं, वह कुछ कर सकते हैं ताकि हमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होने और बड़ी लाइन नहीं होने के कष्टों से छुटकारा मिल सके। मैं माननीय रेल मंत्री से इसे करने का निवेदन करता हूं।

महोदया, 100 वर्ष पूर्व, दल्लावचेरा रेलवे का निर्माण किया गया था, और 100 वर्ष बाद दल्लावचेरा के अतिरिक्त बड़ी जनसंख्या है। पिछले वर्ष मैंने रेल मंत्री से दल्लावचेरा से चेरगी तक रेलवे लाइन बढ़ाने का निवेदन किया था। एक बार पुन: मैं मंत्री जी से इसकी संभाव्यता का अध्ययन करने का निवेदन करता हूं।

हमने सुतारकंडी में एक व्यापार केन्द्र शुरू किया है जो बांग्लादेश सीमा पर है और इस व्यापार केन्द्र के माध्यम से भारत प्रतिदिन हजारों टन कोयले और अन्य सामग्रियों का निर्यात कर रहा है। अत:, निर्यात को बढ़ावा देने और वास्तविक लागत कम करने के लिए रेल मंत्री जांच कर सकते हैं, क्या सुतारकंडी तक रेलवे का विस्तार किया जा सकता है।

महोदया, बोलने का यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): सभापति महोदया, सरकारी दफ्तरों में कई बार फाइल खो जाती है और ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे में कोंकण रेलवे की फाइल कुछ समय से खो गई है। उसी की याद दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और कोंकण रेलवे के बारे में कुछ बातें रेलवे मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, आपको याद होगा कि कोंकण रेलवे बनने के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। वहां की जनता ने इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसको बनाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जमीन दी थी, उसका मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला है। मैं लालू जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कोंकण रेलवे भी इस देश में चलती है और शायद आप भी उसको देखने के लिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि दो-तीन साल से आप

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

उसे भूल गए हैं और उसी की याद दिलाने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। वहां के लोगों ने रेलवे से जो कुछ भी मांगा था, वह आज तक उन्हें नहीं मिला है।

महोदया, मेरी पहली मांग यह है कि मुम्बई से सावंतवाड़ी तक एक रेल चलाई जाए और वह रेल बौरीवली, पश्चिमी रेलवे से निकलते हुए जानी चाहिए, क्योंकि कोंकण में रहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में बौरीवली, पश्चिम रेलवे में भी रहते हैं। वहां रहने वाले लोगों को दो ट्रेन बदलनी पड़ती है, इससे उनकी जेब पर भार पड़ता है, उस भार को कम करने के लिए इसे चलाया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मधु दण्डवते जी जो कि रेल मंत्री भी रह चुके हैं, सावंतवाड़ी टर्मिनस का नाम उनके नाम पर रखा जाए। मधु जी एक समाजवादी नेता थे और लालू जी भी समाजवादी नेता हैं और वे उन्हें नहीं भूले होंगे।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): जी हां, संपूर्ण सदन इसका समर्थन कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदया, वहां के गरीब किसान कोकन बनाते हैं। कोंकण रेलवे में कोक दिया जाता है, लेकिन कोकन नहीं दिया जाता है। मुझे लगता है कि कोक को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए मेरी मांग है कि कोक के साथ-साथ कोकन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोंकण की जनता के द्वारा जो हेंडीक्राफाट्स बनाए जाते हैं, उनको बेचने के लिए कोंकण रेलवे द्वारा स्टाल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

महोदया, हमारी सरकार के समय में हमने सिंधुनगर जिले को टूरिस्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया। मेरी मांग है कि इस पर्यटन जिले में स्टेशन बनाए जाएं ताकि यहां पर्यटक घूमने के लिए आ सकें।

इसके अलावा वहां कई ऐसे गांव हैं, जहां नये स्टेशन दिए जाने की मांग की जाती रही है, जैसे लान्झा और राजापुर में है। इसी तरह अन्य कई गांव हैं, जहां पर स्टेशन दिए जाने की आवश्यकता है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां के लोगों में यह संदेह पैदा हुआ है कि कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे में है या नहीं, इस संदेह को दूर करने के लिए काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल)** (बीजापुर): सभापति महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2007-08 की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

जहां तक मैं समझता हूं इस रेल बजट में देश के सभी राज्यों के साथ न्याय नहीं किया गया है। देश का रेल मंत्री होने के नाते यह उनका कर्त्तव्य है कि वे बजट में धन आवंटित करते समय सभी राज्यों को ध्यान में रखें। किंतु इस बजट में माननीय मंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र सहित केवल कुछ राज्यों को ही उच्च प्राथमिकता दी है। अपने राज्य में तथा उन राज्यों में जहां उनकी गठबंधन सरकारें चल रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि केवल कुछ ही राज्यों में रेलवे है। इस बजट में रेल मंत्रालय द्वारा अधिकांश राज्यों को नजरअंदाज किया गया है।

उदाहरणस्वरूप, रेल बजट में बिहार को अधिकांश हिस्सा दिया गया है। चूंकि कई रेल मंत्री बिहार से रहे हैं इसलिए इस राज्य को अधिकांश हिस्सा मिलता रहा है। किंतु इस बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने अपने संसदीय क्षेत्र को शीर्ष प्राथमिकता दी है। यह बहुत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी चिंता यह है कि ऐसे पक्षपात से हमारे देश की प्रगति पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए रेल मंत्री जी को ऐसा बजट पेश करना चाहिए जिसमें देश के सभी राज्यों को बराबर प्राथमिकता मिले तथा यह बजट देश की प्रगति एवं समृद्धि में सहयोग दे। मैं कहना चाहूंगा कि केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए माननीय मंत्री लालू प्रसाद जी ने इस प्रकार का बजट पेश किया है तथा इससे देश का विकास सुनिश्चित नहीं होगा।

माननीय रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे ने 20,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है किंतु इसका श्रेय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को जाना चाहिए न कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार को। मैं कहना चाहूंगा कि एक अच्छे रेल बजट में व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए जिसमें बिना किसी पूर्वाग्रह के देश के सभी

*मूलत: कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्यों का ध्यान रखा गया हो। किराया नहीं बढ़ने से ही कोई बजट अच्छा बजट नहीं हो जाता है।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने कार्यकाल में ईमानदार प्रयास किया था और भारतीय रेल को सही दिशा में रखने के लिए कई समुचित निगरानी उपाय किए गए थे। पूर्व में इसे काफी घाटा होता रहा। एनडीए सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा माननीय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नई परियोजना ''सुदूर क्षेत्र रेल परियोजना'' की घोषणा की थी, इस योजना के तहत हमारी सरकार कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी तालुकों एवं जिलों के नागरिकों को रेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध थी। किंतु मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने सुदूर क्षेत्र परियोजना के बारे में चर्चा तक भी नहीं की है।

मैं तो कहूंगा कि माननीय मंत्री ने विभिन्न राज्यों में आमान परिवर्तन, नई रेल लाइन बिछाने के लिए अनुमोदन सहित विभिन्न परियोजना के संदर्भ कई राज्यों के साथ भेदभाव किया है। इसलिए मैं श्री लालू प्रसाद यादव जी से विभिन्न राज्यों में विभिन्न रेल परियोजनाओं को धन आवंटित करते समय सभी राज्यों पर व्यापक दृष्टिपात करने का अनुरोध करूंगा।

मैं यूपीए सरकार के माननीय सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार बनने के पूर्व रेलवे को कांग्रेस सरकार के कारण, जिसके स्वतंत्रता के 60 वर्षों में 53 वर्षों से अधिक समय के लिए देश पर शासन किया है, घाटा होता रहा। किंतु 6 वर्षों के अल्प कार्यकाल में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारतीय रेलवे को पटरी पर लायी और यह मुनाफा कमाने लगी। माननीय यूपीए सदस्य इस वास्तविकता को न भूलें।

जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है, यह राज्य छत्तीसगढ़, जो रेल को अधिक मुनाफा देता रहा है, की तरह रेलवे के कोष में अधिक अंशदान कर रहा है। उदाहरण के लिए, रेलवे कर्नाटक के लौह अयस्क से 1500/- करोड़ रुपए कमा रहा है, जिसे देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि इस बजट में मेरे राज्य कर्नाटक को रेल मंत्री द्वारा नजरअंदाज किया गया है।

कर्नाटक को इस बजट में बेहतर स्थान नहीं दिया गया है। कर्नाटक राज्य को मात्र 497 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। केवल 50-60 मील नई रेल लाइन की घोषणा की गई है। जिन 37 परियोजनाओं की मांग की गई थी उनकी घोषणा नहीं की गई है। बागलकोट से बीजापुर तक 70 किमी रेल लाइन की घोषणा की गई है। ये बड़ी परियोजनाएं नहीं हैं। इन परियोजनाओं

के लिए केवल एक करोड़ या दो करोड़ रुपए के आवंटन का कोई मायने नहीं रहता।

कई ऐसे राज्य हैं जहां बेटिकट यात्री अधिक है किंतु उन्हें अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। जबकि मेरा राज्य, जो अधिक आय दे रहा है, इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। लौह अयस्क से तथा टिकट युक्त यात्रियों द्वारा यात्रा करने से आय अधिक हो रही है किंतु फिर भी इसे नजरअंदाज किया जाता है।

श्री आर. वेलु: कर्नाटक ऐसा नहीं कह सकता है कि उसे नजरअंदाज किया गया है तथा आप आंकड़ा देते हुए यह कह रहे हैं कि बिहार को अधिक हिस्सा मिल रहा है, गत वर्ष कर्नाटक के लिए 390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे अब यह आवंटन 630 करोड़ रुपए का है। यह लगभग 97 प्रतिशत अधिक है।

श्री बसनगौडा आर. पाटिल (यत्नाल): अब माननीय रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने गत वर्ष की तुलना में 97 प्रतिशत अधिक धन आवंटित किया है। किंतु यह बड़ी राशि नहीं है। साथ ही उन्हें हमारे राज्य के बारे में सोचना चाहिए। केवल बेल्लारी से लौह अयस्क की ढुलाई से रेलवे के कोष को 1500 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसलिए धन आवंटित करते समय माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए कि संबंधित राज्य को इसके अंशदान के अनुपात में हिस्सा मिले तथा इसके अनुसार प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी आधार पर इस बजट में मेरे राज्य को 1500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जानी चाहिए।

बीजापुर-बागलकोट आमान परिवर्तन किया जा रहा है तथा माननीय संसद सदस्य श्री सुरेश प्रभु द्वारा कहे गए अनुसार हुबली-अन्कोला रेलवे लाइन को कोंकण रेलवे से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जानी चाहिए। यदि इसके लिए केवल 5 या 10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाए तो इस परियोजना को पूरा करने में 40-50 वर्ष लग जाएंगे। गुलबर्गा-बीदर रेलवे लाइन के लिए केवल 5 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। हमारी एनडीए सरकार के कार्यकाल को इस रेल लाइन के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। किंतु इसके बावजूद इस रेलवे लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। अब तक निगरानी अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं की गई है।

इसी प्रकार, महबूबनगर-रायचूर रेलवे लाइन, तालागुप्पा शीओमोगा आमान परिवर्तन, चामराजनगर-मेट्टूपलयाम एवं शाहबाद-सेदाबाला रेलवे लाइन को दो वर्ष पूर्व मंजूरी दी गई थी।

[श्री बसनगौडा आर. पाटिल]

परन्तु, सर्वेक्षण कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है। बागलकोट-कुडाची रेल लाइन, जिससे रेलवे के खजाने में और वृद्धि होने की संभावना है, तुमकुर-चित्रदुर्गा रेल लाइन जो कि हमारे राष्ट्रीय नेता श्री एस. निजलिंगप्पा, जो कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, का एक सपना था और अलमाट्टी-यादागीर नई रेल लाइन को रेल बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, मेरा श्री लालू प्रसाद यादव जी से यह नम्र निवेदन है कि वे वर्तमान बजट में ही तुमकुर-चित्रदुर्ग रेल लाइन का कार्य आरंभ करें।

माननीय रेल मंत्री जी ने गरीब रथ नामक रेलगाड़ियां आरंभ की हैं। ऐसा प्रशंसनीय कार्य करने के लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना मेरी जिम्मेदारी है। अत:, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनसे वार्ता के पश्चात् हुबली और गदाग-बीजापुर से होते हुए बंगलौर से दिल्ली के लिए एक गरीब रथ चालने का भी अनुरोध करता हूं। इसे अगले अनुपूरक बजट में शामिल किया जाए। बीजापुर-मुंबई ट्रेन जो कि सप्ताह में तीन दिन चलती है को प्रतिदिन चलाया जाए तथा उसके मार्ग को बढ़ाकर बगालकोट तक किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र बीजापुर में बागलकोट-बंगलौर बसावा एक्सप्रैस ट्रेन को प्रतिदिन चालया जाए। मैं रेल राज्य मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल में बीजापुर को एक माडल रेलवे स्टेशन बनाना चाहता था। अत:, मैं श्री लालू प्रसाद जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे बीजापुर स्टेशन को माडल स्टेशन बनाने की घोषणा करें।

एनडीए सरकार के कार्यकाल में गुलबर्गा डिवीजन को उचित दर्जा प्रदान किया गया था। मैं श्री लालू जी से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में सलेम डिवीजन, जिसके संबंध में इस रेल बजट में घोषणा की गई है, की तरह गुलबर्गा डिवीजन को भी वही दर्जा प्रदान करें। इससे कर्नाटक राज्य और उसके लोगों को काफी सहायता मिलेगी। महोदया, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री आर. वेलु: महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को कर्नाटक हेतु आवंटन के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिए कि राज्य की उपेक्षा की गई है। परिव्यय को गत वर्ष 319 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 630 करोड़ रुपये कर दिया गया है- जो कि लगभग 97 प्रतिशत की वृद्धि है।

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर): महोदया, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद को बिना यात्री भाड़े में वृद्धि किए चौथा सफल बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हम उन्हें भगवान श्रीकृष्ण की तरह मानते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता और इस सदी के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उन्होंने आम-आदमी का बजट प्रस्तुत किया है। मैं अपनी मातृभाषा तेलगु में बोलना चाहूंगा।

*आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में संसद सदस्य आते हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई अनुरोध भेजे हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लेकर विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता की, उसी प्रकार हमने लालू जी से आंध्र प्रदेश के लिए और अधिक परियोजनाएं स्वीकृत करने की आशा की थी। परन्तु, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे भगवान कृष्ण ने हमारे साथ अन्याय किया है। अब हमें उनसे आशा है कि वे हमारे कम से कम कुछ अनुरोध तो स्वीकार करेंगे ही। मैं भगवान कृष्ण से हम पर कृपा करने की प्रार्थना करता हूं। मैं कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। गुंटूर और तेनाली के बीच रेल लाइन का विद्युतीकरण और उसका दोहरीकरण किया जाना चाहिए।

अपराह्न 4.42 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

चेन्नई और गुंटूर के बीच दिन के समय एक अन्तर नगरीय एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जानी चाहिए। पिछले रेल बजट में गुंटूर और के.सी. कनाल, जो कि 25 किलोमीटर लंबा मार्ग है और जिसका विद्युतीकरण और दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता थी, का दोहरीकरण करने हेतु धनराशि स्वीकृति की गई थी। माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वेलु जी ने उस मार्ग का दोहरीकरण किया और गुंटूर में नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और तदनुसार निधियां आवंटित की गईं। इसी प्रकार गुंटूर से तेनाली तक 25 किमी लंबा एक और रेलमार्ग है जिसका दोहरीकरण और विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इससे विजयवाड़ा, तेनाली और गुंटूर के बीच सुगम संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलेगी। इन तीन शहरों को जोड़ने के लिए एक सर्कुलर ट्रेन चलाने की बहुत समय से मांग की जा रही है और यह मांग पिछले दस वर्षों से लंबित है। हम अपने मुख्य मंत्री के साथ इस मामले को माननीय रेल मंत्री जी के ध्यान में लाये। मुझे आशा है कि हमारे भगवान कृष्ण इस वर्ष के रेल बजट में इस परियोजना को स्वीकृत करेंगे। इसी प्रकार, नल्लमपाडु और पवीदीपल्ली मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण संबंधी कार्य भी लंबित पड़ा हुआ है।

दस वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था। इस कार्य के लिए बजट 400 करोड़ रुपये के लगभग होगा। किसी ने यह उल्लेख किया था कि 500 करोड़ या उससे कम रुपये के बजट

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वाला कार्य स्वीकृत किया जा सकता है। यदि नल्लमपाडु और पवीदीपल्ली के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण और विद्युतीकरण कर दिया जाता है और विजयवाडा से आगे चेन्नई की ओर दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों को यदि गुंटूर के रास्ते ले जाया जाए तो इससे रेलवे को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। यह मुद्दा बहुत लंबे समय से लंबित है और हम माननीय मंत्री जी से इस बजट में इसे मंजूरी देने का अनुरोध करते हैं। दो "रोड अंडर ब्रिज" हैं जिनका कार्य लंबित पड़ा हुआ है उनमें से एक है नेहरूनगरम अंडर ब्रिज जिसका कार्य गत चार वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। इसी प्रकार, एक और "रोड अंडर ब्रिज" का कार्य पट्टाभिपुरम में लंबित पड़ा हुआ है। हम माननीय रेल मंत्री जी से इन दो ब्रिजों को मंजूर करने का अनुरोध करते हैं। हमने कुछ नई ट्रेनों विशेषकर गुंटूर और अहमदाबाद के बीच एक ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था। चूंकि, ऐसे बहुत से गुजराती हैं जो गुंटूर में व्यवसाय कर रहे हैं और उन्हें अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में यात्रा करने में प्राय: परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सिकन्दराबाद और विजयवाडा के बीच नई एक्सप्रैस ट्रेन के मार्ग को बदलकर उसे गुंटूर से होकर करने का भी अनुरोध करते हैं। हमारा यह भी अनुरोध है कि दिन के समय गुंटूर और चेन्नई के बीच एक नई अन्तर-नगरीय एक्सप्रेस ट्रेन आरंभ की जाए। इससे पहले वहां एक रात्रिकालीन ट्रेन थी। हैदराबाद और चेन्नई के बीच एक ट्रेन चल रही है परन्तु हमारे पास दिन के समय चेन्नई के लिए कोई ट्रेन नहीं है।

हम एक ऐसी ट्रेन चलाने के लिए अनुरोध करते हैं। हमने गुंटूर से होकर मछलीपट्टनम और मनमाड के बीच एक नई ट्रेन चलाने का अनुरोध किया था। मैं केवल दो मिनट का समय और लूंगा, महोदय। जब श्री वेलुजी ने हमारे क्षेत्र का दौरा किया तो हमने उनसे कुछ रेलगाड़ियां चलाने का अनुरोध किया था।

नई दिल्ली-चेन्नई के बीच प्रस्तावित गरीब रथ को गुंटूर से होकर चलाया जाए। अहमदाबाद और चेन्नई के बीच नवजीवन एक्सप्रैस गुंटूर से होकर गुजरे। काकीनाडा और बंगलौर के बीच शताब्दि एक्सप्रेस गुंटूर से होकर गुजरे। विजयवाड़ा और चेन्नई के बीच मिनाकिनी एक्सप्रेस गुंटूर स्टेशन से होकर गुजरे। विजयवाडा और चेन्नई के बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस गुंटूर से होकर गुजरे। चेन्नई और नई दिल्ली के बीच चलने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के मार्ग बदलकर गुंटूर स्टेशन से होकर किया जाए। त्रिवेन्द्रम और नई दिल्ली के बीच चलने वाली केरल एक्सप्रेस को गुंटूर रेलवे स्टेशन से होकर चलाया जाए। तेनाली और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली जन्म भूमि एक्सप्रेस को नया गुंटूर स्टेशन से होकर चलाया जाए। सिकन्दराबाद और गुंटूर के बीच चलने वाली सिम्हापुरी एक्सप्रेस को नालगोंडा-नाडीकुडी-गुंटूर से होकर चलाया जाए।

विजयवाडा और विशाखापत्तनम के बीच चलने वाली रत्नाचल एक्सप्रेस के मार्ग को बढ़ाकर गुंटूर तक किया जाए; तिरूपति-चिराला यात्री ट्रेन के मार्ग को भी गुंटूर तक बढ़ाया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने बड़ी संख्या में लोक सभा में सांसद भेजे हैं। अत:, मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इनमें से अधिकांश प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए।

*रिपेल्ले से सिकन्दराबाद डेल्टा फास्ट पैसेंजर की समय सारणी को पहले जैसा करने की आवश्यकता है क्योंकि यह समय सारणी उन निर्धन यात्रियों के लिए असुविधाजनक पाई गई है जिनके लिए यह ट्रेन चलाई गई है।

महोदय, मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री जी उन सभी परियोजनाओं को वर्तमान बजट 2007-08 में ही शामिल करेंगे जिनका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया है और इस प्रकार विशेषकर गुंटूर और पड़ोसी जिलों के लोगों और सामान्यत: आंध्र प्रदेश के लोगों की बहुत पुरानी इच्छा को पूरा करेंगे।*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): उपाध्यक्ष महोदय, पहले आपने इस सभा को बताया था कि माननीय रेल मंत्री जी करीब 4 बजे अपना उत्तर देंगे और अब 4.45 बज चुके हैं। वे अपना उत्तर कब देंगे क्योंकि हमें अपने गृहनगर वापस जाना है?

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अभी तक इस बारे में कोई एनाउंसमैंट नहीं की गई है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, रेलवे भारत में सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था है। वर्ष 2006-07 में रेलवे को 20 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। वर्ष 2007-08 में पुन: हमें 20 हजार करोड़ रुपये लाभ की आशा है। हमने यात्री किराये एवं माल ढुलाई भाड़े में वृद्धि किए बिना यह लाभ अर्जित किया। इस उपलब्धि के लिए मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं।

इस स्थिति में मैं एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताना चाहता हूं। हम सदैव ऐसा सुनते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री टी.के. हमजा]

असफल रहे हैं, यह एक सफेद हाथी है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद कर देना चाहिए तथा निजीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। तथापि, श्री लालू प्रसाद यादव ने दो ही वर्षों में साबित कर दिया कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध सभी आक्षेप गलत हैं। यदि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का सही ढंग से प्रबंध किया जाए तो यह लाभ अर्जित करने एवं निजी क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में सेवा क्षेत्र में भी बेहतर परिणाम देगा।

वर्ष 2007-08 के इस बजट में माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने भारतीय रेल के व्यापक विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है। उन्होंने यात्री किराये एवं माल भाड़े में भी बढ़ोत्तरी नहीं की बल्कि कुछ अन्य चीजों के भाड़े में थोड़ी कमी ही की है।

हम सभी प्रस्तावों से पूर्णरूपेण संतुष्ट नहीं हैं किंतु हम जानते हैं कि यह संभव भी नहीं है। तथापि, जहां तक संभव हो उन्होंने राज्यों की अधिकांश मांगों को पूरा किया है। जहां तक केरल का संबंध है, हम भारत के दक्षिणतम छोर पर हैं तथा यह एक उपभोक्ता राज्य है। काफी समय से और कई कारणों से हमें नजरअंदाज किया जाता रहा है। अब पहली बार केरल राज्य के साथ डिब्बा निर्माण उद्योग का संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का प्रस्ताव कर इस राज्य को रेलवे औद्योगिक मानचित्र के अंतर्गत लाया गया है। इसके लिए मैं श्री लालू प्रसाद यादव जी को दिल से धन्यवाद देता हूं।

निलाम्बर-नंजनकोड एवं तेल्लीचेरी-मैसूर के सर्वेक्षण का प्रस्ताव अत्यधिक प्रशंसनीय है। मुम्बई-त्रिवेन्द्रम खंड पर गरीब रथ चलाने एवं मावेली एक्सप्रेस के परिचालन में वृद्धि कर मंगलोर-त्रिवेन्द्रम खंड पर प्रतिदिन चलाने को केरल के लोगों ने अपार प्रसन्नता एवं कृतज्ञता से स्वीकार किया है। इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि शोरानूर-मंगलोर खंड के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण एवं इसके विद्युतीकरण के कार्य को पूरा किया जाए। दोहरीकरण के कार्य को पूरा किए बिना हम लोगों की मांग को पूरा करने के लिए नई ट्रेनें नहीं चला सकते हैं।

अंत में, मेरा विनम्र अनुरोध है कि पालघाट मंडल को यथावत रहने दिया जाए तथा पालघाट, त्रिवेन्द्रम, मंगलौर एवं कोंकण क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए एक नया दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र मंडल बनाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री डी. नरबुला (दार्जिलिंग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा इस सभा में प्रस्तुत वर्ष 2007-08 के रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भाषण शुरू करने से पहले मैं रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव एवं उनके सहयोगियों को किराये में बढ़ोत्तरी किए बिना 20,000 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए बधाई देना चाहूंगा, यह भारतीय रेल के इतिहास में एक रिकार्ड है।

इस बजट में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी के कोच में गद्देदार शीट लगाने का प्रस्ताव है। इन कोचों में निम्न आय वर्ग के लोग यात्रा करते हैं। किसी भी पूर्व रेल मंत्री ने निम्न आय वर्ग के यात्रियों के लिए विशेष कोच प्रदान करने के बारे में नहीं सोचा है। इस बजट में विकलांग यात्रियों के लिए कुछ विशेष प्रकार के कोच बनाये जा रहे हैं। इन डिब्बों का दरवाजा चौड़ा होगा तथा गद्देदार सीट इत्यादि लगी होंगी। मैं निम्न आय वर्ग एवं विकलांग यात्रीगण के प्रति इतनी उदारता के लिए माननीय रेल मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हूं।

महोदय, मैं दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से आता हूं। दार्जिलिंग हिल रेलवे को अंग्रेजों ने लगभग 125 वर्ष पहले शुरू किया था। अब इस रेल खंड में लकड़ी की फ़िश प्लेटों को बदलकर लोहे का फिश प्लेट लगायी जा रही है। मैं 125 वर्ष पुरानी तिनधारिया, कुर्सिआंग स्थित रेलवे वर्कशाप का नवीकरण करने के लिए निधियां मंजूर करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी का आभारी हूं। इससे विद्यमान रेल लाइन की स्थिति में निसंदेह सुधार होगा। तथापि, विश्व धरोहर का खिताब हासिल कर चुके दार्जिलिंग हिल रेलवे के पुराने भाप इंजनों में सुधार नहीं किया गया है। विश्व के विभिन्न भागों से लोग टॉय ट्रेन का आनंद लेने के लिए दार्जिलिंग आते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं कि इन भाप के इंजनों में संशोधन किया जाए तथा उनमें सुधार किया जाए।

न्यू जलपाईगुड़ी इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। वहां डी आर एम के कार्यालय की स्थापना कर इसका उन्नयन किया जाना चाहिए। मैं अलुआबाडी रोड स्टेशन एवं सिलिगुड़ी स्टेशन के बीच छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं। सिलिगुड़ी स्टेशन जो कभी एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हुआ करता था, न्यू जलापाईगुड़ी स्टेशन के बन जाने के बाद अब निष्क्रिय पड़ा है। अलुआबाड़ी और सिलीगुड़ी जंक्शन के बीच ब्राड गेज लाइन के पूरा होने के बाद सिलीगुड़ी जंक्शन और सियालदेह के बीच शताब्दी एक्सप्रेस जैसी एक नई सुपर फास्ट वातानुकूलित रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। न्यू जलपाईगुड़ी और दिल्ली के बीच एक गरीब रथ शुरू किया जाना चाहिए।

*इस्लामपुर उपसंभाग में स्थित अलुभाबाड़ी रोड स्टेशन का नाम इस्लामपुर किया जाना चाहिए और इस स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस का ठहराव होना चाहिए। सिलीगुड़ी में महावीर स्थान पर फ्लाईओवर का जो काम दो वर्ष पहले शुरू हुआ था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी इसे शीघ्र पूरा करने का निवेदन करता हूं।

गुवाहाटी और दिल्ली के बीच चलने वाली सभी रेलगाड़ियां पटना जंक्शन से होकर आती हैं। यदि इनमें से कुछ रेलगाड़ियां बरास्ता गया चलाई जाएं, तो दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान में रहने वाले अधिसंख्यक बौद्ध इससे लाभान्वित होंगे।

माननीय रेल मंत्री जी ने कुर्सिओंग में एलिसिया भवन में रेलवे मुख्यालय खोला है जिसमें अभी कार्य शुरू होना है। यदि यह कार्यालय जल्दी कार्य शुरू करता है तो पहाड़ी क्षेत्र की पूरी जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से कुर्सिओंग में इस कार्यालय में रेलवे भर्ती बोर्ड खोलने का भी निवेदन करता हूं।

नक्सलबाड़ी और बागडोगरा में अधिकांश रेलवे भूमि खाली पड़ी है। यह खाली पड़ी भूमि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को दी जानी चाहिए। इससे न केवल स्थानीय विकास में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार भी उत्पन्न होगा।

दार्जिलिंग पहाड़ियों के कृषकों को बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए, वहां से दिल्ली और कोलकाता जाने वाली रेलगाड़ियों में वातानुकूलित कंटेनर जोड़े जाने चाहिए जिनमें वे अपने उत्पादों को विपणन के लिए ले जा सकें।

1950 से पहले गेलबोला तक रेलवे लाइन थी। अब भारत और चीन के मध्य व्यापार बरास्ता सिक्किम शुरू हो गया है। मुझे लगता है कि सिक्किम तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि यह देश के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होगी। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं पुनः रेल बजट का समर्थन करता हूं।*

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णनगर): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं दो मिनट समय लेकर एक-दो बातें कहूंगी। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। कल इस सदन में स्पोर्ट्स ब्राडकास्टिंग बिल पारित हुआ था ताकि देश की जनता खेलों को देख सके। मैं कहना चाहूंगी कि मैंने 14 साल रेलवे में काम किया है, खेलों में विश्व स्तर पर रेलवे ने छः गोल्ड मेडल्स दिलाए हैं। अब मैं इस सदन की मेम्बर हूं, सभी खिलाड़ी मुझसे मांग करते हैं कि जैसे हमारे एमपी लोगों को अपने स्पाउस और कम्पेनियम के साथ यात्रा करने के लिए रेलवे पास मिलता है। जो खिलाड़ी ओलम्पिक्स और एशियन गेम्स में मेडल जीतकर आते हैं, उनको सेकण्ड क्लास का सिंगल पास दिया जाता है। इसके साथ ही अगर उन्हें एक कम्पेनियन के साथ यात्रा करने का भी रेलवे पास मिले तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी और पूरा देश मंत्री जी को धन्यवाद देगा। मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा रेल बजट पेश किया है।

इसके साथ ही मैं अपनी कांस्टीट्वेंसी की एक मांग रखना चाहती हूं। मेरी कांस्टीट्वेंसी कृष्णनगर है। जब एनडीए सरकार थी, उस समय के रेल मंत्री ने कृष्णानगर से करीमपुर रेल लाइन के लिए वहां एक पत्थर लगाया था। लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। लास्ट बजट भी लालू जी ने पेश किया था, उसमें कृष्णानगर से चारतला रेल लाइन का उल्लेख था। लेकिन उसके लिए बजट में कोई पैसा नहीं दिया गया था। मैं यह मांग करूंगी कि कृष्णानगर से करीमपुर रेललाइन थोड़ी जल्दी बने और भागीरथी स्टापेज देवोग्राम के लिए और सियालदह से लालगोला डबल लाइन के लिए मैं मांग करती हूं। मैं इन कार्यों को करवाने के लिए आपके प्रति आभारी रहूंगी।

श्री लालू प्रसाद: लेकिन आपने रेल बजट का तो समर्थन नहीं किया है?

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: महोदय, मैं और मेरी पार्टी, सभी लोग इस बजट का समर्थन करते हैं।

डा. अरविन्द शर्मा (करनाल): उपाध्यक्ष जी, मैं रेल मंत्री लालू जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों, आम आदमी, बुजुर्गों, महिलाओं और नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा बजट बनाया है। मैं इस रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी कुछ दिन पहले पानीपत में समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्री के संदेश के रूप में ट्रेन चलती है, उसमें विस्फोट करके कुछ लोगों ने दोनों मुल्कों के बीच मैत्री प्रयासों को अवरुद्ध करने की व्यूह रचना रची थी। लेकिन हमारे रेल मंत्री जी ने, हमारी नेता सोनिया जी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका कठोरता से जवाब दिया और इस घटना की कड़े शब्दों में निन्दा की।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने हलके की समस्या के बारे में बताएं।

डा. अरविन्द शर्मा: उस घटना स्थल का रेल मंत्री जी ने फौरन दौरा किया और मृतकों के आश्रितों को दस-दस लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा की। उस घटना स्थल के आसपास के जिन गांव वालों ने राहत कार्य में मदद की, उनके लिए भी लालू जी ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। मेरी रेल मंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने बचाव कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके लिए रेलवे विभाग में नौकरी की व्यवस्था की जाए, तो अच्छा होगा।

हम लोग जितनी नेशनल कैपिटल रीजन की बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। कुछ वर्ष बाद नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होना है। उस समय यहां पर विदेशों से पर्यटक भी आएंगे और वे सारे नेशनल कैपिटल रीजन में ही रुकेंगे और यहां के स्थानों का भी अवलोकन करेंगे। इसलिए इस एनसीआर के 90-100 किलोमीटर के एरिया में सरकार को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा देश में जितने भी मैट्रोपोलिटन शहर हैं, जैसे कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, बैंगलोर, आदि वहां पर 150-200 किलोमीटर के एरिया के इर्द-गिर्द आने वाले सभी स्टेशंस को माडल स्टेशंस के रूप में विकसित करना चाहिए, ताकि वहां के डेली पैसेंजर्स को सुविधा हो, जिनकी बहुत तादाद होती है।

अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं, जिन्हें मैं पूर्व में भी कई बार सदन में कह चुका हूं। मैं रेल मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि शाने-पंजाब का ठहराव करनाल में होना चाहिए। इसी तरह से हिमालयन क्वीन का ठहराव समालखा में होना चाहिए। रेल मंत्री जी काफी मजबूत मंत्री हैं और एक्शन लेने के मामले में मशहूर हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि मैंने जो ये छोटी-छोटी डिमांड्स की हैं, वे उनकी तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

इसके अलावा मैं अपनी स्पीच का बाकी भाग सदन के पटल पर रखता हूं।

*पायलट प्रोजेक्ट के तहत आपने मुम्बई उपनगरीय सेवा के अंतर्गत जो निर्णय लिया है उसे दिल्ली में भी लागू किया जाए और यहां भी व्यापारियों और पर्यटकों को दिल्ली भ्रमण के लिए ट्यूरिस्ट टिकट का प्रावधान किया जाए। इससे रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी होगी।

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

मैंने पिछले सत्र के दौरान भी दो रेल लाइनों को बिछाने का आग्रह किया था। पानीपत से सहारनपुर रेलवे लाइन वाया दिवाना, बापौली, कैराना, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर होती हुई हरिद्वार तक की लाइन का सर्वे हो चुका है। दूसरी लाइन पानीपत से असन्ध रेलवे लाइन है। इसके बीच में 70 से 80 गांव आते हैं। अगर यह रेल लाइन बिछा दी जाए तो रेलवे को काफी आमदनी होगी और जनता को भी सुविधा होगी।

मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली से जम्मू-तवी वाया, जालन्धर, अमृतसर, व्यास होते हुए एक गरीब रथ और चलाया जाए। इसके चलने से इन क्षेत्रों में पड़ने वाले तीर्थ स्थलों तक जाने के लिए लोगों को काफी सुविधा होगी।

हमारे देश के खिलाड़ी अन्य विभागों की अपेक्षा रेलवे में नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए सभी राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को रेलवे विभाग में शामिल किया जाए। इसके अलावा रेलवे विभाग में खिलाड़ियों के लिए अलग से राज्य स्तरीय कोटा निर्धारित किया जाए।

जितनी भी रेलवे संबंधी योजनाएं हैं, उनमें चाहे माल-भाड़ा हो या सवारी भाड़ा हो, लीन एंड पीक सीजन्स को ध्यान में रखते हुए आपने कटौती करके भी आम जनता पर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ नहीं डाला है, बल्कि रेलवे को मुनाफा दिलाया है। उसके लिए हम रेल मंत्री जी को बधाई देते हैं।

इतना कहकर मैं पुन: इस रेल बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।*

[अनुवाद]

श्री के.वी. तंगबालु (सेलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी द्वारा प्रस्तुत रेल बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सहारा देने के लिए बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने भाषण के शुरू में उल्लेख किया कि उन्हें हमारी प्रिय नेता संप्रग अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से मार्गदर्शन मिला है। मैं उन्हें एक बार पुन: बधाई देता हूं क्योंकि वह एक पिछड़े समुदाय से हैं और वे कमजोर वर्गों की समस्याओं को जानते हैं और यही कारण है कि इस बजट द्वारा उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रसन्न किया है।

मैं केवल मेरे राज्य और मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् सेलम प्रभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मैं

लालू जी का आभारी हूं कि उन्होंने सर्वप्रथम हमारी महान नेता श्रीमती सोनिया गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डा. एम. करूणानिधि के सुझाव पर सेलम संभाग की घोषणा की है। तमिलनाडु से संप्रग के अन्य नेताओं, 40 लोक सभा सदस्यों और 18 राज्य सभा सदस्यों और राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले को संयुक्त रूप से रखा और तदनुसार, रेल मंत्री ने इन परियोजना को मंजूरी दी है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

इस मुद्दे पर असंतोष है। हम इसके लिए पिछले 50 वर्षों से मांग कर रहे हैं और अब सेलम संभाग बनाया गया है। केरल से हमारे मित्र प्रसन्न नहीं हैं, केरल में तमिलनाडु में आंदोलन हो रहा है, इसकी कतई जरूरत नहीं है। हम सभी इस देश में रह रहे हैं और हमें एक होकर भाई-बहन की तरह काम करना चाहिए।

यहां तक कि इस संभाग में तमिलनाडु के साथ अच्छा व्यवहार हुआ। इस संभाग की आय केवल 200 करोड़ रु. होगी और इसमें केवल 380 किमी. मार्ग है। केरल के मामले में 345 करोड़ रु. की आय होगी। इसमें 8800 कर्मचारी होंगे और हमारे पास केवल 8200 कर्मचारी होंगे। ...*(व्यवधान)* हम केरल के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*...

श्री के.वी. तंगबालु: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम केरल के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। पिछले बजट में, मैं पहला वक्ता था और मैंने तमिलनाडु की तुलना में केरल के लिए अधिक की मांग की। हम केरल के हितों के विरुद्ध नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* हम सेलम संभाग बनाए रखना चाहते हैं, हम इसे सुदृढ़ करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब, मैं चौधरी बिजेन्द्र सिंह को केवल तीन मिनट तक बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...(व्यवधान)

श्री के.वी. तंगबालु: मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, सेलम के बारे में केवल एक बात और कहना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री के.वी. तंगबालु: सेलम में, वेलापदी, मुथामपट्टी, आयोथियापट्टीनम, पोन्नाम्पापेट, लव-ओ-गेट, मुल्लुवडी गेट जैसे स्थान हैं। मैं चाहता हूं कि इन सभी स्थानों पर इसी वर्ष के बजट से, इसी वर्ष के दौरान रेल उपरि पुलों का निर्माण किया जाए। तत्पश्चात्, सलेम-बंगलौर लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण किया जाना अत्यावश्यक है। मैं जब मंत्री था तो मैंने वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 196 करोड़ रुपये की लागत से लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की परियोजना आरंभ की और मैंने उसे एक वर्ष के अंदर पूरा कर लिया। अत:, उस लाइन का दोहरीकरण किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं। अब चौधरी बिजेन्द्र सिंह बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मुझे खेद है। मुझे बहुत खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

*श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में रेल का लाभांश बीस हजार करोड़ रुपए पेश किया है। सर्वप्रथम, तो मैं रेल मंत्री जी द्वारा पेश किए गए बजट में लाभांश के लिए बधाई देना चाहूंगा और इसी बीच मैं अपने संसदीय क्षेत्र व देश के अन्य रेलवे विषयों पर चर्चा करना चाहूंगा। आपके माध्यम से सुझाव भी संक्षिप्त में देना चाहूंगा।

चर्चा में ज्यादा समय न लेते हुए निम्न बिंदुओं पर कहना चाहूंगा कि-

इस रेल बजट में बिहार का ही ख्याल रखा गया है, जबकि माननीय रेल मंत्री महोदय जी को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरे अखंड भारत के रेल मंत्री हैं और भारत के सभी प्रदेशों व भागों की रेल सुविधा हेतु ध्यान रखना उनका परम कर्त्तव्य है।

उत्तराखंड एक नया राज्य है। उसकी प्रगति के लिए माननीय रेल मंत्री महोदय को अधिक से अधिक रेल जाल बिछाने व नई रेलगाड़ियां चलाने हेतु कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इस नए राज्य की नींव और भी सुदृढ़ हो व वहां की जनता भी खुशहाल रहे और उत्तराखंड राज्य को पर्यटक राज्य के रूप में विकसित किया जा सके और वहां पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले जिससे देश को ख्याति व राजस्व की प्राप्ति हो सके।

रेलवे सुरक्षा के बारे में अपने बजट भाषण में पृष्ठ-16 में मार्च 2008 तक सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने का उल्लेख किया गया है, मगर अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। जैसा कि हाल ही में समझौता एक्सप्रेस में हुआ। रेलगाड़ियों में लूटपाट, चोरी, डकैती व हत्या तो आम बात हो चुकी है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा कि यात्रियों की सुरक्षा का प्रबंध उचित ढंग से किया जाए।

माननीय रेल मंत्री ने गरीब रथ रेलगाड़ी चला कर गरीब यात्रियों की सुविधा का जो कदम उठाया है, उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन क्या उसका प्रबंधन भी ठीक रहेगा और वे सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो एक अमीर रथ में होती हैं। माननीय रेल मंत्री इस विषय में भी जानकारी देने का कष्ट करें।

अब मैं माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना व सुझाव देना चाहूंगा।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इस रेल बजट में देश के कई रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने का भी उल्लेख किया गया है, मगर मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा जो कि दस्तकारी उद्योग का बहुत बड़ा स्थान है व देश-विदेश से काफी संख्या में खुर्जा के दस्तकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीदने हेतु विदेशी नागरिक भी आते-जाते हैं। उस स्टेशन को माडल स्टेशन (आधुनिक सुविधाओं सहित) विकसित करना चाहिए, ताकि विदेशी मुद्रा अधिक कमाई जा सके। इस संबंध में मैं व खुर्जा के कई उद्योगपति व मेरे संसदीय क्षेत्र के जनसाधारण लोग भी भागीदार होने के लिए तैयार हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र—दादरी में एशिया का सबसे बड़ा कंटेनर डिपो चालू हो चुका है और इससे नोएडा व ग्रेटर नोएडा के विश्व स्तर के उद्यमियों को आयात व निर्यात करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली है। परन्तु खेद की बात है कि दादरी रेलवे स्टेशन अभी भी सदियों पुराना व छोटा स्टेशन है, जिसकी पहचान अभी भी एक कस्बे के स्टेशन की है, जबकि इसे भी एक माडल स्टेशन के रूप में बनाया जाना चाहिए, इससे भारत सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा व दादरी कंटेनर डिपो विश्व के अग्रणी कंटेनर डिपों में गिना जाएगा।

दिनों दिन बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए नए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों की अति आवश्यकता है, विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र में खुर्जा जंक्शन पर शताब्दी एक्सप्रेस (नई दिल्ली से लखनऊ) का हाल्ट होना चाहिए। चूंकि बुलंदशहर जिले में उपरोक्त रेलगाड़ी का कहीं भी ठहराव नहीं है, अत: इस रेलगाड़ी का दोनों ओर से खुर्जा जंक्शन पर ठहराव अत्यंत जरूरी है।

खुर्जा रेलवे स्टेशन पर लम्बे रूट की प्रमुख रेलगाड़ियों का ठहराव करने हेतु मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूं, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों को जाने वाली रेलगाड़ियों के बारे में शीघ्र आदेश किए जाएं क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र से अधिकतर लोग भारतीय सेना में कार्यरत हैं। बुलंदशहर से सीधी दिल्ली हेतु भी रेल सेवा की अति आवश्यकता है।

माननीय रेल मंत्री जी ने नई रेलवे लाइनें व नई रेलगाड़ियां चलाए जाने की घोषणा की है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा (बुलंदशहर) से कोई भी सुपरफास्ट रेलगाड़ी लखनऊ या दूर के रास्ते के लिए नहीं है जबकि मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा-बुलंदशहर जनपद से अनेकों लोग भारतीय सेना में कार्यरत हैं एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में सीमाओं पर तैनात हैं। उनके कार्यक्षेत्र में पहुंचने के लिए खुर्जा जंक्शन पर ठहराव नहीं है। पिछले बजट के दौरान मैंने माननीय रेल मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह किया था कि फतेहपुर मकरंदपुर बनाए गए हाल्ट पर अधिक गाड़ियों को

रोकने हेतु प्रावधान किया जाए एवं इस हाल्ट को और अच्छा बनाया जाए जिससे रेल में चढ़ने-उतरने के लिए लोगों को परेशानी न हो।

बुलंदशहर व खुर्जा में पूरे देश में सबसे अधिक दूध होता है और वहां से दूध का व्यापार करने वाले भाई, दिल्ली की दूध की खपत में पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। मगर रेलगाड़ी की सुविधा के अभाव में वे काफी परेशानी झेलते हैं। अगर उपयुक्त रेल सेवा का प्रावधान हो जाए तो इससे भारतीय रेल का मुनाफा बढ़ेगा व दूध खराब होने से बचेगा एवं दिल्ली की दूध की खपत में और सहयोग मिलेगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा-बुलंदशहर में कई स्थान जैसे ग्राम कैलाशपुर इत्यादि ऐसे हैं जहां पर रेलवे क्रासिंग नहीं है एवं आए दिन कोई न कोई घटना होने के कारण कई लोगों की रेल दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है व पशुधन भी कटते रहते हैं। बड़े खेद की बात है कि भारत की राजधानी के समीप के क्षेत्र (एनसीआर) में होने के बावजूद भी रेलवे क्रासिंग पर बैरिकेट (गेट) न होने की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं माननीय रेल मंत्री जी की नाक के नीचे होती रहती हैं, फिर भी उपाय नहीं किए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु आपके माध्यम से रेल मंत्री से आग्रह करना चाहूंगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र में दादरी सूरजपुर रोड पर एक फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग मैं पिछले दस वर्षों से लगातार करता आ रहा हूं और उक्त मांग को एनडीए की सरकार में तत्कालीन रेलमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने दादरी में कंटेनर डिपों का उद्घाटन करते समय फ्लाईओवर को बनाने के आदेश भी पारित किए थे। लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हो सकता है। माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने लम्बे समय से लंबित पड़े इस कार्य को कितने समय में पूर्ण कराएंगे ताकि वहां के गरीब किसानों को राहत मिल सके और हजारों लोगों को आने-जाने की समस्या से छुटकारा मिले। माननीय रेल मंत्री जी इस पर अवश्य ध्यान देकर मुझे बताने का कष्ट करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र के दादरी (विधान सभा) में मेरी मांग पर फ्रेट कारीडोर बनाए जाने की स्वीकृति दी गयी थी। उक्त कारीडोर कब तक तैयार हो जाएगा और चरणबद्ध समय का प्रोग्राम बताया जाए जिससे कि हाईस्पीड पैसेंजर कारीडोर शीघ्र चालू हो सके।

नई रेलगाड़ियों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या के हिसाब से वे संसद में उपस्थित उत्तर प्रदेश के सांसदों की गिनती के हिसाब तथा देश के सबसे बड़े राज्य के हिसाब से इस रेल बजट में उपेक्षा हुई है, जहां और अधिक गाड़ियों की आवश्यकता है।

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसी भी सरकार का बजट जनता के प्रति समर्पित कार्य-योजना का प्रारूप होता है। मैं माननीय लालू जी, यूपीए चेयरमैन सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद भी, लगातार यूपीए के कार्यकाल में रेल के किराये में वृद्धि नहीं हुई है। देश में बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित संसाधनों के होते हुए भी 30 हजार करोड़ रुपए के लाभ का बजट, पूरे देश की जनसंख्या को यह बताता है कि यह माननीय लालू जी का कोई करिश्मा ही है जिससे जनता लाभान्वित होगी।

उत्तर प्रदेश देश का बहुत बड़ा प्रदेश है और उसकी जनसंख्या लगभग 17 करोड़ है। इस प्रदेश में रेल के संसाधनों की कमी है। पिछले रेल बजट में भी मेरे द्वारा इस विषय में कुछ बातें उठाई गयी थीं। अलीगढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है, वहां मुस्लिम विश्वविद्यालय है जहां करीब 18 देशों के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। वे यहां की सभ्यता, यहां की सोच लेकर अपने-अपने देशों को जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां के रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यीकरण की अति-आवश्यकता है क्योंकि वह दुनिया के लोगों को रेलवे के बारे में एक मैसेज देता है। देश को आजाद हुए 60 वर्ष हो गये हैं लेकिन एक रेल अलीगढ़ से बरेली मार्ग पर चलती है, जिसमें न तो डिब्बे बढ़ाए गये हैं न ए.सी. कोच की व्यवस्था की गयी है। सारी लाइनों पर रेल-विकास हुआ है, ट्रेनें बढ़ाई गयी हैं, कोच बढ़ाए गये हैं लेकिन वहां इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसका समाधान कराने की शीघ्र ही माननीय रेल मंत्री जी कष्ट करें, ऐसी मेरी विनती है।

महोदय, अलीगढ़ ऐतिहासिक स्थल है, मुस्लिम विश्वविद्यालय है, कृष्ण की नगरी मथुरा है। साठ सालों में भी अलीगढ़ को मथुरा से नहीं जोड़ा गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री श्री लालू जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मथुरा के लिए पूरे देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं, उन्हें अलीगढ़ आने-जाने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सर्वे करवा कर अलीगढ़ और मथुरा को आपस में जोड़ा जाए।

अलीगढ़ घनी आबादी वाला क्षेत्र है। हिंदु-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। वहां जेल रोड पर रेलवे के ओवर ब्रिज की आवश्यकता है, इस ओवर ब्रिज की स्वीकृति रेल मंत्री जी करें। कुछ ट्रेनें मेरे क्षेत्र में नहीं रुकती हैं। बिहार के लगभग 18 हजार विद्यार्थी हमारे यहां पढ़ाई करने आते हैं। बिहार भी बहुत घनी आबादी वाला राज्य है। बिहार के विद्यार्थी जब छुट्टियों में आते-जाते हैं, उन्हें भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*...

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

***श्री गुंडलूर निजामुद्दीन** (हिन्दुपुर): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए वर्ष 2007-2008 के रेल बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय रेल मंत्री जी के विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा।

मैं धर्मावरम-पकाला आमान परिवर्तन हेतु 85 करोड़ रुपये का आवंटन करने और नल्लामदा से होते हुए पुट्टापार्थी से कादिली के बीच एक नई लाइन हेतु सर्वेक्षण की घोषणा करने और सिकन्दराबाद और यशवन्तपुर के बीच एक गरीब रथ चलाने की घोषणा करने के लिए रेल मंत्री जी का बहुत आभारी हूं।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र हिन्दुपुर विभिन्न उद्योगों सहित व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहां पूरे एशिया का सबसे बड़ा इमली का बाजार है। यहां रविवार के अतिरिक्त हिन्दुपुर से बंगलौर के बीच एक यात्री ट्रेन दो बार चलती है। चूंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक बहुत पिछड़े क्षेत्र के अंतर्गत आता है और निर्धन लोग बस के द्वारा बंगलौर की यात्रा का खर्च वहन नहीं कर सकते क्योंकि बसों का किराया रेल के किराये से चार गुणा अधिक है। इस यात्री ट्रेन को रविवार सहित चार बार चलाया जाए।

दूसरे, मैसूर से अजमेर के बीच सप्ताह में एक बार ''गरीब नवाज एक्सप्रेस'' नामक एक ट्रेन चलती है। हिन्दुपुर में इस ट्रेन को ठहराव दिया जाना चाहिये क्योंकि हिन्दुपुर एक बड़ा कस्बा है जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं।

तीसरे, धर्मावरम में अधिक जनसंख्या सहित आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा रेशम का बाजार है। भीड़-भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए धर्मावरम के ममील्लापल्ली मार्ग पर एक रेल उपरि पुल की आवश्यकता है।

चौथे, सिकन्दराबाद से हिन्दुपुर के बीच दिन के समय एक नई ट्रेन चलायी जानी चाहिए क्योंकि सिकन्दराबाद से बंगलौर के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत कम है।

***श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर-पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी श्री लालू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल बजट 2007-08 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

रेल बजट 2007-08 में सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उद्यम की वित्तीय क्षमता बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहन दिया गया है जिससे कि आम आदमी को प्रभावित किए बिना समृद्धि के एक नए युग का सूत्रपात होगा। रेलवे पहले ही काफी प्रशंसा प्राप्त कर चुका है और यह प्रतिदिन अपनी सफलता में चार चांद लगा रहा है, और पहले जो एक उगता हुआ सूर्य प्रतीत होता था आज एक संचित उत्साह और अथक ऊर्जा से ओत-प्रोत है। लाभांश का भुगतान करने से पहले 20,000 करोड़ रुपये का कोष ऐसी अविश्वसनीय उपलब्धि है जो कि रेलवे के इतिहास में पहले कभी सुनाई नहीं दी। मैं रेलवे के 14 लाख कर्मचारियों जो कि रेलवे जिससे विश्व ईर्ष्या कर रहा है और इसकी सफलता के जादू के बारे में जानने के लिए प्रयास कर रहा है, को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक सर्वाधिक अर्थक्षम संगठन के रूप में प्रतिष्ठित करने में दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं, के लिये किये गये इस सद्भावनापूर्ण प्रयास की प्रशंसा करता हूं। यहां मैं 'यूरीपिडस' की पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगा:

> ''यदि मैं पूर्णत: सफल रहा होता, तो मेरी गिनती बुद्धिमान व्यक्तियों में होती, हमारा मन किसी भी स्थिति का परिणाम के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए तैयार होता है। इस संगठन की निर्बाध सफलता ही वह परिणाम है जिससे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरी यहां ''एडीसन'' की एक पंक्ति उद्धृत करने की भी इच्छा है।''

> ''यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अध्यवसाय को अपना जिगरी दोस्त, अनुभव को अपना बुद्धिमान सलाहकार, सतर्कता को अपना बड़ा भाई और आशा को अपना संरक्षक बनाइए।''

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बजट भाषण में वृद्धों और 45 से अधिक आयु की महिलाओं के लिए निचली सीट आवंटन; शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु विशेष प्रावधान; अनारक्षित डिब्बों में गद्देदार सीटों के प्रस्ताव से यह स्वत: स्पष्ट है कि इसका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। यह उत्साहजनक है कि मालभाड़ा कमाई में 17 प्रतिशत और यात्री भाड़ा कमाई में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस सफलता का राज यह है कि व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम समय के लिए मालभाड़े और यात्रीभाड़े के लिए उन्होंने एक अत्यंत उत्तम मूल्य नीति अपनाई है। परिचालन अनुपात विकास निष्पादन के निर्धारकों में से एक है जहां बजट में 78.7 प्रतिशत के अनुपात की कमी आई है और वह 80 प्रतिशत से कम के परिचालन अनुपात से विश्व के रेलवे के विशिष्ट क्लब में शामिल होने के लिए प्रत्यायित हुआ है। नए क्षेत्र में लक्ष्यउन्मुख रवैया एक उत्साहवर्धक कदम है। इसने 200 एमटी मिशन के बजट के तहत 200 एमटी टन इस्पात और सीमेन्ट का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसने 100 एमटी मिशन के तहत कन्टेनर ट्रैफिक का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है।

रुचि का नया क्षेत्र डीजल मार्ग पर डबल स्टैक कन्टेनर चलाने में सफलतापूर्ण प्रयोग है। उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के परिवहन हेतु 30 वर्ष लम्बा सेवा स्तर समझौता एक विश्वसनीय पहल है। विशिष्ट मार्गों पर डिब्बे की उत्पादकता की चेष्टा के साथ-साथ 25 टन के बराबर की बहुरूपात्मक उच्च धुरी भार होगा। उच्च आयभार, कम मोठ भार डिब्बों से अधिक कमाई होगी। एक ओर प्रौद्योगिकी उन्नयन और दूसरी ओर माल बढ़ाने से वांछित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना मध्यावधि और दीर्घावधि नीतियों का एक संगत सम्मिश्रण है। भारतीय रेल कम लागत वाली हवाई कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है जिससे आम जनता को निश्चित तौर पर लाभ होगा। बजट प्रस्ताव निजी निवेशकों को प्रोत्साहन देंगे और रेलवे अपने वित्तीय निष्पादन को देखते हुए बराबरी पर रहकर विचार-विमर्श कर सकेगा।

मात्रा बढ़ाने और मालभाड़ा खण्ड में यूनिट लागत कम करने की नीति और मालभाड़ा ढांचे को युक्तिसंगत बनाने और उसे सरल बनाने के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है। परिवहन में यात्री सेवाओं का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है और राजस्व में इसकी हिस्सेदारी लगभग 32 प्रतिशत है। तथापि, मालभाड़ा द्वारा यात्री क्षेत्र को राजसहायता की मात्रा में पिछले कुछ वर्षों में कमी नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों में बढ़े हुए मालभाड़े लदान में संपूर्ण 9वीं योजना अवधि की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। पारिकलन अनुपात में अंकित सुधार और पूंजी पर प्रतिलाभ जो आंतरिक संसाधन उत्पादन पर अधिक बल देने के कारण प्राप्त हुआ भारतीय रेल हमारे देश के व्यापक रेलपथ को कवर करता है। स्वाभाविक है कि रेलवे एक अत्यंत सुभेद्य क्षेत्र है तथा आतंकवादी इसका लाभ उठा सकते हैं। मुम्बई की वीभत्स घटना और हाल ही में समझौता एक्सप्रेस में हुई घटना को हम भुला नहीं पा रहे हैं। मेरा यह प्रस्ताव है कि भारतीय रेल को हमारे स्वर्णिम संगठन की सुरक्षा और रक्षा के संबंध में यात्रियों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। जैसे-जैसे सामाजिक गतिरोध बढ़ेगा वैसे-वैसे सुरक्षा और रक्षा बढ़ेगी।

अंत में, मैं यह कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में यह भावना आ गई है कि उन्हें वंचित किया जा रहा है। उन्हें आशा थी कि आप उनके लिए काफी कुछ करेंगे किंतु उनके लिए अधिक कुछ नहीं किया गया है जिससे वे आहत हैं। क्षेत्रीय भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय सम्पत्ति का समान वितरक राष्ट्र के विकास को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपके विचार हेतु अपने भाषण में कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मुर्शीदाबाद जिले में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल में इस जिले को एक पिछड़े जिले की मान्यता प्राप्त है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार यू.पी.ए. सरकार ने भारत में 150 जिलों की मुस्लिम बहुल जिलों के रूप में पहचान की है। मुर्शीदाबाद में देश की मुस्लिम जनसंख्या की अधिकतम आबादी रहती है जो इनकी कुल जनसंख्या का 67 प्रतिशत है। प्रत्येक वर्ष पूरे देश से हजारों पर्यटक ऐतिहासिक शहर मुर्शीदाबाद का दौरा करते हैं। यह अत्यंत खेद की बात है कि इस जिले तक उचित रेल संपर्क न होने से पर्यटन के विकास पर प्रभाव पड़ता है। वहां जाने के लिए कोई भी फास्ट यात्री ट्रेन नहीं है, यदि सुबह के समय कोलकाता और मुर्शीदाबाद के बीच कोई रेल चलाई जाती है तो बड़ी संख्या में पर्यटकों, विशेषकर मध्यम वर्ग के पर्यटकों को मुर्शीदाबाद की यात्रा करने का अवसर मिलेगा।

तथापि, यह सहज है कि बेरहामपुर कोर्ट और मुर्शीदाबाद जैसे रेलवे स्टेशन में होटल, रेस्तरां जैसी सुविधाएं जिले में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। मेरा यह प्रस्ताव है कि इन दोनों रेलवे स्टेशनों अर्थात् बेरहामपुर कोर्ट और मुर्शीदाबाद में पर्यटक और अन्य सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 23 जून, 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार के परिणामस्वरूप रेल का नाम 'सिराजुद्दौला एक्सप्रेस' रखा जाना चाहिए।

[श्री अधीर चौधरी]

मुर्शीदाबाद जिला आम की विभिन्न प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में आम की लगभग 110 प्रजातियां उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में सब्जियां, फल और पान के पत्ते उगाये जाते हैं। परंतु उत्तर भारत में रेल संपर्क न होने के कारण किसान अपना माल बाजार तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि मुर्शीदाबाद से रेल लाइन या तो सियालदह या हावड़ा पर समाप्त हो जाती है।

पान की खेती करने वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके उत्पाद का बाजार बनारस और अन्य उत्तरी भारत के जिलों में है। इन बाजारों तक इनकी सीधी पहुंच नहीं है। मैं मंत्रालय से प्रस्ताव करता हूं कि वे इन किसानों की व्यथा पर विचार करें और यह देखें कि वह उनके लिए क्या कर सकता है।

आप इस बात से सहमत होंगे कि इस जिले का पश्चिमी भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जो इस क्षेत्र के एक बड़े भू-भाग को तबाह कर देता था। जिले में बार-बार बाढ़ रेल लाइन के कारण आती है जिससे जिले की उत्तर-दक्षिण धुरी पर प्रभाव पड़ रहा है। तिलवारा और मेसनगौर से छोड़े गए जल को रेलवे तटबंध के कारण बाहर निकलने का कोई आसान रास्ता नहीं मिलता जिससे बाढ़ के इस जल में गंगा नदी में जाने में बाधा आती है और मानव और पशु धन की हानि होती है तथा फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है जो आम जनता की आजीविका का प्रमुख साधन है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे जितनी अधिक हो सके पुलिया बनाएं ताकि बाढ़ का पानी बिना किसी बाधा के बाहर जा सके। बरहामपुर शहर मुर्शिदाबाद जिले का मुख्यालय है, जिसकी आबादी 1.5 लाख है। हर रोज, ग्रामीण क्षेत्रों से लाखों लोग बरहामपुर का दौरा करते हैं। जब रेलगाड़ियां शहर के अंदर आती या यहां से निकलती हैं तो ट्रैफिक जाम होने के क . लोगों को बहुत कठिनाई होती है। मुर्शिदाबाद जिले में एक ·. रेल उपरि पुल नहीं है।

क्या मैं मंत्रालय से बरहामपुर और बेलडांगा में यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु रेल उपरि पुलों के निर्माण की काफी लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं। आपको भली-भांति ज्ञात हैं कि पीडीसीएल सागरदीघी में एक ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, जो बहुत जल्द चालू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय ने नवाग्राम ब्लाक में सैन्य केन्द्र की स्थापना को स्वीकृति दी है। बिरला कंपनी पहले ही सागरदीघी में एक सीमेंट संयंत्र का निर्माण प्रारंभ कर चुकी है। परन्तु इस क्षेत्र के लिए कोई रेल संपर्क नहीं है जो भविष्य में संदेह अत्यधिक मालभाड़ा यातायात को आकर्षित करेगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस क्षेत्र को रेल से जोड़ें, जिसमें कटवा से फरक्खा की रेल लाइन का दोहरीकरण शामिल है, जोकि बीड़ी परिवहन के प्रयोजन हेतु आवश्यक होगा, चूंकि फरक्का ताप विद्युत संयंत्र के अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र बीड़ी विनिर्माण का केन्द्र है। काफी लंबे समय से मैं यह मांग कर रहा हूं कि कांडी शहर में टिकट आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए क्योंकि भारी संख्या में यात्रियों को टिकट लेने के लिये सोलार या वीरभूम जिले में सैंथिया तक जाना पड़ता है। कांडी नगर निगम ने रेलवे को नि:शुल्क बिजली, आवास और अन्य आवश्यकताओं सहित सभी प्रकार की अवसंरचनात्पक सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है। यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मंत्री जी इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस नवीन प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करें और कांडी उप मंडल के मुख्यालय कांडी में एक आरक्षण पटल की स्थापना कर उस उप-मण्डल के लोगों की परेशानियों को समाप्त करें।

बजट भाषण में रेल मंत्रालय ने 11वीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन का कार्य जोरशोर से किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संबंध में, मैं प्रस्ताव करता हूं कि करवा ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण और अहमदपुर चीनी मिल को ध्यान में रखते हुए करवा से अहमदपुर की रेल लाइन का आमान परिवर्तन यथाशीघ्र किया जाये। इससे उस क्षेत्र में आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

मैं इसमें मुर्शिदाबाद के जन साधारण की कांडी होते हुए सलाट और सैंथिया के मध्य नए रेल मार्ग की बहुप्रतीक्षित मांग जोड़ना चाहूंगा। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ है और विशेषकर दूध और आलू का उत्पादन होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेल संपर्क से गरीब और कमजोर वर्ग के लाखों लोगों के लिये आर्थिक उन्नति के नवीन अवसर उत्पन्न होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड—उपस्थित नहीं।

***श्री सर्वे सत्यनारायण** (सिद्दीपेट): महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 26 फरवरी, 2007 को प्रस्तुत रेल बजट पर अपनी टिप्पणी देने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपका आभार व्यक्त करता हूं। वर्तमान बजट और पूर्व के तीन बजटों ने आंध्र प्रदेश राज्य, जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, के लोगों के साथ न्याय नहीं किया है। वस्तुत: समग्र रूप में रेलवे आंध्र प्रदेश की पर्याप्त सेवा नहीं करता है।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं और उनके द्वारा देश में रेलवे के विकास हेतु उठाए गए कदमों की सराहना करता हूं। वस्तुत: किसी भी रेल मंत्री ने ऐसा बजट, जो गरीबों के हित में है प्रस्तुत करने हेतु न ही इतनी रुचि दर्शायी और न ही इतनी मेहनत की जैसी कि श्री लालू प्रसाद जी ने की है। तथापि, मुझे खेद के साथ सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना पड़ रहा है कि आंध्र प्रदेश, जोकि सबसे लाभकारी राज्य है और जो रेलवे को काफी राजस्व प्रदान करता है, की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। आंध्र प्रदेश के लोगों के मध्य रेलवे बजट को लेकर काफी असंतोष है चूंकि हमारे राज्य विशेषकर तेलांगाना, जोकि काफी पिछड़ा क्षेत्र है के साथ काफी अन्याय हुआ है।

महोदय, मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि मैं मेडक जिले में एक निर्वाचन क्षेत्र, तेलांगाना जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां से दिवंगत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा था। मेडक जिला प्रसिद्ध है, जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थी।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की यह बहुप्रतीक्षित मांग है कि जितना शीघ्र हो सके सिद्दीपेट तक रेलवे लाइन बिछाई जाए। परन्तु रेल मंत्री ने सर्वेक्षण हेतु केवल 1 लाख रु. की राशि स्वीकृत की है, जिससे सिद्दीपेट और मेडक जिले के लोगों का अपमान हुआ है। वस्तुत: हैदराबाद से सिद्दीपेट तक रेल लाइन

बिछाने हेतु 400 लाख रु. और उससे अधिक राशि को स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है जिस पर रेल मंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस विशिष्ट मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस रेलवे लाइन को बिछाने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में कुछ अनुदान स्वीकृत करें।

महोदय, मेरे पास समय कम है, मैं सामान्य रूप से देश और विशेष रूप में आंध्र प्रदेश हेतु रेलवे के लिए एक विस्तृत परियोजना अवधारणा को सभा पटल पर रखना चाहूंगा।

एक रेलवे परियोजना अवधारणा

पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु
रोजगार सृजन हेतु
आम आदमी की पहुंच को बढ़ाने हेतु
राज्य के लोगों को संगठित करने हेतु
यात्रा की अवधि को कम करने हेतु
रेल भाड़ों को कम करने हेतु
वस्तुओं के मूल्य कम करने हेतु
राजमार्गों पर यातायात कम करने हेतु
राजमार्ग दुर्घटनाओं को कम करने हेतु
आंध्र प्रदेश की प्रसिद्धि को बढ़ाने हेतु
पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु

हैदराबाद	और	नई दिल्ली	के मध्य	237 किमी.
बंगलौर	और	नई दिल्ली	के मध्य	538 किमी.
चेन्नई	और	नई दिल्ली	के मध्य	212 किमी.
हैदराबाद	और	तिरूपति	के मध्य	239 किमी.
हैदराबाद	और	चेन्नई	के मध्य	168 किमी.
हैदराबाद	और	कडप्पा	के मध्य	176 किमी.
हैदराबाद	और	विजाग	के मध्य	191 किमी.
हैदराबाद	और	विजयवाड़ा	के मध्य	117 किमी.
तिरूपति	और	बंगलौर	के मध्य	130 किमी.
विजयवाड़ा	और	बंगलौर	के मध्य	163 किमी.

की दूरी कम करने हेतु

[श्री सर्वे सत्यनारायण]

हमारे राज्य में पर्याप्त रेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। रेल मार्ग सीधे नहीं है और लोगों को दो गुना अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और अधिक धन और समय लगाना पड़ता है। सीधा संपर्क प्रदान करने वाली सड़कों में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कारण से विलंब और दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़कें नगरों और गांवों से गुजरती हैं। रेल लाइनों को जानबूझकर आबादी से दूर बिछाया जाता है। इसलिए रेलवे को स्थल से स्थल और लंबी दूरी के यात्रियों और सामान की आवाजाही हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए, और सड़कों को कम दूरी वाले यात्रियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

रेल मार्गों के आसपास औद्योगिक विकास होता है। नये रेल मार्ग नये अवसरों को उत्पन्न करेंगे। ऐतिहासिक कारणों से हमारे रेल मार्गों के रास्ते टेढ़े-मेढ़े हैं।

वर्तमान रेल लाइनों के टेढ़े-मेढ़े स्वरूप को निम्नांकित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है:

(क) हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच छोटा रास्ता हैदराबाद से विशाखापट्टनम के लिए एक रेल गाड़ी बिबिनगर से पूर्व में (33 किमी) जाती है, फिर काजीपेट के लिए उत्तर-पूर्व (99 कि.मी.) की ओर मुड़ती है, फिर विजयवाडा के लिए दक्षिण-पूर्व (219 कि.मी.) की ओर मुड़ती है, और उत्तर-पूर्व (351 कि.मी.) की ओर बढ़कर विशाखापट्टनम पहुंचती है, यह कुल दूरी 711 कि.मी. की है। वस्तुत: विजाग हैदराबाद के पूर्व में स्थित है, जोकि 500 कि.मी. से कम है। यदि यहां मार्ग सीधा होता तो, विशाखापट्टनम 8 घण्टे में पहुंचा जा सकता है। भद्राचलम इस मुख्य रेल लाइन पर आएगा, वहां हैदराबाद से 4 घण्टों के अंदर पहुंचा जा सकेगा। यह रेल लाईन विशाखापट्टनम में प्रस्तावित बाक्साइट परियोजना में भी मददगार होगी।

भद्राचलम और कोववूर (2005-06 बजट) के मध्य नियोजित संयोजन केवल टेढ़े-मेढ़े मार्ग के लिए एक विकल्प उपलब्ध करायेगा और इसलिए इसे छोड़ दिया जाना चाहिए और उपरोक्त में से बेहतर विकल्प को वरीयता दी जानी चाहिए।

(ख) हैदराबाद, श्रीसैलम, श्रीकलस्ती और तिरूपति को एक रेल लाइन पर लाने के लिए: हैदराबाद से तिरूपति के लिए रेल, 748 कि.मी. वाया विजयवाड़ा 672 कि.मी. वाया गुंटूर और 733 कि.मी. वाया गुंटाकल तय करती है। वस्तुत: तिरूपति हैदराबाद से केवल 500 कि.मी. की दूरी पर है। गुडूर और हैदराबाद के मध्य 400 कि.मी. का सीधा मार्ग श्रीसेलम श्रीकलाहस्त तिरूपति और चेन्नई को हैदराबाद के साथ एक रेल लाईन पर ले आएगा। फिर चेन्नै हैदराबाद से केवल 400+148=548 कि.मी. रह जाएगा। तिरूपति या चेन्नै पहुंचने में केवल 8 घण्टे का समय लगेगा।

(ग) अगले सुझाव के अनुसार, कडप्पा से गिडालूर को 100 किमी के रेल मार्ग द्वारा जोड़कर हैदराबाद-कडप्पा की दूरी को 506 किमी से कम कर 330 कि.मी. किया जा सकता है।

(घ) विजयवाड़ा से हैदराबाद की दूरी को 3 घण्टे में पूरा करने के लिए:

यदि कौआ उड़कर जाता है तो यह दूरी 220 कि.मी. है, परन्तु सड़क द्वारा यह दूरी 280 कि.मी. और रेल द्वारा 361 कि.मी. है। चितयाला और विजयवाड़ा के मध्य सीधा 160 कि.मी. का रास्ता अंतर-शहर दूरी को घटाकर 244 कि.मी. या केवल 3 घण्टा कर देगा।

(ङ) *बंगलौर के समीप लाने के लिए*—तिरूपति और बंगलौर के बीच सड़क द्वारा दूरी 244 कि.मी. और रेल द्वारा यह दूरी 350 कि.मी. है। लोग सड़क को वरीयता देते हैं। यदि पक्काला को बांगरपेट के साथ 110 कि.मी. की नई रेल लाइन से जोड़ दिया जाए, तो तिरूपति-बंगलौर के बीच रेल द्वारा यह दूरी केवल 220 कि.मी. अथवा 3 घण्टे से कम की यात्रा रह जाएगी। सड़क पर भी इससे भार कम होगा। सौभाग्यवश, यह छोटा संपर्क बंगलौर-विजाग की दूरी (कलकत्ता की तरफ) को 185 कि.मी. कम करने में मदद करेगा।

(च) हैदराबाद-नई दिल्ली की दूरी कम करने के लिए यूनी-गेज नीति का प्रयोग करते हुए बंगलौर से नई दिल्ली की दूरी को 2444 किमी से कम करके 1906 कि.मी. किया जा सकता है। वाड़ी को कुछ वर्तमान रेल मार्गों के प्रयोग आमान परिवर्तन और कुछ नए रेल मार्गों के द्वारा सीधे भोपाल से जोड़ा जा सकता है। इसमें वाडी से पूर्णा के लिए 190 कि.मी. की नयी रेल लाइन बिछाना, पूर्णा से अकोट तक आमान परिवर्तन और अकोट से भोपाल तक 240 कि.मी. की नयी रेल लाइन बिछाना सम्मिलित है। जिससे 538 कि.मी. की बचत

होगी। अंतिम संपर्क बंगलौर-गुंटाकल-वाड़ी-पूर्णा-अकोला-अकोट-भोपाल-नई दिल्ली होगा।

सिकंदराबाद-पूर्णा आमान परिवर्तन के कारण हैदराबाद-नई दिल्ली की दूरी भी 1681 कि.मी. से घटकर 1594 कि.मी. रह जाएगी।

(छ) हैदराबाद के लिए छोटा मार्ग:

उपरोक्त कदम के बाद, मुदखेड़ से बोलडा के बीच 50 कि.मी. का मार्ग हैदराबाद-नई दिल्ली की दूरी को 1594 कि.मी. से घटाकर 1444 कि.मी. कर देगा अर्थात् 150 कि.मी. कम।

इसके परिणामस्वरूप चेन्नै-नई दिल्ली की दूरी भी 2194 कि.मी. से कम होकर 1982 कि.मी. रह जाएगी अर्थात् 212 कि.मी. की बचत यहां एक रेल गाड़ी चेन्नै-गुंटूर-गुड्डालूर-श्रीसेलम-हैदराबाद-मुदखेड-अकोला-भोपाल-नई दिल्ली से गुजरेगी, जोकि चक्रवात प्रवण तटीय क्षेत्र से नहीं गुजरेगी।

रेलवे ने समीपीय नगरों को जोड़ने के लिए नए रेल मार्गों की योजना इस प्रकार बनाई है:

से	तक	कि.मी.
कुर्नूल	मंत्रालयम	100
येरागुंतला	नांदयाल	126
नालगोंडा	मछेरला	81
मछलीपट्टनम	रेपाले	45
रायचूर	गडवाल	59
निजामाबाद	पेड्डापल्ली	178
काकीनाडा	–	–
कोरीपल्ली	नरसापुर	57

उपरोक्त सभी रेल लाइनों की स्थानीय महत्ता भी है। नगरों को विस्तृत योजनाओं के तहत जोड़ा जाना चाहिए। रेल मार्गों के बजाय सभी मौसमों के अनुकूल अर्थात् पक्की सड़कें पर्याप्त होंगी।

* यदि रेलवे सीधे मार्ग निर्माण को अंगीकर करता है तो वे एयरलाइनों पथ परिवहन को चुनौती दे सकते हैं।

* रेलवे के माल ढुलाई के हिस्से में बढ़ोत्तरी होगी।

* रोलिंग स्टाक आवश्यकता में भी कमी आएगी।

* ओवरनाइट यात्राओं और स्लीपर कोचों की कम आवश्यकता होगी।

* दिन में चलने वाली (चेयर कार रेलगाड़ियां) रेलगाड़ियां अधिक चलाई जा सकती हैं।

* रेल भाड़े कम किए जा सकते हैं।

* राजमार्गों पर यातायात को कम किया जा सकेगा।

* राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में कमी आएगी।

* यदि हम त्वरितता प्रदान करें तो यात्री सुविधाओं में आधी सुविधाएं तो स्वत: ही प्रदान हो जायेंगी।

* सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम और गुंटूर/चेन्नै को जोड़ते हुए दोनों दिशाओं में सर्कुलर रेल सेवायें शुरू की जा सकती हैं।

* शहरों के मध्य आर ओ-आर ओ सेवाएं प्रारंभ की जा सकती है (ब्यौरा स्लाइड सं. 19 एवं 20 पर है)।

आर ओ-आर ओ सेवायें

आर ओ-आर ओ रेलगाड़ी पर ट्रक की एक अवधारणा है, जहां ट्रकों को रेल लाइनों के ऊपर ले जाया जाता है। सामान युक्त ट्रकों को रेल लाइनों पर रखकर और उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। यह एक अद्भूत द्वार-रेल-द्वार, संभलाई (हैंडलिंग) रहित सेवा है जो ट्रांसपोर्टरों, ट्रक वालों, रेलवे और राष्ट्र के लिए लाभकारी है। (आर ओ-आर ओ सेवा मुम्बई एवं गोवा और मुम्बई एवं मंगलौर के बीच चल रही है।

लाभ

* ईंधन की बचत

* कोई चैक पोस्ट नहीं

* कोई सड़क दुर्घटना नहीं

* सुरक्षित प्रेषण

* ट्रक अधिक भार ले जा सकते हैं

* किसी टर्मिनल संरचना की आवश्यकता नहीं

* सामान चढ़ाने या उतारने में कम समय: 15 से 20 मिनट का समय

* कोई चालक (ड्राइवर) थकान नहीं—एक ड्राइवर लंबी दूरियां तय कर सकता है

* प्रदूषण नहीं

* कम रखरखाव खर्च

* तीव्र कुल कारोबार

* ट्रकों में कोई टूट-फूट नहीं

* उच्च गति: 75 कि.मी प्रति घण्टा

भारत के लिए सुपर फास्ट ट्रेक:

भारत वर्तमान में बुलेट रेलगाड़ियों का खर्चा वहन करने की स्थिति में नहीं है, परन्तु निम्नलिखित मुख्य शहरों को जोड़ने के लिए सीधे मार्गों के निर्माण के बारे में विचार कर सकता है:

नई दिल्ली-भोपाल-हैदराबाद-बंगलौर-त्रिवेन्द्रम

मद्रास-बंगलौर-मंगलौर,

भुवनेश्वर-नागपुर-मुम्बई,

कोलकाता-जमशेदपुर-जबलपुर-भोपाल-अहमदाबाद,

दिल्ली-लखनऊ-पटना-कोलकाता

संभावनाएं अनेकानेक हैं। हम शुरूआत कर सकते हैं।

अनुबंध एक

हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

अब हैदराबाद विश्व के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक है। यह एक व्यापार और औद्योगिक केन्द्र और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र भी हैं। हैदराबाद में औषधियों, दवाइयों, भेषजों, चिकित्सीय फार्मूलेशन, रसायनों कीटनाशकों, अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ, व्हाइट गुड्स, आटोमोबाइल कल-पुर्जा, विद्युत सामान, इलेक्ट्रोनिक विद्युत उपकरणों, सेरामिक्स, पेन्ट, बैटरी, प्लास्टिक उत्पाद, हीरे एवं जेवर, वस्त्र, मशीन औजार तथा तम्बाकू उत्पादों इत्यादि हेतु की औद्योगिक स्थापनाएं हैं।

विशाखापट्टनम राज्य का सबसे मुख्य पत्तन शहर है और इसलिए शहर के आसपास लौह और इस्पात, रसायन और उर्वरक, तेलशोधन, जस्ता प्रगालक, वर्तक, पेन्ट इत्यादि के अनेक उद्योग विकसित हो गये हैं। यहां मात्स्यिकी और सीफूड संसाधन करने वाले उद्योग का भी तेजी से विकास हो रहा है।

विशाखापट्टनम एक नौसेना बेस और निर्यात केन्द्र भी है, जिसे वीएसईजैड घोषित किया गया है। दोनों शहर एक दूसरे पर आपूर्ति और बिक्री हेतु निर्भर करते हैं।

उड़ीसा में उत्पादि लौह अयस्क और एल्यूमिनियम विशाखापट्टनम और हैदराबाद द्वारा पश्चिमी भारत के ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। जिले में उपलब्ध बाक्साइट की भारी मात्रा के खनन की योजनाएं हैं। एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्रों के नरसीपट्टनम में स्थापित किये जाने की संभावना है। प्रस्तावित रेल संपर्क हैदराबाद द्वारा धातु के परिवहन में मदद करेगा।

चावल सहित अनेक खाद्यान्नों का उत्पाद होता है। जिला गुड़, चीना, ईमली, कहवा बीज, शहद इत्यादि का हैदराबाद द्वारा देश के विभिन्न भागों में निर्यात करता है।

दोनों दिशाओं में लोगों की आवाजाही काफी अधिक है। दोनों शहरों के बीच सीधा रेल मार्ग से लागत और समय कम लगेगा। आर ओ-आर ओ सेवाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। मदों की कीमतों में भी कमी आएगी चूंकी बड़ी मात्रा में मदों का परिवहन काफी सस्ता होगा।

यह प्रस्तावित रेल लाइन त्रिरूमलागिरी, भद्राचलम, कुनावरम, मरेडूमल्ली, कृष्णादेवी पेटा, नरसीपटनम इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण शहरों के लिये भी रेल संपर्क प्रदान करेगी। यह एक व्यस्ततम रेल लाईन होगी।

अनुबंध दो

हैदराबाद और विजयवाड़ा के मध्य सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

विजयवाड़ा भारत में चावल उत्पादन का एक मुख्य गढ़ है। जिले में तिलहन, दालों, कपास इत्यादि और विशेषत: आमों का भी उत्पादन होता है। जिले में तेल, चावल, वस्त्र, पटसन और कागज मिलें भी हैं।

हैदराबाद और विजयवाड़ा के मध्य लोगों और सामान की आवाजाही भी काफी अधिक है। वर्तमान रेल मार्ग के सीधे न होने के कारण दोनों शहरों के मध्य सड़क पर यातायात में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण राजमार्ग पर भीड़ और दुर्घटनाएं हो रही हैं।

दोनों शहरों के बीच सीधे रेल मार्ग के निर्माण से राज्य की भी प्रगति में सहायता मिलेगी।

अनुबंध तीन

हैदराबाद और तिरूपति के मध्य सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

तिरूपति आंध्र प्रदेश का एक अन्य महत्वपूर्ण शहर है। यहां भगवान वेंकटेश्वर का वास है और यह एक औद्योगिक नगर भी

है। यहां कई लाखों भक्त आते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग हैदराबाद से आते हैं या देश के अन्य भागों के लिए हैदराबाद से होकर गुजरते हैं। तिरूपति के आसपास साईकिल एवं कलपुर्जों, मोपेड, ट्रेक्टर, प्लाईवुड और अग्निशमक उपस्करों का उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण उद्योग हैं। इस नगर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु का संगम होता है चूंकि यहां बड़ी संख्या में इन राज्यों से भक्त आते हैं।

अनुबंध चार

बंगलौर और पक्कला के मध्य सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

बंगलौर एक मुख्य औद्योगिक और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र है। लम्बे रास्तों के कारण शहर रायलसीमा की पहुंच से दूर रह जाता है। छोटे मार्ग से चित्तूर, कडप्पा इत्यादि के युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

हैदराबाद और दिल्ली के मध्य सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं।

हैदराबाद और गुंटूर के मध्य सीधे रेल मार्ग की आवश्यकता

इस रेलमार्ग से हैदराबाद और चेन्नई के मध्य आने-जाने वाले लोगों की यात्रा की अवधि कम होगी और सामान के शीघ्र प्रेषण में मदद मिलेगी। चेन्नई पोत हैदराबाद से केवल 550 किमी. रह जाएगा। चेन्नई से उत्तर भारत की ओर जाने वाला सारा यातायात हैदराबाद से होकर गुजरेगा।

रेलवे परियोजना की अवधारणा

कम हुई दूरी और रेल मार्ग आवश्यकता को दर्शाती सारणी

क्र.सं.	से	तक	वर्तमान दूरी कि.मी.	प्रस्तावित दूरी कि.मी.	कम हुई दूरी कि.मी.	नया ट्रैक	कि.मी.	ट्रैक परिवर्तन	कि.मी.
1.	हैदराबाद-नई दिल्ली		1681	1444	237	अकोट-भोपाल	240		
						मुदखेड-बोल्डा	50		
2.	बंगलौर-नई दिल्ली		2444	1906	538	वाडी-पूर्णा	190		
						अकोट-भोपाल	240		
3.	हैदराबाद-तिरूपति		733	494	239	सिकंदराबाद-गुडूर	400		
4.	चेन्नई-नई दिल्ली		2194	1982	212	अकोट-भोपाल	240	पूर्णा-अकोट	242
						मुदखेड-बोल्डा	50		
						सिकंदराबाद-गुडूर	400		
5.	हैदराबाद-चेन्नई		716	548	168	सिकंदराबाद-गुडूर	400		
6.	हैदराबाद-कडप्पा		506	330	176	सिकंदराबाद-गुडूर	400		
						कडप्पा-गिड्डालूर	100		
7.	हैदराबाद-विजाग		711	520	191	बिबीनगर-डोरनाकल	140		
						भद्राचलम	222		
8.	हैदराबाद-विजयवाड़ा		361	244	117	चित्याला	160		
9.	तिरूपति-बंगलौर		350	220	130	बंगारपेट-पकला	110		
10.	विजयवाड़ा-बंगलौर		843	680	163	बंगारपेट-पकला	110		
	कुल		10539	8368	2171		1612		242

*श्री सूरज सिंह (बलिया, बिहार): महोदय, मैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से भारतीय रेल के लिए वर्ष 2007-08 के लिए संसद में प्रस्तुत बजट अनुमान आय तथा संचालन व्यय से संबंधी विषयों एवं बजट प्रस्तावों पर हो रही बजट चर्चा के समर्थन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लोकप्रिय रेल मंत्री जी का ध्यान पिछड़े राज्यों को सुविधा प्रदान करने, मरे संसदीय क्षेत्र के रेल सुविधाओं तथा बजट प्रावधानों के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं।

महोदय, देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रगति में रेलवे का एक प्रमुख स्थान है। इसी क्रम में रेलवे का आधुनिकीकरण एवं विस्तार, समाज के हर एक वर्ग और क्षेत्र के लिए अपेक्षित रहता है। ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में रेल नेटवर्क जोड़ने से ही देश की प्रगति एवं विकास को नयी दिशा मिलेगी। इस संबंध में सहयोगी मित्रों ने अपनी बात बहुत ही शांत ढंग से रखी है। बजट प्रस्ताव एवं उनके लाभों तथा आवश्यक संशोधनों के लिए अपना विचार रखे हैं। इसी क्रम में महोदय, इस लोकप्रिय सरकार द्वारा पेश बजट के संबंध में अपना तथ्य रखना चाहता हूं। आजादी के पांच दशक बीत जाने के बाद भी रेलवे का विस्तार विशेषकर पिछड़े राज्यों एवं सुदूर क्षेत्रों में उस गति से नहीं हो पाया है, जैसा कि लोगों को अपेक्षा थी। यात्री सुविधा एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए रेलवे ने जो उपाय किये हैं, आम लोगों तक नहीं मिल पाया है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। माननीय रेल मंत्री जी, यात्री सुविधा तथा साफ-सफाई की अपने दिल में जो मंशा पाल रखे हैं उसकी ओर इन्हें विशेष रुचि लेकर करना होगा। साफ-सफाई संबंधी कार्य को प्राथमिकता की श्रेणी में निजी क्षेत्रों के सहयोग से सुधार कर यात्रीगण को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिये ठोस तथा व्यवहारिक उपाय करें। भारतीय रेल की जो क्षमताएं हैं उसका पूरा उपयोग नहीं होने के कारण आम जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में इसका योगदान पूर्णरूपेण नहीं प्राप्त हो रहा है। यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा डाटा को न्यूनतम स्तर पर लाकर आरामदेह एवं तनावमुक्त यात्रा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। आम यात्रियों के लिये टिकट लेने हेतु जो व्यवस्था कायम की है तथा यात्री शिकायतों के त्वरित निपटान का जो प्रबंध किया है वह सराहनीय है। भविष्य में इस पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। यात्री यातायात व्यवसाय के लिये कुछ आधुनिकी और उन्नत सुविधायें प्रदान की घोषणायें की गयी हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन पिछड़े राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर किये जायें। इन राज्यों को आज भी रेलवे की आधुनिकता/उन्नत सुविधाओं का एहसास नहीं हो पा रहा है जो कि चिन्ता का विषय है।

रेलवे के अनेक सारे अनुपयोगी क्षेत्र हैं जहां से राजस्व की प्राप्ति कर रेलवे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बड़ा भाग पूरा कर सकता है। इस क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि अपर्याप्त क्षेत्रों से आमदनी रेलवे को प्राप्त हों।

महोदय, रियायतों के मामले में आपने बजट में किसानों एवं दूध उत्पादकों को देश के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में प्रशिक्षण एवं बेहतर शिक्षा हेतु की जाने वाली यात्रा के लिये द्वितीय श्रेणी के यात्रा किरायों में 50 प्रतिशत की वृद्धि को अब स्लीपर श्रेणी में जो सुविधा उपलब्ध करायी गयी है इसके लिये किसानों एवं परीक्षार्थियों की ओर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, रेल कर्मचारियों के वेलफेयर चिकित्सा सुविधा पूर्व मध्य रेलवे के पटना शहर में कार्डिलॉजी और नेफ्रोलॉजी के एक नये सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का स्थापना करने का जो निर्णय लिया गया है वह ही सराहनीय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह का एक अस्पताल बरौनी में भी स्थापित किया जाये ताकि उस खण्ड में रेल कर्मचारियों का बेहतर इलाज हो सके।

महोदय, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए देश के हर कोने में 55 नयी गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव और 37 गाड़ियों का विस्तार तथा 12 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की गयी है जो सराहनीय है। मुझे उम्मीद है कि इस बार अन्य सहयोगी मित्रगण माननीय मंत्री के ऊपर बिहार के मंत्री या बिहार से अधिक गाड़ियां चलाने का भेदभाव संबंधी आरोप नहीं लगायेंगे। परन्तु, मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर बिहार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक प्रगति, कृषि विकास, पर्यटन एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से व्यवहारिक तथा रेलवे के लिये लाभप्रद निम्नलिखित जनोपयोगी योजनाओं को पूरा करने के लिये सादर अनुरोध करता हूं।

बेगूसराय से एक नयी सुपरफास्ट गाड़ी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के लिये चलाया जाये, ताकि उत्तर बिहार की यह औद्योगिक नगरी महानगरों के साथ सीधा जुड़ कर औद्योगिकी विकास ही सामाजिक तथा संस्कृति विकास भी करे। बजट 2006-07 में रेलवे का 550 किलोमीटर नयी लाइन का कार्य पूरा करने का प्रस्तावों में सकरी हसनपुर का सकरी बिरौली की जो घोषणा आपने की है। मैं अपने संसदीय जनोपयोगी तथा सामाजिक समानता के साथ-साथ कृषि एवं औद्योगिक विकासकारी संवेक्षित योजना, हसनपुर-बरौनी प्रस्तावित योजना के अंतर्गत इस बजट में शामिल नहीं करने के लिये दुख के साथ पुनः सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि प्रस्तावित सकरी-हसनपुर रेल लाइन का विस्तार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

बरौनी जंक्शन तक करने के लिए इस बजट में प्रावधान हेतु अपने समापन भाषण के माध्यम से शामिल कर उत्तर बिहार से नव निर्माण में अपना योगदान देकर कृतार्थ करें।

माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि बिहार में गडहारा रेलवे यार्ड एशिया में अपना स्थान रखता है यार्ड बंद होने के कारण रेलवे की हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। जिसका उपयोग नहीं होने से रेलवे को मेरी समझ से काफी नुकसान हो रहा है तथा इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। तत्कालीन रेल मंत्री ने इस खाली पड़ी जमीन पर रेलवे के कलपुर्जे कारखाना के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी। किसी कारणवश आज तक इस जमीन का उपयोग नहीं हुआ है तथा उत्तर बिहार का यह प्रमुख स्थान कोई कारखाना या यार्ड नहीं होने का कारण अति पिछड़ गया है। मेरा सदन के माध्यम से आपसे आग्रह है कि गडहारा रेलवे यार्ड के खाली पड़े जमीन पर रेलवे का कलपुर्जा कारखाना स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करें ताकि इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सके और रेलवे को भी इसका पर्याप्त लाभ मिले।

महोदय से मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर निम्नलिखित गाड़ियों का ठहराव दिया जाये। जो निम्न प्रकार हैं:-

1. 2203-04
2. 5227-28
3. 5933-34
4. 5635-36
5. 2501-02
6. 5715-16
7. 5631-32

इन गाड़ियों के ठहराव होने से यहां की जनता को सुविधा मिलेगी तथा रेलवे को राजस्व की भी प्राप्ति होगी।

अंत में महोदय, माननीय रेल मंत्री को रेलवे के वार्षिक योजना में उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी, चालू परियोजनाओं के लिये अधिक धनराशि प्रावधान करने के लिये दोहरीकरण कार्य के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था तथा नये रूटों का चलान, आमान परिवर्तन करने की योजनाओं को शामिल करने के लिये नयी लाइनों को पूरा करने में शीघ्रता एवं उपनगरीय यातायात परियोजना की विस्तारीकरण संबंधी योजनाओं को शामिल करने के लिये तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की नीतियों के त्वरित क्रियान्वयन एवं जनोपयोगी रेल बजट प्रस्तुत करने के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं तथा रेल बजट के पक्ष में अपनी संस्तुति/सहमति प्रदान करता हूं।

श्री लालू प्रसाद: उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007-08, वर्ष 2006-07 की पूरक मांगों की बहस में जिन सदस्यों ने हिस्सा लिया, इनकी तादात बुहत ज्यादा है। कुल 139 माननीय सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। यह एक रिकार्ड है। एक और रिकार्ड यह है कि भारतीय रेल के प्रति हर पार्टी और हर क्षेत्र के लोग अलर्ट हैं। रेलवे के संदर्भ में किए गए कार्यों की सराहना के साथ-साथ कहीं आलोचना भी की गई और आगे के लिए अच्छे सुझाव भी माननीय सदस्यों ने दिए हैं। उन सभी माननीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। गत रात्रि 12 बजे तक माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। आज भी बहुत से माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में अपने सुझाव दिए हैं। रेल मंत्रालय बिना भेजभाव के इन सुझावों का संज्ञान लेगा। आप सभी लोगों की रेल है और एनडीए की भांति हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम इंसाफ करते हैं और सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हैं। खास तौर से माननीय सदस्यों से समय पर मिलकर, बातचीय से छोटे-मोटे सुझाव आते हैं उसे हम लोग हल करते हैं। रेल बजट को पार्लियामेंट कमेटी विस्तार से एक्जामिन कर लेगी, अब विस्तार से आप लोगों को भविष्य में बोलने का पूरा मौका मिलेगा। हम भविष्य में लोगों को बोलने का काफी समय देंगे। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि 7596 करोड़ की पूरक मांग, मुख्यत: डीजल की कीमत, यातायात में वृद्धि के कारण बढ़ी हुई इंजन लागत, रेल निधियों के अधिक विनियोग आदि के लिए की जा रही है।

हमने रेल बजट पेश किया था, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। यहां हम लोग रांची की बात कर रहे थे और कई लोग कराची की बात कर रहे थे, क्वात्रोची का सवाल उठाया था। देश की जनता को, देश वासियों को, रेल के संबंध में जो रेल का जो काम हुआ है, रेलवे का कायाकल्प हुआ है, उससे लोगों को दिक्कत हुई है। लेकिन इलैक्ट्रानिक मीडिया, अखबार और बातचीत के माध्यम से और आप लोगों की स्पीच को पढ़ने के बाद दुनियां को पता चला कि हमने किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हमारे पास फिगर है। यहां हमारे साथी नायडू जी नहीं हैं। हमारी प्रत्येक मुख्यमंत्री के बात होती रहती है, वे आते हैं और उनसे बातचीत करके जो बहुत लोक महत्व का रूट है उसके लिए 50 प्रतिशत पैसा भी देते हैं। हमने सब राज्य सरकारों को लिखा

[श्री लालू प्रसाद]

भी है। अगर हमारे पास नहीं है तो नहीं है लेकिन लीगेसी है और जो लाएबिलिटी हम लेकर चल रहे हैं, जिसे हमारे कंधों पर दिया गया है इसे समझना आपका और हमारा फर्ज है। पोलिटिकल कन्सीडरेशन से बहुत से रूटों को लिया गया है। 20,00 करोड़ लाएबिलिटी है जो पुरानी लाइनें ली गईं और ध्यान नहीं दिया गया, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 1,00,000 कहीं, 2,00,000, पिंक बुक में है और फिर सामान का भाव बढ़ जाता है। फिर भी भारतीय रेल के संदर्भ में इस साल और विगत साल में दस्तावेज के आधार पर सरप्लस प्राप्त किया है, जिस तरह से हाथी का दांत आगे निकला रहता है, वह दिखाने और खाने का अलग दांत होता है, यह ऐसा नहीं है। इसके लिए कहीं भी चुनौती दी जा सकती है, मेरा कान पकड़ा जा सकता है। सदन में जो भी बात होती है खासतौर से जो मंत्री कहते हैं वह पूरी जिम्मेदारी पर आधारित होती है। यहां लल्लन जी नहीं हैं, वे उन उन दिनों नितिश जी के असली सलाहकार थे और वे पटना में भी सलाहकार हैं। मैं चाय पी रहा था और सुन रहा था वे एड़ियां लगाकर बोल रहे थे और वे उस समय भी समझ रहे थे कि वही रेल चला रहे हैं, वे अभी भी समझ रहे हैं कि वे बिहार सरकार चला रहे हैं। असलियत में देखा गया है कि*.....

एक चिड़िया होती है, वह पैर ऊपर करके और मुंह नीचे करके रहती है। वह समझता है कि मैंने ही अपने ऊपर आकाश टांगा हुआ है। उसी तरह से सदन को किस तरह से कन्फ्यूज करके चले गए, क्या-क्या बोल कर चले गए। जिस तरह से राम जी का घोड़ा था, राम और लक्ष्मण जी रथ पर बैठे थे और घोड़ा उन्हें खींच रहा था, सब लोग भगवान जी पर माला फेंक रहे थे। वह माला कभी भगवान जी पर पड़ जाती थी और कभी घोड़े पर पड़ जाती थी, घोड़ा सोच रहा था सब माला हमारे ऊपर पड़ रही है तो वह इतरा कर चलने लगा, वह गिर गया तो राम जी की मूर्ति टूट गई और लोगों ने घोड़े को मारपीट कर सुला दिया। यह हालत है। आप बताइए कौन नहीं जानता है, उस पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं, ये सब मंत्री नहीं थे कुछ लोग थे। ये कहते हैं और लोगों में जलन कितनी है। इसके लिए शाबासी देनी चाहिए क्योंकि यह देश का सवाल है, दुनिया भर में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं।

बाहर के बच्चे यहां पढ़ने आ रहे हैं, सीखने के लिए आ रहे हैं। यह पार्ट आफ दि स्टडी है। हार्वर्ड के बच्चे यहां आये, हवार्टन के बच्चे पढ़ने के लिए आये, आई.आई.एम. के हमारे बच्चे यहां आये, अब हम वर्ल्ड बैंक भी बुला रहे हैं। कहने का मतलब है कि लाइन लगी हुई है। मैं यह नहीं कहता कि मैं विद्वान हूं। मैं बताता हूं कि मैं गाय-भैंस चराकर आया हूं। ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जो पेड़ लगाया था, लालू जी उसी का फल चख रहे हैं। मैं कहता हूं कि आपने बबूल का पेड़ लगाया और डा. राकेश मोहन कमेटी आपने बनाई। आदरणीय अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे। आपके बीच में सब विद्वान लोग बैठे हुए थे। लेकिन रेलवे की क्या हालत थी। डा. राकेश मोहन कमेटी का यह दस्तावेज है, जिसमें तमाम उन संभावनाओं का भी पता लगाने की एक टर्म ऑफ कंडीशन थी कि निजी क्षेत्रों में इसे देने की बात भी उसमें थी। वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है। बड़े पैमाने पर हम लोग बेरोजगारी की चर्चा करते हैं। उन दिनों में सारे पद समाप्त किये गये। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बहाली उन दिनों बंद हो गई, ओ.बी.सी. की बहाली बंद हो गई। यह मैं नहीं कहता, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमारा रेलवे का इतना बड़ा एम्पायर है, इतना बड़ा नेटवर्क है, फिर रेलवे घाटे में क्यों थी? उस समय रेलवे डिविडैन्ड, लाभांश देने की स्थिति में नहीं थी। रेलवे का दिवाला निकल गया और कई तरह के सुझाव डा. राकेश मोहन कमेटी ने दिये, जिन्हें मैंने स्वीकार नहीं किया। अच्छी बातों को मैंने माना, अच्छी बातों को मैंने बताया कि उन्होंने रिपोर्ट दी है और मैंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। लेकिन उसमें एक सुझाव था कि हर साल रेलवे के घाटे को पाटने के लिए बीस-बीस प्रतिशत, तीस-तीस प्रतिशत भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा और इनके मंत्री ने फोलो-अप किया था, वह चीज मैं आपके पास दूंगा। पहली भारतीय रेल के इतिहास में बजट के साथ-साथ आउटकम बजट भी हमने दिया है। इसका अध्ययन होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हम लोग यहां जो बोलते हैं, वह झूठ-मूठ की बात बोल रहे हैं या सच्चाई पर आधारित है। इसका अध्ययन होना चाहिए और मैं लोगों को अध्ययन करने का सुझाव देता हूं। उसमें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों वर्शन होते हैं, इसलिए उसे देखा जाए कि हमारा आउटकम क्या हुआ, हमारा विजन क्या है, हम क्या कर रहे थे। इन्होंने ऐसा पेड़ लगाया था कि वह ठूंठ पेड़ निकला न उसमें पत्ता है और न फल है, लगता है कि प्लास्टिक का पेड़ आपने लगाया। आपने देखा कि कितने मिलियन टन हम लदान कर रहे हैं। आज यह बोल रहे हैं कि लालू यादव, रेल मंत्री यह बतायें कि डिविडैन्ड और डी.आर.एफ. फंड सरप्लस में है कि नहीं है। हमारे पास सरप्लस है या कम है, डी.आर.एफ. का क्या मतलब होता है। ललन सिंह जी, डी.आर.एफ. का मतलब होता है इनवैस्टमैन्ट। जब हमारे पास सरप्लस नहीं है तो क्या हम भारत सरकार के पास पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं। हम अपने पैरों पर खड़े हैं।

महोदय, कई वर्षों तक रेल मंत्रियों ने डिविडेन्ड नहीं लौटाया। मैंने उसे सारा क्लियर करके 20 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है, यह हमारे काम का नतीजा है। इन्हें पता ही नहीं है,

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यह पढ़ते भी नहीं हैं, खास करके ललन सिंह जैसे लोग पढ़ते ही नहीं हैं। मैं जानता हूं छोरी समधिन बनी हुई है। जो लड़की को हमने बाल्यकाल में देखा है, वही समधिन बनी हुई है। हम लोग इनको अच्छी सरह से जानते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य कि लोगों को कंफ्यूज करो। अब यहां नहीं है, वह पूछ रहे थे कि हम बतायें, अब बताने के लिए हम खड़े हैं, लेकिन वह गायब हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय रेल सारे संकटों, मड से निकल गई है। देश भर की महान जनता ने, सारे तबके, सारे वर्गों के लोगों ने इसकी सराहना की है। रेल बजट की जितनी आज छाप है, कल भी ऐसी छाप रहेगी और आने वाले दिनों में भी रहेगी। भारतीय रेल का किराया हमने नहीं बढ़ाया। हमने माल गाड़ी का भाड़ा भी नहीं बढ़ाया। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): पीक सीजन में भाड़ा बढ़ाया है।

श्री लालू प्रसाद: आपकी बात का भी जवाब देंगे, थोड़ी अभी बैटरी चार्ज करने दीजिए।

इसमें बहुत सारे देश हैं और भले ही आप हाउस में बोलिए। बीजेपी के लोग आलोचना करिए लेकिन बीजेपी के लोग बाहर सराहना करते हैं। यह अच्छी बात है। हम लोग पोलिटिकल लोग हैं यदि कोई साथी अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए न कि आलोचना। आज मैंने एक अखबार पढ़ा। उसमें लिखा था कि पूरी और तरकारी बजट में लालू यादव जी ने महंगी कर दी है। क्या बजट किसी ने पढ़ा है? क्या पूरी, तरकारी और कचौड़ी बजट में रहती है? ...*(व्यवधान)* प्लेटफार्म पर जो छोटे-छोटे वेंडर्स रहते हैं, गाड़ी जब आती है, वे बेचते हैं कि पूरी ले लो, कचौड़ी ले लो। कोई गाड़ी छूटी किसी ने रुपया दिया वह रख लिया। चाय गर्म, चाय गर्म, पेठा ले लो। ...*(व्यवधान)* यहां हम बेचते हैं। लेकिन अखबार में दे दिया कि लालू यादव झूठ बोल रहे हैं। बैकडोर से पूरी-तरकारी प्लेटफार्म पर महंगा बिकवा रहे हैं। गरीब आदमी बेच रहा है और गरीब आदमी बेचता है तो बहुत से पैसेंजर ये सोचकर कि अब यह कहां से रेजगारी देगा, चेंज लौटाएगा, तो वे दे देते हैं। तो उसकी भी रोजगारी चलती है। रेल में करोड़ों-करोड़ों लोगों की रोजगारी चलती है।

हमारे जो मित्र लोग हैं, इनको तो आलोचना करने की आदत लगी हुई है। कुछ भी आप बोलें तो इन्हें उल्टा ही नजर आएगा। खासकर नायडू जी, वह अभी सदन में आ गये हैं, पहले नहीं थे, वहां हम लोग भी बैठेंगे तो वही भाषा बोलेंगे जो आप बोलकर गये हैं। क्या आपने पता किया कि आन्ध्र प्रदेश के लिए हमने कितनी राशि बढ़ाई है? कहीं से कोई शिकायत नहीं है। नायडू जी, सुनिए। कर्नाटक के लिए 2006-07 में 319 करोड़ रुपया था, उसे बढ़ाकर 630 करोड़ रुपया कर दिया है। 97 प्रतिशत ज्यादा आपको दिया है। काम करिए और यदि पैसे की कमी है तो आप आइए। आपके मुख्य मंत्री आते हैं, बात करते हैं और हम लोग काम करते हैं। केरल को 147 करोड़ रुपया 2006-07 में दिया था और यह फार्मूला आधारित होता है, इसमें भेदभाव नहीं होता। केरल को 147 करोड़ रुपया दिया था और इस साल 284 करोड़ रुपये हमने धनराशि दी है जो 92 प्रतिशत ज्यादा है। आन्ध्र प्रदेश को हमने पहले 428 करोड़ रुपया दिया था, यह धनराशि कम नहीं होती है। इस साल 640 करोड़ रुपया दिया है। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं रेलवे बजट से प्रसन्न नहीं हूं। आप कैसे हैप्पी होंगे, वह मंत्र हमें बताइए ताकि हम आपको हैप्पी कर दें। आन्ध्र प्रदेश को 640 करोड़ रुपया, असम को 566, बिहार को 125 करोड़ रुपया ...*(व्यवधान)* हमारी बात सुनिए। नेशनल प्रोजेक्ट से लेकर आप ही लोग बिहार के लिए कहते थे:

[अनुवाद]

> बिहार समृद्ध है परन्तु बिहार के लोग गरीब हैं। बिहार पिछड़ा राज्य है।

[हिन्दी]

अब आप सुनिए। छत्तीसगढ़ को 222 करोड़ रुपया, दिल्ली को 65 करोड़ रुपया, गुजरात को 322 करोड़ रुपया, हरियाणा को 552 करोड़ रुपया, हिमाचल प्रदेश को 115 करोड़ रुपया, जम्मू कश्मीर को 100 करोड़ रुपया, झारखंड को 411 करोड़ रुपया, कर्नाटक को 630 करोड़ रुपया, केरल को 284 करोड़ रुपया, मध्य प्रदेश को 323 करोड़ रुपया, और माहाराष्ट्र को 1048 करोड़ रुपया दिया है। उड़ीसा के लिये 716 करोड़ रुपये, पंजाब के लिए 160 करोड़ रुपये, राजस्थान के लिये 673 करोड़ रुपये, तमिलनाडु के लिए 726 करोड़ रुपये, उत्तराखंड के लिये 202 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश के लिए 1764 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल के लिये 764 करोड़ रुपये, आबंटित किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि काम करते जाएं, पैसा हम से पाते जायें। यह पैसा अलॉटमेंट करने का हमारा तरीका है। हमारा निर्देश है कि एक समय सीमा के अंदर जो प्रोजैक्ट लिया गया है, उसमें राशि को खर्च करते जायें। लेकिन पैसा खर्च करने में भी लोग दिक्कत पैदा करते हैं। टैंडर स्टार्ट करने में दिक्कत

[श्री लालू प्रसाद]

होती है, कोई टैंडर लेकर भाग जाता है, कोई टैंडर कम कर देता है। लोग कहते हैं कि बिहार को ज्यादा पैसा दे दिया गया लेकिन मैं कहता हूं कि बिहार के साथ शुरू से बेइन्साफी की गई है। हमने इसी बात पर लड़ाई की थी। हम बिहार का विकास करना चाहते थे। अगर बिहार का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास कैसे हो सकता है? हमारे गरीब लोग लाचार और बेबस हैं। सैंट्रल सैक्टर में लोएस्ट इनवैस्टमेंट हुआ है परन्तु मैं यू पी ए सरकार को बधाई देना चाहता हूं। माननीय डा. मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी ने बिहार को पिछड़े राज्य की श्रेणी में रखकर उसके विकास की बात सोची है। हमारे वे भाई जो बहुत आगे बढ़ गये हैं, बिहार के भाईयों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए ताकि वे भी उनकी बराबरी में आ जायें। लेकिन असम में बिहारियों की पिटाई होती है। महाराष्ट्र में आज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर बिहारियों को महाराष्ट्र में रहना है तो डरकर रहना होगा। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बिहारी डरकर नहीं रहते, वे सीना तानकर रहते हैं, अपमान सहकर नहीं रह सकते। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना देश को तोड़ने के बराबर है। ऐसे तत्वों को इन बातों से दूर रहना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): हरियाणा को कोई प्रोजैक्ट नहीं दिया गया है।

श्री लालू प्रसाद: आपको बजट की कॉपी दे दी गई है।

श्री किशन सिंह सांगवान: उसमें कहां है उसमें कोई नहीं है। आप किस प्रोजैक्ट की बात कह रहे हैं?

श्री लालू प्रसाद: उपध्यक्ष जी, हमारे पास डीआरएफ का पैसा है। वह पहले कम था। एन.डी.ए. के शासनकाल में बद से बदतर हालत थी लेकिन हमने ऐलान किया कि हम निजीकरण नहीं करेंगे। ये निजीकरण की बात कहते रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमने भारतीय रेल को विश्व का नम्बर वन रेलवे बनाना है। इसलिये निजीकरण की दिशा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे देश में जो कंनटेनर सर्विसेज हैं, छोटे होटल या मोटल हैं, विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन्स हैं एग्रो बेस्ड प्रोड्यूस को लीज पर देने की बात है उसे छोड़कर जो कोर सैक्टर है, रेलवे में उसे निजीकरण करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि हमें सीपीएम का समर्थन प्राप्त है इसलिए प्राइवेट सैक्टर के लिये इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए।

उपाध्यक्ष जी, सामने बैठे हुए लोग समझते हैं कि हम लड़ेंगे लेकिन मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हम लड़ेंगे। हम तो उन ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारी एकता और अखण्डता को खंडित करने का प्रयास करेंगे। अभी एक पेपर में खबर छपी जिसे हमने देखा। हमारे यहां एक चैनल-7 है जो ज्यादा चैम्पियन बनने की कोशिश कर रहा है। उसने कहा कि लालू प्रसाद महिलाओं से रिजर्वेशन के लिये 20 रुपये चार्ज कर रहे हैं लेकिन हम महिलाओं को लोअर बर्थ बिना किसी चार्ज के देने जा रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिये अप्रैल, 2007 से लागू किया जाना है तो किसी भी कीमत पर हम पैसा कहां से दें। आप देखिए कि कैसे फालतू बात है जिसे दिखाया जा रहा है। इसके अलावा हमने 'राजस्थान पत्रिका' में हमारा एक कार्टून देखा। किनकी पत्रिका यह है, यह जानते हैं। ये तकलीफ के शिकार हैं कि भारतीय रेल में गरीबों का भाड़ा कम किया है। वह एक रुपये की कमी नहीं है। तीन स्टेशन जाएगा तो 10 प्रतिशत, चौथा स्टेशन जाएगा जो 20 प्रतिशत कम हो जाएगा। 90 प्रतिशत आदमी लोकल ट्रनों में चलते हैं। दूध वाले, सब्जी वाले और फल बेचने वाले जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए वैन्डर्स कोच लगाने का उद्देश्य यही है कि इनकी भी रेल है और पैसेन्जर्स से इनकी धक्का-मुक्की नहीं हो। हमने पैट्रोल और डीजल की ढुलाई में पांच प्रतिशत की कमी की है। यही नहीं, जो लोकल इंडस्ट्री है, उसमें आइरन ओर, लाइम स्टोन तथा बॉक्साइड में भी हमने पांच प्रतिशत की कमी की है। हमारा आइरन ओर तथा दूसरा जो माल बाहर जा रहा है, उसमें हमने युक्तिकरण करके रेट लिया है और बढ़ाया है। ललन सिंह जी अभी नहीं हैं। वे बोल रहे थे कि लालू जी दो साल के बाद खुद फंसेंगे जब रेल एक्सीडैन्ट होने शुरू होंगे क्योंकि ये ज्यादा माल लाद रहे हैं। माल तो पहले भी लादते थे। अगर हम रेल में चोरी नहीं पकड़ते, गाड़ियों को जोखवाते नहीं, आइरन ओर को देखते नहीं, मिलेनियम ट्रेन को रोकते नहीं, मशीन पर नहीं तोलते तो माल तो उतना ही जा रहा था मगर हम चार्ज कम कर रहे थे। पहले मंत्री कौन था, सरकार किसकी थी? कौन था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप जानते हैं। कोई मेहनत नहीं करता लेकिन आज देश और दुनिया भर में रेल का डंका बजा। देश की जनता-भूरि-भूरि प्रशंसा कर रही है। एसी, 2-एसी, स्लीपर, सुपरफास्ट और लोकल ट्रेनों में जो गरीब लोग जाते हैं, उनके लिए कम जगह थी। जो ज्यादा दौलत पैदा करने के लिए जाते हैं, उनके लिए हमने हर गाड़ी में चार डिब्बे और जोड़ने का काम किया है। ताकि ढंग से बैठकर वे जाएं। काठ युग से हम चले थे। उनको भी शौक है कि वह भी गद्देदार सीट पर बैठें। वह हमारी लक्ष्मी है, मालिक है जिसके वोट से हम आते हैं। वही हमारे लिये वोट डालते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जो भारतीय रेल में काठ पर बैठते थे, उनको दो इंच की गद्देदार सीट दी है। यह कदम स्वर्गीय मधु दंडवते जी ने भी उठाया था। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। इन बातों को हम देखते हैं।

ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को राहत देने की हमारी योजना है। एयरकंडीशन्ड गरीब रथ हमने चलाए हैं। हमने कहा था कि हम राजधानी से राजधानी को जोड़ेंगे। आठ जोड़े गाड़ियां हमने दी हैं। और भी गाड़ियां हम हर रूट पर देंगे, ऐसा हम देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। यह सम्मान और प्रतिष्ठा गरीबों को लिए है कि वह 550 रुपये वाला जो मेहनत करता है, दो-तीन किलो मुर्गा-मांस पर खर्च करता है, उसका दाम इतना दिया है कि 1000 किलोमीटर की दूरी वह यह करता है जो उसमें 550 रुपये ले रहे हैं जो बहुत कम है। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको और कम करेंगे। दुनियां भर की रेलों से भारत की रेल बहुत सस्ती है पैसेन्जर्स में और फ्रेट में। फिर इन लोगों का अंदेशा है कि गाड़ी एक्सीडैन्ट कर जाएगी तो लोडिंग कर रहे हैं। हम डीआरएफ से इंजनों को, लाइनों को, ब्रिजों आदि सबको बदल रहे हैं। हम रात-दिन काम कर रहे हैं और डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर बनाने जा रहे हैं। जो ह्यूज कंजैशन एक्जिस्टिंग लाइन पर है और जहां लूप लाइन है, उसमें हम गुड्स ट्रेन रखते हैं। हम डैडीकेटेड लाइन बनाने जा रहे हैं। इसको हम तरीके से बना रहे हैं। हम माल को लादेंगे, ढोएंगे और टेयर वेट हम घटा रहे हैं। हम एल्युमिनियम के डिब्बे भी बना रहे हैं ताकि अगर कहीं जले भी तो एल्युमिनियम का रेट बेचने पर मिल जाए। जो गुड्स ट्रेन आप देखते हैं, उसमें दो इंजन लगते हैं जिससे ज्यादा फ्यूल कंज्यूम होता है सिर्फ डिब्बे के वजन को ढोने में। डिब्बे का वजन तोल लीजिए कितना हो गया और फिर माल लादिये। हम वजन कम कर देंगे। हमारा टैंडर भी हो गया, नये कोच बनाने का एक डिब्बा, वैगन बनाने का गुड्स ट्रेन वाला, इसमें हम ज्यादा माल लादेंगे। डाक्टर का सुझाव है कि मोटाई कम करो, चर्बी कम करो, पतला करो। हम उसे पतला कर रहे हैं। भारतीय रेल में बैठे हुए जो इंजीनियर्स हैं, मैं उनके दिमाग की प्रशंसा करता हूं। ये सर्विस में आये हुए बड़े अच्छे लोग हैं और बड़ी अच्छी तरह से अपने काम को करते हैं। हमने जहां गरीबों को राहत दी, वहीं अमीरों के ऊपर भी हमने अंगुली नहीं उठाई। हमने उन्हें भी कहा कि आपका भाड़ा भा कम कर देते हैं। लोग गंदगी के बारे में बोलते हैं, इसके लिए ठीक से कोई इंतजाम नहीं है, हम उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। सुरक्षा के मामले में भागलपुर इंजीनियरों की लापरवाही से पुल तोड़ने की बात छोड़ दीजिए, अनमैंड गेट को छोड़ दीजिए। कई एक्सीडेंट एनडीए के समय में हुए और कई जानें गईं। राजधानी से लेकर चारों तरफ हमारे समय में एक्सीडेंट का रेट घटा है। समझौता एक्सप्रेस और मुंबई मे जो घटना हुई और जो टरोरिस्ट अटेक हुए, उसके लिए हमने ज्यादा से ज्यादा राशि का प्रावधान किया है। सुरक्षा के लिए भी हम इंतजाम करने जा रहे हैं। आरपीएफ के आठ हजार पद खाली हैं। हमने कहा है कि इन्हें जल्दी भरो। हमने चालीस हजार का प्रस्ताव फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है ताकि आरपीएफ को और अधिकार देकर, गाड़ियों का बेहतर इंतजाम करके, रेलवे में चोरी को खत्म करके, हर टीटी को लेपटॉप देंगे, ऐसे अपग्रेडेशन होने से सब को फायदा होगा। लेपटॉप देने से आपको उसमें सब कुछ भरना पड़ेगा कितनी वेकेंसीज हैं, उसे अगले स्टेशन को बताना पड़ेगा, इससे आगे के स्टेशन पर जो लिस्ट है, वह वहां से बुक हो जाएगी।

रेलवे की चोरी को रोकना हमारा और आप सबका फर्ज है। इसलिए हम इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों, भाई-बहनों को बताना चाहता हूं कि यहीं हम दम लेने वाले नहीं हैं, हम और भी जो सहूलियतें देने की बात होगी, वे भी हम देंगे। हम और भी सहायता देंगे। हम सब लोगों से कहते हैं कि आप अपने सुझाव हमें देते रहिए। हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं, लोगों की शिकायत है कि जो ट्रेन में बच्चों को जन्म दे देती हैं, उनके लिए भी हम विचार कर रहे हैं कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। हम आगे आपको बताएंगे कि अगर ट्रेन में कोई गरीब या कोई भी महिला की डिलीवरी हो जाती है तो उस ब्च्चे-बच्ची का नाम भी हम लिखेंगे, रेल से जोड़ेंगे, उसे और क्या मदद दे सकते हैं, इस बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अगर कोई महिला गर्भवती है और उसकी वहां डिलीवरी हो जाती है तो उसके लिए गाड़ी में जो कूपे हैं, वह उसे देंगे। हम जनरल बोगी में भी इंतजाम देख लेते हैं, तब तक यह इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने टीटी, अधिकारियों को जरूर लगा कर रखेंगे कि आगे चलने वाले हर स्टेशन पर जो रेलवे का अस्पताल है, अगर किसी गर्भवती महिला को दर्द हुआ तो हम डाक्टर का इंतजाम भी उस जगह पर करेंगे। हम पूरे पैकेज के साथ आएंगे। हमारे घर में हमारी बेटी, बहन आई है, हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए हर सुविधा का ध्यान रखें, उसे ऐसे ही न छोड़ दें। जितने महिला आयोग संगठन हैं, लेफ्ट या अन्य लोग हैं, हम सब को बुलाएंगे, उन नेताओं को भी, हम रिजर्वेशन देने वाले नहीं हैं, हम बाद में सोचेंगे। हम महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देंगे। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। हम बजट में बता चुके हैं, उसमें सब लिखा हुआ है, उसे आपको पढ़ना चाहिए।

अब दोहरीकरण वगैरह का काम तेजी से हो रहा है, तीन हजार किलोमीटर से अधिक लाइन का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। केटरिंग में जो शिकायत है, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि दाल में पानी रहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, बिना पानी के दाल कैसे बनेगी। वह तो तड़का हो जाएगा। डॉक्टर भी बोलते हैं कि पतली दाल खाओ। उसके लिए भी हमने कहा है कि मैनू बदला जाए। मेरा आपसे

[श्री लालू प्रसाद]

भी आग्रह है कि आप हमें सुझाव दीजिए। अभी खाने में 20 तरह के आइटम हैं। उसमें अचार, चटनी, सूप के साथ लम्बा बिस्कुट, ड्रम स्टिक, कहीं किसी कागज में कुछ लपेटकर दिया जाता है। दाल ठंडी होती है। उसे गरम किया जाता है। यदि ठंडी दाल खा ली जाए, तो पेट फूल जाता है। अगर आप लोगों का सुझाव हो, तो जितने आइटम अभी हैं, उन्हें खत्म करके दाल-भात, तरकारी या मांस और भात अथवा झालमुढ़ी और भात आदि दिया जाए। तीता झोर बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में दिया जा सकता है। खाने की लिमिट की जा सकती है और जो सलाद वगैरह काट कर दिया जाता है, वह बंद किया जाना चाहिए क्योंकि इससे इन्फैक्शन फैलने की पूरी आशंका बनी रहती है। बी.जे.पी. के लोगों को वैसे भी सलाद कम खाना चाहिए। मैनू को हम रिव्यू कर रहे हैं और रेलवे कैटरिंग कॉर्पोरेशन से हम कह रहे हैं कि मैनू बदल कर खाना खिलाओ। हमारी जिन लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में खानपान का डिब्बा नहीं है, वहां हम खानपान का डिब्बा बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से चुनी गई हमारी बहन श्रीमती प्रतिभा सिंह जी माननीय सांसद हैं। उनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी गए थे। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन निर्माण पर काफी इन्वैस्टमेंट हुआ है। उसकी हम स्टडी करा रहे हैं। उसे नैशनल प्रोजैक्ट में शामिल करने हेतु प्रधानमंत्री जी ने कहा था। इस पर हम आगे छानबीन करा रहे हैं तथा उस पर और आगे कार्रवाई करेंगे।

महोदय, हमने जो काम किए हैं उनका ब्यौरा मैंने दे दिया है। कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव बाद में आते हैं, उन्हें जोड़ना संभव नहीं होता है। फिर भी हमने प्रयास किया है कि अधिक से अधिक माननीय सासदों के सुझावों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन आज ही दिए गए सुझावों को शामिल करना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि दमदम से बड़ा नगर तक नई मैट्रो रेल लाइन का सर्वेक्षण करा रहे हैं। दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच एक नई रेल लाइन का अद्यतन सर्वेक्षण करा रहे हैं। मुडासा से शामला जी तक एक नई रेल लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण करा रहे हैं। मेरठ से देवबन्द सहारनपुर रेलवे लाइन को पूर्वी डैडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का भाग बनाकर उसके विद्युतीकरण करने एवं उसकी लाइन क्षमता का विस्तार करने जा रहे हैं। बाढ़, फुलवारी-शरीफ, भभुआ, सरेल, दल सिंह सराय सहित देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों को बनाये जा रहे हैं। अगर कोई स्टेशन बचा हो, तो मेरा निवेदन है कि माननीय सांसदगण मुझे उसका नाम लिखकर भेजें ताकि उसे भी शामिल किया जा सके। सभी स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से लेना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी ए, बी, सी और डी कर के रेलवे स्टेशन लिए गए हैं, बिटरगुन्टा में मैमोसैट की स्थापना के लिए फीजिबलिटी स्टडी कराई जाएगी। पटना साहब में उसकी स्थापना हो चुकी है। हावड़ा से शिवरी के बीच एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। मुडासा से शामला तक 16 किलोमीटर मिसिंग रेल लिंक की स्वीकृति कराएंगे। ट्रेन संख्या 5665/5666, बी.जी. एक्सप्रैस, गुवाहाटी-दीमापुर का जोरहाट तक विस्तार तथा नुमालीगढ़ करने जा रहे हैं। जहां और ज्यादा विस्तार की जरूरत होगी, वहां और विस्तार करेंगे। सीतामढ़ी, जयनगर, निर्मली वगैरह नेपाल से लगे हुए क्षेत्रों तक अद्यतन स्थिति का पता लगाकर सारा काम करेंगे। सिकंदराबाद में भी काम करेंगे। किशनगंज अजमेर शरीफ गरीब नवाज साप्ताहिक ट्रेन के फेरों में वृद्धि कर सप्ताह में तीन दिन चलाई जाएगी। हावड़ा-मुंबई मेल को सप्ताह में एक दिन जसीदी तथा पटना होकर चलाने का निर्णय किया गया है। तिरुचिरापल्ली मइलाडुतुरैम एक नई रेल चलाई जाएगी। नाम भी कुछ इतने कठिन हैं कि हमें उन्हें पढ़ना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि तिरुचिरापल्ली-मैलादुतुरैई है। नाम में गलती के कारण कहीं आप मुझसे गलत घोषणा न करा दें। यह तिरुचिरापल्ली-मइलादुतुरैय रेलगाड़ी है जो वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम के चुनाव क्षेत्र में पड़ती है।

सभी माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हम देखेंगे और देखकर के आपका सुझाव ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। हम इस पर ज्यादा काम करेंगे। साहिबाबाद से दिल्ली के लिए गोयल जी ने उठाया है ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): इसको मंजूर कर लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: इसको मंजूर तो कर लिया है और आप क्या चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: हापुड़ और मेरठ लाइन का विद्युतीकरण भी कर दीजिए।

श्री लालू प्रसाद: यह भी करवा ही लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि वहां जो बहाली हुई थी, उसमें गड़बड़ी हुई है। लेकिन यह सच नहीं है। बहाली ठीक हुई थी और 90 प्रतिशत बिहार के लड़के उसमें मैरिट पर आए थे। इस कारण से बीजेपी के लोगों ने विरोध शुरू किया था।

श्रीमती इन्ग्रिड मैक्डोल हम पर साल भर से दबाव डाल रही हैं कि बिलापुर को रेलवे भर्ती बोर्ड का अलग से जोन बना दो, जिसे बना दिया है।

आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि रेल बजट को पास किया जाए। ...*(व्यवधान)* केरल के माननीय सदस्यों का सैलम और पालघाट का है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2007-08 के लिए लेखानुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्री लालू प्रसाद: सेलम और पलक्कड़ मण्डलों के मामले में मैंने दोनों मुख्य मंत्रियों को मामले के समाधान के लिए आमंत्रित

किया है और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों पर विचार किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कार्यसूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाये गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची के स्तम्भ-3 में दखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2007-08 के लिए लेखानुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई लेखानुदान की मांगों की राशि (रु.)
1	2	3
1.	रेलवे बोर्ड	15,90,73,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	65,12,77,000
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं	417,01,41,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण	749,03,02,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण	402,47,45,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	817,37,38,000
7.	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	419,45,18,000
8.	परिचालन व्यय—चल स्टाक और उपस्कर	579,86,93,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात	1958,17,81,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	2048,20,23,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं	321,66,32,000
12.	विविध संचालन व्यय	335,23,36,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	1371,44,43,000
14.	निधियों में विनियोग	4272,98,74,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	4,28,12,000

1	2	3
16.	परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	10,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	4520,28,13,000
	रेलवे निधियां	3581,89,17,000
	रेलवे संरक्षा निधि	175,10,33,000
	विशेष रेलवे संरक्षा निधि	321,75,00,000
	जोड़	22387,26,51,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (रेल) को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि:

''कि कार्यसूची के स्तम्भ-2 में मांग संख्या 1, 2, 6, 10 और 14 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ-3 में दिखाई गयी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।''

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2006-07 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)

मांग संख्या	मांग का नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुपूरक अनुदानों की मांगों की राशि (रु.)
1.	रेलवे बोर्ड	2,30,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	10,50,00,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	32,79,05,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	451,97,24,000
14.	निधियों में विनियोग	3954,58,65,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अतिपूंजीकरण का परिशोधन	371,53,00,000
16.	परिसंपत्तियां—अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव	
	राजस्व	5,00,00,000
	अन्य व्यय	
	पूंजी	1741,91,12,000
	रेलवे निधियां	1008,55,92,000
	जोड़	7579,14,98,000

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं, श्री आर. वेलु द्वारा प्रस्तुत किये गये रेल अभिसमय समिति (2004) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के संबंध में संकल्प सभा के मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व इत्यादि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने के लिए नियुक्त रेल अभिसमय समिति (2004) के पांचवें प्रतिवेदन जिसे 18 अगस्त, 2006 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 51 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का, पैरा 50 में इस परिवर्तन के साथ अनुमोदन करती है कि पूंजीगत निधि के पट्टा प्रभारों के मुख्य घटक का विनियोजन मुख्य शीर्ष 3001 की बजाय मुख्य शीर्ष 3006 के माध्यम से किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.53 बजे

विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 18—विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक लेंगे।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2007-08 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2007-08 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2007-2008 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियां निकालने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 9.3.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विधेयक परित किया जाये।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक परित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.53½ बजे

विनियोग (रेल) विधेयक, 2007*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 21—विनियोग (रेल) विधेयक पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-07 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि रेलवे के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ करेंगे।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा सोमवार 12 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.55 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 12 मार्च, 2007/21 फाल्गुन, 1928 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 9.3.2007 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज)	161
2.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड श्रीमती निवेदिता माने	162
3.	श्री महावीर भगोरा श्री हरिकेवल प्रसाद	163
4.	डा. राजेश मिश्रा श्री अवतार सिंह भडाना	164
5.	श्री रायापति सांबासिवा राव	165
6.	श्री हंसराज गं. अहीर श्री एन.एन. कृष्णदास	166
7.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	167
8.	श्री विजय कृष्ण श्री रघुनाथ झा	168
9.	श्री सुखदेव सिंह ढींडसा श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	169
10.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख	170
11.	श्री गिरधारी लाल भार्गव श्रीमती किरण माहेश्वरी	171
12.	श्री अनिल बसु श्री राम कृपाल यादव	172
13.	श्री निखिल कुमार श्री रघुवीर सिंह कौशल	173
14.	श्री अधीर चौधरी श्री उदय सिंह	174
15.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री काशीराम राणा	175
16.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	176
17.	श्रीमती नीता पटैरिया प्रो. एम. रामदास	177
18.	श्री शिशुपाल एन. पटले श्री कैलाश नाथ सिंह यादव	178
19.	श्रीमती जया प्रदा श्री के.एस. राव	179
20.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	1693
2.	आंचार्य, श्री बसुदेव	1570
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1591, 1634, 1642, 1670
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1557, 1613, 1675, 1692
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	1596, 1649, 1677, 1689
6.	अजय कुमार, श्री एस.	1562
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	1582
8.	आठवले, श्री रामदास	1541, 1615
9.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1507
10.	बैठा, श्री कैलाश	1563
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1588, 1640
12.	बर्मन, श्री हितेन	1539, 1563
13.	बर्मन, श्री रनेन	1563
14.	बखला, श्री जोवाकिम	1629, 1690
15.	भडाना, श्री अवतार सिंह	1610, 1693
16.	भगोरा, श्री महावीर	1609, 1647, 1675, 1688
17.	भक्त, श्री मनोरंजन	1578
18.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	1517, 1597, 1621, 1662
19.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1545, 1621, 1649
20.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1564, 1642
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1606
22.	चिन्ता मोहन, डा.	1546
23.	चौधरी, श्री पंकज	1554, 1633
24.	चौधरी, श्री अधीर	1611, 1612
25.	दास, श्री अलकेष	1583
26.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	1564, 1568, 1695
27.	देवरा, श्री मिलिन्द	1540, 1588, 1608, 1646

1	2	3
28.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	1593, 1607, 1650
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	1530
30.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1608, 1646, 1674, 1687
31.	गंगवार, श्री संतोष	1533, 1675
32.	हसन, चौधरी मुनव्वर	1621
33.	हुसैन, श्री अब्दुल मन्नान	1675
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	1561, 1629, 1663, 1682
35.	झा, श्री रघुनाथ	1543
36.	जिन्दल, श्री नवीन	1527, 1530
37.	जोगी, श्री अजीत	1547, 1619
38.	जोशी, श्री प्रहलाद	1567
39.	करूणाकरन, श्री पी.	1558, 1621
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1521, 1612, 1632, 1680
41.	खां, श्री सुनील	1584
42.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	1542, 1616
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1510, 1594, 1607, 1660
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1592, 1645, 1673
45.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1623
46.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	1552
47.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1556
48.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	1585, 1647
49.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1569, 1589, 1641, 1671, 1699
50.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1614, 1629
51.	महरिया, श्री सुभाष	1579, 1637, 1667
52.	महताब, श्री भर्तृहरि	1605
53.	महतो, श्री टेक लाल	1531
54.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	1511, 1530, 1549, 1675
55.	माने, श्रीमती निवेदिता	1608, 1638, 1646, 1701
56.	मनोज, डा. के.एस.	1538
57.	मरन्डी, श्री सुदाम	1519
58.	मसूद, श्री रशीद	1566, 1605
59.	मेघवाल, श्री कैलाश	1553, 1605
60.	मिश्रा, डा. राजेश	1610
61.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1555
62.	मो. ताहिर, श्री	1536, 1554, 1633, 1665, 1684
63.	मंडल, श्री अबु अयीश	1560, 1628
64.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1573, 1622
65.	नायक, श्री अनन्त	1614, 1624
66.	नायक, श्रीमती अर्चना	1587
67.	निखिल कुमार, श्री	1611, 1652
68.	ओराम, श्री जुएल	1612
69.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1607, 1617, 1653, 1678
70.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	1512, 1595, 1644, 1672, 1686
71.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1513, 1550
72.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1514
73.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1613
74.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1529, 1618, 1657, 1680
75.	पाठक, श्री ब्रजेश	1528, 1536, 1554, 1639, 1669
76.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	1572, 1676
77.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	1536, 1554, 1607, 1614
78.	पिंगले, श्री देविदास	1685
79.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	1540
80.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1603, 1640, 1588
81.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1606, 1651
82.	राजगोपाल, श्री एल.	1537, 1617, 1655, 1679
83.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	1509, 1633
84.	रामदास, प्रो. एम.	1631, 1664, 1683, 1700

1	2	3
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1559
86.	राव, श्री के.एस.	1605, 1607, 1662, 1681
87.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1604, 1648, 1676
88.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1574
89.	रावले, श्री मोहन	1548, 1620
90.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1518, 1598, 1656, 1675
91.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	1580, 1666
92.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1682
93.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1614, 1654
94.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1642
95.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1515
96.	सज्जन कुमार, श्री	1610, 1693
97.	साई प्रताप, श्री ए.	1516
98.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1522, 1600
99.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1558
100.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	1559, 1627, 1661
101.	सत्पथी, श्री तथागत	1563, 1621
102.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1577, 1635, 1697
103.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1523, 1563, 1630, 1680
104.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	1588, 1640
105.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1576
106.	शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	1524
107.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1571, 1591, 1634, 1642, 1670
108.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1536, 1554, 1625, 1668, 1685
109.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1691
110.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1520, 1599, 1658, 1675, 1698
111.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1540
112.	सिंह, श्री दुष्यंत	1586
113.	सिंह, श्री गणेश	1581, 1684
114.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1608, 1638, 1646, 1674, 1687
115.	सिंह, श्री मोहन	1549, 1621
116.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1532, 1549, 1571
117.	सिंह, श्री रेवती रमन	1535, 1696
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	1590, 1643, 1657, 1680
119.	सिंह, श्री उदय	1612, 1622, 1659
120.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1674
121.	सुगावनम, श्री ई.जी.	1525, 1594, 1602, 1675
122.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	1549
123.	सुमन, श्री रामजीलाल	1546, 1556
124.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1526, 1551, 1583
125.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1671
126.	थामस, श्री पी.सी.	1562, 1614, 1694
127.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1557
128.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1513, 1550
129.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1534, 1626
130.	रिक्त	1651, 1658
131.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1563, 1624
132.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1569
133.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1692
134.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1587
135.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1565, 1591, 1607, 1642, 1670
136.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1617, 1698
137.	यादव, श्री बालेश्वर	1508, 1601, 1607, 1626, 1633
138.	यादव, श्री गिरिधारी	1506, 1636
139.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	1639, 1668, 1669, 1685
140.	यादव, श्री मित्रसेन	1675
141.	यादव, श्री राम कृपाल	1544
142.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1575

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कम्पनी कार्य	:	
पृथ्वी विज्ञान	:	166
वित्त	:	162, 164, 165, 168, 171, 173, 174, 175, 179
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	
विधि और न्याय	:	169, 172, 176
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	170
विद्युत	:	163
ग्रामीण विकास	:	177, 178
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	167, 180
शहरी विकास	:	161

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कम्पनी कार्य	:	1510, 1564, 1632, 1641, 1680, 1692
पृथ्वी विज्ञान	:	1562, 1604, 1624, 1630, 1646, 1676, 1691
वित्त	:	1511, 1512, 1514, 1516, 1517, 1521, 1522, 1525, 1526, 1530, 1533, 1534, 1536, 1540, 1542, 1544, 1545, 1546, 1549, 1551, 1552, 1553, 1556, 1558, 1560, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1574, 1576, 1579, 1582, 1584, 1585, 1588, 1591, 1594, 1600, 1608, 1609, 1612, 1613, 1616, 1618, 1622, 1625, 1633, 1640, 1650, 1653, 1654, 1659, 1663, 1678, 1682, 1688, 1689, 1690, 1695, 1696, 1698, 1699
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	1523, 1541, 1561, 1566, 1607, 1636, 1655, 1670, 1694
विधि और न्याय	:	1507, 1593, 1668, 1674, 1685, 1697
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	:	1563, 1629, 1631, 1683
विद्युत	:	1508, 1527, 1528, 1529, 1537, 1538, 1554, 1555, 1557, 1559, 1589, 1595, 1603, 1614, 1621, 1634, 1644, 1647, 1658, 1662, 1675, 1681, 1686, 1687, 1701
ग्रामीण विकास	:	1506, 1509, 1513, 1515, 1518, 1520, 1524, 1535, 1543, 1550, 1565, 1573, 1577, 1580, 1583, 1592, 1596, 1598, 1599, 1605, 1606, 1615, 1619, 1623, 1627, 1635, 1637, 1649, 1657, 1660, 1661, 1664, 1667, 1669, 1671, 1677, 1679, 1684
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	1547, 1578, 1587, 1590, 1620, 1626, 1628, 1643
शहरी विकास	:	1519, 1531, 1532, 1539, 1548, 1572, 1575, 1580, 1586, 1597, 1601, 1602, 1610, 1611, 1617, 1638, 1639, 1642, 1645, 1648, 1651, 1652, 1656, 1665, 1666, 1672, 1673, 1693, 1700.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/25/10/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।